

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजनीति-विज्ञान के मूल सिद्धांत

लेखक

नवीन नारायण अग्रवाल
एम० ए०, पी० एच० डी०,
अध्यक्ष, राजनीति विभाग,
हिन्दू कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली



LOYAL BOOK DEPOT,
SUBZIMANLI ROAD,
KOTA.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की मानक ग्रंथ योजना
अंतर्गत हिंदी माध्यम मंडल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा प्रकाशित

© भारत सरकार
प्रथम संस्करण, 1967
मूल्य 10 रूपए

प्रस्तुत पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की मानक प्रथम
योजना के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पचास
प्रतिशत अनुदान से प्रकाशित हुई है ।

प्रकाशक : हिंदी माध्यम मंडल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
मुद्रक : मध्यमिनि प्रिंटिंग प्रेस, 90 सरायजीना, मेरठ ।

प्रस्तावना

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्चकोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक से अधिक सहाय्य में तैयार किए जाएँ। भारत सरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के हाथ में सौंपा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे हैं। यह काम अधिकतर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से प्रारम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य आयोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान् और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नए साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शिक्षा संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

“राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत” नामक पुस्तक हिन्दी माध्यम मण्डल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इसके मूल लेखक डा० नवीन नारायण अग्रवाल हैं। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रन्थों के प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा।

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली

विश्वनाथ प्रसाद
अध्यक्ष
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

प्राक्कथन

सभी शिक्षा शास्त्री इस मत में एकमत हैं कि कोई भी विदेशी भाषा किसी देश की शिक्षा का माध्यम सदा के लिए नहीं हो सकती। अपनी मातृभाषा द्वारा ही विद्यार्थी अधिक सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अनेक विश्व-विद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शीघ्रतर उच्च शिक्षा देने का निश्चय किया। हिन्दी को हमारे सविधान में विशेष स्थान दिया गया है। दिल्ली क्षेत्र की भाषा हिन्दी है और बी० ए० में अनल्पांश विद्यार्थी समाजशास्त्र सम्बन्धी विषयों की परीक्षा में अपने उत्तर हिन्दी भाषा के माध्यम से ही देते हैं। यह सुविधा कई वर्षों पूर्व दी गई थी, परन्तु उस समय शिक्षा का माध्यम नहीं बदला गया था। कुछ समय पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निश्चय किया कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी हो और विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता हो कि अपनी शिक्षा का माध्यम स्वयं निर्धारित करें। यह योजना कई वर्षों से बार्ज्यावित है, परन्तु एक कठिनाई का अनुभव हुआ और वह है उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का अभाव। इसको दूर करने के लिए विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के हिन्दी तकनीकी सन्दावली आयोग की सहायता से पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का उत्तरदायित्व लिवा है। इस योजना के अंतर्गत इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि विषयों की पुस्तकें प्रकाशित की जाएँगी जिससे इन विषयों के अध्ययन में सुविधा हो और शिक्षा का स्तर भी नीचे न गिरने पाए। मुझे हर्ष है कि विश्वविद्यालय के हिन्दी माध्यम मण्डल के प्रयास से यह काम पूरा हो रहा है।

चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख

उपकुलपति

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

मूमिका

'राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत' को प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विदेशी भाषाओं के स्तर के मौलिक ग्रंथों के प्रकाशन की भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, उसी के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम के अनुसार इसकी रचना हुई है, और दिल्ली विश्वविद्यालय स्वयं इसे प्रकाशित कर रहा है।

इस पुस्तक में समकालीन विद्वानों के आधुनिकतम विचारों और मान्यताओं से पाठकों को सुबोध भाषा में परिचित कराने का यत्न किया गया है। लेखक की जानकारी में इस प्रकार का प्रयास अभी तक अग्रजी की पुस्तकों में भी नहीं किया गया। हिंदी भाषा में तो यह प्रयत्न सर्वथा नवीन है ही। तथापि इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि विचारों में अस्पष्टता अथवा विश्रुतलता न आने पाए। विषय का विवेचन करते हुए लेखक ने उन आदर्शों को सामने रखा है जिन्हें भारतीय सविधान में मान्यता प्राप्त है।

जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, लेखक स्वयं बोलचाल की भाषा का समर्थक है। तथापि इस ग्रंथ की रचना करते समय वह इस परिणाम पर पहुँचा कि यदि हम अपने विषय को ऊँचे स्तर पर लाना चाहते हैं तो नए विचारों का प्रतिपादन और भावों की रक्षा करने के लिए हमें यथातथ शब्दावली अपनानी होगी। अतएव भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' का आश्रय लिया गया है। केवल चार पाँच स्थलों पर लेखक को नए शब्दों की आवश्यकता पड़ी जिनको गढ़ने में उसने कोई सकोच नहीं किया।

विश्वविद्यालय के उपयुक्त पाठ्य पुस्तक में नई सामग्री और प्रकाशनों के सम्बन्ध में पूरी सूचना होनी चाहिए जिससे पाठकों को अपनी जिज्ञासा सान करने में कठिनाई न उठानी पड़े। अतः नई सामग्री की ओर संकेत करने के लिए बिचारकों और उनके ग्रंथों के सम्बन्ध में पूरी सूचना दी गई है। आशा है कि इससे सुयोग्य विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि जिज्ञासु अध्यापकों एवं शोध कार्य में लगे व्यक्तियों को भी इच्छानुसार सामग्री खोजने में सहायता मिलेगी। लेखक ने विदेशी भाषाओं की पुस्तकों के उद्धरणों का स्वयं अनुवाद किया है। अनुभव से उसने यह पाया कि प्रायः अनुवादक भावों की यथोचित रक्षा नहीं कर पाए हैं।

अपने सहयोगी अध्यापकों को मेरा सुभाष है कि वे विषय का प्रारम्भ सख्द एक से न करें। इस सख्द को यदि वे सख्द दो अथवा तीन के पश्चात् लें तो विषय के प्रतिपादन में सुगमता होगी।

मैं उन सभी विद्वानों और प्रकाशकों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके प्रयत्नों से मुझे सहायता मिली है। पुस्तक के अंत में उन प्रथों की सूची दी गई है जिनके अध्ययन से लेखक ने विशेष लाभ उठाया है। वस्तुतः लेखक का ध्यान योगदान विशेषतः विचारों के चयन और उन्हें एक सगत दृष्टि से श्रुतला-वद्ध करने में है।

इस पुस्तक के लिखने में मेरी पत्नी श्रीमती चन्द्रकाता अग्रवाल, एम० ए०, एल० टी०, ने मुझे विभिन्न प्रकार से इतना सहयोग दिया है कि वस्तुतः इस पुस्तक को हमारा सम्मिलित प्रयत्न कहना सत्य के अधिक निकट होगा।

आशा है कि यह पुस्तक छात्रों को उपयोगी सिद्ध होगी। विद्यार्थियों, विद्वज्जनों एवं सहयोगियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक के सुधार के लिये वे अपने सुभाव भेजने की अवश्य कृपा करें। उनके सुभावों का हार्दिक स्वागत होगा।

22 सितम्बर, 1965

नवीन नारायण अग्रवाल

पुनरुद्ध—

यह पुस्तक आज से लगभग 18 मास पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी माध्यम मण्डल को दी गई थी। अनेक कारणों से इसके मुद्रण एवं प्रकाशन में देरी हो गई। लेखक ने इस बिलम्ब से लाभ उठाकर नए छात्रों तथा तथ्यों का समावेश कर दिया है।

25 मार्च, 1967

—लेखक

विषय-सूची

पृष्ठ

खण्ड एक . प्रवेशिका

अध्याय 1 :	राजनीति-विज्ञान की परिभाषा, स्वरूप और क्षेत्र	3
1	विषय-प्रवेश—यथातथ पारिभाषिक शब्दावली का अभाव	3
2	इस विषय का नामकरण—राजनीति और राजनीति-विज्ञान—सैद्धांतिक और व्यावहारिक राजनीति—राजनीति-विज्ञान एक अथवा अनेक	5
3	राजनीति विज्ञान की परिभाषा	9
4	राजनीति-विज्ञान का क्षेत्र—एक गतिशील अध्ययन—वर्तमान की व्याख्या—बोली बातों का अध्ययन—भविष्य का दिशा-निर्देश—एक अर्द्धविकसित अध्ययन	12
5	राजनीति-विज्ञान के विभाग	15
6	राजनीति-विज्ञान और उसके विभेद . राजनीति-सिद्धांत—राजनीति विचारधारा और राजनीति-सिद्धांत—राजनीति-दर्शन और राजनीति-विज्ञान—राजनीति-दर्शन और राजनीति-सिद्धांत	17
7	क्या हमारा विषय एक विज्ञान है ?—विज्ञान शब्द का अर्थ—इसके विज्ञान होने पर शका—विज्ञान सदैव यथातथ नहीं होते—सामाजिक विज्ञानों की कमियाँ—राजनीति एक विज्ञान बन रही है—राजनीति-विज्ञान एक कला भी है	23
अध्याय 2 :	राजनीति विज्ञान का रीतिविधान	31
1.	रीतिविधान की समस्या	32
2.	राजनीति-विज्ञान की प्रणालियाँ . प्रयोग-प्रणाली—ऐतिहासिक प्रणाली—अवलोकन प्रणाली—तुलनात्मक प्रणाली—साम्यानुमानिक प्रणाली—वास्तविक प्रणाली	33

4. आनुवंशिक सिद्धान्त—पितृसत्तात्मक सिद्धान्त—मातृ-सत्तात्मक सिद्धान्त	141
5. राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धान्त रक्त सिद्धान्त—धर्म—आर्थिक आवश्यकताएँ—सधर्म और युद्ध—राजनीतिक चेतना—निष्कर्ष	144
6. राज्य के स्वरूपों का विकास राज्य के पूर्ववर्ती कथीलाई संगठन—प्राच्य साम्राज्य—प्रारम्भिक नगर-राज्य—रोमन साम्राज्य—सामंती राज्य—आधुनिक कार्य—आगे के विकास की दिशा	149
अध्याय 6 : राज्य का स्वरूप, उसके उद्देश्य और कार्य	155
1. राज्य का स्वरूप—जैविक सिद्धान्त	155
2. राज्य साध्य है अथवा साधन ?—एक समाहातीन दृष्टिकोण	159
3. राज्य के उद्देश्य	162
4. राज्य के कार्य दोष में वृद्धि और उसकी सीमाएँ	164
5. राज्य के कार्य अनिवार्य कार्य—एच्छिक कार्य	168
अध्याय 7 : प्रभुसत्ता और बहुलवाद	173
1. प्रभुसत्ता का स्वरूप—प्रभुसत्ता के लक्षण	173
2. प्रभुसत्ता के विभेद—वास्तविक और नाम-मात्र की प्रभुसत्ता—वैधानिक और यथार्थ प्रभुसत्ता—कानूनी, राजनीतिक और लोक-प्रिय प्रभुसत्ता	176
3. प्रभुसत्ता सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण—कानूनी दृष्टिकोण—आस्टिन का मत—देरि हासिन दृष्टिकोण—दार्शनिक दृष्टिकोण—सानान्य दृष्टि की स्थिति—फलमूलक दृष्टिकोण	180
4. प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धान्त	190
5. प्रभुसत्ता के एकात्मक सिद्धान्त की आलोचना	192
6. प्रभुसत्ता की स्थिति	195
अध्याय 8 : कानून, सत्तति और बलप्रयोग	197
1. कानून और सत्तिपूर्ण परिवर्तन	197
2. कानून का अर्थ और उसका स्वरूप परिभाषा—कानून का स्वरूप—विश्लेषणात्मक विचारधारा—ऐतिहासिक विचारधारा—दार्शनिक विचारधारा—	198

समाजशास्त्रीय विचारधारा—मावसंवादी दृष्टि-
कोण

3. कानून के स्रोत और विभाग	204
4. कानून और नैतिकता—कानून और लोकमत	207
5. प्राकृत कानून या प्राकृतिक नियम	210
6. सांभंजनिक अतर्राष्ट्रीय विधि	211
1 अध्याय 9 नागरिक स्वतंत्रता और समानता	213
1. नागरिकता	213
2. स्वतंत्रता	215
3. स्वतंत्रता, सत्ता और कानून	217
4. स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बातें	221
5. स्वतंत्रता के भेद	223
6. समानता के भेद	225
7. स्वतंत्रता और समानता	229
1 अध्याय 10 : अधिकार और कर्तव्य	232
1 अधिकारों का स्वरूप	232
2 अधिकार सम्बंधी सिद्धान्त—प्राकृत अधिकारों का सिद्धान्त—अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त—अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त—अधिकारों की कालोचितता का सिद्धान्त—आदर्शवादी सिद्धान्त—सास्की का सृजनारमक सिद्धान्त	235
3. अधिकारों का वर्गीकरण	242
4. आशावातन की समस्या	247

खण्ड तीन : शासन व्यवस्था

अध्याय 11 . सविधान का स्वरूप और वर्गीकरण	253
1. सविधान का अर्थ और विषय-वस्तु—परिभाषा	253
2. वर्गीकरण—विवक्षित और निर्मित सविधान— लिसित और अलिसित सविधान—नम्य और कठोर सविधान—एकात्मक और सघीय सविधान	255
3. सविधान का विकास और मर्यादन—उत्तम सविधान	258
अध्याय 12 . सरकार का वर्गीकरण	260
1. अररू का वर्गीकरण	260

2.	राजतन्त्र	262
3	कुलीन तन्त्र	263
4	लोकतन्त्र इतिहास—अनिवार्य तत्त्व—लोकतन्त्रीय सामाजिक दर्शन—साम्यवादी दृष्टिकोण—लोकतन्त्र के तीन पहलू—लोकतन्त्र की अभिव्यक्तियाँ—प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिक लोकतन्त्र—लोकतन्त्र के गुण—लोकतन्त्र के दोष—लोकतन्त्र को चुनौती	264
5	लोकतन्त्र की सफलता की दशाएँ—क्या ये दशाएँ भारत में विद्यमान हैं ?	272
6	प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की प्रथाएँ—जनमत निर्णय—जनमत गणना—सार्वजनिक उपक्रम—वापसी की माँग	278
7	अधिनायक तन्त्र—लोकतन्त्र और अधिनायक तन्त्र—गुण-दोष	280
अध्याय 13	आधुनिक शासन प्रणालियाँ	285
1	शासन प्रणालियों का वर्गीकरण	285
2	एकात्मक और सघीय सरकारें—एकात्मक और सघीय सरकारों के भेद—सघीय शासन और परिसर में भेद—सघीय राज्य की आवश्यक दशाएँ—सघीय राज्य के अनिवार्य तत्त्व गुण और दोष	287
3	संसदीय और राष्ट्रपति शासन	296
4	नौकरशाही	299
5	शासन-प्रणालियों के अन्य भेद—बर्गीय शासन और लोक-कल्याणकारी शासन	300
अध्याय 14	सरकार का संगठन	303
1	सरकार के अंग और उनके सम्बन्ध	303
2	शक्ति पृथक्ता का सिद्धान्त	305
अध्याय 15	कार्याग	314
1	कार्याग और प्रशासन में भेद	314
2	कार्याग के भेद	315
3	कार्यकारी की नियुक्ति	317
4	कार्याग का कार्यकाल	319
5	कार्याग के कार्य	321
6	सरकारी कर्मचारी मंडल	324
7.	नई समस्याएँ और दिशाएँ	328

अध्याय 16	विधानाग	330
1	विधानाग के काय	330
2	विधानाग की रचना एक सदनी अथवा द्वि सदनी —द्विसदनी ससद् की आवश्यकता—उपयोगिता— गुण दोष—रचना और अधिकार	332
3	कानून बनाने की प्रक्रिया	338
अध्याय 17	न्यायाग	340
1	न्यायाग का महत्त्व	340
2	न्यायाग के कार्य	341
3	न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की समस्या नियुक्ति—कार्य काल, वेतन आदि— न्यायाधीश किस सीमा तक स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकते हैं ?	343
4	न्यायाग की पृथक् द्वा का प्रदत्त	347
5	विधि शासन	349
6	प्रशासनिक कानून	351
अध्याय-18	स्थानीय स्वायत्त-शासन	353
1	स्थानीय शासन का अर्थ और उसकी उपादेयता	353
2	स्थानीय स्वायत्त शासन के कार्य	356
3	स्थानीय स्व शासन के गुण दोष	357
4	स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं पर नियन्त्रण	359
अध्याय 19	मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व	361
1	मताधिकार वयस्क मताधिकार—नारी मताधिकार	261
2	चुनाव पद्धति अनिवाय मतदान—अधिक मत दान—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव	367
3	निर्वाचन क्षेत्र	368
4	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व द्वितीय मतपत्र की प्रणाली—वैकल्पिक वोट की प्रणाली—सीमित वाट प्रणाली—एकवित वोट प्रणाली—आनुपा- तिक प्रतिनिधित्व—सूची प्रणाली—हस्ताक्षरणीय वोट प्रणाली	371
5	सांभ्रमणिक प्रतिनिधित्व	380
6	वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व	381
7	मतदानाओं और प्रतिनिधियों के सम्बन्ध	383

अध्याय 20 · राजनीतिक दल और हित-गुट	385
1. राजनीतिक दल की परिभाषा और स्वरूप	385
2. राजनीतिक दलों के कार्य	389
3. राजनीतिक दलों के गुण-दोष	390
4. दलीय व्यवस्थाएँ	393
5. हित-गुट	398
अध्याय 40 · लोकमत	400
- लोकमत क्या है ? — लोकमत का निर्माण — सच्चे लोकमत के निर्माण में बाधाएँ — लोकमत का पता कैसे लगाया जाए ?	

खण्ड चार . आधुनिक विचारधाराएँ

अध्याय 22 · राज्य के उदारवादी सिद्धांत	411
1. व्यक्तिवाद — नवीन व्यक्तिवाद	411
2. उपयोगितावाद	418
3. आदर्शवाद	423
4. नवीन व्यक्तिवाद	431
अध्याय 23 : राज्य के समाजवादी सिद्धांत	433
1. समाजवाद का अन्वय — समाजवाद की परिभाषा — समाजवाद और पूँजीवाद — समाजवाद के आवश्यक तत्त्व	433
2. साम्यवाद अथवा म.कर्मवाद	444
3. लेनिनवाद	450
4. अराजकतावाद	456
5. सिण्डोर्कलिज्म	461
6. गिल्ड-समाजवाद	468
अध्याय 24 : अन्य अभिनव विचारधाराएँ	474
1. पासिज्म	474
2. गाँधीवाद	479
अध्याय 25 · अंतर्राष्ट्रीय संगठन	485
1. अंतर्राष्ट्रीयता	485
2. संयुक्त राष्ट्र सभ . घोषणा-पत्र की प्रस्तावना — संयुक्त राष्ट्र सभ के सिद्धांत — सदस्यता — प्रमुख	487

अग—आम सभा—सुरक्षा परिषद्—आर्थिक तथा
सामाजिक परिषद्—यासिक परिषद्—अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय—सचिवालय—यूनेस्को—मानव अधिक
कारों की घोषणा—मूल्यमंकन

ग्रथ सूची

501



खण्ड एक

प्रवेशिका

किसी विज्ञान में सच्ची उन्नति के लिए अतदृष्टि की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और यह मानस का एक सृजनात्मक कार्य है।

—लिडसे रैक्स

राजनीति-विज्ञान की परिभाषा, स्वरूप और क्षेत्र

जहाँ तक हो सके विज्ञान में परिभाषा की आवश्यकता होती है। यद्यपि जनता में प्रचलित प्रयोग बहुत अस्पष्ट तथा युष्टिपूर्ण होते हैं, पर वैज्ञानिक और लोकप्रचलित अर्थों में तभी अंतर आने देना चाहिए जब हमरु बिना काम ही न चले। —आर. एन. गिलक्राइस्ट

1. विषय-प्रवेश

पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ प्राचीन यूनान से हुआ, फिर भी स्नातकोत्तर ज्ञान के रूप में 'राजनीति-विज्ञान' अपेक्षाकृत नया है। इसका बहुत कुछ विकास विद्यमान 75 वर्षों में हुआ है। इसके पूर्व, राजनीतिक अध्ययन और चिंतन केवल शासक-वर्ग, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों और लेखकों तक ही सीमित था। राजनीतिक मामलों में जनसाधारण की कोई पहुँच न थी और वे स्वयं भी 'राजनीति' और 'राजनीतिक चिंतन' की आवश्यकता न समझते थे।

लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की उमड़ती हुई लहरों ने राजनीति-विज्ञान की इस अत्यन्तता (exclusiveness) का अंत कर दिया। शिक्षा के प्रसार और राजनीतिक चिंतना के विकास के कारण सार्वजनिक विषयों में जनसाधारण की रुचि बढ़ने लगी, और आज स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिज्ञ या विचारक लोकहित की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता। अब लोकमत (public opinion) का बोलबाता है; अतः सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल तरह-तरह से उसे प्रभावित करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। सभाएँ और

प्रदर्शन आए दिन की घटनाएँ बन गई हैं। राजनीतिक दलों के समूह इसलिए सुदृढ़ बनाए जाते हैं कि समय-समय पर होने वाले चुनावों को जीता जा सके। आम दिनों में भी राजनीतिक प्रचार होता रहता है जिससे नए-नए सदस्य और समर्थक भर्ती लिए जा सकें। जनता का समर्थन पाकर ही ये राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो अपने कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं। इस प्रकार, जब 'व्यावहारिक राजनीति' लोकतंत्रीय बन गई है, तो राजनीति-विज्ञान भी पिछड़ा नहीं रह सकता। आज यह स्वीकार किया जाता है कि अतिम रूप में प्रभुसत्ता (sovereignty) जनसाधारण में निहित है और इस सत्ता का उपयोग जनहित के लिए होना चाहिए। वैसे भी, आज के युग में राजनीतिक सिद्धांतों एवं आस्थाओं के विवेचन और मूल्यांकन का आधार 'जनहित' अथवा 'लोक-कल्याण'¹ को माननाएँ बन गई हैं।

अब, राजनीति-विज्ञान का अध्ययन केवल उच्च वर्गों का विशेषाधिकार नहीं रहा। अब जिन व्यक्तियों की राजनीति और शार्वजनिक विषयों में रुचि है और जो इसके अध्ययन और समझ में अपना समय लगाएँगे, वे सैरार हैं, वे इच्छानुसार उसका अध्ययन करते हैं।

प्रघातय पारिभाषिक शब्दावली का अभाव— राजनीति विज्ञान की शब्दावली का प्रघातय (exact) न होना इसके अध्ययन के मार्ग में एक प्रारम्भिक बाधा है। जेलिनेक (Jellinek) के अनुसार राजनीति विज्ञान को समुचित शब्दावली की जितनी आवश्यकता है, उतनी अन्य किसी विज्ञान को नहीं। अभी तक, इसके शब्दों के निश्चिन और प्रघातय अर्थ नहीं हैं। प्रायः उनके लोकप्रचलित अर्थों वैज्ञानिक अर्थों, और व्युत्पत्ति पर आधारित अर्थों में अंतर होता है, अतएव विषय को समझने में अनेक कठिनाइयाँ और उलझनें पैदा हो जाती हैं।

शब्दावली की ये कठिनाइयाँ कुछ सीमा तक अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी हैं। यह भी कुछ सीमा तक राजनीति विज्ञान को अपने पुराने साहित्य से एक विरासत के रूप में मिली है। इसके अन्य कारण हैं— लोगों के जीवन से

1 'लोक-कल्याण' की भावना का राजनीति-विज्ञान में एक विशेष अर्थ है। एक समय या नद राज्य के कार्य सीमित थे, और शांति तथा व्यवस्था कायम रखना ही राज्य का प्रधान कर्तव्य माना जाता था। अब राज्य जनता के सर्वोत्तरी विकास में योग देने को तैयार है। 'जनहित' शब्द में तदर्थ वृत्ति है किन्तु यहाँ विद्वली और हम नई—दोनों ही दशाओं में समान रूप से प्रयुक्त हो सक्ती हैं। लोक-कल्याण की भावना के अर्थ में केवल राज्य के कल्याण की आवश्यकता है, अतएव इसके अनुस्यू कार्य करने की धमका भी होनी चाहिए जो केवल सम्पन्न देशों में है।

इस विषय का घनिष्ठ संबंध और इसका लगातार विकसित होते रहना। अनेक राजनीतिक नेता और लेखक, जिनको राजनीतिक शब्दों के यथातथ अर्थों का समुचित ज्ञान नहीं होता, प्रायः मनमाने अर्थों में उनका प्रयोग करते हैं। कभी-कभी, नए विचारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए, पुराने शब्दों को ही नए अर्थों में प्रयुक्त कर लिया जाता है। आवश्यकतानुसार नए शब्द भी गढ़े जा रहे हैं। समयत एक गतिशील विषय के लिए यह स्वाभाविक है, फिर भी, इनके कारण विषय के अध्ययन और मनन में उलझनें पड़ जाती हैं।

यहाँ पर हम सभी राजनीतिक शब्दों के यथातथ अर्थों की व्याख्या नहीं करेंगे। हाँ, जैसे-जैसे नए शब्द प्रयुक्त होंगे, उनका यथास्थान स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा। साथ ही, यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जहाँ तक सम्भव हो, शब्दों के वैज्ञानिक अर्थ, उनके लोकप्रचलित और व्युत्पत्ति पर आधारित अर्थों से बहुत दूर न जा पड़े।

2. इस विषय का नामकरण

प्रस्तुत विषय के नाम के संबंध में भी कुछ उलझनें हैं। कुछ विचारक इस विषय को 'पोलिटिकल साइंस' (राजनीति-विज्ञान) कहना पसंद करते हैं जबकि अन्य लेखक इसके पुराने यूनानी रूप 'पोलिटिक्स' (राजनीतिक) का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे लेखक भी हैं जो 'व्योरेंटिकल पोलिटिक्स' (सिद्धांतिक राजनीति) नाम को अधिक साधक समझते हैं जबकि कतिपय फ्रांसीसी लेखकों का कथन है कि इस विषय को 'एक राजनीति-विज्ञान' कहना चाहिए। यहाँ हम इन सभी प्रश्नों पर संक्षेप में विचार करेंगे।

राजनीति और राजनीति-विज्ञान—'पोलिटिक्स' शब्द का संबंध यूनानी शब्द 'पोलिस'² (Polis) से है जिसका अर्थ है 'नगर'। प्राचीन यूनानी विचारक

1 देखिए R. N. Gilchrist, *Principles of Political Science*, मद्रास, 1940, पृष्ठ 25.

2 इसी प्रकार 'राजनीति' का संबंध 'राज्य' से बड़ा जाता है। अर्नेस्ट बार्कर और कोल का मत है कि 'पोलिस' का रूपांतर करने में पारश्चात्य विद्वानों ने भूल की है जिससे 'राजनीति विज्ञान' के विज्ञान को एक गलत मोड़ मिल गया है। बार्कर के मतानुसार पोलिस 'राज्य' और 'समाज' दोनों ही थे। साथ ही उसके नैतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलू भी थे। देखिए *Principles of Social and Political Theory*, ऑक्सफोर्ड, 1952, पृष्ठ 5 और G. D. H. Cole, *Essays in Social Theory*, लन्दन, 1962, पृष्ठ 13.

इसे 'नगरो की बातों से संबंधित ज्ञान' मानते थे। लेकिन उस समय में 'नगर' और राज्य में कोई स्पष्ट भेद न था। यूनानी लोग 'नगर राज्य' में रहते थे जिसका शब्दफल एक नगर और उसके आस-पास के इलाके तथा सीमित था। फिर, यूनानी भाषा में 'पोलिस' शब्द का प्रयोग 'दुर्ग', 'समाज', 'नगर' आदि अनेक अर्थों में होता था। यदि हम 'नगर-राज्य' का यूनानी भाषा में स्थापित करने लगे तो यह एव अर्थहीन सी बात लगगी। सीले के अनुसार, प्राचीन राजनीति 'स्थानीय सरकार का विज्ञान'¹ मात्र थी। किन्तु, इससे हम यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन यूनानी विचारकों के दृष्टिकोण अथवा उनके चिंतन का क्षेत्र भी संकुचित था। वस्तुतः कुछ मामलों में उनका राजनीतिक अध्ययन हमारे आज के अध्ययन से कहीं अधिक गहन और व्यापक था।

आज हम जिस अर्थ में 'पोलिटिक्स' (राजनीति) शब्द का प्रयोग करते हैं वह 'राजनीति विज्ञान' से कहीं अधिक व्यापक है। मिलनाइस्ट के अनुसार, 'राजनीति' शब्द से प्रायः हमारा अभिप्राय शासन के उन सामयिक प्रश्नों और समस्याओं से होता है जो राजनीतिक काम और आर्थिक अधिक होती हैं। इस प्रकार मजदूरी की समस्या, आयात निर्यात की समस्या कार्याग (executive) और विधानाग (legislature) के आपसी संबंधों की समस्या आदि वे सभी प्रश्न, जो हमारे विधायकों के सम्मुख प्रस्तुत होते रहते हैं, राजनीति के विषय हैं। इस अर्थ में 'राजनीति' कला अधिक है और विज्ञान कम, और हमें उस व्यक्ति को 'राजनीतिज्ञ' कहना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय भाग लेना हो, बल्कि ही उसे 'राजनीति-विज्ञान' के प्राथमिक सिद्धांतों का भी ज्ञान न हो। दूसरे, प्रत्येक देश की 'पोलिटिक्स' भिन्न और निराली होती है। 'सोवियत पोलिटिक्स' और 'अमरीकी पोलिटिक्स' एक जैसी नहीं है। इसके विपरीत 'राजनीति विज्ञान' सभी देशों में समरूप होगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकप्रचलित अर्थ और व्युत्पत्ति दोनों के आधार पर 'पोलिटिक्स' का क्षेत्र प्रस्तुत विषय के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक है। इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि हम 'राजनीति विज्ञान' शब्द को अपने विषय के लिए अपना लें। गंटिल, सील बजिम, विलोरी, गानेर, लीकौर, मिलनाइस्ट आदि प्रमुख विचारकों का यही मत है। किन्तु फ्रेडरिक पोलक, वाल्टर बेन्ट और अमोस शाइन ऑफ पोलिटिक्स (राजनीति के विज्ञान) शब्द को अपभ्रान्त अन्धा समझते हैं। तथापि सन् १९४८ में, यूनिसको के सत्यवधान

¹ cf. John R. Seeley, *Introduction to Political Science*, लन्दन 1923, पृ. 32.

2 उपर्युक्त पृथ, 1951 संस्करण, पृ. 2.

मे होने वाली सत्ता के प्रमुख राजनीतिशास्त्रियों की परिपद ने 'राजनीति-विज्ञान' शब्द को ही उत्तम मानकर स्वीकार किया¹।

सैद्धांतिक और व्यावहारिक राजनीति—अरस्तू, जैलनेक, सिजविक, जेनेट आदि विद्वानों ने 'राजनीति-विज्ञान' के स्थान पर 'राजनीति' शब्द का प्रयोग किया है। कुछ विचारकों का कहना है कि राजनीतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का वैज्ञानिक ढंग से, प्राकृतिक विज्ञानों के समान, अध्ययन अमभव है। अतएव, वे प्रस्तुत विषय को 'राजनीति-विज्ञान' कहने में हिचकते हैं। किन्तु, उनमें से भी अधिकतर यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक अध्ययन को 'चानू बातों के अध्ययन' से अलग रखना चाहिए। इनमें से कुछ का मत है कि यदि इस विषय का नामकरण 'सैद्धांतिक राजनीति' कर दिया जाए तो इसे सरलता से 'व्यावहारिक राजनीति' से पृथक् रखा जा सकेगा।

इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 'राजनीति-विज्ञान' न केवल राजनीतिक शक्ति (power) सम्बन्धी सिद्धांतों का अध्ययन करता है, अपितु वह उन अनेक दलों और संस्थाओं (institutions) के कार्यों का भी विवेचन करता है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए उद्यत रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पोलक जैसे विद्वानों ने सुझाव दिया कि 'राजनीति-विज्ञान' को दो भागों में बाँट दिया जाय। सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति²। गैटल के अनुसार भी, 'व्यावहारिक राजनीति-विज्ञान' राजनीति-विज्ञान का ही एक अंग है³। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही पहलू हैं। अतः इसका नाम 'सैद्धांतिक राजनीति' रखना असंगत होगा।

राजनीति-विज्ञान : एक अथवा अनेक ?—कुछ फ्रांसीसी विचारक कहते हैं कि 'राजनीति-विज्ञान' एक नहीं, अनेक हैं। उनके मतानुसार ये 'अनेक राजनीति-विज्ञान' आपस में सम्बन्धित ही नहीं, अपितु एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। इस मत के अनुसार राजनीति-विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, आदि सभी सामाजिक-विज्ञान राज्य में रहने वाले जनसमुदायों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के कारण राजनीति-विज्ञानों की श्रेणी में आ जाते हैं।

1 देखिए *Contemporary Political Science*, Unesco, पेरिस, 1950, पृष्ठ 4.

2 देखिए उनकी पुस्तक, *An Introduction to the History of the Science of Politics*, लन्दन, 1918, पृष्ठ 2

3 देखिए R. G. Gettell, *Introduction to Political Science*, बोस्टन, 1922, पृष्ठ 4.

फ्रांसीसी लेखकों के इस विचार में कुछ सार अवश्य है। यह मानना पड़ेगा कि हमारे समूहित जीवन का कोई पहलू पूर्णतः पृथक् नहीं होता। अतएव, मानव समस्याओं को भलीभाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि समूहित जीवन से सम्बन्धित सभी ज्ञानों में समन्वय स्थापित किया जाए¹। किन्तु इसका आशय यह बदापि नहीं है कि इन सामाजिक विज्ञानों का पृथक् अस्तित्व ही न हो। सच तो यह है कि सम्यक् अध्ययन के हित में इनका स्वतंत्र रहना ही श्रेयस्कर है। आज के युग में सामाजिक कार्यकलाप और गतिविधियाँ इतनी अधिक और जटिल हो गई हैं कि कोई एक व्यक्ति उन सबको आत्मसात् कर उनका समुचित अध्ययन नहीं कर सकता। अतः इन विषयों के सम्यक् विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन्हें ज्ञान की स्वतंत्र शाखाओं के रूप में स्वीकार किया जाए।

फ्रांसीसी मत को स्वीकार करने में एक आपत्ति और भी है। राजनीति-विज्ञान के अतिरिक्त, वे जितने अन्य राजनीति विज्ञान बताते हैं, उनमें कोई भी शक्ति-संबन्धी समस्याओं का अध्ययन नहीं करता और न वे प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए वे ज्ञान की स्वतंत्र शाखाएँ बन चुके हैं। मंकीवर और पेज के अनुसार, सामाजिक विज्ञानों में आपसी भेद केवल यह होता है कि उनमें से प्रत्येक की रूचि का केन्द्रबिन्दु भिन्न होता है²। उदाहरण के लिए, यद्यपि जिन सामाजिक कार्यकलापों से राजनीति-विज्ञान सम्बन्धित है उनका अन्य सामाजिक विज्ञान भी अध्ययन करते हैं, तथापि उसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण और केन्द्रबिन्दु है। इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि 'राजनीति-विज्ञान' शब्द का प्रयोग केवल 'सामाजिक कार्यकलापों के राजनीतिक पहलुओं के अध्ययन' के लिए किया जाए। सितम्बर 1948 ई० में यूनेस्को भवन, पेरिस, में होने वाली सभा में, विभिन्न देशों के राजनीति-शास्त्रियों ने भी यही निर्णय किया कि 'राजनीति-विज्ञान' शब्द का प्रयोग बहुवचन में न किया जाए³।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रस्तुत विषय के लिए 'राजनीति विज्ञान' शब्द ही अधिक उपयुक्त होगा। जैसा कि हम कह आए हैं सन् १९४८ ई० में यूनेस्को के तत्वावधान में होने वाली सभा के

1 गुलना कीरिंग, F. H. Giddings, *Principles of Sociology*, न्यूयार्क, 1920, पृष्ठ 31.

2 देखिए R. M. MacIver and C. H. Page, *Society - An Introductory Analysis*, लन्दन, 1957, पृष्ठ 5.

3 देखिए *Contemporary Political Science*, पृष्ठ 4.

प्रमुख राजनीति-शास्त्रियों की परिषद् ने भी 'पोलिटीकल साइंस' शब्द को ही सर्वोत्तम मान कर स्वीकार किया।

3. राजनीति-विज्ञान की परिभाषा

राजनीति-विज्ञान 'सामाजिक-कार्यकलाओं और गतिविधियों के राजनीतिक पहलुओं से संबंधित है'। ब्लुस्ली¹, गार्नर², गेटिस³, फ्रेंक गुडनाउ, गोलक⁴ और स्ट्रोग⁵ के अनुसार इसका अध्ययन 'राज्य' के इर्द-गिर्द केन्द्रित है। किन्तु सीले और स्टीफेन लोकीक⁶ का विचार है कि राजनीति-विज्ञान का सम्बन्ध 'शासन' (government) से है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान, पॉल जैनेट का मत है कि राजनीति-विज्ञान 'सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के मूल आधारों और शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है'। जैक्स⁷ और गिल्क्राइस्ट भी उक्त मत से सहमत हैं।

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि राज्य के अध्ययन में 'शासन' स्वतः ही सम्मिलित है। अतः इसकी पृथक् रूप से चर्चा आवश्यक नहीं है। हमारा इस विचार से मतभेद है। यद्यपि, व्यावहारिक रूप में राज्य शासन के अंगों द्वारा ही चलता है, तथापि एक दृष्टिकोण से 'शासन' शब्द राज्य से कहीं अधिक व्यापक है। व्यापक रूप में 'शासन' नियंत्रण और आज्ञापालन की बुनियादी भावनाओं पर आधारित है। सिज्विक के अनुसार राजनीति-विज्ञान का सबंध 'शासित समाजों' से है, अर्थात् ऐसे समाजों से है जिनमें व्यक्तियों को कम से कम कुछ

1 देखिए J. K. Bluntschli, *The Theory of the State*, 3rd English Edition, थॉमसकोर्ड, 1895, पृष्ठ 1 : राजनीति-विज्ञान 'राज्य' से संबंधित विज्ञान है जो राज्य की उसकी दशाओं में, उसके सारभूत स्वरूप में, उसके विभिन्न रूपों अथवा अभिव्यक्तियों में तथा विकास में समझने-बुझने का प्रयत्न करता है।

2 देखिए J. W. Garner, *Introduction to Political Science*, न्यूयार्क, 1910, पृष्ठ 10.

3 उसके अनुसार 'राजनीति-विज्ञान "राज्य कैसा रह चुका है" की ऐतिहासिक खोज, "राज्य कैसा है" का विश्लेषणात्मक अध्ययन और "राज्य कैसा होना चाहिये" का राजनीतिक-नैतिक विवेचन है।' उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 4.

4 देखिए उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 8.

5 देखिए C. F. Strong, *Modern Political Constitutions*, लन्दन, 1939, पृष्ठ 2.

6 देखिए *The Elements of Political Science*, लन्दन, 1929, पृष्ठ 3.

7 देखिए J. W. Jenks, *Principles of Politics*, न्यूयार्क, 1916, पृष्ठ 3.

वातो में आजापालन की आदत पड़ गई हो¹। इस प्रकार, राजनीति-विज्ञान का क्षेत्र राज्य से अधिक विस्तृत हो जाता है। विलोबी का विचार है कि 'राजनीति विज्ञान केवल सगठन की दृष्टि से समाज का अध्ययन करता है— अर्थात् जिस प्रकार एक व्यवस्थित और प्रगतिशील जीवन वित्ताने के लिए समाज एक सत्ता के अतर्गत प्रभावी रूप में संगठित होता है'²। उपर्युक्त परिभाषा यथासथ और व्यापक है। राजनीति-विज्ञान की चालू परिभाषाओं की कमियों को देखते हुए, सिजयिव और विलोबी के विचार हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब शीघ्रता से बढ़ता जा रहा है। साथ ही, इसका अध्ययन भी नई दृष्टियों से किया जाने लगा है। अतएव यह आवश्यक है कि हम राजनीति-विज्ञान की एक ऐसी परिभाषा अपनायें जो उसके व्यापक क्षेत्र की समुचित व्याख्या कर सके और साथ ही भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखे। किन्तु इस परिभाषा में हम संगठित समाज के समस्त पहलुओं का सम्मिलित नहीं कर लेना चाहिए। कंटलिन का मत है कि हमें राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसके क्षेत्र में आन वाल क्रियाकलापों पर ध्यान रखते हुए करनी चाहिए। उसके अनुसार राजनीति विज्ञान मानवीय और सामाजिक नियंत्रण-कार्यों अथवा 'द्वन्द्वों के नियंत्रण सम्बन्धों'³ का एक अध्ययन है। सन् 1962 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ में, उसने इसे 'संगठित समाज का अध्ययन करने वाला ज्ञान'⁴ बताया है। इसी प्रकार, अपादोराय का कहना है कि व्यापक रूप में, राजनीति-विज्ञान का सम्बन्ध सामाजिक सगठन से है⁵। किन्तु इन परिभाषाओं में राजनीति-विज्ञान और समाजशास्त्र का प्रभेद ही समाप्त हो गया है।

1 देखिए Henry Sidgwick, *The Elements of Politics*, लन्दन, 1908, पृष्ठ 2.

2 देखिए Willoughby, *An Examination of the Nature of Politics*, न्यूयार्क, 1911, पृष्ठ 2

3 देखिए G. E. G. Catlin, *A Study of the Principles of Politics*, लन्दन, 1930, पृष्ठ 75-76 वैज्ञानिक का आशय यह है कि समाज में व्यक्तियों और समुदायों की मनगिनन इच्छाएँ होती हैं। किन्तु इन सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अतः इन पर नियंत्रण लगाना है। मनदायकों के निर्णय और अन्य प्रभावों के अनुसार इनके आपसी मन्थन निर्धारित होते हैं, जिनके अन्तु रूप शासन-कार्य चलता है।

4 *Systematic Politics*, टोरेंटो, 1962

5 देखिए *Contemporary Political Science* में उसका लेख 'Political Science in India', पृष्ठ 39-40 और 10.

लासवेल ने राजनीति-विज्ञान को 'प्रभाव और प्रभावशालियों का अध्ययन'¹ कहा है। बाद की एक पुस्तक में, लासवेल और कैपलन ने इसे 'एक नीति-निर्धारित करने वाला विज्ञान' मानते हुए 'प्रभाव और शक्ति का अध्ययन'² कहा है। कुछ जर्मन चिन्तक भी इस 'शक्ति और सम्यता की समस्याओं से संबंधित ज्ञान' बताते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए राक्सन ने संक्षेप में इसे 'समाज में शक्ति का अध्ययन' कहा है। इसके अनुसार शक्ति ही एक ऐसी बुनियादी संरूपना (Concept) है जो इस अध्ययन के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है³।

उक्त परिभाषाओं में उन विभिन्न शक्तियों की ओर ध्यान दिया गया है जो राज्य के स्वरूप, उसकी प्रक्रियाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इससे राजनीतिक अध्ययन के यथार्थवादी बनने में सहायता मिली है। तथापि, राजनीति-विज्ञान 'शक्ति और प्रभाव' पर निर्भर सभी संबंधों पर समान रूप से ध्यान नहीं देता। वह केवल उन्हीं संगठित संबंधों पर विचार करता है जो वैध (legitimate) होने के कारण मान्य और सम्मानित होते हैं। अतः पैनोक और स्मिथ के अनुसार, राजनीति-विज्ञान की परिभाषा देते समय शक्ति के स्थान पर वैधता (legitimacy) या सत्ता (authority) पर बल देना अधिक उपयुक्त होगा⁴। ऐस्लिंगर का भी विचार है कि शक्ति पर अत्यधिक बल देना सैद्धांतिक रूप में गलत और व्यावहारिक रूप में खतरनाक होगा। इसमें लोग शक्ति को हथियाने और व्यक्तिगत तथा सामूहिक हित के लिए उसके उपयोग को उचित ठहराने लेंगे। उसके अनुसार व्यवस्था (order) या संगठन ही राजनीति-विज्ञान का सार है। शक्ति तो संगठन का एक परिणाम-मात्र है, उसका साध्य अथवा सार नहीं⁵।

पिछले दिनों से कुछ लेखक राजनीति-विज्ञान को 'राजनीतिक व्यवहार का

1 देखिए *Political Writings of Harold J. Lasswell*, इलीनोइस, 1951, पृष्ठ 295.

2 देखिए Lasswell और Abraham Kaplan, *Power and Society*, न्यू हार्वेन, 1950, पृष्ठ 12.

3 देखिए W. A. Robson, Ed, *The University Teaching of Social Sciences Political Science*, यूनिवर्सिटी, पेरिस, 1954, पृष्ठ 19.

4 J. Ronald Pennock और David G. Smith, *Political Science An Introduction*, न्यूयार्क, 1964, पृष्ठ 6-8.

5 देखिए William Esslinger, *Politics and Science*, न्यूयार्क, 1955, पृष्ठ 22-23.

अध्ययन करने जाता ज्ञान¹ कहने लगे हैं। किन्तु 'राजनीतिक व्यवहार' हमारे अध्ययन का एक पहलू मात्र है। अतः इस परिभाषा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त बातों पर ध्यान देन हुए हम व्यापक रूप में राजनीति-विज्ञान को 'शासन और राजनीतिक प्रक्रियाओं का विभिन्न अध्ययन' कह सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भन्ने ही राज्य राजनीति-विज्ञान के अध्ययन का एक मात्र विषय न हा, फिर भी अभी तक वह इसके अध्ययन का केन्द्र अवश्य है।

4. राजनीति-विज्ञान का क्षेत्र

राजनीति-विज्ञान के क्षेत्र का निश्चयात्मक विवेचन सरल नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो किसी न किसी समय राजनीतिक रूप में धारण कर ले² और हमारे अध्ययन का विषय बन जाए। इस प्रकार कई जगहों में राजनीति-विज्ञान का अध्ययन इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, विधिशास्त्र और भौतिकशास्त्र आदि अन्य विज्ञानों के क्षेत्रों में जा टकराता है। किन्तु, कुछ गमननाओं के रहने पर भी इन शास्त्रों की अपनी विभिन्न दृष्टियाँ और क्षमताएँ हैं।

एक शक्तिशाली अध्ययन—राजनीति विज्ञान समाज में सगठन (शक्ति) के स्वरूप, उसका आधार, क्षेत्र, प्रक्रियाएँ तथा परिणामों का अध्ययन करता है। राष्ट्रमन् के अनुसार, इस सन्दर्भ में 'शक्ति' का हम केवल बल-प्रयोग के अर्थ में नहीं लेना चाहिए, शक्ति का नैतिक आधार, विचारों का उस पर प्रभाव, आदि के अध्ययन का भी राजनीति में बहुत महत्त्व है। राजनीति-विज्ञान के लिए शक्ति के स्रोत और सधय के विवेचन का उत्तर ही महत्त्व है जितना शक्ति के प्रयोग की विवेचना का। सगठित शक्ति का अध्ययन करते समय राजनीतिशास्त्री अपने को शासन के अर्थों तक ही सीमित नहीं रखते, वे उन व्यापारिक, धार्मिक और श्रमिक सगठनों का भी अध्ययन करते हैं जो शक्ति प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं³। इस प्रकार, राजनीति-विज्ञान के

1 द्दिए F. M. Watkins, 'Political Theory as a Datum in Political Science' in *Approaches to the Study of Politics*, Ed., Ronald Young, स-दन 1957, पृष्ठ 148

2 द्दिए Roger H. Soltau, *An Introduction to Politics*, स-दन, 1951, पृष्ठ 1.

3 उपरोक्त प्रथम, पृष्ठ 17.

अध्ययन-क्षेत्र में वे सभी विचार और सस्याएँ आ जाती हैं जो समाज में शक्ति और प्रभाव रखती हैं। यही नहीं, इसके क्षेत्र में समूहों, दलों, संगठनों और सस्याओं के शक्ति प्राप्त करने से संबंधित ऐसे कार्य भी आ जाते हैं जो सार्वजनिक नीति में अथवा समाज में अपने अनुकूल परिवर्तन लाना चाहते हैं¹, और यह अध्ययन किसी देश अथवा काल तक सीमित नहीं है।

वर्तमान की व्याख्या—राजनीति विज्ञान वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह अध्ययन राज्यों और शासन के अगो तक सीमित नहीं है। इसके क्षेत्र में वे सभी दल, संगठन और सस्याएँ आ जाती हैं जो समाज में शक्ति और प्रभाव रखने की आकांक्षा रखती हैं। फिर भी, राज्य का अध्ययन हमारे विषय का प्रमुख अंग है। इसमें राज्य के लक्षण, उसकी परिभाषा, उत्पत्ति, संगठन, प्रक्रियाएँ, लक्ष्य, कार्य, नागरिकों और जन-समूहों के साथ उसके संबंध तथा अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उसके संबंधों का अध्ययन भी सम्मिलित है। वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विधि (International Law) और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन की प्रगति ने राजनीति-विज्ञान को एक नयी दिशा दी है, और एक अर्थ में उसे 'विश्व राजनीतिक समुदाय का विज्ञान' बना दिया है।²

बीती बातों का अध्ययन—समाज में शक्ति और प्रभाव का ऐतिहासिक अध्ययन राजनीतिक सस्याओं, विचारों और प्रक्रियाओं को समझने में बहुत सहायक होता है। इसमें हम बीते युगों के विचारकों की राज्य और शासन संबंधी मान्यताओं और सिद्धांतों का भी समुचित अध्ययन करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार हुआ, राज्य किस प्रकार सरल से जटिल बनता गया, और किस प्रकार राज्य विशेष का संवैधानिक विकास हुआ। इस प्रकार, हम राजनीतिक चिन्तन की धाराओं के अध्ययन के साथ साथ उन समूहों, दलों और संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन भी करते हैं जो समाज में शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

भविष्य का विश्लेषण—अब यह स्वीकार किया जाता है कि राजनीति विज्ञान का चरम लक्ष्य राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों के अध्ययन से ऐसे निष्कर्ष और सिद्धांत निकालना है जो हमारे व्यावहारिक

1 देखिए C C Rodee in *Introduction to Political Science* by Rodee, Anderson and Christol, न्यूयार्क, 1957, पृष्ठ 5.

2 तुलना कीजिए Beni Prasad, *The Democratic Process*, ऑक्सफोर्ड, 1935, पृष्ठ 6

जीवन में काम आ सकें। लासवेल और कैपलन ने राजनीति-विज्ञान को 'एक नीति-निर्धारण करने वाला विज्ञान' कह कर इस ओर इंगित किया है। वर्तमान प्रवृत्तियों का अध्ययन हम यह समझने के लिए करते हैं कि प्रगति का रुख किस ओर है। शासन की आलोचना इस दृष्टि से की जाती है कि क्या वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो रहा है; और हम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के सुझावों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं।

जहाँ तक राजनीति-विज्ञान आदर्शों तथा लक्ष्यों को निर्धारित करता है वह मूलतः आदर्शिक (normative) है अथवा गैटिल के शब्दों में, 'एक राजनीतिक-नैतिक विवेचना' है। हम एक समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात् ही उसके लक्ष्य स्थिर करते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों के विषय में राजनीतिज्ञ और विचारक एकमत नहीं हैं। रैमजे म्योर और लास्की में मतभेद है, ब्राड्स और ब्रोगन में विचार-विवेद है, और जवाहरलाल नेहरू और लुइसोव के दृष्टिकोण भी अलग-अलग थे। इन मतभेदों को समझकर और उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन कर हम स्वयं यह निश्चय कर सकते हैं कि हमारी नीति और लक्ष्य क्या होने चाहिए। यदि आवश्यक समझे तो हम अपने लिए नए सद्य और उसे प्राप्त करने के लिए नई नीति भी निर्धारित कर सकते हैं।

राजनीति-विज्ञान यदि अध्ययन के इस पक्ष को छोड़ दे, तो यह अधूरा और निष्फल बन कर रह जाएगा, और अब साधारणतः राजनीतिक विचारक इन बातों से सहमत हैं कि हमारा अध्ययन क्रियात्मक और व्यावहारिक होना चाहिए।

एक अद्भुत विकसित अध्ययन—यद्यपि राजनीतिक चिन्तन लगभग ढाई हजार वर्षों से होना आ रहा है, तथापि राजनीति-विज्ञान अभी भी विकसित हो रहा है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार, अभी अनेक विद्वानों के लिए राजनीति-विज्ञान अस्पष्ट, सदेहास्पद और विवादग्रस्त है¹। राबिन के मतानुसार, इतिहास की तुलना में राजनीति-विज्ञान असम्बद्ध और जटिल प्रतीत होता है; विधिशास्त्र और अर्थशास्त्र की तुलना में न तो इसकी कोई विशिष्ट चिन्तन-प्रणाली है और न कोई सर्वमान्य तकनीकी शब्दावली; भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में इसकी एकता और अध्ययन सामग्री अस्पष्ट है, तथापि, यदि इसकी तुलना समाजशास्त्र से की जाए तो अपेक्षाकृत हमारा विषय सरल,

¹ तुलना की श्रेय, G C Field, *Political Theory*, लन्दन, 1956, पृ 18.

² देखिए *The Study of Political Science and Its Relation to Cognate Studies*, कैम्ब्रिज, 1928.

सम्बद्ध और सुगठित लगता है¹।

5. राजनीति-विज्ञान के विभाग

अनेक विद्वानों ने राजनीति-विज्ञान को तरह-तरह से विभाजित किया है। इनमें फ्रेडरिक पोलक का किया हुआ विभाजन विचार करने योग्य है। उसके विभाजन की विशेषता यह है कि उससे हमें समकालीन राजनीति-विज्ञान के क्षेत्र और उसकी विविधता की अच्छी जानकारी मिल जाती है। नीचे हम पोलक के विभाजन को² संक्षिप्त और कुछ परिवर्तित रूप में दे रहे हैं

सैद्धांतिक राजनीति

व्यावहारिक राजनीति

- | | |
|---|---|
| १ राज्य के सिद्धांत | १ राज्य के रूप |
| २ शासन के सिद्धांत | २ शासन वा संचालन |
| ३ विधि-सम्बन्धी सिद्धांत
(विधि-निर्माण के उद्देश्य, सामान्य विधिशास्त्र, विधि-निर्माण की मशीनरी और विधि-संबंधी अन्य प्रक्रियाओं के सिद्धांत) | ३ विधि और उसका निर्माण |
| ४. राज्य के बाह्य संबंधों के सिद्धांत
(अन्य राज्यों के साथ संबंध और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय विधि) | ४. राज्य के बाह्य संबंध
(कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलिते, संधियाँ आदि) |

आज भी पोलक के इस विभाजन को थोड़ा-सा बदल कर हम स्वीकार कर सकते हैं। जहाँ उसने राजनीति शब्द का प्रयोग किया है उसके स्थान पर 'राजनीति-विज्ञान' शब्द रखने से हमारा काम सुगमता से चल जाएगा।

यूनेस्को के तत्वाधान में बनाई गई एक कमेटी ने राजनीति-विज्ञान के विषयों को निम्न तालिका³ बनाई है :

1. राजनीति-सिद्धांत .

(क) राजनीतिक सिद्धांत,

(ख) राजनीतिक विचारों का इतिहास।

1 उपर्युक्त प्रथ, पृष्ठ 16

2 उपर्युक्त प्रथ, पृष्ठ 99-100

3 उपर्युक्त प्रथ, परिशिष्ट 3, पृष्ठ 183.

2. शासन :

- (क) सविधान (Constitution);
- (ख) राष्ट्रीय शासन,
- (ग) प्रादेशिक और स्थानीय शासन;
- (घ) लोक प्रशासन (Public Administration);
- (ङ) सरकार के आर्थिक और सामाजिक कार्य;
- (च) राजनीतिक सस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन ।

3. राजनीतिक दल, समूह और लोकमत :

- (क) राजनीतिक दल,
- (ख) समूह और समुदाय;
- (ग) शासन और प्रशासन में नागरिकों का सहयोग,
- (घ) लोकमत ।

4. अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष :

- (क) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति;
- (ख) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन;
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय विधि ।

इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, पोर्नैड, मैक्सिको, भारत, मिस्र, पश्चिमी जर्मनी और केनेडा के राजनीति-विज्ञान के स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रमों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें पढाए जाने वाले अधिकतर विषय ऊपर दी हुई तालिका में कहीं-न-कहीं आ जाते हैं । जो अन्तर हैं भी, वे गौण हैं । इन विषय में अच्छी तरह विचार करने से बाद सप्ताह के राजनीति-शास्त्रियों ने सन् 1952 ई० में होने वाली ऑक्सफोर्ड की अपनी बैठक में उपर्युक्त विभाजन को स्वीकार कर लिया ।

मोंतगो के अनुसार, राजनीति-विज्ञान के नए पाठ्यक्रम में तीन प्रमुख आधारभूतियाँ होनी चाहिए : राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology), राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक संस्थाएँ । वह 'अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष' को एक पृथक् शाखा के रूप में स्वीकार नहीं करता । उसके अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत, आनुभविक (empirical) गतिविधियों और समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा । राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम उन राजनीतिक विचारकों के सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे जिन्होंने राजनीतिक कार्यकलापों और समस्याओं को समझने और सुलझाने के प्रयास किए हैं । राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांतों का आनुभविक प्रतिरूप (counterpart) है । इस विभाग का अध्ययन केवल समकालीन

पाश्चात्य सस्याओ तक सीमित नहीं होगा ; इसमें प्रमुख नव-विकसित राज्यों की सस्याओ के अध्ययन का समावेश भी होगा¹ ।

ऊपर जिस विभाग को मौरगॅनथो ने 'राजनीतिक समाजशास्त्र' कहा है, रोडी आदि लेखकों ने उसे 'गत्यात्मक राजनीति' (Political Dynamics) का नाम दिया है । उनके अनुसार, इसके अतर्गत राजनीतिक दल, दराव-गुट, लोकमत एव प्रसार, प्रचार और अर्थ-विज्ञान (Semantics) की समस्याओ का अध्ययन आ जाता है² । हमारे मतानुसार मौरगॅनथो के विचार युक्तिसंगत और राजनीति-विज्ञान के नव-विकसित स्वरूप के अनुकूल है ।

6. राजनीति-विज्ञान और उसके विभेद

राजनीति-विज्ञान में राजनीति सिद्धांत, राजनीति दर्शन, और राजनीतिक विचार आदि अनेक शब्द हैं जो बहुधा अस्पष्ट अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं । यहाँ हम उनके यथातथ अर्थों पर विचार करेंगे ।

राजनीति-सिद्धांत—राजनीति-सिद्धांत (Political Theory) राजनीति-विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण (generalise) करने हैं और सबधानुमान (inference) एव निष्कर्ष (conclusion) निकालते हैं । कोकर के अनुसार, "जब हम राजनीतिक शासन, उसके विभिन्न रूपों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन, उनकी तुलना तथा मूल्यांकन करते हैं, और ऐसा करने में तात्कालिक एव अल्पकालीन प्रभावों की अपेक्षा हम मनुष्यों की चिरतन आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों को ध्यान में रखते हैं — तो यही राजनीति-सिद्धांत होता है³ । जॅकोब्सन के अनुसार राजनीति-सिद्धांत का उद्देश्य 'राजनीतिक प्रज्ञान (wisdom) की खोज' है । तथापि न तो राजनीति की कोई शाश्वत व्याख्या देना संभव है, और न इसका यह आग्रह ही है कि इसके सिद्धांत निश्चित एव निर्विवाद हैं । वस्तुतः राजनीति की समस्याएँ और प्रश्न शाश्वत हैं, किंतु प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से इनका समाधान करना पड़ता है । राजनीति-सिद्धांत केवल यह चाहता है कि महत्त्वपूर्ण विचारों का विवेचन 'नीर क्षीर-विवेक'

1 देखिए Hans J. Morgenthau's "Power as a Political Concept" in *Approaches to the Study of Politics*, पृष्ठ 17.

2 देखिए उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 10 और 422.

3 देखिए Francis W. Coker, *Recent Political Thought*, न्यूयार्क, 1934, पृष्ठ 3.

से किया जाए¹।

जूदिनेल के अनुसार, एक विज्ञान के सिद्धांतों से पुरानी भ्रातिपूर्ण धारणाएँ निकाल देनी चाहिए²; तथापि परम्परागत राजनीति-सिद्धात केवल काल-क्रमानुसार सिद्धांतों की स्रष्टृ-मात्र बन कर रह गया है। राजनीति-शास्त्र के इस ऐतिहासिक ज्ञान को राजनीति-विज्ञान की अन्य शाखाओं से और समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध करने के बहुत कम प्रयास किए गए हैं³। एल्फ्रेड कोब्वन के अनुसार, पादशात्य लोकतंत्र के बुनियादी विचारों की व्याख्या 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी, और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांतों की कोई नवरचना नहीं हुई। अतः राजनीतिक तथ्यों और राजनीतिक सिद्धांतों के बीच की खाई बड़ गई है⁴ और बौद्धिक रूप में राजनीतिक सिद्धांत निष्फल हो गए हैं। उदाहरण के लिए, पिछले दशकों में राजनीतिक क्षेत्र में अधिकतर महत्त्वपूर्ण विचार समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों से आए हैं⁵, राजनीतिशास्त्रियों से नहीं।

मौरेंनथो के अनुसार, वर्तमान राजनीति-सिद्धांत हमारी समकालीन समस्याओं को सुलझाने में विशेष सहायक नहीं होता। अतः, राजनीतिशास्त्रियों ने सतत प्रयत्न किए हैं कि वे समकालीन राजनीतिक जगत् के अधिक से अधिक समीप आ सकें। पिछले दिनों काफी अनुभव पर आधारित शोध हुई है, लेकिन इनका परिणाम भी बहुत सजोपजनक नहीं निकला। अनेक वाधाओं के रहते हुए भी, राजनीति-विज्ञान में शनैः शनैः अनुभव पर आधारित सिद्धांतों का उदभव हो रहा है। तथापि, समाज को वे वास्तव बताना जो वह सुनना नहीं चाहता, लोकप्रिय नहीं होता। किंतु अनुभव पर आधारित सिद्धांत निहित स्वार्थों — दौद्धिक सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक — के लिए विध्वंसक और नातिकारी हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसी अवस्था में राजनीतिशास्त्रियों के लिए सत्य के प्रति नैतिक जास्यता बनाए रखना और सरल

1 Norman A. Jacobson, "The Unity of Political Theory, Science, Morals and Politics" in *Approaches to the Study of Politics*, पृष्ठ 122-124

2 देखिए Bertrand de Jouvenal, *The Pure Theory of Politics*, लन्दन, 1963, पृष्ठ 31

3 मौरेंनथो, उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 71.

4 देखिए Alfred Cobban, "The Decline of Political Theory" in *Political Science Quarterly*, September, 1953.

5 देखिए मौरेंनथो, उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 71.

मार्ग द्वारा उपलब्ध सामाजिक प्रलोभनों को छोड़ना बड़े साहस का काम है। केवल गिने चुने व्यक्ति ही लोकनिंदा, सामाजिक बहिष्कार और राजदंड की चिंता किए बिना राजनीतिक सत्य की खोज में अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं¹, और उन्हीं पर राजनीति सिद्धांत की प्रगति और भविष्य निर्भर है।

राजनीतिक विचारधारा और राजनीति सिद्धांत—राजनीति-सिद्धांत और राजनीतिक विचारधारा (Political Thought) में भेद है। राजनीति-सिद्धांत किसी व्यक्ति विशेष अथवा एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों के विचार हैं। इसके विपरीत, राजनीतिक विचारधारा काल विशेष में, किसी देश अथवा समाज के मान्य राजनीतिक विचारों का स्रोतक है। इस प्रकार, राजनीतिक विचारधारा में केवल वही विचार सम्मिलित होंगे जो कम से कम कुछ समय के लिए लोगों में प्रभावी रहे हों, अथवा जिनसे लोगों को अपने व्यवहार में प्रेरणा मिली हो, फिर चाहे इनका प्रकाशन किसी विद्वान ने प्रभावशाली ढंग से किसी ग्रंथ में किया हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन यूरोप को प्रायः 'अराजनीतिक' घोषित कर दिया जाता है। वस्तुतः यूरोप के इतिहास में यह समय बहुत सृजनात्मक रहा है। इसी युग में अनेक नैशनलिटियों (nationalities) की उत्पत्ति हुई, जिनमें से अनेक आगे जाकर राष्ट्रों के रूप में प्रकट हुईं। किंतु, क्योंकि वह उदय-मुखल का युग था, इसलिए जनसाधारण इस युग की राजनीतिक विचारधारा को जो अनेक वाद-विवादों, आंदोलनों और नई समस्याओं के रूप में प्रकट हुईं, देख नहीं पाते।

राजनीति सिद्धांत और राजनीतिक विचारधारा का भेद बार्कर ने स्पष्ट किया है। उसके अनुसार ये एक-दूसरे से भिन्न हैं। राजनीति सिद्धांत कुछ चिंतकों के विचारों को बताता है, भले ही ये विचार उस समय की परिस्थितियों तथा तथ्यों से कोसों दूर हों। इसके विपरीत, राजनीतिक विचारधारा एक विशेष युग का वह अतर्निहित दर्शन है जो व्यक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा देता है अथवा उनके जीवन को प्रभावित करता है। इनमें से प्रथम सुस्पष्ट, चेतन और (बहुत कुछ) अनासक्त है जबकि दूसरा अतर्निहित, अचेतन और सजीव कार्यों के प्रवाह में डूबा रहता है²।

1 वही, पृष्ठ 71-72

2 देखिए बार्कर द्वारा सम्पादित *The Social and Political Ideas of Some Great Medieval Thinkers*, लन्दन, 1923 में बार्कर का लख पृष्ठ 10-11.

उक्त भेद के महत्त्वपूर्ण होने पर भी, प्रायः राजनीतिक लेखन इन शब्दों को समान अर्थ में प्रयुक्त कर देते हैं।

राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान—पिछले दिनों, कुछ विद्वान इस विषय का नामकरण 'राजनीति-दर्शन' (Political Philosophy) करना चाहते थे, किंतु उनका यह मत स्वीकार नहीं किया गया। इसका प्रथम कारण यह था कि राजनीति दर्शन का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा सकुचित है। दूसरे, राजनीति-दर्शन अमूर्त और आदर्शात्मक है जबकि राजनीति विज्ञान का एक भाग वर्णनात्मक और विवेचनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तथा अनुभव-आधित है। तीसरे, राजनीति दर्शन राजनीतिक समूहों के सिद्धांतों की चर्चा बहुत सक्षेप में करता है, और वह भी केवल यह बताने के लिए कि प्रस्तुत राजनीतिक व्यवस्था में कौन-से परिवर्तन अपेक्षित हैं। भविष्य में अपनाते योग्य मार्ग पर इसका ध्यान अधिक रहता है, जबकि राजनीति विज्ञान का वर्तमान से भी घनिष्ठ संबंध रहता है और वह यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि किस प्रकार शनैः शनैः वर्तमान राजनीतिक स्थिति बनी। चौथे, जैसा कि पोलक ने कहा है, राजनीति दर्शन एक अर्थ में 'राजनीति के विज्ञान से पहले जन्म लेता है। प्राचीन यूनान में इसका उदय इसलिए संभव हो सका कि वहाँ ऐसे अनेक नगर राज्य और सविधान थे जहाँ तरह-तरह के राजनीतिक प्रयोग हो रहे थे। इनके पारस्परिक संबंध के विषय में ग्लिन्नाइस्ट कहते हैं कि राजनीति-विज्ञान, राजनीति दर्शन की बुनियादी मायनाओं पर आधारित है। दूसरी ओर, राजनीति दर्शन को राजनीति विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है।

पिछले दिनों, राजनीति-दर्शन की बड़ी आलोचना की गई है। कहा गया है कि वह पुराने और पिछड़े हुए आदर्शों की स्थापना करता है। कुछ विद्वानों का सुभाव है कि ऐसे आदर्शात्मक ज्ञान के स्थापन पर हमें एक आदर्शविहीन और मूल्यविहीन विज्ञान की स्थापना करनी चाहिए¹। इस मत के अनुयायी राजनीति-दर्शन के क्षेत्र और उससे महत्त्व को कम करना चाहते हैं। वैंडन के अनुसार, राजनीति-दर्शन का उद्देश्य पारिभाषिक उलझनों को प्रकाश में लाकर और उन्हें दूर करना होना चाहिए, किसी सिद्धांत का खंडन-मंडन

1 देखिए *Approaches to the Study of Politics*, में जॉर्ज जे० फ्राइडरिच का लेख "The Political Philosophy and Science of Politics", पृष्ठ 172

करना नहीं¹। इसके विपरीत, दूसरा मत यह है कि राजनीति-दर्शन की समस्याएँ शाश्वत हैं और प्रत्येक नयी पीढ़ी को नए सिरे से उनका हल निकालना पड़ता है²। ओकशोट के अनुसार, एक अर्थ में, राजनीति-दर्शन उन समस्याओं का इतिहास है जिनका समाधान करने के लिए दार्शनिकों ने यत्न किए। लेकिन, यह मन-मतातरो का इतिहास नहीं है, और न यह एक ऐसा प्रगतिवादी विज्ञान है जो ठोस परिणामों का सफलतापूर्वक अथवा ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचता हो जिनके आधार पर विश्वासपूर्वक आगे की खोजों में लगा जा सके। इसमें यह क्षमता भी नहीं है कि हमें निर्देश दे सके अथवा हमारा पथ-प्रदर्शन कर सके। अधिक से अधिक धैर्यपूर्वक वह उन सामान्य विचारों की व्याख्या कर सकता है जिनका हमारी राजनीतिक गतिविधियों से गहरा संबंध है। साथ ही, वह हमें सोचने-समझने की चक्रता, अस्पष्ट बयानों तथा असंगत युक्तियों से बचा सकता है³।

कार्ल फ्राइडरिच के अनुसार 'राजनीति-दर्शन' दर्शनशास्त्र और राजनीति-विज्ञान की वह शाखा है जो इन दोनों विज्ञानों को एक सूत्र में पिरोती है। राजनीति-दर्शन राजनीति-विज्ञान के तथ्यों और निष्कर्षों को दर्शन-शास्त्र तक लाता है; साथ ही, वह दर्शनशास्त्र के सगत पहलुओं को राजनीति-विज्ञान के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस प्रकार राजनीति-विज्ञान और राजनीति-दर्शन का इतना घनिष्ठ संबंध है कि इनमें से किसी एक का अध्ययन बिना दूसरे की सहायता के नहीं किया जा सकता। उसके अनुसार, आलोचकों द्वारा राजनीति-विज्ञान में 'दर्शन' के विरुद्ध प्रायः वही युक्तियाँ दी जाती हैं जो राजनीति-विज्ञान में 'सिद्धांत' के विरुद्ध दी जाती हैं। कुछ विचारकों की कामना है कि एक विधिवत् राजनीति-विज्ञान बने। उनके अनुसार राजनीतिक दार्शनिक सैद्धांतिक प्रश्न उठाते हैं, और ऐसा आत्मनिष्ठ (Subjective) मूल्यांकन करते हैं जो मूलतः असत्य होता है⁴। किंतु डुवाइट वार्ल्डो कहते हैं कि ऐसे शिक्षक भी, जो राजनीति-विज्ञान को आदर्शविहीन और मूल्यविहीन रखना चाहते हैं, इसमें सफल नहीं हो पाते। तथ्यों को छाँटने में, उनको

1 देखिए टी. डी. वेल्डन का लेख, "Political Principles" पीटर लार्नेट द्वारा संपादित ग्रन्थ, *Philosophy, Politics and Society*, ऑक्सफोर्ड, 1956, पृष्ठ 23-24.

2 वही, निम्नलिखित रोडरॉज ऑफने लेख में इस मत को उद्धरित करते हैं, पृष्ठ 212.

3 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 18-20.

4 देखिए उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 173 और 183.

प्रस्तुत करने में, शोध का विषय निर्धारित करने में, तथा विचारों के प्रकाशन की भावभंगी और भाषा से, अनजाने में वे मूल्यों की ओर इंगित कर देते हैं। मूल्यों की शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई विद्वान अपने नैतिक विचारों की स्पष्ट व्याख्या या घोषणा करे। वास्तव में, यह एक कम प्रभावशाली ढंग होगा। इससे अधिक प्रभावो विधि है—'मूल्यों को निर्धारित न करके केवल उनकी ओर इतारा भर कर देना'। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि, हम चाहें या न चाहें, मूल्यों की चर्चा हमारे अध्यापन में आ ही जाती है। हममें से सम्भवतः कुछ मूल्यों की चर्चा करने में इसलिए सकोच करते हैं कि जिन मूल्यों में उनकी आस्था है उनका प्रायः कोई सम्माननीय बौद्धिक आधार नहीं होता¹, और उनके लिए यह एक बड़ी द्विविधा की बात होती है। वास्तुतः सभी राजनीतिशास्त्री अपने ढंग पर राजनीतिक सत्य और प्रज्ञान की खोज में सलग्न हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि यह सत्य है क्या? इस धुनियादी प्रश्न का सही उत्तर देने पर ही उनके दावे को स्वीकार किया जा सकता है²।

राजनीति-दर्शन और राजनीति-सिद्धांत—हम ऊपर देख आए हैं कि राजनीति-सिद्धांत और राजनीति-दर्शन के बीच कोई निश्चित और सुस्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है। राजनीति दर्शन का एक बड़ा भाग, समय पाकर राजनीति-सिद्धांत के इतिहास का एक अंग बन जाता है। दूसरी ओर अनेक पुराने सिद्धांतों को इसलिए त्यागना पड़ता है कि राजनीति-दर्शन द्वारा आलोचना किए जाने पर उनकी त्रुटियाँ स्पष्ट हो गई हैं। इस प्रकार 'राजनीति-दर्शन' एक ओर तो राजनीति-सिद्धांत के क्षेत्र को विस्तृत बनाता है और दूसरी ओर उसे निर्धारित सीमा में रखने के लिए संकुचित भी करता रहता है। वैज्ञानिक शोध से प्राप्त तथ्या के आधार पर, वह व्याख्या करता है कि मनुष्यों के राजनीतिक प्रयास के क्या लक्ष्य होने चाहिए³।

राजनीतिक तथ्या और गतिविधियों के अध्ययन के संबंध में इन दोनों का दृष्टिकोण भी भिन्न है। राजनीति-दर्शन आदर्शात्मक है जबकि राजनीति-सिद्धांत आगमिक (inductive) और फलमूलक (pragmatic) है। किन्तु इन

1 देखिए यही, उसका लेख "Value" in Political Science Curriculum" पृष्ठ 100

2 यही, फाइबरिच का लेख, पृष्ठ 188

3 हुचन का कीजिए, फ्रांसिस थोमस विल्यम से, *The Elements of Modern Politics*, न्यूयार्क, 1936, पृष्ठ 5.

दोनों में से किसी को भी राजनीति-विज्ञान के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । ये दोनों ही राजनीति-विज्ञान के अतर्गत आ जाते हैं ।

7. क्या हमारा विषय एक विज्ञान है ?

अभी तक हम यह मानते आये हैं कि राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप वैज्ञानिक है । किन्तु इस धारणा के सद्य में अनेक शक्यों उठाई गई हैं । अतएव यह आवश्यक है कि हम इस विषय में विस्तार में विचार करें ।

अनेक राजनीतिक विचारक इस बात से इन्कार करते हैं कि राजनीति का एक विज्ञान है¹ । सन् 1857 ई० में बकिल ने कहा था कि 'ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, राजनीति एक विज्ञान तो है ही नहीं, वह एक अत्यंत पिछड़ी हुई कला है'² । उसके कुछ वर्ष पूर्व सन् 1843 ई० में जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इसी प्रकार की शका की थी³ । यद्यपि अब तक हमारे विषय के अध्ययन में पर्याप्त उन्नति हो चुकी है, फिर भी ऐसी शक्यों की जाती रही है । मेटलैण्ड ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि राजनीति के लिए 'विज्ञान' नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है⁴ । ब्राडस ने कहा था कि राजनीति के लिए विज्ञान बन सकना लगभग असंभव है⁵ । चार्ल्स बीयर्ड के अनुसार, न यह संभव है और न वाञ्छनीय ही कि राजनीति का एक विज्ञान हो⁶ । कंटलिन भी कहता था कि अभी तक किसी मान्य अर्थ में राजनीति एक विज्ञान नहीं बन पाई⁷ । अर्नेस्ट बार्कर भी राजनीति के अध्ययन के साथ विज्ञान की शब्द के मेल को पसंद नहीं करता⁸ । यद्यपि उक्त विचार आज से कम से कम 35 वर्ष पूर्व व्यक्त किए गए थे और अब हमारे विषय ने काफी उन्नति कर ली है, तथापि यह आवश्यक हो जाता है कि इस विषय के विवेचन के पूर्व हम 'विज्ञान'

1 तुलना कीजिए एडवर्ड मैकेशने सेट से, *Political Institutions : A Preface*, न्यूयार्क, 1938, पृष्ठ 29-30

2 देखिए *History of Civilization in England*, लन्डन, 1936, खंड 3, पृष्ठ 301.

3 देखिए *System of Logic*, आठवीं संस्करण, लन्डन, 1900, भाग 6

4 देखिए *Collected Papers*, खंड 1, पृष्ठ 302

5 देखिए *Modern Democracies*, लन्डन, 1921, भाग 1, पृष्ठ 14

6 देखिए *Research in Social Sciences* में, सम्पादक विल्सन गी, न्यूयार्क, 1929, पृष्ठ 271.

7 देखिए *The Science and Method of Politics*, न्यूयार्क, 1927, पृष्ठ 142 और 147.

8 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 3.

शब्द के अर्थ को भलीभाँति समझ लें ।

'विज्ञान' शब्द का अर्थ—'विज्ञान' ज्ञान की वह धारा है जो तथ्यों को समिधित रूप में सजोती है और सामान्य नियमों को खोज निकालने का यत्न करती है¹ । सर्वप्रथम, यह तथ्यों को एकत्रित करती है और उनके पारस्परिक कार्य-कारण-संबंध प्रदर्शित करते हुए कुछ मान्य निष्कर्षों तक पहुँचने का प्रयत्न करती है । हक्सले के अनुसार विज्ञान एक ऐसा सम्यक् ज्ञान है जो युक्ति और साध्य पर आधारित है । संपर्डे के अनुसार, इसके प्रमुख लक्षण हैं (1) एक संक्षिप्त, सगत और सबद्ध ज्ञान की संभावना, (2) तथ्यों को क्रमबद्ध करना और उत्तम कार्य-कारण-संबंध स्थापित करने के उपरांत सामान्यीकरण कर सकने और पूर्वकथन (prediction) करने की क्षमता, (3) प्राप्त संवधानुमानों और निष्कर्षों की जाँच की संभावना । इनमें बार्ले फ्राइडरिच ने दो नई बातें जाड़न का गुभाव दिया है (1) अध्ययन विधि के संबंध में व्यापक सहमति, और (2) इसके अध्ययन में लगे हुए व्यक्तियों का समुचित प्रशिक्षण । किंतु एस्लिगर के अनुसार, विज्ञान केवल युक्ति और तर्क पर आधारित होता है, प्रयोग और पूर्वकथन उसके लिए आवश्यक नहीं है । हाँ, उससे अध्ययन की सम्यक् प्रणालियाँ अवश्य होनी चाहिए² ।

जो विज्ञान भौतिक अथवा प्राकृतिक बातों से संबंधित हैं, उन्हें भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं और सामाजिक मामलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं । राजनीति-विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है ।

इसके विज्ञान होने पर शका—हम देख चुके हैं कि अनेक विद्वान इस विषय का विज्ञान मानने में सकोच करते हैं । समाजशास्त्र का जन्मदाता ओगुस्त कौम्ट (Auguste Comte) इसी विचार का पा । उसके विरोध के कारण थे : (1) 'राजनीति' के लेखक इसकी अध्ययन-विधि के संबंध में एकमत नहीं हैं, (2) इसके सिद्धांत और निष्कर्ष सर्वमान्य नहीं हैं, (3) इसका लगातार विकास नहीं हुआ, और (4) हमें यह ऐसी सामग्री प्रदान नहीं करता जिसके आधार पर हम यथातथ पूर्वकथन कर सकें । बाद में आने वाले आलोचकों ने इस अध्ययन की अन्य गूटियों की ओर भी इशारा किया है ; (5) राजनीतिक मामले इतने जटिल, परिवर्तनशील और अनियमित हैं कि खोज की वैज्ञानिक पद्धतियाँ उनके अध्ययन में कारगर नहीं हो सकती, (6) जो बातें राजनीतिक मामलों पर प्रभाव डालती हैं वे प्रायः अस्पष्ट और उलझी हुई होती हैं और उनको

1 दब्लि The American College Dictionary, न्यूयार्क, 1947, पृष्ठ 1086.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 19-21.

समझना अथवा उन पर नियंत्रण रख सकना अत्यंत कठिन है, (७) उपर्युक्त कारणों से यथातथ पूर्वकथन करना और सिद्धांतों की सच्चाई को परखना लगभग असंभव हो जाता है, (८) तथ्यों को एकत्रित करने, उनको विधिवत् सजाने और उनसे निष्कर्ष निकालने में राजनीतिक अनुसंधाता का अपना व्यक्तित्व और उसका दृष्टिकोण भी कुछ न कुछ प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। अनामकत हान पर भी भौतिक और प्राकृतिक वैज्ञानिकों के समान वह पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष नहीं रह सकता। उमका पालन पोषण, शिक्षा, सामाजिक वातावरण और जीवन-वृत्ति प्रायः उसके दृष्टिकोण को प्रभावित किए बिना नहीं रहते।

राजनीतिक अध्ययन के वैज्ञानिक¹ होने में केवल बाहरी आलोचक ही आपत्ति नहीं करते, अपितु अनेक राजनीतिशास्त्री भी। इस संबंध में संशकित हैं। सन् 1843 में, मिल ने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि राजनीतिक चिंतक स्वयं भी राजनीति के विज्ञान बन जाने की संभावना को स्वीकार नहीं करते, और जो विद्वान् ऐसा मानते हैं, उनमें अपने स्वप्नों को साकार बनाने की क्षमता नहीं है।² तथापि, मिल और बकिल² दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि आगे चलकर राजनीतिक अध्ययन, वैज्ञानिक बन सकता है। किंतु अन्य विचारक इतने आशावादी नहीं हैं। उदाहरण के लिए मोस्का का मत है कि विज्ञान विशेष सावधानी और समुचित अध्ययन विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत कार्यकलापों और गतिविधियों के अवलोकन की प्रणाली का एक ऐसा फल है जो निर्विवाद सत्य के स्तर तक पहुँच चुका हो। उसके अनुसार 'वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान सच्चे रूप में इस अवस्था तक नहीं पहुँच सका है'।

विज्ञान सर्वत्र यथातथ नहीं होते—इन आलोचकों के विचारों में सत्य का कुछ अंश है। वस्तुतः सामाजिक कार्यकलापों तथा गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन में अनेक बाधाएँ हैं। प्रकृति से ही, सामाजिक अध्ययन भौतिक अथवा प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यथातथ नहीं हो सकते। फिर भी, जब आलोचक राजनीति के विज्ञान बनने की संभावना को नहीं मानते तब वे एक ऐसी 'अति' तक पहुँच जाते हैं जिसकी नहीं माना जा सकता। संभवतः, वे किसी अध्ययन के वैज्ञानिक होने के लिए यह आवश्यक समझते हैं कि उसके निष्कर्ष सुस्पष्ट और यथातथ हों और साथ ही उसमें पूर्वकथन करने की क्षमता हो। यह विचार विज्ञान के स्वरूप को भलीभाँति न समझने

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 547.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 361.

के कारण फैला हुआ है। वस्तुतः प्राकृतिक विज्ञानों में भी 'श्रुत-विज्ञान' आदि कुछ ऐसे ज्ञान हैं जो यथातथ पूर्वकथन नहीं कर पाते। किंतु उनको 'विज्ञान' मानने में कोई आपत्ति नहीं करता। फिर, सामाजिक विज्ञानों के सबंध में एक भिन्न कसौटी क्यों हो ?

सामाजिक विज्ञानों की कमियाँ—यदि हम यह मान लें कि विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके निष्कर्ष सर्वव्यापक हों और उसके नियम तथा पूर्वकथन यथातथ और अटल हों, तो फिर हमें नये सिरे से विचार करना पड़ेगा कि किसी अध्ययन को 'वैज्ञानिक' बनने के लिए उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। हमारा मत है कि इस परलक्ष्य में उस ज्ञान का रीतिविधान (methodology) ही निर्णायक होना चाहिए। यदि किसी ज्ञान की अध्ययन-विधि वैज्ञानिक है और उसके अनुसंधाता वैज्ञानिक ढंग से अपने अध्ययन और सोच में लगे हुए हैं तो कोई कारण नहीं कि हम ऐसे ज्ञान को 'विज्ञान' न बहे।

जहाँ तक सामाजिक शास्त्रों का प्रश्न है व इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, तथापि उनके अध्ययन के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ प्राकृतिक विज्ञान जड़-पदार्थों अथवा पशु-पक्षियों के जीवन से संबंधित हैं, सामाजिक विज्ञान मानव समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञानों में अपनी अध्ययन-सामग्री को देखने-सम्भलने में और उन पर प्रयोग करने में विशेष कठिनाई नहीं होती। किन्हीं दो हुई स्थितियों में, सभी जगह उनके पदार्थ एक-अैसे होंगे और समान व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए, पागलखाने के अतिरिक्त सभी जगह दो और दो का जोड़ चार होगा। इसी प्रकार, दो भाग हाइड्रोजन को एक भाग ऑक्सीजन से मिलाने पर सभी स्थानों पर जल बन जायगा। किंतु मानव व्यवहार के अध्ययन में इस प्रकार की एकरूपता नहीं होती। मनुष्यों के उद्देश्य प्रायः मिश्रित और जटिल होते हैं। साथ ही, प्रत्येक मनुष्य को विवेक और इच्छाशक्ति प्राप्त है, अतएव अपेक्षाकृत वह एक स्वतंत्र प्राणी होता है। अतः एक ही स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न हो सकता है। इसलिए, जिन तथ्यों के आधार पर हम राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं उनमें श्रुति के रह जाने की संभावना रहती है। दूसरे प्राकृतिक पदार्थों के अध्ययन में हम किसी पदार्थ को पृथक् कर, प्रयोगशाला की नियंत्रित व्यवस्था में, उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए कार्य-कारण संबंध स्थापित करने में विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं होती। किंतु, सामाजिक मामलों में यह बात इतनी आसान नहीं है। मनुष्यों के

स्वभाव, उनके उद्देश्यों और दृष्टिकोणों में भिन्नता के कारण हमारे लिए यह कहना बहुत कठिन होता है कि उनके राजनीतिक व्यवहार पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहे हैं अथवा वे किसी स्थिति-विशेष में कैसा राजनीतिक व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपचुनाव में एक कांग्रेसी सदस्य की हार हो जाती है तो उससे हम यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि कांग्रेस और उसके नेता अपनी लोकप्रियता खो बैठे हैं। हो सकता है कि जो उम्मीदवार खड़ा किया गया था वह लोकप्रिय न हो। यह भी संभव है कि उपचुनाव के ठीक पहले उस क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसके कारण कांग्रेस अथवा उसका उम्मीदवार अपनी लोकप्रियता खो बैठे हो। यह भी संभव है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया हो वह उस जाति अथवा सम्प्रदाय का न हो जिसका उस क्षेत्र में बहुमत है। इसी प्रकार की अनेक बातों के कारण कांग्रेस की हार हो सकती है। इन कारणों का ठीक से पता लगाने के लिए हमें धैर्यपूर्वक शोध करनी होगी। फिर भी, संभव है कि हमारी खोज में कुछ बातें ध्यान से रह जाएँ। ऐसा होने पर हमारे शोध के परिणाम भी पूर्णतः ठीक न होंगे। प्रायः यह देखने में आया है कि इंग्लैंड और अमेरिका में चुनावों के समय अनेक अनुसन्धाता, लोकमत का समग्र चित्र, पूर्वकथन करते हैं कि कौन व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल चुनाव में विजयी होगा। किंतु सविधानी रखने पर भी, अनेक बार उनके पूर्वकथन ठीक नहीं निकलते। अतः यह स्पष्ट है कि मानव व्यवहार और सामाजिक मामलों में सही निष्कर्ष निकालना कठिन है। दूसरे, यह कठिनाई इसलिए और भी बढ़ जाती है कि एक राजनीतिक अनुसन्धाता अपनी अध्ययन-सामग्री, अर्थात् मनुष्यों को प्रयोगशाला की स्थितियों में रखकर उनका अध्ययन नहीं कर सकता और न वह अपने निष्कर्षों अथवा सिद्धांतों को समुचित जांच या परीक्षा ही कर सकता है। तीसरे, जहाँ एक और भौतिक अथवा प्राकृतिक वैज्ञानिक के लिए माप-जोख के उपकरण प्रस्तुत होते हैं, एक समाजशास्त्री के पास उसकी सहायता के लिए ऐसे कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। इन कठिनाइयों के रहते हुए भी सामाजिक विज्ञान उन्नति की ओर अग्रसर है और उनके सिद्धांत शर्त शर्त, प्रशुद्ध (precise) होते जा रहे हैं। फिर भी यह संभव नहीं है कि वे भौतिक विज्ञानों के समान यथातथ हो जाएँ। इसमें दोष अनुसन्धाताओं का नहीं, अपितु, जैसा कि अरस्तू ने बताया उनकी अध्ययन-सामग्री का है। एक विज्ञान अपने अनुसन्धाताओं से केवल यह माँग कर सकता है कि उनके अध्ययन में किसी प्रकार का भ्रूण या रूमान न हो। वे सावधानी रखें कि उनके व्यक्तिगत विचार अथवा दृष्टिकोण उनके अध्ययन में विकार न ला दें। 'वैज्ञानिक'

होने के नाते सच्चाई की ओर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, परिणामों की ओर नहीं।

राजनीति एक विज्ञान बन रही है—हम यह मानते हैं कि राजनीति-विज्ञान भौतिक विज्ञानों के समान यथातथ नहीं है। इसके सिद्धांत और निष्कर्ष अनिश्चित हैं और इसके पूर्वकथन प्रशुद्ध नहीं होते। फिर भी जैसा सन् १९०९ ई० में, अमरीकी राजनीति-समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए लार्ड ब्राइस ने कहा था, यह ऋतु विज्ञान के समान एक विज्ञान है। यह ठीक है कि मानव प्रवृत्तियाँ जटिल और अनिश्चित होनी हैं, परम्पराएँ और वातावरण भी अपना प्रभाव डालते हैं, फिर भी 'मानव स्वभाव की प्रवृत्तियों में जो तारतम्य और एकरूपता है उसे हम समझ सकते हैं और उसके अध्ययन से लाभ उठा सकते हैं'¹। माना कि हम सही-सही पूर्वकथन नहीं कर पाते, फिर भी हम सम्भाव्य सत्त्वों की खोज कर सकते हैं और जैसा कि सेम्युल वटलर ने कहा है, 'सम्भावनाएँ हमारे जीवन का पथ-प्रदर्शन करती हैं'। लार्ड ब्राइस के अनुसार भी, प्रति वर्ष नए-नए अनुभव हम जो नई सामग्री देते हैं वे राजनीति के नियमों को समझने में बहुत सहायक होते हैं।

इसके सिद्धांतों के मरथ में राजनीतिशास्त्रियों में मतभेद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीति-विज्ञान केवल एक यथार्थवादी (positive) विज्ञान ही नहीं है जो तथ्यों को एकत्रित करता हो और उनमें कार्य-कारण-संबंध स्थापित करत हुए उन्हें समोजित करता हो। यदि राजनीति-विज्ञान केवल यही होता तो सम्भवतः मतभेद के अवसर कम होते और आवश्यकता केवल यह होती कि अध्ययन करने वाले का दृष्टिकोण निरपेक्ष हो और उसका विश्लेषण वैज्ञानिक। किंतु राजनीति-विज्ञान आदर्शिक (normative) भी है। वह केवल तथ्यों और परिस्थितियों का अध्ययन ही नहीं करता, अपितु उन राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन भी करता है जो उसे वांछित लक्ष्यों की ओर ले जान के लिए आवश्यक हैं। यही नहीं, प्रत्येक चिंतक के मूल्यांकन का मापदण्ड एक-सा नहीं होता, अतएव राजनीतिक व्यवहार के वांछित उद्देश्यों के संबंध में भी उनमें मतभेद होता है, और इन सब का प्रभाव उसके अध्ययन पर भी पड़ता है। इन सब कठिनाइयों के रहते हुए भी, ऐसे अनेक निष्कर्ष निकल चुके हैं जिनके संबंध में विद्वान् बहुते-बहुते एकमत हैं। उदाहरण के लिए, आज विद्वानों में साम्य ही इस बात पर मतभेद हो कि यदि किसी प्रशासनिक विभाग में नियुक्ता अपेक्षित है तो पदों की अल्पवालीन अवधि के

¹ *American Political Science Review*, 1909, खंड 3, पृष्ठ 1-3.

लिए निर्वाचन से न मर कर उनके लिए स्थायी नियुक्तियाँ करनी चाहिए¹। इसी प्रकार, यदि आप चाहते हैं कि न्यायाधीश निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र हों तो उनके पद का कार्यकाल सुरक्षित होना चाहिए। इसी प्रकार, यदि शक्तियों का केन्द्रीकरण कर दिया जाए और उस पर कोई अकुशल न हो तो बहुत संभव है कि पदाधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना का लोप हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे-जैसे राजनीति विज्ञान उन्नति कर रहा है, इसके सर्वमान्य सत्यों और सिद्धांतों की सख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। जैसाकि अपाटोराय ने कहा, "जिस मात्रा में अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों की संख्या बढ़ेगी, उनके अवलोकन के क्षेत्र की सीमा बढ़ेगी, और वातावरण के अध्ययन में सावधानी बढ़ेगी, उसी मात्रा में प्रसुद्धता और उसके निष्कर्षों का महत्त्व भी बढ़ जाएगा²।

अब राजनीतिक लेखक अपने अध्ययन की समुचित विधि के संबंध में बहुत-कुछ एकमत होने लगे हैं। ऐसी दशा में कोई कारण नहीं है कि हम अपने विषय को 'विज्ञान' की सजा न दें। किंतु हमें यह मानना पड़ेगा कि राजनीति-विज्ञान अभी भी सामाजिक विज्ञानों में सबसे कम विकसित विज्ञान है। अतएव, राजनीति के विज्ञान का दृढ़ निर्माण करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए निरंतर खोज और समुचित रीति-विधान की अत्यंत आवश्यकता है। निदचय ही, इसके अध्ययन के लिए अभी प्रशस्त राजमार्ग नहीं बने। लेकिन अनेक पुरोगामी विद्वानों ने सुगम पगडडियाँ अवश्य बना दी हैं जिन पर चल कर हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि बर्नार्ड शॉ के मतानुसार, "इस विज्ञान के बिना मानव सभ्यता की रक्षा नहीं हो सकती"।

राजनीति विज्ञान एक कला भी है—कला हमें व्यावहारिक निर्देश देती है। वह इस बात का प्रयास है कि आदर्शों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए और किस प्रकार वर्तमान त्रुटियों को दूर किया जाए। हम देख चुके हैं कि बकिल के अनुसार राजनीति एक अत्यंत पिछड़ी हुई कला है और इससे अध्ययन से अधिक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ब्लुशली के अनुसार 'राजनीति' एक कला है और इसका काम राजनीतिक मामलों में व्यावहारिक पथ-प्रदर्शन करना है, जबकि 'राजनीति विज्ञान' एक विज्ञान है।

किसी विषय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विज्ञान हो या कला।

1 देखिए W. B. Munro, *The Government of the United States*, न्यूयार्क, 1946, पृष्ठ 6.

2 देखिए *The Substance of Politics*, मद्रास, 1957, पृष्ठ 7.

उदाहरण के लिए चिकित्सा-शास्त्र को ही ले लीजिए, वह दोनों ही है। विलियम ऐस्लिगर इस बात पर बल देते हैं कि 'विज्ञान' और 'कला' में अतिविरोध आवश्यक नहीं है, कला एक विज्ञान पर आधारित हो सकती है¹। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हमारा विषय भी एक उन्नत सामाजिक विज्ञान और कला बन जाएगा।

बिना राजनीति-विज्ञान के सम्यक् अध्ययन के विवेकपूर्ण निर्णय (इसका सबंध विषय के कला पक्ष से है) की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यद्यपि अध्ययन से व्यक्ति सर्वदा दूरदर्शी नहीं बन जाता, तथापि बिना गभीर अध्ययन के प्रज्ञान और दूरदृष्टि भी प्राप्त नहीं होती²। अतः यह उचित होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी नीति और व्यवहार, दोनों ही वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित हों।



1 उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 24.

2 वही, पृष्ठ 8 और 40.

राजनीति-विज्ञान का रीतिविधान

विज्ञान की प्रणाली से दर्शन और रीति-विधान का उन बौद्धिक प्रक्रियाओं से अभिप्राय है जिनके उपयोग से, प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, वे उन सत्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके लक्ष्य हैं, और जिनकी वे खोज, निरूपण तथा जाँच करते हैं।

— चार्ल्स आइजमैन

1. रीतिविधान की समस्या

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व, राजनीति-विज्ञान का विकास स्वीडन के अतिरिक्त और कहीं नहीं हुआ। पाश्चात्य बौद्धिक जगत् के लिए, आध्यात्मिक धारणाओं से मुक्ति पाने के बाद ही, सामाजिक विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सका। तथापि, राजनीतिक विचारक एक लम्बे समय से इस विषय के रीतिविधान (Methodology) की समस्या पर ध्यान देते आए हैं। अरस्तू, माक्यावेली, बोदां, हॉब्स, वीको, लॉक, मोटेस्व्यु आदि की अपनी-अपनी दृष्टियाँ और प्रणालियाँ थीं। जब एक उच्चतर ज्ञान के रूप में राजनीति का स्वतन्त्र विकास होने लगा, तब रीतिविधान का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया। ओगुस्त कोम्ट के अनुसार, सामाजिक विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन की उचित प्रक्रियाएँ अवलोकन, प्रयोग और तुलना हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार, प्रायोगिक और अमूर्त-ज्यामितीय प्रणालियाँ हमको गुमराह कर सकती हैं; अतएव, ठोस-निगमनिक (Concrete deductive) और ऐतिहासिक प्रणालियाँ ही अधिक उपयुक्त हैं¹। ब्लुंश्ली के

1 देखिए मॉर्गेनथो, वही, पृष्ठ 67.

2 देखिए उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 550-587.

के अनुसार ऐतिहासिक और दार्शनिक प्रणालियाँ ही ठीक हैं, यद्यपि आनुभविक (Empirical) और दार्शनिक ऐतिहासिक प्रणालियों के संयोजन में उसे कोई आपत्ति नहीं है। सीले ने भी आगमन (Inductive) प्रणाली को उचित ठहराया है। जेम्स ब्राडिस के मतानुसार¹, अवलोकनात्मक, प्रायोगिक, और तुलनात्मक प्रणालियाँ ही इस अध्ययन के उपयुक्त हैं। गार्नर भी तुलनात्मक प्रणाली को अत्युत्तम मानता है। उसके अनुसार यह प्रणाली इतनी विशद है कि इसमें अवगमन सग्रह, विन्यास (arrangement) वर्गीकरण, समन्वय, विलोपन (elimination) और निगमन आदि सभी प्रक्रियाएँ आ जाती हैं। इस दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक प्रणाली भी तुलनात्मक प्रणाली का एक विशिष्ट रूप हो जाती है²।

मेरिथम ने अमेरिका में राजनीति और उसकी अध्ययन विधि के विकास के चार चरण बताये हैं। सन् 1850 ई० तक, दार्शनिक और निगमन प्रणालियों पर अधिक बल दिया गया। तत्पश्चात् सन् 1900 ई० तक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक प्रणालियों का बोलबाला रहा। साथ ही, कानूनी और सविधानी प्रणालियों का व्यापक प्रयोग होने लगा। सन् 1900 से 1923 ई० तक, अवलोकन, सर्वेक्षण (survey) और माप जोख की रीतियाँ अपनाई गईं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा। किन्तु विभिन्न देशों में राजनीति-विज्ञान के विकास का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त प्रणालियों और दृष्टिकोणों के अनिखिन कुछ अन्य रीतियाँ भी प्रयुक्त हो रही हैं। इनमें प्रमुख है - मार्क्सवादी द्वन्द्ववादी (dialectical) भौतिकवादी प्रणाली जिसकी विशेषता समस्याओं का सर्वांगपूर्ण अध्ययन है, अर्थात् घटनाओं और गतिविधियों का अध्ययन करते समय यह उनके पारस्परिक सम्बन्धों और आश्रितता पर भी पूरा ध्यान रखती है³।

यह मानना पड़ेगा कि इनमें कोई भी प्रणाली राजनीति विज्ञान की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। अतएव, हमें राजनीति विज्ञान के उचित रीतिविधान पर गभीरतापूर्वक विचार करना होगा। कुछ विचारकों की दृष्टि में, हमारे विषय का वैज्ञानिक होना या न होना इस बात पर निर्भर है कि हमारी अध्ययन विधि वहाँ तक व्यक्तिगत रुझानों से उत्पन्न दोषों से रिक्त होकर एक वस्तुनिष्ठ (objective) अध्ययन को सम्भव बना सके है? साथ ही, हमारे निष्कर्षों और सिद्धांतों की उपयोगिता और उनके महत्त्व भी

1 देखिए उपर्युक्त प्रथम, भाग 1, पृष्ठ 15-22.

2 देखिए, उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 28.

3 देखिए *Contemporary Political Science*, पृष्ठ 17-18.

एक समुचित अध्ययन-विधि के अपनाए जाने पर निर्भर हैं ।

'प्रणाली' शब्द स्वयं भी अस्पष्टता और उलझनों से खाली नहीं है । मैसिनो साल्वाडोरी के मतानुसार, यह राजनीतिक सत्य की खोज में व्यस्त मन की एक तर्कनापरक त्रिया है । किंतु कभी-कभी, तथ्यों को एकत्रित करने के तकनीकी ढंग के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । अनेक बार, इसका प्रयोग विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के लिए भी हुआ है । यही नहीं, अध्ययन और खोज के सामान्य वातावरण का उल्लेख करने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है¹ । उपर्युक्त विविधताओं और उलझनों को भलीभांति समझने पर यह आशा की जाती है कि राजनीतिशास्त्री अपने रीतिविधान का विश्लेषण, उसकी समालोचना और मूल्यांकन करेंगे, और फिर वे निर्णय करेंगे कि जिन प्रणालियों को वे प्रायः 'वैज्ञानिक' होने की सजा दे देते हैं, क्या वे वस्तुतः ऐसी हैं ?

2 राजनीति-विज्ञान की प्रणालियाँ

राजनीति विज्ञान की सामान्य पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं —

- 1 प्रयोग प्रणाली,
- 2 ऐतिहासिक प्रणाली,
- 3 अवलोकन-प्रणाली,
- 4 तुलनात्मक प्रणाली, तथा
- 5 दार्शनिक प्रणाली ।

उपयुक्त प्रणालियों का हम बारी बारी से विवेचन करेंगे ।

प्रयोग-प्रणाली

कुछ लेखकों के मतानुसार, राजनीति विज्ञान प्रयोगात्मक नहीं है । इनमें जॉन स्टुअर्ट मिल, लॉर्वेस और बोहॉ प्रमुख हैं । हम जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में भौतिक विज्ञानों की तरह प्रयोग (experiments) नहीं किए जा सकते । एक रसायनशास्त्री किसी पदार्थ को लेकर उसका अच्छी तरह निरीक्षण कर सकता है, उस पर मनोवाञ्छित प्रभाव डालकर उसकी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है और इस अध्ययन से अपने निष्कर्ष निकाल सकता है । किंतु, सजीव मनुष्यों के साथ यह संभव नहीं है । जॉर्ज वानेवाल स्पुइस ने इसी बात को बड़े सुन्दर ढंग से कहा है । उसके कथनानुसार, ब्रोडिग्नाग के राजा ने जिस प्रकार गुलीवर को अपने हाथ पर उठा लिया था, हम जनसमुदाय के

¹ देखिए उपर्युक्त ग्रंथ में प्रस्तावना, पृष्ठ 14

किसी भाग को, उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, और न उसे मनोबाधित स्थितियों में रखकर सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रयास ही कर सकते हैं, और इस प्रकार न अपनी जिज्ञासा की सतुष्टि कर सकते हैं¹। लार्ड ब्राइस ने भी कहा है कि भौतिक-विज्ञानों में बार-बार हम एक ही प्रयोग उस समय तक कर सकते हैं जब तक हम किसी निश्चयात्मक परिणाम तक न पहुँच जाएँ, किन्तु राजनीति में यह शभव नहीं है। राजनीति में विशिष्ट परिस्थितियों को बार-बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फिर, राजनीति में भाष-ओस के समुचित उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अनिश्चित, राजनीति के प्रभावी तत्त्वों में, मानवीय भावनाओं और धारणायें आदि ऐसी अनेक बातें हैं जिनकी सपावत् विवेचना नहीं की जा सकती²।

हम मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक प्रयोग सम्भव नहीं है। लेकिन, एक दूसरे अर्थ में, राजनीतिक क्षेत्र में भी, जाने या अनजाने में, अनेक प्रयोग होते रहते हैं। जैसा कि कौन्ट ने बताया, प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन एक प्रकार का प्रयोग है। प्रत्येक नई विधि, नई रीति और राजनीतिक संगठन में परिवर्तन इस अर्थ में प्रयोगात्मक है कि वह अंतिम नहीं होता। उसका निश्चयात्मक रूप में स्वीकृत होना या न होना उसकी स्थायी बनने की अपनी क्षमता प्रमाणित करने पर निर्भर है। उसे लागू करने पर यदि उसमें कोई दोष दृष्टिगत हो तो उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं; और यदि वह पूर्णतः सफल हो जाय तो उसे बापस ले लिया जाता है। उपर्युक्त अर्थ में, हम सन् 1916 ई० के लखनऊ सम्मेलन, सन् 1919 ई० के मांटिंग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार, सन् 1932 ई० के साम्प्रदायिक परिनिर्णय, सन् 1935 ई० का भारत का नया संविधान, सन् 1940 का अगस्त प्रस्ताव, सन् 1942 का क्रिन्स प्रस्ताव, सन् 1943 का सी० आर० फार्मूला, सन् 1946 की कॅबिनेट मिशन योजना, फरवरी सन् 1947 ई० का ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऐटली का भारत पर वक्तव्य, और तत्पश्चात् भारत विभाजन की योजना, आदि सभी को भारत की शासनिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में विभिन्न प्रयोग मान सकते हैं। इनका उद्देश्य यह था कि मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों की आसनाओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रवादियों की स्वतंत्रता की आकांक्षा की

1 देखिए *Method of Observation and Reasoning in Politics*, लन्दन, 1842, भाग 1, पृष्ठ 165 'गुलीवर के भ्रमण' नामक पुस्तक, जिसमें जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, का नायक गुलीवर के और ओन्डिग्नाग ई किरालराय मनुष्यों के एक देश का राजा।

2 देखिए उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 14.

पूति की जाय । यदि कुछ राजनीतिक प्रयोग असफल भी हो, तो भी उनसे हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ और निष्कर्ष प्राप्त हो जाते हैं जिनकी सहायता से हम निश्चयात्मक सामाज्यीकरणों तक पहुँच सकते हैं । स्वतंत्र भारत में भी इस प्रकार के अनेक प्रयोग हो रहे हैं । इनमें से कुछ हैं : मध्यनियेध, सामुदायिक विकास, पचायत-राज, आर्थिक योजनाएँ, परिवार नियोजन, आदि । इसी प्रकार के प्रयोग सभी देशों में होते हैं और वे हमें महत्वपूर्ण तथ्य और सामग्री प्रदान करते हैं¹ । मेरियम के अनुसार, यद्यपि अभी तक यह प्रमाणित नहीं हो सका कि राजनीति विज्ञान पूर्णतः प्रयोग प्रणाली को अपने अध्ययन के लिए अपना सकता है, तथापि इस सभावना को अस्वीकृत भी नहीं करना चाहिए² । कंटलिन के अनुसार, एक प्रयोग को कई बार दोहराये बिना उससे वैध निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते³ । एक विचारणीय बात यह है कि राजनीतिक अनुसंधानार्थियों के रूढ़ि के वैज्ञानिक होने पर भी, इन प्रयोगों से निकलने वाला निष्कर्ष केवल स्थान विशेष और काल-विशेष के लिए ही वैध होगा⁴ ।

राजनीति विज्ञान इस अर्थ में प्रयोगात्मक नहीं है कि इसमें किसी प्रयोग-शाला में नियंत्रित प्रयोग हो सकते हैं अर्थात् इस सीमित अर्थ में प्रयोगात्मक है कि, जाने या अनजाने, राजनीति के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग होते रहते हैं । इससे अतिरिक्त, प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा भी अनेक तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं । व्यक्तिगत अनुभव और विगत इतिहास भी हमें यथेष्ट सामग्री प्रदान करते हैं । इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि इतिहास मानव द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों अथवा प्रयोगों का एक रिकॉर्ड है ।

ऐतिहासिक प्रणाली

सभी विचारक यह मानते हैं कि वर्तमान की जड़ें प्रायः भूतकाल में गहराई तक गई होती हैं । अतएव, राजनीतिक संस्थाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाएँ । फोल्क के अनुसार [जो इस प्रणाली का विद्वेषणात्मक (analytical) प्रणाली से स्पष्ट प्रभेद करता है], ऐतिहासिक प्रणाली 'संस्थाएँ क्या हैं' और 'क्या रूप ले रही हैं' जैसे प्रश्नों की व्याख्या इस दृष्टि से करती है कि 'वे क्या थीं' और 'जैसी भी वे बन

1 तुलना की लिए J. W. Jenks, *Principles of Politics*, न्यूयार्क 1916, पृष्ठ 21.

2 दखिए *New Aspects of Politics*, न्यूयार्क, 1925, पृष्ठ 55 और 227.

3 दखिए *The Science and Methods of Politics*, पृष्ठ 113-114

4 दखिए E. M. Sait का ग्रन्थ, पृष्ठ 35-36.

गईं, कैसे बनी¹। इस प्रकार उनकी वर्तमान दशा का विदलेपण करने पर ही वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। वस्तुतः इस प्रणाली से हमें न केवल भूतकाल की ही व्याख्या प्राप्त होती है और विश्वस्त निष्कर्षों तक पहुँचने में सहायता मिलती है, अपितु हमें भविष्य के विवेचन के लिए भी कुछ बुनियादी सिद्धांत प्राप्त हो जाते हैं। आधुनिक काल में इस प्रणाली को अपनाने वाले लेखकों में वीको (Vico), मॉटिस्क्यु, साविनी, हेनरी मेन, सीले और फ्रीमन प्रमुख हैं।

सेट के अनुसार, अपने अनुभवों का सचय हमें पुरानी भूलों को दोहराने से बचाता है। विगत पीढ़ियों के अनुभवों से लाभ उठाकर, मानव अपने लिए कुछ व्यावहारिक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार इतिहास 'प्रज्ञान का सबसे बड़ा शिक्षक है' और 'बीते हुए अनुभवों का खजाना है', हालाँकि यह समझना भूल होगी कि बीते हुए इतिहास का अध्ययन किए बिना हम वर्तमान के लिए कामचलाऊ तथ्यों और नियमों का संग्रह नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली से हमारा मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है, हमारे परिप्रेक्ष्य (perspective) में सुधार होता है और घटनाओं के प्रति हमारा स्वैतिहासिक बनता है²। इन्हीं कारणों से ओजशोट ने यह दृढ़ विश्वास प्रकट किया है कि शैक्षिक स्तर पर राजनीति के अध्ययन को ऐतिहासिक होना चाहिए। उसके अनुसार, ऐतिहासिक अध्ययन के बिना राजनीतिक शिक्षा अधूरी रह जाएगी³।

अरस्तू (और मार्क्स) के अनुसार, किसी बात अथवा वस्तु को समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत और विकास का अवलोकन करना चाहिए (मार्क्स के अनुसार, उसके विभिन्न अन्तर्संबंधों का भी)। सेट ने इसे आनुवंशिक (genetic) प्रणाली कहा है और राजनीतिक सस्याओं के समुचित अध्ययन के लिए इसे अत्यन्त आवश्यक बताया है⁴।

इस प्रणाली के उपयोग में सावधानी की अत्यन्त आवश्यकता है। पोलक के अनुसार यह एक ऐसी आशावादिता उत्पन्न कर सकता है जिसने कारण हम 'जो भी बन रहा है' और 'बनता जा रहा है' उसी को सर्वव्येष्ट समझ बैठते हैं। वह हमें 'ऐतिहासिक विकास-संबंधी आशावादिता' के विरुद्ध स्पष्ट चेतावनी देता है⁵। अर्नेस्ट बाकरं के अनुसार, इतिहास एक प्रक्रिया को भलीभाँति समझ

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 126.

2 वही, पृष्ठ 48-49.

3 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 18.

4 देखिए उसका उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 49-50.

5 देखिए उसका उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 128.

सकता है, किंतु वह उसके परिणाम का मूल्यांकन नहीं कर सकता। वह 'क्या था' और 'कैसे हो गया' का रिकॉर्ड तो है, किंतु वह 'क्या होना चाहिए' के सवध में हमें ज्ञान नहीं दे सकता। साथ ही, पोलक इसके अन्य कमियों की ओर भी हमारा ध्यान दिलाता है। इसके कारण कभी कभी विद्वानों में एक प्रकार का 'विषादपूर्ण रुढ़िवाद' आ जाता है, जैसा हेनरी मेन के साथ हुआ। हमारी उदार मानवोद्य भावनाओं को कुठित कर, यह हमारे मन में ऐसी धारणा बना देता है कि 'जो कुछ भी हो सकता था, सब हो चुका है, पहले भी किए गए प्रयत्नों का विशेष परिणाम नहीं निकला और आगे भी उनसे विशेष आशा नहीं की जा सकती'। स्पष्ट है कि इस प्रकार की मनोदशा भयावह है। इसके अतिरिक्त, एक दोष यह है कि कुछ विकासवादी बिना यथेष्ट सोच विचार के व्यापक सामान्यीकरण करने लगते हैं। वे यह भुला देते हैं कि मानव विकास की कोई एकात्मक (monolithic) दिशा नहीं है। 'इसकी अनेक दिशाएँ हैं—कुछ यकायक रुक जाती हैं, कुछ वापस लौट पड़ती हैं, कुछ एक दूसरे को काटती हैं, अतएव, इनको एक विस्तृत राजपथ समझने के स्थान पर एक व्यापक मैदान पर बनी हुई पगडंडियों के चक्र के रूप में देखना अधिक सगत होगा¹। यहाँ एक व्यापक अर्द्धसत्य की ओर इंगित करना भी असगत न होगा। प्रायः कहा जाता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है। वस्तुतः इस कहावत में सच्चाई का केवल आधा अंश है, सत्य का दूसरा पक्ष यह है कि इतिहास कभी अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता², अर्थात् ऐतिहासिक दशाएँ कभी ज्यों का त्यों पुनः उपस्थित नहीं होती। अतएव यह मान लेना कि पीछे जो हो चुका है वही आगे भी होगा, हमारे अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को कुठित कर देगा। लार्ड ब्राइस ने भी दिखावटी समानताओं से बचने की हमें चेतावनी दी है। उसके अनुसार, ऐतिहासिक समानताएँ कभी-कभी प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश डालती हैं, किंतु प्रायः वे हमें पथभ्रष्ट भी कर देती हैं। इस प्रणाली के प्रयोग में एक आशंका यह भी है कि कभी-कभी हम अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए इतिहास का सहारा ढूँढ़ने लगते हैं जो निश्चय ही ऐतिहासिक प्रणाली का एक दुष्प्रयोग है। सीले के अनुसार, इस अध्ययन-पद्धति में स्पष्ट रूप से 'जैसा' कहते हैं' उक्तके प्रकाश' में 'जैसा है' को समझने और समझाने का प्रयत्न करने लगते हैं। हेनरी सिजविक में यही कमी थी। एव उर यह भी

1 देखिए बार्बर *Political Thought in England, 1848-1914*, लन्दन, 1942, पृष्ठ 166.

2 देखिए F. L. Schuman, *International Politics*, न्यूयार्क, 1933, पृष्ठ 4.

है कि आविष्कार कारणों को हम कहीं दुनियादी कारण न समझ बैठें। अतः अनुसंधान विभिन्न प्रकार के भावनात्मक तथा अन्य प्रभावों से अछूता नहीं रह पाता, जिनके कारण कभी-कभी उसके समस्त परिणाम का फल व्यर्थ हो जाता है। अतएव, हमें सँयुक्त कार्य करते हुए निरपेक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत रूढ़ानों के प्रति सजग रहना चाहिए जिससे हमारे निष्कर्ष दूषित न हों।

अवलोकन-प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत घटनाओं का निरवृत्त से प्रत्यक्ष अवलोकन (observation) किया जाता है। सर्वप्रथम, लॉरेल ने राजनीति विज्ञान के अवलोकन पक्ष को ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उसकी यह दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के विश्लेषण में अवलोकन का विशेष स्थान है। तथापि जैसाकि सीले ने कहा है, इसके लिए अनेक विश्वस्त प्रेरणों की आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रथम अवलोकन और व्यक्तिगत साक्षात्कार से वर्तमान समस्याओं का बहुत अच्छी प्रकार अध्ययन हो सकता है। तथापि कई बार दूसरों द्वारा प्राप्त सूचनाएँ विश्वस्त नहीं होतीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीले ने प्रभावशाली शब्दों में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीतिक समस्याओं की सच्ची प्रयोगशाला पुस्तकालय न होकर राजनीतिक जीवन का बाह्य संचार है¹। लास्क ने जिन देशों की राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया, वहाँ वह स्वयं गए और राजनीतियों तथा विचारकों से व्यक्तिगत मुलाकातों की। अतः वह राजनीतिक समस्याओं का निरवृत्त से अध्ययन कर सके और उनकी प्रक्रियाओं तथा संचालन के सद्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। लास्की ने जो इन्हीं के पद-चिह्नों पर चलने का सफल प्रयास किया। सेट के अनुसार, 'राजनीति का विज्ञान' अवलोकन-प्रणाली के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। यद्यपि यह प्रणाली कष्टसाध्य है और इसमें प्रयोग की अपेक्षा अधिक मूलों की आवश्यक रहती है, तथापि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती²।

इस प्रणाली के सफल प्रयोग में अनेक बाधाएँ हैं। सीले ने भी माना है कि अग्य विषयों की अपेक्षा राजनीति विज्ञान में तथ्यों की अधिकृत रूप से प्रमाणित करना अधिक कठिन है। लास्की ने अनुसार, जो लोग राजनीतिक

1 *देविज नास्य का उपसर्जन प्रथम*, पृष्ठ 16 तुनना कीरिण Laski, *The American Presidency*, सन् 1940, पृष्ठ 15-20.

2 *देविज American Political Science Review*, खंड 4, 1910, पृष्ठ 8.

3 *देविज सेट का उपसर्जन प्रथम*, पृष्ठ 36.

प्रक्रियाओं से निकट संबध रखते हैं वे भी कभी-कभी उनके यथार्थ अभिप्राय समझने में बड़ी भूलें कर देते हैं। इसका कारण यह है कि शासन की प्रक्रियायें बहुत कुछ एक हिमशैल के समान होती हैं, उनका जो भाग सतह के ऊपर दिखाई देता है वह उस भाग से अपेक्षाकृत कहीं छोटा होता है जो 'पानी में डूबा रहता है'¹। इस प्रणाली की कठिनाइयाँ इसलिए और भी अधिक बढ़ जाती हैं कि इसमें अनुसंधान का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और उसकी अन्य कमियाँ उसके अध्ययन और निष्कर्षों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। यदि वह अनासक्त भी हो तो भी उसका पूर्णतः निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत कठिन है। उसके व्यक्तिगत अनुभव और रुझान प्रायः उसके अवलोकन और निरीक्षण की क्षमता को दूबित कर देते हैं। मुनरो के अनुसार, शासन के वैज्ञानिक अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा एक निरपेक्ष दृष्टिकोण का अभाव है। इसका कारण यह है कि शासन-संबंधी मामले प्रायः ऐसे होते हैं जिनका मानवीय भावनाओं और हमारी रुझानों से घनिष्ठ संबंध है। अतएव बहुत थोड़े व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो धैर्यपूर्वक और पूर्णतः निरपेक्ष भाव से इनका विश्लेषण कर सकें²।

इस प्रणाली के अपनाने में और भी कई बाधाएँ हैं जिनकी ओर लाइब्राइस ने ध्यान दिलाया है। उसके अनुसार, एक राजनीतिक प्रेक्षक ऐसी ऊपरी समानताओं और व्यापक सामान्यीकरणों के भ्रुलावे में पड़ सकता है जो वस्तुतः तथ्यों पर आधारित न हों। अतएव, इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि सर्वप्रथम हम तथ्यों का सग्रह करें और इस बात की जाँच कर लें कि वे यथातथ्य हैं। तत्पश्चात् इन तथ्यों को अच्छी तरह चमकाते रहना चाहिए जब तक कि वे एक जवाहर की तरह चमचमाने और जगमगाने न लगें। इसके उपरांत अन्य तथ्यों से उनका संबंध देखना चाहिए। फिर, इन तथ्यों से संबंध जोड़ते हुए उसकी विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि इसी पर उसका मूल्य और महत्त्व निर्भर है। असम्बद्ध एकाकी रूप में किसी तथ्य का विशेष महत्त्व नहीं होता; आप उसे कण्ठहार का एक हीरा बना लीजिए, अथवा उसे अपने भवन की आधारशिला बना लीजिए³। इस प्रणाली में दूसरी अडचन यह है कि कहीं प्रेक्षक व्यक्तिगत अथवा आकस्मिक कारणों को सामान्य कारण न समझ बैठे और परस्पर-विरोधी तथ्यों की भूलभुलैया में उलझ कर खो न जाए। वस्तुतः केवल विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही जिनकी दृष्टि प्रशिक्षित और

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 14.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 6-9.

3 *American Political Science Review*, खंड 3, 1909, पृष्ठ 10.

विवेकपूर्ण हो, ठीक निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। उसके अनुसार, यदि हम अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाकर, समस्त सत्ता तक विस्तृत कर दें और अपनी सूचनाओं के स्रोतों की सतर्कता और आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षा करें तो उपर्युक्त कमियों और अटकलों में से अनेक को पार किया जा सकता है¹।

तुलनात्मक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत, हम तुलनाओं द्वारा सामान्यीकरण करते हैं। इस प्रणाली का उपयोग राजनीतिक संस्थाओं और विचारों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है और विभिन्न युगों और देशों के राजनीतिक मामलों के अध्ययन के लिए भी। दोनों ही दशाओं में इसका सार समानताओं और भेदों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण है। प्रायः परिस्थितियों की असमानताओं पर समुचित ध्यान न देने के कारण, वे राजनीतिक अनुसंधाता, जो ऐतिहासिक अथवा अवलोकन प्रणाली का प्रयोग करते हैं, गहरी भूलें कर बैठते हैं। यदि वे साथ में तुलनात्मक प्रक्रिया का भी उपयोग करें, तो वे इनमें से अनेक भूलों से बच सकते हैं। इस प्रणाली के अपनाने वालों में अरस्तू, मोटेस्क्यु और वाइस जैसे विद्वानों का नाम भी है।

साम्यानुमानिक प्रणाली—तुलनात्मक प्रणाली का एक विशिष्ट रूप साम्यानुमानिक (analogical) प्रणाली है। इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले विद्वान प्रायः राज्य की तुलना जैविक शरीर से करते हैं। वे जीवशास्त्र और समाजशास्त्र से विकासवाद (evolutionary) सिद्धांत को लेकर उसे राज्य के अध्ययन में लागू करने का प्रयास करते हैं। राज्य की जैविक शरीर से समानता दिखाते हुए वे उसके स्वरूप, समूह और कार्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। प्राचीन यूनान में प्लेटो ने इस प्रणाली का (विकासवादी पहलू में नहीं) उपयोग किया और आधुनिक काल में कौन्स, हरबर्ट स्पेंसर, गम्प्लोविज और वॉल्स ने इसे अपनाया। यद्यपि समाज के अध्ययन का भावनेवादी दृष्टिकोण भी विकासवादी है, तथापि वह साम्यानुमान पर कोई भरोसा नहीं रखता।

यह एक अवंतानिक प्रणाली है और इसके प्रयोग से काफी उलझनें पैदा हुई हैं। प्लेटो ने साम्यानुमानों का व्यापक प्रयोग किया, लेकिन उसने मानवीय बातों के विवेचन को पशु सत्ता की सतह पर ला दिया। इससे यह स्पष्ट हो

जाना चाहिए कि यद्यपि साम्यानुमान के प्रयोग कभी-कभी बहुत प्रभावशाली होते हैं, तथापि उनको एक सीमा में रखना चाहिए। नहीं तो हम ऊटपटांग निष्कर्ष निवाल बैठेंगे। इस प्रणाली के अनुचित उपयोग का हरबर्ट स्पेंसर एक प्रमुख उदाहरण है। उसने राज्य और जैविक शरीर में सादृश्य दिखाते हुए अनेक धारणाओं की स्थापना की। किंतु उनके अध्ययन में दो प्रमुख त्रुटियाँ आईं — प्रथम, वह यह भूल गया कि दो वस्तुओं की समानता दिखाना उनके आपसी संबंधों को निर्धारित करना नहीं है, और दूसरे, वह इस बात को भी भुला बैठा कि सामाजिक ढाँचा कोई वास्तविक शरीर नहीं है। अधिक से अधिक, राज्य को सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विभिन्न मानसों का एक सगठन' कहा जा सकता है। राज्य एक जीव के समान ही सकता है, किंतु इस समानता के कारण वह स्वतः एक वास्तविक शरीर नहीं बन जाता। स्पष्ट है कि साम्यानुमान के प्रयोग के कारण स्पष्टीकरण के स्थान पर उलझनें ही बढ़ी हैं। बाकंडर ने भी कहा है कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि रूपक एक युक्ति नहीं है, और व्यक्ति तथा राज्य के साम्य से हमें उनके पारस्परिक संबंधों का ज्ञान नहीं होता¹। अतएव इस प्रणाली के प्रयोग में अत्यंत सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है।

दार्शनिक प्रणाली

अभी तक हमने जिन प्रणालियों का विवेचन किया है वे आगमनात्मक थीं, किंतु दार्शनिक प्रणाली निगमनात्मक है। इसमें हम कुछ आधारवाक्यों (premises) को लेकर चलते हैं और तर्क की प्रक्रिया द्वारा राज्य और शासन के सिद्धांत स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। प्लेटो, थामस मोर, रूसो, हेगल, ग्रीन, बोसके और सिजविक इसके प्रमुख प्रतिपादक थे। इनमें से कुछ ने राजनीतिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करते हुए अपनी स्थापनाएँ बनाईं जो कार्पनिक हो गईं। उन्होंने समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का जो विवेचन और मूल्यांकन किया वह भी अशुद्ध और अवैज्ञानिक है। इससे संदेह होता है कि सम्भवतः यह प्रणाली वैज्ञानिक नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस अमूर्त-निगमन प्रणाली को त्याग दिया और इसे सामाजिक मामलों के अध्ययन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त बताया। अन्य विद्वानों ने भी इसे वैज्ञानिक प्रणाली मानने में द्विविधा प्रकट की है।

उपर्युक्त आलोचना में सत्य का एक अंश है। यह प्रणाली सामाजिक मामलों के वैज्ञानिक अध्ययन में अधिक सहायक नहीं हुई है। फिर भी यह

¹ उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 106-108.

कहता कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में दार्शनिक प्रणाली का कोई स्थान ही नहीं है इसके स्वरूप के प्रति अपनी अज्ञानता दिखाना होगा। सामाजिक विज्ञान आदर्शात्मक होते हैं और उनके अध्ययन का बहुत कुछ महत्त्व दार्शनिक प्रणाली के समुचित प्रयोग पर निर्भर है। इसका उपयोग कर हम राज्य के दार्शनिक आधारों की परीक्षा करते हैं, और उन विभिन्न सगठनों का अध्ययन करते हैं जो सक्ति और प्रभाव प्राप्त करने के लिए लल्लापित रहते हैं। इसके द्वारा हमें वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या मिल जाती है। तत्पश्चात्, इन व्याख्याओं के प्रकाश में, हम वर्तमान संस्थाओं का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें परिवर्तित करते हैं। सिजविक¹ के अनुसार राजनीति-विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य 'आदर्शों' को निर्धारित करना और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना है। लेकिन आगमन-प्रणाली के उपयोग से इन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए मिल ने भी एक ठोस निगमन प्रणाली अपनाए पर बल दिया है। किंतु, इस प्रणाली का दुसपयोग होने के कारण हमें इसे त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दोष प्रक्रिया का नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों का है जो इसका प्रयोग करते हैं।

इन दोनों प्रणालियों में सर्वथा पारस्परिक विरोध नहीं है। कुछ मामलों में ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक मामलों की भूतकालीन और वर्तमान दशाओं का अध्ययन करने में हमारी अध्ययन-विधि आनुभविक, विश्लेषणात्मक और आगमनात्मक होनी चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ सदैव आदर्श नहीं होती, और उनमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। दार्शनिक प्रणाली द्वारा हमें वे आदर्श और सिद्धांत प्राप्त हो जाते हैं जिनके आधार पर हम सोच-विचार कर राजनीतिक वास्तविकताओं का विवेचन और मूल्यांकन कर सकते हैं और उनमें सुधार करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अमूर्त-दार्शनिक प्रणाली हमारे सम्मुख आदर्शात्मक मापदण्ड प्रस्तुत करती है। सेट के शब्दों में, "जीवन की साधारण बातों में उलझे हुए व्यक्तियों के लिए प्लेटो एक उत्तम प्रतिकारिक (antidote) है"। दार्शनिक युक्तियों बुद्धि को विकसित करती हैं और हमारे मानस को साधन-सम्पन्न और लचीला बनाती हैं²; और बिना इन गुणों के राजनीति-विज्ञान अपनी समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सके, इसमें सन्देह है।

1 देखिए *The Development of European Polity*, लन्दन, 1920, पृष्ठ 5.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 5.

पिछले वर्षों में दर्शनशास्त्र और दार्शनिक प्रणाली के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इन्हें 'मूल्यों' (आदर्श) की बातों और मूल्यांकन में नहीं उलभना चाहिए। रसेल और विट्गैन्स्टोन, अयेर और राइल आदि के अनुसार, कम से कम कुछ समय के लिए दार्शनिकों को अन्य बातें छोड़कर तर्क-संबंधी और भाषा-संबंधी उपकरणों की परीक्षा में लग जाना चाहिए¹। उनके अनुसार दार्शनिक प्रणाली का उद्देश्य भाषा-संबंधी गड़बड़ियों को प्रकाश में लाकर उनका स्पष्टीकरण करना है। भाषा के ढाँचे और शब्दों के प्रयोग के कारण जो उलभने पड़ गई हैं या पड़ सकती हैं उनको खोलकर सामने लाना है। वैंडन के अनुसार, इस प्रकार का दार्शनिक विश्लेषण विध्वंस-रमक अथवा सशयात्मक नहीं है। इसका उद्देश्य किन्हीं सिद्धांतों की स्थापना करना अथवा उनका विनाश नहीं है, बल्कि उनके अर्थों को स्पष्ट करना और उनकी तार्किक शक्ति की परीक्षा करना है। उसके मतानुसार, आधुनिक राजनीतिक-दार्शनिक आदेश या उपदेश नहीं देते; यह तो उन्नीसवीं शताब्दी का एक अपसिद्धांत (heresy) था²। हमें आशा है कि राजनीति-विज्ञान की उन्नति में इस दार्शनिक प्रणाली से बहुत सहायता मिलेगी।

3. कतिपय दृष्टिकोण

राजनीतिक मामलों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। कुछ विद्वान कानूनी और सविधानी दृष्टि से इसका अध्ययन और व्याख्या करना पसन्द करते हैं, जबकि दूसरे विचारक आर्थिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ लेखकों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया है। इनके अतिरिक्त एक दृष्टिकोण आनुभविक-वैज्ञानिक (empirical-scientific) भी है। नीचे हम संक्षेप में इन पर विचार करेंगे।

कानूनी दृष्टिकोण

इस दृष्टिकोण को प्रायः कानूनी विशेषज्ञों ने अपनाया है। ये विद्वान राज्य को एक ऐसी कानूनी संस्था मानकर चलते हैं जिसका उद्देश्य कानून को बनाना और उसका पालन कराना है। वे प्रभुसत्ता, कानून, अधिकार आदि पर विशुद्ध कानूनी दृष्टि से विचार करते हैं। कानूनी क्षेत्र के बाहर उपस्थित सामाजिक शक्तियों पर वे अधिक ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार, सविधान तथा शासन के

1 देखिए पीटर लार्लैट का उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 9.

2 यही, वैंडन का लेख, पृष्ठ 23-24.

अध्ययन में वे सविधानी विधि, उसको कानूनी व्याख्या और उससे सबधित न्यायालयों के निर्णयों का आश्रय लेते हैं, उसके त्रियात्मक रूप और व्यावहारिक पक्ष पर कम ध्यान देते हैं। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रश्नों के अध्ययन के लिए यह सीमित दृष्टिकोण यथेष्ट नहीं है।

यहाँ यह बताना उचित प्रतीत होता है कि विधिवेत्ताओं की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं है। वस्तुतः वे स्वयं विभिन्न मतों तथा दृष्टिकोणों को मानते हैं। विश्लेषणात्मक पद्धति के अतिरिक्त वे भी समाजशास्त्रीय आदि अन्य दृष्टियाँ अपनाते लगे हैं। डीन रास्को पाउण्ड इसी प्रकार के विधिवेत्ता थे।

आर्थिक दृष्टिकोण

आर्थिक दृष्टिकोण का प्रयोग कुछ सीमा तक प्लेटो और अरस्तू ने भी किया। प्लेटो के अनुसार यूनान की दशा के विगडने में जिन शक्तियों का बड़ा हाथ था, उनमें आर्थिक विषमताएँ प्रमुख थीं। अरस्तू के अनुसार, सम्पत्ति का स्वरूप और उसका वितरण शासन की पद्धति निर्धारित करने में प्रमुख भाग लेते हैं। नागरिकों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक क्षमता और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, और प्रायः शक्तियाँ धनिकों और निर्धनों के पारस्परिक संघर्ष के कारण होती हैं¹। सन् 1656 ई० में अपनी पुस्तक 'ओशियाना' में हेरिंगटन ने यह धारणा व्यक्त की कि शक्ति स्वभावतः सम्पत्ति का अनुगमन करती है और राजनीतिक सविधान आर्थिक सविधान की प्रतिच्छाया मात्र होता है। अठारहवीं शताब्दी में जॉन एडम्स और जेम्स मैडीसन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। एडम्स के अनुसार, समाज विरोधी बर्गों में बँटा हुआ है और आर्थिक लाभों के लिए होने वाली स्पर्धा के कारण समाज में बड़े-बड़े राजनीतिक संघर्ष जन्म लेते हैं, मुख्यतः धनवान और निर्धन व्यक्तियों के बीच में²। मैडीसन के शब्दों में, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार के कारण व्यक्तियों के हितों में एकरूपता नहीं आने पाती। सम्पत्ति-संबंधी भेद हमारी भावनाओं और विचारों पर प्रभाव डालते हैं और इनके कारण समाज विभिन्न हितों और दलों में बँट जाता है³।

कार्ल मार्क्स के हाथों में यह दृष्टिकोण विश्लेषण का एक शक्तिशाली यंत्र

1 देखिए गैरिन की *History of Political Thought*, न्यूयार्क, 1924, पृष्ठ 51

2 देखिए *Economic Origins of Jeffersonian Democracy*, 1915, पृष्ठ 10.

3 देखिए सेट, उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 57-58.

बन गया। उसकी आस्था थी कि बीते हुए युग के विश्लेषण से हमें विकास के नियमों का पता लग जायगा और हमें समाज के विकास की दिशा के बारे में भी ज्ञान हो जायगा। निर्धनता और वर्गों के विशेषाधिकारों को मिटाने के जोश में उसने भविष्य में होने वाले सामाजिक विकास की दिशा का वर्णन ऐसे पूर्वग्रही (dogmatic) शब्दों में किया जिस पर आपत्ति उठाई गई। उसके विश्लेषण के ढंग को 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' कहते हैं जिसे समाजवादी देशों के अतिरिक्त आज अन्य देशों के अनेक बुद्धिजीवी भी मानते हैं। मार्क्स के मतानुसार, जीवन की भौतिक दशाएँ मानव समाज के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं और इन दशाओं में उत्पादन शक्तियाँ और इनसे उत्पन्न सबंधों का सबसे अधिक महत्त्व है। उसके अनुसार राजनीतिक संगठन, विधि और संस्कृति समाज के उसी वर्ग के हित में होते हैं जिसका उत्पादन के साधनों और उपकरणों पर नियन्त्रण होता है¹। सस्थाएँ बनती हैं, बिगड़ती हैं और परिवर्तित होती हैं, किन्तु इनके कारण आर्थिक हितों के संघर्ष हैं। जब समाज का आर्थिक आधार बदल जाता है तो उसके अनुरूप सिद्धांत भी शनैः शनैः बदल जाते हैं। वैधानिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और सौंदर्य सबंधी विचारों तथा इनसे संबंधित सस्थाओं में भी परिवर्तन आ जाते हैं। सैद्धांतिक क्षेत्र में व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के प्रति जाग्रत हो जाते हैं और उसी के प्राण में वे अपने वर्ग संघर्ष का निपटारा करते हैं। मार्क्स के अनुसार किसी युग की चेतना का विवेचन उसके भौतिक जीवन के अंतर्विरोधों को समझे बिना नहीं किया जा सकता, अर्थात् इसको समझने के लिए हमें उत्पादन की सामाजिक शक्तियों के आपसी संघर्ष को समझना होगा²।

मार्क्स के अनुसार निर्धनता न तो ईश्वर की देन है और न समाज के लिए आवश्यक। उसका मूल कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएँ हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात्, यह संभव हो गया है कि हम उत्पादन इतना बढ़ा लें कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, किन्तु इसके लिए हमें सामाजिक स्थिति को बदलना होगा³। आज समाज में आर्थिक रूप से जो वर्ग हावी है वह सुगमतापूर्वक ऐसा परिवर्तन नहीं होने देगा। अतएव, बिना सामाजिक क्रांति के शोषक वर्ग को उसके विशेषाधिकारों और सत्ता से वंचित नहीं किया जा सकता। क्रांति हो जाने पर शोषण का अंत हो सकता है

1 देखिए T. D. Weldon, *The Vocabulary of Politics*, Penguin, 1953, पृष्ठ 120

2 Marx and Engels *Historical Materialism*, 1946, पृष्ठ 1-2.

3 वैल्डन का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 120-121.

और शनैः शनैः वर्ग-समाज का लोप हो सकता है। ऐसा होने पर इनके अनुरूप सामाजिक चेतना भी बन जाएगी। मार्क्स ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके पूर्व अनेक विचारको ने इतिहास में वर्ग संघर्ष और उसके महत्त्व का विवेचन किया है। उसने केवल यह प्रमाणित किया (१) कि वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास की विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थाओं से सम्बंधित है, (२) कि वर्ग-संघर्ष का अवश्यम्भावी परिणाम अतः सर्वहारावर्ग (proletariate) का अधिनायकत्व होता है, (३) कि यह अधिनायकत्व वर्गों के अंत होने और वर्गहीन समाज बनने के पूर्व की एक अन्तिम अवस्था है¹। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मार्क्स के अनुसार घग समाज में कोई न कोई वर्ग प्रमुख स्थान रखता है या हगवो होता है। इस दशा को उसने 'अधिनायकत्व' का नाम दिया है। उपर्युक्त अभिप्राय के अतिरिक्त उसके लिए इस शब्द के अन्य कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। फिर भी, उसका मत था कि सत्राति काल में राजनीतिक शक्ति के प्रयोग में वैधानिकता का ध्यान नहीं रखा जा सकता।

लेनिन के अनुसार यदि हम राजनीति में धोखे और आत्मबंधना से बचना चाहते हैं तो हमें समस्त नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वाक्यों, घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं के पीछे जिस वर्ग के हित छिपे हुए हैं उन्हें खोजना सीखना होगा। यह भी समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक सस्था के पीछे किसी शासक वर्ग की सत्ता रहती है। इस वर्ग पर विजय पाने का केवल एक ही उपाय है कि प्राचीन व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंका जाए और एक सफल सामाजिक क्रांति द्वारा नव निर्माण किया जाए²।

मैरमाक्सवादी लेखकों में जिन विद्वानों ने आर्थिक विश्लेषण की ओर ध्यान दिया है उनमें प्रमुख लोरिया³ और बीयर्ड हैं⁴। इनके अतिरिक्त अब अय समकालीन लेखको ने भी महत्त्वपूर्ण आर्थिक तत्वों की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

मानव स्वभाव और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में मनो विज्ञान का उपयोग अपेक्षाकृत एक नवीन घटना है। इसका आशय यह नहीं है

1 Marx and Engels, *Correspondence*, 1846-1895, वन्तसा, 1945, पृष्ठ 51 और 417.

2 V I Lenin, *Selected Works in Two Volumes*, खंड 1, मार्क्सो 1946, पृष्ठ 63

3 Achille Loria, *The Economic Foundations of Society*, 1907

4 C A Beard, *The Economic Basis of Politics*, 1922

कि पुराने राजनीतिक विचारको ने मानव स्वभाव को समझने के प्रयत्न नहीं किए और मानव स्वभाव के सबंध में अपने विचार प्रकट नहीं किए। वास्तव में प्लेटो, माक्यावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बैन्थम, कौन्ट, आदि सभी विचारको के मानव स्वभाव के बारे में अपने अपने विचार थे ; लेकिन उनके सामान्यीकरण मनोविज्ञान के व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित नहीं थे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण राजनीतिक कार्यकलापो के अध्ययन की इस कमी को दूर करने का प्रयास है। इसके अनुयायियों का विचार है कि उन्नत सामाजिक मनोविज्ञान के वैज्ञानिक प्रयोग से हम मानव-स्वभाव और मानव-व्यवहार के दुनियादी तथ्यों का पता लगा सकते हैं। वे आशा करते हैं कि इन मनोवैज्ञानिक आधारों पर वे नए राजनीतिक सिद्धांत निमित्त कर सकेंगे। इनके लिए मानव कार्यकलापो की गुंथी को सुलझाने में मनोवैज्ञानिक कुजी का प्रयोग एक फंशन बन गया है¹।

इस प्रकार के अध्ययन की नींव लॉर्वेल ने डाली और सासवेल ने इसमें विशेष योग दिया। फिर भी, जैसा कि राब्सन कहते हैं, राजनीतिशास्त्रियों की दृष्टि से सामाजिक मनोविज्ञान की वर्तमान अवस्था अत्यंत असंतोषजनक है। सही और व्यवस्थित ज्ञान के रूप में उन्हें उससे एक ऐसा ठोस आधार नहीं मिलता जिस पर वे राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सिद्धांत स्थिर कर सकें अथवा लोकमत के सबंध में निश्चित विचार प्रस्तुत कर सकें। फ्रॉइड और उसके उत्तराधिकारियों, एव जग और उसके शिष्यों के कार्यों ने मनुष्य के मन को समझने में बहुत सहायता दी है ; मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने व्यक्तियों की मनोविकार-उपचर्या में त्रातिकारी उन्नति की है— तथापि इन सब ने राजनीति-विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग नहीं दिया²। यह बात कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत होती है, क्योंकि पिछले बरों में राजनीति-विज्ञान काफी यथार्थवादो हो गया है। अब यह शासन के औपचारिक (formal) रूप पर कम बल देता है और इस ओर अधिक ध्यान देता है कि वास्तव में शासन किस प्रकार चलता है। यह शक्ति पर कम बल देता है और इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे हो रहा है³।

वाटकिन्स के अनुसार, ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजनीतिशास्त्री जिन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है वे जीवित प्राणी हैं। उनके

1 शर्कर का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 108.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 20

3 वही

कामों का निरीक्षण किया जा सकता है और नियंत्रित अवलोकन और प्रयोग प्रणाली द्वारा अनेक ऐसे तत्वों को, — जो हमारे राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं¹, पृथक् करके मापा जा सकता है। यद्यपि इस पद्धति से अभी तक प्राप्त होने वाले परिणाम बहुत साधारण हैं तथापि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे भविष्य में विशेष सफलता की आशाएँ की जा सकती हैं। इसका सबसे बड़ा दोष इसके निष्कर्षों का विदलेपनात्मक और अचल (static) होना है²। यही नहीं इस दृष्टिकोण का उपयोग उन सामाजिक स्थितियों तक सीमित है जो अपेक्षाकृत सरल और स्थिर हों; जटिल परिस्थितियों और गतिशील राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में इससे अधिक सहायता नहीं मिलती। यद्यपि यह प्रणाली विशिष्ट दृष्टिकोणों का अच्छी तरह विदलेपण करती है और माप-जोख करती है, तथापि वह हमें यह समझने में कोई सहायता नहीं देती कि ये दृष्टिकोण कैसे बने और किस प्रकार वे प्रभावशाली वैचारिकी (ideology) का रूप धारण कर लेते हैं³।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बुद्धि और विवेक को अरने ऊँचे पद से हटाकर मानव स्वभाव के बुद्धि-विरोधी तत्वों को प्रधानता देता है; अतः यह रचनात्मक सिद्धांत निर्मित करने में असफल रहा है।

आनुभविक-वैज्ञानिक दृष्टिकोण

शासन के प्रति हमारे नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण आनुभविक-प्रणाली का अधिक प्रयोग होने लगा है। इसके अंतर्गत हम मानव समस्याओं और प्रक्रियाओं का इस प्रकार अध्ययन करते हैं कि अपने काम लायक कुछ बुनियादी राजनीतिक सिद्धान्तों की खोज कर सकें। आनुभविक-वैज्ञानिक प्रणाली ने निरीक्षण, परवेक्षण, सख्यात्मक माप जोख आदि उपकरणों के प्रयोग करने की प्रवृत्ति सांख्यिकीशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान से ग्रहण की है⁴।

प्रचलित फंडम यह है कि तथ्यों और मूल्यों में स्पष्ट विभेद किया जाए। तर्कनिष्ठ व्यवहारवादी विद्वान् (logical positivists) तत्त्वशास्त्र से दूर रहने का दावा करते हैं और अनुभव पर भरोसा रखते हैं⁵। रास्तन ने इससे मिलते-

1 F. M. Watkins in *Approaches to the Study of Politics*, 78-151.

2 वही, पृष्ठ 152.

3 वही, पृष्ठ 153.

4 रोडो, उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 8.

5 वाल्डो का उपर्युक्त लेख, पृष्ठ 103

जुलते 'सस्यात्मक दृष्टिकोण' की चर्चा की है। इसमें यथावत् अवलोकन किया जाता है और परिवर्तना (hypothesis), अनुमान, जाँच और सामान्यीकरण, कार्य-कारण संबंध के विश्लेषण आदि प्रक्रियाओं का, जो प्राणिशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, रसायनशास्त्र अथवा भौतिकशास्त्र में काम आती हैं, प्रयोग होता है¹। राब्सन के अनुसार इस दृष्टिकोण को सिडनी और बीट्रिस वैंस ने, जिन्होंने 'लन्दन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स और पोलिटिकल साइन्स' की स्थापना की, ब्रिटेन में लोकप्रिय बनाया²। अब इसे शासन और प्रशासन के अध्ययन के लिए एक आवश्यक प्रणाली माना जाता है। इस दृष्टिकोण से सांख्यिकी प्रणाली का धनिष्ठ संबंध है। बीट्रिस वैंस के अनुसार हम 'अवलोकन' और 'प्रयोग' द्वारा जो निष्कर्ष निकालते हैं सांख्यिकी तथ्यों द्वारा उनकी जाँच करना और फिर उनकी सीमा निर्धारित करना आवश्यक है³।

जुविनेल का कहना है कि तथ्यों मात्र से ज्ञान नहीं बनता, उन्हें सजोना पड़ता है और सजोने में उनकी विविधता में सामान्य सिद्धांत खोजने होते हैं। ये सिद्धांत हम तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता देते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हमें अपने सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। इस प्रकार, हम एक साधारण सिद्धांत से चलकर जटिलता से भरे हुए सिद्धांत पर पहुँचते हैं, और यह जटिल सिद्धांत तथ्यों को समझने और उनकी व्याख्या करने में ठीक-ठीक काम देते हैं। उसे इसका दुख है कि राजनीति विज्ञान में आदर्शत्मक सिद्धांत तो बहुत हैं किंतु तथ्यों पर आधारित और जाँचे हुए निर्धारित सिद्धांत बहुत कम हैं⁴। फिर भी, राजनीति के यथासंवादी ज्ञान के विकसित होने की अच्छी संभावना है⁵। वह स्वीकार करता है कि इस प्रकार के ज्ञान में भी कुछ दोष हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, राजनीतिक व्यवहार की अनिश्चित संभावनाएँ इसकी पकड़ में नहीं आती⁶। किंतु वाल्डो के अनुसार, इसमें एक बुनियादी कमी है। जिस मूल्य विहीन विज्ञान की यह कल्पना करता है, वह एक मृगतृष्णा है। वस्तुतः बिना 'मूल्यों' की धारणा के शोध-कार्य रूपहीन और खोखला हो जाता है। सब तो यह है कि विचारकों के कुछ न कुछ मूल्य होते हैं। अतः एक लेखक से केवल यही आशा की जा सकती है कि वह अपने मूल्यांकन के दृष्टिकोण को स्पष्टतः

1 *Contemporary Political Science*, पृष्ठ 306

2 वही, पृष्ठ 307.

3 Beatrice Webb, *My Apprenticeship*, लन्दन, 1926, पृष्ठ 340

4 उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 30-31.

5 हुबन कीथर रोडी के उपर्युक्त ग्रन्थ में, पृष्ठ 8

6 उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 101-106 और 111.

व्यक्त कर दे ।

नामन जैकोब्सन, जो कि ज्ञानवाद और भीतिवाद दोनों का विरोधी है, कहता है कि इन दोनों ही पक्षों में कट्टरपथी लोग हैं । उसके अनुसार, कुछ हद तक राजनीति सिद्धांत राजनीतिक प्रज्ञान की खोज में प्रयुक्त होने वाली तकनीक के प्रति सापरवाह होता है । किंतु उसमें सार्वजनिक हितों के प्रति जागरूकता अवश्य होनी चाहिए । ज्ञान की प्राप्ति बहुत कुछ जागरूकता और अतर्दृष्टि पर निर्भर होती है । इसके लिए महत्त्वपूर्ण विचारों को भेदमूलक बुद्धि की छलनी से निकालना होता है । वस्तुतः, विज्ञानवाद का अनुयायी भी मानवता को नहीं छोड़ सकता¹ ।

निष्कर्ष

हम विभिन्न प्रणालियों और दृष्टियों के गुणों और दोषों पर विचार कर चुके हैं । आज सबसे बड़ा विरोध राजनीति विज्ञान की परम्परागत प्रणालियों और दृष्टिकोणों को मानने वालों और आनुभविक वैज्ञानिकों में है । इस संघर्ष में कुछ अधिक न कहकर हम केवल मौगेंधों की इस उचित को दुहराना चाहते हैं कि समकालीन राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण, रीतिविधान और उद्देश्यों में एकरूपता नहीं है² ।



1 वही, पृष्ठ 117-124.

2 वही, पृष्ठ 68.

राजनीति-विज्ञान और संबंधित अध्ययन

समस्त राजनीति-विज्ञान का सबसे बड़ा गुण उसकी विनम्रता है। अन्य ज्ञानों से शिक्षा लेने की तत्परता और अन्य सहयोगी विज्ञानों के समुल्ल अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा न करना, राजनीति-विज्ञान की जीवनशक्ति और उसके उन्नत विकास का प्रमाण है।

—काल्टन बलीमर रोडी

एक नया संश्लेषणात्मक संबंध—उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक विज्ञानों को दर्शनशास्त्र से मुक्ति मिली और वे स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे। निरंतर वर्धमान तथ्यों से इसमें सहायता मिली। ओगुस्त कौम्ट का एक व्यापक सामाजिक विज्ञान बनाने का प्रयास विद्वानों को पसंद नहीं आया। उनके मतानुसार सामाजिक गतिविधियों और कार्यकलापों का क्षेत्र इतना व्यापक है और उनका स्वरूप इतना जटिल है कि कोई एक व्यक्ति अथवा ज्ञान इन समस्त बातों का विश्लेषण और व्याख्या नहीं कर सकता। अतएव अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया कि मानव समाज के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रतापूर्वक विचार करें¹। इस प्रकार, राजनीतिक कार्यकलाप और गतिविधियों का अध्ययन इतिहास और दर्शन के अध्ययन से पृथक् हो गया और स्वतंत्र रूप में राजनीति-विज्ञान का जन्म हुआ।

बीसवीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में सामाजिक विज्ञानों के विशिष्टीकरण से उत्पन्न दोष दृष्टिगत होने लगे। अनेक विचारक यह समझने लगे कि मनुष्य के सामाजिक कार्यों को विभक्त करके उपभोगितापूर्वक उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, मनुष्य के राजनीतिक विचारों और

1 द्वा० नेनीप्रमाद, उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 2.

व्यवहार को उसके जीवन की भौतिक दशाओं और उसके सामाजिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से एकदम पृथक् करके नहीं समझा जा सकता। अतएव, सामाजिक विज्ञान अपने क्षेत्र की व्याख्या करते समय अब सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हैं, यद्यपि उनके अध्ययन का केंद्रबिंदु विशिष्ट और सीमित रहता है। अतत, सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य समाज में रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन है। अतः राजनीति-विज्ञान जिन घटनाओं और हलचलों का अध्ययन करता है वे अन्य सामाजिक विज्ञानों के बाद-विषय से भिन्न नहीं होती। वस्तुतः वह उन्हीं को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखता है। यद्यपि इन सामाजिक विज्ञानों में प्रभेद बनाए रखने के कई लाभ हैं, तथापि धर्मः धर्मः ये विषय अब एक-दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। पुरानी संकीर्णताएँ समाप्त हो रही हैं और सश्लेषणात्मक अध्ययन और अनुसंधान की चर्चा ज़ोरों पर है।

अतः यह स्पष्ट है कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रक्षा करते हुए भी, राजनीति-विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों और विषयों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब यह विचार बल पकड़ता जा रहा है कि राजनीति-विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों की बृहत् परिधि का पूरा ध्यान रखते हुए ही होना चाहिए।

दूसरों से ग्रहण करने में तत्परता—राजनीति-विज्ञान का सबसे बड़ा गुण मानव-ज्ञान की अन्य शाखाओं के निष्कर्षों को ग्रहण करने की तत्परता है। इतिहास, दर्शन, नीतिशास्त्र और विधिशास्त्र सभी ने राजनीति-विज्ञान के विकास में योग दिया है। १९वीं शताब्दी के मध्य में जब डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उसका प्रभाव राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर भी पड़ा, और उनके विकास का अध्ययन भी विकासवाद को आधार मान कर किया जाने लगा। समाजशास्त्र के उदय के पश्चात् राजनीति-विशारदों ने शासन पर सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना शुरू कर दिया। राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology) एक ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है जिसके प्रकाश में राजनीतिक अध्ययन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर आर्थिक तत्त्वों, शक्तियों और प्रवृत्तियों पर समुचित ध्यान दिया जाने लगा है और इनसे उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं पर भी^१। राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले अन्य सामाजिक तत्त्वों का भी गंभीर अध्ययन किया जा रहा है। उधर सामाजिक मनोविज्ञान के विकास के फलस्वरूप राजनीति-विज्ञान में एक नये दृष्टिकोण का जन्म हुआ है जो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक

१ देखिए रोडी का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ ४.

दृष्टिकोण से करता है। सांख्यिकीशास्त्र ने हमें माप जोख के उपकरण और सव्यात्मक विश्लेषण की विधि सुझाई है। सामाजिक मानवशास्त्र (Social Anthropology) ने औपनिवेशिक प्रशासन की समस्याओं और उनके आचरणों को समझने में सहायता दी है। साथ ही, वह हमें जाति-भेद और रंग-भेद से उत्पन्न झगड़ों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की समस्याओं, नवविकसित देशों की समस्याओं और आप्रवास तथा उत्प्रवास के प्रश्नों को समझने और सुलझाने में सहायता देता है¹। भूगोल के अंतर्गत भू-राजनीति (Geopolitics) नामक राजनीति-विज्ञान की एक नई शाखा बन गई है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में अत्यंत सहायक होती है।

जो ज्ञान राजनीति-शास्त्र के अध्ययन में विशेष रूप से सहायक होते हैं उनमें अर्थशास्त्र, विधिशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र प्रमुख हैं। राबिनसन के अनुसार अन्य विषयों को हम ऐसे उपकरण मान सकते हैं जो हमारे विषय के विभिन्न पहलुओं को समझने में अत्यंत सहायक होते हैं। ऐसे विषयों में वह सांख्यिकी-शास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और अर्थ-विज्ञान को सम्मिलित करता है।

राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र—समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक नया विषय है। इसका जन्मदाता ओगुस्त कोम्ट था। कोम्ट इसे एक व्यापक सामाजिक विज्ञान बनाना चाहता था जिसमें उसे सफलता नहीं मिली और समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान बन कर रह गया है। डा० बेनीप्रसाद के मतानुसार, यह सामाजिक विकास और संगठन को अध्ययन करने वाला एक बुनियादी विज्ञान है जो समाज की उत्पत्ति और विकास, उसकी व्यवस्था और कार्यों का अध्ययन करता है²।

राजनीति-शास्त्र और समाजशास्त्र दो स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान हैं तथापि वे अन्योन्याश्रित हैं। उनके विभेद और अन्योन्याश्रिता संबंधी मुख्य बातें ये हैं: सर्वप्रथम, समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है। वह समाज का एक सामान्य और व्यापक विज्ञान है। 'राज्य' जो राजनीतिशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए केवल एक सामाजिक संयोजन-भंगन है। समाजशास्त्र के अध्ययन की सामग्री में समस्त सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उनके स्वरूप आ जाते हैं, और राज्य इसमें एक है³। इसके विपरीत राजनीतिशास्त्र समाज में

1 देखिए राबिनसन का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 59.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 3.

3 देखिए *Twentieth Century Political Thought*, 1948, में हैरी एमर बार्न्स का लेख जिसके सम्पादक जोसेफ एम० राउसैक हैं, पृष्ठ 37.

संगठन और शक्ति से संबंधित बातों का गंभीर अध्ययन करता है। दूसरे, समाजशास्त्र संगठित समाज और समाज के प्रारम्भिक रूपों का भी अध्ययन करता है जिनमें राजनीतिक और अराजनीतिक सभी पहलू सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष रूप में राजनीति विज्ञान का इस अध्ययन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन समाज की उत्पत्ति और विकास के संबंध में वह समाजशास्त्र द्वारा निकाले गए निष्कर्षों सहर्ष स्वीकार कर लेता है¹। इसी प्रकार, राजनीतिक शक्ति और सत्ता की उत्पत्ति के संबंध में भी वह समाजशास्त्र से तथ्य और विचार ग्रहण कर लेता है। दूसरी ओर, समाजशास्त्र भी राज्य के संगठन और कार्यों के संबंध में राजनीति-विज्ञान से तथ्य और विचार एकत्रित करता है। इस प्रकार, ये दोनों सामाजिक विज्ञान एक दूसरे को सहयोग देते हैं।

राजनीति विज्ञान और इतिहास—राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास का समुचित ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इतिहास बीती घटनाओं का एक रिकॉर्ड है। वह हमें बताता है कि 'जैसी भी स्थिति है' वह ऐसी कैसे हो गई। एक अर्थ में, इतिहास मनुष्य के कार्यों की एक गाथा है अथवा यह उसके प्रयत्नों, सफलताओं और असफलताओं की कथा है। इस दृष्टि से, इतिहास मानव अनुभवों का एक खजाना प्रतीत होता है। व्यापक अर्थ में, हम इसे मानव सभ्यता की कहानी कह सकते हैं।

राजनीति-विज्ञान का इतिहास से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि प्रो० सीसे ने कहा है, राजनीति-विज्ञान पर दिया जाने वाला भाषण वस्तुतः इतिहास पर एक भाषण होता है। उसके अनुसार, राजनीति-विज्ञान इतिहास से भिन्न नहीं, बरन् सलग्न है। सन् १८८५ ई० में, अपने विचार व्यक्त करते हुए उसने घोषणा की कि जो तथ्य अब तक इतिहासकारों की निर्विवाद सम्पत्ति बन रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे एक नया विज्ञान अपने में समावेश कर लेगा और यह विज्ञान 'राजनीति विज्ञान' होगा²। कहने की आवश्यकता नहीं कि सीसे की यह प्रत्याशा पूरी नहीं हुई और इस बात की कोई संभावना भी नहीं है कि इतिहास कभी पूर्णतः राजनीति-विज्ञान में विलीन हो जाएगा। फ्रीमैन ने भी एक बार घोषणा की थी कि 'इतिहास' बीती राजनीति है और 'राजनीति' वर्तमान

1 दखिए उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 37. गिडिंग्स के अनुसार, बिना समाज-शास्त्र के ज्ञान के किसी को राजनीति-विज्ञान पढ़ाना बेसा ही होगा जैसा किना न्यूमन के 'गति-सिद्धांत' जानने वाले व्यक्ति को एगोल-विज्ञान या उष्मागत विज्ञान की शिक्षा देना।

2 देखिए उसका उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 4, 12-13.

इतिहास है। निश्चय ही, फ्रीमन ने राजनीति विज्ञान के स्वरूप को समझने में भूल की। वस्तुतः समस्त इतिहास बीती राजनीति नहीं है; उसका एक बड़ा भाग राजनीति-विज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। जैसा कि लीवौक ने बताया, राजनीति विज्ञान का इतिहास के विशुद्ध वर्णनात्मक पहलू से कोई सबध नहीं है, केवल तथ्यों को सग्रह करने में इसकी कोई रुचि नहीं है, इतिहास के सैनिक, व्यापारिक या आर्थिक पहलू में भी इसकी विशेष रुचि नहीं है, राजनीति-विज्ञान के लिए इतिहास का महत्त्व केवल उसी सीमा तक है, जहाँ तक कि वह 'संगठित समाज में नियंत्रण' के विकास और राज्य के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार, अपने अध्ययन की सामग्री प्राप्त करने के लिए 'राजनीति विज्ञान' को इतिहास की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन इसके तथ्यों का सग्रह चयनात्मक होता है और उन तथ्यों को यह एक विशेष दृष्टिकोण से समन्वित करता है¹। अतएव, इतिहास का कुछ अंश ही राजनीति विज्ञान का भाग बन सकता है। दूसरी ओर, सम्पूर्ण राजनीति विज्ञान 'चालू इतिहास' नहीं है। उदाहरण के लिए, यद्यपि 'समाज के संगठन और शक्ति संबंधी राजनीतिक विकास' का अध्ययन इतिहास के प्रवाहों और दिशाओं को समझने में विशेष सहायता दे सकते हैं, तथापि वह उसका केवल एक अंश बनकर नहीं रह सकता। यह मानना होगा कि बीती घटनाओं के रिकॉर्ड के रूप में इतिहास का विशेष महत्त्व नहीं है और बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे राजनीति-विज्ञान भी सारहीन हो जाता है। तथापि, ये दोनों ज्ञान कभी एक रूप नहीं बन सकते हैं। इतिहास का अध्ययन प्रधानतः तथ्यिक्रम पर निर्भर होता है जबकि राजनीति का अध्ययन आपमनात्मक और परवर्ती होता है। इन दोनों का क्षेत्र भी भिन्न है। इतिहास अधिक व्यापक है और उसमें राजनीति तथा सविधानी विकास के अतिरिक्त और भी बातें सम्मिलित हैं। अपेक्षाकृत, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सीमित है, किन्तु इस सीमित क्षेत्र में वह गहराई के साथ अध्ययन करता है। 'राजनीति विज्ञान' का एक आदर्शक (normative) पहलू भी है। वह लोक कल्याण को दृष्टि से अपने लक्ष्य स्थिर करता है और उनकी पूर्ति के साधनों और उपायों पर भी विचार करता है। इतिहास से हमें इस प्रकार के लक्ष्य स्थिर करने में विशेष सहायता प्राप्त नहीं होती। वस्तुतः प्रत्येक पीढ़ी की अपनी भिन्न राजनीतिक समस्याएँ होती हैं जिनको सुलभाने में बीते युगों की घटनाएँ और अनुभव बहुत थोड़ी सीमा तक ही सहायक होते हैं। इस प्रकार, इतिहास के अध्ययन से जिन व्यावहारिक सबधानुमानों को हम ग्रहण कर पाते

¹ उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 7.

हैं वे बहुत अनिश्चित ढंग के होते हैं।

यद्यपि राजनीति-विज्ञान और इतिहास में भेद है, तथापि वे एक-दूसरे को सहयोग देने वाले और एक अर्थ में पूरक हैं। जैसा लीकोक ने कहा है, बिना इतिहास के राजनीति-विज्ञान का अस्तित्व ही न होता, क्योंकि राजनीति-विज्ञान को अपने भवन को निर्मित करने के लिए इतिहास ही सामग्री प्रदान करता है¹। राजनीतिक विचारों का इतिहास राजनीति-विज्ञान का एक अभिन्न अंग है; लेकिन प्राचीन युग के विचार उन्नीसवीं शताब्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मलीभाँति समझे जा सकते हैं। यदि राजनीति-विज्ञान का अध्ययन इतिहास की सहायता से नहीं किया जाएगा तो राजनीति की रूपरेखा एक उलझे हुए रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होगी। उदाहरण के लिए 'प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए प्राचीन यूनान की ऐतिहासिक अवस्था को समझना अवश्य आवश्यक है। यही बात अन्य कालों के लिए भी लागू होती है। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में भी उनके ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि बहुत काम आती है। रॉबिन्सन ने उचित ही कहा है कि किसी विदेशी संविधान का अध्ययन करने के लिए अथवा उसकी परराष्ट्रनीति समझने के लिए हमें उस देश के ऐतिहासिक विकास को भी जानना चाहिए जिसके प्रकाश में हम उसकी संस्थाओं अथवा नीति का उचित मूल्यांकन कर सकें²।

एक अर्थ में, राजनीति-विज्ञान के सिद्धांत इतिहास के तथ्यों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष मात्र हैं। माक्यावेन्नी वह प्रथम विचारक था जिसने पिछले अनुभवों का अध्ययन कर समकालीन नीति निर्धारित करने में प्रियात्मक सहयोग दिया। इसी प्रकार मोटेस्क्वी ने भी अपने मतों के समर्थन में ऐतिहासिक पूर्व-दृष्टांतों का उपयोग किया। जेम्स ब्राड्स लुलगात्मक इतिहास के एक ऐसे विद्वान् थे, जिन्होंने राजनीति-विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योग दिया। जैसा सार्ड एक्टन ने कहा है, इतिहास की धारा 'राजनीति के विज्ञान' को स्वर्णकणों के सहस्र जमा कर जाती है, और हम प्रस्तुत राजनीतिक स्थिति को मुब्यवस्थित करने में इसका उपयोग करते हैं। सम्भवतः इसी कारण विलोवी ने इतिहास को 'राजनीति विज्ञान का तृतीय परिमाण' (dimension) बताया है³।

यह आदान-प्रदान एकपक्षीय नहीं है। यदि इतिहास कुछ देता है तो वह

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 7-10.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 6.

3 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 57.

4 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 5.

ग्रहण भी करता है, और राजनीति-विज्ञान से ग्रहण किए बिना यह अपेक्षाकृत निर्धन हो जाएगा। राजनीति-विज्ञान से घटनाओं के विवेचन और व्याख्या के लिए इतिहास को एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। तथ्यों का स्वयं अपने में एक सीमित महत्त्व होता है; उनमें अतर्निहित सत्य का उद्घाटन करने के लिए राजनीति-विज्ञान की सहायता अपेक्षित है। लीकौक के अनुसार, एक अतर्निहित राजनीति-विज्ञान के अभाव में इतिहास का सारा महत्त्व नष्ट हो जाएगा¹। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्यों न सीले की यह बात मान लें कि 'बिना राजनीति-विज्ञान के इतिहास का अध्ययन अपूर्ण तथा खंडित है और, दूसरी ओर, बिना इतिहास के राजनीति-विज्ञान खोखला और निराधार है' — अथवा अन्य शब्दों में

‘बिना राजनीति-विज्ञान के इतिहास फलहीन है,

बिना इतिहास के राजनीति-विज्ञान मूलहीन है’²।

कजिस के अनुसार, उन्हें पृथक् कर दीजिए तो उनमें से एक यदि सब नहीं होगा तो अपग अवश्य हो जाएगा और दूसरा मृग-मारीचका बनकर रह जाएगा।

राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र—अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सम्पत्ति अथवा आर्थिक कल्याण से संबंधित मानव कार्य कलापो का अध्ययन करता है। राजनीति-विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक अर्थशास्त्र वस्तुतः पुराने ‘राज्य के लिए आय एकत्रित करने वाले ज्ञान’ से विकसित हुआ जिसे पहले ‘राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था’ (पोलिटिकल इकोनोमी) कहते थे। अब अर्थशास्त्र में बहुत उन्नति कर ली है और ‘राजवित्त’ अर्थशास्त्र का एक विभाग-भात्र रह गया है। तथापि इन दोनों सामाजिक-विज्ञानों का निकट संबंध है। डा० बेनीप्रसाद के अनुसार राजनीति-विज्ञान को अर्थशास्त्र से अलग करने से वह खंडित हो जायगा³। अप्रैल सन् 1952 ई० में, यूनेस्को के उत्त्वावधान में संयोजित कैम्ब्रिज राउंड टेबिल ने सिफारिश की कि राजनीति के किसी भी सुगठित पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र को अनिवार्य रूप से सम्बद्ध होना चाहिए⁴। दूसरी ओर, अर्थशास्त्र के शिक्षकों और चिंतकों ने भी अपनी यूनेस्को की रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया कि अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम से राजनीति के

1 उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 6.

2 उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 4.

3 उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 3.

4 राम्मन, उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 55.

सिद्धांतों और सस्याआ का अध्ययन अवश्य सम्मिलित होना चाहिए¹ ।

आधुनिक जटिल जीवन में राजनीतिक समस्याएँ, और कुछ राजनीतिक सिद्धांत भी, अर्थशास्त्र से इतने सम्बद्ध हो गए हैं कि राजनीति के विद्यार्थी का अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों से परिचय अनिवार्य हो गया है। कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक जीवन पर आर्थिक प्रक्रियाओं के प्रभाव का धर्मपूर्वक गवेषण किया। उसके पूर्ववर्ती अनुसंधानों में प्लेटो और अरस्तू फिजिओक्रेट्स और एडम स्मिथ के नाम उल्लेखनीय हैं। समावासीन राजनीतिशास्त्री आर्थिक जीवन के दो रूपा का अध्ययन कर सकते हैं (1) आर्थिक सगठन और उसके सम्भाव्य प्रभावों का अध्ययन, और (2) इस सगठन के अतर्निहित प्रयोजनों का अध्ययन। यदि आर्थिक प्रयोजन (motive) शक्तिशाली हो तो राजनीतिक सस्थाओं को उसकी प्रक्रियाओं का आदर करने व लिए विवश होना पड़ता है²। उदाहरण के लिए प्रदाय (supply) में व्यवधान पड़ जाने से सामाजिक जीवन को गहरी क्षति पहुँचती है। अतएव उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक से राज्य में उत्पादन के ढंग और अवस्था एवं उनमें उत्पन्न सबंधों के राजनीतिक प्रभावों के अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है। तभी से राज्य के उचित कार्यक्षेत्र का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। यह प्रश्न जितना आर्थिक है, उतना ही राजनीतिक। इसी प्रकार राज्य के उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित अनेक विचारधाराओं के महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू और प्रभाव हाते हैं।

जनता भी अब जाग्रत हो चुकी है, विशेषतः इस कारण कि लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रचलित रहने से समय समय पर सावजनिक चुनाव करने पड़ते हैं। नागरिक अब यह नहीं मानते कि वर्तमान सामाजिक आर्थिक ढाँचा ईश्वर-प्रणीत है। वे यह समझने लगे हैं कि इस व्यवस्था के प्रमुख दोष सम्पत्ति के विषम वितरण के कारण हैं, जिससे कुछ लोग धनी होते हैं और अधिकतर निर्धन। आज नागरिक यह आशा करते हैं कि शासन और राजनीतिक-प्रक्रियाएँ इन विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगी और अब इस व्यवस्था की अच्छाई अथवा बुराई का निर्णय भी इसी आधार पर किया जाता है कि इस कार्य में उसे कितनी सफलता मिली है आज जनता आर्थिक उन्नति एवं कल्याण के लिए लानाहित है³ और आर्थिक मामलों की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया

1 वही

2 देखिए Herman Finer, *The Theory and Practice of Modern Governments*, लन्दन, 1932, पृष्ठ 35 और 37

3 वही, पृष्ठ 34

जाने सगा है। अतः राजनीति विज्ञान में आर्थिक समानता, न्यूनतम आय, अवसर की समानता, औद्योगिक लोकतंत्र, वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व, उत्पादन और वितरण के साधनों और उपकरणों का राष्ट्रीयकरण, प्रचुरता और समृद्धि के हेतु लोकतंत्रीय आयोजन, प्रवर्धन श्रमिकों का योग, विटले काउंसिल्स, औद्योगिक न्यायाधिकरण (tribunal) आदि की विशेष चर्चा होने लगी है। आज का विवेकशील नागरिक राजनीतिक सस्थाओं और उनकी प्रतिभ्याओं का मूल्यांकन इस दृष्टि का करता है कि उसने भौतिक कल्याण में वे वहाँ तक योग देती हैं। 'कल्याणकारी राज्य' की संकल्पना जनता की बढ़ती हुई प्रत्याशाओं का प्रतीक है, यद्यपि केवल बहुत बड़े राज्य लोक-कल्याण की ओर अग्रसर हो सके हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक संगठन राजनीतिक कार्यकलाप और सस्थाओं को बहुत प्रभावित करते हैं, और नागरिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। राज्य भी कानून और राज्यादेशों द्वारा आर्थिक जीवन को नियंत्रित करता है। वर्ग-हिता का ध्यान रखा जाता है और सामाजिक हित के नाम पर इनमें समन्वय स्थापित करने की चप्टा की जाती है। विभिन्न आर्थिक समूहों के हितों में पारस्परिक विरोध के कारण राजनीतिक तनाव पैदा हो जाते हैं और राज्य इन्हें कम करने का भरसक प्रयत्न करता है। समाज के वर्तमान आर्थिक संगठन के सुनियमादी ढाँचे ने अतर्गत ही प्रायः यह ऐसा करता है। एक विवेकशील और संवेदनशील कार्यकर्ता अथवा बुद्धिजीवी के मन में सामाजिक अन्याय के प्रति विद्रोह की भावना का होना स्वाभाविक है। वह देखता है कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और उसके गुणों की कोई कमी नहीं करता। वह जानता है कि उसके बच्चों में चाहे असाधारण योग्यता भले ही हो, साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पत्रिक अधिकार के दावे से बिना विशेष परिश्रम अथवा यत्न किए ऊँचे चढ़ते चले जाएँगे जबकि उसके बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे। कोई आश्चर्य नहीं यदि यह देखकर उसमें प्रातिकारी प्रवृत्तियाँ पैदा हों। यदि अन्य बातों ने उसमें पहले से ही समाजवादी आदर्शों के प्रति झुकाव पैदा न भी किया हो तो भी यह अन्याय देखकर उसके मन में कामना होगी कि जैसे भी हो इन व्यवस्था से छुटकारा पाया जाए, और वह किसी ऐसे दल का अनुयायी बनने के लिए उद्यत हो जाएगा जो उसे विश्वास दिला दे कि उसका जीवन बहुत शीघ्र सम्पन्न और सुखमय बन सकेगा। इसमें अनिश्चयता, जब श्रमिक अपनी निर्बल दशा की अपने मालिक की शक्ति के साथ तुलना करता है और सोचता है कि उसके मालिक को यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई और उसकी शक्ति का वास्तविक आधार क्या है तो उसके मन में सामाजिक

व्यवस्था के प्रति विद्रोह ममक उठता है¹। वह एक ऐसा सभारवनाना चाहता है जिसमें उन्नति केवल गुणों पर अवलम्बित हो और सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलें। इसी प्रकार की भावनाएँ और विचार वर्ग-सघर्ष के इतिहास में भी अतिरहित हैं। वस्तुतः शिक्षा और सस्कृति पर भी आर्थिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया होती है।

कानून पर आधारित आधुनिक अर्थव्यवस्था लोगों में असतोष को जन्म देती है और इसका प्रदर्शन हड़ताल आदि रूपों में होता है। इस सामाजिक विचार-भेद को प्रवृत्त करने अथवा उन पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक सस्थाएँ बनाई जाती हैं जो वर्तमान सम्पत्ति, उत्तराधिकार के कानूनों और कर-व्यवस्था का समर्थन और उनकी रक्षा करती हैं। अब राज्य उद्योग और आर्थिक वितरण की व्यवस्था पर काफ़ी नियंत्रण करने लगा है, और राजनीतिक विज्ञान का सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्न भी आज यही है कि आर्थिक मामलों में राज्य का किस रूप में और कितना नियंत्रण हो² ?

राजनीति विज्ञान में आर्थिक प्रश्नों और समस्याओं का स्थान अब स्पष्ट हो गया होगा। विलियम ऐस्लिगर का सुभाव है कि पाठ्य-क्रमों और विचार-गोष्ठियों के द्वारा अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में समाकलन (integration) होना चाहिए³।

राजनीति विज्ञान और नीतिशास्त्र—नीतिशास्त्र (Ethics) का समग्र मानव आचरण से है और यह हमें 'उचित' तथा 'अनुचित' का बोध कराता है। यह हमें बताता है कि हम कब 'उचित' कार्य करने चाहिए और कब 'अनुचित' कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार, यह हमें उचित आचरण की शिक्षा देता है। इसका सबंध नैतिकता से है जो अंतःकरण से संबन्धित है। एक प्रकार से, ये बातें धर्म के क्षेत्र से भी संबन्ध रखती हैं। किन्तु मनुष्य अनेकानेक धर्मों अथवा पयों के अनुयायी हैं, और देखा गया है कि बहुधा एक ही मत के अनुयायियों में भी नैतिकता के प्रश्न पर मतभेद हो जाते हैं। अतएव धर्म का स्थान नीतिशास्त्र में लीया है और अब वही नैतिकता के आधारों की व्याख्या करता है⁴।

राजनीति-विज्ञान और नीतिशास्त्र में घनिष्ठ संबन्ध है। इस बात का

1 वही, पृष्ठ 42-43

2 वही, पृष्ठ 43 और 46.

3 उपर्युक्त पद, पृष्ठ 99.

4 देखिए Herbert Samuel, *Practical Ethics*, सन् 1935, पृष्ठ 7-9.

स्पष्टीकरण कानून और नैतिकता के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने से हो जाता है। यह दोनों ही प्रारम्भिक सामाजिक जीवन में प्रथाओं के रूप में विकसित हुए। सभ्यता के विकास के साथ उत्पन्न व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के संघर्ष के कारण, व्यक्तिगत नैतिकता (अर्थात् अंतरात्मा) ने प्रथाओं का स्थान ग्रहण कर लिया, तथा दूसरी ओर सार्वजनिक नैतिकता के नियम (अर्थात् कानून) बने¹। तथापि दोनों के संघर्ष अभी भी अत्यंत घनिष्ठ हैं। जब नैतिक विचार व्यापक रूप से प्रसारित हो जाते हैं तो समय पाकर वे ही कानून में परिणत हो जाते हैं, इसके विपरीत जो कानून समाज से मान्यता मिले बिना नैतिक सिद्धांतों को लागू करने की चेष्टा करते हैं, उनको जनता द्वारा मनवाना एक विकट समस्या बन जाती है। यही नहीं, नैतिकता और कानून दोनों में से कोई अचर-अटल नहीं है। नैतिक संहिता परिवर्तित होती रहती है, और बदलते हुए विचारों, नई खोजों और पर्यावरण (environment) में परिवर्तनों के अनुरूप अपने को ढालने का प्रयत्न करती है²। अपने सदस्यों को उचित आचरण करने की प्रेरणा देने के लिए समाज के पास जो साधन उपलब्ध हैं, उनमें लोकमत³ भी एक है, जो राजनीतिशास्त्रियों के लिए विशेष महत्त्व रखता है। राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के नैतिक पहलू का एक अन्य उदाहरण प्राकृत कानून अथवा प्राकृतिक नियम (Laws of Nature) हैं जिनकी चर्चा पाश्चात्य राजनीति दर्शन में लगभग दो सहस्र वर्षों से चल रही है और जिनकी कसौटी पर राज्य के निश्चयात्मक कानूनों का मूल्यांकन किया जाता रहा है। 17 वीं शताब्दी में 'सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि' का उदय भी इस कारण हुआ कि विचारक युद्ध काल में अनावश्यक निंद्यता और बर्बरता को सीमित करने के लिए साधनों की खोज में थे। नीति शास्त्र के प्रभाव से मानवतावाद का विकास हुआ जो 18 वीं शताब्दी में अपनी चरमसीमा पर पहुँचा। इसी भावना से प्रभावित होकर मोटेस्वु ने लिखा, 'यदि कोई ऐसा कार्य हो जो मेरे देश के लिए हितकर हो किंतु यूरोप के लिए हानिकारक, अथवा यूरोप के लिए तो लाभदायक हो किंतु मानव-जाति को हानि पहुँचाने वाला हो, तो मैं ऐसे कार्य को अपराध समझूँगा'⁴। बाद में राष्ट्रवाद की प्रबल धारा ने इस प्रकार की मानवतावादी भावनाओं को कुठित कर दिया, और राष्ट्रीय समूहों में पृथक्ता और सकीर्णता

1 देखिए गैटिल का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 6.

2 देखिए सैमुअल का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 132-133

3 यही, पृष्ठ 153.

4 Bernard Croce, *My Philosophy*, 1949, पृष्ठ 154 से उद्धृत।

के भाव बढ़ने लगे (उदाहरणार्थ, "उचित हो या अनुचित, मेरा प्यारा देश" जैसे विचार)। हमारे युग के अल्पव्यय विचारों का एक कारण यह भी है कि उप राष्ट्रवाद और मानवतावाद में सघर्ष रहता है¹। यद्यपि हमारे राजनीतिज्ञ सार्वजनिक रूप से राजनीति में नैतिकता अपनाने का परामर्श देते हैं, किंतु व्यवहार में वे ठीक इसके विपरीत आचरण करते हैं। संभवतः वे नैतिकता के आदर्शों और नियमों का पालन करना तो चाहते हैं किंतु ऐसा नहीं कर पाते। नैतिकता और राज्य के प्रति अनुरक्ति में सघर्ष इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि अनेक लोग राज्य को अन्य सभी हितों और मूल्यों से ऊपर मानने लगे हैं²।

प्राचीन और मध्यकालीन यूरोप में राजनीतिक विचारक नीति-शास्त्र को राजनीति के अध्ययन के लिए एक आवश्यक भूमिका मानते थे। प्लेटो के अनुसार 'राजनीति' नीति शास्त्र की एक अंग थी। अरस्तू के कथनानुसार, जो राजनीति को एक सर्वोत्तम एवं सर्वोपरि विज्ञान मानता था, राज्य का उद्देश्य 'उत्तम जीवन की प्राप्ति' है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म और धर्म-दर्शन राजनीति के अध्ययन पर हावी रहे। आधुनिक युग में भी रूसों से लेकर कान्ट और हेगल के साथ राजनीति सिद्धांत में एक आदर्शवादी विचारधारा का जन्म हुआ जिसने ऑक्सफोर्ड में ग्रीन, ब्रैंडले और बोसाके प्रमुख प्रतिपादक थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदैव इस बात पर बल देते रहे कि हमारे साधन और साध्य दोनों ही नैतिक होने चाहिए। ऐंस्लिंगर के अनुसार, हमारे प्रयोजन की अच्छाई और ध्येय प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा भी किसी अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकते। हमारे उद्देश्य चाहे जो भी हो, हमें नैतिकता के प्राथमिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन मानव सहकारिता के लिए नितांत आवश्यक है, और सहकारिता के बिना विकास के त्रम में मनुष्य जीवन की रक्षा भी असम्भव हो जाएगी³। अतः मानव सम्यता की ज्योति को जगाये रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम नैतिकता के साधारण नियमों का पालन करें।

कुछ ऐसे विचारक और लेखक हैं जो नीति-शास्त्र और दर्शनशास्त्र को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आने देना चाहते। इस प्रकार के विचार भारत में कौटिल्य ने और यूरोप में माक्यावेली ने प्रकट किए हैं। इन दोनों के अनुसार राजनीतिक शक्ति ही राजनीति अध्ययन का केंद्रबिंदु है। माक्यावेली का कहना था कि शक्ति और छल-कपट राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण

1 देखिए ऐंस्लिंगर का उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 63.

2 वही, पृष्ठ 64

3 वही, पृष्ठ 66

स्थान रखते हैं। उसके अनुसार व्यक्तिगत नैतिकता को बातें राज्य की गति-विधियों पर लागू नहीं की जा सकती। किसी शासक का सबसे बड़ा गुण 'सत्ता' बनाए रखने में सफलता है, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े¹। 19वीं शताब्दी के कुछ विद्वानों ने 'शक्ति' को ही राज्य का आधार माना है। फाइनर के अनुसार कोई भी राज्य, चाहे उससे शासक सत ही क्यों न हो, बिना रक्त-पात के स्थापित और संचालित नहीं होता, और न कोई राज्य बल-प्रयोग के बिना उलटा ही गया है। सम्भवतः इसी सत्य को समझकर बर्क ने यह आग्रह किया कि हम शासन के आधारों के संघर्ष में अनुसंधान न करें²। पिछले दिनों, लासवेल और जुविनल जैसे लेखकों ने मांग की है कि एक मूल्यविहीन 'राजनीति का विज्ञान' बनाया जाए। सभी समझदार व्यक्ति यह जानते हैं कि सामान्यतः दलबन्दी में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता। सम्भवतः यही कारण है कि कुछ लोग 'राजनीति' शब्द को उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

राजनीति में 'शक्ति' के महत्त्व को स्वीकार करने के उपरान्त भी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रश्न का हल रह जाता है। एक लोकतंत्रीय शासन के अतर्गत शक्ति के उपयोग की व्याख्या जनसमुदाय के सामान्य हितों के रूप में करनी पड़ती है। लोकमत का समुचित आदर किया जाता है, अथवा उसे प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों के प्रश्न को पृथक् नहीं किया जा सकता। अपने आदर्शात्मक पक्ष में, राजनीति-विज्ञान, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र और धर्म दर्शन से प्रेरणा लेता रहा है। कैटलिन के मतानुसार, राजनीतिज्ञों को नीति शास्त्र से यह सीखना चाहिए कि क्या कार्य उचित हैं, और राजनीति विज्ञान से यह सीखना चाहिए कि अनेकों मार्गों में से कौन-सा मार्ग ग्रहण करना सम्भव है? बिना नीतिशास्त्र के राजनीति-विज्ञान का अध्ययन बालू पर दीवार खड़ी करने की चेष्टा होगी। आइवर ब्राउन के मतानुसार, इन दोनों विषयों का भेद मौलिक नहीं है। उसके शब्दों में, नैतिक सिद्धांत बिना राजनीतिक सिद्धांत के अपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और वह पूर्णतः एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। बिना नैतिक सिद्धांतों के राजनीति-सिद्धांत अर्थहीन है क्योंकि इसका अध्ययन और परिणाम बुनियादी रूप में हमारे नैतिक मूल्यों और हमारी 'उचित' और 'अनुचित' की धारणाओं पर आधारित है³।

1 देखिए Niccolo Machiavelli, *The Prince*, लन्दन, 1952, पृष्ठ 68, 73, 77, 79 (रिकी का रूपान्तर और किंसेट का सम्पादन)।

2 फाइनर का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 29.

3 देखिए Ivor Brown, *English Political Theory*, लन्दन, 1929, पृष्ठ 2.

सच्ची नैतिकता दूसरों को उपदेश देने में नहीं होती। इसका सबब अपने कार्यों से अधिक है और दूसरों से कम। इतिहास साक्षी है कि लोकमत को भ्रम में डालकर अनेक बार व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और राष्ट्रों को अपराधी घोषित कर दिया गया है जिसके कारण अविश्वास, घृणा और कभी-कभी युद्ध तक की नीबट आ गई है। जटिल मामलों में वैज्ञानिक ढंग से सोच सकने की क्षमता न होने के कारण ही प्रायः ऐसा होता है, लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए हमारी वृत्ति तटस्थ होनी चाहिए। ऐस्तिगर के अनुसार इसके लिए नैतिक चेष्टा अपेक्षित है और यदि किसी व्यक्ति का यह मत है कि व्यावहारिक राजनीति अनैतिक होनी है तो उसके लिए इस प्रकार के नैतिक प्रयास और भी अधिक कठिन होते हैं¹।

राजनीति विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान—कंटलिन के मतानुसार राजनीति विज्ञान के साथ मनोविज्ञान का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक आचरण का विज्ञान है। यद्यपि यह विषय अभी नया है तथापि इसने सामाजिक विज्ञानों के विकास पर विशेष प्रभाव डाला है। सामान्यतः अब यह माना जाने लगा है कि सामाजिक न्याय-बलाप के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक आधार नितांत आवश्यक है, मानव-स्वभाव संबंधी मनोवैज्ञानिक तथ्यों के सबब में हमें पूर्वानुभावों से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा अथवा प्रयोगात्मक विधि से उनकी खोज करनी चाहिए। ऐसा करने से अध्ययन यथार्थवत् और फलदायक बन जायगा। सामाजिक अनुसंधाताओं ने अब इस विचार को मान लिया है, और मानवीय कार्यों की जटिल पहलियों को सुलभाने के लिए वे अब मनो-वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते लगे हैं²। जब से बेंजट ने फिजिक्स और पोलिटिक्स (न्यूयार्क, 1873 ई०) नामक पुस्तक लिखी, राजनीति शास्त्री अध्ययन के मनो-वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अधिकाधिक प्रयोग करते रहे हैं। ग्रैहम बैलास की 'ह्यूमन नेचर इन पोलिटिक्स' (तृतीय संस्करण, 1921 ई०) और रिक्स की 'साइकोलोजी एण्ड पोलिटिक्स' (लन्दन, 1923 ई०) इस दिशा में प्रगतिशील प्रयास हैं। इस प्रकार, अब सामाजिक मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिशास्त्रियों के पारस्परिक सहयोग के द्वार खुल गए हैं³।

इन दोनों विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों के विषय में ग्रैहम बैलास ने सर्वोत्तम

1 देखिए ऐस्तिगर का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 68-69 तथा 62

2 Ernest Barker, *Political Thought in England*, पृष्ठ 148.

3 देखिए टालकाट पार्सन्स, ई० ए० शिस्स और एडवर्ड सी० टालमैन रचित *Towards a General Theory of Action*, 1951.

पथ प्रदर्शन किया। लार्ड ब्राइस ने भी कहा कि राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान पर आधारित हैं¹, किंतु अनेक कारणों से वह स्वयं इस ओर अधिक ध्यान न दे सका। समकालीन लेखकों में हैरोल्ड लासवेल और जॉर्ज वैंटलिन ने एक समाकलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया²। लोकतंत्र के प्रसार और लोकमत के महत्त्व के बढ़ जाने से प्रचार-कार्य की आवश्यकता भी बहुत बढ़ गई है और उसे अब मनोविज्ञान पर आधारित किया जाने लगा है। अतएव राजनीतिशास्त्री अब सामाजिक-मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की सहायता से राजनीतिक गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र के अनुसंधान में लगे हुए हैं।

सामाजिक-मनोविज्ञान ने राजनीति विज्ञान को महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रदान किए हैं। इसने राजनीतिशास्त्रियों को राजनीतिक आचरण का आनुभविक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही इसने राजनीतिक विचारकों को इस तथ्य से अवगत करा दिया है कि मनुष्य के अचेतन मन का अध्ययन अति आवश्यक है और उसका अध्ययन करने से हमें ऐसे अविवेकी तत्वों का ज्ञान होगा जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि मनुष्य में विवेक होता है, तथापि बहुत बार वह बिना सोचे-समझे कार्य कर बैठता है। इस अध्ययन से कुछ हानि भी हुई है। मनुष्यों के पूर्वाग्रहों (prejudices) और अज्ञान से लाभ उठाने के लिए, मनोविज्ञान की सहायता लेकर, प्रचार की कला का भरपूर उपयोग किया गया। इससे मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाओं के समझने में विशेष सहायता मिली है। जिन लोगों ने विश्व-युद्ध के समय जनता का मनोबल बनाए रखने का कार्य अपने हाथों में लिया, उन्होंने निश्चय ही मानव व्यवहार के उद्देश्यों का अच्छा अध्ययन किया होगा³। किंतु इस अध्ययन से अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि साक्ष्य और तर्क पर आधारित मनोस्थिति और भावावेग पर आधारित मनोदशा के बीच की विभाजक रेखा अत्यंत बारीक और अस्पष्ट है।

सामाजिक-मनोविज्ञान की सहायता से राजनीतिक अनुसंधान के लिए अब यह संभव हो गया है कि वह लोकमत और मतदाताओं के आचरण के संबंध में शोध कर सके। वह सर्वेक्षण और विश्लेषण के आधार पर आगामी चुनाव के संबंध में पूर्वानुमान लगा सकता है। वह इस बात का भी अनुमान लगा सकता है कि किसी प्रायोजित कानून की प्रतिक्रिया जनता पर क्या होगी। इसने हमें सिखाया कि किसी नई नीति को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि

1 उनकी साइडने डेमोक्रेसीज, पृष्ठ 17

2 देखिए *A Study of the Principles of Politics*, पृष्ठ 42-43.

3 देखिए फ्रांसिस ग्रेडम विन्सन का उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 36.

उमकी जनसाधारण में पहले से चर्चा हो जिससे नागरिक उसके गुण-दोषों का विवेचन कर सकें।

इस अध्ययन से हमें लोकतन्त्रीय प्रक्रियाओं के स्तरों से सावधान रहने की चेतावनी भी मिली है। ये खतरे इसलिए उत्पन्न होते हैं कि नागरिक अशिक्षित, अज्ञानी और अविवेकी हैं। ऐसी दशा में वह सरलता से अधविश्वासों, भावनाओं और अन्य अविवेकी प्रभावों में आकर बह जाते हैं। साथ ही, इससे पता चला कि किस प्रकार लगातार प्रचार द्वारा मानव भावनाओं को उकसाकर उनकी दुर्बलताओं से लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही इस अध्ययन से हमें यह भी ज्ञात हुआ कि इन मानवीय भावनाओं को किस प्रकार क्रियात्मक मोड़ दिया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि मानवीय भावनाएँ एक दुधारी तलवार के समान हैं और उन्हें रचनात्मक तथा ध्वसात्मक दोनों ही उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। राजनीतिशास्त्री सामाजिक-मनोवैज्ञानिकों के प्रति वृत्त हैं कि उन्होंने मानस को समझने के लिए उन्हें एक अदृष्टि दी और मनुष्य के सामाजिक आचरणों को समझने की एक कुंजी। सामाजिक-मनोवैज्ञानिकों के इस योगदान के पश्चात् राजनीति-विज्ञान से यह आशा की जा सकती है कि अब वह अधिक भयार्थक और वस्तुनिष्ठ बन जाएगा।

सामाजिक-मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमियों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। मारिस जिसवर्ग ने चेतावनी दी है कि वही हम यह न समझ बैठें कि अब हमारे सम्मुख एक ऐसा विज्ञान प्रस्तुत है जो हमें मानव-चरित्र और उनके आचरणों के विषय में निश्चयात्मक बातें बता सकेगा और यह भी कह सकेगा कि मानव प्रयास के द्वारा क्या संभव नहीं है। उसके अनुसार, सच तो यह है कि यह विज्ञान अभी भी अपनी वात्स्यावस्था में है और इसका अध्ययन अनुभवों पर आधारित सामान्यीकरणों की सीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाया¹। राब्सन के मतानुसार, सामाजिक-मनोविज्ञान हमें ऐसी दृढ़ भूमि प्रदान नहीं करता जिसके यथातथ और व्यवस्थित ज्ञान पर हम राजनीति के सिद्धांत स्थापित कर सकें अथवा लोकमत के सबंध में निश्चयात्मक विचार प्रकट कर सकें। यह सच है कि फ्रायड और उसके उत्तराधिकारियों जग और उसके शिष्यों के महान् उद्यम ने मनुष्य के मन को समझने में महत्वपूर्ण योग दिया है; मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने व्यक्तियों की मनोविकार-उपचर्या में त्रानिकारी उन्नति की है—किन्तु इन सबके बाद भी राजनीति विज्ञान को काम आने योग्य निष्कर्ष

1 देखिए Morris Ginsberg, *The Psychology of Society*, आठवीं संस्करण, लन्दन, 1951, पृष्ठ 8.

प्राप्त नहीं हुए¹। अतएव राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ने में विशेष सहायता नहीं मिली। अर्नेस्ट बार्कर के मतानुसार, सामाजिक मनोविज्ञान पहले तो हमें भौतिकवाद की ओर ले जाकर 'निम्नतर' की सहायता से 'उच्चतर' की व्याख्या कराता है और फिर अबुद्धिवाद की ओर ले जाता है जिससे हम समाज को 'अनुकरण' का परिणाम-मात्र और उसके नागरिकों को मनमाने सुझावों द्वारा सम्मोहित व्यक्ति समझने लगते हैं²। जिसवर्ग के अनुसार, यह 'आनुभविक' का 'बौद्धिक' से एक भ्रमोत्पादक पृथक्करण है जिसके आधार पर सामाजिक जीवन में 'बुद्धि' अथवा 'विचार' की महत्ता के विरुद्ध युक्तियाँ दी जाने लगी हैं³। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान को सामाजिक-मनोविज्ञान के निष्कर्ष ग्रहण करने में बहुत सौच विचार से काम लेना चाहिए। कंटलिन के अनुसार उसको केवल ऐसे निष्कर्ष ग्रहण करने चाहिए जो उसके क्षेत्र पर प्रकाश डालने में विशेष रूप से सहायक हों⁴।

राजनीति विज्ञान और विधिशास्त्र—सार्वजनिक विधि (Public Law) का ज्ञान राजनीति-शास्त्रियों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। किसी देश के संविधान (Constitution) को उसकी 'संविधानी विधि' की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। लोक प्रशासन में भी 'प्रशासनिक कानून' का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' का अध्ययन आवश्यक है। विधि की इन शाखाओं के अतिरिक्त, राजनीतिशास्त्रियों को शासन के अंग के रूप में न्याय व्यवस्था का भी अध्ययन करना पड़ता है। अतएव कुछ लेखकों और विश्वविद्यालयों का यह मत है कि राजनीति-विज्ञान के अंतर्गत 'विधिशास्त्र' (Jurisprudence) का अध्ययन भी होना चाहिए⁵। ऐस्तिगर के अनुसार राजनीति-विज्ञान और विधिशास्त्र का संबंध बहुत घनिष्ठ है। वस्तुतः आधुनिक समय में, कानून और शासन अपृथक् हो गए हैं और सभी समस्याओं के प्रायः कानूनी और राजनीतिक दोनों पहलू होते हैं। विधिशास्त्र की उपयोगिता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि यदि राजनीतिशास्त्रियों ने हान्स कैलसन आदि विधिशास्त्रियों के प्रमुत्तता संबंधी विचारों का अध्ययन किया होता तो सम्भवतः वे इस संबंध में अचलित अनेक भ्रमों से बच गए

1 देखिए उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 20

2 देखिए बार्कर का उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 150-51. यहाँ बार्कर मनुष्य जीवन की पशु-पक्षियों के मनुष्य मानकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रहा है।

3 देखिए, उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 16

4 देखिए उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 31

5 राम्मन, उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 55.

होते¹। यही नहीं, कानून की उत्पत्ति और उसके स्रोत, प्रभुसत्ता की संरचना, नागरिकों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिनका राजनीति विज्ञान और विधिशास्त्र दोनों से ही समान संबंध है। किंतु, राब्सन इस पक्ष में नहीं है कि राजनीति विज्ञान में कानूनी अध्ययन का क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया जाए। उसके अनुसार राजनीति-विज्ञान में हमें कानून-संबंधी केवल उन्हीं बातों का अध्ययन करना चाहिए जिनसे हमारा सीधा संबंध है²। संप्रमल के मतानुसार, यद्यपि राजनीति विज्ञान में कानून का काफी अंश है तथापि इसका अध्यापन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो राजनीति-विज्ञान की भावना और दृष्टिकोण से भन्नीर्भाति परिचित हों। उनके अनुसार यह बहुत-कुछ अध्यापक की अभिवृत्ति पर निर्भर है कि राजनीति-विज्ञान में कितना कानून सम्मिलित किया जाए।

राजनीति विज्ञान और सामाजिक मानव-विज्ञान—जुद्ध समय पूर्व सामाजिक मानव-विज्ञान को प्राथमिक समाजों से संबंधित एक ज्ञान माना जाता था, किंतु अब यह सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करने लगा है। ध्यावहारिक रूप में इस विषय का ज्ञान औपनिवेशिक शासन की समस्याओं, रंग भेद और जाति-भेद के प्रश्नों, आप्रवास और उत्प्रवास की उलझनों, तथा नवविकसित देशों की विकास-संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष रूप से सहायक होता है³।

राजनीति-विज्ञान और सांख्यिकीशास्त्र—सामाजिक विज्ञान दिन पर दिन अपनी अध्ययन-विधि में सांख्यिकीमूलक होते जा रहे हैं। यद्यपि राजनीति-विज्ञान में अभी तक सांख्यिकीमूलक दृष्टिकोण का कम उपयोग हुआ है, तथापि इसमें वृद्धि होने की संभावना और आशा है। राब्सन के मतानुसार लोक प्रशासन का व्यवहार काफ़ी सीमा तक सांख्यिकी मूचना और उन पर आधारित पूर्वानुमानों पर निर्भर है। अतएव उच्च पदाधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे सांख्यिकी विधि को समझें और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करें। अतएव राजनीतिशास्त्रियों के लिए भी सांख्यिकी सिद्धांतों की समझना और प्रतिचयन विधि (sampling method) के उपयोग का ज्ञान आवश्यक हो गया है।

राजनीति विज्ञान और भूगोल—भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। करस्टू, बोर्दा,

1 देखिए रेस्लिंगर का उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 92.

2 देखिए उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 55.

3 वही, पृष्ठ 59.

मोटस्वु और बकिल ने इस पहलू पर अपने विचार उपस्थित किए। यह एक आश्चर्य की बात है कि इनमें से प्रत्येक अपने देश के गुणों को बड़ा-चड़ा कर बताना करता है। इससे स्वभावतः इस विज्ञान के सामान्यीकरणों की वैज्ञानिकता में संदेह होता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि भौतिक वातावरण जनता के चरित्र, उनकी समस्याओं आदि पर प्रभाव डालता है तो भी यह नहीं माना जा सकता कि यह प्रभाव निर्णयात्मक है। मानव सम्यता के विकास के साथ-साथ, दिन पर दिन मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करता जा रहा है और उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता पा गया है।

भूगोल के अंतर्गत 'भूराजनीति' नाम का एक नया विज्ञान बना है जो भौगोलिक तत्वों के राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन करता है, विशेषतः उन प्रभावों का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और परराष्ट्र नीति पर पड़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है और प्राकृतिक सीमाएँ जैसे प्रश्न, जिनका सैनिक समस्याओं से निकट संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष महत्त्व रखते हैं।

राजनीति विकास के स्तर का प्रभाव—राजनीति-विज्ञान का क्षेत्र और उसके अध्यापन पर किसी न किसी रूप में राजनीतिक विकास के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक रूप से अविकसित राष्ट्र में राजनीति विज्ञान की स्नातकोत्तर शिक्षा का स्तर भी पिछड़ा हुआ होगा। विश्वविद्यालय के प्रागण से बाहर, राजनीतिक साहित्य के सृजन के अभाव में इस विषय का शिक्षण भी शुष्क और सकीर्ण बन कर रह जाएगा¹।



राज्य तथा नागरिक

मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है , और सर्वत्र वह बधनो मे जकडा है । व्यक्ति समझता है कि वह दूसरो का स्वामी है, किंतु वस्तुतः यह दूसरो से भी अधिक गुलाम होता है । यह परिवर्तन कैसे हुआ ? मैं नहीं जानता । यह वैध कैसे बन सकता है ? इस प्रश्न का समाधान मैं कर सकता हूँ ।

—जा जाक्स रूसो

प्रारम्भिक परिभाषाएँ और प्रभेद

राजनीतिक सभ्यार्थ और शासन केवल राज्य के अंतर्गत ही नहीं होते। ऐसा विचार राज्य के स्वरूप का एक विशिष्ट अर्थ दे देता है। अपने में तो यह गलत है ही, साथ ही यह एक अन्य भूल को भी जन्म देता है कि राज्य की प्रियाओं का रहस्य समझने के लिए बवल उसी का अवलोकन पर्याप्त है। राजनीतिशास्त्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण सत्य है कि राज्य में मनुष्यों आदि के व्यवहार राज्य से बाहर व्यक्तियों और समाजों के व्यवहार से न अधिः श्रेष्ठ होते हैं और न बुरे, न अधिक सरल होते हैं और न जटिल।

—हर्मेन फाइनर

हम राजनीति-विज्ञान के अनेक बुनियादी शब्दों जैसे राज्य, शासन, समाज आदि को बिना उनकी परिभाषा दिए प्रयोग करते आए हैं। अब हम इन शब्दों और उनके समरूप अन्य शब्दों, जैसे समुदाय (association), जन-समुदाय (Community), नेशनलिटी (nationality) और राष्ट्र (nation) का ध्यान-पूर्वक विवेचन करेंगे, और उनके यथातथ अर्थों और प्रभेदों (distinctions) को समझाने का प्रयत्न करेंगे।

1. आधुनिक राज्य और उसके तत्त्व

'राज्य' शब्द का, वर्तमान अर्थ में, सर्वप्रथम प्रयोग निकोलो माक्यावेली (1469-1527 ई०) ने किया। प्राचीन यूनान में यह शब्द प्रचलित न था। यूनानी विचारक 'पोलिस' शब्द का व्यवहार करते थे जिसका हिन्दी रूपान्तर 'नगर-राज्य' किया जाता है। प्राचीन यूनान के इन छोटे और अति-घनिष्ठ समुदायों में साहचर्य और अधिकारों के उपभोग पर बल दिया जाता था,

सर्वोपरिता (supremacy) और अज्ञातगत पर नहीं¹। केंद्रितन के अनुसार, हम इन प्राचीन जन-समुदायों को 'नगर-समुदाय' कह सकते हैं²। प्राचीन रोम का 'निविटान' शब्द भी ऐसे जन समुदायों का छोटक का जो पूर्ण नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का उपभोग करते थे। अतः प्राचीन यूनान और रोम के नगर-राज्य सशुक्त (closed) जन-समुदाय थे जो दामो के गोपण पर आधारित थे। इसी प्रकार मध्यकालीन यूरोप में भी आपुनिक राज्य का विचार स्पष्ट नहीं हो पाया था। इन युगों की राजनीतिक परिवर्तनना नामान्य और रजवाहों के इतरे गिरे केंद्रित थी। मध्यकाल के अंतिम चरण में राज्य की मकलना का उदय होने लगा, लेकिन किसी विचारक ने उभरी स्पष्ट मोनाका नहीं की। जिस समय यह शब्द प्रयोग में आने लगा, राज्य जनता का नया, और प्रमुक्तता राजाका म निहित थी। उस समय राज्य को सर्वोपरि सत्ता का छोटक माना जाता था, किन्तु कभी-कभी इस शब्द को सामाजिक सम्पत्तों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। शनैः शनैः राज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक सत्ता के लिए किया जान लगा। किसी भी मविधान के लिए इनको प्रयुक्त करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता था कि इस सुविधान का रूप और उसके सिद्धांत क्या हैं।

राज्य शब्द के अशुद्ध प्रयोग—सामान्य प्रयोग में 'राज्य' शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मरीय राज्य के घटक लोगों को भी 'राज्य' कह देते हैं। मधुमन राज्य (अमरिका) और भारतीय जनतंत्र में ऐसा हाता है। इसी प्रकार, हम राजकीय सहायता, राजकीय नियन्त्रण, राजकीय मिश्रा आदि की चर्चा करते हैं जबकि वस्तु-स्थिति के अनुसार हमारा आशय सरकारी सहायता, सरकारी नियन्त्रण आदि से होता है। वस्तुतः राज्य और शासन में भेद है, और सरकार राज्य की एक एजेन्सी-भात है। इसी प्रकार 'राज्य' समाज, जन-समुदाय और राष्ट्र में भी भिन्न है। राज्य की मकलना का विदनेपन करने के बाद हम इन शब्दों के यथातय प्रनेदों का विवेचन करेंगे।

राज्य का स्वरूप—यह आश्चर्य की बात है कि राजनीति-विज्ञान के लेखकों और विचारकों में राज्य की परिभाषा के संबंध में भी मतभेद है। के मतभेद प्रधानतः राज्य के स्वरूप के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारा के कारण हैं जिनका प्रभाव उनकी परिभाषाओं पर पटा है। एक ओर कुछ लेखक राज्य को सार रूप में एक वर्ग-रचना मानते हैं, तो दूसरी ओर अन्य लेखकों का विचार है कि राज्य वर्गों पर है और समस्त जन-समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

1 इमेन पान्ना का उपयुक्त शय, पृष्ठ 8.

2 देखिए *The Science and Method of Politics*, पृष्ठ 139.

इसी प्रकार जहाँ एक ओर कुछ विचारक इसे एक सविन-युज के रूप में देखते हैं, वहाँ अन्य विचारक इसे एक लोक-कल्याणकारी व्यवस्था समझते हैं। जहाँ कुछ चिन्तक इसे केवल पारस्परिक बीमा-समाज बताते हैं, वहाँ अन्य लोग इसे एक ऐसी नैतिक सस्था मानते हैं जिसके बिना मनुष्य का नैतिक उत्थान असम्भव है। जहाँ कुछ लेखक कानूनी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसे एक ऐसा लोक समाज बनाने हैं जो कानूनी आधार पर संगठित है, वहाँ अन्य विचारक इसे 'राष्ट्र' और 'समाज' से भिन्न नहीं मानते।

राज्य के स्वरूप के सत्रथ में य मनभेद राजनीतिक चिन्तन के प्रारम्भ से चलने आए हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनान में सोफिस्टों का मत था कि राज्य सङ्गत (conventional) है। उनका कहना था कि राज्य उपयोगिता और सुविधा पर आधारित है, अतएव प्रभावशाली व्यक्ति इच्छानुसार इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। बाद के यूनानी विचारकों में सुकरात (470-399 ई० पू०), प्लेटो (428-347 ई० पू०) ने उक्त विचार का खण्डन किया। इन विचारकों के अनुसार राज्य स्वामाविक है और नागरिकों के नैतिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अरस्तू के अनुसार, राज्य का जन्म मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्तियों के कारण होता है, और यह मनुष्यों की सामाजिक जीवन के प्रति अभिलाषा का प्रतिफल है। राज्य मनुष्यों के चट्टुमुखी विकास के लिए अपरिहार्य है। उसके अनुसार जो व्यक्ति राज्य में बाहर रहता है वह या तो देवता है अथवा पशु; ऐसे व्यक्ति को सामान्य मनुष्य नहीं माना जा सकता। आधुनिक आदर्शवादियों में रूसो (1712-1778 ई०), इमानुएल कान्ट (1724-1804 ई०), हेगल (1770-1831 ई०), ग्रोन (1836-1882 ई०), ब्रैंडले (1846-1924 ई०) और बर्नाड बोसाके (1848-1924 ई०) उक्त मत से बहुत कुछ सहमत हैं। इन सभी विचारकों के अनुसार, राज्य के बिना मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास असम्भव है। उपर्युक्त विचारकों के सदस्य अल्पयुगियस (1557-1638 ई०) और ह्यूगो ग्रीसस (1583-1645 ई०) का यह मत है कि राज्य मानव कल्याण के हेतु निम्न एक सामान्य जन-समुदाय है। इन्होंने विचारकों से प्रभावित होकर आधुनिक 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की संकल्पना का उदय हुआ, जिसकी सम्पन्न समाजों से विशिष्ट रूप से सत्रथ है और वही इस प्रकार के राज्य बनने की सम्भावना ही सबकी है।

इनमें भिन्न विचार रखने वाले लेखकों का अभिमत यह है कि राज्य व्यक्ति को प्रांशुन स्वतंत्रता को सीमित करता है। अतएव अधिक से अधिक उसे "एक आवश्यक बुराई" माना जा सकता है। इन विचार के समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर (1820-1903 ई०) प्रमुख है। उसके मतानुसार राज्य 'पारस्परिक बीमा

के हेतु निमित्त एक संयुक्त साभा-बपनी' है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक और वैकल्पिक होनी चाहिए। वह इस बात पर बहुत बल देता है कि राज्य को नागरिकों को घुली छूट देनी चाहिए कि वे यदि चाहते राज्य द्वारा दिए जाने वाले लाभों का परित्याग कर दें और साथ ही नागरिकों के दायित्वों का भार भी उतार फेंके। इस दृष्टिकोण को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले अराजकवादी दार्शनिकों में प्रूधो (1809-1865 ई०) और त्रोपाटकिन (1842-1921 ई०) प्रमुख हैं। इन विद्वानों के अनुसार राज्य शक्ति का प्रतीक और एक भीषण युदाई है। इसने चाहे जिसे लाभ पहुँचाया हो, सामान्य जनता का हित वही नहीं किया। अतएव उनका विचार है कि शक्ति पर आधारित राज्य का जितना क्षीघ्र अंत हो जाए उतनी ही पीड़ित मानवता को राहत मिलेगी। यहाँ यह यतना असंगत न होगा कि माक्यावेली और ट्रीटर्केने भी राज्य को एक शक्ति-पुज माना था। इसी प्रकार लोपेनहीमर और कालेमाक्स (1818-1883 ई०) भी मानते हैं कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसमें एक वर्ग श्रेय लोगों का शोषण करता है। माक्स के कथनानुसार राज्य 'शासक-वर्ग की एक प्रबन्धक समिति' है।

उपर्युक्त मतों के विवेचन के साथ टी० ई० हाल्लेड जैम विद्वान जिन्होंने, राज्य का कानूनी दृष्टि से अध्ययन किया है, की चर्चा करना भी आवश्यक प्रतीत होता है¹। इससे मिलते-जुलते विचार रखने वाले विद्वान, राबर्ट फिलीमोर हैं जिन्होंने राज्य का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से किया है²। उपर्युक्त विवेचन में सभी विचारकों के प्रतिनिधि विद्वान नहीं आये। हमने यहाँ केवल उन मतों का सक्षिप्त विवरण दिया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने राजनीति के अध्ययन पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ी है। तथापि इस विवेचन से

1 दक्षिण *Elements of Jurisprudence*, तेरहवाँ संस्करण, ऑक्सफोर्ड, 1924 पृष्ठ 46. राज्य 'अनेक व्यक्तियों का एक संगठित समुदाय है जो एक निश्चित भू-भाग पर रहता है और जहाँ बहुमूल अथवा व्यक्तियों के एक निश्चित वर्ग की शक्ति उन सब व्यक्तियों पर भी लागू की जाती है जो इसका विरोध करते हैं।

2 देखिए Robert Philmore, *International Law*, द्वितीय संस्करण, लन्दन, 1871, पृष्ठ 18 : राज्य 'एक निश्चित भू-भाग पर स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों का राजनीतिक संगठन है जो सामान्य कानूनों, आदतों और प्रथाओं में आबद्ध है और एक संगठित सरकार के माध्यम से अपनी सीमा में स्थित सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर स्वतंत्र प्रभुत्व और नियंत्रण रखने है और जो युद्ध तथा शांति की समता रखने हुए विश्व के अन्य समुदायों से अन्तर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं।'

यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक चिंतको के दृष्टिकोणों में अनेक भेद हैं और इन्हीं के अनुरूप उनकी परिभाषाओं में भी विविधता आ गई है। इस विविधता से बचने का मार्ग केवल यह है कि राज्य की उन समस्त परिभाषाओं को जो किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से की गई हैं और जिनमें राज्य के तत्वों की समुचित व्याख्या नहीं होती, हम एकदम त्याग दें और केवल उन्हीं परिभाषाओं पर विचार करें जो राज्य के वस्तुनिष्ठ तत्वों के विवरण पर आधारित हैं।

राज्य की परिभाषा—बर्जिस, ब्लुश्ली और वुड्रो विल्सन ने जो परिभाषाएँ दी हैं वे वस्तुनिष्ठ होते हुए भी राज्य के समस्त आवश्यक तत्वों का समावेश नहीं करती। जॉन बर्जिस के अनुसार, राज्य 'सगठित इकाई के रूप में मानव समुदाय का एक विशिष्ट भाग है'¹। ब्लुश्ली के अनुसार 'एक निश्चित भूभाग पर राजनीतिक रूप से सगठित जनता'² का नाम ही राज्य है। वुड्रो विल्सन भी राज्य को 'एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से सगठित जनता' कहता है। ये लेखक सभ्यतः भूल जाते हैं कि मानव इतिहास में अनेक ऐसे राजनीतिक रूप से सगठित जनसमुदाय हुए हैं जिनकी निश्चित सीमाएँ थीं किन्तु वे राज्य नहीं थे। उनके 'राज्य' कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि निश्चित भूभाग पर रहने वाला ऐसा सगठित जनसमुदाय स्वतंत्र हो और उसे प्रभुसत्ता प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, जब तक 15 अगस्त सन् 1947 ई० को भारत स्वाधीन नहीं हो गया, वह 'राज्य' नहीं था। सत्तार में अब भी ऐसे अनेक जनसमुदाय और क्षेत्र हैं जिनकी अपनी सगठित सरकारें हैं, भूभाग की निश्चित सीमाएँ हैं, किन्तु वे राज्य नहीं हैं।

गानेर की परिभाषा में यह दोष नहीं है। उनके अनुसार राज्य 'न्यूनाधिक बहुसंख्यक मनुष्यों के एक ऐसे समुदाय को कह सकते हैं जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो, जो बाह्य नियंत्रण से लगभग अपवा संस्था स्वतंत्र हो, और जिसकी एक ऐसी सगठित सरकार हो जिसके आदेशों का उसके निवासियों का एक बहुत बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से पालन करता हो'³। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाला सगठित जन-समूह यदि पूर्ण स्वाधीनता का उपभोग नहीं करता तो वह 'राज्य' कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। उपर्युक्त धारणा प्रभुसत्ता प्राप्त

1 *Political Science and Constitutional Law*, बोस्टन, 1898, खंड 1, पृष्ठ 50.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 3

3 *Political Science and Government*, कलकत्ता, 1951, पृष्ठ 49.

राजनीतिक सगठन के अस्तित्व पर बल देनी है। यदि सगठित जनसमुदाय के पास प्रभुसत्ता है, और वह उसका एक निश्चित भूभाग पर प्रयोग कर पाता है, तथा सामान्यतः जनता उसका अनुशासन मानती है और उसकी आज्ञा का पालन करती है, तो हम कह सकते हैं कि 'राज्य' वर्तमान है।

अध्य वस्तुनिष्ठ परिभाषाओं में मैकीवर और लास्की की परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं। मैकीवर के मतानुसार राज्य 'उस समुदाय को कहते हैं जो अपनी सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले विधि के अनुसार कार्य करता है और जिसे इसके लिए बलप्रयोग की अनुमति है तथा जो एक निश्चित सीमा-क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था की सर्वमान्य बाह्य स्थितियाँ बनाए रखता है'। लास्की के मतानुसार राज्य ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन और प्रजा में विभक्त होता है जिसमें प्रजा व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदायों के रूप में होती है और शासन सर्वोपरि बलप्रयोग पर आधारित अपनी शक्ति द्वारा प्रजा के साथ अपने संबंध निर्धारित करता है²। यहाँ यह बताना उचित होगा कि उपर्युक्त दोनों विद्वान् प्रभुसत्ता के बहुनवादी सिद्धांत को मानते हैं। अतः अपनी परिभाषाएँ देते समय जानबूझ कर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि उनकी परिभाषाओं में ऐसे भाग न आवें जो राज्य की निरंकुशता की पुष्टि करते हों।

राज्य के आवश्यक तत्व—उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में कुछ तत्वों का होना अपरिहार्य है। यदि इनमें से एक भी तत्व की कमी हो, तो हम ऐसे जनसमुदाय को 'राज्य' नहीं कह सकेंगे। राज्य के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित हैं

- 1 जनता
- 2 भूभाग
- 3 शासन अथवा सगठन
- 4 प्रभुसत्ता

नीचे हम इन तत्वों पर विस्तार से विचार करेंगे।

जनता अथवा जनसंख्या—मनुष्यों के बिना कोई मानव समुदाय नहीं बन सकता। अतः राज्य के लिए यह एक बुनियादी आवश्यकता है जिसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राणी, चाहे वे सामाजिक रूप से कितने ही उन्नत क्यों न हों, राज्य को सगठित नहीं कर सकते।

1 R. M. MacIver, *The Modern State*, न्यूयॉर्क, 1932, पृष्ठ 22.

2 H. J. Laski, *The State in Theory and Practice*, लन्दन, 1951, पृष्ठ 21

लीकौक के बयानानुसार, बिना जीवित मनुष्यों के पृथ्वी के किसी खाली भाग में राज्य नहीं बन सकता ।

प्रश्न यह है कि राज्य में कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है ? रोबिन्सन क्रूसो की प्रसिद्ध कहानी में वह एक एकांत द्वीप में केवल अपने सहायक फ्राइडे के साथ रहता था । वह निश्चित ही उस समस्त प्रदेश का, जिसे वह देख पाता था, सर्वोत्तम था । किंतु क्या ये दोनों व्यक्ति मिलकर एक राज्य को बना सकते थे ? इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है । राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें काफी सरया में व्यक्ति हों, कम से कम इतने हों कि उन्हें शासक और शासित वर्ग में बाँटा जा सके ।

प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि इन व्यक्तियों की सरया कितनी हो अथवा क्या एक राज्य के लिए किसा सरया को निर्धारित किया जा सकता है ? प्रसिद्ध यूनानी विचारक, प्लेटो के अनुसार नागरिकों की सरया 5040 यथेष्ट होगी । यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस सरया में न तो दास सम्मिलित किए गए हैं और न वे बच्चे, स्त्रियाँ और पुरुष जो सावजनिक कार्यों में सक्रिय भाग नहीं लेते । अरस्तू के अनुसार, राज्य के लिए किसी निश्चित सरया को निर्धारित करना आवश्यक नहीं है । किंतु उसका मत था कि एक आदर्श राज्य में न तो बहुत कम व्यक्ति होने चाहिए और न अत्यधिक । उसके अनुसार 100 व्यक्ति सरया में कम होंगे, किंतु 100,000 व्यक्ति सरया में बहुत अधिक होंगे, और इतने बड़े राज्य का समुचित प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा । हूरो भी छोटे छोटे गणराज्यों का समर्थन था और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आस्था रखता था । उसके अनुसार लगभग 10,000 नागरिक एक आदर्श राज्य के लिए यथेष्ट होंगे । वह समय अब बीत गया जत्र उपर्युक्त सरयाओं को स्वीकार किया जा सकता था । आज के आधुनिक राज्यों में अनवर बड़े-बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या बीसियों लाख होती है । जनसंख्या की दृष्टि से सत्सारा क्रमवत्से बड़ा राज्य चीन का जनतंत्र है । वह अपनी आबादी 65 करोड़ से भी ऊपर बताता है । स्वयं भारत की आबादी अब 50 करोड़ से ऊपर है । जहाँ एक ओर इतने बड़े राज्य हैं, वहाँ दूसरी ओर एंडोरा-जैसा छोटा प्रदेश भी है जिसकी जनसंख्या हजारों में गिनी जा सकती है । इसी प्रकार का एक राज्य संत मरिनो है जिसकी जनसंख्या पाँच अंकों से ऊपर नहीं जाती । स्पष्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से आज के राज्य बहुत असमान हैं अतएव आधुनिक चिंतक अब जनसंख्या के प्रश्न को उठाना ही निरर्थक समझते हैं ।

अधिक जनसंख्या का होना न तो किसी राज्य की शक्तिशाली बनाता है और न समृद्ध । भारत और चीन जनसंख्या की दृष्टि से सत्सारा के सबसे बड़े

दो राज्य हैं, किंतु कुछ छोटे यूरोपीय राज्यों की तुलना में भी न तो उनके नागरिकों का जीवन स्तर ही ऊँचा है और न औद्योगिक शक्ति ही है। स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश को भी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली होने के लिए अथक प्रयत्न करने पड़ेंगे। जनसंख्या के अधिक होने का लाभ केवल यह है कि राज्य के पास जनशक्ति बहुत होती है, किंतु केवल जनशक्ति से कुछ नहीं बनता। कभी-कभी तो जनसंख्या का अधिक होना हानिकारक बन जाता है जैसे कि भारत में, जहाँ लोगों को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकानों का अभाव है। इसीलिए कुछ दिनों से कुछ राज्य परिवार नियोजन पर बल देने लगे हैं जिससे उनकी जनसंख्या सीमित रहे ताकि जनशक्ति का कुप्रभाव उनके जीवन-स्तर पर न पड़े। तथापि यदि देश का समुचित औद्योगिक और तकनीकी विकास हो चुका हो तो यही जनशक्ति देश की अमूल्य निधि बन जाती है।

20वीं शताब्दी में जनता के गठन के प्रश्न की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा है। प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि राज्य की जनता का एक होना कहाँ तक राष्ट्रीय दृष्टि से आवश्यक और लाभदायक है। विद्वानों में इस सबंध में मतभेद है। जॉन स्टुअर्ट मिल (1806-1873 ई०) राष्ट्र-राज्यों का हिमायती था¹। दूसरी ओर लार्ड ऐडम बहुराष्ट्रीय राज्यों के अनन्य समर्थक थे²। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई और ये क्रम आज भी जारी है। किंतु दूसरी ओर, बहुराष्ट्रीय राज्यों के लाभ भी दृष्टिगत होने लगे हैं। सोवियत संघ इसी प्रकार का एक राज्य है। एक अर्थ में, भारतीय जनतंत्र भी इसी प्रकार का एक बहुल राज्य है। संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) भी इसी प्रकार का राज्य है। पश्चात्य यूरोप, अरब देशों और अफ्रीका में बहुराष्ट्रीय राज्य बनाने की कुछ योजनाएँ और प्रस्ताव हैं। भले ही ये अभी क्रियात्मक रूप धारण न करें, तथापि एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि अब राजनीतिज्ञ बड़े-बड़े राज्यों के लाभों को समझने लगे हैं और वे बहुराष्ट्रीय राज्य बनाने के स्वप्न देखने लगे हैं। इन्हे साकार रूप देने में अभी अनेक बाधाओं को पार करना पड़ेगा और अनेक कठिनाइयों को दूर करना होगा। तथापि, भविष्य में ऐसे राज्य बनने की समावना बढ़ती जा रही है।

भूभाग—यह एक निर्विवाद बात है कि राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग

1 J S Mill, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*, निम्नसे द्वारा सम्पादित, लन्दन, 1931, पृष्ठ 360-382.

2 J S Acton, *The History of Freedom and Other Essays*, रिगिन् और लोरेन्स द्वारा सम्पादित, लन्दन, 1909, पृष्ठ 273-300.

होना चाहिए। 19वीं शताब्दी में, कुछ विचारक, जिनमें हॉल और सीने भी हैं, समझते थे कि बिना एक निश्चित भूभाग के भी राज्य बन सकता है। किंतु समकालीन राजनीतिक विचारक इस विचार को त्याग चुके हैं और वे एकमत हैं कि जब तक मनुष्य खानाबदोश बनकर विचरण करते रहते हैं, वे राज्य नहीं बना पाते। इतिहास में ऐसे अनेक सगठित जनसमुदाय रहे हैं जिनकी कोई निश्चित भूमि न थी। विद्वान् अब यह मानते हैं कि इस प्रकार के कबीली सपठन निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहने पर ही राज्य बना पाते हैं। यदि टाकुओ का एक गिरोह एक निश्चित क्षेत्र में छापा मारता फिरे, और जनता पर आतंक स्थापित कर अपनी आज्ञा मनवाने लगे, तो भी वह 'राज्य' नहीं कहलायेगा। इसी प्रकार, एक लुटेरे सामुद्रिक जहाज का कप्तान पूर्णतः स्वतंत्र होने पर भी किसी नये राज्य को जन्म नहीं देता। जब तक यहूदी लोग सारे ससार में बिखरे रहे और किसी निश्चित भूभाग पर नहीं बसे, वे कोई राज्य नहीं बना सके। किंतु अब इजराइल नामक एक 'राज्य' है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि एक निश्चित भूभाग का होना 'राज्य' की एक बुनियादी आवश्यकता है।

भूमि के क्षेत्रफल के सबंध में कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। आधुनिक राज्यों का क्षेत्रफल बहुत असमान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ससार का सबसे बड़ा राज्य सोवियत सघ है, जिसका प्रदेश दुनिया के छठवें भाग से भी अधिक पर फैला हुआ है। दूसरा और संनमैरिनो जैसा इटली के प्रदेश से घिरा हुआ एक छोटा-सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 38 वर्ग मील है।

प्राचीन युग में कुछ राजनीतिक विचारकों का मत था कि राज्य जितने छोटे होंगे उतनी ही सुगमता से वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रह सकेंगे और अपनी आत्म-रक्षा भी भलीभाँति कर सकेंगे। वस्तुतः एक समय वह था जब सभी सम्य लोगों में छोटे-छोटे नगर-राज्य फैले हुए थे। तत्पश्चात्, इन छोटे राज्यों को आत्मसात् कर बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। सामतवादी युग में इन साम्राज्यों की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया और आधुनिक युग के प्रारम्भ में नए देश-राज्यों की नींव पड़ी। प्राचीन काल में, जब यातायात और प्रसार के साधन अविकसित थे, प्रतिनिधिक समस्याएँ सगठित नहीं हुई थी, आधुनिक स्थानीय स्वराज्य का जन्म न हुआ था, सघ द्वारा बहुरूपता की रक्षा करते हुए एक सामान्य शासन-व्यवस्था बनाने की संभावना का कोई ज्ञान न था, और नागरिकों को सन्निध्य रूप से सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की सुविधा न थी, यह स्वाभाविक था कि राजनीतिक विचारक छोटे राज्यों के महत्त्व पर बल देते। किंतु आज यह संभव हो गया है कि एक बड़े से बड़ा राज्य बनाया जा

सबे और नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। बड़े बड़े राज्यों के आर्थिक और सामाजिक लाभ दृष्टिगत होने लगे हैं। साम ही, लार्ड एक्टन के इस विचार की सत्यता कि छोटे-छोटे राज्य अपने निवासियों के मानसिक क्षितिज को सीमित बना देते हैं, मलीनांति प्रगट हो चुकी है। तथापि, बड़े राज्यों के नागरिकों में भी मानसिक दृष्टिकोण की समीपता हो सकती है। और वे भी वैयक्तिक स्वतंत्रता का अपहरण कर सकते हैं।

क्षेत्रफल का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ गया है कि साधारणतः बड़े राज्यों के प्राकृतिक साधन भी अधिक होंगे और उनके आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ भी अधिक होंगी। इस युग में किसी देश का सैन्य-बल बहुत कुछ उसके आर्थिक विकास पर निर्भर है और एक समृद्धिशाली देश ही अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकता है।

किसी राज्य की जनसंख्या से उसके क्षेत्रफल का प्रत्यक्ष संबंध है। यदि राज्य की जनसंख्या अधिक हो और उसका क्षेत्रफल कम तो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने का उपाय केवल यह है कि ऐसे राज्य की औद्योगिक उन्नति तेज़ी से की जाय। दूसरी ओर, यदि जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल बहुत अधिक तो इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि उसके अनेक प्रदेश मनुष्यविहीन रह जाएँगे और ऐसे प्रदेशों के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग न हो सकेगा। सम्भवतः अभी समय नहीं आया कि इस समस्या पर समस्त मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार किया जा सके। इस समय, जहाँ कुछ राज्य जनसंख्या की कमी के कारण अन्य उन्नत देशों से नागरिकों को आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं, वहाँ दूसरी ओर ऐसे देश भी हैं जिनकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि वे उनकी समुचित देखभाल नहीं कर पाते और उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। यदि इस प्रश्न पर मानव दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि इस समस्या का सतोषजनक समाधान न हो सके।

राज्य के क्षेत्रफल में भूमि, उनकी नदियाँ, झीलें और सागर, तथा वायु-क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। परम्परा के अनुसार राज्य की सीमा में समुद्र के किनारे से केवल तीन मील दूर तक सागर के जल को सम्मिलित किया जाता था, किंतु अब कुछ राज्यों ने अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र को 12 मील तक बढ़ा लिया है। राज्य की सत्ता समुद्रों पर चलने वाले उन जलपोतों पर भी लागू होती है जो उस राज्य की ध्वजा पहराते हैं। इसी प्रकार विदेशों में स्थापित दूतावास भी राज्य की भूमि का अंग मान लिए जाते हैं। यद्यपि राज्य की प्रादेशिक सीमाओं में वायु-क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, किंतु इस संबंध में कोई मतैक्य नहीं है कि राज्य के प्रदेश

के ऊपर कितनी दूरी तक राज्य का अधिकार मागा जाय ।

राज्यों के भूभागों के सबद्ध और सहित होने के अनेक लाभ हैं, किंतु यातायात और प्रसार के साधनों में अब इतनी उन्नति हो चुकी है कि राज्य के विभिन्न प्रदेश यदि असबद्ध भी हो तो अब विशेष कठिनाई नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम संक्यों वर्षों से इसी प्रकार के एक साम्राज्य पर सुगमता से शासन करता आया है। पाकिस्तान का राज्य भी ऐसे दो भागों में बंटा हुआ है जो एक दूसरे से संबद्धों में दूर हैं और जिन्हें तब स्थल अथवा वायु मार्ग से पहुँचने के लिए भारतीय प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। अब यह स्पष्ट है कि भौगोलिक दृष्टि से असबद्ध होने पर भी राज्यों के लिए अब यह संभव हो गया है कि वे अपना शासन कार्य चला सकें, यद्यपि इस प्रकार की स्थिति सुविधाजनक नहीं मानी जाती।

सरकार अथवा सगठन—राज्य राजनीतिक रूप से सगठित एक समाज है। राज्य के अस्तित्व के लिए राजनीतिक सगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना सरकार के राज्य नहीं हो सकता, यद्यपि बिना राज्य के सरकार का अस्तित्व संभव है। सरकार वह एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य के संकल्प बनते हैं और उनकी अभिव्यक्ति तथा पूर्ति होती है। राज्य के शासन का रूप और उसकी बनावट विविध प्रकार की हो सकती है। प्रसिद्ध विद्वान लीकौक के अनुसार, आवश्यकता केवल इस बात की है कि प्रभुसत्ता के अंतर्गत निश्चित आज्ञापालन के भाव उपस्थित हो। ऐसा होने पर किसी प्रकार का शासन, चाहे वह निरंकुश और अत्याचारी ही क्यों न हो, राज्य के अस्तित्व का प्रतीक होता है।

राज्य के लिए सरकार को इसलिए आवश्यक माना गया है कि उसके बिना सभ्य समाज का अस्तित्व ही असंभव है। वे अराजकवादी भी, जो बलप्रयोग पर आधारित राज्य का विध्वंस करना चाहते हैं, यह मानते हैं कि किसी न किसी रूप में अनुशासन और आज्ञापालन राज्य के लिए नितांत आवश्यक है। उनकी अभिलाषा केवल यह है कि इस प्रकार का अनुशासन, शक्ति पर आधारित न होकर, स्वेच्छा पर निर्भर हो। साम्यवादी भी, जो अंतिम रूप में राज्य के शून्य शून्य विलुप्त होने की बहना करते हैं यह स्वीकार करते हैं कि समाज में सत्ता की सदैव आवश्यकता रहेगी¹। अब यह माना जाता है कि जब तक समाज में विभिन्न और परस्पर विरोधी हित रहेगे, जनसमुदाय में साहचर्य कायम रखने के लिए एक कामचलाऊ व्यवस्था करनी पड़ेगी। न्युन्वी के अनुसार, यदि राज्य

¹ देखिए Marx and Engels, *Selected Works in Two Volumes*, सङ्ग 1, मार्च, 1951, पृष्ठ 575-578.

में ऐसे व्यक्ति न हो जिनके पास सत्ता है और न ऐसे व्यक्ति हों जो आज्ञा-पालन करते हैं, तो अराजकता फैल जाएगी और राज्य का अंत हो जायगा¹।

प्रभुसत्ता—आधुनिक राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता ही राज्य का वह तत्त्व और लक्षण है जो उसे अन्य समूहों और समुदायों से पृथक् करता है। लीकौक के अनुसार, प्रभुसत्ता से हमारा अभिप्राय यह है कि अप्रकृत प्रदेश और जनता किसी अन्य व्यापक राजनीतिक इकाई के भाग न हो और उसके भूभाग में ऐसे भी कोई भाग न हो जो भौगोलिक रूप से उसमें सम्मिलित होने पर भी राजनीतिक रूप से पृथक् हो²। सशेष में, जनता को स्वाधीन होना चाहिए। स्वाधीनता का अभिप्राय यह है कि आंतरिक दृष्टि से राज्य में कोई विरोधी अथवा समानांतर सत्ता नहीं होनी चाहिए, और बाह्य रूप में उसे विदेशी नियंत्रण अथवा आदेश से मुक्त होना चाहिए। इसका आशय यह नहीं है कि राज्य अन्य राज्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संधि तथा समझौते करने और अपने दायित्वों को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के दायित्व स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किए हुए हों।

इन प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त, विद्वान लेखकों ने समय समय पर अन्य तत्वों की भी चर्चा की है। विलोबी ने जनता की "आत्मनिष्ठ भावना" की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है³। उसके कथनानुसार, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के इस युग में हम जनता की कामना की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे मतानुसार यह तत्त्व राज्य के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य नहीं है। अनेक ऐसे पुराने राज्य रहे हैं जिनकी जनता उनके शासन का विरोध करती रही, और ऐसे भी अनेक राज्य रहे हैं जिन्होंने जनता की इच्छाओं, अभिलाषाओं और भावनाओं का कोई आदर नहीं किया। अतएव जनता की 'आत्मनिष्ठ भावना' का होना राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं हो सकता। जैसा कि लीकौक ने कहा है, शासन के निरंकुश अथवा अत्याचारी होने से राज्य के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तुतः राज्य के अस्तित्व की केवल यही आवश्यकता है कि उसमें उत्कृष्ट बल के अतर्गत आज्ञा-पालन की भावना प्रस्तुत हो।

कुछ लेखकों के अनुसार, राज्य के अस्तित्व के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय मान्यता' आवश्यक है, और वे इसे पूर्ण राजत्व का एक लक्षण मानते हैं। विवेचनात्मक

1 देखिए स्त्रुंरवी, उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 18.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 13.

3 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 12.

दृष्टि से देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को मान्यता देना उसकी कूटनीतिक नीति पर निर्भर है जो वस्तुनिष्ठ परस्पर निर्भर न होकर राष्ट्रीय हितों की धारणा पर अवलम्बित है। इतिहास से हमें ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिल जाएँगे जबकि शक्तिशाली राज्यों ने नव-निर्मित राज्यों को मान्यता नहीं दी। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) ने स्थापित होने के लगभग 15 वर्ष बाद सोवियत संघ को मान्यता दी। इसी प्रकार, चीन के जनवादी प्रजातंत्र को अभी भी कुछ राज्यों ने मान्यता नहीं दी है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मान्यता देने या न देने की बात हमें व्यवहार के आत्मनिष्ठ स्तर पर ले जानी है, जिससे प्रारंभ से ही हम बचने का प्रयास कर रहे हैं। अतएव हम 'अंतर्राष्ट्रीय मान्यता' को राज्य के अस्तित्व अथवा उसके बने होने का लक्षण अथवा प्रमाण नहीं मान सकते, यद्यपि इस प्रकार की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्त्व रखती है।

2. अन्य समरूप शब्दों से राज्य का प्रभेद

राज्य के आवश्यक तत्वों की व्याख्या और उसकी परिभाषा देने के उपरांत, हम कुछ प्रचलित मिलते-जुलते शब्दों से इसका प्रभेद कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक शब्द 'समाज' है।

राज्य और समाज—समाज एक बहुत सामान्य शब्द है। मंकीवर और पेज के अनुसार, इसका प्रयोग 'सामाजिक संबंधों के ताने-बाने'¹ का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह शब्द केवल मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता। जीवन की निम्नतम अवस्थाओं में भी, जहाँ सामाजिक चेतना अत्यंत अविकसित होती है और सामाजिक सम्पर्क सीमित और क्षणिक होते हैं, समाज होता है। सभी उच्चतर पशुओं में भी किसी न किसी रूप में समाज होता है जो उनके स्वभाव और जाति-प्रजनन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है²।

मंकीवर के अनुसार, समाज सामाजिक संबंधों के बदलते हुए रूपों का अध्ययन है। समाज के अस्तित्व का अर्थ होता है : (1) इन मनुष्यों के प्रति चेतना, और (2) एक विशेष प्रकार की साहचर्य-भावना। मनुष्य समाज के ऊपर अपनी रक्षा, लालन-पालन, शिक्षा, गुण, साधनों, अवसरों, और अनेकानेक

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 5.

2 वही, पृष्ठ 6-7.

ऐसी सेवाओं के लिए निर्भर रहता है जिन्हें समाज प्रदान करता है। वह अपने विचारों, स्वप्नों, अभिलाषाओं, और यहाँ तक कि अपने सार्विक और मानसिक विकास के लिए भी समाज पर अवलम्बित है। जन्म से ही व्यक्ति के लिए समाज की परमावश्यकता स्पष्ट हो जाती है। उसका जीवित रहना और मनुष्याचित गुणों का विकास भी समाज में ही संभव है¹।

अपने एक अन्य ग्रन्थ में, मंकीवर ने समाज को 'मनुष्यों के समस्त ऐच्छिक सबधों का समुच्चय बताया है। लीकॉक के अनुसार, 'समाज' शब्द से हमारा अभिप्राय केवल राजनीतिक सबधों से नहीं है, किंतु उन समस्त मानवीय सबधों और सामूहिक कार्यों से है जो अपने ताने-बाने से मनुष्यों को एक-दूसरे से बाँधे रहते हैं²। जी० डी० एच० कोन ने समाज को जनसमुदाय के अंतर्गत समूहित समुदायों और संस्थाओं की श्रेणी बताया है³।

अब यह एक सामान्य कथन बन गया है कि मनुष्य समाज में जन्म लेता है, और समाज की आवश्यकता उसकी प्रकृति में निहित है। जैसा कि मंकीवर कहते हैं, समाज केवल एक सांयोगिक योजन नहीं है। वह एक ऐसा साहचर्य है जो इच्छित अथवा अभिप्रेत हो। दूसरे, इसमें मनुष्यों के सभी सचेतन कार्यों आ जाते हैं। तीसरे, यह मानव सबधों की श्रेणी का परिचायक है, उसके किसी विदिष्ट अथवा अथवा पहलू का नहीं। इस अर्थ में, एक व्यापकतम रूप में 'समाज' शब्द सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए प्रयुक्त हो सकता है और सकीर्णतम रूप में कुछ व्यक्तियों के आपसी सबधों के लिए।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज और राज्य एक-दूसरे से भिन्न हैं। मंकीवर के कथनानुसार सामाजिक और राजनीतिक बातों को एकनमान समझ लेना एक धीरे सभ्राति होगी जिसके फलस्वरूप समाज अथवा राज्य, दोनों में से किसी को समझने में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जायगी⁴। अतएव यदि हम इस प्रभेद को ध्यान में रखें तो हमारे सोचने समझने और विस्तारण में स्पष्टता आ सकेगी।

समय की दृष्टि से समाज राज्य का पूर्ववर्ती है। कामिंग्स के अनुसार समाज राज्य से उसी प्रकार पूर्ववर्ती है जैसा कि वह परिवार, चर्च, निगम और राजनीतिज्ञ दलों से है। समाज इन सब को उसी प्रकार आवृद्ध करता है जैसा

1 वही, पृष्ठ 6 और 8.

2 उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 18.

3 *Social Theory*, वृत्तीय संस्करण, लन्दन, 1923, पृष्ठ 29.

4 वही, पृष्ठ 5.

कि एक वृक्ष अपनी छायाओ को। अब यह माना जाने लगा है कि मनुष्य बहुत लम्बे समय तक राज्य के बिना रहा होगा। आदिकालीन व्यक्ति वश पर आधारित समूहों में रहा करते थे जिनको 'टोटैम' भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य की स्थापना मानव-इतिहास में बहुत देर से हुई। किन्तु समाज और राज्य के इस प्रभेद को प्राचीन राजनीतिक लेखक नही पाए। यह दोष हमें प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिन्तकों के राज्यदर्शन में मिलता है। संभवतः उनकी इस भूल का प्रमुख कारण यह था कि उनके नगर-राज्य क्षेत्रफल में बहुत छोटे और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत सहज थे। साथ ही, इन नगर-राज्यों के बाह्य सम्पर्क अत्यंत सीमित थे (वस्तुतः वे आत्म-निर्भरता और स्वाधीनता को अपने देश के दो बड़े गुण मानते थे)। एक टीकाकार ने तो इनके सबंध में यह अभिमत व्यक्त किया है कि ये नगर केवल राज्य ही नहीं थे बल्कि 'समाज', 'दुर्ग', 'मंडी', 'चर्च', 'विश्वविद्यालय' आदि सभी कुछ थे। तथापि अब समय और स्थिति इतनी अधिक परिवर्तित हो चुकी है कि समाज और राज्य के प्रभेद को स्पष्ट न करने का कोई कारण नहीं है।

कार्यात्मक रूप में भी ये दोनों भिन्न हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य 'शांति और नियंत्रण की व्यवस्था' स्थापित करना है और वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कानूनों द्वारा लोगों को आज्ञापालन के लिए बाध्य करता है।

रचना की दृष्टि से भी समाज और राज्य में अंतर है। राज्य समस्त संगठित जीवन और समूचे मानवीय संबंधों को समाविष्ट नहीं कर सकता। मैकीवर के अनुसार राज्य का अस्तित्व समाज के अंतर्गत है किन्तु वह समाज का प्रतिरूप तक नहीं है ... राज्य उस सामाजिक जीवन का, जिस पर उसका नियंत्रण है, समर्थन करता है अथवा शोषण करता है, उस पर बंधन लगाता है अथवा उसे स्वतंत्रता देता है, उसे पूर्ण बनाता है अथवा विध्वंस करता है — किन्तु राज्य समाज का उपकरण मात्र है उसका जीवन नहीं।

इन दोनों के कार्य करने के ढंग भी भिन्न हैं। राज्य शक्ति का प्रयोग करता है और जनता को आज्ञापालन के लिए बाध्य करता है जबकि समाज प्रयाशों और परम्पराओं के माध्यम से लोगों को मनाता है। लेकिन हमें इस प्रभेद पर अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार, 'कई बातों में, राज्य और समाज एक दूसरे को अतिव्याप्त (overlap) करते हैं, घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के प्रति 'गुणो' होते हैं। किन्तु मोटे रूप

मे कहा जा सकता है कि इनमें से एक का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग है, उसकी ऊर्जा (energy) सद्भावना पर निर्भर है, उसके ढग लचीले हैं, जबकि दूसरे का क्षेत्र यथवद् क्रिया है, उसकी ऊर्जा शक्ति पर आधारित है, और उसकी पद्धति में लोच का अभाव है¹। तथापि वार्कर यह मानता है कि यदि राज्य आधुनिक समाज को सम्बद्ध करके न रहे तो उसका अस्तित्व ही पतरे में पड़ जाए²।

मैकीवर ने समाज और राज्य का प्रभेद बताते हुए कहा है कि राज्य एक ऐसी रचना है जो समाज के समकालीन और समविस्तृत नहीं अपितु विशिष्ट लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक व्यवस्था के रूप में समाज के अंतर्गत बनी हुई है³। इस प्रभेद को स्पष्ट करते हुए मैकीवर कहता है कि राज्य की स्थापना के पूर्व समाज वर्तमान था। वस्तुतः समाज मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि वार्कर ने कहा है रचना की दृष्टि से राज्य (जो एक कानूनी समुदाय है) और सामाजिक संगठन भिन्न नहीं है दोना में एक ही जनसमुदाय के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं⁴। दूसरे, मैकीवर के कथनानुसार राज्य द्वारा स्थापित कानूनी व्यवस्था समस्त सामाजिक जीवन और मनुष्यों के समस्त सामाजिक उद्देश्यों को समावृत नहीं कर सकती⁵। वार्कर भी कहता है कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनेक संगठना — आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, परोपकारी आदि — के सदस्य बन जाते हैं जिनके सम्मिलन और सम्मिश्रण से समाज बनता है। वस्तुतः मनुष्यों की आवश्यकतानुसार समाज के अनेक और विविध रूप हो गए हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनेक समुदायों के सदस्य बन जाते हैं क्योंकि वे जान गए हैं कि बिना सामूहिक कार्यों के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। इस प्रकार, जहाँ छोटे और बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक सामाजिक संगठन होते हैं, वहाँ राज्य का केवल एक परम उद्देश्य होता है अर्थात् शांति और व्यवस्था को बनाए रखना और उन्हें लागू करना⁶। तीसरे, राज्य का उद्देश्य सीमित है और उसने उद्देश्य की प्राप्ति के साधन भी सीमित हैं। राज्य अपने सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु साधन मात्र है

1 दत्त: *Political Thought in England*, पृष्ठ 67

2 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 40

3 वही, पृष्ठ 179-183

4 दत्त: *Principles of Social and Political Theory*, पृष्ठ 43

5 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 445-446

6 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 43

और इसी उद्देश्य से इसको स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है। इसको प्रभुसत्ता एक 'ट्रस्ट' के रूप में होती है और इस प्रभुसत्ता के प्रयोग की कुछ सीमाएँ हैं¹। यह सत्य है कि अन्तिम रूप में, राज्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है अथवा आज्ञा-पालन के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है, जबकि समाज केवल लोगों की सद्भावना के आधार पर अपना काम निकालता है। तथापि, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के अतर्गत, शक्ति पर आधारित राज्य को भी अपने नागरिकों को समुचित स्वाधीनता देनी पड़ती है और अन्य समुदायों के साथ विचार-विमर्श और समझ-बुझ कर काम करना पड़ता है। दूसरी ओर, यद्यपि समूह वैकल्पिक और ऐच्छिक होते हैं, तथापि कभी-कभी वे इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि उनके आदेशों का पालन करना उनके सदस्यों के लिए अनिवार्य हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च जैसी ऐच्छिक सत्ता इतनी शक्तिशाली बन गई कि उसने बड़े-बड़े साम्राज्यों और राजवाड़ों के छबके छुड़ा दिए और उन्हें चर्च की सर्वोपरिता को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इसी प्रकार, समकालीन युग में अनेक व्यापारिक और श्रमिक संघ इतने प्रभावशाली बन गए हैं कि उनसे संबंधित उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को उनके नियमों का चुपचाप पालन करना होता है²। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्रीय राज्य से ऐसा वातावरण बनाने की आशा की जाती है जिसमें सभी नागरिक अपना चहुँमुखी विकास कर सकें। विभिन्न समुदाय इस कार्य में राज्य की सहायता कर सकते हैं। समाज अपने समुदायों और समूहों द्वारा जनता की जो सेवा करता है वह राज्यों के कार्यों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। तथापि, यह स्मरण रखना चाहिए कि राज्य का कार्यक्षेत्र भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और राज्य ने अब अनेक ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए हैं जो लोककल्याण के लिए आवश्यक हैं, किंतु जिन्हें केवल ५० वर्ष पूर्व राज्य अपने कार्यक्षेत्र से परे समझता था।

राज्य और समाज के इस प्रभेद को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जाता

राज्य	समाज
राज्य अपने सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माधन है।	1. समाज सामाजिक संबंधों की एक ग्रथि है।

1 मैकीवर का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 451-521.

2 *Principles of Social and Political Theory*, पृष्ठ 43-44

2. राज्य मानव-जीवन के विकास की एक सीढ़ी है ।
3. राज्य के लिए स्थायी और निश्चित भू-भाग का होना आवश्यक है ।
4. मानव जीवन में ऐसा समय रहा है जब राज्य नहीं थे, किंतु वर्तमान दश में राज्य आवश्यक हैं ।
5. राज्य का केवल एक परम उद्देश्य होता है, अर्थात् शांति और व्यवस्था लागू करना ।
6. राज्य बलप्रयोग और शक्ति पर आधारित है ।
7. राज्य सर्वदा संगठित होता है ।
8. राज्य कानूनों की सहायता से अपनी सत्ता कायम रखता है ।
2. समाज तर्क और इतिहास दोनों ही दृष्टि से राज्य से पूर्ववर्ती है ।
3. समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है । घुमटू समाज भी हो सकते हैं ।
4. समाज मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है और आज के युग में वे समाज से बाहर नहीं रह सकते ।
5. समाज के विभिन्न उद्देश्य होते हैं ।
6. समाज साधारणतः समझा-बुझाकर अपने नीतिगत प्रभाव का प्रयोग करता है ।
7. समाज के लिए सुगठित व्यवस्था आवश्यकता नहीं है ।
8. समाज प्रयासों, परम्पराओं और सद्भावना के आधार पर अपना काम चलाता है ।

राज्य और जनसमुदाय के प्रभेद—जहाँ भी व्यक्ति समूह बनाकर रहते हैं और उनके सामान्य जीवन की बुनियादी दशाएँ एकसमान होती हैं, वही जनसमुदाय (community) बन जाता है। यह 'सामान्य सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र' है। इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि सामान्य प्रदेश पर रहने वाले जनसमूह में यह चेतना हो कि वे एकसमान जीवन व्यतीत करते हैं। मैकीवर के अनुसार, एक जनसमुदाय की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्यों का समस्त जीवन व्यतीत किया जा सकता है अर्थात् उसके अतर्गत समस्त सामाजिक संबंधों का समावेश सम्भव है। तथापि, अब सम्य जनसमुदायों में इस प्रकार की भाँस निर्भरता कम होती जा रही है। अब जनसमुदायों के चारों ओर ऐसी दीवारें नहीं रह गई हैं जो उनको अन्य व्यक्तियों से सर्वथा पृथक् रख सकें। बड़े-बड़े जनसमुदायों के अतर्गत अनेक छोटे जनसमुदाय भी होते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति एक गाँव में रहकर भी मानव समाज का सदस्य

होता है¹ ।

जनसमुदाय सदैव प्रादेशिक होता है । इसके सगठन का आधार सामान्य भूमि है । एक दृष्टि से, घुमंतू समुदायो का भी एक स्थानीय, किंतु निरंतर बदलते रहने वाला, निवास-स्थान होता है । तथापि आज के युग में अधिकतर जनसमूह निश्चित भू-भागों पर स्थायी रूप से रहने लगे हैं । यही नहीं, यातायात और प्रसार के साधनों में उन्नति के कारण स्थानीय बंधन और दायित्व ढीले पड़ते जा रहे हैं । अतएव 'पडोस' का महत्त्व कम होता जा रहा है । उसका सामाजिक महत्त्व अब बड़े जनसमुदायो को मिलता जा रहा है । मैकीवर और पेज के कथनानुसार, समय प्राणी होने के नाते, हमको छोटे और बड़े सभी प्रकार के जनसमुदायो की आवश्यकता है । बृहत् जनसमुदायो में हमें सुब्रवण, स्थिरता, बचत और एक रंगीन और विविधतापूर्ण सस्कृति का आकर्षण मिल जाता है जबकि छोटे जनसमुदायो में हमें निकटता और घनिष्ठता स्थापित करने का सतोष प्राप्त होता है । बड़े जनसमुदाय हमें शांति और सुरक्षा, देशभक्ति और कभी-कभी युद्ध, स्वचालित परिवहन और रेडियो प्रस्तुत करते हैं, जबकि छोटे जनसमुदाय हमें मित्र और मित्रता, विचार-विमर्श और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, स्थानीय गौरव और निवास प्रदान करते हैं । पूर्ण जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक है² ।

जंसा कि कोल ने कहा है, मनुष्य जनसमुदायो को बनाते नहीं हैं, वे उनमें जन्म लेते हैं और वही उनका पालन-पोषण होता है । किंतु इसका आशय यह नहीं है कि इस प्रकार के सामाजिक सगठनों का एक विशिष्ट रूप होता है । उसके अनुसार यह एक आत्मनिष्ठ भावना है और सदस्या की चेतना में इसकी वास्तविकता निहित है । जनसमुदाय के अस्तित्व के लिए एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए जो 'उत्तम जीवन की प्राप्ति' के लिए उत्सुक हो, और जिसका ध्यान केवल विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर न हो । यह सामाजिक जीवन का एक समावेशकारी (inclusive) वर्ग है । ऐसे बड़े वर्ग भी बन सकते हैं । फिर भी ये व्यापक वर्ग सीमित वर्गों को पूर्णतः आत्मसात् नहीं कर लेते । बृहत् जनसमुदायो के अंतर्गत भी वे सामाजिक जीवन के वास्तविक केन्द्रों के रूप में बने रहते हैं । कभी-कभी अनेक जनसमुदायो की सदस्यता के कारण उनके प्रति सदस्यों की अनुरक्ति में स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है³ जिसको समझदार नागरिक विवेकपूर्ण ढंग से सुलभ कर सकते हैं ।

1 मैकीवर तथा पेज का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 8-10.

2 यही, पृष्ठ 11.

3 देखिए Cole, *Social Theory*, पृष्ठ 25-27.

राज्य और समुदाय—बहुत समय से, समाज में अनेकानेक समुदाय होते आए हैं। समुदाय की परिभाषा देते हुए, मंकीवर और पेज ने कहा है कि यह एक ऐसा व्यक्ति-समूह है जो किसी विशिष्ट अथवा सामान्य हित की प्राप्ति लिए संगठित होता है। इन विद्वान लेखकों के मतानुसार, 'परिवार' और 'राज्य' समुदायों और जनसमुदायों दोनों ही श्रेणियों में आ जाते हैं। जो नए प्राणी जन्म लेते हैं उनके लिए परिवार एक प्रारम्भिक जनसमुदाय है जो उन्हें वृहत् जनसमुदाय के योग्य बनाता है। किंतु, उनके लिए भी उन्हें अपने परिवार एक स्वेच्छित समुदाय का रूप धारण कर लेना है¹।

बहुत समय तक राजनीतिक विचारकों ने समुदायों के अस्तित्व पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल यह विचार व्यक्त किया कि समुदाय और व्यक्ति-समूह राज्य के सौजन्य से बने हुए हैं। नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाने में वे जो विशेष कार्य करते हैं उसका महत्त्व या तो वे समझ नहीं पाए अथवा उस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। उदाहरणार्थ, इहरिंग ने पूर्वकथन किया कि, विकास की प्रक्रिया में, समुदाय अपने सारे कार्य राज्य को दे बैठेंगे। किंतु मंकीवर के मतानुसार यदि समुदायों के कुछ कार्य राज्य को हस्तांतरित हो भी जाएँ, तो भी समुदाय राज्य में पूर्णतः विलीन नहीं होंगे। इनमें से कम से कम कुछ नागरिकों के जीवन को उत्तम बनाने में अवश्य अपना योग्य देते रहेंगे।

स्वतः उत्पन्न होने वाले ये ऐच्छिक समूह विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में नागरिकों को सहायता देते हैं। बहुलवादियों के प्रयास से समुदायों के महत्त्व को अब समुचित मान्यता दी जाने लगी है। अब कोई कारण नहीं है कि हम इन समुदायों को — जो स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काम करते हैं और जिनमें व्यक्ति प्रायः स्वेच्छा से सम्मिलित होता है (और जब चाहे इन्हें छोड़ सकता है) — समाज के लिए उपयोगिता स्वीकार न करें। एक व्यक्ति चाहे जितने समुदायों का सदस्य हो सकता है (यदि वे परस्पर विरोधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए न बने हों)। आवश्यकतानुसार समुदाय जन्म लेते रहते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति के पदचात् वे विलीन हो जाते हैं। यह देखते हुए कि इन समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक है और इनका जन्म स्वतः होता है, लोकतन्त्रीय राज्यों को हर प्रकार से इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और इनकी सहायता बरनी चाहिए। इनके प्रति अविश्वास का भाव रखने का कोई तर्कसंगत कारण प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः इन समुदायों को

स्वायत्तता (autonomy) में बनी करने अथवा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता केवल उसी दशा में होनी चाहिए जब वे सामान्य हितों के विरुद्ध कार्य करें।

समुदायों को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई राज्य समुदायों पर नियंत्रण रखने के उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकता। राज्य के लिए यह समुचित प्रबंध करना आवश्यक है, कि ये समुदाय सामान्य हितों के विरुद्ध कार्य न करें। अतएव राज्य को इन समुदायों के ऊपर केवल नियंत्रण ही नहीं रखना पड़ता, उसे विभिन्न समुदायों में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करना होता है।

राज्य और समुदाय के प्रभेद की मुख्य बातें निम्न तालिका में दी जाती हैं

राज्य	समुदाय
1. राज्य का एक निश्चित भू-भाग होता है।	1. समुदायों के कार्य क्षेत्र स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं।
2. राज्य एक स्थायी संगठन है।	2. समुदाय अल्पस्थायी होते हैं और बनते बिगड़ते रहते हैं।
3. राज्य की सदस्यता नागरिकों के लिए अनिवार्य है।	3. साधारणतः इसकी सदस्यता वैकल्पिक है।
4. एक नागरिक एक ही राज्य का सदस्य रह सकता है।	4. वह अनेक समुदायों का सदस्य बन सकता है यदि वे परस्पर विरोधी न हों।
5. राज्य को अपनी आज्ञाओं और कानूनों को मानवाने के लिए संयत्तबल प्राप्त है और यह मृत्यु-दण्ड भी दे सकता है।	5. समुदाय केवल समझा-बुझावर काम चलाते हैं और आदेश न मानने पर केवल जुर्माना अथवा सदस्यता से वृत्त कर सकते हैं।
6. राज्य एक प्रभुसत्तात्मक समुदाय है। कानूनी रूप में उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है।	6. इनके नियम और नियमन सदस्यों को बाध्य करते हैं और उनको दृढ़ता से लागू भी किया जाता है, किंतु वे स्वयं राज्य के नियंत्रण में होते हैं।
7. राज्य का महत्व उद्देश्य होता है,	7. इनके उद्देश्य प्रायः सीमित और

1 देखिए मार्शर का ग्रन्थ *Political Theory in England*, पृष्ठ 177.

कानून और प्रबंध की एक व्यवस्था लागू करना और उसके अंतर्गत लोक-कल्याण के कार्य करना ।

विशिष्ट होते हैं ।

8. राज्य में अनेक समुदाय होते हैं जिनके कार्यों पर सामान्य हित की दृष्टि से वह नियंत्रण रखता है ।

8 इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब सदस्यों ने राज्य की अपेक्षा अपने समुदायों को अधिक निष्ठा दी है (मध्यकालीन यूरोप में चर्च की ओर समकालीन युग में श्रमिक संघों की) ।

राज्य और शासन—प्रायः राज्य और शासन अथवा सरकार के प्रभेद को भुला दिया जाता है । जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, 'शासन' राज्य का एक अनिवार्य तत्त्व है । वह एक ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करता है । सरकार के माध्यम से राज्य की इच्छा निमित्त होती है, अभिव्यक्त होती है और पूर्ण होती है । लोकिक के शब्दों में, व्यापकतम अर्थ में 'शासन' से हमारा अभिप्राय नियंत्रण और आज्ञापालन के बुनियादी विचार से है, इसका आशय सत्ता और उस सत्ता के प्रति आधीनता से है । बिना 'शासन' के राज्य नहीं हो सकता । सरकार चाहे किसी प्रकार संगठित हो, उसकी उपस्थिति राज्य के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है । किंतु, इसके विपरीत 'सरकार' बिना राज्य के भी हो सकती है जैसे कि स्थानीय और प्राथमिक स्तरों पर, और हम ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और एजेंसियों के सबंध में भी 'सरकार' अथवा संगठन शब्द का प्रयोग करते हैं जो राज्य नहीं हैं ।

हेरोल्ड जे० सास्की और जी० डी० एच० कोल के अनुसार व्यावहारिक रूप में, इस प्रभेद का कोई महत्त्व नहीं है । कोल के अनुसार, राज्य 'जन-समुदाय के शासन की राजनीतिक मशीनरी' के अतिरिक्त और कुछ नहीं है¹ । इसी प्रकार सास्की का भी मत है कि क्रियात्मक प्रशासन के उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य शासन के अतिरिक्त कुछ नहीं है² । हम मानते हैं कि प्रायः सरकार राज्य के नाम से शासन करती है फिर भी इन दोनों को एक समझ बैठना हानिकारक ही सचता है, और इस प्रभेद को स्वीकार करने से हमारे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी । यदि हम यह समझ लें कि सरकारें अस्थिर होती हैं, वे क्षाती-जाती रहती हैं, किंतु राज्य अपेक्षाकृत स्थायी होता है, तो हम अनेक उलझनों से बच जाएंगे । उस दशा में हृष प्रभुसत्ता को सरकार का

1 देखिए *Self-government in Industry*, सरोचिन सहायण, लंदन, 1919, पृष्ठ 119.

2 *A Grammar of Politics*, लन्दन, 1948, पृष्ठ 26

लक्षण नहीं, राज्य का लक्षण मानेंगे और हम यह भी नहीं कहेंगे कि सरकार की सत्ता निरकुश होती है। फिर हमारी समझ में यह भी सरलता से आ जाएगा कि सरकार को संविधान और विधि के अंतर्गत कार्य करना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। यही नहीं, इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्रीय समाज में, जहाँ अंतिम रूप में प्रभुवांशिता जनता में निहित होती है, वहाँ सरकार के निर्णयों और कार्यों में 'अतिमता' नहीं हो सकती। यदि यथेष्ट सार्वजनिक दबाव पड़े तो सरकार को झुकना पड़ता है और लोकमत के अनुरूप बनाने के लिए अपनी नीतियों और व्यवहारों में परिवर्तन करना पड़ता है।

राज्य और सरकार को एक समझने की भूल सामान्य बोलचाल की भाषा में भी की जाती है। जब हम सघीय राज्य की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय सरकार के सघीय रूप से होता है। जब हम राज्य के हस्तक्षेप या राजकीय सहायता की बातें करते हैं तो वस्तुतः हम सरकारी कार्यों के सबंध में सोच रहे होते हैं। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कोल ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य और सरकार में कोई प्रभेद नहीं है¹। किंतु सेट के अनुसार, ठीक निष्कर्ष यह निकलता है कि यहाँ शब्दों का प्रयोग अस्पष्ट और भ्रमोत्पादक ढंग से किया गया है। इस प्रकार की भूलें प्रचलित भाषा में इसलिए हो जाती हैं कि राज्य और सरकार का निकट सबंध है। राज्य एक प्रादेशिक समुदाय है, किंतु प्रभावी रूप में वह केवल सरकार के माध्यम द्वारा ही कार्य कर सकता है। जब सरकार राज्य के नाम से कोई कार्य करती है तो यह भी कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहा है²। इस स्थिति के कारण लास्की का कहना है कि हमें राज्य के कामचलाऊ सिद्धांत का विचार प्रशासनिक शब्दों में करना चाहिए। 'राज्य की इच्छा वस्तुतः उन थोड़े से व्यक्तियों द्वारा किए गए निर्णय होते हैं जिन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त है, क्योंकि क्रियात्मक प्रशासन की दृष्टि से, सरकार राज्य है'³। फिर भी लास्की इन दोनों को एक नहीं मानता⁴।

लास्की के मतानुसार राज्य और सरकार में प्रभेद करने का एक बड़ा लाभ सरकार के अधिकार-क्षेत्र की मर्यादा पर ध्यान रखना है। सरकार को राज्य के उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए और नागरिकों के लिए ऐसी दशाएँ उत्पन्न

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 119-121.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 87.

3 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 35 और 131.

4 देखिए *The State in Theory and Practice*, पृष्ठ 8-9.

करने का यत्न करते रहना चाहिए जिनमें उनकी इच्छाओं की अधिकतम तुष्टि हो सके। उसे अनुभव पर आधारित सभी सुझावों पर ध्यान देना चाहिए जिससे सरकार राज्य की प्रभुसत्ता का दुरुपयोग न कर सके। लास्की के कथनानुसार, प्रत्येक सरकार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके भ्रष्ट होने की सम्भावना रहती है। वे जानबूझकर सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। सदस्य होते हुए भी, वे अपने व्यक्तिगत हितों को ही जनसमुदाय का कल्याण समझ बैठने की भूल कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें यथार्थ स्थिति का ज्ञान न हो अथवा उस पर काबू पाने की उनमें योग्यता न हो। प्रत्येक राजनीतिक समाज के इतिहास में किसी न किसी समय इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। राज्य और सरकार के प्रभेद को मान्यता देने का एक लाभ यह है कि जब हमें सरकार राज्य के एजेंट (अभिकर्ता) के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में असमर्थ दिखाई दे, तब निर्धारित प्रक्रिया द्वारा हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं¹। इस प्रभेद को हम निम्न तालिका के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं -

राज्य	सरकार
1. राज्य एक पूर्ण स्वरूपना (concept) है।	1. सरकार राज्य का एक तत्त्व है। जो राज्य के एजेंट (अभिकर्ता) के समान कार्य करता है।
2. यह अमूर्त है।	2. यह मूर्त है।
3. सभी नागरिक इसके सदस्य होते हैं।	3. नागरिकों का केवल एक छोटा भाग सरकार के विभिन्न अंगों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
4. यह स्थायी है। सरकार के परिवर्तनों का इसके अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता।	4. सरकारें बदलती रहती हैं।
5. राज्यों के आवश्यक तत्त्व एक-समान होते हैं। केवल उसकी सरकारों के रूप भिन्न होते हैं।	5. सरकारों के रूप विभिन्न प्रकार के होते हैं।
6. बिना सरकार के राज्य नहीं हो सकता।	6. बिना राज्य के सरकार हो सकती है।
7. प्रभुसत्ता राज्य का एक अनिवार्य तत्त्व है।	7. व्यवहार रूप में, सभी सरकारों के अधिकार सीमित होते हैं।

- 8 कुछ राज्यों का विचार है कि नागरिकों को उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती और न अधिकार ही हो सकते हैं।
- 8 सरकार के विरुद्ध नागरिकों को शिकायतें भी हो सकती हैं और उसके विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के हेतु कानूनी कार्यवाही करने की अनुमति भी है।

3. 'जाति' और राष्ट्र

नेशनलिटी ('जाति') और 'राष्ट्र' (nation) शब्दों की व्याख्या करना सरल नहीं है। विद्वान लेखकों और विचारकों ने इन शब्दों का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। प्रायः 'नेशनलिटी' और 'राष्ट्र' में स्पष्ट भेद नहीं किया जाता, और इन दोनों का राज्य से भी बहुत कम स्पष्ट प्रभेद किया गया है। अतः इन शब्दों के उपयोग में बहुत ढीलापन आ गया है। उदाहरण के लिए, कुछ यूरोपीय¹ और भारतीय विद्वानों ने कहा है मानव इतिहास के प्राचीन काल में भी 'राष्ट्र' वर्तमान थे। तथापि, अधिकतर राजनीतिक विचारक अब इस मत के हो गए हैं कि इन दोनों का रूप ऐतिहासिक है²।

'जाति'—व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'नेशनलिटी' और 'नेशन' शब्द लैटिन धातु 'नेटियो' से निकले हैं जिसका अभिप्राय 'जन्म' अथवा 'सामान्य वंश' से है। किंतु अनेक विद्वान विचारक अब इन दोनों शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में करते हैं।

जिर्मन ने नेशनलिटी की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'यह एक ऐसी विशिष्ट तीव्रता, निकटता और गौरव से युक्त सामूहिक भावना है जो एक निश्चित निवास स्थान से सम्बद्ध है'³। बार्न्स के अनुसार 'नेशनलिटी' एक सामूहिक नाम है जो उन मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक तत्वों की ग्रथि को दिया जाता है जो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाला सिद्धांत प्रस्तुत करती है। ओपेनहीमर के अनुसार, राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र को जन्म देती है। किंतु ग्राइम का मत इससे भिन्न है। उसके अनुसार 'नेशनलिटी' हमें उस राजनीतिक रूप से संगठित जनसमूह को कहना चाहिए जो या तो स्वाधीन है अथवा स्वा-

1 C. J. H. Hayes, *Essays on Nationalism*, न्यूयार्क, 1928, पृष्ठ 6

2 इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए N. N. Agarwal, *The Nationalities Problems in the U. S. S. R.*, 1959, अध्याय तीन, (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, प्रयाग एवं आगरा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध)

3 Alfred E. Zimmern, *Nationality and Government*, लन्दन, 1919, पृष्ठ 52

धीनता प्राप्ति के लिए उद्योग कर रहा है। स्टालिन ने भी 'नेशनलिटी' शब्द का प्रयोग ऐसे प्रादेशिक जनसमूहों के लिए किया है जो मानव इतिहास के प्राचीन और मानववादी युगों में विभिन्न बर्गीयों और वर्गों के सम्मिश्रण से बन गए हैं। उसके अनुसार सामान्य भाषा 'नेशनलिटी' का एक प्रमुख लक्षण है¹।

'नेशनलिटी' के मन्थन में ऊपर दिए हुए विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इस सबंध में विद्वानों में मतभेद नहीं है। पहले तीन लेखक 'नेशनलिटी' को आत्मनिष्ठ अथवा मनोवैज्ञानिक भावना मानते हैं जबकि दो लेखक उसे एक ऐसा विशिष्ट जनसमुदाय समझते हैं जिसे मानव विकास की निश्चित दशा कहा जा सकता है। ब्राइस और स्टालिन² दोनों ही 'नेशनलिटी' और 'राष्ट्र' में भेद करते हैं और वे 'राष्ट्र' को ऐतिहासिक दृष्टि से अपेक्षाकृत एक उन्नत दशा मानते हैं। किंतु ब्राइस के मतानुसार इन दोनों के भेद का मुख्य आधार है राष्ट्र का राजनीतिक रूप से संगठित होना और उसका या तो स्वाधीन होना अथवा इसके लिए तोड़ उकड़ा जा होना। इसके विपरीत स्टालिन का मत है कि राष्ट्र 'नेशनलिटी' की अपेक्षा अधिक सुगठित होता है, यद्यपि नेशनलिटी के लिए भी एक सामान्य भाषा का होना आवश्यक है। राष्ट्र में यह सुगठन प्रशान्त आपिक कार्यों से आता है। दूसरे, स्टालिन यह स्वीकार नहीं करता कि प्रत्येक राष्ट्र का पृथक् अस्तित्व आवश्यक है और उसके लिए एक स्वाधीन राज्य बनाए रखना अपरिहार्य है। उसके अनुसार, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कई राष्ट्र मिल कर एक बहुराष्ट्रीय राज्य की स्थापना कर सकते हैं और यदि ऐसा राज्य पूर्ण राष्ट्रीय एकाता, सतत (consistent) लोकतंत्र, और अभेद नीति (non-discrimination) पर आधारित हो तो आपत्ति उठाने का प्रश्न नहीं रहता³।

यहाँ यह बताना उचित प्रतीत होता है कि 'नेशनलिटी' शब्द का प्रयोग नागरिकों की कानूनी स्थिति के लिए भी होता है। अब एक नागरिक विदेश-यात्रा के लिए जाता है, तो उसने प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी 'नेशनलिटी' (राष्ट्रिकता) क्या है। इस प्रश्न का आशय यह होता है कि वह किस देश का नागरिक है।

सामान्य लोकप्रयोग में 'नेशनलिटी' शब्द को बहुधा एक बहुराष्ट्रीय राज्य की जातियों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड

1 *National Question and Leninism*, मस्को, 1950, पृष्ठ 11-12.

2 *Concerning Marxism in Linguistics*, नई दिल्ली, 1953, पृष्ठ 10.

3 *National Question and Leninism*, पृष्ठ 11-12 और 27.

मे तीन जातियाँ मानी जाती है - जर्मन स्विस, इटैलियन स्विस और फ्रासीसी स्विस। कभी-कभी 'नेशनैलिटी' शब्द का प्रयोग यूनाइटेड किंगडम मे स्काटलैंड निवासियों और उत्तरी आयरलैंड मे रहने वालों के लिए भी किया जाता है।

राष्ट्र क्या है ?—'राष्ट्र' शब्द के प्रयोग मे भी बहुत अस्पष्टता, डिलीरई और विविधता है। कुछ लेखक इसे राजत्व (statehood) के अर्थ मे प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि एक राज्य मे रहने वाले व्यक्तियों को राष्ट्र कहना चाहिए। किंतु विवेकशील लेखक जल्दवाजी मे किए हुए ऐसे सामान्यीकरणों से बचने का प्रयत्न करते हैं। हास कोहन¹, अर्नेस्ट रैनन², फ्रेडरिक हर्ट्ज³, शूर्मेन⁴, कार्ल मावस, फ्रेडरिख एगिल्स, लेनिन और स्तालिन ने इसे प्रादेशिक जनसमूहों की एक विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था माना है। डा० ताराचन्द ने भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया है⁵। इन विचारकों के मतानुसार राष्ट्र एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो अनेक जातीय और रक्त पर आधारित जनसमूहों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप उस समय विकसित होता है जब दास-प्रथा पर आधारित समाज और सामंती समाज का अंत हो चुकता है। इन विद्वानों की मान्यता है कि राष्ट्र एक प्रादेशिक जनसमुदाय है, कबीलाई, जातीय, अथवा धार्मिक जनसमूह नहीं।

राष्ट्र के वस्तुनिष्ठ तत्त्व—अनेक विद्वान लेखकों ने ऐसे वस्तुनिष्ठ तत्त्वों की चर्चा की है जिनके उपस्थित रहने से राष्ट्र के विकास की सम्भावना रहती है। किंतु कुछ लेखक इस बात पर बल देते हैं कि इनमें से प्रत्येक तत्त्व की उपस्थिति राष्ट्र के विकास के लिए नितांत आवश्यक नहीं है। इन तत्त्वों मे से कुछ हैं - भाषा की समानता, भौगोलिक एकता, सामान्य आर्थिक कठिनाई, सामान्य इतिहास और परम्पराएँ आदि। किंतु इनके सबंध मे भी लेखक एकमत नहीं हैं। मैकीवर के अनुसार, कठिनाई से ही कोई ऐसे दो राष्ट्र होंगे जिनका विकास एक ही प्रकार के वस्तुनिष्ठ तत्त्वों के कारण हुआ हो। अतः यह आवश्यक है कि हम इन तत्त्वों पर सक्षेप मे विचार करें।

नस्ल और रक्त की एकता—जिन जनसमूहों मे रक्त अथवा नस्ल (race) की एकता होती है उनमे सरलता से 'जातीय' भावना उत्पन्न हो जाती है।

1 *The Idea of Nationalism*, न्यूयार्क, 1946, पृष्ठ 13.

2 'What is a Nation?' in *Modern Political Doctrines*, सम्पादक : जिमर्न, लण्डन, 1939, पृष्ठ 187.

3 *Nationality in History and Politics*, लन्दन, 1944, पृष्ठ 28.

4 *International Politics*, न्यूयार्क, 1948, पृष्ठ 425.

5 *History of Freedom in India*, नई दिल्ली, 1961, खण्ड 1.

इसके विपरीत जहाँ जाति विशेष रहता है, वहाँ इस भावना का उदय होना संभव कठिन है। नस्ल अथवा रक्त की एकता का विचार किसी जनसमुदाय की एकता के सूत्र में धोपने में अत्यंत सहायक हो सकता है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या विगुद्ध 'नस्ल' नाम की कोई वस्तु है? रेनन के अनुसार, इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। आधुनिक जातियों में इतना अधिक सम्मिश्रण हो चुका है कि विगुद्ध रक्त की सर्वा विशेष अर्थ नहीं रखती। दूमरे के मतानुसार, विगुद्ध रक्त यदि बची रहा भी हो, तो भी हज़ारों वर्षों से होने वाले प्रवासन (migration), युद्ध, विजय, परिभ्रमण, अंतविवाह आदि के कारण इस प्रकार की स्थिति बची की समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार सभी आधुनिक राष्ट्र अनेक बवोलों, नस्लों और जातियों के सम्मिश्रण से बने हैं। तथापि, प्रश्न यह नहीं है कि रक्त और नस्ल की एकता की बात वैज्ञानिक रूप से सत्य है अथवा नहीं। यदि किसी कारणवश एक जनसमुदाय में यह विश्वास पैदा हो जाए कि रक्त और नस्ल की दृष्टि से वे एक हैं तो सम्भवतः हमसे भी जातीय भावना का उदय हो सकता है, फिर मले ही इस विश्वास का व्यापार भ्रमपूर्ण ही क्यों न हो।

धार्मिक एकता—धर्म की एकता एक बृहत् सामाजिक बंधन है। सामान्य धार्मिक विश्वास और रीतियाँ व्यक्ति-समूहों में एकता की भावना विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। यद्यपि विगत जीवन में राष्ट्रों को बृहत् बनाने में इसने बहुत सहायता दी है, तथापि इसे राष्ट्र का एक वस्तुनिष्ठ तत्व नहीं माना जा सकता। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि धार्मिक एकता के अभाव में भी राष्ट्र विकसित हुए हैं। स्विटजरलैंड में विभिन्न मतावलम्बी रहते हैं, किंतु इससे उनकी राष्ट्रीयता में कोई बाधा नहीं पड़ती। जैसा कि हम कह चुके हैं, आधुनिक राष्ट्र प्रादेशिक समुदाय होते हैं। वे अनेक जातियों के सम्मिश्रण से बने हैं और उनमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वेबन आवश्यकता यह है कि वे सामान्य भूमि पर स्थायी रूप से रहते हो और देश के इतिहास, परम्पराओं और आकाशाका में समान रूप से भागीदार हों। अर्कादीन काल में सोवतन और धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को मान्यता देकर सम्य सत्कार में धार्मिक भेदभाव की जड़ काट दी है। अतएव धर्म की राष्ट्र के विकास में एक अपरिहार्य और वस्तुनिष्ठ तत्व बनाना धार्मिक कट्टरता और अल्पमन्यकों के

उत्पीडन को प्रोत्साहन देना होगा ; और इससे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय राज्यों की जड़ों पर कुठा राधात होगा ।

भाषा की एकता—जाति तथा नस्ल की एकता का भाषा की एकता से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है । वस्तुतः वंश अथवा रक्त की एकता के अन्य परिचयात्मक बिन्दुओं के अभाव में, सामान्य भाषा और संस्कृति के आधार पर ही जातीय एकता का अनुमान लगाया जाता है । अतः जाति और भाषा की एकता लगभग एक ही बात होती है ।

कुछ विचारकों ने भाषा की एकता पर बहुत अधिक बल दिया है । हर्डर (1744-1803) और फिन्टे (1762-1814) उन विद्वानों में हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भाषा की एकता के महत्त्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । फिन्टे का कहना था कि सामान्य अनुभवों, हितों और आदर्शों से भाषा का घनिष्ठ संबंध है । केवल सामान्य हित और आदर्श किसी व्यक्ति-समूह को जातीय एकता के सूत्र में उस समय तक नहीं पिरो सकते जब तक उनमें विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा का माध्यम न हो । अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार भाषा और राष्ट्र में घनिष्ठ साहचर्य है । भाषा केवल शब्द मात्र नहीं होती । प्रत्येक शब्द से संबंधित अनेक भाव और विचार होते हैं जो हम अपनी परम्पराओं का स्मरण कराते हैं । अतएव, हम सामान्य भावनाओं और विचारों के उस समय तक भागीदार नहीं बन सकते जब तक हम साहचर्य के द्वार को भाषा की कुंजी से नहीं खोल लेते । फ्रेडरिक शूमन के मतानुसार भाषा व्यक्तियों के सांस्कृतिक वातावरण की सर्वोत्तम सूचक होती है । राष्ट्र केवल इसलिए एका के सूत्र में आबद्ध नहीं हो जाते कि वे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं और सामाजिक रूप से संगठित हैं, अपितु इसलिए कि वे एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं जो अन्य राष्ट्रीय जनसमूहों की भाषा से भिन्न है¹ । भाषा के महत्त्व पर बल देने वाले अन्य लेखकों में रैमंडे म्योर, हास बोह्न, स्तालीन आदि प्रमुख हैं । वे विचारक, जो इस मत को स्वीकार नहीं करते, प्रायः यूनाइटेड किंगडम, स्विटजरलैंड और नोदर्लैंड के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । यद्यपि उपर्युक्त राज्यों में विभिन्न भाषा-भाषी व्यक्ति रहते हैं, फिर भी वे राष्ट्र बहलाते हैं । कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो इस युक्ति को सगत नहीं मानते । उनके अनुसार, उपर्युक्त सभी राज्य वस्तुतः 'बहुराष्ट्रीय' राज्य हैं । कुछ लेखकों ने सुझाव दिया है कि इस समस्या का हल करने के लिए अच्छा होगा कि हम एक राज्य के समस्त व्यक्तियों के लिए सामूहिक रूप में 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग करें और उनमें रहने वाले विभिन्न भाषा-

1 उपर्युक्त प्रयोग, पृष्ठ 439-40.

भाषियों को 'नेशनलिटी' अथवा जातियाँ मान लें।

भौगोलिक एकरता—सामान्य भाषा के रहने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि उदा भाषा के बोलने वाले सभी व्यक्तियों का एक राष्ट्र हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा बोलने वाले व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम में भी रहते हैं, और कॅनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) आदि में भी। किंतु इनके अपने पृथक् राष्ट्र हैं। यस्तुत राष्ट्र केवल तभी विकसित हो पाते हैं जब एक जनसमुदाय अनेक पीढ़ियों तक विचारों के व्यवस्थित आदान-प्रदान में संलग्न रहें। इसका आशय यह हुआ कि राष्ट्र बनने के लिए व्यक्ति-समूह का मिलकर एक सामान्य भू-भाग पर रहना अपरिहार्य है। इधर उधर बंट जाने से जातीय भावना का अंत हो सकता है, विशेषतः जब वे अपने से अधिक प्रबल किसी जाति के निरंकुश सम्पर्क में आ जाएँ। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब निर्बल जातियाँ शक्तिशाली अपने से प्रबल जातियों में खप जाती हैं और अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक साथ मिलकर एक ही भू-भाग में रहने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।

बहुत दिनों तक लेखकों का यह मत रहा कि राष्ट्र के विकास और अस्तित्व के लिए एक संलग्न भौगोलिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य है। इस मत के विरुद्ध प्रायः यहूदियों का उदाहरण दिया जाता है। किंतु 'इजराइल' नामक राज्य के स्थापित होने के पूर्व यद्यपि यहूदियों का अपना कोई देश न था, तथापि उनकी भावनाएँ और विचार एक निश्चित प्रदेश से संबंधित थे। एक संलग्न भौगोलिक क्षेत्र में साथ-साथ रहने, एक ही भाषा में विचार-विमर्श करने तथा सामान्य ऐतिहासिक अनुभवों और आकांक्षाओं के कारण व्यक्ति-समूह में बहुधा सामान्य भावनाएँ और दृष्टिकोण का उद्भव हो जाता है और उन्हें अपने देश से अनुराग हो जाता है। अपने देश के प्रति अनुराग का ही दूसरा नाम देश-प्रेम अथवा देश-भक्ति है।

सामान्य आर्थिक कड़ियाँ—सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। तब से इसका महत्त्व अधिकाधिक विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाने लगा है। अनेक विद्वानों ने जब यह स्वीकार कर लिया कि राष्ट्र एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय वस्तु है तो उनका ध्यान उन देशों की ओर गया जिनमें राष्ट्र विकसित होत हैं। छोटे से अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्र ऐसे प्रादेशिक जनसमुदाय हैं जो प्राचीन काल में नहीं थे और न वे दास प्रथा अथवा सामन्ती व्यवस्था के अंतर्गत सम्भव हो सकते थे। राष्ट्र कुनबा, कबीला और बराकत समूहों के सम्मिश्रण से बनते हैं। तन्नि के मता-

नुसार, प्रदेशों में विनिमय के बढ़ने से और एक घरेलू मण्डी के बनने से राष्ट्रीय कड़ियों का निर्माण होता है¹। उनका कहना है कि एक जनसमुदाय उस समय तक राष्ट्र में दृढ़ीभूत नहीं होता जब तक वह सामान्य आर्थिक कड़ियों से आवद्ध न हो जाए, और ऐसा उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली के विकास से सम्भव होता है।

सामान्य इतिहास, परम्पराएँ और आकाशाएँ—सामान्य भाषा, भौगोलिक सलग्नता और सामान्य आर्थिक कड़ियों के होने से एक व्यक्ति-समूह मिल-जुल कर रहता है, उसके सामान्य अनुभव होते हैं और उनमें सामान्य दृष्टिकोण और सामान्य अभिलाषाओं का जन्म हो जाता है। प्रायः इन व्यक्तियों में साथ-साथ दुःख भेले हैं, मिलकर कार्य किए हैं और एक ही प्रकार के अनुभव किए हैं। फलस्वरूप उनमें एक सामान्य मनोवैज्ञानिक रूप और भावना उत्पन्न हो जाती है।

हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि 'राष्ट्रीय चरित्र' स्थायी और गतिहीन होता है। यह कहना असंगत न होगा कि एक जनसमुदाय का चरित्र उसके सामाजिक जीवन की प्रतिछाया मात्र होता है। अतएव जैसे-जैसे सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होता जाता है उनके अनुरूप लोकचरित्र में भी शनैः-शनैः परिवर्तन आ जाता है। दूसरे, जब हम राष्ट्रीय चरित्र की बातें करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र में वैयक्तिक विविधताएँ होती हैं। अतः राष्ट्रीय चरित्र से हमारा अभिप्राय केवल यही हो सकता है कि उक्त जनसमुदाय में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ होती हैं।

निष्कर्ष—उपर्युक्त वस्तुनिष्ठ तत्त्वों पर विचार करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास के लिए इनमें से प्रत्येक का होना अपरिहार्य नहीं। नितांत आवश्यक तत्त्वों के संघ में भी मतभेद हैं। अपने देश का उदाहरण लेने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी सामान्य भाषा नहीं है। भारतीय विचारकों और विद्वानों में के० एम० पन्नीकर और प्रो० गाडगिल आदि ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि वस्तुतः भारत एक बहुल (plural) समाज और बहुराष्ट्रीय राज्य है। अन्य लेखक भारत के बहुराष्ट्रीय रूप को मानने में हिचकते हैं। उन्हें भय है कि वही ऐसा करने से देश के अन्दर पृथक्-करण की भावना को बल न मिल जाए अथवा इस मान्यता से कहीं हमारी राष्ट्रीय सुदृढ़ता में बाधा उपस्थित न हो जाए। इसी प्रकार, बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो धर्म को राष्ट्रत्व का आधार न मानते हों। यह भी सम्भव है

1 *Development of Capitalism in Russia*, मारको, 1956, पृष्ठ 358.

कि वह राष्ट्र के प्रादेशिक आचार को भी न मानें। वे यह भी नहीं मानना चाहेंगे कि भौगोलिक सलानता और सामान्य भाषा के अभाव में पूर्ण राष्ट्रत्व का उदय यदि असम्भव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। वे अपने जनसमुदाय को बहुराष्ट्रीय भी नहीं मानना चाहेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी जाति और पूर्णता की उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं जब हम अपने लिए यह गर्व की बात समझे कि हमारा समाज विविधता से पूर्ण है और हमारा राज्य बहुराष्ट्रीय है। सोचें न, इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण ऐतिहासिक अथवा समाजशास्त्रीय नहीं है। हमें इसमें सुविधा दिखाई देती है कि क्यासम्भव राष्ट्रत्व और राजत्व को एक-जैसा मान लिया जाए।

4 राष्ट्रवाद का उदय

राष्ट्रवाद (nationalism) अपेक्षाकृत एक अर्वाचीन भावना है। प्राचीन यूरोपीय व्यवस्था में 'नशनलिटी' (जातियो) को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी और जनता भी अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति विशेष सजग नहीं थी। समस्त यूरोप का ठाँचा बराष्ट्रीय था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग अन्य व्यक्तिगत अधिकारों की माँगों के समान ही अस्वीकृत कर दी जाती थी। प्रशासनिक कार्यों में जनता की भावनाओं और अभिलाषाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शासकों के परिवारों के हित ही राज्यों की सीमाएँ निर्धारित करते थे। पोलैंड के लुप्त होने के उपरान्त इस स्थिति में एक परिवर्तन आया और एक नई भावना ने बल पकड़ा कि कुछ राजकीय सीमाएँ अस्वाभाविक और अन्धकारपूर्ण भी हैं। सर्वे शर्तें राष्ट्रीय भावना की प्रबलता और राष्ट्रीय समस्या की जटिलता दृष्टिगत होने लगी और राष्ट्रीय प्रश्नों पर राजनीतिकों और विचारकों द्वारा ध्यान दिया जाने लगा।

इस समस्या के समाधान के लिए अनेक योजनाएँ और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। इनमें सर्वप्रथम 'राष्ट्रीयता का सिद्धांत' है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपना पृथक् और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके मतानुसार, इस सिद्धांत को कार्य में परिणत करने से राष्ट्रीय अतन्त्रता और असाहिष्णुता को प्राप्ताह्न मिलेगा और अन्त में यह सिद्धांत वैयक्तिक स्वतंत्रता का शत्रु सिद्ध होगा। अतएव उन्होंने बहुराष्ट्रीय राज्या के बनाए रखने पर बल दिया और एक राज्या को सामान्य प्रगति की सबसे बड़ी गारंटी बताया। उनके अतिरिक्त एक विचारक भी हैं जो, राष्ट्रीयता की सक्ति और प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी, इस बात पर बल देते हैं कि पुरानी राजनीतिक कठिनाइयों को बिना

समझे शूझे नहीं तोड़ देना चाहिए । उनके कथनानुसार प्रादेशिक, भाषाजनित और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक स्वायत्तता दी जा सकती है जिससे उनकी राष्ट्रीय भावना की तुष्टि हो जाय और वे एक वृहत् राजनीतिक संगठन के अंतर्गत बने रहें । इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देने और सविधानी संरक्षण की योजनाएँ भी बनीं और लागू की गईं¹ ।

वोसवो सताव्वी में राष्ट्रवाद की भावना ने बहुत बल पकड़ा है, विशेषतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के उन देशों में जो अभी तक पराधीन थे । जहाँ तक यह भावना साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय स्वाधीनता की समर्थक रही है यह एक स्वस्थ विचार है । इस रूप में, इसने राष्ट्रीय स्वाधीनता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र को बड़ाया है । राष्ट्रवाद के समर्थकों का कहना है कि स्वाधीन राष्ट्रों के स्थापित होने से प्रत्येक जनसमूह को अपन सुख और समृद्धि के लिए भरसक प्रयत्न करने के अवसर मिल जाते हैं । साम्राज्यवादियों द्वारा राष्ट्रीय जागृति की इस लहर को रोकने के सभी प्रयत्न असफल हुए हैं और वह दिन दूर नहीं है जब ससार के सभी पराधीन देश स्वतंत्र हो जाएँगे । हमें स्वाधीनता संग्राम के उन अनगिनत वीर सिपाहियों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर स्वाधीनता की ज्योति जगाए रखने के लिए अथक प्रयत्न किए ।

'एक राष्ट्र, एक राज्य' का सिद्धांत—'एक राष्ट्र, एक राज्य का सिद्धांत अब पुराना हो चला है । इसे राष्ट्रीय राज्य का सिद्धांत भी कहते हैं । सभवतः मात्सिनी (1805-1872 ई०) वह सर्वप्रथम राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस सिद्धांत की खुली घोषणा की । इसके प्रतिपादकों में जॉन स्टुवर्ट मिल प्रमुख है । बाल्फोर, एंग्लिस और लेनिन ने भी राष्ट्रों के 'स्वभाग्य निर्णय के अधिकार' के रूप में इस सिद्धांत को अपना प्रबल समर्थन दिया । प्रथम महायुद्ध के समय, प्रेसिडेंट बुड्रो विल्सन ने भी इसके समर्थन में अपनी दायितवासी आवाज बुलन्द की ।

इस सिद्धांत का आशय यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना स्वाधीन राज्य बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । मिल के अनुसार, जहाँ भी राष्ट्रीयता की प्रबल भावना उपस्थित हो, वहाँ उस राष्ट्र के सभी सदस्यों को एक पृथक् और स्वाधीन शासन के अंतर्गत रखने के यत्ने ब्यर्थ हैं । उससे कथनानुसार, यह स्वशासन के सिद्धांत का ही एक सर्वसंगत उपयोग है । उसका मत था कि किसी

1 इस विषय में विस्तारपूर्वक विवेचन के लिए, दक्षिण-पूर्व में नारायण चन्द्रका का उपर्युक्त ग्रन्थ, अध्याय 5

ऐसे देश में, जहाँ विभिन्न राष्ट्र मिलकर रह रहे हों, स्वतंत्र सस्थाएँ असम्भव हैं। ऐसे जनसमुदायों में शासन सरलतापूर्वक भेद-नीति से काम ले सकता है। एक बहुराष्ट्रीय राज्य के सैनिकों में जनता के प्रति लगाव न होने के कारण शासन की निरकुशता से बचने के कोई प्रभावी साधन भी उपलब्ध नहीं होते¹।

उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे चरण में, कार्ल मार्क्स ने भी राष्ट्रीय प्रश्न के महत्त्व को स्वीकार किया और इस बात पर बल दिया कि जिन जनसमुदायों में स्वाधीनता के सन्ध में प्रबल भावना हो वहाँ साम्यवादियों को ऐसे आंदोलनों का खुला समर्थन करना चाहिए। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्, शांति स्थापना के समय जहाँ तक सम्भव हो सका, यूरोप में इस सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न किया गया। संयुक्त-राष्ट्र संगठन (U. N. O.) के घोषणापत्र में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी है और पराधीन जनसमुदायों को परतंत्रता से छुटकारा दिलाने में विशेष योग दिया है। फलस्वरूप, पीछे से जनसमुदायों को छोड़कर, सत्तार की जनता का एक बहुत बड़ा अंश अब राजनीतिक रूप में स्वतंत्र हो चुका है। उपयुक्त घोषणापत्र ने औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दशा को विजित और पराधीन देशों के शासन के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए यह मांग की कि वे इन पराधीन देशों की जनता के स्वतंत्र होने की निश्चित योजनाएँ बनाएँ। घोषणापत्र के इस अध्याय का परिणाम बहुत सुखद हुआ है और घोषणापत्र के जारी होने के 20 वर्षों में ही ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वह दिला अब दूर नहीं है जब सत्तार में कोई पराधीन देश अपना जनसमुदाय नहीं रह जाएगा।

बालोचना—राष्ट्रीय स्वाधीनता की इस प्रबल लहर के साथ एक विपरीत प्रवृत्ति भी दृष्टिगत हो रही है। पाश्चात्य यूरोप में, अरब देशों में और अफ्रीका के कुछ भागों में बड़ी राजनीतिक इकाइयों को बनाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्य जनता की भौतिक समृद्धि में विशेष सहायक नहीं होते। साथ ही, इनकी अत्यधिक सख्या होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याएँ कम होने के स्थान पर बढ़ गई हैं। इन वृहत् राजनीतिक संगठनों की योजनाओं को ध्यान में रखकर, मृत्प्राय साम्राज्यवादी व्यवस्था के समर्थकों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया है कि हम पुरानी व्यवस्था को ही क्यों एक परिवर्तित रूप में स्वीकार कर लें? कठने का आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार नवविवक्षित राज्यों में लोकप्रिय नहीं हो सकें। तथ्य यह है कि जब तक समस्त पराधीन देश स्वतंत्र नहीं हो जाते, इस प्रकार की सभी योजनाएँ सदहास्यद बनी रहनी।

¹ द्रष्टव्य *Utilitarianism*, etc. पृष्ठ 360-362

कुछ राजनीतिक चिंतकों ने राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। लाडें ऐक्टन (1834-1902) इनमें प्रमुख है। उनका मत है कि यह सिद्धांत स्वाधीनता का दुश्मन और मानव इतिहास में एक उलटा कदम है। उसके मतानुसार, यह सिद्धांत राष्ट्र को निरकुश बना देगा और व्यक्तियों से राष्ट्रीय एकता के नाम पर वैयक्तिक स्वतंत्रता के परित्याग की मांग को जाएगी। साथ ही, इससे असहिष्णुता और दृष्टिकोण में सकुचित अनन्यता पनपने लगगी। एकरूपता के नाम पर, अनागरिकों को समानता के पद से वंचित कर दिया जाएगा। अतः यह सिद्धांत वैयक्तिक स्वतंत्रता और स्वशासन दोनों का शत्रु सिद्ध होगा।

बहुराष्ट्रीय राज्य का सिद्धांत—ऐक्टन के मतानुसार विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग सम्य अस्तित्व की चरम आवश्यकता है। उनके पारस्परिक समागम से, पिछड़े व्यक्ति ऊँचे स्तर पर आ जाते हैं जीर्ण-शीर्ण और मृतप्राय राष्ट्र जी उठते हैं और पुन शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तथा राष्ट्रों को अनुशासित होने के अवसर मिल जाते हैं। इस प्रकार, एक राज्य के अतर्गत अनेक राष्ट्रों का सम्मिश्रण शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। अतएव, इस प्रक्रिया से मानवता और सम्यता दोनों की ही उन्नति होती है। संक्षेप में, अनेक राष्ट्रों की एक राज्य के अतर्गत उपस्थिति उसकी स्वतंत्रता की कसौटी ही नहीं, अपितु सर्वोत्तम सुरक्षा भी है। राज्य को विभिन्न समूहों, और जनसमुदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बाध्य कर, यह स्वाधीनता और स्वराज्य का पोषक बन जाता है। साथ ही, उन विभिन्न समुदायों को भी जो सामाजिक जीवन में विविधता और रंग लाते हैं, व्यक्ति के विनास में सहायक होते हैं एवं व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करते हैं, समुचित प्रोत्साहन मिल जाता है¹।

मूल्यांकन—मिल और ऐक्टन दोनों ने ही अपने मतों का जोरदार समर्थन किया है। मिल प्रत्येक राष्ट्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखने के मोह में यह भूल जाता है कि वह राष्ट्रों को 'स्वभाष्य निर्णय (self-determination) का अधिकार' नहीं दे रहा। उसकी यह धारणा कि प्रत्येक बहुराष्ट्रीय राज्य अवश्य निरकुश होगा असंगत प्रतीत होती है। यदि कई राष्ट्र आपस में मिलकर पूर्ण राष्ट्रीय समता, संगत सोचधर्म और अभेद नीति के सिद्धांतों को स्वीकार कर स्वेच्छापूर्वक एक बहुराष्ट्रीय राज्य संगठित करना चाहें तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरी ओर, ऐक्टन यह भूल जाता है कि जब तक

1 *The History of Freedom and Other Essays*, पृष्ठ 283-285 और 289-292.

प्रत्येक राष्ट्र को अपना पृथक् और स्वाधीन राज्य बनाने की स्वतन्त्रता न होगी, बहुराष्ट्रीय राज्य में जो एक प्रबल राष्ट्र होगा वह (ऐक्टन के तर्कों के आधार पर) निर्बल राष्ट्रों को आत्मसात करने का दमन करेगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐक्टन ऐसे कोई ठोस सुझाव नहीं देता जिससे अल्पसंख्यकों और निर्बल राष्ट्रों के हितों का संरक्षण किया जा सके और व्यक्तियों की दमन से रक्षा की जा सके। हमारे मतानुसार, राष्ट्रों की स्वभाष्य-निर्णय का पूर्णाधिकार होना चाहिए अर्थात् उन्हें स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे यदि चाहें तो अपना पृथक् राज्य बनाएँ, और यदि उचित समझें तो समानता के आधार पर अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय राज्य मगठित कर लें। दोनों ही अवस्थाओं में 'वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और निर्बल राष्ट्रों के संरक्षण' का समुचित प्रयत्न होना चाहिए।



राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत

उत्पत्ति के संबंध में मनुष्यों को सदैव जिज्ञासा रही है। विगत रहस्यों के उद्घाटन और वस्तुएँ 'कैसे' और 'क्यों' बनीं— इन समस्याओं का समाधान करने वाली व्याख्याएँ भी युग की मान्यताओं के साथ बदलती रही हैं।

—ई० एम० सेट

यह कहना कठिन है कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई। जाति-विज्ञान (एथनोलोजी) और मानव-विज्ञान (एन्थ्रोपोलोजी) जैसे आधुनिक विज्ञान भी जिन्होंने हमारे विगत जीवन की अनेक महत्वपूर्ण बातों को बताया है, इस विषय पर प्रकाश डालने में असमर्थ हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में, विचारकों ने कल्पना का सहारा लिया और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएँ और सिद्धांत बन गए। इनमें से प्रमुख हैं . देवी सिद्धांत, शक्ति-सिद्धांत समाज-संविदा-सिद्धांत, आनुवंशिक सिद्धांत, और विकासवादी सिद्धांत। अब हम इन सिद्धांतों पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

1. देवी उत्पत्ति का सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत बहुत पुराना है। जिन समय विचारकों के सम्मुख कोई निश्चित और पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री न थी, उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे राज्य की उत्पत्ति को देवी इच्छा के अधीन मानते। जब किसी वस्तु की उत्पत्ति के कारण स्पष्ट नहीं होते, तब प्रायः उन्हें 'देवी' कह दिया जाता है। देवी सिद्धांत के अनुसार, राज्य ईश्वर के द्वारा अथवा उसकी इच्छानुसार बना। अनेक धार्मिक ग्रंथ इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि संसार की रक्षा और कल्याण के हेतु ईश्वर ने

राजा को उपलब्ध किया और राज्य की नींव डाली। महानगर में भी इस सिद्धांत की चर्चा है। शांति पर्व में कहा गया है कि जब अराजकता बसहा हो उठी तो मनुष्यों ने भगवान से प्रार्थना की, और उनकी विलंबता से प्रसन्न होकर भगवान् ने मनु को उनके ऊपर शासन के लिए नियुक्त किया¹। वैश्वे मी, हिन्दू परम्परा के अनुसार, मुकट पटने पर भगवान स्वयं अद्वितीय होकर अपने भक्तों का दुःख दूर करते हैं। इसी प्रकार, यहूदियों के धर्मग्रन्थ के अनुसार ईश्वर ने स्वयं अपनी प्यारी जनता पर राज्य किया। मिश्र में भी राजा को सूर्य देवता का पुत्र कहा जाता था और चीन में सम्राट को स्वर्ग-पुत्र। ईसाई धर्मग्रन्थ, बाइबिल में भी यह उल्लेख है कि सभी सम्राट् ईश्वर के आदेश से बनती हैं। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को एक ईश्वरीय दूत माना गया है। इसी प्रकार के विचार विभिन्न धर्मग्रन्थों में पाए जाते हैं।

इस सिद्धांत की व्याख्या तीन रूपों में की गई है। प्रथम, भगवान् ने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर राज्य और शासन की स्थापना की, दूसरे, ईश्वर ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर शासन स्थापित किया, और तीसरे, भगवान् ने मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न की जिनसे उन्हें शासन और व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई और उनमें अनुशासन और आज्ञापालन की भावना का जन्म हुआ। फलस्वरूप, कुछ व्यक्ति धार्मिक बन और श्रेष्ठ प्रजा। इस प्रकार राज्य एक ईश्वरीय देन है। मध्यकालीन यूरोप में इस सिद्धांत को लेकर बहुत सी चर्चा हुई। इनका सहारा लेकर चर्च ने अपनी सर्वोपरिता को प्रमाणित करना चाहा और राज्य पर अपने प्रभुत्व का दावा किया। मध्यकाल में यह एक बड़ा धारणा थी कि मनी सम्राट् ईश्वरप्रदत्त है। मत्तेद केवल इस प्रश्न पर था कि शासकों को राजकीय सत्ता ईश्वर से सीधे मिली लक्षता चर्च के माध्यम से। समय के प्रवाह के साथ विचारों में भी परिवर्तन आ गया है और अब इस सिद्धांत में लोगों की व्याख्या नहीं रही।

राजाओं के देवी अधिकार का सिद्धांत²—यद्यपि राजाओं के देवी अधिकारों का सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत भिन्न है, तथापि अनेक लेखक इस संबंध में भ्रूण कर बैठते हैं। अस्तु राजाओं के देवी अधिकार का सिद्धांत देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित होने पर भी उससे पूर्णतः भिन्न है। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डालता, अपितु राजतन्त्रा के स्वरूप

1 Ghoshal, *History of Hindu Political Theories*, पृष्ठ 175, क्लन्ट सहायि चन्द्रसेन, प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्था, प्रथम, 1959, पृष्ठ 21-23.

2 यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में संबंधित नहीं है। यद्यपि भूमि की दृष्टि में देवी स्वयं सृष्टि परिकल्पित देता था रहा है।

पर प्रकाश डालता है। इस सिद्धांत के बीच मध्यकालीन विचारधारा में मीज़ बढ़ है, किन्तु इस सिद्धांत का पूर्ण विकास सोनहवीं शताब्दी में हुआ। राबर्ट फिल्मर और इंग्लैंड का राजा प्रथम जेम्स इसके प्रमुख प्रतिपादक थे। इन सिद्धांत की व्याख्या करते हुए प्रथम जेम्स ने कहा है कि राजा की शक्ति सीधे ईश्वर में प्राप्त होती है। अतः वह जनता और कानून दोनों से ऊपर है। राजा केवल ईश्वर के अधीन है और उसके आचरण का समर्थन केवल उसके अंतःकरण से है। जनता के प्रति उसके कोई कानूनी दायित्व नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रश्न का उठाया जाना, कि राजा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, नास्तिकता और धीरे पाप है। राजा का नैतिक दायित्व केवल ईश्वर के प्रति है; अन्य कोई व्यक्ति राजा के कार्यों के औचित्य के संबंध में प्रश्न नहीं उठा सकता। इस प्रकार, इस सिद्धांत ने राजाओं की निरकुशता और उनकी असंमित सत्ता का समर्थन किया।

यदि राजा दुष्ट भी हो, तो यह समझना चाहिए कि उसे प्रजा से अपने पाप-कर्मों का प्रायश्चित्त कराने के लिए भेजा गया है। दुष्ट और पतित राजा के प्रति भी विद्रोह करना संप्रदान के प्रति विद्रोह है। डा० फिगिस के अनुसार इस सिद्धांत की चार प्रमुख मान्यताएँ हैं— (1) राजतन्त्र दैवी इच्छा के अनुकूल है; (2) वसानुगत अधिकार अटल है; (3) राजा केवल भगवान् के प्रति उत्तरदायी है, और (4) किसी वैधानिक राजा के प्रति विद्रोह करना केवल अपराध ही नहीं अपितु एक पाप है। इस प्रकार राजमत्ता के दैवी अधिकार का यह सिद्धांत, जिसे सर्वप्रथम चर्च के दावों व विरुद्ध प्रयुक्त किया गया था, राजाओं की निरकुशता का प्रबल समर्थक बन गया। चर्च के विरुद्ध, राजाओं के अधिकारों का समर्थन करते समय लोग यह नूल गए कि एक दिन राजा भी उलट कर इसी अस्त्र को उनके विरुद्ध प्रयोग में ला सकता है, किन्तु हुआ यही। जनता में जब राजनीतिक चेतना विकसित होने लगी और लोकतंत्रीय भावना बढ़ी, तो उनकी नियंत्रण में रखने के लिए राजाओं द्वारा इस सिद्धांत का उपयोग किया गया। राजनीतिक चेतना के बढ़ने और बुद्धिवाद के विकास का एक परिणाम यह हुआ है कि अम के प्रति लोगों को अंध-श्रद्धा नहीं रही, राजनीति को धर्म से पृथक् किया गया और राज्य के लौकिक रूप को प्राथमिकता दी जाने लगी।

निरकुशता का समर्थक होने के कारण, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिप्रिया-वाद का पर्यायवाची बन गया और कुछ पिछड़े और अनपढ़ लोगों को छोटकर शेष का इसमें विश्वास उठ गया। सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक लोग इस सिद्धांत के दोषों और दुष्परिणामों से भलीभाँति परिचित हो गए और वे

राज्य की उत्पत्ति के अन्य किन्हीं मतोपपन्नक सिद्धांत की श्रेष्ठ में संलग्न हो गए। गिन्सब्रॉग के अनुसार, इस सिद्धांत के प्रति व्यपत्ता होने के दो प्रमुख कारण थे : (1) समाज-संविदा-सिद्धांत का उदर ; और (2) चर्च की शक्ति का हास, जिसमें हमारा आग्रह है, चर्च का राज्य से पृथक् किया जाना और जीवन से मौखिक प्रश्नों के महत्त्व को सर्वोपरि माना जाना। यहाँ यह कहना भी उचित प्रतीत होता है कि इस सिद्धांत को मजबूत कराती चोट लोकतंत्रवाद की भावना के विकास से मिली।

व्याख्यान—देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की बड़ी व्याख्यान की गई है। पहले, यह सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य के भोग की उपेक्षा करता है। इतिहास बताता है कि राज्य स्वयं विकसित नहीं हो गया ; उसकी विकसित करने में मनुष्य का भी बड़ा हाथ रहा है। विकसित होने के बाद, राज्य के स्वल्प में जो परिवर्तन हुए हैं, वे भी ईश्वरद्वारा न होकर मनुष्यों द्वारा किए गए हैं। अतएव, मनुष्यों के योग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे, यह कहना, कि ईश्वर ने केवल राजतंत्र को ही उत्पन्न किया, सुविमलगत नहीं लगता और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि सबसे पहले राजतंत्र का विकास हुआ, तो भी यह कहना कि केवल राजतंत्र ही ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप है, उचित नहीं लगता। यदि ईश्वर की इच्छा केवल एक ही प्रकार का शासन बनाने की होती, तो शासन के अन्य रूप कैसे विकसित और प्रचलित हो पाते। अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के विचार धनपूर्ण हैं। संक्षेप, इस सिद्धांत से अनुसरदासिद्ध की भावना को प्रोत्साहित किया है। इसका एक उदाहरण चौदहवें शताब्दी का यह वाक्य है कि 'मैं ही राज्य हूँ'। उनके अनुसार, शासक भगवान् की अविनाशित प्रतिमूर्ति होते हैं। वे धार्मिक रूप से पवित्र और राजनीतिक रूप में सर्वशक्तिमान होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के विचार हमारे लोकतंत्रात्मक भावनाओं-से मेल नहीं खाते। चौथे, यह सिद्धांत प्रतिक्रियावादी है और अनुदान एवं निरंकुशता का समर्थक है। नाथ ही, इसमें जनता के आगे चलने में बाधा पड़ती है। अतः इसे मानव-प्रवृत्ति-विरुद्धी शक्ति भी अनुचित न होगा। पाँचवें, इस सिद्धांत ने अदोष और अष्ट-शासकों को भी अनुदान की प्रतिमूर्ति बना कर धर्म और बुद्धि दोनों का अपमान किया है। छठे, यदि यह मान भी लिया जाए कि राजा की नियुक्ति भगवान् द्वारा होती है, तो दिन देनों में राजा के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपति हैं-उनकी नियुक्ति कौन करती है ? अनुरक्त कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सिद्धांत में अनेक दोष हैं, और विवेकपूर्ण व्यक्तियों के लिए इसे मानना सम्भव नहीं है।

और कुछ समाजशास्त्री भी इनको मान्यता देते हैं ।

ओपेनहीमर ने, इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, मानव समाज की प्रगति के छे सोपानों का वर्णन किया है । राज्य की उत्पत्ति के पूर्व की प्रथम अवस्था में लगातार लड़ाई-भगड़े होते रहते थे । चोरी और मारकाट का बाजार गर्म था, शांति और व्यवस्था का सर्वथा अभाव था । विजेता युद्ध में हारे हुए जनसमुदाय के पुरुषों को तत्काल मौत के घाट उतार देते थे, किंतु वे युवा स्त्रियों और बच्चों को लूट का माल समझकर अपना लेते थे । सम्भवतः इसका कारण यह रहा हो कि बालकों और स्त्रियों से उन्हें कोई विद्रोह का डर न था । द्वितीय अवस्था में, जनसमूह निश्चित भू भाग पर बस गए और उन्होंने कृषि-कार्य अपना लिया । ये कृषि समाज शिकार और चारागाह पर निर्भर रहने वाले जनसमुदायों से लड़ते रहते थे और इन्हें मार भगाने का प्रयत्न करते थे । विजित लोगों ने विजेताओं के विरुद्ध बार-बार विद्रोह करने के प्रयत्न किए किंतु उन्हें इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली । अतएव उन्होंने सवर्ष करना छोड़ दिया । विजेताओं ने भी यह अनुभव किया कि विजित समूहों को मौत के घाट उतार देने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता । धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि इन्हें दास बनाकर रखने में अधिक लाभ है । इस प्रकार मनुष्यों द्वारा मनुष्य के शोषण का सूत्रपात हुआ । तीसरी अवस्था में, युद्ध में हारे हुए व्यक्ति विजेताओं को अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग देने लगे और बदले में, विजेता नए आक्रमणों से उनकी रक्षा करने लगे । इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग से दोनों को लाभ हुआ और दोनों में एक कामचलाऊ मेल हो गया, जिसने आगे चलकर उनके सम्मिश्रण की सम्भावना उत्पन्न कर दी । चौथी अवस्था में, साथ-साथ रहने के कारण ये लोग मिलकर बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करने लगे, इस प्रकार, सामाय आवश्यकताओं, कठिनाइयों, सुख-दुख और हार जीत ने धीरे धीरे उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया । पाँचवी अवस्था में उन्हें इस बात की आवश्यकता का अनुभव हुआ कि आपसी लड़ाई-भगड़ों को प्रतिपक्ष ढंग से सुलझाया जाय । अतएव जब एक गाँव और दूसरे गाँव-में भगड़े होते थे अथवा एक बस्ती और दूसरी बस्ती में मतमुदाव हो जाता था, तो उसे निपटाने के लिए वे पक्ष चुनने लगे । व्यक्तिगत झगड़ों को सुलझाने के लिए विजेताओं के नेता ने अपने सहयोगियों को नियुक्त कर दिया और इस प्रकार सगठित सरकार के प्राथमिक चिन्ह दृष्टिगत हुए । अंतिम अवस्था में, सगठित सरकार पूरी तरह स्थापित हो गई । सैनिक नेता राजा बन गए और उसके सहयोगी मन्त्रि-परिषद् के सदस्य । राजा मामलों को सुलझाया, अपराधियों को दण्ड देता था और बाजारों जारी करता था । इस प्रकार, शांति और व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गयी और लोगों में अनु-

शासन और आज्ञापालन की भावनाओं ने जड़े पकड़ ली, जिसके फलस्वरूप राज्य का जन्म हुआ ।

विभिन्न धर्म-ग्रंथों में और प्राचीन रचनाओं में इस सिद्धांत के समर्थन में बातें मिलती हैं । मध्यकालीन यूरोप में, चर्च की 'महत्ता पर बल देने के लिए इस विचार को प्रचारित किया कि राज्य 'शक्ति' पर आधारित है और उसका जन्म, मनुष्यों को उनके पापों और दुष्कर्मों से बचाने के लिए देवी आदेश से हुआ है । आधुनिक यूरोप में माचियावेली और हॉब्स आदि लेखकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया । उन्नीसवीं शताब्दी में, स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादियों ने भी अपने विचारों के समर्थन करने के लिए इसका सहारा लिया । उसका कहना था कि प्रकृति का यह नियम है कि शक्तिशाली जीव निर्बल जीवों का विध्वंस करते हैं । अतएव मानव समाज में भी हमें व्यक्तिवादी सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिए जिससे शक्तिशाली और योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिले और वे अपने व्यक्तिगत विकास द्वारा समाज को भी उन्नत बनाएँ । समाजवाद और साम्यवाद को मानने वाले अनेक विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन दूसरे रूप में किया है । उनका कहना है कि राज्य बल प्रयोग पर आधारित है और वह बलवान वर्गों द्वारा शक्तिहीन जनसमुदायों के शोषण से बना है । इस प्रकार, सरकार शोषित वर्गों को अनुशासन में रखने वाली शोषकों की एक कार्यकारिणी समिति है । इनके अतिरिक्त, निरंकुशता और अधिनायक तंत्र में विश्वास रखने वाले विचारकों भी 'शक्ति' को राज्य का आधार मानते हैं । ऐसे चिंतकों में ट्रीट्स्के और नीत्से प्रमुख हैं । अराजकतावादी दार्शनिक भी वर्तमान राज्य को बलप्रयोग पर आधारित बताते हैं । उनके अनुसार राज्य निहित स्वार्थों का हितसाधन करने वाला एक उपकरण है । व्यक्तिगत सम्पत्ति के साथ इसका उदय हुआ और उसी की रक्षा में यह लगा रहता है । धर्म के ढकोसले भी इन्हीं स्वार्थों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं । अतः राज्य, व्यक्तिगत सम्पत्ति और धर्म, ये तीनों ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक हैं और जब तक इन्हें दूर नहीं किया जाएगा, व्यक्तियों को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी ।

आलोचना—अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है । मुकुरात और प्लेटो ने इसका विरोध करते हुए राज्य को 'अच्छे जीवन प्राप्ति का एक साधन' बताया । आधुनिक काल में लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 'शक्ति' लोगों को आज्ञापालन के लिए विवश तो कर सकती है, किन्तु उनमें राज्य और शासन के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं कर सकती । यही नहीं, जो शासन केवल 'शक्ति' पर आधारित होगा उसे अधिक शक्तिशाली बल द्वारा बदला भी जा सकता है । कहने का अभिप्राय यह है कि

केवल पशुवल के आधार पर राज्य को सुदृढ नहीं बनाया जा सकता। वस्तुतः राज्य का स्थायित्व उसके प्रति लोगों की अनुरक्ति पर निर्भर है, और जनसाधारण का राज्य के प्रति अनुरक्ति तभी हो सकती है जब राज्य लोकहित का लक्ष्य अपने सम्मुख रखे तथा जनसमुदाय की कामनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करे। जिस राज्य में लोकमत का समुचित आदर न होगा उसकी नींव सदैव खिसली बनी रहेगी।

इस सिद्धांत का खंडन करने वाले विद्वानों में सुप्रसिद्ध दार्शनिक अराजकतावादी श्रोपाटकिन भी हैं। उसने स्पैसर जैसे व्यक्तिवादियों की बड़ी आलोचना की। उसके अनुसार, युद्ध और सघर्ष ने मानव उत्थान में कुछ सहायता अवश्य दी है, किंतु बिना आंतरिक सहयोग के न युद्ध हो सकते हैं और न सघर्ष। सफलतापूर्वक युद्ध करने के लिए जनसमुदायों में आंतरिक एकता और सहयोग अपेक्षित है। यही नहीं, विजय प्राप्त करने के पदचार् भी शक्ति की अपेक्षा मेल-जोस और समझौते की प्रवृत्तियाँ ही मनुष्य के विकास में अधिक सहायक होती हैं। इसी ओर ध्यान जैसे आदर्शवादियों ने बल-प्रयोग के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की है कि शक्ति के ऊपर आधारित शासन का कोई औचित्य नहीं होता। कोई भी अधिक बन्शाली जनसमूह उसे पलटकर नई सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। अतएव, इस सिद्धांत के अनुसार एक स्थायी सरकार का बनना असम्भव हो जाता है। अर्थात्चीन लेखकों ने भी इस सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा है कि इससे निर्बल व्यक्तियों, शोषित वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि के प्रति लापरवाही दिखाए जाने की आशंका रहती है। यही नहीं, इससे निरक्षरता की प्रोत्साहन मिलता है, लोकमत का अनादर होता है, लोककल्याण की भावना की अपेक्षा होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत् में पशुवल का बोलबाला हो जाता है¹। अतः, राज्य की उत्पत्ति और उसके आधार की व्याख्या करने वाले इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सत्य वा अत—इन आलोचनाओं के रहते हुए भी, इस सिद्धांत में सत्य के कुछ अंश हैं। न्यूनतम के अनुसार यह सिद्धांत राज्य के उदय और उसके विकास में बलप्रयोग के महत्वपूर्ण योग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही, यह हमें बताता है कि राज्य के लिए शक्ति का होना नितांत आवश्यक है जिसका उपयोग आज्ञाओं और कानूनों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। है। फिर भी, हम उसी के इस मत की अपेक्षा नहीं कर सकते कि शक्ति के सम्मुख व्यक्ति आज्ञापालन के लिए विवश हो सकता है, किंतु शक्ति पर स्थापित किसी

¹ तुलना कीजिए Francis W. Coker, *Recent Political Thought*,
•पृथ्वी, 1934, पृष्ठ 439.

सत्या को न तो स्थायी रखा जा सकता और न उसका कोई नैतिक आधार ही होता है।

3. समाज-संविदा-सिद्धांत

समाज-संविदा-सिद्धांत (Social Contract Theory) का राजनीति-दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। इसका प्रचार ऐसे समय हुआ जब समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, आदिकालीन इतिहास आदि विषय विकसित नहीं हुए थे और मनुष्य की आदिम अवस्था के संबंध में हमारा ज्ञान अधूरा था। इस सिद्धांत के अनुसार, मानव जीवन में एक समय ऐसा था जब मनुष्य बिना राज्य के रहते थे। इस दशा से तंग आकर उन्होंने यह सोचा कि किसी प्रकार मिलजुल कर, संविदा द्वारा, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाय जिसमें राजसत्ता हो, शासन हो और अनुशासन भी।

यह सिद्धांत बहुत पुराना है। महाभारत के शांतिपर्व और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भी इसका उल्लेख है। प्राचीन यूनान में कुछ सोफिस्ट विचारक, आज से लगभग चौबीस सौ वर्ष पूर्व, अविकसित रूप में इस सिद्धांत को मानते थे। उनका मत था कि राज्य प्राकृतिक नहीं, अपितु मनुष्यव्रत है और मनुष्यों ने मिलजुल कर इसकी निर्माण किया है। बाद में भी, यह सिद्धांत किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा। मध्यकालीन सामन्यवादी समाज में संविदा के कुछ ऐसे तत्त्व वर्तमान थे जिन्होंने इस सिद्धांत में एक नया विश्वास उत्पन्न कर दिया। किंतु आधुनिक रूप में इस सिद्धांत का विकास उत्तर मध्यकाल में हुआ जब राजनीतिशास्त्री यह मानने लगे कि किसी न किसी रूप में राज्य और सरकार दोनों ही संविदा पर आधारित हैं। सोलहवीं शताब्दी में इस सिद्धांत का उपयोग चर्च के समर्थकों ने राजाओं की असीमित सत्ता का विरोध करने के लिए किया। 'संविदा' की शक्ति का आधार बताया वे यह मांग करते थे कि यदि राजा सच्चे धर्म का समर्थन नहीं करता अथवा चर्च (पोप) की उपेक्षा करता है तो उसकी प्रजा को यह अधिकार होना चाहिए कि वे ऐसे राजा की आज्ञाओं को न मानें। इस सिद्धांत का पूर्ण विकास सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में हुआ जब हॉग, स्पिनोज़ा, लॉक, रूसो आदि लेखकों ने उसका समर्थन करते हुए अपने मतों का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात् विचारकों का इससे विश्वास हटता गया।

इस सिद्धांत की स्वरूपा— इस सिद्धांत के संबंध में इससे समर्थकों में अनेक मतभेद हैं। उनके विचारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने से पूर्व यह उचित प्रतीत होता है कि हम यह जान लें कि इस सिद्धांत की क्या प्रमुख स्थापनाएँ हैं। इससे समर्थक एकमत हैं कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य राज्य के बिना रहता

था। मनुष्यों की इस अवस्था को उन्होंने 'प्राकृतिक अवस्था' (state of nature) कहा है। इस अवस्था के सबध में उनके विचार भिन्न हैं। एक ओर हॉब्स जैसे विद्वान् इसे बहुत बुरी अवस्था बताते हैं जिसमें मनुष्यों का जीवन भी सुरक्षित न था, तो दूसरी ओर लॉक के अनुसार यह अवस्था 'सुख, शांति और पारस्परिक आदर' पर निर्भर थी। इस सबध में विभिन्न विचारकों में मतभेद होते हुए भी, सभी इस बात से सहमत हैं कि किन्हीं कठिनाइयों के कारण मनुष्यों ने इस अवस्था का परि पाग कर देना चाहा अर्थात् उनके मन में दशा-परिवर्तन की इच्छा हुई। इस कामना की पूर्ति का साधन उन्हें एक ही दिखाने दिया अर्थात् मिलकर एक सविदा के लिए सहमत होना। इस सविदा के स्वरूप, शर्तों और परिणामों के सबध में विद्वानों में मतभेद हैं, तथापि वे मानते हैं कि इसी के आधार पर राज्य का जन्म हुआ। इस नवनिर्मित राज्य के स्वरूप और उसकी सत्ता के सबध में भी मतभेद नहीं हैं। इस राज्य में व्यक्तियों की दशा के सबध में भी उनके विचार भिन्न हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के विस्तृत विवरण में अनेक विविधताएँ हैं, जिनका मूल कारण निश्चित ऐतिहासिक तत्त्वों का अभाव है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए—महँ कहा जा सकता है कि 'सामाजिक सविदा' एक ऐसी 'मुनम्य कल्पना' (plastic fiction) है जिसे लेखकों ने इच्छानुसार मोड़कर अपनी विचारों के अनुकूल ढाल लिया है।

थॉमस हॉब्स (1588-1679)

इस अंग्रेज विद्वान का जन्म उस वर्ष हुआ जब स्पेन के 'अजेय' जलवेधे के समाचार से इंग्लैंड-निवासी बहुत भयभीत हो रहे थे। बड़े होन पर हाब्स ने गृह-युद्ध की विभीषिका का अनुभव किया। इस प्रकार की घटनाओं के कारण हॉब्स के मन पर भय का एक आतक-सा छा गया। अतः एक टीकाकार ने हॉब्स को 'भय से आतंकित दार्शनिक' कह दिया है। गृह-युद्ध (1641-1649 ई०) से उत्पन्न अराजकता और अत्याचारों को दस कर उसने यह अनुभव किया कि शक्तिशाली शासन के अभाव में जीवन अरिष्ट बन जाता है। वैसे भी उसका मुकाब राजतन्त्र की ओर था, यद्यपि अपने प्रमुख ग्रंथ 'लैवियाथन' (1651 ई०) में वह किसी भी शक्तिशाली सरकार का समर्थन करने के लिए तत्पर प्रतीत होता है। हाद्य की कुशलता दस मान में है कि राजतन्त्र के समर्थन के लिए उसने 'राजाओं के देवी अधिहार' नामक ग्रंथ का सहारा नहीं लिया क्योंकि उसके प्रति लोगो में अथड़ा उत्पन्न हो गयो थी। अतएव उसने सामाजिक सविदा के उस अस्त्र को अपनाया जिसको अभी तक राजाओं की सत्ता के विरोधी उपयोग में ला रहे थे। इस प्रकार उसने राजतन्त्र-विरोधी अस्त्र का उसी के समर्थन

में सफल प्रयोग किया ।

हॉब्स¹ के अनुसार मनुष्य एक आत्मकेंद्रित प्राणी है । जिन वस्तुओं के सम्पर्क में धाकर उसे सुख का अनुभव होता है, उन्हें पाने की वह इच्छा करता है और जो वस्तुएँ उसे दुखदायी लगती हैं, उनसे वह दूर रहना चाहता है । सुख के प्रति उसकी कामना असीम है और उसे यह अनुभव होता है कि शक्ति द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है । किंतु सुख-प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा यह है कि उसी के समान अन्य व्यक्ति भी सुख की खोज में सलग्न हैं और ये सभी व्यक्ति लगभग एक-दूसरे के समान हैं । यदि किसी में कुछ शारीरिक बल अधिक है तो किसी में विवेक अथवा चालाकी की अधिकता है जिसका समुचित उपयोग कर वह अपने से शक्तिशाली व्यक्ति की बराबरी कर सकता है । कहने का अभिप्राय यह है कि सब मिलाकर व्यक्तियों में एक 'प्राकृतिक समानता' है अर्थात् न कोई किसी से कम है और न किसी से अधिक । फलस्वरूप सभी को यह आशा बनी रहती है कि सुख की प्राप्ति हो सकती है । किंतु यह आशा फलोन्मत्त नहीं है । पाती क्योंकि सभी व्यक्ति सुखों के उपकरणों की खोज में समान रूप से सलग्न हैं । इसके परिणामस्वरूप आपस में स्पर्धा होती है जिसके कारण अरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है । सब एक दूसरे से डरते हैं, फिर भी, वे एक दूसरे से लड़ते हैं और उनमें से कोई भी किसी का बड़प्पन स्वीकार नहीं करता । जीवन में अरक्षा के तीन प्रमुख कारण हैं स्पर्धा, आत्मविश्वास की कमी और यश की कामना । परिणामस्वरूप, सघर्ष की संभावना रहती है और मनुष्य का एकाकी जीवन 'हीन, घृणास्पद, जगली और अल्पकालीन' बन जाता है । प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के विरुद्ध होता है । अच्छे बुरे और न्याय-अन्याय की कोई पहचान नहीं होती । 'मेरे' और 'तेरे' का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि केवल शक्ति के आधार पर वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है । कहने का अभिप्राय यह है कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ होती है । ऐसी दशा में शक्ति और बल, यही दो प्रमुख गुण माने जाते हैं । सत्ता के अभाव में लड़ाई की संभावना बनी रहती है और इस लड़ाई में कोई किसी का साथी नहीं होता । पतनस्वरूप, जीवन में न शान्ति होती है न सुरक्षा, न कोई बला होती है और न उद्योग, न कोई साहित्य होता है और न सस्कृति । प्रत्येक व्यक्ति को यह डर लगा रहता है कि न जाने कब, कौन उसके प्राण ले ले । संक्षेप में हम यह कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की दशा असहनीय बन जाती है ।

1 हॉब्स के मत को प्रतिपादित करने वाली सर्वोत्तम पुस्तक है, ओकरोइट द्वारा सम्पादित *Leviathan* (लैवियाथन), ऑक्सफोर्ड । देखिए भूमिका, पृष्ठ 30-65.

प्राकृतिक अवस्था की इस असहनीय स्थिति से बँसे छुटकारा पाया जाए ? हाँथ के अनुसार मनुष्यों में कुछ ऐसे भावावेश भी हैं जो उसे शांति की ओर प्रेरित करते हैं । उदाहरण के लिए उसे मृत्यु से भय लगता है, उसे जीवन में उपलब्ध वस्तुओं में प्यार है और यह आशा भी है कि वह उन्हें प्राप्त कर सकेगा । यही नहीं, मनुष्य का विवेक उसे समझाता है कि ऐसी दशा बन रहने देना वाछनीय नहीं है । उसका विवेक शांतिपूर्ण जीवन सम्भव बनाने के लिए कुछ 'आचरण के नियम' भी सुझाता है । इन नियमों को हाँथ ने 'प्राकृतिक नियमों' की संज्ञा दी है । उसके अनुसार ये नियम शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं । इन नियमों का सार यह है कि जैसे भी सम्भव हो अपने जीवन की रक्षा करो और ऐसे कोई कार्य न करो जिनसे प्राण-हानि का भय हो । हाथ ने एमने अनेक नियमों की चर्चा की है, किन्तु इनमें तीन नियम प्रमुख हैं (1) शांति की गोज़ म रहा और शांति बनाय रखा, किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो जैसे भी वने अपनी जीवन रक्षा करो, (2) जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपक प्रति व्यवहार करें वँसा ही व्यवहार स्वयं दूसरों के प्रति करो, और इस नियम के अनुसार, शांति बनाए रखने के लिए, जितना त्याग दूसरे व्यक्ति करने को तत्पर हो आप स्वयं भी उतना त्याग करने के लिए तैयार रहो, और (3) मनुष्य जो प्रसविदा (covenants) बनाते हैं उसका पालन करना है । इन नियमों की चर्चा करते समय हाँथ यह स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति कोई ऐसी प्रसविदा नहीं बना सकता जिसकी शर्त यह हो कि वह आत्मरक्षा नहीं करेगा क्योंकि एसी प्रसविदा अवैध होगी ।

भावावेशों में रहने वाले मनुष्यों के लिए इन विवेकजन्य नियमों के अनुसार आचरण करना सरल नहीं है । वैसे भी, उसका कहना है कि कौरी बातों से भावावेशों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता । यदि विवेक को सहायता देने के लिए 'शक्ति' भी साथ में हो तो काम चल सकता है । ऐसी शक्ति सामाजिक सविदा द्वारा उत्पन्न की जा सकती है । यदि सभी व्यक्ति विवेकपूर्ण आचरण करें, इन विवेकजन्य नियमों को मानें और अपनी सुरक्षा के लिए सामाजिक सविदा द्वारा, अपनी प्राकृतिक शक्तियों को एक सामान्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को सौंपने को उत्तम हो जाएँ, तो समस्या हल हो सकती है । इससे एक बृहद् सर्वोच्च सत्ता का जन्म होगा जिसकी सहायता से इस सविदा को लागू किया जा सकेगा और शांति तथा सुरक्षा स्थापित हो सकेगी । हाँथ के अनुसार, अपनी प्राकृतिक शक्ति को परिष्कार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे में यह कहता है - 'मैं अपने ऊपर अपने शासन करने के अधिकार को इस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को इस शर्त पर देता हूँ कि आप सब भी अपने अधिकारों को उसे सौंप दें और जिस प्रकार मैं इसे प्राधिकार दे रहा हूँ उसी प्रकार वे भी उसे सभी कार्यों के लिए

प्राधिकार दे दें'। हॉब्स के अनुसार, (1) व्यक्ति जब उपर्युक्त सामाजिक सविदा करते हैं तब उससे उत्पन्न सत्ताधारी के साथ कोई शर्त नहीं होती। वस्तुतः जिस व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह को सत्ता सौंपी जाती है वह इस सविदा में भाग नहीं लेता। यह केवल सत्ता प्राप्त करता है, उसके बदले में किसी प्रकार वचन-बद्ध नहीं होता। (2) एक बार अपनी प्राकृतिक शक्ति को हस्तांतरित करने के पश्चात् वे इस सविदा का न भंग कर सकते हैं और न अपने अधिकार को वापस ही ले सकते हैं। (3) यह नवनिर्मित सत्ता इन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अतः वे इस सत्ता के सबंध में कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि सविदा करते समय उन्होंने यह स्वयं मान लिया है कि भविष्य में सत्ताधारी व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह जो कार्य करेगा वे उनके द्वारा किए हुए कार्य माने जाएंगे। अतएव न तो इस सत्ता का विरोध किया जा सकता है और न उसकी आज्ञा का उल्लंघन ही। ऐसा करना सविदा के विरुद्ध होगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसा व्यक्ति वापस 'प्राकृतिक' अवस्था में पहुँच जाएगा जहाँ कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। अतएव उसका कोई सुरक्षा प्राप्त न होगी, और सरकार अथवा अन्य कोई व्यक्ति जब चाहे उसके प्राण ले सकेगा। इस सविदा का परिणाम यह होता है कि अभी तक बिसरे हुए एकाकी व्यक्ति एक राज्य में संगठित हो जाते हैं। हॉब्स के अनुसार इस सविदा की संघता केवल सविदा की शर्तों पर ही निर्भर नहीं है। उस मनवाने के लिए अब एक वृहत्काय राजनीतिक सत्ता (Leviathan) भी प्रस्तुत है, और जो व्यक्ति अपने वचनों को भंग कर इस सविदा को तोड़न अथवा राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करेगा, उसे इसके लिए दण्ड भुगतने होंगे।

इस सविदा के बनने से जो राज्य बनता है उसमें एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता (sovereign power) होती है। हॉब्स के अनुसार, बिना ऐसी सत्ता के राज्य नहीं बन सकता। यह सत्ता सर्वोच्च भी नहीं, असीमित भी है। क्योंकि सत्ताधारी स्वयं कानूनों का निर्माण करने वाला अर्थात् उनका रचयिता होता है, अतएव कोई राजकीय कानून उसकी सत्ता और अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। क्योंकि राज्य के बनने के पूर्व नैतिकता की कोई भावना नहीं होती और सविदा का पालन ही न्याय है, अतएव नैतिक रूप से राज्यसत्ता असीमित है। सत्ताधारी स्वयं नैतिकता को निर्धारित करता है और सविदा के अनुसार आचरण ही सच्ची नैतिकता है, अतएव नैतिकता का आधार पर राज्य-सत्ता का कभी विरोध नहीं किया जा सकता। यही नहीं, हॉब्स का मत है कि प्राकृतिक नियम शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील हैं, अर्थात् राज्य के बन जाने पर भी वे पूर्ववत् शेष रहते हैं। प्रश्न यह जगता है केवल इन नियमों की व्याख्या

करने का ; और हॉम के अनुसार केवल नवनिर्मित सत्ता द्वारा दी गई व्याख्या ही सर्वोपरि एव अधिष्ठित है । इस प्रकार, हॉम के अनुसार राजकीय सत्ता द्वारा कभी कोई कानूनी अथवा नैतिक अपराध नहीं हो सकता । उसके कथनानुसार, बिना राजाज्ञा के समाज में कोई दल अथवा समूह नहीं रह सकते । उसकी धारणा है कि इस प्रकार के समूह प्रायः राज्य रूपी जीव की अंतर्द्वियों में प्रजीवी कीचड़ के समान रहकर उसे निर्बल करते रहते हैं । यही नहीं, हॉम का मत है कि यदि समाज में तरह-तरह के विचार और मिथ्याता का खुला प्रचार होता रह, तो इसके अन्तर्द्वारिणाम हो सकते हैं । अतएव वह विचारों और विश्वासों के संगठन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी सत्ता को दे देता है अर्थात् यदि सर्वोपरि सत्ता यह समझे कि कुछ संगठित विचार और मत ऐसे हैं जो शान्ति और ध्यवस्था में और सत्ता के उचित प्रयोग में बाधक हो सकते हैं, तो वह उन पर रोक लगा सकती है ।

धर्म के क्षेत्र में भी हाँस इस सत्ता को विशेषाधिकार देता है । उसके अनुसार धर्म के सम्बन्ध में अनेक आस्थाएँ हो सकती हैं और धार्मिक मतभेदों के कारण राजकीय सुरक्षा गंभीर में पड़ सकती है । अतएव, उसके अनुसार सत्ता-धारी को राज्य में स्थित संगठित चर्च का प्रधान होना चाहिए । इस प्रकार हॉम मान्यताओं से भी जागे बढ़कर चर्च का राज्य का सर्वथा अधीन कर देता है । उसके अनुसार चर्च-प्रवस्था का प्रयोग राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए । उदाहरण के लिए, वह कहता है कि 'देवी नियमों' की व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेदों का होना सम्भव है, अतएव अनुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोच्च प्रभुसत्ताधारी का ही इनकी अधिष्ठित व्याख्या करने का अधिकार होना चाहिए । उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि, हाँस के मतानुसार, राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता पर कोई कानूनी, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रतिरोध नहीं लगाए जा सकते । इस प्रकार, हॉम प्रभुसत्ता को उन समस्त यथना से छुटकारा दिला देता है जिन्हें बोर्दा ने छांट रखा था, अर्थात् हॉम ने प्रभुसत्ता को निरनुस बना दिया है ।

इसका दावा यह नहीं है कि हॉम के सम्बन्ध में समाज में व्यक्ति अधिकारों का वित्त रहेगा अथवा उस काई स्वतंत्रता न होगी । हॉम के अनुसार जहाँ कानून की रोक नहीं है, वहाँ व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है, और क्योंकि राज्य और कानून का क्षेत्र उद्योग समय अत्यन्त सीमित था, अतएव व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दावा भी यथार्थ हो जाना है । यही नहीं, हाँस बार-बार इस बात को दुहराता है कि व्यक्ति का एक प्राकृतिक अधिकार एका है जिसे वह कभी सम्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात् 'जीवन का अधिकार' । इस सम्बन्ध में हॉम यहाँ

सक आगे बढ़ जाता है कि यदि राज्य ऐसी आज्ञा दे जिसके पालन से जीवन-सकट अथवा शारीरिक यातना का भय हो, तो व्यक्ति ऐसी राजाज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, यद्यपि इसके दुष्परिणाम उसे अवश्य भुगतने पड़ेंगे। इसी प्रकार यद्यपि हॉब्स व्यक्ति को विद्रोह करने की आज्ञा नहीं देता, तथापि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यदि बिन्ही कारणों से सत्ताधारी इतना निर्बल हो जाए कि वह व्यक्तियों की आत्मरक्षा भी न कर सके और एक समानांतर सरकार बन गई हो, तो व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र होवे कि वह अपनी राज्यभक्ति को हस्तांतरित कर दे। हॉब्स को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि विरोधी सरकार नियमित (बंध) है अथवा नहीं। वह किसी भी ऐसी सरकार का समर्थन करने के लिए सदैव तैयार है जो शांति और व्यवस्था को बनाए रखे और लोगों को जीवन-सुरक्षा की गारंटी दे सके।

आलोचना—आलोचकों ने हॉब्स के विचारों का कड़ा विरोध किया है। उनके अनुसार हॉब्स के सिद्धांत न केवल इतिहास-विरुद्ध है, अपितु मनोविज्ञान के विरुद्ध भी है और व्यावहारिक रूप में सुविधाजनक भी नहीं हैं। यही नहीं, उनका मत है कि हॉब्स के विचारों में इतना अंतर्विरोध है और वे इतने पृणास्पद हैं कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। सक्षेप में, उसकी राज्य-संबंधी व्याख्या पूणत असतोपजनक है।

मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण उसने किया है वह इतिहास और मनोविज्ञान दोनों के प्रतिभूल है। उसका यह विचार, कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करता था और उस समय न समाज था, न भले-बुरे की पहचान और न पारस्परिक सहयोग की भावना, किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। सब मिलाकर हम उसके द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था को असामाजिक और अराजनीतिक कह सकते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का असामाजिक व्यक्ति, जो बराबर एक-दूसरे से लड़ता रहता है और जिसके मन में दूसरों के लिए कोई आदर-भाव नहीं है, यथायथ सविदा द्वारा राज्य बनाने की कल्पना कर सकता है? अर्थात् क्या मानव स्वभाव का इस प्रकार एकदम बदल जाना सम्भव है? ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रह, वे किसी न किसी प्रकार के समाज में रहते आए हैं। यदि हॉब्स का 'प्राकृतिक व्यक्ति' वस्तुतः जगती था, तो क्या वह कभी भी समाज और राज्य बना सकता था? दूसरी ओर, यदि उसमें इतना विवेक रह गया था कि सोच-समझकर और आपस में मिलकर सविदा बनाए, तो क्या वह कभी भी मार-नाट पर उतारू हो सकता था? स्पष्ट है कि हॉब्स ने जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह आदिम-कालीन

पुरुष के सबंध में हमारे ऐतिहासिक ज्ञान से मेल नहीं खाता। यही नहीं हॉब्स न इस अवस्था में मनुष्य के जो दो विशिष्ट गुण बतलाए हैं — शक्ति और कपट के मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में कभी एक साथ नहीं हो सकते। वे केवल सम्य समाज की अवनति और हास की दशा में एक-साथ हो सकते हैं। सम्भवतः हाब्स न समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके दोषों को विकृत रूप देकर प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कर दिया है जो निश्चित ही अतिहासिक है।

प्रकृति के नियमों के सबंध में उसकी धारणा भी युक्तिसंगत नहीं है। उसके कथनानुसार यह नियम विवेक पर आधारित है और आचरण के ऐसे नियमों के रूप में हैं जो सुखी जीवन को सम्भव बनाते हैं। हाब्स स्पष्ट बहता है कि इस अवस्था में न नतिकता होती है और न कानून। किंतु उसका तीसरा नियम उससे बतलाए हुए आधारों के प्रतिकूल लगता है। यदि हाब्स के विचार तबसंगत होते तो इस नियम के स्थान पर वह यह बहता कि मनुष्य जिस प्रसविदा को बनाते हैं वे उसी अवस्था में उसका पालन करेंगे जब ऐसा करने में उन्हें सुख प्राप्ति में सविधा होगी। किंतु ऐसा न कहकर हाब्स बतलाता है कि मनुष्य जो प्रसविदा बनाते हैं वे उसका पालन करते हैं। इस नियम का विवचन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह विवेक पर आधारित न होकर नतिकता पर आधारित है। इस प्रकार हाब्स जिस भावना (नतिकता) की उपस्थिति का इंगार कर चुका है उसी को चुपचाप प्राकृतिक नियमों के रूप में लाकर खड़ा कर देता है। सम्भवतः वह अनुभव करता है कि बिना इस नतिक नियमों के केवल मनुष्य पर राज्य को आधारित नहीं किया जा सकता।

सविदा के स्वरूप के सबंध में भी हॉब्स के विचार तबसंगत नहीं हैं। एक ओर वह राज्य की उत्पत्ति सविदा पर आधारित करता है और दूसरी ओर वह बहता है कि बिना शक्ति के सविदा कोरी बकवास है और खाली बातों से मनुष्यों के भावावगा पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाब्स नतिक सिद्धांत और सविदा सिद्धांत दोनों का पूरा लाभ उठाना चाहता है। यही नहीं हाब्स के विचारों से यह स्पष्ट है कि उसके समाज-सबंधी विचार भी भ्रमपूर्ण हैं और वस्तुतः सविदा धनन के परिचायक भी हम एक समाज के दान नहीं होते। समाज का हमारा अभिप्राय यह होता है कि योग्यता में पारस्परिक सहायता हो और वे विभिन्न सबंधों के तान गाने का बंधे हुए हों। किंतु हाब्स के सम्य समाज में व्यक्तियों के एक साथ रहने का एकमात्र आधार है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रभुसत्ताधारों के प्रति अपनी आनापानन की भावना। हाब्स में इस बात का वही उल्लेख नहीं

मिलता कि इन व्यक्तियों के कोई आपसी संबंध भी है। अतएव हॉब्स का राज्य व्यक्तियों का एक समुच्चय-मात्र है ; न तो इसके सदस्यों में कोई पारस्परिक सामाजिक संबंध हैं और न कोई सामान्य भावनाएँ। इस प्रकार हॉब्स का सिद्धांत जिस नए राज्य को जन्म देता है, उसमें अन्य समस्त इच्छाओं को बशीभूत करके सत्ताधारी की इच्छा लाद दी जाती है, और इसकी उत्पत्ति के पश्चात् व्यक्तियों का राज्य की गतिविधियों में कोई भाग नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्ताधारी की इच्छा पूर्णतः निरकुश और लोकविरोधी हो सकती है। हॉब्स ने अपने सिद्धांत का निरूपण करते समय जीवन-रक्षा के अतिरिक्त व्यक्तियों के अन्य अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया और न उनकी रक्षा के प्रश्न पर विचार किया है। उसने प्रभुसत्ताधारी को केवल राजनीतिक और कानूनी रूप में ही असीमित नहीं बना दिया, अपितु नैतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अधिकृत व्याख्या का अधिकार देकर उसने प्रभुसत्ता पर नैतिक अथवा धार्मिक अकुश लगाए जाने की सम्भावना को नष्ट कर दिया। समूहों, विचारों और मतों के संबंध में उसने प्रभुसत्ता को जो अधिकार दिए हैं वे उसकी अनुदार प्रवृत्ति के परिचायक हैं और निरकुशता को खुला प्रोत्साहन देते हैं। उपर्युक्त कारणों से हॉब्स की दार्शनिक महानता को स्वीकार करते हुए भी, हम उसके विचारों और निष्कर्षों का आदर नहीं कर सकते।

जान लॉक (1632-1704 ई०)

लॉक दूसरा अग्रज विद्वान् है जिसने इस सविदा-सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लॉक अपने जीवन काल में अलं ऑफ संप्ट्सवरी के निकट सम्पर्क में आया और ये दोनों एक-दूसरे से अत्यंत प्रभावित हुए। अलं ऑफ संप्ट्सवरी ने बाद में इंग्लैंड की ह्विग पार्टी की स्थापना की और वे दोनों इस पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। लॉक के जीवन-काल में बहुत समय तक राजा और पार्लियामेंट में संघर्ष चलता रहा। लॉक ने अपनी पुस्तक 'आन सिविल गवर्नमेंट' को 1679 ई० में लिखना प्रारंभ कर दिया था और इसे सन् 1688 ई० की 'रक्तहीन राजशाही' के पूर्व ही सम्पन्न समाप्त कर लिया था, तथापि इसका प्रकाशन त्राति के बाद हुआ। वस्तुतः यह पुस्तक इस त्राति का समर्थन करने के लिए नहीं लिखी गयी थी, यद्यपि इस ग्रंथ के विचार इस त्राति के अनुकूल हैं और उसका समर्थन करते हैं। लॉक ने इसे मुख्य रूप में राबर्ट फिल्मर के दैवी सिद्धांत के विरोध में लिखा था; तथापि इसकी भाषा और भावों से ऐसा प्रतीत होता है कि हॉब्स के विचारों से वह परिचित था। लास्लेट के मतानुसार, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि लॉक ने हॉब्स की पुस्तक, संवियामन, का विधिबद्ध

अध्ययन किया था; तथापि यह आतिपूर्ण धारणा चल निवली है कि इस ग्रम के रचने में लॉक का मुख्य उद्देश्य हॉब्स की आलोचना करना और 'रक्तहीन राज्यशास्त्र' का समर्थन था¹।

लॉक के मतानुसार, व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में, अपने साधियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता था। आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्पष्ट मात्रा में उपलब्ध थीं, अल्प प्रतियोगिता अथवा संघर्ष के कोई कारण न थे। मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। सभी व्यक्ति समान माने जाते थे और छोटे-बड़े का कोई विचार न था: स्वतंत्र होने पर भी वे मनमानी नहीं कर सकते थे और दूसरों की हानि पहुँचाने की न उन्हें इच्छा थी और न अवसर²। संक्षेप में, प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण शांति, मंगलकामना, पारस्परिक सहयोग और आदर-भाव का साम्राज्य था। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights) थे जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अधिकारों की उसने विशेष रूप में चर्चा की है। लॉक के अनुसार ये अधिकार मनुष्यों के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं, और व्यक्ति किसी भी दशा में इनको हस्तांतरित अथवा सीमित नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति बिना हस्तक्षेप शारीरिक छेड़छाड़ के जीवन व्यतीत करता था। उसकी स्वतंत्रता का आदर किया जाता था और उसके परिश्रम की कमाई को सुरक्षित रखा जाता था। नैतिकता की भावना विद्यमान थी और विवेक पर आधारित आचरण के नियम भी थे जिनको लॉक 'प्रकृति के नियम' (Laws of Nature) कहता है। लॉक इन नियमों को शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानता है। यद्यपि यह नियम अलिखित और कुछ सीमा तक अस्पष्ट भी थे, तथापि वे सर्वमान्य थे। अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करना सदाचरण का अंग माना जाता था। इस प्रकार लॉक के अनुसार मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था अराजनीतिक थी, असामाजिक नहीं।

किर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई? यदि जीवन शांतिपूर्ण था और द्वेष, घृणा और हिंसा का नामोनिशान न था, तो इस दशा को परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? लॉक के मतानुसार, इसका कारण कुछ असुविधाओं का होना था। सामाजिक होते हुए भी व्यक्ति एकदम पसपातहीन नहीं थे। अब किसी व्यक्ति का अपना मामला आ जाना था तो प्राकृतिक

1 देखिए *The Second Treatise of Government*, Ed., Thomas P. Peardon, न्यूयार्क, 1952, पृष्ठ 5.

2 देखिए Peter Laslett, *John Locke: Two Treatises of Government*, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1960, पृष्ठ 47, यह पुस्तक प्रायोगिक है।

नियमों की व्याख्या करने में यह पूर्णतः निष्पक्ष रही रह पाता था और भगडा हो जाने पर यह निरपेक्ष भाव से नियमों के अनुसार निर्णय न कर पाता था। पहले का आशय यह है कि उस समय नियमों की व्याख्या करने और भगडों को निपटाने के लिए, निर्णय करने और उसको लागू करने के लिए एक सामान्य सत्ता का पूर्ण अभाव था। इन अगुविधाओं के कारण, व्यक्तिगत अधिकारों का उपभोग कुछ सीमा तक अनिश्चित और अरक्षित रहता था। अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए मनुष्यों ने यह उचित समझा कि वे मिनजुन पर सामाजिक सविदा द्वारा एक नई स्थिति का निर्माण करें। इस सविदा में सभी व्यक्ति सम्मिलित हुए कोई व्यक्ति इससे बाहर नहीं रहा। तब के अनुसार, इस सविदा के लिए सर्वसम्मति अति आवश्यक है। ऐसा मतभेद हो जाने पर मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक राज्य को जन्म देने हैं।

सविदा बनाते समय, व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की शक्ति को एक तयनिर्मित राज्यसत्ता को सौंप देते हैं। वे इस शक्ति को किसी व्यक्ति अथवा समूह को न देकर एक दूसरे को अर्थात् पूरे समाज को सौंपते हैं। उनके प्राकृतिक अधिकार यथावत् सुरक्षित रहते हैं। वस्तुतः इनके अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से ही वे सविदा बनाते हैं और राज्य को जन्म देते हैं। अतः व्यक्तियों के अधिकारों में कोई कमी नहीं आती और वे अपने को किसी नई सत्ता के अधीन नहीं कर देते। इस प्रकार व्यक्तियों का सहमति के आधार पर लोक कल्याण के हेतु राज्य की स्थापना होती है। इस प्राथमिक सहमति के कारण भविष्य में वे सगठित जनसमुदाय के निणय मानने के लिए बाध्य हैं। ये निणय साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। लॉक के मतानुसार, यह सविदा आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू होती है। वयस्क हो जाने पर यदि व्यक्ति राज्य छोड़कर नहीं चले जाते तो इससे यह निष्पक्ष विवादा जा सकती है कि उन्होंने राज्य के पक्ष में अपनी सहमति दे दी है। जिस लोगों के पास सम्पत्ति है, उनके ऊपर यह बात और भी अधिक लागू होती है।

राज्य उत्पन्न तो हो गया, किंतु काम बनाने के लिए शासन के अंग भी चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक विधानांग का होना अत्यंत आवश्यक है जो कानून बना सके। इसका निर्माण जनता की सहमति से होता है और यह राज्य में सर्वोपरि सत्ता होती है, तथापि यह निरव्यय नहीं हो सकती। यह सत्ता एक व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों अथवा समूहों जनसमुदाय में विहित हो सकती है। स्थापित हो जाने पर उसे अपरिवर्तनीय और पवित्र मानना चाहिए। लॉक के अनुसार विधानांग अपने अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकती। इस सत्ता के अतिरिक्त एक न्यायांग की आवश्यकता भी होती है। लॉक ने यह स्पष्ट नहीं

किया कि कार्याग को मपूर्ण जनसमुदाय स्थापित करता है अथवा केवल विधानाग, और उसे एकमत से स्थापित किया जाता है अथवा केवल बहुमत से, तथापि कार्याग को सदैव विधानाग के अधीन होना चाहिए। जो शक्ति कार्याग को दी गयी है, लोक के अनुसार वह 'प्रत्ययी ट्रस्ट' के रूप में विनिष्ट उद्देश्या के लिए है और उसका सहयोग केवल लोकहित में होना चाहिए।

सत्ता के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए लोक में दो प्रमुख अनुशास्तियों (sanctions) का वर्णन किया है जिनमें एक आन्तरिक है और दूसरी बाह्य। आन्तरिक अनुशास्ति से उसका अभिप्राय प्रकृति के उन नियमों से है जो राज्य में पूर्ववत् चालू रहते हैं और जिनका नियमन व्यक्तियों तथा सरकार पर समान रूप से रहता है। बाह्य अनुशास्ति से लोक का आशय यह है कि अतत सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति जनसमुदाय में निहित है। शक्ति का दुरुपयोग करने वाली सत्ता अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सर्वथा अयोग्य प्रमाणित होनी है और ऐसी दशा में वह स्वतः 'ट्रस्ट' खो बैठती है। ऐसी अवस्था में, जिन्होंने उसे अधिकार सौंपे थे उन्हें यह स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है कि वे पुनः जिसे चाहें अपने हितों की रक्षा के लिए सत्ता सौंप दें। इस प्रकार, सरकार को बदलने से राज्य के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अल्प-काल के लिए कुछ अल्पवस्था फैल भी जाए, तो भी आजादी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक बार जब मनुष्य सगठित जीवन के लाभों को समझ लेते हैं तो वे सरलता से उस छोड़ने के लिए उत्तम नहीं होते। लोक मानता है कि जनसाधारण के इन अधिकारों के कारण विद्रोह को प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार शांति-अवस्था भंग हो सकती है, तथापि उसके मतानुसार कुशासन को रोकने का इससे अधिक उत्तम कोई उपाय नहीं है। कठिनाई यह निश्चय करने में है कि क्या शासन की व्यवस्था वस्तुतः इतनी बुरी हो गई है कि विद्रोह का चण्डा उठाना अच्छा होगा? फिर भी, लोक का कहना है कि यह बात मनुष्यों की सामान्य बुद्धि और उनके व्यावहारिक निर्णय पर छोड़ी जा सकती है। उसका विश्वास है कि जनता स्वभाव से ही विद्रोह और उससे उत्पन्न अव्यवस्था के विरुद्ध होती है, अतएव उसके लिए वह केवल तभी तत्पर होगी जब अवस्था इतनी बिगड़ चुकी हो कि ढोडे समय के लिए सामाजिक अव्यवस्था को भी सहन किया जा सके।

स्वेच्छापूर्वक राज्य केवल सर्वसम्पत्ति से नष्ट किया जा सकता है; अतः राज्य का स्वेच्छापूर्वक विनाश कल्पनातीत है। बाह्यरूप से, इसे बलप्रयोग द्वारा नष्ट

1 दलिय E Barker, *Social Contract*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1946, भूमिका १४ 28 से 32.

किया जा सकता है ; किंतु विजेता आक्रमणकारी को सफल होने पर भी विजित व्यक्तियों पर नैतिक अधिकार नहीं होते । हाँ, यदि विजित जनसमुदाय ने अकारण ही युद्ध को प्रारम्भ किया है, तो बात दूसरी है । ऐसी दशा में भूल का परिमार्जन उन लोगों द्वारा होना चाहिए जिन्होंने भूल की है । ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता है ; वे अपनी भूल के कारण कम-से-कम अपनी स्वतंत्रता अवश्य खो देते हैं । किंतु इससे उनके सम्पत्ति के अधिकार पर बाँध नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस पर उन अबोध बच्चों और उन निरापराध स्त्रियों का भी हक है जिन्होंने कोई भूल नहीं की है ।

आलोचना—लॉक के विचारों की कुछ टीकाकारों ने कड़ी आलोचना की है । उनके अनुसार यदि मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था सुखमय थी तो उन्हें राज्य स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी, और यदि यथार्थ में वह कठिनाइयों से भरभूर थी तो फिर लॉक ने हमें भ्रम में क्यों डाला ? लॉक के विचारों से ऐसी ध्वनि निकलती है मानो राज्य की स्थापना मानवसमाज के विकास में एक उलटा कदम हो । यदि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकार, नैतिकता, कानून आदि सभी कुछ थे, तो मनुष्य ने राज्य की रचना करके क्या उन्नति की ? स्पष्ट है कि लॉक ने जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें एक भारी कमी है अर्थात् लॉक स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में नीति और कानून दोनों ही थे तथापि व्यक्ति इतने निष्पक्ष न थे कि वे अपने भ्रमों का निपटारा स्वयं कर सकते । यही नहीं, लॉक इस बात को भुला देता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कोई ऐसे अनुभव नहीं हो सकते जिनके आधार पर वह यह निर्णय कर सके कि सामाजिक सविदा सर्वसम्मति के आधार पर होनी चाहिए और शेष निर्णय केवल बहुमत के आधार पर । यही नहीं, यद्यपि लॉक प्राकृतिक अवस्था को पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं मानता और केवल मान्य ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर ही उसने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की, तथापि वह ऐसी व्याख्या देता है मानो सामाजिक सविदा वस्तुतः हुई हो । अन्यथा उसका यह कहना कि वयस्क हो जाने पर जब व्यक्ति राज्य में बसे रहने का निर्णय करता है तो इस निर्णय में उसकी सविदा के प्रति सहमति निहित है, निरर्थक हो जाता है ।

प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों के सबंध में भी लॉक की धारणा युक्तिसंगत नहीं है, यह कहना कि प्रकृति के नियम शाश्वत और अटल हैं, जिन्हें ईश्वरीय इच्छा भी माना जा सकता है, इतिहास और अनुभव का विरोध करना है, विशेषतः इसलिए कि इन नियमों में वह सम्पत्ति के अधिकार, वशा-नुगत उत्तराधिकार और बहुमत के नियमों को भी सम्मिलित करता है । यह

मानना अत्यंत पठिन है कि ये बातें शाश्वत और अपरिवर्तनशील हैं। वस्तुतः लॉक की प्राकृतिक नियमों की सफलता गतिहीन है। आगे चलकर, डीको और मोटेस्कु आदि ऐतिहासिक विचारकों ने इस धारणा को निर्मूल बताया। लॉक के प्राकृतिक नियम सबंधी विचारों से एक अन्य कठिनाई यह उपस्थित हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति 'प्राकृतिक नियम' के नाम पर राजकीय नियमों को मानने से इंकार कर सकता है। इस रूप में उसके विचार सामाजिक व्यवस्था के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। सम्पत्ति के अधिकार को भी वह शाश्वत और अद्वेष्य मानता है। इस अधिकार की व्याख्या करते समय वह कहता है कि व्यक्तियों का प्राकृतिक साधनों की उपज पर केवल उसी सीमा तक अधिकार है जहाँ तक बिना गप्ट किए वे उसका सदुपयोग कर सकें। किंतु जहाँ वह राज्य में सम्पत्ति के अधिकार की चर्चा करता है, वह इस बात को ध्यान में नहीं रखता और न वास्तविक जीवन में ही किसी राज्य में सम्पत्ति के अधिकार पर ऐसा बंधन स्वीकार किया गया है। लॉक यह भी भूल जाता है कि 'उत्तराधिकार' की सफलता प्राकृतिक नहीं है और समाज में ही इस प्रकार के विचार का जन्म हो सकता है। जैसा कि रूसो ने कहा है, सामाजिक सविदा का प्रतिपादन करने वाले विद्वान् आदिमवासीन व्यक्ति की बातें तो करते हैं किंतु जब वे उसका वर्णन करने लगते हैं तो जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है वह एक 'नागरिक' का होता है।

यद्यपि लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति समाज में रहता था, तथापि समाज के स्वरूप के संधर्ष में उसके विचार सटवते हैं। वस्तुतः उसका सम्य समाज अथवा राज्य एक 'लिमिटेड कम्पनी' के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने 'शेयर' (सामित हित) के अनुसार रुचि लेता है। राज्य से उसका संबंध केवल उसी सीमा तक है जहाँ तक वह उसका हित साधन करता है।

जॉ जाक्स रूसो (1712-1778 ई०)

रूसो का जन्म जितेवा में हुआ था। उसका समुचित पालन-पोषण नहीं हो सका। उसका जीवन अव्यवस्थित, किंतु काफी रंगीन रहा। पहले वह फ्रांस के बुद्धिवादियों के निवृत्त सम्पर्क में आया, किंतु थोड़े ही दिनों में वह बुद्धिवाद को सदेह की दृष्टि से देखने लगा और उसने भावनाओं की नैतिक अन्त प्रज्ञा (intuition) के महत्त्व पर बल देना प्रारम्भ कर दिया। उसने अनुसार बुद्धि श्रद्धा की विरोधी है विज्ञान आस्था को गप्ट कर देता है, और सर्व-बुद्धि नैतिक अन्त प्रज्ञा का विरोध करती है। किंतु बिना नैतिक श्रद्धा, विश्वास और अन्त प्रज्ञा के न तो व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण हो सकता है और न समाज का

वह्याण । हसो ने अनेक ग्रथो की रचना की है । इनमे उसका प्रथ, 'सोशन कान्ट्रैक्ट'¹, जो सन् 1762 मे प्रकाशित हुआ, सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इस पुस्तक के अतिरिक्त, 1754 ई० मे लिखे हुए 'मनुष्यो की असमानता' पर अपने लेख मे उसने एक कल्पित प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है । यद्यपि बाद मे प्रकाशित एक पुस्तक मे उसने यह स्वीकार किया है कि प्राकृतिक अवस्था के सबंध मे उसके विचार बदल गए हैं, तथापि उसने यह नही बताया कि उसके परिवर्तित विचार क्या हैं ? अतः हमको इसी लेख के आधार पर उसके विचारो का प्रतिपादन करना होगा ।

हसो के लेख से ऐसा लगता है कि वह मनुष्यो की प्रारम्भिक अवस्था को यदि आदर्श नही तो कम से कम अपेक्षाकृत उत्तम अवस्थ समझता था । इस अवस्था को उसने तीन भिन्न चरणों मे बाँटा है । पहले चरण मे मनुष्य निश्चित और एकाकी जीवन व्यतीत करता है । वह सीधा-साधा और स्वस्थ था । उसकी आवश्यकताएँ बहुत कम थी और वे सुगमतापूर्वक पूरी हो जाती थी । वह केवल दो दुखो को जानता था शारीरिक कष्ट और भूख-प्यास । वह अबोध था और पाप-पुण्य तथा अच्छाई-बुराइयो के विचारो से सर्वथा अपरिचित था । उसकी तर्क-बुद्धि का विकास नही हुआ था और सब मिलाकर उसका जीवन पशुओं के जीवन से बहुत भिन्न न था । मनुष्य की न कोई इच्छाएँ थी, और न वह भविष्य की चिन्ता करता था । वह पूर्णतः स्वतंत्र था और आनन्द से जीवन व्यतीत करता था । प्राकृतिक अवस्था के दूसरे चरण मे जनसंख्या के बढ़ने से परिवर्तन आने लगे । शिकार के लिए प्रतियोगिता होने लगी । अनेक कारणो से मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह एक-दूसरे से मिलकर काम करें । परिवार का उदय हुआ । वह कुटिया बनाकर रहने लगा और चर्म के कपडे भी पहनने लगा । धीरे-धीरे 'मेरे' और 'तेरे' का भाव बढने लगा और उसे भविष्य की चिन्ता होने लगी । मनुष्य अब समझदार बन रहा था । उसकी कल्पना, भाषा और तर्क-बुद्धि का भी धीरे-धीरे विकास हो रहा था । इस अवस्था के तीसरे चरण मे मनुष्य वनस्पति और अन्य प्राणियो को धीरे-धीरे अपने नियंत्रण और अधिकार मे लाने लगता है । शिल्प और कला का विकास होता है । लोग खेती करने लगते हैं । लोगो मे गर्व बढ जाता है और वे अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी आकांक्षाओ और अभिलाषाओ की पूर्ति के लिए करने लगते हैं² । बढ़ने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक

¹ देखिए उसका प्रथ *Social Contract*, सम्पादक जी. डी. एच. कोल, लन्दन, ईट, 1935.

² देखिए Lord, *Principles of Politics*, लन्दन, पृष्ठ 40,

अवस्था को छोड़कर एक नयी स्थिति में आने लगता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति का जन्म होता है जिसके कारण असमानता, ईर्ष्या और सघर्ष बढ़ जाते हैं। लोग भूमि का घेरा बनाकर उसे अपना कहने लगते हैं और इस प्रकार सम्पत्ति की नींव सुदृढ़ हो जाती है। इसी के साथ ऊँच-नीच, अमीर-गरीब और छोटे-बड़े के भेद भी बढ़ने लगते हैं। लोगों में द्वेषभाव फैलने लगता है और असमानता, अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न का बोलबाला हो जाता है। इस तरह मनुष्य जो जन्म के समय स्वतंत्र था, अनेक बंधनों में जकड़ जाता है।

इसो स्वीकार करता है कि इन बंधनों से छुटकारा पाकर पुनः प्रारम्भिक अवस्था को लौट जाना सम्भव नहीं। किंतु इतना अवश्य किया जा सकता है कि जिन अजीबों ने मनुष्यों को जकड़ रखा है उन्हें आभूषणों का रूप दे दिया जाए। इसो का कहना है कि यह तभी सम्भव हो सकता है जब राज्य शक्ति के ऊपर आधारित न होकर जनता की 'सामान्य इच्छा' (general will) पर आधारित हो। अतएव इसो का उद्देश्य एक ऐसा राज्य स्थापित करना है जिसमें सब सौम्य मिलकर रहे और सामूहिक शक्ति द्वारा उनके जन-धन की रक्षा की जा सके। लोकतंत्र का प्रबल समर्थक होने के कारण वह व्यक्तिगत निरकुशलता का उन्मूलन करना चाहता था और इसके लिए उसने सामाजिक सविदा के सिद्धांत का आश्रय लिया।

राज्य के स्वरूप की व्याख्या करते हुए इसो कहता है कि राज्य न तो परिवार के स्वामित्व प्रसार से बना है और न वह शक्ति के ही ऊपर आधारित है, वस्तुतः राज्य मनुष्यवृत्त है। जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था से तग आकर यह समझता है कि बिना अन्य व्यक्तियों से मिले वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और लोगों के सम्मिलित कार्य पर ही समस्त आशानें निर्भर हैं, तो वह इस दिशा में प्रयास करता है। यह प्रयास सामाजिक सविदा का रूप लेता है। सविदा द्वारा इसो एक ऐसी एकता स्थापित करना चाहता है जो स्वतंत्रता का अपहरण करने के स्थान पर उसका रक्षण करे अर्थात् उसके लिए समस्या यह है कि एक ऐसा जनसमुदाय बनाया जाए जिसमें कि सामान्य शक्ति द्वारा उसके प्रत्येक सदस्य के तन और धन की सुरक्षा दिया जा सके और जिसमें सब लोग एक होकर भी अपनी स्वतंत्रता को पूर्ववत् बनाए रख सकें। इसो के मतानुसार ऐसा होना तभी सम्भव है जब सभी व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों को बिना शर्त पूरे जनसमुदाय को सौंप दें। इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करने पर भी यह योजना निष्फल हो जाएगी। इस सामाजिक सविदा से एक नये जनसमुदाय का जन्म होता है जिसे 'राज्य' कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता, क्योंकि अधिकार समष्टि को दिए गए

हैं और सभी की स्थिति बराबर है। वस्तुतः व्यक्ति जो एक हाथ से देता है, उसे वह समष्टि से दूसरे हाथ से प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल इतना है कि पहले अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा वह स्वतः करता था किंतु अब राज्य उनके संरक्षण के लिए सम्मिलित शक्ति का प्रयोग करता है।

इस सविदा के फलस्वरूप एक नए नैतिक और सामूहिक जनसमुदाय का जन्म होता है जिसमें पूर्ण एकता और सामंजस्य रहता है। रूसो इसे 'राज्य', 'सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता' और 'शक्ति' ये तीन सजाएँ देता है जो उसके विभिन्न रूपों की परिचायक हैं। इसी प्रकार, राज्य के जनसमुदाय को भी वह क्रमशः 'जनता', 'नागरिकों' और 'प्रजा' की सजाएँ देता है जो व्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं। रूसो के अनुसार सामूहिक रूप से जनता में प्रभुसत्ता निहित होती है। जनता किसी दशा में भी प्रभुसत्ता को अपने से पृथक् नहीं कर सकती और न इस प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व ही किया जा सकता है। उसके अनुसार, प्रत्येक नागरिक 'सामान्य इच्छा' (general will) के निर्माण में सहयोग देता है। एक प्रकार से, 'सामान्य इच्छा' नागरिकों की यथार्थ इच्छा का ही प्रतिरूप है। रूसो के अनुसार प्रत्येक नागरिक में दो प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। इनमें से एक को उसने 'विशिष्ट इच्छा' (particular will) का नाम दिया है। यह व्यक्ति की उस इच्छा का नाम है जब वह अपने व्यक्तिगत अथवा अन्य किसी सकुचित हित अथवा स्वार्थ को भावना से प्रेरित होता है। किंतु जिस समय वही नागरिक लोकहित की भावना से प्रेरित होता है, रूसो उसकी इच्छा को 'सामान्य इच्छा' कहता है। रूसो के अनुसार जब व्यक्ति 'विशिष्ट इच्छा' से प्रभावित होते हैं तब उनका आपस में और राज्य के साथ संघर्ष हो सकता है। इसके विपरीत यदि वह 'सामान्य इच्छा' के अनुसार आचरण करें तो इस प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। अतएव रूसो इस परिणाम पर पहुँचता है कि जो व्यक्ति 'सामान्य इच्छा' के अनुकूल कार्य करने से इकार करता है उसको बलपूर्वक ऐसा आचरण करने के लिए बाध्य करना चाहिए। रूसो का विश्वास है कि यह बलप्रयोग उस व्यक्ति के सच्चे हितों के अनुरूप होगा और वस्तुतः उसे नैतिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए रूसो कहता है कि मनुष्य जब अपनी 'विशिष्ट इच्छा' से प्रेरित होकर कार्य करता है तब वह अपने व्यक्तिगत अथवा अन्य सकुचित स्वार्थों प्रवृत्तियों और इच्छाओं के घन में होता है। इसके विपरीत जब वह उन कानूनों का पालन करता है जो उसकी 'सामान्य इच्छा' पर निर्भर हैं, तब वह सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करता है। रूसो के अनुसार, जीवन में व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता का उपभोग सर्वप्रथम इस नवनिर्मित राज्य में करता है। उसकी सम्पत्ति

भी अब समाज के कानूनो के अनुकूल राज्य का संरक्षण प्राप्त करती है।

सामान्य इच्छा—रूसो के अनुसार 'सामान्य इच्छा' सर्वदा सामान्य हित में होती है। रूसो सामान्य इच्छा के पाँच प्रमुख लक्षण बताता है। सर्वप्रथम, यह नैतिक होती है अर्थात् सभी के हित में है। दूसरे, यह हमेशा एक और अविभाज्य होती है अर्थात् उसे बाँटा नहीं जा सकता। तीसरे, यह शक्ति न होकर स्थायी होती है। चौथे, यह सर्वसंगत होती है। पाचवें, उसमें आत्म-चेतना होती है। इससे रूसो का अभिप्राय यह है कि न तो यह अज्ञानी होती है और न स्वार्थी। इससे ज्ञात हो जाता है कि जनता की सच्ची भलाई किस में है ?

प्रमुखता के लक्षणों का वर्णन करते समय रूसो ने उसे अदृश्य, अविभाजित, अमोघ और निरकुच बतलाया है। साथ ही उसका कहना यह है कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। रूसो के विचारों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह राज्य को एक जीव के सदृश मानता है जिसकी अपनी इच्छा है और जो समष्टि के संरक्षण और कल्याण की कामना करती है। यही नहीं सामान्य इच्छा' कानूनो का श्रोत भी है।

प्रश्न उठता है कि 'सामान्य इच्छा' कहाँ स्थित होती है ? रूसो का कहना है कि प्रायः सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा (will of all) में काफी अंतर होता है¹। इसी प्रकार, उसका कहना है कि सामान्य इच्छा बहुमत के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। इसी प्रकार वह प्रमत्त अल्पमत, समझौते और एक व्यक्ति की इच्छा के समक्ष उसे रखकर यह परोक्षा करना चाहता है कि क्या सामान्य इच्छा इनमें किसी के अनुरूप बतलाई जा सकती है। अतः वह इस परिणाम पर पहुँचना है कि सामान्य इच्छा के लिए सर्वसम्मति आवश्यक नहीं है। वस्तुतः यहाँ प्रश्न इच्छाओं की गणना का नहीं है अपितु उसके स्वरूप का है, अर्थात् उस सबके सहयोग से निर्मित होना चाहिए और सबके ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए। साथ ही उसका उद्देश्य सामान्य हित होना चाहिए। तभी उसे सामान्य इच्छा कहा जा सकता है। रूसो का विचार है कि इस प्रकार की सामान्य इच्छा के निर्माण के लिए कुछ हालतों का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए उसका कहना है कि जब तक जनता को समुचित सूचनाएँ प्राप्त न होंगी, सामान्य इच्छा के विचार में बाधा पड़ेगी। रूसो के अनुसार जब व्यक्ति सामान्य इच्छा पर विचार करने के लिए एकत्रित हो तो उन्हें एक दूसरे से विचार-विमर्श नहीं करना चाहिए। उसका ख्याल था कि राजनीतिक मुद्दों और सामुदाय 'सामान्य इच्छा' का विस्तृत कर देते हैं। यदि

1 देखिए *Social Contract* में कोट की भूमिका, पृष्ठ 25.

इनमें कोई समुदाय अधिक बड़ा और प्रभावशाली हो, तो सामान्य इच्छा के सफल विकास में बहुत बाधा पड़ेगी। अतः वह परामर्श देता है कि यदि गुट अथवा दल हों ही, तो उनकी सख्या अधिक हो और उनमें बहुत पारस्परिक असमानताएँ न हों। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा कभी अनुचित नहीं हो सकती, लेकिन जनता के विचार-संग्रह में दोष हो सकता है। यह भी सम्भव है कि हम अपने भले को समुचित रूप में पहचान न सकें। रूसो इस सम्भावना को भी स्वीकार करता है कि जनता धीरे-धीरे या अचानक ऐसे निर्णय कर ले जो वस्तुतः उस हानि पहुँचाते हों। हो सकता है कि इन भूलों और कमियों के कारण जनता का निर्णय 'सामान्य इच्छा' का सच्चा प्रतीक न हो, किंतु 'सामान्य इच्छा' स्वयं कभी भूल नहीं करती¹।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। यही नहीं, वह इस बात पर भी बल देता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यदि इस धारणा को माना जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिनिधिक (representative) संस्थाएँ रूसो के मत के प्रतिकूल थीं। वस्तुतः रूसो ने एक बार कहा भी था कि इंग्लैंड में जनता पाँच वर्षों में केवल एक बार (मतदान के समय) स्वतंत्र होती है और वह अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर पुनः दास बन जाती है। कहने का आशय यह है कि रूसो के अनुसार सच्चा लोकतंत्र वही सम्भव है जहाँ सभी नागरिक सार्वजनिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हों। इस प्रकार, उसके विचार आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं होते।

रूसो ने यह स्पष्ट नहीं बताया कि शासन को कौन जन्म देता है और वह कैसे उत्पन्न होना है? तथापि रूसो का यह दृढ़ विद्वानस है कि सभी राज्य-वर्गचारी और पदाधिकारी समाज के एजेंट के समान हैं और यदि वे 'सामान्य इच्छा' के अनुकूल कार्य नहीं करते तो उन्हें पदच्युत किया जा सकता है।

आलोचना—रूसो के विचारों में अनेक अस्पष्टताएँ और असंगतियाँ हैं। यह कहना कठिन है कि रूसो वस्तुतः प्राकृतिक अवस्था की कल्पना को स्वीकार करता था अथवा नहीं, और उसके मतानुसार यह अवस्था अच्छी थी या बुरी, तथापि वह इस बात पर बल देता था कि बिना 'सहमति' के राज्य की उचित स्थापना नहीं हो सकती। इसी प्रकार, यह स्पष्ट नहीं होता कि रूसो का प्राकृतिक व्यक्ति किम प्रकार विवेकशील बनकर सविदा बना लेता है। रूसो की व्याख्या में यह भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य में शासन का निर्माण कौन और

1 वही, पृष्ठ 25-26.

करता है ? यही नहीं, रूसो का यह विचार कि जनता कभी भ्रष्ट नहीं होती यद्यपि वह धोखा खा जाती है जिसके कारण वह एक गलत धारणा को 'सामान्य इच्छा' मान बैठती है, केवल शब्द-चातुर्य मात्र है। इसके अतिरिक्त, रूसो के यह बयान कि प्रत्येक नागरिक प्रभुसत्ता का आशिक भागीदार है, उसके इस विचार के प्रतिबल है कि प्रभुसत्ता असंख्य और अविभाजित होती है। उसका यह विचार कि जो व्यक्ति स्वतः सामान्य इच्छा का पालन न करे वह बलपूर्वक इसके लिए बाध्य किया जाए, स्वतंत्रता का उपहास लगता है।

'सामान्य इच्छा' की धारणा की भी काफी आलोचना हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका यह विचार अमूर्त और अस्पष्ट है। साथ ही, यह केवल छोटे-दोटे जनसमुदायों पर ही लागू हो सकता है जहाँ प्रत्यक्ष शासन सम्भव है। रूसो का यह सोचना कि यदि लोग में सामान्य हित की भावना हो तो उनके विचार भी एक रूप होंगे भ्रांतिपूर्ण है। इसी प्रकार, रूसो का यह बयान कि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा को प्रकट करती है, इस बुनियादी प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकषिप्त करता है कि 'वास्तविक' शब्द के क्या अभिप्राय हैं ? मनोवैज्ञानिकों ने भी इस धारणा की आलोचना करते हुए कहा है कि यस्तुतः यह एक सामान्य धारणा नहीं है। यदि यह एक 'इच्छा' के रूप में है तो उसके पीछे इच्छा करने वाले किसी व्यक्ति का आधार होना चाहिए, और यदि यह 'सामान्य' है तो यह इच्छा नहीं हो सकती। रूसो की आलोचना में यह भी कहा गया है कि वह मनुष्यों की इच्छा ('सामान्य इच्छा') को मनुष्य से भी ऊँचा (उन्हें बाध्य करके) बना देता है, और इस बात को भूल जाता है कि मनुष्य साध्य है, साधन मात्र नहीं। इसके अतिरिक्त, रूसो इस बात को भी भूल जाता है कि एक वर्ग-समाज में 'सामान्य इच्छा' का होना आवश्यक नहीं है। मार्क्स के अनुसार, जहाँ जनता वर्गों में बँटी हुई है वहाँ घोषित वर्ग और सौंपक वर्गों के हितों में कोई समानता नहीं होती। यदि यह विचार ठीक है तो सामान्य इच्छा और सामान्य हितों की बातें करना निरर्थक हो जाता है। यही नहीं, रूसो अब यह कहता है कि यदि व्यक्ति को बलपूर्वक 'सामान्य इच्छा' के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है तो वह यह भूल जाता है कि प्रायः इसी व्यक्ति के आधार पर निरङ्कुश शासन का औचित्य सिद्ध किया जाता है।

इन आलोचनाओं के रहते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रूसो के विचार अत्यंत प्रभावशाली थे और उसने समय-समय पर अनेक विचारकों और दलों को प्रभावित किया है। अस्पष्ट होने पर भी उसकी 'सामान्य इच्छा' की कल्पना ने अनेक दार्शनिकों और चिंतकों को प्रेरणा दी है और यूरोप में आधु-

निक आदर्शवादी राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया है। सब मिलाकर, रूसो के विचार क्रांतिकारी प्रमाणित हुए हैं और उसने लोकतंत्र की भावना का प्रसार किया किया है¹।

तुलनात्मक विवेचन

सामाजिक सविदा का सिद्धांत एक गुनम्य कल्पना (plastic fiction) है। अतएव, विभिन्न प्रतिपादकों ने इसे अपनी इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा है और जिन विचारों की वे स्थापना करना चाहते हैं उसके अनुकूल उसे ढाल लिया है। फलस्वरूप, इन लेखकों के विचारों में अनेक असमानताएँ पाई जाती हैं। नीचे हम कुछ प्रमुख प्रभेदों पर विचार करेंगे।

रूसो हॉब्स से सहमत है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सामाजिक नहीं होते, वितु वह यह स्वीकार नहीं करता कि वे एक-दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। सामाजिकता के विषय में रूसो का लॉक से मतभेद है किंतु लॉक के साथ उसकी इस संबंध में सहमति है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक-दूसरे के शत्रु नहीं होते। दूसरे, हॉब्स की आत्मकेंद्रीयता की भावना की पुष्टि करते हुए, रूसो व्यक्ति में दया और सहानुभूति के भावों की भी चर्चा करता है। इन दोनों के विपरीत लॉक के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पारस्परिक सद्भाव और सम्मान की भावनाओं से ओतप्रोत थे। तीसरे, रूसो हॉब्स से सहमत है कि प्राकृतिक व्यक्ति में नैतिक भावनाएँ नहीं होती थी और इन भावनाओं का जन्म सम्य समाज में हुआ। इन दोनों के विपरीत लॉक का मत है कि अपनी प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य में नैतिक भावनाएँ विद्यमान थीं। चौथे, रूसो हॉब्स के इस विचार का समर्थन करता है कि शासित और शासकों के मध्य कोई सविदा नहीं बनाई जाती। इन दोनों के मतानुसार केवल एक सविदा होती है जो राज्य को जन्म देती है। दूसरी ओर, लॉक का विचार है कि राज्य प्रसविदा पर आधारित है, किंतु शासन के अंगों का निर्माण बाद में होता है। पाँचवे, हॉब्स राज्य और शासन में प्रभेद नहीं करता जबकि लॉक और रूसो स्पष्ट रूप से ऐसा करते हैं। छठे, हॉब्स तथा रूसो के अनुसार राज्य में एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता का होना अपरिहार्य है, किंतु लॉक यह नहीं मानता। क्योंकि हॉब्स राजसत्ता का प्रधान उद्देश्य जीवन की सुरक्षा समझता है, अतः वह असौमित्र सत्ता की उपस्थिति और आज्ञापालन पर विशेष बल देता है। इससे विपरीत, लॉक तथा रूसो अनहित में शासन होने के पक्ष में

¹ दक्षिण Dunning, *A History of Political Theories, From Rous-
seau to Spencer*, न्यूयार्क, 1933, पृष्ठ 38-39.

होने के कारण नागरिकों के अधिकारों के प्रति अधिक सजग है। सातवें, हॉब्स के अनुसार, सरकार की सत्ता सर्वोपरि होती है, किंतु लॉक और रूसो के अनुसार यह एक अधीन एजेंसी के समान है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियुक्त की जाती है। आठवें, हॉब्स और लॉक के समाज की कल्पना यथार्थ है जबकि रूसो ने नए समाज का रूप एक ऐसे जीवन के समान बनाया है जिसमें पूर्ण एकता और सामंजस्य विद्यमान है। नवें, हॉब्स के अनुसार राज्यद्रोह की छूट नहीं होती, केवल सत्ता को हस्तांतरित किया जा सकता है। लॉक के अनुसार, राज्यद्रोह एक अंतिम अस्त्र है जिस जनता अत्यधिक परेशानी की दशा में काम में ला सकती है। किंतु, रूसो के अनुसार सरकार को बदलना एक साधारण बात है और आवश्यकतानुसार नागरिक ऐसा कर सकते हैं। दसवें, हॉब्स निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है जबकि लॉक वैधानिकता का समर्थक है और रूसो जनता को सर्वोच्च मानता है। ग्यारहवें, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में सम्पत्ति नहीं होती, जबकि लॉक के अनुसार सम्पत्ति का एक प्राकृतिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए व्यक्ति संधि बनाकर राज्य का निर्माण करता है। रूसो के अनुसार राज्य की रचना ही इसलिए की जाती है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण अनेक असमानताएँ और विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। बारहवें, हॉब्स के अनुसार निसर्ग का अभाव ही सच्ची स्वतंत्रता है किंतु, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य प्रकृति के नियमों का आदर करते हैं। रूसो के मतानुसार, राज्य बनाकर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता के स्थान पर नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। तेरहवें, जबकि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का परित्याग कर देता है, लॉक के अनुसार वह केवल प्राकृतिक अधिकारों के सुरक्षण का अधिकार ही हस्तांतरित करता है। रूसो इस संबंध में कुछ सीमा तक हॉब्स के मत को स्वीकार करता है किंतु उसका कहना है कि व्यक्ति स्वच्छंदता और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। हॉब्स का व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ देता है जबकि लॉक के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, किंतु रूसो के अनुसार नए परिवर्तन नैतिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, इन विद्वानों ने इस सिद्धांत की अपनी अलग व्याख्याएँ दी हैं।

आलोचना

सामाजिक संधि के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई जिनमें प्रमुख हैं - ऐतिहासिक, धार्मिक और दार्शनिक।

ऐतिहासिक आलोचना— इस सिद्धांत का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। वस्तुतः यह सिद्धांत अनतिहासिक है। इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते जहाँ राजनीतिक जीवन से सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्तिगणों ने मिलकर सविदा द्वारा राज्य बनाया हो। अमरिका में जाकर बसने वाले 'मफलवार' जहाज के अंग्रेज यात्रियों का उदाहरण जो प्रस्तुत किया जाता है, वस्तुतः इस संबंध में लागू नहीं होता क्योंकि इन यात्रियों को पहले से ही राज्य और शासन का अनुभव था। यही नहीं इतिहास और मानव शास्त्र के अनुसंधानों से हम यह जान गए हैं कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' और वह सदा से समाज में रहता आया है। अतएव, प्राकृतिक अवस्था संबंधी वे विचार, जो व्यक्ति को असामाजिक बताते हैं, मान्य नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त, हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि आदिम युग में समाज की इकाई व्यक्ति नहीं होकर क्रमशः टोटेम, कुल, कुलमा और परिवार थे। व्यक्ति तो वही आधुनिक युग में आकर समाज की स्वतंत्र इकाई बना है किंतु इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार वर्णन किया है जैसे उस अवस्था में व्यक्ति ही सब कुछ हो। अतः यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था की सूक्ष्म एकदम कल्पित है और विद्वानों ने इच्छा अनुसार इसका मनमाना चित्रण किया है और निष्कर्ष निकाले हैं। इस सिद्धांत का एक दाव यह भी है कि इसके अनुसार राज्य यकायक उत्पन्न हो जाता है। तथ्य यह है कि राज्य की उत्पत्ति यकायक एक दिन में नहीं हुई और न राजनीतिक चेतना ही पलक मारते पैदा हो गई। राज्य का विकास धीरे-धीरे हुआ, किंतु यह सिद्धांत हमें विश्वास दिलाना चाहता है कि मनुष्य ने सविदा बनाकर तुरंत राज्य बना लिया।

कानूनी आलोचना—एक वैध सविदा कानून के अंतर्गत बननी चाहिए। यदि उस मनवाने वाली एक निष्पक्ष शक्ति पहले से उपस्थित न हो तो उसका कोई उचित आधार नहीं रह जाता, किंतु इस सिद्धांत में शक्ति के आधार को स्वीकार नहीं किया जाता। अतएव, इस प्रकार की सविदा तर्कसंगत नहीं है और उससे कोई कानूनी अधिकार और शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही नहीं, सविदा की शर्तें बिना सहमति के पीढ़ी दर पीढ़ी लागू नहीं हो सकती। वे केवल उन्हीं पर लागू हो सकती हैं जो सविदा बनाते हैं किंतु इस सिद्धांत में ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त एक सविदा तभी तक मान्य होती है जब तक उसमें उल्लिखित दशाएँ बनीं रहें, किंतु इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते। विशिष्ट दशाओं में सविदा का उल्लंघन भी किया जा सकता है। इसमें अतिरिक्त यदि राज्य का आधार सविदा है तो इसका आशय यह हुआ कि व्यक्ति राज्य से पृथक् भी हो सकता है, किंतु इस सिद्धांत

के प्रतिपादक ऐसा नहीं मानते। अतः मे यह कहा जा सकता है कि सविदा पर आधारित सबंध उसी दशा में लागू होते हैं जब व्यक्तियों का उससे हित-साधन हो, किन्तु इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और व्यक्तियों का सबंध स्थायी है।

दार्शनिक व्यालोचना—इस दृष्टि से प्राकृतिक अवस्था की कल्पना निर्भूत है। यदि राज्य कृत्रिम है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य यथायक बन गया, अर्थात् यह है कि राज्य का विकास मनुष्य के स्वभाव और उनकी आवश्यकताओं के कारण हुआ। प्रश्न यह उठता है कि यदि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में राज्य और शासन की प्रवियाओं से सर्वदा अपरिचित थे, जैसा कि इस मत के प्रतिपादक कहते हैं, तो राज्य को स्थापित करने की बात उनके मन में आई कैसे? यदि उन्हें राज्य के सबंध में पहले से ज्ञान था तो राज्य का जन्म की बात करना अनुचित है, और यदि उन्हें ज्ञान न था तो राज्य की कल्पना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती। इसके अतिरिक्त, सविदा के सिद्धांत से यह ध्वनि निकलती है कि राज्य और व्यक्तियों के सबंध सुविधा पर आधारित हैं, और राज्य से व्यक्तियों का उसी सीमा तक सबंध है जहाँ तक वह उनके हितों पर ध्यान देना है। स्पष्टतः ऐसी धारणा व्यक्ति और राज्य के सबंधों की सही व्याख्या नहीं करती। जैसा कि वरुन न कहा है, व्यक्ति और राज्य के सबंध एक साधारण सविदा पर आधारित नहीं माने जा सकते। यह तो एक ऐसा सबंध है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता। इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो जीवित हैं और जिनका प्राण चलकर जन्म होने वाला है। वर्ण के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का राज्य से सबंध, सुविधा पर आधारित न होकर, अटूट है और सविदा-सिद्धान्त केवल उसके एक सीमित पहलू पर प्रकाश डालता है।

सत्य का अर्थ—अनेक दोषों से युक्त होते हुए भी यह सिद्धान्त कुछ ऐसे सत्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है जिन्हें मुसलाना नहीं चाहिए। इनमें सबसे मुख्य बात यह है कि राज्य 'जनता की इच्छा अथवा सहमति' पर आधारित है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए बना है अर्थात् वह एक साधन-मात्र है और इस साधन का उपयोग लोकहित में होना चाहिए। यही नहीं, इस सिद्धांत से हमें यह भी ज्ञात होता है कि राज्य की नांव की जनता की इच्छा अथवा सविदा पर आधारित करना स्पष्ट नहीं है। राज्य और व्यक्तियों के पारस्परिक सबंधों की दृष्टि से यही अंश होगा कि इन दोनों का सबंध सहमति के ऊपर ही आधारित रहे, अर्थात् राज्य जो भी कार्य करे लोकहित का आदर करते हुए और लोकहित की दृष्टि से। यह एक

ऐसा सत्य है जिसका आज के युग में सभी विचारक आदर करते हैं ।

4. आनुवंशिक सिद्धांत

उपर्युक्त सिद्धांत के अतिरिक्त अनेक ऐसे विद्वान् हैं जिन्होंने राज्य को मनुष्यों के लिए स्वाभाविक और आवश्यक बतलाया है । ऐसे लेखकों में प्लेटो और अरस्तू की गणना भी की जाती है । प्लेटो के अनुसार, राज्य का उदय इसलिए होता है कि मनुष्य अपने में पूर्ण नहीं है । जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करना पड़ता है और इस प्रकार राज्य का धीरे-धीरे विकास होता है । अरस्तू ने राज्य के विकास की चर्चा करते हुए कहा है कि वह मनुष्यों के सामाजिक सगठनों का एक स्वाभाविक चरमबिंदु है । जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम परिवार का जन्म होता है, किंतु जब परिवार पर्याप्त सिद्ध नहीं होते तो धीरे-धीरे मनुष्य वृहत् समाजों की रचना करता है जिनमें पहले 'गाँव' और तत्पश्चात् 'ग्राम-समूह' बनते हैं और इन्हीं 'ग्राम-समूहों' के सम्मिश्रण से राज्य की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार, राज्य मानव सगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया का उत्कर्ष है ।

इसी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने आनुवंशिक सिद्धांत की व्याख्या दी है जिसके अनुसार मनुष्य का प्रारम्भिक समुदाय परिवार था । परिवारों का धीरे-धीरे विकास होकर कुल, गोत्र, कबीले (गण) आदि बने । इनके मेल से पहले 'गाँव' और तत्पश्चात् 'नगर राज्य' की स्थापना हुई । इस प्रकार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का उदय प्रथमिक विकास का परिणाम है । इस सिद्धांत के दो रूप हैं : पितृसत्तात्मक (Patriarchal) सिद्धांत और मातृसत्तात्मक (Matriarchal) सिद्धांत । इन दोनों में भेद केवल यह है कि प्राथमिक परिवार की रचना पितृसत्तात्मक थी अथवा मातृसत्तात्मक ।

पितृसत्तात्मक सिद्धांत—इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हेनरी मेन हैं । इन्होंने प्राचीन समाजों का विशद अध्ययन किया है । वह इस परिणाम पर पहुँचे कि राज्य का निर्माण परिवार के विकास से हुआ । उसके मतानुसार, यह परिवार पितृसत्तात्मक थे अर्थात् इसमें वंशगणना पुरुषों के नाम से होती थी और परिवार के सबसे बड़े पुरुष को असीमित अधिकार प्राप्त थे । मैकीवर के अनुसार, परिवार में नियंत्रण के वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो शासन के सार हैं । जिन आवश्यकताओं ने परिवार को जन्म दिया, उन्हीं ने अनुशासन और नियंत्रण को भी जन्म दिया । अतः परिवार में शासन का प्राक्षेप निहित रहता है ।

परिवार के प्रमुख का शासन निरकुश होता था और कहीं कहीं तो इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वह परिवार के सदस्यों को मृत्यु दण्ड तक दे सकता था। धीरे धीरे परिवार स्वाभाविक गति से, परिग्रहण (adoption) से और दूसरे समुदायों को जीत कर अपने में आत्मसात् (assimilate) करके बढ़ने लगे। लेकिन परिवार के प्रमुख की सत्ता सभी सदस्य मानते थे। उसकी मृत्यु के पश्चात् सत्ता सबसे बृद्ध पुरुष वंशज को सौंप दी जाती थी। धीरे-धीरे एक परिवार के कई परिवार बन गए और वे मिलकर एक कुनबे में परिवर्तित हो गए। इस कुनबे का प्रधान भी प्रायः सबसे बृद्ध पुरुष होता था। इसी प्रकार, कई कुनबों के बन जाने से एक कबीला बन गया और वहीं-कहीं पर इन कबीलों के संघ बने। इन कबीलों और कबीलों के संघ ने कुछ स्थानों पर धीरे-धीरे राज्य का रूप धारण कर लिया। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो जाता है, कि मनुष्य की प्राथमिक अवस्था में, समाज-व्यवस्थाओं का समूह न होकर परिवारों का समूह होना था अर्थात् परिवार ही समाज की इकाई थे।

मातृसत्तात्मक सिद्धांत—इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में मॉन्तेनन, मॉर्गन और जैक्स हैं। इन विद्वानों का मत है कि प्राथमिक परिवार का रूप पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक था। उनके अनुसार जब तक एक पति-पत्नी परिवारों का जन्म नहीं हुआ, पितृसत्तात्मक परिवार नहीं बने। उनके अनुसार मनुष्यों के प्राथमिक समाजों में स्वच्छंद यौन संबंध थे। ऐसी दशा में केवल माँ के संबंध में ही निश्चित रूप से जाना जा सकता था, अतएव वंश गणना माँ के नाम से चलती थी। पिता के संबंध में कोई निश्चित ज्ञान न होता था। इन परिवारों में प्रमुख पुरुष न होकर स्त्रियाँ ही होती थीं। अतएव इन परिवारों को मातृसत्तात्मक कहा गया है। इन परिवारों में रहने वाले पुरुष दूसरे कबीलों के होते थे जो स्त्रियों के पास आकर रहने लगते थे। जैक्स ने आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के जीवन का अध्ययन करने के पश्चात् मैन री इस धारणा को ठुकरा दिया कि समाज के विकास का प्रारम्भ पितृसत्तात्मक परिवार से होता है जिनके विस्तार से आगे बढ़कर कबीले और राज्य बनते हैं। उसने अनुसार प्राथमिक जनसमूह परिवार न होकर 'टोटम' अथवा कबीला होता है। बाद में ये कबीले विभाजित होकर अनेक कुनबों में रहने लगते हैं और तत्पश्चात् इन कुनबों के अनगूँठ परिवारों का जन्म होता है। चारामाह युग में स्वच्छंद यौन संबंध समाप्त हो जाते हैं और यह पत्नी अथवा एक पत्नी विवाहों का सूत्रपात हो जाता है। एसा होने पर ही पितृसत्तात्मक परिवार बनते हैं। इस प्रकार जैक्स के अनुसार, सर्वप्रथम सम्मिलित विवाहों का युग जाता है जिसमें वंश-गणना माँ के नाम से होनी है और सत्ता भी माँ के नाम से चलती है। ऐसे

परिवारों में केवल मां ही सम्पत्ति की अधिकारिणी हो सकती है।

आलोचना—हम देख आए हैं कि किस प्रकार मार्गन और जैक्स आदि विद्वानों ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का विरोध किया और बताया कि प्राथमिक परिवार मातृसत्तात्मक थे। हम यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार जैक्स ने यह प्रदर्शित किया कि प्राथमिक सामाजिक गिरोह परिवार न होकर कबीले थे और कबीलों के टूटने से धीरे धीरे कुनबो और परिवारों का जन्म हुआ। लेकिन पितृसत्तात्मक सिद्धांत ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। यही बात कुछ सीमा तक मातृसत्तात्मक सिद्धांत के संबंध में भी कही जा सकती है। जैसा कि मैकीवर ने स्पष्ट किया है स्त्री सर्वेदा वंशगणना का हेतु रही है। उत्तराधिकार में सम्पत्ति भी उसी को प्राप्त होती थी, तथापि उसने स्वयं कभी सत्ता का उपयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त जैसा कि अरस्तू लगभग 2300 वर्ष पहले कह चुका है, परिवार और राज्य में बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर उनके संगठन, कार्यों और उद्देश्यों आदि के संबंध में है। अतएव यह कहना कि परिवार से राज्य बने, युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। परिवार के अंतर्गत सत्ता की स्थिति स्वाभाविक होती है किंतु राज्य में उसकी स्थिति 'जन इच्छा' पर निर्भर है। परिवार का सिद्धांत आधिपत्य और आज्ञा-पालन है जबकि राज्य का सिद्धांत समानता है। इन कारणों से राज्य को परिवार के स्वाभाविक प्रसार के रूप में देखना अनुचित होगा।

यही नहीं, जैसा कि फ्रेडर ने कहा है, प्राथमिक सामाजिक संगठनों के संबंध में सामा-यीकरण करते समय सावधानी की आवश्यकता है। वस्तुतः पुराने सामाजिक संबंध उतने ही जटिल हैं जितने कि आधुनिक, और उनकी गवेषणा करते समय हमको पूर्वकल्पनाएँ नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने का दुष्परिणाम यह होगा कि हम सामाजिक जटिलता को बारीकी से समझने के स्थान पर शीघ्रता में ऐसे निष्कर्ष बना लेंगे जो सरल होने पर भी यथातथ्य नहीं होंगे। सच यह है कि जटिल दशाओं का अध्ययन और उससे निष्कर्ष निकालते समय हमें बड़े धैर्य से काम लेना चाहिए। इन बातों को देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि इन दोनों सिद्धांतों में कोई भी राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या नहीं करता, तथापि ये दोनों सिद्धांत वंश अपवा रक्त-संबंध के महत्त्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार ये सामाजिक बंधनों को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं, जिनके बिना राज्य का उदय सम्भव न होता। इस प्रकार, रक्त संबंधों ने सुदृढ़ सामाजिक संगठनों की रचना कर आगे चलाकर राज्य के विकास को सम्भव बना

दिया ।

5. राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत

हमने कल्पना पर आधारित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों या विवेचन करने पर यह पाया कि यद्यपि उन सभी में कुछ न कुछ दोष हैं, तथापि वे सत्य के कुछ अंशों का उद्घाटन भी करते हैं । अब हमारे पास इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के माध्यम से इतने तथ्य एकत्रित हो गए हैं कि हमको कल्पना का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रह गई । अब हम कह सकते हैं कि राज्य की न तो भगवान् ने जन्म दिया, न देवी इच्छा से उसकी उत्पत्ति हुई, न वे बल बलप्रयोग से उसका उद्भव हुआ और न सविदा से वह बना । वह परिवार के स्वाभाविक विकास और प्रसार का परिणाम भी नहीं है । वह किसी विशेष समय सोच समझकर नहीं बनाया गया, अपितु धीरे-धीरे बना । इसके विकास का प्रारम्भ इतना रहस्यमय है कि बर्क के मतानुसार इस सबंध में शोध न करना ही अच्छा होगा । किंतु बर्क के इस विचार को राजनीतिशास्त्री स्वीकार नहीं करते । यथासम्भव वे प्रयत्न करते हैं कि राज्य के विकास से संबंधित अधिक से अधिक तथ्य एकत्रित हो सकें ।

आदिमकालीन मनुष्य के जीवन के सबंध में हमारा ज्ञान अछूरा है । हम केवल इतना जानते हैं कि इस युग में मनुष्य समाज की इढ़ नींव पड़ी । जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्यों का प्रश्न है हम किसी ऐसे समय के संबंध में निश्चित रूप से नहीं जानते जब मनुष्य ने एकाकी जीवन व्यतीत किया हो । तथापि समाज का रूप निरंतर बदलता रहा है । धीरे धीरे सामाजिक विकास की एक ऐसी अवस्था आती है जब राज्य विकसित हो जाता है । राज्य के निर्माण में जिन महत्वपूर्ण शक्तियों ने भाग लिया उन पर एक-एक करके हम विचार करेंगे । ये शक्तियाँ हैं :

- (1) रक्त-संबंध अथवा बंधुत्व ;
- (2) धर्म ;
- (3) आर्थिक आवश्यकताएँ ;
- (4) संधर्ष और युद्ध ; और
- (5) राजनीतिक चेतना ।

रक्त संबंध—इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारम्भिक जन-समुदायों का अग्रगण्य रक्त-संबंध अथवा बंधुत्व था । समाज रक्त-संबंध की उत्तरी धारणा किस सीमा तक तथ्यों पर आधारित थी और वहाँ तक कल्पना पर, यह हमारे लिए विशेष महत्व की बात नहीं है । हाँ, इस विश्वास से प्रेरित होकर यदि

महत्त्वपूर्ण योग दिया और राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी। गैटिल के कथनानुसार प्रारम्भिक समाज में रक्त-संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पक्ष थे। प्रत्येक 'टोटम' और कबीले का अपना पृथक् 'धर्म' होता था। वे प्राकृतिक शक्तिपथ और अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। उनका प्रधान केवल सामाजिक नेता ही नहीं होता था, अपितु उनका सर्वोच्च धर्माधिकारी भी होता था। धार्मिक कृत्य गुप्त रूप से किए जाते थे और बाहरी व्यक्तियों को इन्हें जानने का अवसर नहीं दिया जाता था। उनमें गोद लेने का ढंग ही यह था कि जिस ध्वनि को अपने समूह में सम्मिलित करना हो उसको धार्मिक कृत्यों में भाग लेने दिया जाए। इस प्रकार, वह उस समाज का एक सदस्य बन जाता था।

धर्म ने केवल सामाजिक एकता को ही दृढ़ता प्रदान नहीं की, अपितु लोगों में अनुशासन और आज्ञापालन की भावनाओं को भी दृढ़ किया। गैटिल के अनुसार, 'राजनीतिक विकास के प्राचीनतम कठिन समय में केवल धर्म ही, बर्बरतापूर्ण अराजकता का अंत कर, धंदा और आज्ञापालन की शिक्षा दे सकता था। अनुशासन मनवाने और सत्ता की आधोन्तता स्थापित कराने में... मनुष्यों को सहस्त्रों वर्ष लगे'। जैक्स के अनुसार, प्राचीन धर्म आत्माओं और भूतप्रेतों में विश्वास करते थे। कबीले के प्रमुख का एक विशिष्ट कर्तव्य पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त रखना था जिससे वे प्रसन्न होकर जनसमुदाय की उन्नति में सहायक हों। कुछ लोगों का जादू-टोने में भी विश्वास था और वे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक रूप से इसका आश्रय लेते थे। आत्माओं को प्रसन्न रखने वाले व्यक्ति प्रभावशाली होते थे¹। जेम्स फ्रेजर के अनुसार, धीरे धीरे जादू-टोना करने वाले लोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन गए। भूमि की उपज, वर्षा का होना या न होना, फसल का अच्छा होना या न होना, सभी उनकी वृषा पर निर्भर माना जाता था। आगे चलकर, यही जादू-टोना करने वाले व्यक्ति पुत्रारी-राजा बन बैठे। आज भी समाज में पुरोहित और महतो का बहुत आदर होता है। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य रक्त-संबंध पर आधारित भावनाओं का ह्रास होने के पूर्व धर्म इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वह स्वतः भी समाज को सुदृढ़ बनाए रह सकता था।

आर्थिक आवश्यकताएँ—जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन-पानी चाहिए। यदि जीवन की निरंतर आवश्यक वस्तुओं को ही ले लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी सन्तुष्टि के लिए पारस्परिक सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। बिना मिलजुल कर काम किए वे अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते। प्रारम्भिक समाजों में तीन प्रकार की आर्थिक दशाएँ

1 *The State and the Nation*, पृष्ठ 29-33 और 61-70.

पायी गयी हैं जिनका क्रमशः विकास हुआ ।

1. शिकारी अवस्था ;
- 2 पशुचारण की अवस्था , और
3. कृषि-युग ।

पशुचारण युग में सम्पत्ति का जन्म होता है, श्रम-विभाजन का सूत्रपात होता है, सम्पत्ति पर आधारित वर्ग बनने लगते हैं और समाज में पुरुषों का प्रमुख बढने लगता है । कृषि-युग में मनुष्य स्थायी रूप से एक साथ रहने लगते हैं । धीरे-धीरे बन्धुत्व का स्थान पड़ोस ले लेता है और सामाजिक एकता एवं सुदृढ़ता का आधार बन जाता है ।

अनेक विद्वानों के अनुसार, जिनमें हंसो और मार्क्स भी हैं, सामाजिक विकास में व्यक्तिगत सम्पत्ति के उद्भव का स्थान महत्त्वपूर्ण है । मैकीवर के अनुसार भी, यौन-संबन्ध और सम्पत्ति सामाजिक ढाँचे के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं¹ । धीरे-धीरे भूमि की रक्षा का प्रश्न प्रमुख बन जाता है और सम्पत्ति-संबन्धी नियम आवश्यक हो जाते हैं । भगडों को सुलभाने के लिए और निर्णयों को लागू करने के लिए एक सामान्य सत्ता आवश्यक हो जाती है ।

सघर्ष और युद्ध—बलप्रयोग के सिद्धांत का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि गिरोहों और कबीलों के आपसी भगडों ने सगठित समाज के बनाने में बड़ा योग दिया । इनके कारण, गिरोहों का नेतृत्व वृद्ध पुरुषों के हाथों से निकलकर वीर युवकों के हाथों में चला जाता है जो डटकर शत्रु का सामना करते हैं और बाहरी आक्रमण से अपने गिरोहों की रक्षा करते हैं । मैकीवर के अनुसार, विजय और आधिपत्य ने भी राज्य के बनने में महत्त्वपूर्ण योग दिया । साधारणतः समाज को विकेंद्रित करने वाले इतने अधिक तत्त्व रहते हैं कि उसका स्वाभाविक विकास कठिन हो जाता है और धीरे-धीरे व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है² । इसी आवश्यकता के बशीभूत होकर, अनेक कबीलों ने ढीले-ढाले परिषद (Confederacies) बनाए ; किंतु ये राज्य के रूप में कभी परिवर्तित नहीं हुए । राज्य के निर्माण में, समानता से नहीं, बल्कि आधिपत्य ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया और सहयोग एवं बन्धुत्व के स्थान पर वर्ग-व्यवस्था कायम हुई । इस परिवर्तन का प्रमुख कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति था ।

प्रारम्भ में सामाजिक सगठन और राजनीतिक सगठनों की विभाजक रेखा नहीं थी । जब एक बार सगठित समाज बन जाता है तो धीरे-धीरे कुछ ऐसी

1 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 31.

2 वही, पृष्ठ 51.

शक्तियों का काम करने लगती हैं कि राज्य के तत्त्व भी दिखाई देने लगते हैं। नीति और ट्रीटस्के के अनुसार, राज्य के निर्माण में शक्ति की कामना और आत्म-अभिन्न्यक्ति की भावना ने महत्वपूर्ण भाग लिया। साल्टाऊ के अनुसार, ऐतिहासिक दृष्टि से सघर्ष और युद्ध राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योग देते हैं। यह सत्य है कि किहीं दो गिरोहों का मेल, भले ही वह विजय पर आधारित हो, धीरे धीरे एकता और सामान्य भावना को जन्म देता है¹।

राजनीतिक चेतना—धीरे धीरे व्यक्तियों की अपनी रक्षा और हित के लिए व्यवस्था तथा नियंत्रण की आवश्यकता का अनुभव होने लगता है। उनमें अपने नेताओं के आदेशों का पालन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, और यह प्रवृत्ति रक्त-संवर्ध अथवा घमं पर आधारित न होकर सामान्य आवश्यकताओं के कारण होती है। यह राजनीतिक चेतना राजनीतिक सत्ता और राज्य के निर्माण में विशेष रूप से सहायक होती है। मैकोवर के अनुसार, यह कहना बहुत कठिन है कि राज्य का प्रारम्भ कब हुआ? भोटे रूप में केवल यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व और आज्ञापालन की प्रवृत्तियों पर ही राज्य और शासन आधारित है²। इन्हीं प्रवृत्तियों ने आगे चलकर सैन्य शक्ति को संगठित किया। गिरोह के प्रमुख को सत्ता को ही आगे चलकर राज्यसत्ता कहने लगे।

शक्ति से हमारा अभिप्राय केवल यह नहीं है कि बहुत से व्यक्ति एक व्यक्ति की अधीनता स्वीकार कर लें। इसमें वर्ग-संगठन भी निहित है जिसका आधार मनुष्यों की असमानता है। अनेक प्रकारों से विशिष्ट गिरोह और निहित-स्वार्थ बन जाते हैं जो नेता अथवा राज्यसत्ता का साथ देकर स्वयं भी अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार, राज्यसत्ता का और उनका अपना, दोनों का ही हित-साधन होता है, और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हित राज्य के हित बन जाते हैं³। इस प्रकार यह वर्ग सत्ता का उपभोग करने लगता है।

गिंसब्राइट यह स्वीकार करता है कि राजनीतिक चेतना का प्रारम्भिक रूप अचेतन और अविकसित होता है। किन्तु जैसे जैसे राज्य के तत्त्व दृढ़ होते जाते हैं राजनीतिक चेतना भी क्रमशः विकसित होती जाती है और दम्पुत्व, घमं आदि का स्थान देशभक्ति ले लेती है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि राज्य के जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, और न राज्य की उत्पत्ति का कोई विस्तृत विवरण ही दिया जा सकता है। अधिक से अधिक हम उन तत्त्वों की

1 *An Introduction to Politics*, पृष्ठ 53

2 उपर्युक्त पृष्ठ 42

3 वही, पृष्ठ 48-49.

विवेचना कर सकते हैं जिन्होंने राज्य के निर्माण में सक्रिय योग दिया। इन सभी तत्वों ने मिलकर कार्य किया है, कुछ कम और कुछ अधिक। सभी ने इतिहास और मानव-स्वभाव की प्रवृत्तियों को बड़ावा देकर अराजकता का अंत किया और अनुशासन एवं संगठन की नींवें दृढ़ की। रक्त संघर्ष पर आधारित समाज और राजनीतिक संगठन में एक-साथ अथवा एक-दूसरे से परिवर्तन नहीं हुए। सरकारी वी बनावट और व्यक्तियों के साथ सरकार के संघर्ष विविध प्रकार के होते हैं, तथापि हम कह सकते हैं कि राज्य का विकास शक्ति और स्वाभाविक रूप से हुआ। इसे देवी इच्छा ने नहीं बनाया, न मनुष्यों ने मिलकर इसका निर्माण किया। इसका प्रारम्भ विगत इतिहास की परता में छिपा पड़ा है और अधिक गहराई से इसकी जाँच-पड़ताल करने से कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता¹।

6. राज्य के स्वरूपों का विकास

राज्य का विकास नियमित रूप से नहीं हुआ और न सब स्थानों पर उसका रूप ही एक रहा है। कुछ विद्वानों ने राज्य के विकास के चक्र का चित्रण किया है। उनका मत है कि राज्य के रूप एक निश्चित श्रम से बदलते रहते हैं और अपवर्ष पर पहुँच कर पुनः परिवर्तन का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। यह धारणा अतिपूर्ण है। वस्तुतः राज्य का विकास रेखाकार क्रम से नहीं होता। विभिन्न परिस्थितियाँ विविध प्रकार के राज्यों को विकसित कर देती हैं। तथापि, व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य के विकास का क्रम है कबीलाई संगठन, प्राच्य साम्राज्य, नगर-राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, आधुनिक राज्य आदि।

राज्य के पूर्ववर्ती कबीलाई संगठन—प्राचीनतम राजनीतिक संगठन कबीलाई ढग के थे। ये संगठन सामान्यतः जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटे थे और सामान्य बन्धुत्व के धागे में घिरे रहते थे। कहीं-कहीं ये घुमंतू होते हैं, किंतु प्रायः ये एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करने लगते थे। इन संगठनों में प्रथा और परम्पराओं का बोलबाला था और कबीलाई प्रभुत्व इनके शासक होते थे। कभी-कभी अनेक कबीले मिलकर एक संघ बना लेते थे²।

1 उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 48.

2 देखिए लेखक का शोध ग्रंथ *The Nationalities Problem in the U. S. S. R.* (प्रयाग तथा आगरा विश्वविद्यालयों के पुरतकालियों में उपलब्ध, 1959), अध्याय 3, परिच्छेद 1, जिसमें यह धारणा व्यक्त की गई है कि कबीलों के संघों के परचाद, किंतु प्राच्य साम्राज्यों के पूर्व, 'सैनिक तोरतन' स्थापित होता है। यह 'हितैवन्द नगर' को केन्द्र बनाकर स्थापित होता है।

मैकीवर के अनुसार, इस प्रकार के कबोलाई संगठन राज्यों के रूप में बहुत कम विकसित हुए। इन आदि समाजों में अतिरिक्त-धन (Surplus wealth) के अभाव में वर्ग व्यवस्था न बन सकी, जिसके बिना समाज और राज्य का विभेद सम्भव नहीं हुआ।

प्राच्य साम्राज्य—सर्वप्रथम प्रादेशिक राज्य प्राच्य साम्राज्य में जिनका जन्म नील, गंगा, सिंधु, आदि नदियों की घाटियों में हुआ। इन घाटियों में अच्छी उपज होने के कारण सम्पत्ति का संचय हो सका और बड़े-बड़े नगर स्थापित हुए जो प्राथमिक साम्राज्यों के केंद्र बन गए। इसी प्रकार के साम्राज्य सुमेरिया, असीरिया, फारस, मिस्र, चीन और भारत में स्थापित हुए। प्राथमिक समाजों में जैसे-जैसे बन्धुत्व पर आधारित संगठनों की अवनति हुई, वर्ग-संगठनों का अपेक्षाकृत महत्त्व बढ़ने लगा¹। शन शन आधिपत्य पर स्थापित एक सैन्य-व्यवस्था कायम हो गई। इस प्रकार, राज्य के पास अब दो प्रमुख शक्तियाँ थी : सैन्यबल और धार्मिक सभ्रम (awe)²।

ये साम्राज्य हड़तापूर्वक संगठित नहीं थे। इनमें अनेक आधीन कबीले होते थे जो कि अपने स्थानीय अथवा जातीय मामलों में तो स्वायत्त थे किंतु केंद्रीय शासन को समय समय पर सैनिक सहायता देते थे और भेंट प्रस्तुत करते थे। सम्राट की शक्ति निरकुशता पर आधारित थी। संचार और यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। अतएव एक दृढ़ और शक्तिशाली केंद्रीय शासन का बनना बहुत कठिन था। अतः ये प्रारम्भिक साम्राज्य बहुत अस्थिर थे और वे बनते बिगड़ते रहते थे। इनमें न एकता थी और न दृढ़ संगठन। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। जब भी शासक वश निर्बल होता था, तत्काल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाता था³। तथापि इन साम्राज्यों ने सकुचित बन्धुत्व पर आधारित कबोलाई संगठनों को मितकर रहने और अनुशासन मानने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का सफल कार्य किया।

प्रारम्भिक नगर राज्य—प्राच्य साम्राज्य अतर्देशीय होते थे। उनके लिए समुद्र एक राजस्व न हीवर प्राकृतिक बाधा के रूप में था। इनकी सम्पत्ताओं के केंद्र घाटियों में होने थे, समुद्र के किनारे नहीं। किंतु शन शन लोगों को यह ज्ञात हो गया कि जो लोग समुद्र को अपने बाजू में कर सकते हैं, उनको बहुत अधिक शक्ति और सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है। इस अनुभव के बाद, एक नए प्रकार की राजनीति का उदय हुआ और प्रोट, ट्राय, आदि में नयी

1 मैकीवर, उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 55

2 वही, पृष्ठ 56-57.

3 वही, पृष्ठ 58.

सभ्यताओं ने जन्म लिया। इनका उत्कर्ष यूनान के नगर-राज्यों में हुआ, जिन की सभ्यता की नींव दास-प्रथा पर आधारित थी। इन नगरों के स्वतंत्र नागरिकों से यह आशा की जाती थी कि वे सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लें। अतएव इन नगर-राज्यों ने अत्यधिक राजनीतिक विकास किया और स्वायत्त-शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया। किंतु इनमें कुछ कमियाँ भी थी। ईसा पूर्व की चौथी सदी तक आने-आते ये नगर-राज्य गरीब और अमीरों के दलों में विभाजित हो गए थे जो निरंतर लड़ते रहते थे। इसके परिणामस्वरूप समूचे यूनान पर विस्तृत एक यूनानी राज्य न बन सका। कई बार डीले-ढाले सभ्य अवश्य बने किंतु लगातार चलने वाले इन युद्धों ने प्रमुख नगर-राज्यों की शक्ति को निर्बल कर दिया। एकता और अनुशासन के अभाव में ये नगर-राज्य पिछड़ गए। जब तक ये नगर-राज्य अपने उत्कर्ष पर थे, इनमें कानून और प्रथा में बहुत कम भेद था और य मनुष्य-जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे।

रोमन साम्राज्य—जिस समय ये नगर-राज्य टूटने-भिन्न हो रहे थे, कार्थेज और रोम में नए जनसमुदाय बने। रोमन राज्य तीन अवस्थाओं में हाकर निबला : नगर-राज्य की अवस्था, जनतंत्र की अवस्था, और साम्राज्य की स्थिति। इनमें से प्रथम अवस्था में रोम में भी वही राजनीतिक प्रवृत्तियाँ कायम थी जो यूनानी नगर-राज्यों में भी थी रोमन। जनतंत्र की स्थापना 510 ई० पू० हुई। लगभग दो शताब्दियों तक कुलीन वर्ग और साधारण लोगों में राजनीतिक संघर्ष होने लगे। अंत में शासित वर्ग को भी समान अधिकार प्राप्त हुए। आगे चलकर रोमन साम्राज्य बना जिसके राजा को वंशानुगत उत्तराधिकार प्राप्त थे, किंतु साथ ही उसे निर्वाचित भी किया जाता था। वही सर्वोच्च न्यायाधीश और पुरोहित भी था। कुछ सीमा तक कुलीन परिवारों में राजसत्ता निहित थी। रोम राजनीतिक एकता बनाए रखने में सफल हुआ। उसमें यूनान के नगर-राज्यों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व था।

रोम ने पड़ोसी इटैलियन राज्यों को हड़प कर अपने साम्राज्य का सूत्रपात किया। उसने क्रमशः इटली, कार्थेज और सिकन्दर महान् के पूर्वी राज्य के कुछ भागों को हस्तगत कर लिया। ईसा के समय तक आने-आते रोम एक व्यापक साम्राज्य बन चुका था। इन साम्राज्य में सत्ता और सगठन केंद्रित थे और सम्राट् निरंकुश था। जन-सभाओं का महत्त्व कम हो गया था। मोनट सम्राट् के प्रभाव में जनतंत्र आ गई। अतएव राज्यात्माएँ कानून के सहस्य मानी जाने लगीं और फिर ऐसा समय आया जब रोमन सम्राट् की पूजा होने लगी। ईसा की चौथी शताब्दी में ईसाई मत को राज्यघर्म मान लिया गया। सारी शान-

शोकात के होते हुए भी रोमन साम्राज्य में कुछ कमियाँ थीं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष आदर न था, उच्च वर्ग पतित हो गया था, और आर्थिक शक्ति विभ्रसलित हो गया था। यही बातें आगे चलकर साम्राज्य के अत का कारण बनीं।

सामती राज्य—रोमन साम्राज्य के विघटन होने पर, कबीलाई सगठन फिर महत्वपूर्ण बन गए। ये कबील अपने मामलों में स्वायत्त होते थे। इनके नेता जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। मंकीवर के अनुसार, मध्यकालीन पाश्चात्य यूरोप से राज्य लगभग लुप्त हो गया अथवा यो कहिए कि वह जनसमुदाय में विलीन हो गया। एक शक्तिशाली राज्य के स्थान पर सत्ता विकेंद्रित होकर बिखर गई। सामती व्यवस्था का जन्म हुआ। धर्म का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बन गया और राजनीतिक पद वशानुगत हो गए। व्यापार के समाप्त होने से भूमि और कृषि का महत्व बढ गया, और भूमि के मालिक सामंत बन गए। प्रत्येक कुलीन व्यक्ति के अधीन अनेक किसान और दास होते थे। इस प्रकार, भू सम्पत्ति के स्वामित्व के आधार पर भेद हो गए।

गंटिल के अनुसार सामतवादी समाज में न एकता ही सकती है और न स्वतंत्रता। अतः सदियों से किए जाने वाले समस्त राजनीतिक प्रयत्न व्यर्थ ही गए। रोम साम्राज्य का जब पतन हुआ तो ईसाई चर्च ही बस एक ऐसी शक्ति थी जो लगभग अछूती बनी रही। हठ शासन के अभाव में, राज्य के कुछ कार्यों को चर्च स्वयं कर लेगी। धीरे-धीरे चर्च अत्यंत समृद्धिशाही और शक्तिशाली बन गयी। इसका प्रमुख धोप था जो अब यह दावा करने लगा कि उसका स्थान सभी ईसाई राजाओं के ऊपर है। इसके कारण उत्तर मध्यकाल में चर्च और सत्ता के बीच प्रबल समर्थन हुए। यद्यपि सामतवादी समाज में, सच्चे अर्थ में राज्य वर्तमान न था, तथापि राजकीय एकता की भावना अक्षुण्ण बनी रही।

आधुनिक काल—सामतवादी समाज का कोई निश्चित राजनीतिक रूप न था। इसका अंत होने पर आधुनिक राज्यों का उदय हुआ। वशानुगत मंत्रियों के स्थान पर प्रादेशिक सभ्य स्थापित हुए, राष्ट्रीय भाषाओं का जन्म हुआ, जातीय मिश्रण से बन राष्ट्रों का जन्म हुआ और राष्ट्रीय चेतना फैली। इन परिवर्तनों के मूल में उत्तर मध्यकाल में नए सिरे से इस्तक़ारी, व्यापार और नगरों की स्थापना थी। मुद्रा के चलन और प्रसार, बाह्य के अन्वेषण, याता-यात व शासन में सुधार आदि स समाज की नई व्यवस्था की प्रोत्साहन मिला। लेकिन जब तक एक सामान्य ईसाई चर्च संगठित थी, आधुनिक राज्यों का सदागुण विकास कठिन था। सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में धार्मिक सुधार

की लहर ने इस समस्या का समाधान कर आधुनिक राज्यों के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार, यूरोप में राष्ट्रीय रूप से संगठित अनेक राज्यों की स्थापना हुई जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन प्रमुख थे। व्यावसायिक और व्यापारिक वर्ग, अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से, शांत और व्यवस्था के पोषक हो गए और साथ ही राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक भी। उन्होंने राष्ट्रीय राजाओं, राष्ट्रीय सेना और कर-व्यवस्था कायम करने में बहुत सहायता दी। यह रोमन धारणा कि राजा की इच्छा ही कानून है, नई सत्ता के समर्थन में प्रयुक्त की जाने लगी। साथ ही राजाओं के देवी अधिकारों के सिद्धांत का प्रचलन भी इसी समय हुआ, तथापि ये निरकुश राजतंत्र स्थायी न बन सके। जैसे ही सामंतवाद का अंत हुआ और राज्य की चर्च से सघर्ष से छुट्टी मिली, इस नए व्यापारी (मध्यम) वर्ग ने राजनीतिक सत्ता में अपना भाग मांगा। इसके कारण, राजा और इस वर्ग में सघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री मध्य-वर्ग को मिली। उन्नीसवीं शताब्दी तक आते-आते, श्रमिक वर्ग भी संगठित होने लगा और उसने मध्य-वर्ग की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया, और यह वर्ग-सघर्ष आज भी विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर है।

आगे के विकास की दिशा—विकास की यह प्रक्रिया सीधी नहीं है। इंग्लैंड में यह शांतिपूर्ण और श्रमिक हुई जबकि फ्रांस में रक्तपातपूर्ण श्रान्ति हुई। इस बीच, लोकतंत्र की भावना और उससे प्रभावित अनेक सस्थाओं का जन्म हुआ जिनमें प्रमुख हैं स्थानीय स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी, शासन की निरकुशता पर रोक (अर्थात् संविधानी शासन का उदय), ययस्क मताधिकार आदि। किंतु राजनीतिक विकास का क्रम जारी है और इस समय दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं— पराधीन देशों की स्वतंत्रता की माँग और अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की उत्कट अभिलाषा। दूसरी ओर, संकुचित राष्ट्रीयता के दोष भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं और अनेक विद्वान बहुराष्ट्रीय राज्य अथवा विश्व-व्यापी सघ की आवश्यकता पर बल देने लगे हैं। प्रश्न यह है कि आज के युग में, जब अनेक प्रकार के राजनीतिक तनाव बने हुए हैं, एक विश्व सघ की स्थापना कैसे स्थापित हो ? सघर्ष के अनेक कारण अब भी उपस्थित हैं— साम्राज्यवादी राज्यों और पराधीन देशों की जनताओं में सघर्ष, जाति और वर्ण पर आधारित भेदभाव के विरुद्ध सघर्ष; समृद्ध देशों और निर्धन तथा अविकसित देशों के हितों में सघर्ष, अनब मतों और धारों के समर्थकों के बीच सघर्ष; शक्तिशाली देश और निर्बल देशों के दृष्टिकोणों में मतभेद, आदि। इन भेदभावों, मतभेदों, तनावों और सघर्षों को दूर कर कैसे एक विश्व-सघ की स्थापना की जाए जिसमें सभी व्यक्तियों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो ? यद्यपि

आगे का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, तथापि यदि हम किसी न किसी प्रकार काँटों को हटाते हुए अपना मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे तो सम्भव है कि मानव-सभ्यता और संस्कृति का ही अंत हो जाए। हमें आशा और विश्वास है कि मानव जाति में इतना साहस और क्षमता है कि वह ऐसी निराशावादी स्थिति से बचने का कोई न कोई उपाय ढूँढ निकालेगी और सुख-समृद्धि और प्रगति को ओर अप्रसर होगी।



राज्य का स्वरूप, उसके उद्देश्य और कार्य

हम प्रश्न कर सकते हैं कि राज्य एक साध्य है अथवा साधन । जो लोग समति पर बल देते हैं, उनके लिए स्पष्टतः राज्य एक साधन है, किंतु जो लोग नैतिक अथवा शक्ति-सिद्धांत में विश्वास करते हैं, उनके लिए राज्य अच्छा हो या बुरा, स्वन. ही साध्य है ।

—फ्रांसिस ग्रेहम बिल्सन

1. राज्य का स्वरूप

हम देत थुके हैं कि राज्य पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता है । एक जोवशास्त्री के लिए, वह एक प्राणी के समान है ; एक समाजशास्त्री के लिए, वह सामाजिक तथ्य है ; एक मनोवैज्ञानिक के लिए, वह एक मानसिक रचना है ; एक ऐतिहासिक के लिए, वह ऐतिहासिक उपज है ; एक आदर्शवादी के लिए, वह जनता की 'यथार्थ इच्छा' का प्रतीक है ; एक यथार्थवादी के लिए, वह दक्षिण अथवा बल-प्रयोग का प्रतीक है ; एक विधि-शास्त्री के लिए वह एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो नागरिकों और व्यक्ति-समूहों के अधिकारों और कर्तव्यों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है और जिसका संबल्य कानून के रूप में प्रवृत्त होता है ; और एक मानसवादी के लिए, यह वास्तविक वर्गों का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य जमाने का एक साधन है । विचारों की इस विविधता से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद नहीं है । इन विभिन्न मतावलम्बियों के विचारों का यथास्थान

विस्तारपूर्वक विवेचन किया जाएगा। यहाँ हम केवल राज्य के स्वरूप से संबंधित जैविक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे।

जैविक सिद्धांत—यह सिद्धांत राज्य को एक जीव या प्राणी के रूप में मानता है। इसके अनुसार, राज्य एक जीवित शरीर है जिसके विभिन्न अंग अन्य जैविक शरीरों के समान अपने काम करते हैं। इस प्रकार, यह सिद्धांत राज्य में व्यक्तियों को वही स्थान देता है जो शरीर में विभिन्न अंगों के होते हैं। इसके अनुसार, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध भी उसी प्रकार अन्यान्योन्निहित होते हैं जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के एक-दूसरे के साथ।

यह सिद्धांत अति-प्राचीन है। प्लेटो के विचारों में भी हमें इस सिद्धांत की झलक मिलती है। अरस्तू ने भी इस समानता की चर्चा की है। मध्यकालीन यूरोप में भी राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में माना जाता रहा जिसको नियंत्रित करने वाली दो सत्ताएँ बतलाई गईं, एक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और शरीर के नियंत्रण के लिए और दूसरी आध्यात्मिक उन्नति और उसके निर्देशन के लिए। इनमें प्रथम को उन्होंने 'राज्य' का नाम दिया और दूसरी को 'चर्च' का। आगे चलकर हॉब्स, लॉक, बर्क आदि आधुनिक विचारकों में भी इस सिद्धांत की झलक मिलती है। समूहों की चर्चा करते हुए हॉब्स ने कहा है कि राज्य में इनका स्थान वही है जो कि शरीर की अंतर्दृष्टियों में प्रजीवियों का। यही नहीं, हॉब्स ने प्रभुसत्ता की मनुष्य की यात्मा से तुलना की, उच्चाधिकारियों की शरीर के जोड़ों से, तथा पुरस्कार और दण्ड की तंत्रिकाओं से। इसी प्रकार, लॉक ने भी मानव शरीर से राज्य की समता दिखाई। उसके अनुसार, राज्य में विधानांग (legislature) की समता हृदय से की जा सकती है और कार्यंग (executive) की मस्तिष्क से। इसी से मिलते-जुलते विचार अन्य विद्वानों ने भी प्रकट किए हैं, जिनमें हरबर्ट स्पेंसर और वुल्सली प्रमुख हैं। वुल्सली तो यहाँ तक बढ़ गए कि उन्होंने राज्य को पुल्लिग बताया और चर्च को स्त्रीलिंग। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य एक जीवित आध्यात्मिक प्राणी है।

हरबर्ट स्पेंसर ने इस समता का विस्तार से उल्लेख किया और बताया कि किस प्रकार चयनित शरीर और सामाजिक शरीर में समानता है। उनके अनुसार इन दोनों की उत्पत्ति, विकास और शय के एक ही नियम हैं। इनकी वात्स्यावस्था, पुत्रावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु भी होती है। मनुष्य के शरीर के समान राज्य में भी पोषण, वितरण, और नियंत्रण व्यवस्थाएँ होती हैं। इसकी पोषण व्यवस्था में वह उत्पादकों और निर्माताओं को सम्मिलित करता है जिनमें उपक और धमिच दोनों ही आ जाते हैं। वितरण-व्यवस्था में

वह थोक व्यापारियों, परचून व्यापारियों, साहूकारों तथा यातायात और संचार के कामों में लगे हुए व्यक्तियों को सम्मिलित कर लेता है। इसी प्रकार, नियंत्रण व्यवस्था में वह सरकार और सेना को गिनता है। उसका कहना है कि राज्य का विकास भी अन्य जीवों के समान होता है। प्रारम्भ में वह एक छोटे आकार का समुच्चय (नगर-राज्य) होता था, किंतु अब बढ़ते-बढ़ते वह अपने प्रारम्भिक रूप से सहस्रो गुना हो गया है। आकार के साथ ही इसकी रचना भी जटिल हो गई है। इसमें श्रम-विभाजन बढ़ता जाता है और साथ ही अन्योन्याश्रय भी। भागे बढ़कर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें एक छोटे-से वर्ग द्वारा काम रोक दिए जाने पर समाज की सारी उत्पादन-व्यवस्था ठप हो सकती है। उस के अनुसार, शरीर के समान राज्य भी घिसता-पिटता और बढ़ता-घटता रहता है। राज्य और शरीर की समता के संबंध में स्पेंसर ने निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ प्रस्तुत की हैं¹

- 1 राज्य एक प्राणी के समान है और उस पर उत्पत्ति, विकास, क्षति और मृत्यु के वही नियम लागू होते हैं जो कि अन्य प्राणधारी शरीरों पर ;
2. सुचारु रूप से कार्य करने के लिए राज्य भी व्यक्तियों पर उसी प्रकार निर्भर है जैसे कि प्राणधारी शरीर अपने अंगों पर ,
3. राज्य और प्राणधारी शरीर के अंग भी समान होते हैं ;
- 4 ये दोनों ही प्रारम्भ में आकार में छोटे और रचना में सरल होते हैं किंतु धीरे-धीरे इनका आकार और बनावट की जटिलता बढ़ती जाती है ;
- 5 दोनों ही विकास करते हुए प्रस्तुत वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं ;
- 6 विकास की ऊँची अवस्था में, यद्यपि दोनों के अंग पारस्परिक रूप से आश्रित होते हैं, तथापि उनका विशेषीकरण बढ़ता जाता है , और
7. दोनों का ही जीवन अपने अंगों के जीवन से अधिक स्थायी होता है ।

इन समताओं को देखते हुए स्पेंसर ने राज्य को एक जैविक प्राणी के रूप में स्वीकार किया। इसका आशय यह नहीं है कि स्पेंसर इन दोनों में कुछ भेद नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, वह यह स्वीकार करता है कि जिस प्रकार एक जीवधारी के शरीर का एक साकार बाह्य रूप होता है, समाज का कोई

1 स्पेंसर के सिद्धांत की समीक्षा के लिए देखिए बार्बर की 'पोलिटिकल थोट इन इंग्लैंड', पृष्ठ 19-20, 84-132 और कोकर की 'रीसैन्ड पोलिटिकल थोट' न्यूयार्क, 1934, पृष्ठ 89-91 और 329-394. हम स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों का उल्लेख यथास्थान करेंगे। देखिए अध्याय 22.

ऐसा बाह्य रूप नहीं है। दूसरे, जीवधारी शरीर के अंगों की भाँति व्यक्ति की समाज में एक बंधी हुई निश्चित स्थिति नहीं है। तीसरे, जीवधारी शरीर के अवयवों की भाँति व्यक्ति समाज से अटूट रूप में सम्बद्ध नहीं है, अर्थात् हाथ या कान को शरीर से अलग कर देने पर उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता जबकि व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व में इस प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। चौथे, जीवधारी व्यक्तियों में चेतना का एक सामान्य केंद्र होता है जब कि समाज में इस प्रकार का कोई सामान्य केंद्र नहीं होता। इसके विपरीत, प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग चेतना का केंद्र होता है। उपर्युक्त प्रभेदों की ओर स्पेंसर हमारा ध्यान इसलिए आकर्षित करता है कि वह यह निष्कर्ष निकालना चाहता है कि यद्यपि राज्य एक जीवधारी शरीर के समान है, तथापि व्यक्ति का राज्य में वह स्थान नहीं हो सकता जो शरीर के एक अंग का समूचे शरीर में होता है। जैसा हम कह आये हैं, स्पेंसर व्यक्तिवाद में विश्वास करता था। अतएव वह इन असमानताओं को दिखाकर इस परिणाम पर पहुँचना चाहता है कि जहाँ तक समाज का प्रश्न है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं बने हैं, अपितु समाज व्यक्तियों के हित-साधन के लिए है।

आलोचना—इस सिद्धांत के कारण विचारों में बड़ी उलझनें पैदा हो जाती हैं और अनेक भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि जिस प्रकार शरीर में उस के अवयव-गोण हैं, उसी प्रकार समाज में व्यक्ति भी गोण हैं। अतएव समाज और राज्य के हित के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस सबंध में नारसीवाद और फासिस्ट विचारधारा तो यहाँ तक आगे बढ़ गई कि उन्होंने व्यक्ति को एक साधनमात्र मान लिया। अतएव, उनके लिए व्यक्तिगत विकास की पृथक् रूप से चर्चा करना भी असंगत प्रतीत हुआ। किंतु हम किसी ऐसे मत को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें व्यक्ति के महत्त्व और उसके विकास की सम्भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जाता और उसके हितों के संरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। दूसरे, इस तुलना से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अवयव शरीर से पृथक् होकर निष्प्राण हो जाते हैं, व्यक्ति भी राज्य और समाज से पृथक् होकर जीवन नहीं बिता सकता। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति राज्य की सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग कर किसी अन्य राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर सकता है। किंतु सामान्य रूप में यह बात पारोरिक अवयवों पर लागू नहीं होती। तीसरे, जैसा कि स्पेंसर ने स्वयं स्वीकार किया है, समाज में कोई सामान्य चेतना का केन्द्र नहीं होता, जैसा कि शरीर में होता है। इसके विपरीत,

समाज के प्रत्येक व्यक्ति में अपना विवेक और अपनी इच्छा-शक्ति है। अतएव उसके ऊपर कोई बाह्य निर्णय नहीं लादे जा सकते। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, उसकी अपनी कामनाएँ और आकाशाएँ होती हैं। अतः यथासम्भव समाज को व्यक्तियों की पसंद का आदर करना चाहिए और उसके वैयक्तिक विकास में भरसक सहयोग देना चाहिए। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समता पूर्णतः मेल नहीं खाती। चौथे, जिस प्रकार शारीरिक-अवयवों में तनिक-सा कष्ट होने पर समूचे शरीर को दुःख होता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत बीमारियाँ अथवा हानियाँ समाज और राष्ट्र को कष्ट नहीं पहुँचाते। पाँचवें, नया शरीर बहुधा एक पुराने शरीर के माध्यम से जन्म लेता है और वह स्वयं भी अन्य जीवों को जन्म देता है किन्तु राज्य के साथ ऐसा नहीं होता। छठे, शरीर के अवयवों का बाहरी वस्तुओं अथवा प्राणियों से स्वतंत्र रूप से सम्पर्क नहीं होता। किन्तु यह बात व्यक्तियों के सबंध में लागू नहीं होती, वे अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्य बन सकते हैं। अतः उनके कार्य और जीवन राज्य की परिधि तक सीमित नहीं हैं।

सत्य का अन्त—यद्यपि शरीर की तुलना राज्य पर पूरी तरह नहीं घटाई जा सकती तथापि यह सिद्धांत राज्य की एकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर भी यथेष्ट प्रकाश डालता है। साथ ही, वह यह भी बताता है कि राज्य में अन्य शरीरों के समान ही परिवर्तन होते रहते हैं। तथापि, यह सिद्धांत न तो राज्य के अस्तित्व की एक सतोषजनक व्याख्या है और न राज्य के स्वरूप और कार्यों पर प्रकाश डालने वाला एक विश्वस्त पथ-प्रदर्शक।

2. राज्य साध्य है अथवा साधन

राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? क्या यह स्वयं साध्य है अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन मात्र है? इस प्रश्न का समाधान राजनीति-विज्ञान के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

राज्य एक साध्य के रूप में—प्राचीन यूनानी विचारक राज्य को सामाजिक जीवन का उच्चतम रूप मानते हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य के बाहर व्यक्ति का रहना सम्भव नहीं है। प्लेटो और अरस्तू के मतानुसार समाज एवं राज्य एक महान् नैतिक सस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास और सद-जीवन की प्राप्ति है। उनके अनुसार समाज एवं राज्य के अंतर्गत मनुष्य की समस्त सामाजिक आवश्यकताओं और अभिलाषाओं का समावेश हो जाता है। उनके अनुसार राज्य ध्वनि से पूर्ववर्ती है। जोड (C. E. M. Joad) के कथना-

नुसार, क्योंकि राज्य एवं समाज मनुष्यों की सभी सामाजिक भावनाओं और कामनाओं का प्रतीक है और साथ ही उनकी सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, अतः राज्य व्यक्ति से जो माँग करता है, वे असीमित सत्ता पर आधारित होती हैं। स्मरण रहे कि यूनानी विचारक समाज और राज्य में भेद नहीं करते थे। उनकी भाषा में ऐसे शब्द भी न थे जो इनके विभेद का स्पष्टीकरण कर सकते। अतएव हमारे लिए निश्चयात्मक रूप से यह कहना कठिन है कि इन विचारकों का उद्देश्य राज्य को इतना अधिक गौरव प्रदान करना था भी या नहीं।

राज्य को एक साध्य मानने वालों में आदर्शवादी और कतिपय अन्य विचारक भी हैं। इस प्रकार की आदर्शवादी विचारधारा के प्रतिपादकों में हबो, हीगेल, और बोसाके के नाम प्रमुख रूप से आता है। इन आदर्शवादियों के मतानुसार राज्य व्यक्तियों की 'यथार्थ इच्छा' का प्रतीक है, अतएव राज्यादेशों का पालन उनकी उच्चतम भावनाओं के अनुकूल है और ऐसा करने से उन्हें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इन विचारकों के मतानुसार, मनुष्य का पूर्ण विवास राज्य के अंतर्गत ही सम्भव है। जैसा कि अरस्तू ने कहा है, राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है अथवा पशु। बहने का अभिप्राय यह है कि एक सामान्य नागरिक के लिए राज्य की सदस्यता अपरिहार्य है।

आदर्शवादी राज्य को एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं और अपेक्षाकृत व्यक्ति को गौण। उनके अनुसार, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। वे राज्य को सर्वोत्कृष्ट सामाजिक समुदाय मानते हैं। उनका मत है कि सदस्यों को स्वेच्छापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ऐसे आचरण करने चाहिए जो राज्य के कानूनों और राज्यादेशों के अनुकूल हो। राज्य को यह अधिकार है कि वह यथासम्भव सामान्य हित के लिए आवश्यक कार्य करे। इन लेखकों में बोसाके एक ऐसे विचारक हैं जो 'अति' पर पहुँच जाते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तनिक भी ध्यान नहीं रखते। दूसरी ओर, वाट और ग्रीन उन आदर्शवादी विचारकों में से हैं जो राज्य के नैतिक महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरा ध्यान देते हैं। तथापि सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि आदर्शवादियों का दृष्टिकोण यह है कि राज्य समष्टि का प्रतीक है और व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक उसकी आधीनता और सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। ये विचारक राज्य को एक साध्य के रूप में देखते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समष्टिवादी विचारकों का भी राज्य के प्रति यही दृष्टि है। जर्मनी के नारसीवाद और इटली के फ्रायम में राज्य के प्रति इसी प्रकार की भावनाएँ थीं। उनका ध्येय था :

‘सब कुछ राज्य के लिए, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राज्य के बाहर कुछ नहीं’ ।

राज्य एक साधन के रूप में—राज्य को एक साधन के रूप में देखने की परम्परा अति प्राचीन है । हिंदू विचारको के अनुसार राज्य लोक कल्याण का एक साधन है । उनके अनुसार, वह व्यक्तियों के हित-साधन के कार्य करता है । अनेक व्यक्तिवादी विचारक इसी धारणा की पुष्टि करते हैं । वे राज्य को एक मानव सस्था मानते हैं जो मनुष्यों के लिए बनी है । अतएव वह मनुष्यों से बड़ी अथवा उसके ऊपर नहीं हो सकती । मनुष्यों के हितों के लिए बनाई गई सस्था हमेशा मनुष्यों की तुलना में गौण रहेगी । फिर, राज्य एक अमूर्त सस्था है और उसको चलाने वाले मानव हैं , अतः राज्य मनुष्यों से ऊँचा कैसे हो सकता है ?

यूरोप में भी मध्यकालीन विचारको ने इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं । उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का कारण ‘नैतिक पतन बताया और राज्य को मनुष्य की अपूर्णताओं को दूर करने वाला एक साधन बताया । अठारहवीं शताब्दी के अंत में और उन्नीसवीं शताब्दी में व्यक्तिवाद (Individualism) और उपयोगितावाद (Utilitarianism) में विश्वास करने वाले अनेक विचारको ने राज्य को एक ‘आवश्यक बुराई’ घोषित किया और कहा कि यदि समाज में बुराईयाँ न हों तो राज्य की भी कोई आवश्यकता न रहे । किन्तु चूंकि समाज में बुराईयाँ हैं इसलिए उनकी रोकथाम के लिए एक साधन की नितांत आवश्यकता है, और यह साधन राज्य है । इन विचारको में प्रमुख थे, स्पेंसर और मिल । इनके अतिरिक्त, बहुलवादियों (Pluralists) ने भी, राज्य की असीम प्रभुसत्ता की माँग को अस्वीकार कर व्यक्ति के अधिकारों और समूहों के अस्तित्व और महत्त्व पर जोर दिया । इनके अतिरिक्त अनेक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान् जो राज्य की निरकुशता के विरोधी हैं कहते हैं कि बिना राज्य के अधिकारों को सीमित किए विश्व-शांति और सद्भाव स्थापित नहीं किए जा सकते । बीसवीं शताब्दी में अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक मनुष्य को जाति, धर्म, वर्ण, देश, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव के कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् स्थापित संयुक्त राष्ट्र-संघ ने भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर, ‘मानव अधिकारों को मान्यता प्रदान की है । उपर्युक्त बातों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आज के युग में राज्य को एक साध्य के रूप में मानना असंगत होगा ।

एक समयकालीन दृष्टिकोण—उपर्युक्त विचार एक पक्षीय है । आदर्श-

वादिगो की यह धारणा कि राज्य व्यक्तियों की 'पर्याय इच्छा' का प्रतीक है, निर्मूल प्रमाणित ही चुकी है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि एक वर्ग-समाज में राज्य साधारणतः व्यक्तियों और वर्गों के हितों के ऊपर नहीं उठ सकता। राज्य की इच्छा शायद ही कभी सर्वसम्मति पर आधारित हो। उसका निर्णय हमेशा तर्कमगत भी नहीं होता और न सर्व समाज के हित में ही होता है। अब राज्य को एक साध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि यह माना जा सकता है कि राज्य समाज के राजनीतिक रूप से संगठित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और इस रूप में वह व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों को सामान्य हित में नियमित करने का प्रयास करता है। अब एव बलुइली के मतानुसार राज्य एक साधन भी है और साध्य भी। एक ओर वह नागरिकों के हित-साधन की एक सस्था है। दूसरे दृष्टिकोण से, वह स्वयं एक साध्य है, और जो व्यक्ति उसके अधीन हैं, वे राज्यादेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। चित्र और चित्रकार की उपमा देने हुए उसने कहा है कि एक दृष्टिकोण से चित्रकार जो चित्र बनाना है वह उसकी जीविकोपार्जन का साधन है। किन्तु एक ऐसा कलात्मक चित्र, जो चित्रकार के आदर्श और उसकी भावनाओं को साकार रूप देता है, उसका साध्य भी होता है। प्रश्न केवल दृष्टिकोण का है। इसके विपरीत लास्की जोरदार शब्दों में कहता है कि राज्य की सत्ता का औचित्य इस बात पर निर्भर है कि वह अपने नागरिकों के लिए क्या करता है और उसने अब तर्कवश किया है। इसका मूल्यांकन करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है उससे मतानुसार, राज्य स्पष्टतः एक साधन है, वह साध्य नहीं हो सकता। तथापि वह भी यह स्वीकार करता है कि राज्य को आज जो सत्ता मिली हुई है और जो कार्य उसे सौंपे गए हैं, उनके महत्त्व को देखते हुए राज्य अब समूहों और समुदायों में बड़ी अधिक शक्तिशाली है, यहाँ तक कि कुछ अपों में उसे अन्य समूहों की तुलना में सर्वोपरि कहा जा सकता है।

3 राज्य के उद्देश्य

राज्य के उद्देश्यों के संबंध में राजनीतिक विचारकों में मतभेद नहीं है। अरस्तू के अनुसार, 'राज्य जीवन के हेतु जन्म लेता है और मद्जीवन की प्राप्ति के लिए कायम रहता है'। लॉक के अनुसार, 'धामन का उद्देश्य सामान्य हित अथवा लोक-कल्याण है। ऐडम स्मिथ के अनुसार, राज्य के तीन क्रियेष्ट उद्देश्य हैं - प्रथम, विदेशी व्याकरण और आंतरिक हिंसा में रक्षा; द्वितीय, व्यापार और उन्मीलन से व्यक्तियों की रक्षा; और तीसरा, ऐसी मार्गजनिक सस्थाएँ आदि स्थापित करना जिनकी अन्वेषा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति-

समूह न स्थापित करेगा और न बनाए रख सकेगा। बजिस के अनुसार, राज्य के तीन उद्देश्य हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार और स्वतन्त्रता को स्थापित करना है। इसका माध्यमिक उद्देश्य है—राष्ट्रीयता का समर्थन और राष्ट्रीय गुणों और विशेषताओं का विकास। इसका अंतिम उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहन देना है। गार्नर बजिस के विचारों से पूर्णतः सहमन नहीं है। उसके अनुसार, सरकार की स्थापना राज्य का उद्देश्य कैसे हो सकता है जबकि बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है¹ ? हेनरी सिजविक के मतानुसार राज्य का चरम उद्देश्य सामान्य हित की दृष्टि से ऐसे काम करना है जिनमें नागरिकों के व्यक्तिगत हित सन्निहित हों²। विलोबी के अनुसार, राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों में शांति स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त, राज्य को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए और सार्वजनिक उद्देश्य से निश्चित और एकसार नियम लागू करने चाहिए³। गार्नर ने राज्य के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए तीन बातों पर बल दिया है—व्यक्ति की भलाई, सामाजिक हित और सम्पत्ता की उन्नति एवं मानव समाज की प्रगति⁴।

विभिन्न विचारकों के मतों के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि राज्य के उद्देश्यों के सबंध में कुछ मतभेद हैं। गैटिल के मतानुसार, किसी विशिष्ट राज्य के उद्देश्य उसकी सामाजिक स्थिति और आवश्यकताओं पर निर्भर होते हैं। अतएव देश और काल की भिन्नता के अनुरूप राज्य के तात्कालिक उद्देश्यों में अंतर होना स्वाभाविक है। लास्की के मतानुसार, एक वर्ग-समाज में राज्य साधारणतः उस वर्ग के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है जिसके हाथ में अधिक शक्ति और राजनीतिक सत्ता होती है। अतएव समस्त नागरिकों के कल्याण की बात केवल ऐसे समाज और राज्य के लिए समत हो सकती है जो समृद्ध हो और लोकतन्त्र एवं समानता पर आधारित हो।

फ्रांसिस ग्रेहम विल्सन के अनुसार, राज्य के उद्देश्यों का विवेचन करते समय लेखकों का कुछ विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। इन लेखकों में से किसी ने यह नहीं कहा कि राज्य के उद्देश्य न अच्छे होते हैं न बुरे। इनमें वे अराजकवादी लेखक भी आ जाते हैं जिनके अनुसार राज्य बुराई पर आधारित है और उसी को प्रोत्साहन देता है। इसके अतिरिक्त, जब तक राज्य के उद्देश्य साकार रूप न लें, व्यावहारिक राजनीति से उनका कोई नाता नहीं होना। अतएव ये

1 देखिए *Political Science and Government*, पृष्ठ 67.

2 देखिए उनका उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 38.

3 उनका उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 314

4 *Introduction to Political Science*, पृष्ठ 316-317.

विचार हमारी समस्या को हल करने में सक्रिय सहायता नहीं देते। उदाहरण के लिए, व्यक्तिवादियों और समाजवादियों के राज्य के उद्देश्यों-सबधी विचार वस्तुतः परस्पर विरोधी नहीं हैं, तथापि राज्यों के कार्यों के सबध में उनमें स्पष्ट मतभेद हैं¹। लास्की भी इसी प्रकार एक फलमूलक दृष्टिकोण अपनाता है और राज्य के उद्देश्यों की व्याख्या उसके कार्यों के रूप में करता है। उसने मतानुसार राज्य का मूल्यांकन उसके कार्यों से किया जाना चाहिए। तथापि, लोकतन्त्र के विकास और लोकवल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण के कारण अब यह भावना पुष्ट होती जा रही है कि राज्य को वे दशाएँ प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें उनके सदस्यों का यथासम्भव स्वतन्त्र विकास हो सके और वे अपनी सृजनारम्भक प्रवृत्तियों का पूरा उपयोग कर सकें। विल्सन के मतानुसार, एक आधुनिक लोकवल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं

- (1) व्यक्तियों की सतुष्टि,
- (2) उनका नैतिक उत्थान,
- (3) अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख-प्राप्ति ;
- (4) व्यक्तित्व का विकास,
- (5) नागरिक अधिकारों की रक्षा, और
- (6) विभिन्न हितों की रक्षा तथा उनमें सामञ्जस्य स्थापित करना²।

4 राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि और उसकी सीमाएँ

राज्य के कार्यक्षेत्र की व्याख्या उसके उद्देश्यों और सदस्यों पर निर्भर है। एक समय वह था जब यूरोप में राज्य के कार्य केवल शांति-व्यवस्था स्थापित करने और सविदाओं को लागू करने तक सीमित थे। शासन का कार्य केवल यह समझा जाता था कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। अब समय में परिवर्तन आ गया है और राज्यों के उद्देश्यों की भी भावार्थक व्याख्या दी जाने लगी है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें सभी व्यक्ति स्वतन्त्र हों और उन्हें सृजनारम्भक आत्म प्रकाशन के अधिकार मिलें। कहने का आशय यह है कि राज्य का उद्देश्य समस्त नागरिकों की भलाई करना है।

इन विचारों और धारणाओं में प्रभावित होकर राज्य के कार्यों में भी दिनों-दिन वृद्धि हुई³ और होती जा रही है। इन दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घों ने भी

¹ क्रॉमिस ग्रहम विन्सन का उपर्युक्त ग्रन्थ पृष्ठ 139

² वही पृष्ठ 141-159

महत्वपूर्ण योग दिया¹; उनके कारण राज्यों को बहुत अधिक सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ी। इसके अतिरिक्त ज्योंही नागरिक अपने हित और राजनीतिक शक्ति से अवगत हो जाते हैं वे इस बात की मांग करते हैं कि राज्य नए-नए कामों को अपने हाथों में ले और उनके हित के कार्य करे²। इस दिशा में एक अन्य योग देने वाली बात हुई है — राज्य के आर्थिक विकास की योजनाएँ। अब यह मांग की जाती है कि राज्य को लगातार अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए जिससे लोगों की आय बढ़े और वे खुशहाल हो। अब यह आम मांग है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो सामाजिक और अन्य बंधन हैं उनसे उसे यथासम्भव मुक्त किया जाए³। इन बातों पर विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि राज्य के कार्यक्षेत्र का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे एक ऐसी विभाजक रेखा बनाई जाए जो व्यक्तिगत कार्यों और राजकीय कार्यों को एकदम अलग रख सके? वस्तुतः यह प्रश्न राजनीति-विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, बहुत कठिन भी है।

राज्य के कार्यक्षेत्र की सीमाएँ—समाज और राज्य में प्रभेद करते हुए हम यह देख चुके हैं कि राज्य नागरिकों के जीवन से समस्त पहलुओं तक व्याप्त नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो राज्य के अधिकार-क्षेत्र के बाहर हैं, जैसे नागरिकों के विचार, नैतिकता, विश्वास, धर्म, प्रथाएँ और फैशन। नागरिकों के अधिकारों की चर्चा करते समय हम भाषण की स्वतंत्रता के प्रश्न का विवेचन करेंगे। विचारों की स्वतंत्रता के सबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी सशक्त लेखनी उठाई है। इनमें मिल्टन, वाल्टेयर, मिल और लास्की प्रमुख हैं। मिल के कथनानुसार, यदि सारी दुनियाँ एक ओर हो और एक व्यक्ति का मत भिन्न हो, तो भी मानव समाज को यह अधिकार नहीं है कि वह उस एकाकी व्यक्ति के मत का प्रकाशन न होने दे। एक दूसरे स्थान पर उसने कहा है कि एक व्यक्ति से मतभेद होने पर भी मैं उसके विचार-स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी उत्सर्ग कर सकता हूँ। लास्की के मतानुसार, जिन लोगों को विचार-संबंधी स्वतंत्रता नहीं मिलती, वे शर्म, शर्न सोचना ही बंद कर देते हैं और ऐसा होने पर वे एक अर्थ में अपनी नागरिकता खो देते हैं। वस्तुतः विचार-स्वातंत्र्य के अभाव में मनुष्यों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास असम्भव है। यह भी देखा गया है कि विचारों का दमन करने पर कुछ लोग बिद्रोही हो जाते हैं और खुले-आम शासन का विरोध करने लगते

1 Gunner Myrdal, *Beyond the Welfare State*, लन्दन, 1960, पृ 13 और 16.

2 वही, पृ 27-28.

3 वही, पृ 62.

हैं। मंत्रीवर के कथनानुसार, नागरिकों को किसी विशेष ढंग से सोचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि लोकतंत्र के हित में नागरिकों को विचार-स्वातंत्र्य दिया जाए। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस स्वतंत्रता पर कोई रोक न हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यह छूट नहीं होनी चाहिए कि वह दूसरों को उत्तेजित करे अथवा हिंसा को सुना प्रोत्साहन दे। राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा भाषण देता है या विचारों का प्रकाशन करता है जिससे सुव्यवस्था के बिगड़ने का भय है तो वह ऐसे व्यक्ति को दंड दे। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति को दूसरों को बदनाम करने की छूट भी नहीं दी जा सकती।

नैतिकता—नैतिकता का सर्वप्रथम व्यक्तिगतों के अंतःकरण से है। वह हमारे कार्यों को ही नहीं, मनोभावों को भी प्रभावित करती है। जहाँ तक राज्य का प्रश्न है, कानूनों का सर्वप्रथम मनुष्यों के बाह्य आचरण से होता है, अतः अंतःकरण और मनोभावों से नहीं, क्योंकि इन बातों को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता। इसका आशय यह हुआ कि राज्य न तो नैतिकता निर्धारित कर सकता है और न लोगों को नैतिक बना सकता है। यह मनुष्यों के जीवन का वह पक्ष है जिस पर बाहरी शक्ति और दबाव काम नहीं आते। नैतिकता व्यक्तिगत होती है¹ और उसे किसी पर घोषा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, कानून के द्वारा धार्मिक नागरिकों में कृतज्ञता और मित्रता के भावों को जन्म दे सकते हैं? मंत्रीवर के अनुसार, कानून नैतिकता निर्धारित नहीं कर सकते। वे केवल नागरिकों को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं जो लोकहित दृष्टि से आवश्यक हो। कानूनी उत्तरदायित्वों को नैतिक उत्तरदायित्वों में परिणत करने का प्रयास नैतिकता को ही नष्ट कर देगा²। हाँ, राज्य एसी दशाएँ अवश्य उत्पन्न कर सकता है, जिन में नैतिकता के विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाएँ। ग्रीन के शब्दों में, वह नागरिकों के मार्ग से वे सब बाधाएँ दूर कर सकता है जो उनका नैतिक विकास नहीं होने देती जैसे, अशिक्षा, बेकारी, बीमारी आदि। अतः यह स्पष्ट है कि नागरिकों को बलपूर्वक नैतिक नहीं बनाया जा सकता।

प्रथाएँ—प्रथाओं से हमारा आशय परम्परागत आदतों और कार्यों से है। इस व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य प्रथाएँ नहीं बना सकता और न उन्हें लागू कर सकता है। निरंकुश राजा भी ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। प्रथाओं को नष्ट करने का प्रयास में कानून भी शिथिल पड़ जाते

1 MacIver, *The Modern State*, पृष्ठ 156.

2 वही, पृष्ठ 157.

हैं और अनुशासन और आज्ञापालन की भावनाओं को ठेम लगती है¹। अतः राज्य को परम्परागत प्रथाओं को बिना समझे विचारे बनाने और हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रयाएँ बदलती नहीं हैं या नई प्रयाएँ नहीं बनती। हमारे कहने का आशय केवल यह है कि राज्य इनके बनने और विगड़ने में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण भाग नहीं लेता।

धर्म और विश्वास—नागरिकों के धर्म और विश्वास के विषय में राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आधुनिक राज्य धर्म-निरपेक्ष होते हैं और वे नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं कि वे जिस धर्म को चाहे मानें अथवा न मानें। किंतु ये नई धारणाएँ हैं। प्राचीन और मध्यकालीन यूरोप में धार्मिक एकता आवश्यक समझी जाती थी और राज्य लोगों को विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य करता था। किंतु अब यह माना जाता है कि धार्मिक विश्वासों के सबंध में नागरिकों को पूरी छूट होनी चाहिए। बाकर के कथनानुसार, यदि राज्य धार्मिक मापदंड स्थिर करना चाहे और उन्हें कानून द्वारा लागू करने का प्रयास करे, तो इसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी²। इसका आशय यह नहीं है कि धर्म के नाम पर प्रचलित अनैतिक और अमानुषिक रस्मों के प्रति भी राज्य उदासीन रहे। ऐसी बातों में राज्य का हस्तक्षेप लोक-कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है।

फैशन—नागरिकों की रुचियों और फैशन के सबंध में विचार भी व्यक्तिगत होते हैं और राज्य को इन पर कोई रोक नहीं लगाना चाहिए। हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि लोगों की रुचियाँ बदलती नहीं रहती अथवा फैशन हमेशा एक से रहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि राज्य को फैशन चलाने में स्वयं भाग नहीं लेना चाहिए और कानून द्वारा उसे लागू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संभावना इस बात की है कि उसके ऐसे प्रयास असफल सिद्ध होंगे³। हाँ, फैशन के नाम पर अनैतिक या निर्लज्जता को राज्य प्रोत्साहन नहीं दे सकता। लोकहित की दृष्टि से राज्य इस सबंध में सीमाएँ निर्धारित कर सकता है।

संस्कृति—संस्कृति से हमारा अभिप्राय किसी जनसमुदाय के जीवन के ढंग से है। संस्कृति जाता के विचारों और भावनाओं, आवाधाओं और कार्यों की प्रतीक होती है और इसका प्रवाशन ललित कलाओं, साहित्य, धर्म, सौजन्यता आदि के रूप में होता है। नैतिकता के समान ही, राज्य न संस्कृति को बनाता

1 यही, पृष्ठ 161.

2 *Principles of Social and Political Theory*, पृष्ठ 105.

3 बुनना कीब्रिच, मैकीवर का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 160.

है और न उसमें परिवर्तन कर सकता है। यदि वह ऐसे प्रयत्न करेगा तो सम्भावना यह है कि नागरिक उसका विरोध करेंगे। अतएव कानून के माध्यम से संस्कृति का बनाया अथवा प्रभावित नहीं किया जा सकता¹। तथापि परोक्ष रूप में राज्य संस्कृति पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। राज्य की अपनी नीति और संस्कृति-सम्बन्धी कार्यों के लिए धन की सहायता परोक्ष रूप से प्रभावी होती है, और इसका कुछ न कुछ प्रभाव संस्कृति के रूप और प्रसार पर भी पड़ सकता है। किंतु यह अप्रत्यक्ष प्रभाव है और इससे हमारी धारणा में कोई अंतर नहीं आता।

5 राज्य के कार्य

राज्य के कार्यक्षेत्र के प्रश्न पर दो पहलुओं के विचार किया जा सकता है पहला, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से और दूसरा, वास्तविक कार्यों के रूप में। यहाँ हम पहले दूसरे कार्यों पर विचार करेंगे। परम्परा के आधार पर राज्य के कार्यों का दो वर्ग में बाँटा जाता है (१) अनिवार्य कार्य, और (२) ऐच्छिक कार्य। बिलोबी, गैटिल, और मार्नर के वर्गीकरणों का भी यही प्रमुख आधार है। बुद्धो दिल्सन ने भी इसी आधार को स्वीकार किया है। अनिवार्य कार्यों से हमारा अभिप्राय उन कार्यों से है जिनका करना प्रत्येक सरकार के लिए अपरिहार्य है अर्थात् जिनका न करने से राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दूसरी श्रेणी में वे कार्य आते हैं जिनके न करने से राज्य के अस्तित्व पर कोई बाँध नहीं आती, तथा जिनको सभी आधुनिक राज्य करते हैं। वस्तुतः यह वर्गीकरण पुराना है और व्यक्तिवादों उदार भावनाओं से अनुप्रेरित है। अब सामाजिक हित और 'लोक-कल्याणकारी' राज्य की भावनाओं से प्रभावित होकर राज्य के काम कहीं अधिक विस्तृत हो चुके हैं।

अनिवार्य कार्य—इन कार्यों में पहला बाहरी आक्रमण से रक्षा है। इसके लिए राज्य के पास यथेष्ट जल शक्त और नौ सेनाएँ होनी चाहिए। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सन्धियों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। राज्य का दूसरा कार्य आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए राज्य नागरिकों और समुदायों के अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्ट घोषणा करता है और अपराधियों को दंड देता है। एक ओर तो राज्य को कानूनों को लागू करने के लिए कार्य-कारिण्य और पुलिस बल-कारियों को नियुक्त करना पड़ता है, दूसरी ओर न्यायालय स्थापित किए जाते हैं जिनमें समाजों की सुगर्भ हो सके और कानून के अनुसार

1 वही, पृष्ठ 161-162.

कार्य किए जा सकें। इस प्रकार, न्याय का प्रबन्ध राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। बिना इसका प्रबन्ध किए शांति-व्यवस्था को बनाए नहीं रखा जा सकता। आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए, सविदाओं को लागू करने के लिए और अपराधियों को दंड देने के लिए इनका होना आवश्यक है। न्यायाधीशों के कार्य हैं कानूनों की व्याख्या करना और उनके अनुसार मामलों का निर्णय करना। इस प्रकार, न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। राज्य वा चौथा अनिवार्य कार्य कर लगाकर राज्य के लिए राजस्व एकत्रित करना है। बिना धन के राज्य कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं चला सकता। अनएव करों की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही मुद्रा का ढालना और उसका चलन, विनिमय दर नियंत्रित करना, राजकीय सम्पत्ति का प्रबन्ध आदि बातें भी आ जाती हैं। इनके अतिरिक्त, राज्य को यह भी निर्दिष्ट करना होता है कि नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक सबंधों को किन कानूनों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी शासन में बहुत दिनों तक हिन्दुओं के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की व्यवस्था 'हिन्दू कानून' के अनुसार होती थी। इसी प्रकार, मुसलमानों के लिए अलग कानून थे और ईसाइयों के लिए 'सिविल ला' बनाए गए। अतः यह स्पष्ट हो जाना है कि राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक सबंधों के लिए स्वतः कानून बनाए। यदि वह चाह तो परम्परागत कानूनों को भी लागू कर सकता है। आवश्यक बात यह है कि उसकी एक निश्चित नीति हो कि किन सबंधों में वह किन कानूनों को लागू करेगा।

ऐच्छिक कार्य—इस श्रेणी में राज्य के वे कार्य आते हैं जो स्थान, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा भी एक युग था जब राज्य इन में से कोई कार्य नहीं करता था और अब वह समय आ गया है जबकि सामाजिक हित की दृष्टि से राज्य अधिकतम कार्य करने को उचित है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन कार्यों के करने या न करने से राज्य के अस्तित्व पर आंच नहीं आती। तो भी आज के युग में इन कार्यों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है, और आज राज्य का मूल्यांकन इसी दृष्टि से होने लगा है कि वह व्यक्तिगत जीवन की उन्नति में कहां तक सहायक होता है।

इन कार्यों में सबसे पहला शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा वा महत्त्व सभी विचारक स्वीकार करते हैं। वे यह मानते हैं कि एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में, जहाँ वास्तविक राजसत्ता जनता में निहित है, यह आवश्यक है कि जनसाधारण में शिक्षा और राजनीतिक चेतना हो। अतएव राज्य का यह वस्तुस्थिति माना जाता है कि वह सर्वसाधारण की शिक्षा वा उचित प्रबन्ध करे। भारतीय संविधान

के अतर्गत यह विज्ञान नियंत्रित किया गया है कि राज्य बीम्यातिघोष चौदह वर्षों को आनु तक के सभी बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे। खेद है कि अभी तक हम संविधान के इस आदेश का पालन नहीं कर पाए। तथापि इस दिशा में हमारे प्रयत्न जारी हैं और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में हमें इस सबंध में सफलता प्राप्त होगी। राज्य का दूसरा कार्य सफाई और सार्वजनिक स्वाम्य की व्यवस्था करना है। स्वच्छता का प्रवर्धन करना इसलिए आवश्यक है कि हमें बिना बीमारी फैलने का भय बना रहता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि राज्य बीमारी की रोकथाम और चिकित्सा का पूरा प्रवर्धन करे। इसलिए वह अस्पताल खोलता है और इस सबंध में प्रचार करता है। यही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वह खाने-पीने की वस्तुओं को शुद्ध और बेमिलावट रखने का प्रयास भी करता है। राज्य का तीसरा ऐच्छित कार्य व्यापार तथा उद्योग पर नियंत्रण है। अठारहवीं शताब्दी तक यह आम विचार था कि राज्य को आर्थिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोगों की यह धारणा थी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम सुचारु रूप से करता रह तो निश्चित ही उसे अपनी अच्छाइयों का इनाम मिलेगा। किन्तु अब यह विश्वास नहीं रहा और यह आम धारणा हो गई है कि राज्य को व्यापार और उद्योग पर यथाचित नियंत्रण रखना चाहिए जिससे नागरिकों की अधिकतम भलाई हो और देश भी उन्नत हो। उद्योगों के सबंध में कानून बनाते समय राज्य इस बात का भी ध्यान रखता है कि मजदूरों के साथ किसी प्रकार का भी अत्याचार न हो। इसी प्रकार, उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आर्थिक संघर्षों के कारण उत्पादन में कमी न हो और सामाजिक व्यवस्था ठण्ठ न हो जाए। इस दृष्टि से वह ऐसे कानून बनाता है जिनके अतर्गत मजदूरों के अधिकारों को रखा होना है। साथ ही, राज्य अब मजदूरों और मिल-भानिकों के आगसो नगड़ों को नियंत्रण का भी धन करता है। आधुनिक राज्य केवल व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण से ही संतुष्ट नहीं है। वे बड़े-बड़े उद्योगों और व्यापार को स्वयं सम्भालने लगते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अंग्रेजी शासन के समय से यातायात और संचार के माध्यम पर राज्य की लगभग एकाधिकार प्राप्त था। इनसे हमारा अभिप्राय बाजुमान, रेल, स्टीमर, ट्राम, टाक, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो आदि की व्यवस्था है। इनका समुचित प्रवर्धन आज के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त भारत जैसे नव-विकसित देश में राज्य के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि वह सड़क, इलाहाबाद, कोयले की खान, आदि का प्रवर्धन भी अपने हाथ में ले ले। कृषि और प्रायः तुषार भी अब राज्य के महत्वपूर्ण कार्य बन गए हैं। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि देश की कृषि का

समुचित विकास किए बिना देश की उन्नति नहीं की जा सकती। वैसे भी, भारत जैसे देश में बहुत अधिक सख्या में किसान हैं। अतएव, आर्थिक विकास की दृष्टि से और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किसानों की समृद्धि में ही देश की भलाई है। बेकार, गरीब और असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करना भी अब राज्य का एक कर्तव्य माना जाता है। इनके लिए सार्वजनिक परोपकारी समुदाय स्पष्ट नहीं होते। अतएव राज्य को स्वयं इन्हें सहायता देनी होती है। यही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, राज्य एक निश्चित समय तक भत्ता देता है। अतः यह स्पष्ट है कि राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन सबके हितों का ध्यान रखे। राज्य का सातवाँ कार्य सामाजिक सुधार करना है। राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी सामाजिक कुुरीतियों और परम्परागत विचारों को बदलने का प्रयत्न करे जो अधविश्वास और धर्मांधता पर आधारित हैं और जो तर्कसंगत नहीं हैं। राज्य का एक अन्य काम है जनसाधारण के मनोरंजन का समुचित प्रबंध करना। इसके लिए राज्य कलागृह, संगीतशालाएँ, अजायबघर, वाचनालय, पार्क, खेल-कूद के मैदान आदि की व्यवस्था करता है। इनके अतिरिक्त, वह रेडियो, टेलीविजन के द्वारा भी लोगों के मनोरंजन का प्रबंध करता है। जनसंख्या की गणना का काम भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यरूप में परिणत करना है। इसी प्रकार के अन्य बहुत से काम हैं जिनको आधुनिक राज्य करते हैं। उन सबकी एक पूरी सूची देना संभव नहीं है।

अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों का भेद आज के युग में विशेष महत्व नहीं रखता। ऐच्छिक कार्यों की सूची को देखकर हमारे मन में यह विचार उठता है कि एक आधुनिक राज्य इनमें से किसी कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। आज के नवविकसित राज्य भी, जिन्हें विदेशी मुद्रा की कमी है, अनेक ऐच्छिक कार्यों को कर रहे हैं। जिन कार्यों को हम आज से पचास वर्ष पहले ऐच्छिक और अनावश्यक मानते थे वही आज अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। अनेक ऐसी बातें जो आज से चालीस वर्ष पहले व्यवहृत मानी जाती थी, अब राज्य के कार्यक्षेत्र में आ गई हैं और 'सामाजिक हित' की दृष्टि से राज्य ऐसे विषयों में हस्तक्षेप करने लगा है। अब राज्य शादी-विवाह आदि कामों का कानून द्वारा नियंत्रण करता है। इसी प्रकार, राज्य आज ऐसे कार्य करता है जिसको पुराने जमाने में धर्मांधारी करते थे। तथापि आधुनिक राज्य जनता के हित की ओर ध्यान देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और अब राज्य अनेक उद्योगों को स्वयं चलाता है। जनता के हित की दृष्टि

से जो बातें आवश्यक हैं और जो कानूनों द्वारा की जा सकती हैं, एक लोकतंत्रीय राज्य में सरकार द्वारा उनके किए जाने पर आपत्ति उठाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए यदि राज्य के कार्य बढ़ रहे हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। गुनार मृडाल के कथनानुसार, पिछले पचास वर्षों में, सभी सम्पन्न पश्चात्य देशों में लोकतंत्र पर आधारित कल्याणकारी राज्य बन गए हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक विकास, सभी नागरिकों के लिए रोजी, युवाओं के लिए समानता के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, और न्यूनतम जीवन-स्तर को सुरक्षण देना है जिसके अंतर्गत आय के अतिरिक्त समुचित खुराक, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा भी सम्मिलित हैं। यद्यपि अभी तक लोक कल्याणकारी राज्य बहो नहीं बन पाए, तथापि इस दशा में सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं। बार्कर के मतानुसार, हमारे लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व हैं। इसकी पूर्ति में राज्य जो भी सहयोग दे सकता है उस हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तथापि राज्य के कार्यों के प्रति हमारा दृष्टिकोण आलोचनात्मक रहना चाहिए। सत्ताधारी अदसर मिलने पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस और यदि हम सजग न रहेगे, तो 'सामाजिक हित' और 'लोक-कल्याण' के नाम पर राज्य मनमानी करने लगेगा।



1 बार्कर ने भारतीय मविधान के आमुख (Preamble) को सर्वोत्तम पारचास्य उदार भावों के अनुकूल बनाने हुए अपना मत प्रकट किया है कि अब ये विचार 'पश्चिम' तक सीमित न रह कर विरव्यापी बन गए हैं। देखिए उपर्युक्त प्रय, प्रस्तावना पृष्ठ 6.

प्रभुसत्ता और बहुलवाद

किसी सत्ताधारी के पास कहीं भी असीमित शक्ति नहीं रही; और जब-जब इस प्रकार का प्रभुत्व जमाने का यत्न किया गया है, उसके फल-स्वरूप हमेशा सरदरों की स्थापना हुई है।

— हैरोल्ड जे० सार्की

1. प्रभुसत्ता का स्वरूप

राज्य की व्याख्या करते समय हम देख चुके हैं कि राज्य के चार प्रमुख तत्वों में प्रभुसत्ता (Sovereignty) भी है। वस्तुतः यही वह तत्व है जो राज्य तथा अन्य जनसमुदायों के बीच प्रभेद स्थापित करता है। राजनीतिक विचारकों का यह मत है कि राज्य बाह्य रूप से तो स्वतंत्र होता ही है, किन्तु उसमें एक ऐसी आंतरिक सत्ता भी होनी चाहिए जो सर्वोपरि हो, अर्थात् जिसकी सभी व्यक्ति और व्यक्ति-समूह अधीनता स्वीकार करते हों। इसी सत्ता को उन्होंने प्रभुसत्ता का नाम दिया है।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रभुसत्ता के अंग्रेजी पर्याय 'सोवरेटी' का आशय केवल 'उत्तमता' है किन्तु जैसा कि स्ट्रोग ने कहा है कि जब इस शब्द का प्रयोग राज्य के साथ किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ हो जाता है, अर्थात् 'कानून बनाने वाली शक्ति'। यहाँ यह बताना उचित होगा कि 'सोवरेटी' शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत आधुनिक है। यद्यपि इससे मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग प्राचीन समय से होता आया है, उदाहरण के लिए, प्लेटो और अरस्तू दोनों ने ही 'सर्वोपरिता' के पर्यायवाची ग्रीक शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः प्राचीन काल के छोटे-छोटे नगर-राज्यों में इस बात की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई कि राज्य-

सत्ता के स्रोतक किसी विशिष्ट शब्द को गढ़ा जाए। साम्राज्यो में भी किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता न थी, क्योंकि सम्राट की शक्ति स्पष्ट और सर्वमान्य होती थी। इसी प्रकार, सामन्तवादी युग में प्रभुसत्ता को भावना का कोई स्थान न था, क्योंकि इस समय शक्ति विकेंद्रित और बिसरती हुई रहती थी। इस प्रकार, यूरोप को आधुनिक युग में आकर इस बात की आवश्यकता हुई कि किसी ऐसे शब्द को गढ़ा जाए जोकि राज्य की सर्वोच्च सत्ता का द्योतक हो। यद्यपि माक्वा-वैली के ग्रन्थो में हमें शब्द की परिचायक भावना दृष्टिगत होती है तथापि सर्व-प्रथम इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान बोर्दां (1530-1596 ई०) ने किया। उसके अनुसार 'कानून के नियंत्रण से मुक्त, नागरिकों और प्रजा पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति का नाम ही प्रभुसत्ता है'। विलोबी के अनुसार यह "राज्य की सर्वोच्च इच्छा" का नाम है। अमरीकी विद्वान, बजिस के अनुसार यह "प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति और उनके समस्त समुदायों के ऊपर एक मौलिक, अनियंत्रित और असीमित शक्ति" है। आगे चढ़कर वे कहते हैं कि यह शक्ति ऐसी है जो किसी के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है। यही नहीं, यह सत्ता अपनी आज्ञा मनवा सकती है और इसकी आज्ञा मानी जाती है। अंग्रेज विद्वान, आस्टिन कहते हैं कि "यदि कोई ऐसा निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति (अथवा व्यक्ति-समूह) हो जो स्वयं अन्य किसी सर्वोपरि व्यक्ति (अथवा व्यक्ति समूह) की आज्ञा मानने का आदी न हो, किन्तु जिसकी आज्ञा का पालन उस समाज के अधिकांश व्यक्ति अभ्यस्त रूप में करते हो, तो ऐसा व्यक्ति (अथवा व्यक्ति समूह) उस समाज की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता है और वह समाज राजनीतिक एवं स्वाधीन हो।

प्रभुसत्ता के लक्षण

विद्वानों ने प्रभुसत्ता के अनेक लक्षणों का उल्लेख किया है। नीचे हम उन पर एक एक करके विचार करेंगे।

अनियंत्रितता—हम बजिस की परिभाषा में देख आये हैं कि प्रभुसत्ता को अनियंत्रित कहा गया है। उसे सर्वोपरि अथवा सर्वोच्च भी कहा जाता है। सिद्धांतिक दृष्टि से, राज्य की इस शक्ति के दो रूप हैं आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक दृष्टि से राज्य का समस्त नागरिकों, समुदायों और उनकी सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। कानून द्वारा प्रभुसत्ता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किन्तु सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाये जा सकते हैं। यही नहीं, राज्य भी स्वेच्छापूर्वक कुछ बंधन स्वीकार कर सकता है। गार्नर के अनुसार, प्राकृतिक नियम, नैतिकता के सिद्धांत, ईश्वरीय नियम, विवेक और मानवता पर आधारित विचार, जनमन का भय और राज्य की सत्ता पर अन्य तत्वाकथित नियंत्रण उस समय तक कोई अर्थ नहीं रखते जब तक राज्य उन्हें स्वतः मान कर अपने

आप पर लागू न करे। अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई बाह्य बंधन कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता को नियंत्रित अथवा सीमित कर सकते हैं। विलोवी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का विरोधी नहीं है और न सर्वधानिक कानून ही प्रभुसत्ता का विरोधी है। जहाँ तक प्रभुसत्ता के बाह्य पक्ष का प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप में प्रत्येक राज्य पूर्णतः स्वतंत्र होता है और उसकी स्वाधीनता पर कोई रोक नहीं लगा सकता। विदेशी राज्यों के साथ की गई संधियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय सगठनों की सदस्यता से उसकी बाह्य प्रभुसत्ता में कोई कमी नहीं आती। कहने का अभिप्राय यह है, कि स्वेच्छा से राज्य जो भी चाहे बंधन स्वीकार कर सकता है, किंतु कोई ऐसी बाह्य शक्ति नहीं हो सकती जो कानूनन उसे कुछ करने के लिए विवश कर सके।

अविभाज्यता—प्रभुसत्ता एक होती है, अनेक नहीं। प्रभुसत्ता को टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य में कोई समानान्तर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। राज्य के सभी नागरिकों को प्रभुसत्ता को स्वीकार कर उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। जान कैलहून (1782-1850) के अनुसार प्रभुसत्ता एक सम्पूर्ण वस्तु है; उसे विभाजित करना उसे नष्ट करना है। गंटिल के कथनानुसार जहाँ प्रभुसत्ता अनियंत्रित नहीं है वहाँ राज्य का अस्तित्व भी नहीं है, यदि प्रभुसत्ता विभाजित है, तो एक से अधिक राज्य हैं। उपर्युक्त मत पर आपत्ति उठाई गई है। लार्ड के अनुसार एक प्रदेश में दो सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न शक्तियाँ हो सकती हैं, जो उन्हीं प्रजाजनों को विभिन्न मामलों से आदेश दें, जैसा कि संघीय राज्य में होता है। लार्ड ब्राइस का भी यही मत है कि एक राज्य में दो सत्ताएँ हो सकती हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये विद्वान लेखक, राज्य और शासन के प्रभेद को भूल गए हैं। विभाजन सरकार की सत्ता का हो सकता है, प्रभुसत्ता का नहीं। नहीं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि संघीय सरकार संघीय विषयों में संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न होती है और प्रादेशिक सरकारें प्रादेशिक विषयों में। किंतु जहाँ तक प्रभुसत्ता का प्रश्न है, वह अविभाज्य है।

सर्वव्यापकता—प्रभुसत्ता राज्य की सीमा में सर्वव्यापक होती है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय, वस्तु अथवा प्रदेश उसकी शक्ति की सीमा से बाहर नहीं होता। किंतु राज्य यदि चाहे तो स्वेच्छा से अपनी प्रभुसत्ता को सीमित कर सकता है। ऐसा प्रायः विदेशी राजदूतों, दूतावासों और विदेशी राजाओं और राज-प्रमुखों आदि के संबंध में किया जाता है। किंतु जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है, यह तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य की बात है, वास्तविक अपवाद नहीं। कोई भी राज्य, अपनी प्रभुसत्ता का उपयोग कर, जब चाहे इन सुविधाओं को वापस ले

सकता है।

अदेयता—प्रभुसत्ता अदेय है। राज्य, बिना अपने को नष्ट किए, इसे हस्तांतरित नहीं कर सकता। अमरीकी विद्वान लीबर के अनुसार, 'जैसे कोई वृक्ष अपने उगने का अधिकार समर्पित नहीं कर सकता अथवा कोई व्यक्ति बिना अपने को नष्ट किए अपना जीवन और व्यक्तित्व नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की प्रभुसत्ता भी सीमित नहीं की जा सकती'। किंतु इसका अतिप्रायः यह नहीं है कि यदि कोई राज्य चाहे तो अपने भूभाग का कोई अंश अन्य किसी राज्य को नहीं दे सकता अथवा वह अपनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं कर सकता। ये बातें प्रभुसत्ता को सीमित नहीं करतीं।

स्थायित्व—जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा, प्रभुसत्ता भी रहेगी। प्रभुसत्ता का अंत राज्य के अंत का कारण है; तथापि सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न शासक की मृत्यु से अथवा सरकार के परिवर्तन से प्रभुसत्ता की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। प्रभुसत्ता सोते ही राज्य स्वयं भी समाप्त हो जाएगी।

विरभोग्यता—प्रभुसत्ता का उपयोग न होने से समय की गति के साथ वह नष्ट नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए अमरीकी संविधान के संकलन में, कुछ लेखकों का मत है कि वहाँ प्रभुसत्ता सुप्तावस्था में रहती है। वह केवल तभी जागृत होती है जबकि संविधानों परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। किंतु एक लम्बे समय तक प्रभुसत्ता न होने पर भी, प्रभुसत्ता के प्रभाव में कोई कमी नहीं आती। वह अथावत अधुणा बनी रहती है।

2. प्रभुसत्ता के विभेद

प्रभुसत्ता शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अर्थ से संबंधित इन कठिनाइयों और उलझनों से बचने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि हम इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या करें।

वास्तविक और नाम मात्र की प्रभुसत्ता

यह प्रभेद वस्तुतः प्रभुसत्ता का न होकर सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न-सत्ताधारी का है। यदि राज्य के प्रधान अधिकारी के हाथों में वास्तविक सत्ता होती है तो उसे वास्तविक सत्ताधारी कहा जाता है। इसके विपरीत यदि वास्तविक सत्ता उसके पास न होकर उसने किसी मंत्री अथवा किसी अन्य व्यक्ति-समूह में ही तो ऐसे सत्ताहीन राज्य के प्रधान को नाम-मात्र का सत्ताधारी कहा जाएगा। सीमित अथवा

सविधानी राजतंत्र में राजा एक नाम मात्र का सत्ताधारी होता है और वास्तविक सत्ता मंत्रियों के हाथ में होती है जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी होने हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से, इन लोकप्रिय मंत्रियों को वास्तविक सत्ताधारी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तुतः सत्ता विधानाग में निहित होती है। अतएव कुछ विद्वानों का मत है कि मंत्रिमंडल को वास्तविक सत्ताधारी न कहकर हमें विधानाग को यह सत्ता देनी चाहिए।

वैधानिक और यथार्थ प्रभुसत्ता

वस्तुतः यह प्रभेद भी सत्ताधारियों से सबध रखता है। वैधानिक सत्ताधारी (*de jure sovereign*) उसे कहना चाहिए जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण हो। इसके विपरीत यदि उसकी सत्ता केवल शक्ति पर आधारित है तो उसे हम यथार्थ सत्ताधारी (*de facto sovereign*) कहेंगे, वैधानिक नहीं। एक ही सत्ताधारी वैधानिक और यथार्थ दोनों ही हो सकता है। एक दृष्टि से इंग्लैंड की रानी इसी प्रकार की सत्ताधारी है। कानून की दृष्टि से, जनता की इच्छा से, और यथार्थ में वह अपने देश की रानी है। इसके विपरीत, एक राज्य के दो सत्ताधारी हो सकते हैं : एक वैधानिक और दूसरा यथार्थ। उदाहरण के लिए, जब चीन में चांग-काई शेक और माऊ-सी तुग के पक्षों में संघर्ष हो रहा था और चांग-काई शेक के दल की हार पर हार होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसे चीन से भागना पड़ा, उस समय यह कहा जा सकता है कि चीन के दो सत्ताधारी थे - एक चीन राज्य की संविधानी और नियमित चांग-काई शेक की सरकार और दूसरी माऊ-सी तुग की यथार्थ सरकार।

यथार्थ सत्ताधारी को जनता द्वारा मान्यता मिल जाने पर उसे वैधानिक पद प्राप्त हो जाता है। चीन में जब माऊ-सी तुग की सरकार दृढ़ हो गयी तो शनैः शनैः उसे वैधानिक सत्ताधारी मान लिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैधानिक सत्ता और यथार्थ सत्ता अधिक समय तक एक दूसरे से पृथक् नहीं रह सकती। जनता की स्वीकृति मिलने पर यथार्थ सत्ता वैधानिक सत्ता का रूप ले लेती है, और जनता द्वारा मान्यता न दिए जाने पर वह पलट जाती है और नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जनता द्वारा मान्यता मिलने पर अथवा अधिक समय तक स्थिर रहने पर यथार्थ सत्ता को वैधानिक पद प्राप्त हो जाता है। एक राज्य में इस प्रकार की दो सत्ताओं का होना सभी सम्भव है जब गृह-युद्ध की स्थिति हो अथवा अन्य किसी कारण से देश में अस्थिरता फैली हुई हो। किंतु समय के साथ ये दोनों सत्ताएँ मिलकर एक हो जाती हैं।

कानूनी, राजनीतिक और लोक-प्रभुसत्ता

प्रभुसत्ता के बारे में राजनीतिक विचारकों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग प्रभुसत्ता के कानूनी रूप को ही महत्त्व देते हैं और कहते हैं कि किसी राज्य के अन्दर कानून बनाने और आजात जारी करने का जिसको अंतिम और सर्वोच्च अधिकार हो, वही कानूनी प्रभुसत्ताधारी है। उपरोक्त मत के अनुयायियों में थोर्दा, हॉब्स, बेंथम, आस्टिन, हॉलैंड आदि प्रमुख विद्वान् हैं। इनके मतानुसार प्रभुसत्ता एक निश्चित और प्रत्यक्ष व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह में निहित होनी चाहिए और राज्य में जिस व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को कानून बनाने और सर्वोपरि एवं सर्वमान्य आदेश देने का अधिकार हो, उसी को कानून की दृष्टि में प्रभुसत्ताधारी कहा जाएगा।

कुछ विद्वानों का मत है कि कानूनी प्रभुसत्ताधारी मनमानी नहीं कर सकता, अतः उसे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सत्ताधारी कहना उचित नहीं है। बड़े से-बड़े निरंकुश ताशाशाह भी वस्तुतः अनेक बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं। उदाहरणार्थ, राणा रणजीतसिंह चाहे कितने ही शक्तिशाली रहे हों, किंतु वे भी देश में प्रचलित लोक-प्रथाओं और परम्परागत कानूनों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार अन्य सम्यं सरकारों को भी लोकमत का आदर करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, डायसी ने कहा है कि कबीलों द्वारा मान्य प्रभुसत्ताधारी के अतिरिक्त राज्य में एक अन्य प्रभुसत्ताधारी भी होता है जिसके आगे कानूनी प्रभुसत्ताधारी को भी सिर झुकाना पड़ता है¹। इसे उसने राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी की सजा दी है। उनके मतानुसार राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी हमेशा निश्चित और सुविख्यात नहीं होता। कहीं पर वह एक मंत्री हो सकता है, कहीं पर एक रानी, कहीं पर सेनापति और कहीं पर मसदाता। कहने का अन्विष्ट यह है कि विभिन्न राज्यों में जना प्रकार के प्रभाव काम करते हैं और बिना कष्टसाध्य शोध के इनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी वस्तुतः प्रभावों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। इसी प्रकार, लीकौक कहता है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए उतनी ही वह दूर भागती दिखायी देती है²।

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्वान् हैं जो कानूनी और राजनीतिक प्रभुसत्ताधारियों की खोज को व्यर्थ समझते हैं। उनके मतानुसार, सच्ची प्रभुसत्ता सदैव जनता में सन्निहित होती है और वह जब भी चाहे, स्थापित सरकार को उलट कर

1 Dicey, *The Law of the Constitution*, सं० २२, पृ० ६६.

2 उपर्युक्त ग्रंथ, पृ० ६१.

एक नई राज्य-व्यवस्था बना सकती है। अतएव, इसे लोक-प्रभुसत्ता भी कहते हैं। सर्वप्रथम यह विचार उत्तर-मध्यकालीन लेखको ने प्रस्तुत किया, किंतु इसका प्रमुख आधुनिक प्रतिपादक रूसो था, और अब तो यह लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत बन गया है। लोकतंत्रीय राज्यों में, प्रभुसत्ता अन्ततः जनता में निहित होती है और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। भारतीय संविधान-परिषद् ने भी इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पारित कर लोक-प्रभुसत्ता की घोषणा की थी।

एक उदाहरण से इन दृष्टिकोणों की भिन्नता स्पष्ट हो जाएगी। यदि यह पूछा जाय कि भारत में प्रभुसत्ताधारी कौन है, तो प्रथम मत के अनुयायी उत्तर देंगे कि भारतीय संसद सहित राष्ट्रपति। किंतु द्वितीय विचारों के मानने वाले अनेक प्रभावों की चर्चा करेंगे, वे उन दलों, वर्गों और व्यक्तियों का नाम लेंगे जो मजिस्ट्रेट और सत्ताह्व दल कांग्रेस पर अपना दबाव डालकर काम निकालते हैं। स्पष्ट है कि बिना अच्छी तरह शोध किए इन प्रभावों का विवेचन नहीं किया जा सकता। यदि इसी प्रश्न को तृतीय दृष्टिकोण वाले विचारकों से पूछा जाए तो वे 'लोकमत' अथवा 'निर्वाचक-मंडल' को लोकप्रिय प्रभुसत्ताधारी बताएंगे। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रभेद दृष्टिकोणों की भिन्नता पर निर्भर है, तथापि प्रथम और अंतिम मत को स्वीकार करने वाले विचारक प्रायः प्रभुसत्ता की एकता और अखण्डता को स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, चिपमैन ने इस परिणाम पर पहुँचे कि समाज के वास्तविक शासकों का पता लगाना लगभग असम्भव है। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि हमें प्रभुसत्ता के निहित स्थान की खोज नहीं करना चाहिए। सीकौक के अनुसार जैसे ही हम वैधानिक प्रभुसत्ता की निश्चित परिधि से बाहर निकलते हैं सभी कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाता है¹। तथापि एक बात स्पष्ट है कि लोकमत, सामान्य इच्छा, निर्वाचक-मंडल आदि निश्चयात्मक रूप से कानूनी प्रभुसत्ता पर प्रभाव डालते हैं और यह भी निर्विवाद है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता का संगठन ही कानूनी प्रभुसत्ता को जन्म देता है। गिलक्राइस्ट के मतानुसार यह राज्य की प्रभुसत्ता के दो विभिन्न पहलू हैं जो निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वे एक ही होते हैं, अतएव संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता। किंतु प्रतिनिधिक लोकतंत्र में इन दोनों के पारस्परिक संबंध का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है²। आवश्यकता इस बात की है कि इनके संघर्षों को समुचित रूप प्रदान किया जाय। संक्षेप में हम कह सकते

1 उपर्युक्त प्रप, पृष्ठ 61.

2 उपर्युक्त प्रप, पृष्ठ 96.

हैं कि कानूनी प्रभुसत्ता को राजनीतिक प्रभुसत्ता की इच्छा को कार्यरूप देते रहना चाहिए। सरल भाषा में इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य के कानून और कार्य सोक्रेटस के अनुरूप होने चाहिए।

लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अनुसार अन्ततः प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मध्यकालीन युग में मारसीलियो और विलियम आदि ने किया था। आधुनिक यूरोप में इस मत का समर्थन करने वालों में आल्फ्रेडुसियस और रूसो का नाम प्रमुख रूप में आता है। रूसो ने इस सिद्धांत की घोषणा की और उसे अपने राज्य-दर्शन का आधार स्तम्भ बनाया। तभी से इसे लोकतंत्र का सार माना जाता है। तथापि इसकी परिभाषा देना अथवा व्याख्या करना सरल नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि 'जनता' शब्द से हमारा अभिप्राय क्या है? क्या हमारा आशय समस्त असंगठित जनसमुदाय से है, अथवा केवल मतदाताओं से। गान्धे के मतानुसार असंगठित लोकमत, जब तक कानूनी रूप में न ले, प्रभुसत्ताघारी नहीं बन सकता¹। अतएव इसका अर्थ केवल यह हुआ कि अन्ततः जनता को बगावत का भण्डा उठाकर शासन को उलट देने का अधिकार है और कोई शासन इस सम्भावना को नहीं भुला सकता। कुछ लेखकों के अनुसार, वर्तमान लोकतंत्रीय युग में राजनीतिक प्रभुसत्ता और लोकप्रिय प्रभुसत्ता का भेद लगभग समाप्त हो गया है। किंतु विलफ्रेडो के मतानुसार, इस प्रभेद का एक व्यावहारिक महत्व है, अर्थात् 'शासन पर लोक-नियंत्रण'।

3. प्रभुसत्ता संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण

प्रभुसत्ता के सिद्धांत के विषय में अनेक दृष्टिकोण और मत प्रचलित हो गए हैं। इनमें प्रमुख हैं कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, और फलमूलक दृष्टिकोण। नीचे हम इन पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

कानूनी दृष्टिकोण

विधिशास्त्रियों का कथन है कि प्रभुसत्ता निश्चित, स्पष्ट और ज्ञातव्य होनी चाहिए, अर्थात् हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि राज्य में सर्वोच्च सत्ता कौन सी है जिससे हम अपील कर सकते हैं। इस विचारधारा को सर्वप्रथम बोर्दा ने प्रस्तुत किया। सत्यवात् हाँस, धैर्य, आस्टिन और हॉन्ड इसके प्रमुख प्रतिपादक हुए। ब्राइस के कथनानुसार, इस दृष्टिकोण के विकास में चार तथ्यों ने सहायता की। प्रथम, यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति के समाप्त हो

¹ उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 65.

जाते से, सम्राट केवल एक जर्मन राजा के रूप में रह गया। दूसरे, पोप ने अपनी सर्वव्यापी सत्ता खो दी और उसके स्थान पर वह एक सम्प्रदाय विशेष का धार्मिक गुरु बनकर रह गया। तीसरे, समाज का सामंतवादी ढाँचा क्षिन्न-भिन्न हो गया और उसके स्थान पर राजाओं की शक्ति बढ़ी। चौथे, शोष की प्रवृत्ति बढ़ी जिसके कारण पुरानी धारणाओं को रद्द कर दिया गया।

बोर्दाँ का मत—बोर्दाँ ने प्रभुसत्ता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह नागरिकों और प्रजा पर लागू होने वाली ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून का बंधन स्वीकार नहीं करती¹। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि यद्यपि बोर्दाँ प्रभुसत्ता को अनियंत्रित, स्थायी और अविभाज्य मानता है तथापि वह प्रकृति के नियम, देवी नियम और अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है और उसके मतानुसार प्रभुसत्ता को इनका समुचित आदर करना चाहिए। यही नहीं, उसका मत है कि प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे बुनियादी सविधानी कानून होते हैं, जिनकी प्रभुसत्ता उपेक्षा नहीं कर सकती। इस प्रकार बोर्दाँ जहाँ एक ओर प्रभुसत्ता को सर्वोच्च और कानून से अनियंत्रित बताता है, वहाँ दूसरी ओर अनेक नैतिक और यथार्थ बंधनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उसके विचारों में एक युक्ति यह है कि नैतिक बंधनों के अतिरिक्त वह 'बुनियादी सविधानी कानूनों' का विवेचन करते हुए कहता है कि प्रभुसत्ता उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। लार्ड के अनुसार, बोर्दाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता था कि विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी यद्यपि राज्य को अनियंत्रित शक्ति प्राप्त है तथापि व्यावहारिक राजनीति में अनेक ऐसी बातें हैं जिनका प्रभुसत्ता को आदर करना पड़ता है। अतएव, राज्य अनेक ऐसी बातों को, जिन्हें वह कानूनी दृष्टि से कर सकता है, वास्तव में करना नहीं चाहेगा।

हॉब्स का मत—हॉब्स की दृष्टि से हॉब्स का मत पूर्ण है। उसके मतानुसार जब व्यक्ति सविदा बनाकर राज्य की स्थापना करते हैं, उस समय सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ताधारी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह किसी शर्त अथवा बंधन को स्वीकार नहीं करता। अतएव उसकी सत्ता अनियंत्रित और उत्तरदायित्वहीन होती है। वह किसी कानून की मर्यादा स्वीकार नहीं करता और इनमें भागवीय, देवी और प्रकृति के कानून भी आ जाते हैं। वस्तुतः सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ताधारी स्वयं इन सभी कानूनों की व्याख्या करने वाली एकमात्र अधिकृत सत्ता है। उस के मतानुसार सविधान बनाते समय व्यक्ति यह स्वीकार कर लेते हैं कि सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ताधारी जो भी कार्य करेगा, उन्हें वे स्वयं अपना किया हुआ

1 इसकी व्याख्या के लिए देखिए J. W. Allen, *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*, लन्दन, 1961, पृष्ठ 410-425.

कार्य मानेंगे। अतएव यह स्पष्ट है कि तर्कों की दृष्टि से सत्ताधारी सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता के लक्षणों में हाब्स ने निश्चितता, उत्तरदायित्वहीनता, अनियंत्रितता, अविभाज्यता, अदेयता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, और असीमता का उल्लेख किया है¹। यही नहीं, उसके मतानुसार, क्योंकि सत्ताधारी स्वयं कानून बनाता है, वह कानूनों के अंतर्गत नहीं होता और न वह कानूनों के बंधनों को स्वीकार करता है। इस प्रकार, हाब्स के मतानुसार, प्रभुसत्ता कानूनी, राजनीतिक और नैतिक रूप में भी अनियंत्रित होती है। यही नहीं, हाब्स का कहना है कि प्रभुसत्ताधारी चर्च का भी प्रमुख होता है अर्थात् घर्म के क्षेत्र में भी वह सर्वोपरि है। इससे भी आगे बढ़कर, हाब्स कहता है कि राज्य में जितने भी समूह अथवा समुदाय हैं वे प्रभुसत्ताधारी की कृपा पर निर्भर हैं और उसकी अनुमति पर उनका अस्तित्व निर्भर है। इसी प्रकार उसका कहना है कि प्रभुसत्ताधारी को यह अधिकार है कि वह मनुष्यों के ऐसे विचारों और विद्वानों पर रोक लगा दे जो उसकी सत्ता के समुचित प्रयोग में बाधक हो सकते हैं। यही नहीं, हाब्स अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मर्यादाओं को भी स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य पूर्णतः स्वतंत्र है और उस पर किसी प्रकार के अकुश नहीं लगाए जा सकते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाब्स उन समस्त बंधनों को अस्वीकृत कर देता है जिन्हें बोर्डो ने प्रभुसत्ता पर बना रहने दिया था और उसे सभी दृष्टि से अनियंत्रित बना देता है।

जॉन आस्टिन का मत—प्रभुसत्ता की कानूनी व्याख्या करने वालों में आस्टिन (1790-1859) का नाम प्रमुख रूप से आता है। प्रभुसत्ता के सिद्धांत की व्याख्या करते समय उसने कानून की एक परिभाषा दी है और उसे उच्चाधिकारी द्वारा व्यक्तियों को दिया हुआ आदेश बताया है। उसके अनुसार, यदि कोई ऐसा निश्चित सर्वोपरि व्यक्ति (अथवा व्यक्ति-समूह) हो जो स्वयं अन्य किसी सर्वोपरि व्यक्ति (अथवा व्यक्ति-समूह) की आज्ञा मानने का आदेश न हो किंतु जिसकी आज्ञा का पालन साधारणतः उस समाज के अधिकांश व्यक्ति आदतन करते हों, तो ऐसा व्यक्ति (अथवा व्यक्ति-समूह) उस समाज का सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ताधारी है और वह समाज राजनीतिक एवं स्वाधीन है। इस परिभाषा के अनुसार, प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह होते हैं, जो नागरिकों को आज्ञापालन के लिए बाध्य कर सकते हैं। उसका मत है कि राज्य में सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता निश्चित मानवीय हानियों में हीनी चाहिए अर्थात् वह किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह में

¹ देखिए हाब्स का 'लिवियान', पृष्ठ 90-96.

निहित होनी चाहिए। यही नहीं, यह सत्ता असीमित होती है। इसके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं होते। इसका एक लक्षण यह है कि जनसाधारण इसको आज्ञा-पालन के अन्वय में हो। उसके अनुसार, प्रभुसत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसी सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता जो आदेश देती है वे 'कानून' कहलाते हैं, और उसकी अनुमति के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकते।

आस्टिन के इस मत की हेनरी मेन, सिजविक, ब्राइस आदि लेखकों ने कड़ी आलोचना की है। प्रथम, ब्राइस के अनुसार आस्टिन का सिद्धांत तथ्यों के प्रति-बल है। वह केवल आधुनिक राज्यों पर लागू हो सकता है और वह भी ऐसे राज्यों पर जहाँ या तो राजा अथवा विधानाग को असीमित अधिकार प्राप्त हो। इन अपवादों को छोड़कर, अन्य देशों में उसके विचार लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, जिन देशों के संविधान अनम्य (rigid) हैं वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को खोज निकालना जिसकी आज्ञा सर्वमान्य हो, अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार, मुस्लिम राज्यों में एक निरकुश सुल्तान भी शरियत के नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकता। दूसरे, सर हेनरी मेन के अनुसार आस्टिन की उपर्युक्त परिभाषा अविकसित राज्यों पर लागू नहीं होती। क्योंकि ऐसे समाजों में कानून परम्परागत प्रथाओं के रूप में अथवा उन पर आधारित होते हैं। अतएव यदि आस्टिन के मत को माना जाए तो इन अविकसित राज्यों में कोई प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति नहीं होता। राणा रणजीतसिंह का उदाहरण देते हुए, मेन ने कहा कि यद्यपि वह एक अत्यंत निरकुश शासक था तथापि समाज की प्रथाओं का उसे भी आदर करना पड़ता था। वह उनको बदल नहीं सकता था। तीसरे, आस्टिन का विचार सघ-सरकारों पर भी नहीं घटता, क्योंकि इनमें कोई अविभाज्य प्रभुसत्ता नहीं होती। सघ-सरकार की विशेषता ही यह है कि उसमें दो समान्तर सरकारें होती हैं, एक केंद्र में और दूसरी प्रदेशों में। इन सरकारों के अधिकार निश्चित होते हैं और वे अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, अर्थात् इस प्रकार के राज्य में कोई सामान्य अनियमित प्रभुसत्ता नहीं होती। संयुक्त राज्य (अमेरिका) का उदाहरण लेते हुए टीकाकारों ने कहा है कि वहाँ प्रभुसत्ता उस व्यक्ति-समूह में सन्निहित है जो संविधान में परिवर्तन कर सकता है। किन्तु संविधान में संशोधन करने वाली यह मशीनरी बहुत अधिक जटिल है। यही नहीं, यह मशीनरी प्रायः मुप्तावस्था में रहती है। चौथे, प्रभुसत्ता का विक्षेपण करते हुए आस्टिन की परिभाषा गहराई तक नहीं जाती। वह कानूनी प्रभुसत्ता पर आकर रुक जाती है और यह नहीं दल पाती कि इस कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे भी कुछ ऐसे राजनीतिक प्रभाव हैं जिनके आगे इस कानूनी सत्ता को सिर नुकाना पड़ता है। पाँचवें, आस्टिन की परिभाषा लोकतंत्र की भावना के प्रति-

भूत है और प्रभुसत्ता के दार्शनिक पक्ष की भी उपस्था करती है जिसके अनुसार प्रभुसत्ता अन्ततः जनता में निहित होती है। रूसी और चीन के अनुसार राजा की सामान्य इच्छा ही समाज में सर्वोपरि है और इसका लोकहित में प्रयोग होना चाहिए।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आस्टिन की प्रभुसत्ता की परिभाषा समतोपजनक नहीं है। जैसा कि मन ने कहा है कि एसी प्रभुसत्ता का उदाहरण केवल एसा निरंकुश शासक हो सकता है जिसके मस्तिष्क में कुछ खराबी भा गई है। वस्तुतः आस्टिन प्रभुसत्ता व कानूनी पक्ष को अत्यधिक महत्व देता है। इसी प्रकार, कानून की परिभाषा देने समय वह भूल जाता है कि प्रत्येक कानून आदेश के रूप में नहीं होता। अनेक कानून केवल अनुज्ञात्मक (permissive) होते हैं और नागरिक उनके अनुसार कार्य करने अथवा न करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यही नहीं कुछ कानून केवल प्रतिज्ञाभाषा से संबंधित होते हैं और उन्हें किसी युक्ति-संगत दृष्टि से आदेश नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः अब कानून को आदेशात्मक नहीं माना जाता, उस लोकहित का एक साधन माना जाता है। उक्त दोषों के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आस्टिन की कानूनी व्याख्या स्पष्ट और तर्कसंगत है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

प्रभुसत्ता की यह व्याख्या केवल व्यावहारिक अथवा ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान देती है, प्रभुसत्ता की स्थिति पर नहीं। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक में अरस्तू लाक, मोटेस्म्यु ब्लैकस्टन, सावीनी (1779-1861), पोलक आदि लेखक हैं। लाक के अनुसार यद्यपि राज्य में केवल एक सर्वोपरि शक्ति होती है अर्थात् विधानाग, और शासन के अन्य सभी अंग इससे अधीन होते हैं, तथापि यह विधानाग स्वतः भी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु स्थापित होता है। अंतिम रूप में सर्वोपरि शक्ति जनता में निहित होती है जो आवश्यकतानुसार व्यवस्था का बदल सकती है या हटा सकती है। जब भी जनता यह देखे कि विधानाग उसके सामान्य हित पर समुचित ध्यान नहीं दे रहा और अपने उन्नत रक्षामित्वा की अवहेलना कर रहा है, तो वह निरस्तकोच उस हटाकर एक नया विधानाग बना सकती है। आग फ्लेचर लाक ने कहा है कि ऐसे राज्यों में जहाँ विधानाग हमेशा संगठित नहीं रहना और जहाँ नागरिकों के अधिकार एक व्यक्ति को मिले हुए हों जिसका विधि-निर्माण में भी हाथ हो, तो एका व्यक्ति को एक अर्थ में हम सर्वोपरि शक्ति कह सकते हैं।

एक प्रकार लाक तीन प्रकार की सर्वोच्च शक्तियाँ की खोज करता है :

1. द्रिज" पी. रॉबिन द्वारा सम्पादित लाक का ग्रन्थ, पृष्ठ 77-78

जनता की सर्वोच्च शक्ति जो अन्ततः सर्वोपरि है ; विधानाग की सर्वोपरि कानूनी शक्ति ; और कार्याग की सर्वोपरि शक्ति । लॉक ने इनके आपसों सबधों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की । इसी प्रकार मोटेस्वयु, ब्लैकस्टन आदि के विचारों में हम प्रभुसत्ता को विभाजित पाते हैं , इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन विद्वानों ने वस्तु-स्थिति को जैसा देखा और समझा, उसका यथावत् वर्णन कर दिया । उन्होंने अपने विचारों को तर्कमग्न बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । इस दृष्टिकोण के मानने वाले विद्वान प्रायः मिश्रित सरकार का समर्थन करते हैं । मोटेस्वयु का शक्ति-पृथक्ता का सिद्धांत विख्यात है । ये विचारक नागरिकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देते थे । उनका ख्याल था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामान्य हित की रक्षा किसी भी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं । प्रभुसत्ता के रूप, और स्थिति जैसे प्रश्नों पर उन्होंने विधिवत् विचार नहीं किया ।

दार्शनिक दृष्टिकोण—इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वानों ने नैतिक और ऐतिहासिक विचारों का समन्वय करते हुए गहराई तक पहुँचने का प्रयास किया है और राज्य की एकता को रखते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है । संक्षेप में, इन विद्वानों के अनुसार जनता ही वस्तुतः सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न है । यह विचार बहुत प्राचीन है । यूनान और रोम में भी इस प्रकार के विचार प्रचलित थे । उत्तर-मध्यकाल में चर्च और राज्य दोनों ने ही इस विचार को एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयुक्त किया । सोलहवीं शताब्दी से लेकर अब तक इस विचारधारा का प्रयोग विभिन्न रूपों में हुआ है । कई बार प्रस्तुत व्यवस्था के संरक्षण के लिए व्यक्तिवादियों द्वारा और समष्टिवादियों ने इसका उपयोग किया । इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक है और उसे सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न होना चाहिए । जनता की इच्छा भी एक है और वह सर्वोपरि मानी जानी चाहिए । जहाँ तक शासक का प्रश्न है वह केवल राज्य का एक अंग-सदस्य है । वह देवी अधिकार-प्राप्त नहीं है । वस्तुतः यदि किसी को देवी अधिकार प्राप्त हैं तो जनता को । इस विचारधारा की भूलक हमें लॉक में भी मिल जाती है, जो जनता की सर्वोपरि शक्ति की चर्चा करता है । दार्शनिक दृष्टिकोण पूर्ण विकास रूपों और अन्य आदर्शवादों से लगे न किया । उसी के अनुसार, जनता की सामान्य इच्छा ही सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न होती है । उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दो इच्छाएँ होती हैं . एक तो व्यक्तिगत या विशिष्ट इच्छा जिससे प्रेरित होकर वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अभिलाषाओं, कामनाओं, आदि का ध्यान रखते हुए अथवा किसी एक-कुचित समूह के हित में कार्य करता है और दूसरी, एक सामान्य इच्छा जिससे प्रेरित होने पर वह समष्टि के हित को और

की भावना से प्रेरित होकर विचार करते हैं, तो वे जिस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे वह 'सामान्य इच्छा' होगी। रूसो का यह भी कथन है कि सामान्य इच्छा व्यक्ति-विशेष के सबध में विचार नहीं करती और वह सभी पर समान रूप से लागू होती है।

वस्तु-जगत् में एक अनिश्चित सकल्पना से काम चलाना अत्यन्त कठिन है। अतः रूसो कहता है कि व्यावहारिक रूप में अर्थात् काम चलाने के लिए हम बहुमत को 'सामान्य इच्छा' मान सकते हैं। इस सबध में उसकी युक्ति यह है कि कुछ व्यक्तियों का विशिष्ट इच्छा से प्रेरित होना सम्भव है, तथापि इस प्रकार के व्यक्ति प्रश्न के दोनों पक्षों की ओर लगभग बराबर संख्या में होंगे। परिणाम-स्वरूप, उनके विशिष्ट दृष्टिकोण और विशिष्ट इच्छाएँ एक दूसरे को काट देती हैं और व्यक्ति हित के विचार से अछूते रह जाने वाले व्यक्तियों की इच्छा ही 'सामान्य इच्छा' होती है। रूसो यह स्वीकार करता है कि सैद्धांतिक रूप में यह समाधान पूर्णतः सगत नहीं है। वह इस बात की सम्भावना को भी अस्वीकार नहीं करता कि बहुमत स्वार्थ से प्रेरित होकर अथवा अज्ञान वशीभूत होकर, ऐसे निर्णय करे जो वस्तुतः सामान्य इच्छा के प्रतीक नहीं हो सकते। किन्तु उसके पास इस कठिनाई से बचने का अन्य व्यावहारिक हल नहीं है और वह यह कह-कर अपने को सन्तुष्ट कर लेता है कि यद्यपि किसी समय, सामान्य इच्छा क्या थी और क्या नहीं थी, इसका निर्णय कुछ समय बीत जाने के पश्चात् ही हो सकता है जब हम निरपेक्ष भाव से शांतिपूर्वक इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हमने जिस निर्णय को 'सामान्य इच्छा' के अनुरूप समझा था वह वस्तुतः ऐसा था भी या नहीं। स्पष्टतः रूसो की 'सामान्य इच्छा' की धारणा अमूर्त और अस्पष्ट है। दार्शनिक दृष्टिकोण से वह भले ही पूर्ण और सतोपजनक लगे किन्तु व्यावहारिक रूप में उसके अनुसार काम करने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।

आलोचना—सामान्य इच्छा की इस सकल्पना का उपयोग केवल ऐसे छोटे राज्या में ही सम्भव है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रचलित हो, क्योंकि रूसो का यह सिद्धिस्त मत है कि एक व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अतः 'सामान्य इच्छा' जानने के लिए यह अनिवार्य है कि समस्त नागरिक एक साथ एकत्रित होकर इस सबध में अपने मत व्यक्त करें। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सकल्पना आधुनिक राज्यों के उपयुक्त नहीं है क्योंकि लगभग सभी आधुनिक राज्यों में परोक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रचलित है। दूसरे, रूसो की सकल्पना स्पष्ट और अमूर्त है जिसका व्यावहारिक रूप में प्रयोग करना अत्यन्त कठिन है। तीसरे, रूसो ने अनुसार सामान्य इच्छा कभी

4 प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत

प्रभुसत्ता के कानूनी और दार्शनिक दृष्टिकोण उसके एकात्मक रूप में आस्था रखते हैं और वे प्रभुसत्ता को अनियंत्रित, अदेय और अविभाज्य बताते हैं। किंतु पिछले दिनों इस मत को कड़ी आलोचना की गयी। अनेक विचारकों का कहना है कि अनियंत्रित और अविभाज्य प्रभुसत्ता कहीं देखने को नहीं मिलती। वस्तु-स्थिति यह है कि राज्य में शक्ति के केंद्र एक नहीं अनेक होते हैं, यद्यपि राज्य उनमें प्रमुख एवं सर्वोपरि है। इस विचार के मानने वाले लेखकों को बहुलवादी (Pluralists) कहा जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत अनेक लेखक आ जाते हैं जिन्होंने राज्य के एकात्मक प्रभुसत्ता के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टियों से कड़ी आलोचना की है। ये विचारक राज्य की शक्ति के स्वरूप के संबंध में एकमत नहीं हैं। इनमें से कुछ राज्य को अन्य समूहों और समुदायों के समक्ष रखना चाहते हैं और राज्य को सर्वोच्च मानने से भी इकार करते हैं। इनका कहना है कि संगठित समुदायों को भी प्रभुसत्ता का भागीदार मानना चाहिए। दूसरी ओर, बहुमत ऐसे विद्वानों का है जो राज्य की एकात्मक प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं करते, किंतु उसे सर्वोपरि और सर्वोच्च मानने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इन लेखकों में से अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्ति समूहों और समुदायों के अस्तित्व और महत्त्व पर विशेष बल दिया है।

इन विचारकों का कहना है कि प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत व्यक्ति समूहों और समुदायों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इसके परिणामस्वरूप राज्य यह दावा करते हैं कि उन्हें समुदायों के ऊपर केवल नियंत्रण करने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि उनके जीवन और मरण पर भी उनका अधिकार है। बहुलवादी विचारक उक्त विचारों का घोर विरोध करते हैं¹। उनके अनुसार ये समुदाय स्वयं भी ब्रह्म महत्त्वपूर्ण नहीं होते। वे यह मानते हैं कि जहाँ एक ओर राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है और नागरिकों को साधारणतः इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि वे अपनी नागरिकता का परित्याग कर दें, वहाँ दूसरी ओर सामान्यतः व्यक्ति जब चाहे समुदायों की सदस्यता स्वीकार कर सकता है और इच्छा न रहने पर उनसे पृथक् हो सकता है। साथ ही, उनका कथन है कि राज्य इन समुदायों को जन्म नहीं देता। ये समुदाय मनुष्य की आवश्यकताओं,

1 देखिए Merritt and Barnes, *A History of Political Theories*, 1932, पृष्ठ 80-119, W. F. Coker, *Recent of Political Theories*, पृष्ठ 497-520, और Barker, *Political Thought in England*, पृष्ठ 43-44 एवं 175-183

उनकी इच्छाओं, और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन्म लेते हैं। व्यक्ति उनका सदस्य इसलिए बन जाता है कि वे उसकी आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। उन्हें राज्य से अधिकार प्राप्त नहीं होते, उनकी शक्ति और अधिकार उनके सदस्यों के अनुराग पर निर्भर हैं। इन समुदायों को अपने सदस्यों पर नियंत्रण के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रायः इन समुदायों के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना इनके सदस्यों के लिए आवश्यक है। साधारणतः अनुशासन बनाए रखने के लिए, इन समुदायों को दंड देने का भी अधिकार होता है। नियमों का पालन न करने पर अथवा समुदाय के हित-विरोधी कार्य करने पर वह अपने सदस्य को समुदाय से पृथक् कर सकते हैं अथवा जुर्माना आदि कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमित रूप में इन समुदायों का स्वरूप और उनकी शक्ति राज्य के ही अनुरूप है। वे राज्य के समान ही नियम बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। यद्यपि राज्य के समान इनके पास सैन्य शक्ति एवं दमन-शक्ति नहीं होती, तथापि महत्त्व और उपयोगिता में वे राज्य से कम नहीं हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक बार जब राज्य और कतिपय समुदायों में संघर्ष हुआ है, तो नागरिकों ने राज्य का विरोध कर समुदायों का साथ दिया है। उदाहरणार्थ, मध्यकालीन यूरोप में जब चर्च और साम्राज्य (अथवा राज्य) में संघर्ष हुए, तो अनेक लोगों ने राज्य का विरोध कर चर्च के पक्ष का समर्थन किया। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जब व्यक्तियों ने अपने धर्म और चर्च की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। इसी प्रकार ऐसे भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए लोगों ने राज्य की उपेक्षा की है। इतिहास में ऐसे आंदोलनों का वर्णन भी है जो राज्य के विरोध में और उसकी शक्ति को सीमित करने के लिए किए गए हैं। समकालीन युग में भी अनेक बार मजदूरों, किसानों और अन्य व्यवसायियों ने अपने सघों का पक्ष लेकर राज्य का खल्लमखल्ला विरोध किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहना कि राज्य ने समुदायों को जन्म दिया अथवा यह कि वे राज्य की कृपा पर निर्भर हैं या उनको नियंत्रित करने का राज्य को पूर्ण अधिकार है, वस्तुस्थिति के सर्वथा विरुद्ध होगा। लास्की, कोल, लिडसे, फिगिस, गियर्क, मेटलैंड, मैकीवर, फौलेट आदि विचारकों ने समुदायों के अस्तित्व, उनके महत्त्व और स्वतंत्र सत्ता को मानने पर बल दिया है। उनके कथनानुसार, ये समुदाय व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके विकास में महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं। यदि राज्य व्यक्तियों के लिए आवश्यक है तो समुदाय भी उनके लिए कम आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि केवल राज्य को प्रभुसत्ता प्राप्त है, वस्तुस्थिति के अनुकूल नहीं है। यदि राज्य में प्रभुसत्ता निहित

है तो सगठित समुदाय भी कुछ अंशों में प्रभुसत्ता के मागीदार हैं।

राज्य के अनेक समुदायों के अस्तित्व का एक परिणाम यह होता है कि कभी-कभी ये समुदाय आपस में लड़ पड़ते हैं। वैसे भी इन समुदायों के पारस्परिक हित में विरोध हो सकता है। अतएव समस्या यह है कि उनके आपसी संघर्ष की रोकथाम कौन करे और ऐसा करने में क्या दृष्टिकोण रखा जाए? स्पष्टतः यह कार्य एक सर्वमान्य, सार्वजनिक और राजनीतिक रूप में सगठित राज्य ही कर सकता है। समाज में ऐसा कोई अन्य समुदाय नहीं है जिसे यह भार सौंपा जा सके। प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य को इस विषय में अपनी मनमानी करने की छूट है? एक लोकतंत्रीय शासन के अंतर्गत सभी सत्ताएँ उत्तरदायी होनी चाहिए, अतएव शासन के किसी अंग को मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। इसका आशय यह हुआ कि यदि राज्य को समुदायों पर नियंत्रण करने अथवा उनके हितों में समन्वय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, तो केवल इसी दृष्टिकोण से कि वह अपेक्षाकृत लोकहित के प्रसार का अत्युत्तम साधन है। अतएव उससे यह आशा करना असंगत न होगा कि समुदायों के प्रति अपने व्यवहार में वह हमेशा लोकहित की भावना को अपने सम्मुख रखे। कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य और समुदाय, सभी लोकहित की भावना से प्रेरित होने चाहिए। यदि कोई समुदाय समाज-विरोधी कार्य करता है, तो राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसकी रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाए।

राज्य की सत्ता को इस प्रकार सीमित करने का परिणाम यह नहीं होगा कि राज्य निर्वल हो जाए अथवा महत्त्वहीन रह जाए। जैसा कि बार्कर ने स्पष्ट किया है, समुदायों के स्वतंत्र, अस्तित्व एवं सत्ता को स्वीकार कर लेने पर भी राज्य के समन्वय संबंधी कार्य उतने ही महत्त्वपूर्ण बने रहेंगे, उनमें कमी नहीं आएगी।

5 प्रभुसत्ता के एकात्मक सिद्धांत की आलोचना

प्रभुसत्ता के कानूनी और दार्शनिक, दोनों ही दृष्टिकोण उसे एकात्मक मानते हैं और उसके लक्षणों में एकता और अनियंत्रितता पर बल देते हैं। आधुनिक विचारकों ने इस मत की आलोचना की है। उनका कहना है कि व्यावहारिक जीवन में सरकार ही राज्य की प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। अतः यह सिद्धांत निरकुश सरकार का सिद्धांत बन जाता है। वैसे भी राज्य की प्रभुसत्ता को अनियंत्रित मान लेने में अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होने की सम्भावना है। सर्वप्रथम, इससे राज्य में व्यक्ति का महत्त्व नहीं रह जाता। राज्य चाहे तो उसे अधिकार दे और यदि न चाहे तो उसके अधिकारों को समाप्त करदे। समकालीन

विचारक राज्य को इस प्रकार के स्वच्छद अधिकार नहीं देना चाहते । उनके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने चाहिए और उनके संरक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । अब तो इस स्थिति से भी हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र सभ ने मानव अधिकारों की घोषणा को स्वीकार कर लिया है । उसके सभी सदस्य-राज्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने नागरिकों को इन मानव अधिकारों का उपभोग करने देंगे । दूसरे, इस सिद्धांत से यह ध्वनि निकलती है कि राज्य एक साध्य है और व्यक्ति उसके साधन । ऐसा विचार तानाशाही को प्रोत्साहन देता है और लोकतन्त्रवाद की जड़ें खोजली करता है । सैनिकवाद और फासिस्ट विचारधारा वाले देशों में ऐसा हो माना जाता है जिसके दुष्परिणामों को हम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में भुगत चुके हैं । तीसरे, यह सिद्धांत समुदायों की उपेक्षा करता है । इसके अनुसार राज्य उन्हें दबा सकता है और गैरकानूनी भी घोषित कर सकता है । जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, यह लोकहित के विरुद्ध होगा । जब तक समुदाय व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो और लोकहित के विरोधी न हो, उन्हें पूरी स्वतन्त्रता देना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए । चौथे, इस विचारधारा के मानने वाले लोग प्रभुसत्ता को कानून से परे बताते हैं, अर्थात्, कानूनी रूप में वह अनियंत्रित होती है और संविधान अथवा कानून के द्वारा उसे सीमित नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त धारणा आधुनिक संविधानवाद की विरोधी होने के कारण त्याज्य है । इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि राज्य कानूनों का निर्माण करने वाली ऐसी सत्ता है जो मनमाने आदेश दे सकती है । यह विचार वस्तुस्थिति के विरुद्ध होने के साथ ही साथ लोकहित और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए भी घातक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । पाँचवें, इन विचारों का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत बुरा पडा है और इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत् में अराजकता उत्पन्न कर दी है । राज्य अपने को सर्वशक्तिमान समझकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों की उपेक्षा करते हैं और अन्य राज्यों के अधिकारों और प्रदेशों को घीनने और उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास करते हैं । इसके कारण विश्व-शांति छतरे में पड़ गई है । यदि राज्य अंतर्राष्ट्रीय जगत् में अपना हल बदल ले और मानव-हित की दृष्टि से कार्य करना स्वीकार कर ले तो विश्व-शांति की समस्या सरलता से सुलझाई जा सकती है । ऐसी हालत में आपसी झगड़ों का निर्णय शक्ति द्वारा न होकर विचार-विमर्श, पंचायत, अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है । किंतु अनियंत्रित प्रभुसत्ता का सिद्धांत इसे राज्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध ठहरा कर युद्ध को अनिवार्य बना देता है जिसका दुष्परिणाम नागरिकों और मानव

समाज की भंगतना पड़ता है ।

व्यावहारिक जीवन में प्रनुसत्ता अनियंत्रित नहीं होती । प्रथम, उसे सविधान के अनुसार कार्य करना होता है । यह सत्य है कि सविधान का भी संशोधन हो सकता है और उसे परिवर्तित किया जा सकता है । तथापि राज्य के लिए यह आवश्यक है कि जैसा भी सविधान हो वह उसकी मर्यादा में रहकर कार्य करे । यही नहीं, उसे कानूनों का आदर करना होता है और कानूनों के आचार पर अपने कार्यों का संपादन करना होता है । दूसरे, राज्य लोकमत और लोकहित की उन्मेषा नहीं कर सकता । बड़े-से-बड़े तानाशाह भी लोकमत के महत्व को स्वीकार करते हुए, निरंतर यह प्रयत्न करते रहते हैं कि लोकमत उनके अनुकूल बना रहे । इसी हेतु प्रचार और प्रसार के सभी साधनों का उपयोग कर वे जनता को प्रभावित करने के यत्न करते हैं और जनसाधारण की इस बात का बराबर आश्वासन देते रहते हैं कि वे उन्हीं की सामूहिक मलाई के कार्य कर रहे हैं । जब तानाशाहों को भी इस प्रकार लोकमत का आदर करना होता है तो यह स्पष्ट है कि अनियंत्रित प्रनुसत्ता का सिद्धांत काल्पनिक है । तीसरे, आज के युग में कोई राज्य अन्य राज्यों के अस्तित्व को नहीं भुला सकता । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से, अंतर्राष्ट्रीय जगत् में होने वाले विवाद और घटनाएँ तुरंत उसके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं और बड़े-से-बड़े राज्यों के लिए भी अब संयुक्त राष्ट्र-संघ की पूरी तरह उपेक्षा करना असम्भव नहीं है । स्वतंत्र की घटना के समय जिस प्रकार शक्तिशाली इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल को मित्र के सामने मुंह की सानी पड़ी, वह सर्वविदित है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी आज कोई राज्य अनियंत्रित सत्ता का उपयोग नहीं करता । चौथे, प्रत्येक राज्य को जनता की रीति-रिवाजों, परम्पराओं, धार्मिक विश्वासों और भावनाओं का आदर करना होता है । इसका अन्तिम यह नहीं है कि पुरानी परम्पराओं और विश्वासों का बदनाम नहीं जा सकता । आवश्यकतानुसार और समय की गति के साथ ये भी बदलते रहते हैं । किंतु ये परिवर्तन यथायक और दत्तपूर्वक नहीं किए जा सकते; धीरे-धीरे प्रचार द्वारा जनमत को तैयार करना पड़ता है, और जब जनता की भावनाओं के अनुकूल हो जाने पर ही आवश्यक सुधार किए जाते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रनुसत्ता व्यावहारिक रूप में अनियंत्रित नहीं है । पाँचवें, राज्य अपने ध्येय और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी शक्ति का लोकहित में उपयोग करता है अर्थात् व्यक्ति, समाज, और मानवता के हितों का ध्यान रखते हुए उसे अपने कार्य करने होते हैं । जैसा कि सास्की ने कहा है, नागरिक राज्य के आदेश का इसलिए पालन करते हैं कि वे प्रमत्त देखते हैं कि राज्य

उनका हित-साधन कर रहा है। यदि उन्हें ऐसा लगे कि राज्य उनके हितों की उपेक्षा करता है तो बहुत सम्भव है कि वे अनुशासन मानने और आज्ञापालन करने के स्थान पर विद्रोह कर बैठें और शासन के तख्ते को उलट कर, अपने अनुकूल एक नयी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करें।

कुछ लेखक उपर्युक्त सभी बातों को स्वीकार करते हुए यह कहते हैं कि यद्यपि राज्य नैतिक रूप में अनेक बंधनों और मर्यादाओं को स्वीकार करता है और व्यावहारिक रूप में उनका पालन करता है किन्तु कानूनी दृष्टि से वह सम्पूर्ण प्रभुसत्ता-सम्पन्न है और उसके ऊपर कोई बाह्य नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। यदि हम स्मरण रखें कि यह विचार राज्य के सबंध में प्रस्तुत किया जा रहा है, सरकार के सबंध में नहीं, तो सम्भवतः आपत्ति के अनेक कारण दूर हो जायेंगे।

6. प्रभुसत्ता की स्थिति

हम देख चुके हैं कि प्रभुसत्ता के सबंध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं - कानूनी, दार्शनिक, और राजनीतिक। फलस्वरूप लोक-दृष्टि से प्रभुसत्ता की स्थिति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सभी राज्यों में समान रूप से यह जनता में निहित होती है। जहाँ तक राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रश्न है, इसमें कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, क्योंकि राज्य पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों का शोध करना एक वृष्टसाध्य कार्य है। इसीलिए लीकौक ने कहा है कि 'राजनीतिक प्रभुसत्ता की जितनी खोज की जाए, उतनी ही वह दूर भागती दिखाई देती है'। कठिन होने के साथ, इस खोज का फल भी बहुत कुछ अनिश्चित है।

जहाँ तक कानूनी प्रभुसत्ता का प्रश्न है, उसकी स्थिति का पता लगाना अपेक्षाकृत सरल है। बौदा के अनुसार इस प्रकार की प्रभुसत्ता सर्वोच्च कार्यकारी में निहित होती है किन्तु इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रत्येक राज्य में कानूनी सत्ता के पीछे अनेक राजनीतिक प्रभाव होते हैं जिनके आगे कानूनी सत्ता को झुकना पड़ता है। बेंथम के मतानुसार प्रभुसत्ता विधानांग में निहित होती है। किन्तु इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक राज्यों में विधानांग की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है। जब हम सघीय राज्य में प्रभुसत्ता की स्थिति पर विचार करते हैं तो समस्या और भी जटिल बन जाती है क्योंकि इस प्रकार के राज्य में शासन के दो स्तर होते हैं। सघीय और प्रादेशिक, और इन दोनों के अधिकार निश्चित और सीमित होते हैं। ऐसी दशा में प्रभुसत्ता की स्थिति का पता कैसे लगाया जाए? डि टोत्रयवैली, ब्रूने और स्टोरी के अनुसार प्रभुसत्ता सघीय सरकार और राज्य सरकारों में निहित होती है। इसके विपरीत, अन्य विद्वानों का मत

यह है कि जिस व्यक्ति-समूह को सविधान को बनाने और परिवर्तित करने का अधिकार है, उसी में प्रभुसत्ता निहित है। नितु जैसा कि सिडविक् ने कहा है, सविधान को बनाने और परिवर्तित करने वाली शक्ति तो लम्बे समय तक सुप्ता-वस्था में रह सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के समुक्त राज्य में सन् 1804 ई० से लेकर 1865 ई० तक यह बिल्कुल निष्क्रिय बनी रही। ऐसी दशा में यह कहना कि इन 61 वर्षों तक समुक्त राज्य (अमेरिका) के नागरिक इस निष्क्रिय सत्ता की आज्ञा का पालन करते रहे, भाषा का मजाक बनाना है। इस सर्वथ में दूसरा मत गैटिल का है। उसके मतानुसार, प्रभुसत्ता (1) विधानांग, (2) न्यायालयों, (3) सविधान निर्मात्री-परिषद्‌ों या कनवेंशनो, (4) कार्यांग की आज्ञाओं और आदेशों, और (5) मतदाताओं में निहित होती है। उसके अनुसार इस गणना में मतदाताओं को केवल वहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए जहाँ जनमत-समग्र (Referendum) और सार्वजनिक उपक्रम (Initiative) की रीतिर्था प्रचलित हो। इस मत के विरोधी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रभुसत्ता की स्थिति की खोज में हम राजनीतिक प्रभावों की एक सूची तैयार करने लगे हैं।

वस्तुतः प्रभुसत्ता की स्थिति की खोज का प्रश्न ही असंगत है। प्रभुसत्ता राज्य का एक तत्त्व है, सरकार का नहीं। अतएव वह अमूर्त है और उसे खोजने का प्रयास व्यर्थ है। लास्की के मतानुसार प्रत्येक राज्य में आदेश लागू करने वाले थोड़े से व्यक्ति होते हैं। नितु इन व्यक्तियों को अपना आदेश मनवाने के लिए अनेक 'प्रभावों' का पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अतएव यह कहना अत्यन्त कठिन है कि किस देश में किस समय क्या 'प्रभाव' सफल हो रहे हैं और किसी निर्णय में किसने अधिक प्रभाव डाला है? इ-ही बातों को ध्यान में रखते हुए जान बिपमन ने ने कहा है कि 'समाज के वास्तविक शासकों की खोज नहीं की जा सकती'।

कानून, सहमति और बलप्रयोग

व्यापक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग हम ऐसे किसी सामान्य नियम के लिए कर सकते हैं जो किन्हीं कामों को करने अथवा न करने का आदेश देता है और जिसकी अवज्ञा करने से अवज्ञा करने वाला व्यक्ति दंड पाने की सकारण आशा करता हो। —हेनरी सिजविक

1. कानून और शांतिपूर्ण परिवर्तन

यदि हम राज्य का मुख्यांकन इस दृष्टि से करते हैं कि वह नागरिकों के जीवन को विकसित करने और उसे सर्वांगपूर्ण बनाने में क्या योग देता है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम राज्य को एक ऐसी एजेंसी मानते हैं जो हमारे मनोवांछित परिवर्तन करने में सहायक होगी। राजनीतिक प्रगति तभी सम्भव है जब राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। वस्तुतः परिवर्तन चाहे धीमी गति से हो रहे हो अथवा द्रुत गति से, वे हमेशा होते रहते हैं, एक अर्थ में परिवर्तनों का न होना भी प्रस्तुत स्थितियों में अपेक्षाकृत परिवर्तन ला देता है। फ्रांसिस ग्रेहम विल्सन के अनुसार, 'वातावरण में प्रत्येक नई वस्तु सम्पत्ता के स्वरूप में परिवर्तन ला देती है; प्रत्येक ऐसा नया विचार जिसे समाज मान्यता देता है और जिसके अनुसार वह कार्य करता है, संस्कृति में परिवर्तन ला देता है'¹। जहाँ ये परिवर्तन जीवन की दशाओं को बदलने के लिए किए गए प्रयासों के कारण होते हैं, हम उन्हें 'मुधार' कहते हैं। हम अब एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें 'नियोजन' के द्वारा विकास की दिशा निर्धारित करने में विश्वास किया जाता है; और इस सम्बन्ध में राज्य के महत्व को खुले रूप में स्वीकार किया जाता है।

¹ उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 504.

एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन साने के लिए यह आवश्यक है कि वे जनता की सहमति पर आधारित हो अथवा कम से कम जनता उनका विरोध न करे। यदि राज्य द्वारा किए गए परिवर्तन मनुष्यों की भौतिक सम्पन्नता में सहायक होते हैं और उनके जीवन में सुख और सुविधा को बढ़ाते हैं, तो जनता उनका मुक्त हृदय से स्वागत करती है। प्रायः आर्थिक परिवर्तनों के होने से सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक हो जाते हैं, जिन्हें इतनी सरलता से स्वीकार नहीं किया जाता। ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य सामाजिक स्थायित्व की रक्षा में लगा रहता है। इसका विरोध होने पर वह बलप्रयोग करता है; अथवा वह समझ-बुझकर और प्रचार द्वारा जनता की सहमति प्राप्त करने का यत्न करता है। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में और उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक तर्कनापरक विचारकों ने शिक्षा के महत्त्व पर बल दिया। उनके कथनानुसार जब तक शिक्षा का व्यापक प्रसार न होगा, जनता से विवेकपूर्ण सहयोग की आशा नहीं की जा सकती। मिल ने तो यहाँ तक कहा है 'वयस्क मतदान के पूर्व हमें वयस्क शिक्षा का प्रवर्धन करना चाहिए और अपने स्वामियों को शिक्षित बनाना चाहिए'।

बीसवीं शताब्दी में, शिक्षा के साथ-साथ प्रशासन के महत्त्व पर भी बल दिया जाने लगा है और अब यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कानून और प्रशासन के द्वारा करता है। इस प्रकार कानून 'शांतिपूर्ण परिवर्तन' का एक प्रमुख साधन है। साथ ही, वह समाज में न्याय की व्याख्या करता है। उपर्युक्त कारणों से अनेक विद्वान् कानून को राज्य का सार कहते हैं। मैकीवर के अनुसार, 'राज्य कानून का पुत्र भी है और पिता भी'। इस बात को स्पष्ट करते हुए उसने कहा है कि 'एक कानून ऐसा होता है जो राज्य को नियंत्रित करता है (अर्थात् सविधान) और एक कानून वह होता है जिससे राज्य नागरिकों पर शासन करता है'। वस्तुतः आज के औद्योगिक समाज में, कानूनों और न्यायालयों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

2 कानून का अर्थ और उनका स्वरूप

'कानून' शब्द बहुत व्यापक है और इसे कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। प्राकृतिक जगत में, इसका प्रयोग वार्य-कारणों का संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, यह एक प्राकृतिक नियम है कि गर्म होने से पदार्थ

1 वही, पृष्ठ 518.

2 उपर्युक्त प्रय, पृष्ठ 272.

3 वही, पृष्ठ 250.

बढते हैं। एक नियम यह भी है कि किसी ठोस और भारी वस्तु को ऊपर उछालने से वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ गिरेगी। इन्हे प्राकृतिक नियम इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसे सत्य हैं जो सभी देशों, कालों और परिस्थितियों में घरे उतरेंगे। किंतु राजनीति-विज्ञान में इस प्रकार के प्राकृतिक नियमों से हमारा पाला नहीं पडता। इसमें हमें केवल उन नियमों और कानूनों पर विचार करना है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से, कानून का अंग्रेजी पर्याय 'लॉ' द्यूटोनिक धातु 'लैंग' से निकला है जिसका अर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु जो एकसार या बँधी हुई हो। सामंड के अनुसार व्यापक अर्थ में कानून के अंतर्गत सभी कार्य-संबंधी नियम आ जाते हैं¹। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसकी परिभाषा देते हुए, इसे सत्ता द्वारा लागू किया जाने वाला आचरण संबंधी नियम बताया है। व्यापक अर्थ में, मानवीय कानून या तो नैतिक होते हैं अथवा राजनीतिक-बंधानिक। नैतिक कानून मनुष्यों के प्रयोजनों और आंतरिक भावनाओं से संबंधित हैं। प्रायः उनका आधार और अनुशास्ति (sanction) व्यक्तियों का अन्त करण और लोकमत होता है। दूसरी ओर राजनीतिक बंधानिक नियम हैं जिनका सबंध मनुष्यों के बाह्य आचरण से है। प्रायः वे सरकार द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। राजनीतिक-विज्ञान का सबंध मुख्यतः इन्हीं कानूनों से होता है।

परिभाषा

राजकीय कानूनों की विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं। हॉलैंड के मतानुसार ये मनुष्यों के बाह्य आचरण के वे व्यापक नियम हैं जिन्हें सम्पूर्ण-श्रुत्व-सम्पन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है²। सामण्ड के कथनानुसार ये उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्य मान्यता देता है और न्याय-प्रबंध के लिए न्यायालयों में काम में लाया जाता है³। विलोबी ने इनका अन्य ऐसे नियमों से जिन्हें जन-समुदाय मान्यता देना है, प्रभेद करते हुए कहा है कि ये ऐसे नियम हैं जिन्हें लागू करने के लिए राज्य अन्ततः अपनी सारी सत्ता का उपयोग करता है⁴। बुडरो विल्सन के कथनानुसार 'कानून स्थापित विचारों और आदतों का ऐसा भाग है जिसे सामान्य नियमों के रूप में विशिष्ट और औपचारिक मान्यता प्राप्त हो

1 John Salmond, *Jurisprudence*, भाठवों सरकारण, मैनिंग द्वारा सम्पादित, लन्दन, 1930, पृष्ठ 19.

2 *Elements of Jurisprudence*, दसवों सरकारण, ऑक्सफोर्ड, 1906, पृष्ठ 40.

3 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 177.

4 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 263.

चुकी है और जो सरकार की सत्ता और शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। कानून का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ये राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले नियम हैं। स्मरण रहे कि आज भी आधुनिक राज्य का विधानाग समस्त कानूनों को नहीं बनाता। राज्य के पूर्व कानून प्रथाओं के रूप में उपस्थित थे और कुछ प्रथाएँ आज भी बंध मानी जाकर न्यायालयों द्वारा लागू की जाती हैं, यद्यपि राज्य ने उनके निर्माण में कोई योग नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी कानून राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते। अतएव आस्टिन का यह विचार कि कानून प्रभुसत्ता द्वारा दी गई आचरण सन्धी आजाएँ हैं, युक्तिगत प्रतीत नहीं होता। जैसा कि हॉलंड ने कहा है, इन नियमों को कानूनी रूप देने वाली वस्तु राज्य द्वारा दी हुई वह मान्यता है जो विधानाग और न्यायाग द्वारा दी जाती है और अंतिम रूप में जिसे बलप्रयोग द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रकार वे प्रथाएँ, जिन्हें न्यायालय स्वीकार कर लागू करते हैं, कानून का रूप धारण कर लेती हैं। अतः राजकीय कानून का प्रमुख लक्षण उनका लागू किया जाना है। मैकवीर के अनुसार, 'क्याकि वे सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, अतएव राजकीय नियमों का अनिवार्य होना आवश्यक है'। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि राजकीय कानून मनुष्यों के बाह्य कार्यों से सम्बंधित आचरण के वे नियम हैं जिन्हें राज्य मान्यता देकर लागू करता है।

कानून का स्वरूप

कानून के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक दृष्टिकोण हैं जिनमें प्रमुख हैं : विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, और मार्क्सवादी। नीचे हम इन दृष्टिकोणों पर संक्षेप में विचार करेंगे।

विश्लेषणात्मक विचारधारा—इस विचारधारा के विद्वान् वर्तमान कानूनों का विश्लेषण करते हैं और उनके स्रोतों और लागू करने के ढंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। बादाई, हॉब्स, बेंथम, और आस्टिन ऐसे प्रमुख विचारक हैं। हाब्स और आस्टिन के अनुसार कानून 'राज्य अथवा प्रभुसत्ता का आदेश' है। इनके अनुसार विधानाग कानून का प्रमुख स्रोत है और राजकीय शक्ति कानून की सच्ची अनुयायिनी है। जैसा कि जैयरा राउन ने कहा है, प्रत्येक कानून साधारणतः सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा स्वाधीन राजनीतिक समाज के सदस्यों पर लागू किया जाता है¹।

1 उपर्युक्त प्रथ, पृष्ठ 263.

2 *The Austinian Theory of Law*, 1906, पृष्ठ 219. हार्बर द्वारा *Principles of Social and Political Theory*, में उद्धरित, पृष्ठ 92.

कानून का यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सरल और सुस्पष्ट है। वह केवल उन्ही नियमों को कानून मानता है जो सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा निर्मित अथवा लागू किए जाते हैं। यह वकीली अथवा विधिशास्त्रियों का दृष्टिकोण है जिनके लिए यह जानना आवश्यक है कि राज्य में कौन से कानून मान्य हैं। पिछले वर्षों इस मत की कड़ी आलोचना हुई है। सर्वप्रथम, यह कहा जाता है कि कानून का यह दृष्टिकोण औपचारिक और अनम्य है। ब्राइस के कथनानुसार, कानून हमेशा और सभी स्थानों पर राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते। अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ राज्य के जन्म के पूर्व कानून प्रचलित हैं¹। इसी प्रकार, पोलक कहता है कि कानून उस समय भी थे जब राज्य के पास व्यक्तियों को बाध्य करने के समुचित साधन न थे और न उन्हें लागू करने की कोई नियमित प्रक्रिया थी²। मैकीवर का कहना है कि एक अर्थ में कानून आदेशों के विरोधी होते हैं, क्योंकि आदेश से प्रायः यह अभिप्राय लिया जाता है कि आदेश देने वाला और जिसकी आदेश मिलता है, उन दोनों का पृथक् अस्तित्व है। किंतु कानून के सबंध में यह धारणा असंगत है, क्योंकि वे विधायकों पर भी उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार अन्य नागरिकों पर³। लास्की ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। सामण्ड के कथनानुसार, सभी कानून आदेश के रूप में नहीं होते। यदि कुछ कानून आज्ञात्मक होते हैं तो ऐसे भी अनेक कानून हैं जो केवल अनुज्ञात्मक होते हैं अर्थात् इनको मानने के लिए नागरिक बाध्य नहीं हैं। ये नागरिकों को एक प्रकार के कार्य करने की अनुमति देते हैं, उन्हें आज्ञा नहीं देते। उदाहरण के लिए, सगोत्र-विवाह का कानून इसी प्रकार का है। इनके अतिरिक्त, सामण्ड ने उन प्रक्रिया संबंधी (procedural) कानूनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिनका सबंध अदालती कार्यवाही से है⁴। दूसरे, यह विचारधारा कानून के उन अंगों को भुला देती है जो प्रथाओं, परम्पराओं, ग्यायाधीशों के निर्णयों, और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं। तीसरे, इन लेखकों द्वारा दी हुई परिभाषाओं से कुछ ऐसी ध्वनि निकलती है कि कानून का आधार 'शक्ति' है जबकि सत्य यह है कि मनुष्य कानून का पालन इसलिए करते हैं कि वे उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और लोकहित के अनुकूल होते हैं। समाजवादी लेखकों ने उपर्युक्त आलोचनाओं को

1 *Studies in History and Jurisprudence*, मोन्मफोर्ट, 1901, सङ् 2, पृष्ठ 249.

2 *First Book of Jurisprudence*, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 24.

3 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 257-58.

4 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 54.

ध्यान में रखते हुए, आदेशात्मक पक्ष की ओर दल देना बंद कर दिया है और वे अब कानून को राज्य द्वारा लागू करने पर बल देते हैं।

ऐतिहासिक विचारधारा—इस विचारधारा के प्रमुख लेखक साविनी (1799-1861), पाल विनोग्रेटोफ, हेनरी मेन, मेटलैड, पीलक आदि हैं। इन लेखकों के मतानुसार कानून राज्य द्वारा नहीं बनाए जाते, अपितु समाज में चुर-चाप काम करने वाली शक्तियों के परिणाम हैं। उनके मतानुसार, कानून का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वस्तुतः राज्य का कार्य कानूनों को बनाना नहीं है, अपितु उन्हें मान्यता देना और लागू करना है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए बुद्धो विल्मन ने कानून को स्थायित्व विचारों और आदतों का ऐसा भाग बताया है जिन्हें विधि और औपचारिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है और जो सरकार द्वारा सामान्य नियमों के रूप में लागू किए जाते हैं। इस विचार के मानने वाले लेखक प्रथा पर आधारित कानूनों को विशेष महत्त्व देते हैं। उनकी मान्यता है कि इस प्रकार के कानून स्वयंसिद्ध हैं। इस दृष्टिकोण का प्रमुख दोष यह है कि यह सभी विद्यमान नियमों को आदर की दृष्टि से देखता है जिसके कारण इसकी प्रवृत्ति अनुदार एवं प्रगति-विरोधी हो जाती है।

शांतिनिक विचारधारा—इस दृष्टिकोण को धरनाम वाले लेखकों में हम आदर्शवादी लेखकों को सम्मिलित कर सकते हैं जैसे पेटो, अरस्तू, एसो आदि। इनके मतानुसार कानून समाज में प्रचलित न्याय और अन्याय की धारणा का प्रतीक है। इसको सार्वजनिक धरना का प्रतिरूप भी कहा गया है। इन लेखकों ने कानून में न्याय की धारणा का समावेश करने का प्रयत्न किया है। इनकी भविष्यक कानून में है, यद्यपि कानूनों में नहीं। इनमें से कुछ लेखक कानूनों को 'सामान्य इच्छा' का प्रतीक बताते हैं और यह मत प्रकट करते हैं कि 'स्व-निर्मित कानूनों की मानने में ही सच्ची स्वतंत्रता निहित है'। स्पष्ट है कि ये विचारक 'आदर्श कानून' को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार के विचारों ने 'प्रकृतिक कानून' (Law of Nature) की धारणा को जन्म दिया जो विवेक पर आधारित मान गए हैं।

समाजशास्त्रीय विचारधारा—यह एक अविश्वसनीय नई विचारधारा है और इसके प्रतिपादकों में गम्पलोजिड, डुई, प्रावे, रास्की पाउड, हीम्स आदि के नाम लिए जाते हैं। इनके मतानुसार, कानून सामाजिक शक्तियों का उपजान होता है, और इनका मूल्यकन अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर नहीं, अपितु परिणाम के आधार पर होता चाहिए अर्थात् इनका दृष्टिकोण फलमूलक है। इनके अनुसार, राज्य कानून नहीं बनाता। कानून राज्य के पूर्व भी थे और वस्तुतः इनकी सत्ता राज्य की सत्ता से कहीं ऊँची है। प्रावे के अनुसार, कानूनों का

स्रोत मनुष्यों की भावनाएँ अथवा उनका न्याय विचार है। इसका पालन दण्ड के भय से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि लोग इसे उचित समझते हैं। लास्की के अनुसार, अच्छा कानून वह है जो नागरिकों को अधिकतम सतोष दे। कोई भी ऐसा कानून जो अच्छा नहीं है मान्य नहीं हो सकता।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण—लेनिन के मतानुसार, कानून और राज्य का पृथक् अध्ययन नहीं किया जा सकता। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य शोषक-वर्ग द्वारा अन्य वर्गों पर आधिपत्य जमाने का एक साधन है। राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति और शासक-वर्ग के निहित स्वार्थों की रक्षा करता है। राज्य द्वारा जारी किए गए कानून उस वर्ग के हित और आकांक्षाओं के अनुकूल होते हैं जिसके हाथ में आधिक और राजनीतिक सत्ता है¹। इसका आशय यह हुआ कि इनके मतानुसार राज्य शक्ति पर आधारित है, नैतिकता अथवा न्याय को उसका आधार बताना अर्थहीन है।

मार्क्सवादी विचारधारा समाज की वास्तविकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इसका दोष यह है कि यह समाज में शांतिपूर्वक परिवर्तन लाने की सम्भावना, और कानून को इस प्रक्रिया का माध्यम बनाने पर बहुत कम ध्यान देती है। यही नहीं, मार्क्सवादी विचारधारा प्रायः इस बात को भी भूल जाती है कि एक वर्ग-समाज में, जो उत्पादन-संबन्ध होते हैं, उनके कारण नागरिक स्वतंत्रता के अस्तित्व की सम्भावना शिथिल नहीं किया जा सकता। यह खेद की बात है कि यद्यपि मार्क्स ने स्वयं मताधिकार, प्रतिनिधि संस्थाएँ और नागरिक स्वतंत्रता के महत्त्व को स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को परामर्श दिया कि वे वर्ग समाज में स्थित इन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाकर मजदूरों को संगठित करने का प्रयत्न करें, बाद के साम्यवादियों ने इन का पूरा लाभ नहीं उठाया और न उन्होंने 'विधि-शासन' के अस्तित्व और महत्त्व को ही उचित रूप से समझा। पिछले १० वर्षों में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हुए हैं जिनसे लगता है कि साम्यवादियों के विचार बदल रहे हैं और अब वे 'विधि-शासन', नागरिक स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार और प्रतिनिधिक संस्थाओं के महत्त्व को समझने लगे हैं।

निष्कर्ष—उपर्युक्त सभी विचारधाराओं में सत्य की कुछ भलकियाँ हैं जिनको हम यथास्थान बना आए हैं। मोटे रूप में हम यह कह सकते हैं कि कानून की व्याख्या शक्ति के आधार पर नहीं की जा सकती क्योंकि बलपूर्वक जनता की सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना जनता की सहमति के कोई कानून

¹ Andrei V. Vyshinsky, *The Law of Soviet State*, न्यूयार्क, 1954, पृष्ठ 37.

और राज्य अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह सकता ।

3. कानून के स्रोत और विभाग

कानून के स्रोतों में प्रथाओं, धार्मिक आदेशों, पर्वों और न्यायाधीशों के निर्णयों, वैज्ञानिक टीकाओं, सुनौति (Equity) और विधानमण को गिना जाता है । नीचे सूची में हम इन पर विचार करेंगे ।

प्रथाएँ अथवा रीति-रिवाज—प्राचीन समाजों में लिखित कानून नहीं होते थे और प्रचलित प्रथाओं के अनुसार कार्य किए जाते थे । प्रथाया या रीति-रिवाजों का विचार सामाजिक आवश्यकताओं अथवा समयावृत्तता पर निर्भर था । तदुपरा, सभी प्रथाएँ समान रूप से स्थायी नहीं होतीं ; समय की गति के साथ उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं । इन प्रकार, कुछ प्रथाएँ ऐसी हैं जो अभी तक बानू हैं और उनका सम्मान कानून के सदृश होता है । कभी-कभी राज्य इन्हें मान्यता देकर राजकीय कानून का एक भाग बना देती है । विभिन्न समाजों में कानून के रीति रिवाजों वाले भाग का स्थान इस बात पर निर्भर है कि समाज कितना बदन चुका है और उसका आवश्यकताएँ अब कितनी निम्न हो चुकी हैं । इंग्लैंड में अभी भी इनका विशेष महत्त्व है और इन्हें 'सामान्य कानून' को बना दी जाती है¹ ।

धार्मिक नियम अथवा आदेश—प्राचीन समाजों में प्रथाओं और धार्मिक नियमों में निश्चय अथवा अन्तः प्रथाएँ ऐसी थीं जो धार्मिक आदेशों पर आधारित थीं । जब कोई नई समस्या उठ नहीं होती थी, तो ऋषि-मुनियों से परामर्श लेकर काम किया जाता था । भारत जैसे 'धर्मप्रधान' देश में कानून धर्म-ग्रन्थों के आधार पर बनते थे । 'हिन्दू सौ' भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के पूर्व तक इसी प्रकार के नियमों का एक महत्त्व भाग था, और अब भी हिन्दुओं के सामाजिक नियम बहुत कुछ प्राचीन धर्म-ग्रन्थों पर ही आधारित हैं । यहाँ बात मुस्लिमों पर भी समान रूप से लागू होती है ।

पर्वों और न्यायाधीशों के निर्णय—पक्ष और न्यायाधीश केवल कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू ही नहीं करते, कई बार उन्हें नए मामलों में पुराने कानूनों का आधार लेकर निर्णय करना पड़ता है । जहाँ कानून अस्पष्ट होता है, वे नैतिकता, न्याय और विवेक के आधार पर अपना निर्णय देते हैं । कुछ न्यायाधीशों के निर्णय इतने उर्वर होते हैं कि नवविषय के लिए वे 'उदाहरण'

¹ इस विषय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है Allen, *Law in the Making*, द्वितीय संस्करण, 1920.

² देखिए मैकीयर का उपसंहार ग्रंथ, पृष्ठ 100.

बन जाते हैं। कई देशों में यह नियम भी है कि उच्च न्यायालयों के निर्णय छोटी अदालतों को मानने पड़ते हैं। ब्रिटेन और भारत में ऐसी ही प्रथा है। अतः यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश भी कानून बनाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार बनाए गए कानून पूर्णतः मान्य होते हैं।

वैज्ञानिक टीकाएँ—कानून के विकास में वैज्ञानिक टीकाओं का भी कम महत्त्व नहीं है। जो काम न्यायाधीश अपने सम्मुख उपस्थित मामलों को लेकर करते हैं, वही विधि शास्त्री अमूर्त रूप में करते हैं। कानूनों की व्याख्या करने के लिए और उनकी बारीकियों को समझने के लिए वे काल्पनिक मामलों का सहारा लेते हैं। कभी कभी वे कानूनों की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाते हैं और उन्हें दूर करने के सुझाव प्रस्तुत करते हैं। कुछ विधि शास्त्री इतने प्रमाणिक माने गए हैं कि उनके विचारों का न्यायाधीश भी समुचित आदर करते हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बहुत कुछ विकास इन विधि-शास्त्रियों की व्याख्याओं और टीकाओं के द्वारा ही हुआ है।

सुनीति—जब कानून अस्पष्ट होता है अथवा उसके द्वारा दुखनिवारण और 'न्याय' की सम्भावना नहीं होती, तो न्यायाधीश प्रायः निष्पक्षता और न्यायशीलता का आश्रय लेते हैं। होता यह है कि समय की गति के साथ नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुराने कानून उपयुक्त नहीं होते। 'सुनीति' (Equity) एक ऐसा अनौपचारिक ढंग है जिसके द्वारा पुराने कानूनों की नई स्थिति के अनुकूल व्याख्या देकर न्याय किया जा सकता है। इस प्रकार सुनीति वर्तमान कानूनों की पूरक होती है। इंग्लैंड में इसे एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है¹।

विधायन—आधुनिक समाज में विधानाग कानून का मुख्य स्रोत है। सभी आधुनिक राज्यों में एक पृथक् विधानाग होता है जिसका काम कानून बनाना और नीति निर्धारित करना है। कानून बनाने का यह काम एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह के हाथ में हो सकता है। लोकतंत्रीय शासन में यह काम प्रायः प्रतिनिधि-सभा को सौंपा जाता है। कानून का यह स्रोत अब अन्य सभी स्रोतों से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है, यहाँ तक कि अन्य स्रोतों पर आधारित कानून इसके द्वारा संशोधित और रद्द कर दिए जाते हैं। अतएव, कानून बनाने में यह विभाग अब सर्वोच्च हो गया है।

कानूनों के स्रोतों का विवेचन करने के पश्चात् हम बुद्धो विल्सन के निम्न उद्धरण को प्रस्तुत करना चाहेंगे 'प्रथा कानून पर प्राथमिक स्रोत है, किंतु धर्म उसका समवालीन और उतना ही बहुजनक और एक अर्थ में लगभग सहस्र स्रोत

¹ देखिए सामरट का उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 89-95.

है। न्याय-निर्णय और विधायन का लगभग साथ-साथ प्रारम्भ होता है और प्राचीन काल से वह "सुनीति" के साथ मिलकर चलता है। केवल विधायन जो कानून का चेतन और वायोजित स्रोत है, और वैज्ञानिक विचार-विमर्श के सिद्धांत राजनीतिक समाज की उन्नत अवस्था में विधि निर्माण पर पूरा प्रभाव डालते हैं।

कानूनों के विभाग

राजकीय कानून कई प्रकार के होते हैं (1) संविधानी कानून (Constitutional Law), जिसके अंतर्गत वे सभी कानून आ जाते हैं जिनका सबंध सरकार के संगठन और अधिकार, राज्य के उद्देश्य, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि से होता है। ऐसे कानूनों को बुनियादी कानून भी कहा जाता है और उन्हें अन्य कानूनों से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। अब इस प्रकार के कानून प्रायः लिखित होते हैं। इनका संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित होती है। (2) सांविधिक कानून (Statute Law), उन कानूनों को कहते हैं जिन्हें राज्य का विधानांग बनाता है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट और भारत में संसद। (3) प्रशासनिक कानून (Administrative Law), उन कानूनों को कहते हैं जो सार्वजनिक सत्ताओं और अफसरों के कार्यों से संबंधित हैं। यह कानून सार्वजनिक सेवकों और साधारण नागरिकों में प्रभेद करता है और यदि किसी सार्वजनिक कर्मचारी से सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन में कोई भूल हो जाए, तो ऐसे मामलों का निपटारा विशिष्ट न्यायालयों में विशिष्ट कानूनों द्वारा एक विशिष्ट प्रक्रिया से होता है। सर्वप्रथम फ्रांस में इस प्रकार की व्यवस्था चालू हुई और धीरे-धीरे दूसरे देशों में फैलती जा रही है। (4) अध्यादेश (Ordinances), उन आज्ञाओं, आर्डिनेन्सों आदि को कहते हैं जिन्हें कार्यार्थ विधेय परिस्थितियों में अस्थायी रूप में बनाता है। इसके अंतर्गत वे आजाएँ और उपनियम भी आ जाते हैं जिन्हें बनाने और लागू करने का अधिकार मंत्रियों अथवा अफसरों को कानून के अंतर्गत प्राप्त होता है। (5) सामान्य कानून (Common Law) वे होते हैं जो समाज में बहुत समय से चले आ रहे हैं और प्रथाओं पर आधारित हैं। इन्हें न्यायालय कानून के सदृश ही बंध मानते हैं और उसी प्रकार उनका आदर करते हैं। बहुत समय तक इंग्लैंड में यह अलिखित रूप में रहे, किंतु अब धीरे-धीरे इनको लिखित रूप प्राप्त हो गया है। (6) न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत वे सभी कानून आ जाते हैं जिनके बनाने या विकसित होने में न्यायाधीशों का हाथ रहता है। न्यायाधीश कभी कभी कानूनों की व्याख्या करते समय अनजाने में प्रस्तुत कानूनों की सीमा में वृद्धि कर देते

हैं और कभी-कभी जहाँ कानून मौन है, वे जान-बूझ कर 'सुनीति' के आधार पर अपने निर्णय करते हैं। तथापि कानून बनाने की न्यायाधीशों की यह शक्ति राजनीतिक रूप से सीमित है। इस बात को समझ कर अब अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते। कोई भी हड़ राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में न्यायाधीशों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता, अर्थात् पुरानी व्यवस्था उसी समय तब जीवित रह सकती है जब तक राजनीतिक रूप में वह सह्य हो¹। (७) अंतर्राष्ट्रीय विधि (International Law) उन कानूनों को कहते हैं जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में होते हैं। ये कानून संधियों, प्रथाओं, समझौतों, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्णयों पर आश्रित होते हैं। जिस सीमा तक राज्य इन्हें अपने देश का कानून मानकर लागू करता है, वे राजकीय कानून की श्रेणी में आ जाते हैं। यदि राज्य इनमें से कुछ को स्वीकार नहीं करता, तो वे अराजकीय कानून न होकर नैतिक नियमों की श्रेणी में गिने जाते हैं।

4 कानून और नैतिकता

प्रारम्भिक समाज में कानून और नैतिकता का भेद स्पष्ट न था। उदाहरण के लिए, प्राचीन भारतवर्ष में 'धर्म' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें नैतिकता और कानून दोनों की ही कुछ कुछ भावनाएँ आ जाती हैं। इसी प्रकार अन्य प्राचीन समाजों में भी प्रथाओं और परम्पराओं के द्वारा मनुष्यों के सामाजिक आचरण नियंत्रित होते थे। राज्य की उत्पत्ति के पश्चात् धीरे-धीरे कानून और नैतिकता में प्रभेद हो गया, और अब इन दोनों में काफी अन्तर आ गया है इन दोनों के क्षेत्र, विषय और अनुशास्ति में अनेक भेद हैं जिनका नीचे हम सविस्तार विवरण देंगे।

क्षेत्र और विषय वस्तु में अन्तर—कानून का संबंध मनुष्यों के बाह्य आचरण से है। कानून यह स्वीकार करता है कि मनुष्य की भावनाओं के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उससे आंतरिक विचारों का ज्ञान सम्भव नहीं है। दूसरी ओर, नैतिकता का मनुष्य की अंतरात्मा से संबंध है। वह उस के अन्तःकरण को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून नैतिकता निर्धारित नहीं कर सकता। नैतिकता का संबंध व्यक्तियों की उचित और अनुचित की भावना से है। अतएव, नैतिकता का क्षेत्र

1 M. A. Kaplan and Katzenbach, "Law in the International Community" in *Legal and Political Problems of World Order*, मैक्मिलन द्वारा सम्पादित, न्यूयार्क, 1962, पृष्ठ 89-92

और कानून का क्षेत्र एक नहीं हो सकता। दूसरे, कानून वस्तुनिष्ठ होता है। बुद्धो विल्सन के अनुसार कानून स्थापित विचारों और आदतों का ऐसा भाग है जिसे विशिष्ट और औपचारिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है और जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है। अतः कानून निश्चयात्मक होता है। इसके विपरीत नैतिकता आत्मनिष्ठ होती है और इसलिए बहुत कुछ अनिश्चित होती है। तीसरे, कानून कालोचित होता है। कानून ऐसे अनेक कार्यों को जो अनैतिक नहीं हैं, अपराध घोषित कर देता है क्योंकि इस प्रकार के कार्यों का लोचन नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि एक साइकिल सवार रात के समय बिना प्रकाश के यात्रा करता है तो इस कार्य को अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता किन्तु जनहित की दृष्टि से यह आपत्तिजनक है और ऐसा करने से टक्कर हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए कानून इसे अपराध घोषित करता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार, कानून वे अनुमार्ग कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो 'पाप' की श्रेणी में नहीं आते। वे अपराध इसलिए हैं कि वे कानून के विरुद्ध हैं, इसलिए नहीं कि वे अनैतिक हैं। दूसरी ओर, कानूनी अधिकार में नैतिक औचित्य का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, भारतीय दण्ड-विधान के अनुसार एक व्यक्ति उधार दिया हुआ रुपया तीन वर्ष की अवधि बीत जाने पर कानूनन वापिस नहीं ले सकता। किन्तु नैतिकता की यह मांग है कि आपका जो लेना-देना है, उसकी आप भरपाई करें।

अनुशास्ति में अन्तर—कानून का पालन दण्ड के भय से भी होता है। अर्थात् उसकी एक बाह्य अनुशास्ति होती है। जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है, लोकमत के अतिरिक्त इसकी कोई बाह्य अनुशास्ति नहीं होती। वस्तुन नैतिकता का सार ही यह है कि बाहर से उसे लादा नहीं जा सकता। अतः यद्यपि राज्य सविद्या के भय किए जाने पर दण्ड दे सकता है वह आदमी के झूठ बोलने-मात्र पर दण्ड नहीं देता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी के उदार व्यवहार के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करता अथवा अवारण किसी पर नाराज हो जाता है, तो इन कारणों से कानून उसे दण्ड नहीं दे सकता। हाँ, यदि एक व्यक्ति किसी की जान से मार दे तो कानून अवश्य उसको दण्ड देगा।

घनिष्ठ सन्ध—इस प्रश्न के होने पर भी कानून और नैतिकता का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जैसा कि हम कह चुके हैं, भारत, मिस्र और यूनान आदि प्राचीन देशों में नैतिकता और धर्म की विभाजक रेखा अस्पष्ट थी। यूरोप में रोम ने सर्वप्रथम कानून और नैतिकता का स्पष्ट भेद किया, किन्तु आधुनिक लोकतन्त्रीय युग में यह फिर एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। अतः यह स्वीकार किया जाता है कि कानून केवल सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ताधारी का आदेश मान नहीं

होता। समाज की 'नैतिक चेतना' से उसे समर्थन मिलना चाहिए। यदि उसका उद्देश्य 'सामाजिक हित' न होगा तो इसका आदर होना कठिन होगा। यदि कानून समाज की नैतिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते, तो उनके पालन में भी अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। तथापि नैतिक दायित्वों और कानूनी कर्तव्यों में अन्तर है और रहेगा। समस्त नैतिक दायित्वों को कानूनी रूप देने के प्रयास में नैतिकता की इतिश्री हो जाएगी¹। कानून हमारी दृष्टि में न्यायपूर्ण हों अथवा अन्यायपूर्ण, स्वतंत्रता के पोषक हो अथवा उसे नष्ट करने वाला, हम उनका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं²। सिजविक के अनुसार, दमनकारी कानूनों का भी हमें पालन करना होता है, यद्यपि हम उसे बदलने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं³।

ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो कानून कुछ वर्षों तक चालू रहते हैं वे धीरे-धीरे एक नया नैतिक वातावरण उत्पन्न कर लेते हैं और इस प्रकार अर्थ और अनैतिक कार्यों का भेद कभी कभी लुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी देश में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून बनता है, जो पहले बच्चे को अपने घर बँटाए रखना केवल एक कानूनी अपराध होता है लेकिन धीरे-धीरे ऐसा करना असामाजिक माना जाने लगता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। राज्य और कानून दोनों ही लोकमत पर प्रभाव डालते रहते हैं और वे समाज की नैतिक प्रगति के घोटक होते हैं।

कानून और लोकमत—कानून और लोकमत का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। आधुनिक युग में कानून सामान्यतः विधानाग द्वारा बनाया जाता है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधिक सभाएँ लोकमत के अनुसार कानून बनाती हैं। यदि जनता किसी नए कानून को बनाने अथवा पुराने कानून को रद्द करने की माँग करे, तो ऐसी माँग को अधिक समय तक ठुकराया नहीं जा सकता। जनता के प्रतिनिधि यह जानते हैं कि थोड़े समय के बाद उन्हें फिर जनता के समक्ष चुनावों के लिए अपने को उपस्थित करना होगा। अतएव, यदि वे लोकमत का समुचित आदर नहीं करेंगे, तो उनके निर्वाचित होने के अवसर भी अपेक्षाकृत कम हो जाएँगे। वस्तुतः कोई भी चुनी हुई सत्ता लोकमत का निरादर नहीं कर सकती। जो कानून लोकमत के अनुबन्ध नहीं होते उन्हें लागू करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जनता के हित अथवा उनकी भावनाओं का

1 मैरीर. उपर्युक्त प्रव, पृष्ठ 157.

2 वही, पृष्ठ 253.

3 उपर्युक्त प्रव, पृष्ठ 23.

आदर करना राज्य का कर्तव्य है। यदि सरकार इनकी उपेक्षा करके कानून बनाती है तो वह अपनी लोकप्रियता खो बैठती है। इस प्रकार, कानून और लोकमत का घनिष्ठ संबंध है।

5. प्राकृत कानून या प्राकृतिक नियम

एक और प्रकार के कानून की चर्चा राजनीतिक साहित्य में होती रही है जिसे लेखकों ने 'प्राकृत कानून' अथवा 'प्राकृतिक नियम' की संज्ञाएँ दी हैं। इस विचार का जन्म प्राचीन यूनान में हुआ। सोपीकलीज के अनुसार कुछ ऐसे अलिखित कानून हैं जो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं¹। अरस्तू की सृष्टि के उपरांत निम्न विचारधाराओं प्राचीन यूनान में जोर पकड़ा उनमें एक 'स्टोइक' विचारधारा भी है। इस विचारधारा के अनुयायियों के अनुसार विश्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो प्रकृति, जीव और मनुष्य सभी पर समान रूप से लागू होने हैं। उन्होंने ऐसे सर्वव्यापी और सर्वकालीन नियमों की खोज की और उन्हें 'प्राकृतिक नियम' की संज्ञा दी। उनका विश्वास था कि सफल विश्व ऐसे ही व्यापक बुनियादी नियमों से बधा हुआ है। स्टोइक के अनुसार, ये नियम विवेक पर आधारित होते हैं और उन्हें देवी भी कहा जा सकता है, अथवा यों कहिए कि मनुष्यों द्वारा बुद्धि के माध्यम से ऐसे नियमों का पता लगाया जा सकता है²। आग चलकर अथ मध्यकालीन और आधुनिक लेखकों ने 'प्राकृतिक नियम' के संबंध में अपनी-अपनी व्याख्याएँ दी।

प्राकृतिक नियम की धारणा से सम्भवतः विद्वानों का उद्देश्य कुछ ऐसे आदर्श नियम बनाने का था जो व्यावहारिक जीवन में लागू किए जा सकें। वे इनके आधार पर राजकीय नियमों की आलोचना कर उनमें सुधार करना चाहते थे। उनका उद्देश्य चाह जो भी रहा हो, इस विचार ने राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण काम किया, अर्थात् 'यथार्थ' से हटकर 'आदर्श' की ओर हमारा ध्यान दिनाया। प्राकृतिक नियम मनुष्य की प्रगति, नैतिकता, न्याय अथवा विवेक— इनमें से किसी पर भी आधारित किए जा सकते हैं। एक लम्बे समय तक लेखकों की यह धारणा रही कि ये नियम निश्चित और अटन होते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किन्तु प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक बीको (1668-1744 ई०) ने यह विचार प्रस्तुत किया कि ये नियम भी, सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ, परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात् समय की गति के साथ उनके स्वरूप और

1 T. A. Sinclair, *A History of Greek Political Thought*, सन् 1959, पृष्ठ 49.

2 मेगारन का उपपंथन ग्रंथ, पृष्ठ 135-36, 148

विषय-वस्तु भी बदलती रहती हैं। इस प्रकार वीको ने प्राकृतिक नियमों की एक विकासवादी व्याख्या प्रस्तुत की। इसके महत्त्व की चर्चा करते हुए सेब्राइन ने कहा है कि यह नियम कानून में आदर्शात्मक तत्त्वों को स्थान देने का प्रयत्न करता है। यही नहीं, इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और उन्नति में भी बहुत सहायता दी है¹।

6 सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि

'अंतर्राष्ट्रीय विधि' अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इनसे हमारा अभिप्राय उन मान्य सिद्धांतों और नियमों से है जिनका राज्य पारस्परिक संबंधों में पालन करते हैं उदाहरण के लिए 'राजदूतों के प्रति व्यवहार' एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में प्राचीन युग में भी कुछ मान्यताएँ थीं। चाहे राज्यों के आपसी संबंध सघर्षमय हो अथवा सहकारिता पर स्थापित किंतु कुछ ऐसे नियमों का होना आवश्यक है जिनके अनुसार वे कार्य करें। इस प्रकार सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि (Public International Law) का विषय राज्य होते हैं, व्यक्ति नहीं। यद्यपि इस प्रकार के कानून प्राचीन भारत, मिस्र, चीन आदि देशों में भी प्रचलित थे, तथापि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म यूरोप में हुआ है²। इनकी आवश्यकता का अनुभव उस समय हुआ जब राज्यों में वाणिज्य और व्यापार बढ़ने लगा। ये ऐसे नैतिक नियमों के रूप में थे, जिनको लागू करने के लिए कोई सत्ता नहीं, तथापि फ्रांसिस्को विटोरिया (1480-1546 ई०), अयाला (1548-1584 ई०), जैटायल (1552-1608 ई०) और सुएरेज़ आदि विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि ये नियम विवेक पर आधारित हैं और इन्हें सभी राज्यों को मान्यता देनी चाहिए। हॉलंड-निवासी ह्यूगो ग्रीशस (1583-1645 ई०) ने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव मुहृद की और अपने ग्रंथ में उन सिद्धांतों और धारणाओं का निरूपण किया जिन पर यह कानून आधारित है।

अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत दो हैं प्रथाएँ, और संधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मतानुसार एक तीसरा स्रोत भी बताया जा सकता है अर्थात् सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य सिद्धांत। इनके अतिरिक्त विद्वान् विधिशालिन्सियों की टीकाएँ और ग्रंथ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं।

प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून वस्तुतः कानून हैं अथवा नैतिक नियम मात्र। आस्टिन जैसे विधि-शास्त्री 'अंतर्राष्ट्रीय कानून' शब्द के प्रयोग से हिचकते हैं। उनके अनुसार, जो नियम आदेश के रूप

¹ वही, पृ 364.

² द्रि. Y. A. Korovin, *International Law*, मास्को, पृ 27.

में नहीं हैं, और जिन्हें कोई सामान्य सत्ता लागू नहीं करती, उन्हें कानून कहना अनुचित है। इसी प्रकार अन्य विधिशास्त्रियों ने भी कहा है कि इन कानूनों के भंग होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, इस कानून की विषय-वस्तु के संबंध में भी मतभेद नहीं हैं और अभी तक एक सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून सहिता नहीं बन सकी। इसके विपरीत ऐतिहासिक विचारधारा के विधि-शास्त्रियों का विश्वास है कि कानून के लिए आदेश का रूप लेना आवश्यक नहीं है और कानून की सच्ची बसोटी उसकी मान्यता और उसका पालन किया जाना है। उसे मनवाने के लिए पारंपरिक बल भी आवश्यक नहीं है। प्रायः एक नैतिक अनुशास्ति दृश्य होती है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी 'कानून' की सत्ता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि यह मान भी लिया जाए कि इसका उल्लंघन होता है तो हमें यह न भूलना चाहिए कि अनेक राजकीय कानूनों का भी उल्लंघन होता रहता है और इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे कानून नहीं हैं। कभी-कभी यह तर्क भी उपस्थित किया गया है कि राज्य किसी ऐसे सामान्य न्यायालय की सत्ता स्वीकार नहीं करते जिनके सम्मुख वे अपने आपसी झगड़े निर्णय के लिए प्रस्तुत करें और जिसका निर्णय वे स्वेच्छा से स्वीकार कर लें। कुछ अर्थों में यह बात ठीक है, फिर भी अब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े इसके सम्मुख प्रस्तुत किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम यह सकते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल नैतिक नियमों का संग्रह मात्र नहीं रह गया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कानून सर्वांगपूर्ण नहीं है तथापि यह बात तो अनेक कानूनी व्यवस्थाओं के संबंध में कही जा सकती है। गेंटिल के कथनानुसार, 'यद्यपि एक अपूर्ण रूप से सगठित राजनीति जगत् में यह एक अविकसित और अपूर्ण कानूनी व्यवस्था है, तथापि इसके नियम कानून की सामाजिक निकट पहुँच चुके हैं और इसे एक नैतिक सहिता समझने के स्थान पर विधिशास्त्र की एक व्यवस्था कहना अधिक सगत होगा।

नागरिकता, स्वतंत्रता और समानता

स्वतंत्रता की अनेक परिभाषाओं और व्याख्याओं का होना एक ऐसे विषय पर लोगों में मानसिक उलझन का सूचक है जिसके लिए भाषा-वेश में आकर वे मृत्यु का आवाहन करने को उद्यत रहते हैं। तथापि इसमें संभव है वे इतनी कम स्पष्टता से सोचते हैं, और उनमें तार्किक निश्चय की इतनी कमी है कि वे यह भी ठीक से नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है ?

—जाजं० ई० गार्डन कंटलिन

1. नागरिकता

राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की भलाई की ओर ध्यान देना है। आज के लोक-तंत्रीय युग में, राज्य के सदस्यों को 'नागरिक' कहा जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, नागरिकता का अभिप्राय 'नगर के निवासियों' से है। किंतु अब इस शब्द का प्रयोग उन सभी देशवासियों के लिए किया जाता है जो राज्य की सदस्यता और उससे प्राप्त सुविधाओं का उपभोग करते हैं तथा उसके प्रति अनुरक्त होते हैं, फिर चाहे वे गाँव में रहते हों अथवा नगरों में। प्राचीन काल में राजनीतिक अधिकार-प्राप्त निवासियों की संख्या केवल अभिजात वर्ग तक ही सीमित थी, जबकि वर्तमान लोकतंत्रीय युग में यह अधिकार सभी वयस्क राज्य के निवासीयों को प्राप्त हो गया है। इस समय में बहिष्कृत देशों में कुछ नियन्त्रण भी है, जैसा कि यूनिवर्सल डेफेंस अधीन में अधीन और एशिया के देशवासियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। किंतु ये कुछ गिने-चुने अपवाद हैं। कुछ राज्यों में नारियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। किंतु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया और धीरे-धीरे

उन्हें पुरुषो के समान अधिकार प्राप्त होते जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की सीमाएँ धीरे धीरे विस्तृत होती जा रही हैं।

'नागरिक' शब्द के सहस्र एक अन्य शब्द 'राष्ट्रिक' (national) भी है जो राज्य की सदस्यता का द्योतक होता है। इन दो शब्दों के रहने का एक लाभ यह है कि नागरिक शब्द का प्रयोग हम राजनीतिक और दार्शनिक अर्थ में कर सकते हैं। स्मरण रहे कि एक देश में रहने वाले सभी व्यक्ति उसके राष्ट्रिक नहीं होते। उसमें विदेशी भी रहते हैं जिनकी अनुरक्ति राज्य के प्रति नहीं होती। प्रत्येक मतदाता भी आवश्यक रूप से नागरिक नहीं होता। स्विटजरलैंड के कुछ कैंटनों में और सोवियत संघ में काम में लगे हुए विदेशियों अथवा अनागरिकों को भी प्रायः मतदान का अधिकार दे दिया जाता है।

नागरिक की परिभाषा—अरस्तू के अनुसार, नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राज्य के विचार-विमर्श और पदाधिकारियों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। प्राचीन यूनान में शायतन के कार्यों में सक्रिय भाग लेना नागरिकता के लिए आवश्यक माना जाता था। अतएव, दासता, नारियों, श्रमिकों आदि को नागरिक नहीं माना जाता था। किंतु आधुनिक समाजों में प्रतिनिधिक सरकारें बन गई हैं जिनमें नागरिकों के अधिकार अपेक्षाकृत सीमित होकर केवल इतने रह गए हैं कि वे समय-समय पर मतदान कर सकते हैं और योगदानानुसार किसी पद के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वेंटिल के अनुसार, 'नागरिक' राज्य के वे सदस्य हैं, जिनके कुछ वर्तव्य है, जो उसकी सत्ता के अंतर्गत हैं और उससे प्राप्त लाभों में समान भागीदार हैं। श्री निवास शास्त्री के अनुसार, 'नागरिक राज्य के वे सदस्य हैं, जो उसके अंतर्गत अपने व्यक्तिगत वा पूर्ण विकास करने का प्रयत्न करते हैं और जिन्हें समुदाय के सर्वोत्कृष्ट नैतिक कल्याण के बारे में समझ है'। शास्त्री की परिभाषा में उन नागरिक गुणों का निर्देश है जिन्हें वह उत्तम नागरिकता के लिए आवश्यक मानते हैं।

नागरिकता—नागरिकता का अभिप्राय केवल यह नहीं है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हों और वह अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करे। उनमें सामुदायिक कल्याण के हित सावजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने की इच्छा भी होनी चाहिए। लास्की ने नागरिकता को 'सार्वजनिक हित में विवेकपूर्ण निर्णय का योगदान' कहा है। उसके मतानुसार विवेकशील नागरिक राज्य के सच्चे आधार होते हैं। कोई ऐसा समाज या राज्य, जिसके सदस्य अज्ञानी अथवा उदासीन हों, प्रगति नहीं कर सकता। बिना 'अनवरत जागरूकता' के सार्वजनिक पदाधिकारी और कर्मचारी ढीले और भ्रष्ट हो सकते हैं। अतएव, स्वतंत्रता व संरक्षण के लिए उसने सार्वत जागरूकता को आवश्यक बताया है।

अज्ञानी नागरिक लोकतन्त्र और स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं कर सकता। उन्हें ज्ञान अपनी हानि का पता लगेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी, और सुधारार्थक वायवाही के लिए अथक परिश्रम और लगन की आवश्यकता होगी। निष्क्रिय व्यक्ति उत्तम नागरिक नहीं हो सकता। जैसा कि विलियम वायड ने कहा है, सच्ची नागरिकता कर्त्तव्यों के समुचित पालन और उनके समन्वय में है। डॉ० बनी प्रसाद के अनुसार, सच्चा नागरिक जीवन सवव्यापी है। उसका सववध सभी देशों की जनता और सभी श्रेणियों के लोगों से है। व्हाइट के अनुसार उत्तम नागरिक में ऊँचे दर्जे का विवेक, ज्ञान, साहस और अनुरक्ति होनी चाहिए। साईं ब्राइस ने इनके अतिरिक्त अनुशासन और कर्त्तव्य पालन को भी उत्तम नागरिक के लिये आवश्यक बताया है। अन्य विद्वानों ने समय, सहिष्णुता, सहयोग, निष्पक्षता, आत्मत्याग और लोकसेवा की भावनाओं पर बल दिया है। उनके मतानुसार इन गुणों के अभाव में उत्तम नागरिकता सम्भव नहीं है।

नागरिकता एक सामाजिक प्रवृत्ति है। एक अच्छे व्यक्ति का उत्तम नागरिक होना आवश्यक नहीं है। एक सदाचारी व्यक्ति असामाजिक हो सकता है, और एक उत्तम नागरिक अपने व्यक्तिगत जीवन में दोषी हो सकता है। उत्तम नागरिक और सच्च दशभक्त में अंतर है। सच्चा देशभक्त हम एक ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो अपने देश के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहता है। वह इस बात पर कम विचार करता है कि उसके देश की नीति उचित है अथवा अनुचित। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दश के प्रति उसकी अनुरक्ति अथ श्रद्धा का रूप भी ले सकती है। किन्तु उत्तम नागरिक का दृष्टिकोण देश तक ही सीमित नहीं होता। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार करता है।

2 स्वतंत्रता

नागरिक कर्त्तव्यों का सुचारु रूप से पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों को उसके अनुकूल वातावरण मिले और यथेष्ट सुविधाएँ प्राप्त हों। यदि यह सत्य है कि बिना सत्ता के सामाजिक शांति और व्यवस्था नहीं रह सकती, तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि सत्ता द्वारा स्थापित इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध हो। स्वतंत्रता की भावना ने मनुष्य को हमेशा प्रभावित किया है तथापि जैसा कि एक विद्वान ने कहा है स्वतंत्रता एक ऐसी वस्तु है जिसको प्रेम के समान ही हम प्रत्येक दिन गए सिरे से विजित करना होता है।

'स्वतंत्रता' शब्द के अर्थ के संबंध में विचारकों में मतभेद नहीं है। हाइन

के अनुसार, स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध और नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। किंतु इस प्रकार की स्वच्छदता रोबिन्सन क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है जो एक निर्जन स्थान पर अपने साथी फ्राइडे के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। सम्य सम्राज्य में ऐसी स्वतंत्रता सम्भव नहीं है। वस्तुतः ऐसी स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए घातक हो सकती है।

स्वतंत्रता और प्रतिबन्ध—व्यक्तिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई मनमानी करे। सच तो यह है कि जहाँ कुछ व्यक्ति हिस-मिल कर एक साथ रहेंगे, प्रतिबन्ध आवश्यक होंगे। यदि समाज के हित में रोक न लगाई जाए, तो अराजकता स्थापित हो जाएगी। जैसा कि सास्की ने कहा है, 'प्रत्येक आचरण इस अर्थ में सामाजिक है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके परिणाम समाज के सदस्य होने के नाते मुझे भुगतने होते हैं ...' इस प्रकार स्वतंत्रता की प्रवृत्ति में ही प्रतिबन्ध है। क्योंकि जिन दूसरी स्वतंत्रताओं का मैं उपयोग कर रहा हूँ वे उस प्रकार की स्वतंत्रताएँ नहीं हैं जो मेरे साथ रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं को नष्ट करें... इसलिए स्वतंत्रताएँ वे अवसर हैं जिनमें इतिहास ने व्यवित्तत्व के विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताएँ बताया है'। अतएव, स्वतंत्रता और प्रतिबन्ध परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।

प्रत्येक प्रतिबन्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है। अनावश्यक प्रतिबन्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करते हैं। इसका आशय यह हुआ कि जो प्रतिबन्ध लगाए जाएँ वे ऐसे हों जो सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दृष्टि से आवश्यक हों। जैसा कि सास्की ने कहा है, 'स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि निषेध उन्हीं लोगों की सम्मति के अनुसार लगाए जाएँ जिन पर उनका प्रभाव पड़ेगा'... स्वतंत्रता पर आक्रमण तभी होता है जब प्रतिबन्ध इस प्रकार के हों कि वे मनोवैश्या के उस सामाजिक को नष्ट करें जो अभीष्ट कार्य करने से प्राप्त होता है। प्रतिबन्ध उस समय असत् प्रतीत होते हैं जब वे आत्मिक समृद्धि से पूर्ण जीवन को नष्ट करते हों। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है नैतिक उत्कर्ष में सहायता देने वाली वस्तुओं में अपने प्रयासों और पहल (उपश्रम) के लिए स्थान। इनका सीमित करने वाले प्रतिबन्धों की व्यवस्था ही हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करती है, और यह आवश्यक है कि हमारी पहल करने की शक्ति अविच्छन्न रहे²।

अभाववादी मत—कुछ व्यक्तिवादियों के अनुसार, नागरिकों को ऐसे

1 सास्की, उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 142-143.

2 वही, पृष्ठ 143.

सभी कार्य करने की छूट होनी चाहिए जो दूसरों को हानि नहीं पहुँचाते अथवा उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसी दृष्टि से व्यक्ति के कार्यों को दो वर्गों में बाँटा : (1) व्यक्तिगत कार्य और (2) सामाजिक कार्य। उसका कहना था कि जहाँ तक ऐसे कार्यों का प्रश्न है जिनका प्रभाव या परिणाम केवल व्यक्ति पर होता है, नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। किंतु व्यक्ति के सामाजिक कार्यों पर राज्य आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है¹। ऊपर से देखने में मिल का मत न्यायसंगत प्रतीत होता है, किंतु यथाथं बात यह है कि बहुत कम कार्य ऐसे हैं जो पूर्णतः व्यक्तिगत होने हैं। अतएव, मिल के इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भावात्मक मत—अनेक विद्वान् उपर्युक्त विचारों को स्वीकार नहीं करते। स्पिनोजा के अनुसार, सच्ची स्वतंत्रता विवेक के अनुसार कार्य करने में है। माटेस्कुयु के अनुसार, स्वतंत्रता का अभिप्राय ऐसे काम करने की छूट है जो मनुष्योचित हो। रूसो और ग्रीन ने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता 'सामान्य इच्छा' के अनुसार कार्य करने में है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता तभी सम्भव हो सकती है जब व्यक्तिस्व के विकास के लिए आवश्यक सुअवसर प्राप्त हो। लास्की के अनुसार 'स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय ऐसा वातावरण बनाए रखने का आग्रह है जिसमें अपने पूर्ण विकास के लिए आवश्यक सुअवसर मिल सकें'²। आगे चलकर लास्की कहते हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि बिना अधिकारों के व्यक्ति ऐसे कानूनों के अधीन होता है जिनका उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्नेस्ट साकरने भी मिल को 'खोखली स्वतंत्रता का पेंगम्बर' कहा है। उनके अनुसार, मिल ने उन अधिकारों की व्याख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जिनके बिना स्वतंत्रता सार्थक नहीं हो सकती³। अतः यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता अधिकारों की उपज है और बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती।

3 स्वतंत्रता, सत्ता और कानून

कुछ लोगो का विचार है कि राजनीतिक सत्ता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। उनके अनुसार प्रभुसत्ता असीम होती है जबकि स्वतंत्रता पर कोई अकुश

¹ उपर्युक्त पृथ, पृष्ठ 132.

² वही, पृष्ठ 142.

³ उपर्युक्त पंथ, पृष्ठ 10.

नहीं होने चाहिए। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते। किंतु यह विचार ठीक नहीं है। हम यह देख चुके हैं कि जहाँ कुछ व्यक्ति मिलकर रहते हैं वहाँ सामाजिक जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे कुछ नियमों का पालन करें। बिना नियमों के संगठित सामाजिक जीवन असम्भव है। अराजकवादी भी यह स्वीकार करते हैं कि एक राज्यविहीन समाज में भी सत्ता की आवश्यकता होगी। उनको धारणा यह है कि यह सत्ता बलप्रयोग पर आधारित न होकर सहमति पर निर्भर होगी। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता और नियमों का होना स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक नहीं होता। तथापि, सत्ता निरकुश हो सकती है और कानून भी लोकहित विरोधी हो सकते हैं। इसका आशय यह हुआ कि सभी प्रकार की सत्ताएँ और सभी प्रकार के कानून स्वतंत्रता के पोषक नहीं होते। किंतु एक लोकतंत्रीय शासन में यह आशा की जाती है कि उसकी सत्ता और कानून लोकमत के अनुकूल होंगे और उनका उपयोग लोकहित की दृष्टि से होगा।

प्रभुसत्ता का विश्लेषण करते समय हम यह देख चुके हैं कि वह असीमित नहीं होती। उसके ऊपर कुछ नैतिक और यथार्थ अकुश होते हैं; अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें राज्यसत्ता अनुचित समझकर नहीं करती। राज्य को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसके कार्य जनहित में हों और नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों। हम यह भी देख चुके हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय स्वच्छन्दता नहीं होता। स्वतंत्रता की प्रकृति में ही प्रतिबंध हैं और इनकी आवश्यकता इसलिए है कि अन्य नागरिकों को भी समान अक्सर प्राप्त हो सकें और समाज हित के विरुद्ध कोई आचरण न करे। इनके यह स्पष्ट हो जाता है कि एक लोकतंत्रीय शासन में स्वतंत्रता और सत्ता परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक होती हैं और इन दोनों में कोई अतविरोध नहीं है। तथापि गैटिस के मतानुसार, बिना स्वतंत्रता के प्रभुसत्ता निरकुश बन जाती है और बिना सत्ता के स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है। तब के अनुसार, स्वतंत्रता के पूर्ण उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि प्रभुसत्ता निश्चित नियमों की घोषणा करे और उन्हें लागू करे। उससे मतानुसार, कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हाकिम के अनुसार, व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतनी ही अधिक उस सत्ता की आधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तास्वी के बयानानुसार, स्वतंत्रता पर लगे हुए अकुश मनुष्य के मुँह में घुँदिल करते हैं, उसे घटाने नहीं। राज्य जो विभिन्न दीवानी और पौजदारी कानून बनाता है, वे हमारी स्वाधीनता को नष्ट नहीं करते, बल्कि उनके माध्यम से हम बिना रोक-टोक के पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कर पाते हैं। रिशी के अनुसार,

कानून आत्म-विकास के सुअवसर के रूप में स्वतंत्रता को सम्भव बनाते हैं और सत्ता के अभाव में इस प्रकार की स्वतंत्रता सम्भव नहीं हो सकती¹। ग्रीन के अनुसार, कई आधुनिक कानून हमारे सविदा के अधिकार को सीमित करते हैं। किंतु उनका उद्देश्य ऐसी दशाएँ स्थापित करना होता है जिनमें व्यक्ति के समस्त गुणों का पूर्ण विकास हो सके। इसका आशय यह हुआ कि यद्यपि स्वतंत्रता के उपभोग के लिए नियंत्रण आवश्यक हैं। यह वह मूल्य है जो स्वतंत्रता के उपभोग के लिए हमें चुकाना पड़ता है।

कानून स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। किंतु ऐसे कानून भी हो सकते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर बंधन लगाएँ। उदाहरण के लिए प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारत सरकार द्वारा बनाया गया रोलट ऐक्ट हमारे नागरिक अधिकारों का अपहरण करने वाला था और उसके विरोध में लोगों को जलियावाला कांड जैसी यातनाएँ सहनी पड़ी। कहने का अभिप्राय यह है कि कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध सामाजिक हित की दृष्टि से आवश्यक होने चाहिए और वे सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। तभी नागरिक यह अनुभव कर सकेंगे कि कानून उन पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं लगाते बल्कि उनका सच्चा हित-साधन करते हैं, और ऐसे कानूनों का पालन करना उनके हित में है। रूसी के मतानुसार, 'स्वयनिर्मित कानूनों के पालन में ही सच्ची स्वतंत्रता निहित है'। लास्की के कथनानुसार, केवल वे नियंत्रण स्वतंत्रता के बाधक होने हैं जो हमारी पहचान करने की क्षमता पर रोक लगाते हैं और हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालते हैं²। कहने का आशय यह है कि जब कानून हमारी आत्मिक उन्नति में बाधक होते हैं, तो हम उन्हें बुरे कानून कह सकते हैं। कानूनों द्वारा राज्य यह निश्चित करता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो? उस सीमा को मानने पर सत्ता हस्तक्षेप नहीं करती और यदि कोई अन्य व्यक्ति उसकी इस नियंत्रित स्वतंत्रता में रोड़ा अटकाते हैं, तो राज्य उन्हें दंड देता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य कानूनों द्वारा नागरिकों के अधिकार और बर्तव्यों को एक व्यवस्था करता है जिससे स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। कानून ग्रीन प्रकार से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। प्रथम, यह स्पष्ट करके कि व्यक्तियों के वे अधिकार-क्षेत्र क्या हैं जिसके अंतर्गत वे बिना किसी के हस्तक्षेप के अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। दूसरे, अधिकारों की सीमा को स्थिर कर, राज्य सभी नागरिकों की समान स्वतंत्रता का संरक्षण करता है जिससे सभी व्यक्ति नागरिक अधिकारों का पूरा उपभोग कर सकें। तीसरे, कानून यह भी स्पष्ट

1 *National Rights*, 2nd Edition, न्यूयार्क, पृष्ठ 139-140.

2 उपर्युक्त प्रथम, पृष्ठ 143.

वर देते हैं कि अन्य नागरिकों के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करने पर, अर्थात् अपनी अधिकार-सीमा से बाहर जाने पर, राज्य दंड देगा। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को कानूनो द्वारा दूर करने का प्रयत्न करता है। यदि कानून न हो तो न केवल नागरिकों की स्वतंत्रता सतरे में पड़ जाए, बल्कि व्यक्तियों की जीवन-रक्षा भी संदिग्ध हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनमानी करने लगे, शक्ति का बोल-बाला हो, बराबर भगड़े चलते रहें, और चारों ओर असाति एवं अराजकता फैल जाए। कानून सामाजिक जीवन को नियमित कर शान्ति और व्यवस्था स्थापित करते हैं और इस प्रकार स्वतंत्रता को सम्भव बनाते हैं। एक मामूली उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्येक नागरिक यह चाहता है कि उसे राज-मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता हो पर इस संबंध में यदि कोई निश्चित नियम न हो और प्रत्येक मनुष्य मनमानी दिशा में चले तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति दुर्घटनाओं में जान से हाथ धो बैठेंगे। राज्य एक साधारण-सा 'बाईं ओर चलो' का नियम बनाकर इन कठिनाइयों से बच जाता है और इस छोटे से नियम को मानने से सभी नागरिकों को मार्ग पर सुगमता-पूर्वक चलने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह बिना रोकटोक भाषण दे सकता है और अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। किंतु यदि उसका साथ यह नियम न हो कि जो व्यक्ति अशिष्ट भाषण देगा और दूसरों की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाएँगे उन्हें दंड मिलेगा, तो प्रतिदिन लोग गाली-गलौज और फिर मार-पीट बरत दिलाई दें। इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए सामाजिक अनुशासन का मानना आवश्यक है।

अब समस्या यह है कि स्वतंत्रता और सत्ता (तथा कानून) में किस प्रकार समन्वय किया जाए? लोकतंत्रीय शासन में इसका समाधान बहुत सरल है, कपानु जनसाधारण को राजनीतिक अधिकार दे दिए जाएँ और जनप्रतिनिधियों द्वारा कानून का निर्माण हो। इस दशाओं में साधारण सत्ता और स्वतंत्रता में कोई विरोध नहीं रहना चाहिए। तथापि जैसा कि तास्की ने कहा है, स्वतंत्रता के पूर्ण उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के कुछ माध्यम हो। उसके मतानुसार, सबसे अच्छा साधन यही है कि शक्ति का व्यापक वितरण हो जिससे कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह निरनुग्रह न बन सके। अतएव, आशुवादिशा की इस स्यासना को प्रत्येक स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कानून व्यक्ति की 'अपार्य दृष्टि' के प्रतीक होते हैं

अथवा वे उसे सच्ची आत्मिक और नैतिक स्वतंत्रता दिलाते हैं। स्पष्ट है कि वे विचार सोवतंत्रीय समाज के अतिरिक्त अन्य किसी शासन पर लागू नहीं हो सकते और, जैसा कि लास्की ने स्वयं कहा है सोवतंत्रीय शासन में भी इस बात की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब कभी सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे अथवा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर ध्यान न दे, तो उसे वर्तमान-पाला के लिए बाध्य किया जा सके।

4 स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बातें

हम देख चुके हैं कि भावात्मक अर्थ में स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति ऐसे कार्य कर सके जो मनुष्योक्ति हो। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की सरकारी सत्ता और अथ नागरिकों के हस्तक्षेप से रक्षा करता है, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों की सत्ता की व्याख्या करता है और इस प्रकार उनकी सीमाएँ निर्धारित करता है जिनका उल्लंघन करने पर नागरिक न्यायालय की सहायता से सवते हैं और ऐसे सरकारी कार्यों को अवैध घोषित करा सकते हैं। लास्की के कथनानुसार, स्वतंत्रता उस समय तक वास्तविक नहीं होती जब तक सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सके और नागरिक अधिकारों का अपहरण होने पर तुरत जवाबदेही न हो सके। अतः स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की जाए और उन्हें संविधान में स्थान दिया जाए जिससे उन्हें पूरा कानूनी सुरक्षण प्राप्त हो सके।

स्वतंत्रता के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य 'विधि शासन' (Rule of Law) को मान्यता दे। विधि शासन से हमारा अभिप्राय यह है कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान होने चाहिए और उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के किसी अंग को विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए और सबको समान अवसर मिलने चाहिए। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सत्ताधारियों और सत्ता के अधीन व्यक्तियों पर समान कानून लागू होने चाहिए। इतना ही नहीं, राज्य के कार्य भी निष्पक्ष होने चाहिए।

स्वतंत्रता के उपभोग के लिए यह भी आवश्यक है कि वार्शन और न्यायालय पूर्ण हो और राज्य में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्याय विभाग हो। माटेस्वयु ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए उसे स्वतंत्रता के सुरक्षण के लिए आव-

एक बताया था। इस सिद्धांत के सबंध में विचारकों में मले ही बितने मतभेद हो किंतु वे इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि हमारे न्यायालय पूरी तरह स्वाधीन होने चाहिए। उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, जिससे उनके स्वतंत्रतापूर्वक और निष्पक्षता से निर्णय करने में कोई बाधा उपस्थित हो। यदि नागरिकों को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है।

सास्की के मतानुसार, स्वतंत्रता के पोषण के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों की सामान्य आवश्यकताएँ पूरी होती रहे। उन्हें भूख, बेकारी, रोग, अक्षिणा आदि के भय से मुक्त होना चाहिए। समाज में धन का वितरण इतना विषम नहीं होना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों के पास अपार धन-राशि हो और बहुत से लोग दो रोटी तक के लिए सरसते रहे। सास्की का कहना है कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय आय इतनी कम है कि जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती तो इस अभाव का सभी पर समान रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए¹। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ऐश्वर्य का जीवन बिताएँ और अन्य लोग भुखमरी के शिकार हों। यूरोप के अनेक देशों में नागरिकों के लिए एक 'न्यूनतम आय' (Economic Minimum) निर्धारित कर दी गई है और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो बेकार है इसे राज्य से पाने का हक्दार है। यह आय एक साधारण श्रेणी का जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त होती है। किंतु हमारा देश अभी आर्थिक विकास की उस अवस्था में नहीं पहुँचा है जब बेकारी और भुखमरी से हमें मुक्ति मिल सके और हम अपने नागरिकों को 'न्यूनतम आय' की गारंटी दे सकें।

स्वतंत्रता का सबसे बड़ा संरक्षण सार्वजनिक जागरूकता है। सास्की के मतानुसार, शाश्वत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि नागरिकों को स्वयं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और इसके लिए यदि संघर्ष करना पड़े तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सास्की के कथनानुसार, कानून से उतना संरक्षण प्राप्त नहीं होता जितना कि नागरिकों में स्याभिमान की भावना से प्राप्त होता है। यदि जनता में सत्ता के दुुरुपयोग के विरुद्ध आकाङ्क्षा उठाने का साहस है तो शासक-वर्ग सत्ता का दुुरुपयोग करने में हिचकिचाएगा। अतः नागरिकों को समस्त बाधाओं और बाधों को सहन करते हुए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बटिबद्ध होना चाहिए। अमरीकी प्रेसीडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टन के कथनानुसार, कोई देश तभी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है जब विरोध की भावना को सुरक्षित रखते हुए उसकी जनता समय-समय पर शासकों

को चेतावनी देती रहे। कहने का आशय यह है कि जनता की सतर्कता, दृढ़ता और साहस के बिना स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती।

5. स्वतंत्रता के भेद

स्वतंत्रता शब्द बहुत व्यापक अर्थवाला है और इसका प्रयोग विविध अर्थों में किया जाता है। अतएव, यह उचित प्रतीत होता है कि हम इसके विभिन्न अर्थों पर संक्षेप में विचार करें।

प्राकृतिक स्वतंत्रता—प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह किया जाता है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार की रोकथाम न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यक्ति स्वच्छंद हो। सामाजिक सविदा के सिद्धांत को मानने वाले विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को इसी प्रकार की 'प्राकृतिक स्वतंत्रता' प्राप्त थी। किंतु स्वतंत्रता की यह धारणा भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सगठित समाज में ही सम्भव है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि सत्ता और नियमों के अभाव में स्वतंत्रता सम्भव नहीं हो सकती।

समाज में स्वतंत्रता—सगठित समाज में व्यक्ति को तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है—व्यक्तिगत अथवा नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अथवा सार्वजनिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत अथवा नागरिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में विकास के सुअवसर प्राप्त हो और उसे कानूनो द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत अपनी इच्छानुसार काम करने की छूट हो। इसके अंतर्गत घूमने-फिरने की स्वतंत्रता, कानून की दृष्टि में बराबरी की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा, आदि आ जाते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रायः नागरिक और अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का आधार माना गया है। इसका आशय यह हुआ कि यदि व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है अथवा उन्हें इस संघ में पूरे संरक्षण नहीं मिले हैं, तो उन्हें अन्य किसी प्रकार की स्वतंत्रता मिलना दुर्लभ है।

राजनीतिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है कि नागरिकों को शासन के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की सुविधा हो। इसमें मतदान, निर्वाचन, और पदग्रहण आदि की स्वतंत्रता सम्मिलित है। लास्की के कथनानुसार, राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता की पूरक है। लोकतंत्रीय राज्य में इसका होना अनिवार्य है। एक अर्थ में इसका अभिप्राय स्वशासन अथवा स्वराज्य है। लास्की के मतानुसार, इस प्रकार की स्वतंत्रता यथार्थ बन सके इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम, सभी नागरिकों को शिक्षित होना चाहिए और राज्य

द्वारा सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षण के अवसर प्राप्त होने चाहिए। उनका कथन है कि हमारी वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था में एक भारी दोष यह है कि इसमें धनिकों के बच्चों को अधिकार जमाने की टेव पट्ट जाती है और गिर्नो के बच्चों को धनिकों के प्रति आदरभाव रखने की। इस प्रकार की व्यवस्था सभी राजनीतिक स्वतंत्रता को पापने नहीं देती। अतएव यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षण प्रणाली ऐसी हो कि वह हमें समानता, स्वतंत्रता, लोकतन्त्र, समान अवसर, और समाजवाद की भावनाओं से प्रेरित करे। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक बात यह है कि राज्य में लोगों को समान अधिकार उपलब्ध हो जायें जो आधार पर वे अपना मत निर्धारित कर सकें। यदि समाचारों को जान सूझ कर छोड़ा गरोडा जाएगा तो उसका परिणाम यह होगा कि लोगों में भांतिभांति उत्पन्न होगी और उनके मत भी समाज तन्त्रों पर आधारित होंगे। सारकी के अनुसार, जिन व्यक्तियों को विश्वस्त समाचार नहीं मिलते, उनकी स्वतंत्रता का आधार ही नहीं रहता, क्योंकि बिना समान अधिकारों के कोई निर्णय करना समत करने पर भटकने के समान है¹।

विरुद्ध दिनों से आर्थिक स्वतंत्रता पर विरोध जोर दिया जाने लगा है। कुछ समय पूर्व इसका अर्थ एकदम भिन्न था और आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह लगाया जाता था कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात् राज्य के नियंत्रण कम से कम हो। आर्थिक क्षेत्र में इस व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि हजारों धर्मिक बरबाद हो गए और वे निम्न कोटि का जीवन किताने के लिए बाध्य हो गए। बेकारी, भुगतारी, अज्ञानता, बीमारी आदि के समाज के निम्न और माध्यम वर्ग को तबाह कर दिया। धीरे-धीरे लोगों की आंखें खुलीं और वे आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। परिणामस्वरूप, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ही अब बदल गया है। सारकी के मतानुसार, आर्थिक स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के लिए काम मिले और उनकी कम से कम इतनी आय हो कि वे सुविधापूर्वक अपनी सभी आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा कर सकें², अर्थात् व्यक्ति को बेकारी और भुगतारी के भय से मुक्ति मिले। अब इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि एक बेकार अथवा निर्धन व्यक्ति सभी राजनीतिक स्वतंत्रता का अच्छा उपयोग नहीं कर सकता। अतएव, आर्थिक स्वतंत्रता के हिमायती एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं कि जिसमें सभी व्यक्तियों के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होवे पर ही किसी को ऐक-आराम

1 वही, पृष्ठ 147-48

2 वही, पृष्ठ 148-49,

के साधन मिल सकें। ऐसी स्थिति के अभाव में मनुष्य उन दासों से अच्छा नहीं होता जो खुले बाजार में बेचे और खरीदे जाते थे¹। आर्थिक स्वतंत्रता का एक दूसरा पहलू 'उद्योग में स्वशासन' है जिसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो। इस प्रकार के स्वशासन के अभाव में श्रमिक पूर्णतः धनिक वर्ग की कृपा पर निर्भर हो जाता है। उसे हमेशा बेकारी और मुसमरी का डर सताता रहता है जिनके कारण यह अपनी सृजनात्मक प्रवृत्तियों का समुचित उपयोग नहीं कर पाता। अतएव, यह स्पष्ट है कि सच्ची व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही यथेष्ट नहीं है, साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता—राष्ट्रीय स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र होने से है। जैसा कि लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज्य प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही किसी जनसमुदाय में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है वह स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लातायित हो जाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर सन् 1776 ई० में 13 अमेरिकी उप-निवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध बग़ावत का झंडा खड़ा किया और समुक्त राज्य (अमेरिका) की नींव डाली। इस प्रकार भारत में 15 अगस्त, सन् 1947 ई० को स्वाधीनता प्राप्त हुई। पिछले 20 वर्षों में लगभग 50 राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आधार के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता संभव नहीं है, क्योंकि स्वाधीन जनसमुदाय ही सच्ची नागरिक, राजनीतिक, और आर्थिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं।

6. समानता के भेद

स्वतंत्रता के साथ समानता भी अच्छे नागरिक जीवन के लिए आवश्यक है। समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय आदि के भेद के समान अधिकार प्राप्त हो। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी व्यक्ति सभी विषयों में समान होते हैं। समानता की यह धारणा भ्रांतिपूर्ण है। व्यक्तियों में पूर्णरूपेण समानता नहीं हो सकती। अस्तु के कथनानुसार, सभी व्यक्ति समान नहीं होते कुछ योग्य होते हैं और कुछ अयोग्य, कुछ दारौरीक रूप से बलवान होते हैं और कुछ निर्बल, कुछ व्यक्ति विद्वान हात हैं और कुछ नासमर्थ। इसी प्रकार के विचार अथवा विद्वानों ने भी प्रकट किए हैं। हिंदू समाज में जाति प्रथा असमानता पर आधारित है।

कुछ लोग जाति और रंग के आधार पर असमानता के सिद्धांत को सिद्ध करने का असफल प्रयत्न करते हैं। समानता के विरोध में एक लेखक ने कहा है कि यदि व्यक्तियों में बराबर सम्पत्ति बाँट दी जाए तो भी थोड़े ही समय में उनमें से कुछ व्यक्ति निर्धन हो जाएंगे और कुछ धनवान, क्योंकि सभी की योग्यताएँ और आवश्यकताएँ एक समान नहीं होती और न सभी परिवारों के सदस्यों की संख्या ही समान होती है। इस प्रकार अनेक विचारकों का कहना है कि व्यक्तियों की समानता की बातें करना निरर्थक है। जब एक पेड़ की दो पत्तियाँ तक एकसार नहीं होती, तब सभी मनुष्य कैसे समान हो सकते हैं? मनुष्यों की योग्यता, स्वभाव और रुचि में इतनी विभिन्नता पाई जाती है कि समानता का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं रह जाता।

यह ठीक है कि व्यक्तियों की रुचि और योग्यता एकसमान नहीं होती। यह भी ठीक है कि कुछ व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक कर्मठ, सहनशील और उदार होते हैं। इस प्रकार प्रकृति और प्रवृत्ति की विभिन्नताएँ व्यक्तियों में पाई जाती हैं। समानता से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम इन विभिन्नताओं को स्वीकार न करें, बल्कि यह है कि हम उन असमानताओं को दूर करने का भरसक प्रयत्न करें जो नैसर्गिक नहीं हैं और समान अवसर के अभाव में उत्पन्न हो गई हैं। यह बात सर्वविदित है कि हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं उनको प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता और उनका व्यक्तित्व पनपने के पड़ने ही मुरभा जाता है। हमारे समाज में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जिन्हें योग्यता होने पर भी सुविधाएँ नहीं मिलती, और जिनका उनके बिना समुचित विकास नहीं हो पाता। कभी कभी लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि सम्भवतः ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि अथवा योग्यता का अभाव है, किंतु डा० बेनीप्रसाद के मतानुसार, 'किसी समाज में मूर्खों और जड़बुद्धि वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश व्यक्ति अपनी योग्यता का परिचय देने की क्षमता रखते हैं। कभी केवल इस बात की है कि उन्हें उन्नति के सुअवसर नहीं मिलते'। आवश्यकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम उसके पूर्ण विकास के अवसर दें। यदि हम यह मानते हैं कि लोकतंत्रीय समाज में सभी व्यक्तियों को सुखी होने का अधिकार है तो हमें यह भी स्वीकार करना पडगा कि हमारे समाज में जो भी असमानताएँ हों, उनके दृश्य कारण हों। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को समाज में ऊँचा अथवा नीचा दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उसकी योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए।

सास्त्री के कथनानुसार, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि जब तक सभी नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न हो जाए तब तक किसी को विस्थापन अधिकार न मिले। उदाहरण के लिए, जब तक सभी नागरिकों को रहने के लिए घर नहीं मिलते, तब तक यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे महल हो जिनमें बीससौ कमरे हैं और बड़े बड़े बाग और बगीचे हैं, तो यह सरासर अत्याय है। इसी प्रकार जहाँ कुछ लोग भूसे रहते हैं वहाँ यदि कुछ व्यक्ति नाना प्रकार के व्यक्तियों को इतनी मात्रा में पाएँ कि उन्हें अजीब हो जाए, तो यह स्थिति व्यक्तिगत नहीं मानी जा सकती। अतः सास्त्री इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समानता बहुत कुछ 'समानुपात की एक समस्या' है। वे सभी वस्तुएँ जिनके बिना जीवन अर्थहीन बन जाता है, सभी को बिना भेदभाव के यथेष्ट मात्रा में मिलनी चाहिए। इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही किसी व्यक्ति की विशेष सुविधाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का वितरण काय कुशलता के आधार पर होना चाहिए। समाज में जो भी भेद हों वे इस आधार पर हो कि कौन समाज के हित में कितना योग देता है। यदि किसी समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो इस अपर्याप्तता में सभी को समान रूप से साझीदार होना चाहिए। सास्त्री ने समानता के लिए तीन प्रमुख आवश्यकताएँ बताई हैं— प्रथम, विशेष सुविधाओं का अभाव, द्वितीय, समान अवसरों का सुयोग, और तृतीय, सब की प्राथमिक आवश्यकताओं की सबसे पहले पूर्ति।

समानता के विभेद—घाइस के मतानुसार, समानता के चार विभेद हैं— नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और प्राकृत समानता। किंतु सास्त्री ने समानता के केवल दो विभेद बताएँ हैं, अर्थात् राजनीतिक और सामाजिक समानता। वार्डर के अनुसार, समानता के दो रूप हैं, अर्थात् धार्मिक और सामाजिक समानता। उसने सामाजिक समानता के अंतर्गत आर्थिक समानता को भी सम्मिलित कर लिया है।

नागरिक समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हों और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर माने जाएँ और 'विधि शासन' की व्यवस्था हो। राज्य में ऐसे कानून प्रचलित न हों जो किसी व्यक्ति समूह अथवा वर्ग के हितों का साधन करते हों अथवा उन्हें विस्थापन अधिकार देते हों। ऐसी स्थिति में 'समानता' नहीं हो सकती। राजनीतिक समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार

प्राप्त हो। ऐसी समानता के लिए लोकतन्त्रीय शासन और वयस्क मताधिकार आवश्यक हैं। सहस्रों वर्षों तक व्यक्ति को ऐसी समानता प्राप्त नहीं हुई। आज भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें रंग, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। सामाजिक समानता से हमारा अभिप्राय यह है कि कुल, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर न किसी को विशेष सुविधाएँ दी जाएँ और न कोई बचन लगाए जाएँ। इसका अन्वय यह हुआ कि दास प्रथा, बेगार, ऊँच-नीच के भाव, जाति प्रथा आदि सामाजिक असमानता के जो अवशेष हैं उनका अंत किए बिना सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती। यद्यपि हमारे संविधान के अंतर्गत छुआछूत और जाति-भेद के भेदभाव को अर्थघ घोषित कर दिया गया है, तथापि केवल कानून बनाने से सामाजिक समस्याएँ नहीं सुलझती। इनका समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और ऐसा तभी हो सकता है जब कि पिछड़े हुए लोगों की आर्थिक अवस्था में उन्नति हो। उपदेश देने से अथवा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध भाषण देने से केवल सीमित परिणाम निकल सकते हैं। शिक्षा के प्रसार और आर्थिक उन्नति से ही लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना और भारतीय जनता के सभी अंगों का समान रूप से सामाजिक समानता, एकता और प्रगति की ओर अप्रसर होना सम्भव है। आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय धन के समान वितरण अथवा आय की समानता से नहीं है। किंतु इसका तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम समस्त नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तत्पश्चात् यदि कुछ राष्ट्रीय बचत हो तो उसका वितरण सामाजिक हित में धनिक के योग के आधार पर किया जाए¹। तथापि, किसी व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होना चाहिए कि उसके बल पर वह अन्य व्यक्तियों को अपनी मुट्ठी में बरके उन पर अपना रौब डाल सके। लास्की के मतानुसार, जब तक औद्योगिक क्षेत्र में लोकतन्त्रीय सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता, तब तक पूँजीपतियों के अगुचित दबाव से लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। उसका बचन है कि सच्ची राजनीतिक समानता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को आर्थिक समानता की उपलब्धि हो, अन्यथा जिनके हाथ में आर्थिक शक्ति है वे ही राजनीतिक सत्ता का भी उपभोग करेंगे। इस बात को प्राचीन यूनानी और रोमन विचारकों ने भली-भाँति समझकर आर्थिक विषमताओं को दूर करने पर बल दिया था। अब समाजवादी और साम्यवादी लोग इस सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लास्की के अनुसार, आर्थिक क्षेत्र में 'संगम समानता' से अभिप्राय यह है कि सम्पत्ति के वितरण में विषमताएँ

न हो, और जो वर्ग समाज में सत्तारूढ़ है उस पर लोकमत का अक्रम हो। साथ ही, शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व पूर्ण हो, और जब कोई व्यक्ति अथवा वर्ग शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसको उत्तरदायी ठहराकर समुचित दंड दिया जाए।

7. स्वतंत्रता और समानता

पुराने ढंग के लोकतंत्रवादियों और उदारवाद के अनुयायियों की यह आस्था थी कि स्वतंत्रता अर्थात् राजनीतिक अधिकार देने से सभी सामाजिक समस्याएँ स्वतः ही हल हो जाएंगी। उनका विश्वास था कि जब प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को मताधिकार प्राप्त हो जाएगा तो वह स्वयं अपने हित का ध्यान रख सकेगा और किसी को शिवायत का अवसर न रहेगा। अतएव, उनका यह निरंतर प्रयत्न रहा कि मताधिकार का उस समय तक विस्तार किया जाय जब तक प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त न हो जाएँ। इनमें से कुछ विचारक, जिनमें डि टोक्यवेली और ऐक्टन प्रमुख हैं, यह समझते थे कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर-विरोधी हैं। ऐक्टन के मतानुसार, समानता की कामना स्वतंत्रता की आशा को नष्ट कर देती है। स्पष्ट है कि इन विचारकों के अनुसार, स्वतंत्रता केवल अभिजात-वर्ग के लिए होती है। अनुभव ने हमें यथा दिया है कि जहाँ भी स्वतंत्रता सीमित होगी उसका परिणाम यह होगा कि धनिकों के पास शक्ति और सत्ता संचित हो जाएगी और निम्न वर्ग के लोगों को उससे कोई लाभ न होगा। किंतु सच्ची स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक स्थिति ऐसी हो जिसमें कोई व्यक्ति अथवा वर्ग दूसरों पर हावी न हो सके और न कोई व्यक्ति दूसरों की कृपा पर निर्भर हो। जब तक नागरिकों को इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, समानता की बातें करना अर्थहीन है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ढंग के लोकतंत्रवादियों का आर्थिक समानता में कोई विश्वास न था। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थशास्त्र के यह सम्झने से कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पूरी छूट हो अर्थात् राज्य उनके कार्यों पर कोई प्रतिबंध न लगाए। उनका विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी तो सब नागरिकों को अपनी उन्नति के समान अवसर मिल जाएंगे। किंतु औद्योगिक क्रांति के पश्चात् धीरे-धीरे लोगों को इस धारणा के दास दृष्टिगत होन लगे। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक पूंजीपतियों की कृपा पर निर्भर हा गए, आर्थिक विषमताएँ बढ़ने लगी, जनता में असंतोष के लक्षण प्रकट होने लगे और यह स्पष्ट होने लगा

कि राजनीतिक समानता से निम्न वर्ग के लोगों को विशेष लाभ नहीं हुआ। अपनी गरीबी, अज्ञानता और बेवसी के कारण वे या तो राजनीतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं ले पाते और यदि लेते भी हैं तो पूंजीपतियों के प्रभाव से उन्हें हूटकारा नहीं मिल पाता। इस स्थिति ने विचारकों को अखिरे सोल दी और वे यह समझने लगे कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता प्रायः निरर्थक होती है। सम्पत्ति धीरे-धीरे कुछ धनिक लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। अब आर्थिक क्षेत्र में खुली दूट देने से सभी वर्गों का समान रूप से हित-साधन नहीं होता, अतः धनिक वर्ग का लाभ होता है। यह स्पष्ट है कि एक मिल-मालिक और मजदूरों की स्थितियों में कोई समानता नहीं होती क्योंकि मिल-मालिक जब चाहे मजदूर को बकार बना सकता है। जैसा कि हाम्मन ने कहा है, एक 'भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या मूल्य है? वह स्वतंत्रता को न खा सकता है और नानी सकता है'। सच तो यह है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनरात परिश्रम करके किसी प्रकार कुछ साधन जुटा पाते हैं, उनके पास न इतना समय होता है और न इच्छा ही कि वे सार्वजनिक मामलों में दिनचर्या ले सकें और अपने राजनीतिक अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकें। उनके यह आशा करना कि वे अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे अनुचित है। इस सन्दर्भ में रूसो के इस विचार का कि प्रतिनिधिक लोकतन्त्रीय शासन में नागरिक चार-पाँच वर्षों में केवल एक बार स्वतंत्र होते हैं और तदीनरात मज्जान देकर वे फिर अगले चार-पाँच वर्षों के लिए पराधीन हो जाते हैं, एक नया महत्व और अर्थ हो जाता है। जैसा कि जोड ने कहा है, 'स्वतंत्रता की धारणा को, जो राजनीति में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जब आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया तो उसके भ्रमकर दुष्परिणाम हुए, जिनके परिणामस्वरूप समाजवादी और साम्यवादी समाजधारकों का उदय हुआ जो आर्थिक समानता पर विशेष बल देते हैं और जिनका यह निश्चित मत है कि आर्थिक समानता के बिना वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता कभी उपलब्ध नहीं हो सकती'।

अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। उनके विचार में स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास का अवसर देती है जब कि समानता उन्हें एक सतह पर ताना बाँधती है। पर जैसा हम बता चुके हैं समानता से हमारा अभिप्राय लोगों को एक स्तर पर ताना नहीं है बल्कि भेदभावों को मिटाना है। अब यह विचार भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुका है कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाने से प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। वास्तुतः जहाँ कुछ व्यक्ति ऐश्वर्य का भोग करते हैं, वहाँ अधिकतर

अधिकार और कर्तव्य

राज्य के सदस्य होने के नाते, व्यक्ति के अधिकार होते हैं, . . . तथापि इन अधिकारों को केवल राज्य-प्रदत्त सम्भन्ना व्यक्तित्व की रक्षा करना नहीं अधिकृत उसे नष्ट करना है।
—हैरोल्ड जे० लास्की

1. अधिकारों का स्वरूप

जहाँ कुछ व्यक्ति मिलकर रहते हैं, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि वे मानव आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करें। इस प्रकार के प्रतिबन्धों और दायित्वों के बिना अच्छा सामाजिक जीवन असम्भव है। लास्की के कथनानुसार, 'अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं? जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम रूप पाने की आशा नहीं कर सकता¹। व व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इन सुअवसरों के बिना सद्जीवन (good life) सम्भव नहीं है। अतएव, प्रत्येक सम्य सम्राज अपने नागरिकों को ऐसे सुअवसर देने का प्रयत्न करता है जिनसे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। लास्की के मतानुसार, किसी राज्य का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि वह किस प्रकार के अधिकार अपने नागरिकों को देता है। डा० धेनीप्रसाद के शब्दों में, 'अधिकार असल में वे परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक और अनुकूल हैं'।

इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार के नाम पर मन-चाही परिस्थितियों के लिए दावा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति के केवल

1 उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 91

2 नागरिकशास्त्र, प्रथम, 1937, पृष्ठ 40.

वही दावे 'अधिकार' में परिणत हो सकते हैं जो जनसाधारण के विकास के लिए भी 'आवश्यक और अनुकूल' हों। 'अधिकार' शब्द के अंग्रेजी पर्याय 'राइट' (right) से यह ध्वनि निकलती है कि उसे न्यायपूर्ण होना चाहिए अर्थात् एक दावे को अधिकार में परिणत होने के लिए उसे व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित न होकर 'सामूहिक हित' के अनुरूप होना चाहिए ; तभी वह सर्वमान्य हो सकता है। यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के दावों को तब तक मानने को तैयार न होगा जब तक उसे यह विश्वास न हो कि ऐसा करने से उसकी कोई हानि नहीं होगी, और साथ ही उसकी समान मांगें भी पूरी होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्तियों के वे दावे हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए और सभी की भलाई का ध्यान रखते हुए किए जाते हैं।

अब प्रश्न यह है कि ये दावे किससे किए जाएँ ? इसका उत्तर यही है कि वे समाज अथवा राज्य के सामने प्रस्तुत किए जाएँ। सगठित समाज के अभाव में अधिकारों के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ तो 'जिसकी साठी उसकी भँस' वाली कहावत चरितार्थ होगी। जहाँ शक्ति का बोल-बाला हो, वहाँ अधिकार नहीं हो सकते। सम्य समाज के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में ही उनका उपभोग समभव है।

जब इन अधिकारों की मांग समाज के सम्मुख आती है तो लोकसम्मत होने पर समाज उन्हें मान्यता दे देता है और ये नैतिक अधिकारों का रूप प्राप्त कर लेते हैं। नैतिक अधिकारों का आधार समाज की नैतिक भावना होती है, अर्थात् समाज की दृष्टि में व्यक्ति की ये मांगें व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। डा० रिची (Ritchie) के अनुसार, नैतिक अधिकार 'एक व्यक्ति के दूसरों के प्रति ऐसे दावे हैं जिन्हें समाज ने मान्यता दे दी है, फिर चाहे राज्य उन्हें माने या न माने'। जब व्यक्ति के इन दावों को स्वीकार करके राज्य उन्हें कानूनी मान्यता दे देता है तो वे कानूनी अधिकार बन जाते हैं। मान्यता देने पर राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है और उनका उल्लंघन किए जाने पर अपराधियों को यथोचित दंड देने की व्यवस्था करता है।

अधिकार सार्वजनिक होते हैं ; अगठित समाज में बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक हित की प्रचलित धारणाओं पर आधारित होते हैं। अतः समाज में विरुद्ध किसी व्यक्ति के अधिकार नहीं हो सकते (किंतु सरकार ने विरुद्ध उसके अधिकार हो सकते हैं)। अधिकारों के सामाजिक होने का दूसरा पहलू यह है कि जो व्यक्ति अधिकारों का सुलभ भोगना चाहते हैं उन्हें दूसरों के समान अधिकारों का पूरा सम्मान करना चाहिए। सदैव में, अधिकारों का उपभोग अपने कर्तव्यों के सुचारु रूप से पालन

करने पर निर्भर है, और कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है।

अधिकार 'न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है'¹। इस न्यायभावना (notion of Right or Justice) से पृथक् अधिकारों का न तो कोई महत्त्व है और न ऐसे न्याय-विहीन अधिकारों को कानूनी संरक्षण ही मिलना चाहिए। बार्कर के कथनानुसार, कानून, दो कारणों से व्यक्ति को अधिकार देता है। प्रथम कारण यह है कि राज्य जिस 'न्याय-व्यवस्था' पर आधारित है, अधिकार उसके प्रतीक हैं। दूसरा कारण यह है कि इन अधिकारों के बिना व्यक्ति 'न्याय-व्यवस्था' के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात् वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकते। अधिकारों को मान्यता और संरक्षण देकर राज्य और कानून उस 'न्याय-व्यवस्था' के लक्ष्य को प्राप्त करने में योग देते हैं जिस पर वे स्वयं आधारित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राजकीय कानून अधिकारों को सीमित नहीं करते। वस्तुतः; वे उन्हें और भी अधिक सुरक्षित करते हैं, और राजकीय कानूनों के पीछे (sanction) अधिकार की सार्वजनिक मान्यता होती है। यही नहीं, अधिकारों की मांग सदैव किन्हीं कानूनों के अंतर्गत की जाती है, फिर चाहे वे कानून राजकीय हों अथवा नैतिक।

बार्कर के कथनानुसार, एक आदर्श अधिकार एक साथ दो स्रोतों से निकलता है और इसी कारण उसके गुण भी द्विगुणित होते हैं—(1) व्यक्तित्व का स्रोत और उसके विकास के लिए इसका आवश्यक होना और (2) राज्य तथा उसके कानूनों का स्रोत²। तथापि कभी-कभी वस्तु-जगत् में हमें ऐसे अधिकार भी मिलते हैं जिनका एक ही स्रोत और गुण होता है। ऐसे उदाहरणों में हमें यह देखना चाहिए कि विद्युत् 'न्याय-भावना' और कानूनों के आदेशों के बीच कहीं अधिक सन्तत तो नहीं आ गया है ?

यहाँ यह कहना भी असमर्थ न होगा कि राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, केवल उच्च मान्यता देता है। एक अर्थ में अधिकार राज्य से पूर्ववर्ती होते हैं, तथापि समाज से पृथक् रहकर अधिकारों को नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति के अधिकार राज्य के विरुद्ध हो सकते हैं, किन्तु सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध नहीं। सास्की के कथनानुसार, राज्य को मेरे विरुद्ध अधिकार है, और उसे मुझसे ऐसे आचरण की आशा करने का अधिकार है जिससे अन्य व्यक्तियों को भी अपने अधिकारों का उपभोग करने का अवसर मिल जाए। राज्य और

1 बार्कर, *Principles & Social and Political Theory*, पृष्ठ 137.

2 बरो, पृष्ठ 139.

नागरिकों के पारस्परिक दावों को केवल इसी अर्थ में लिया जा सकता है कि वे सामान्य हित में होते हैं और उनमें सबके हित का समावेश होता है। जब ऐसे दावों को मान्यता देकर राज्य उन्हें लागू करता है तो वे कानूनी अधिकार का रूप ले लेते हैं। श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार, कानूनी अधिकार उस व्यवस्था, नियम अथवा प्रथा का नाम है जिसे राजकीय कानून मानते हैं और जो नागरिकों के परम नैतिक हित का साधन करते हैं। हॉलैंड के मतानुसार, यह 'एक व्यक्ति में निहित ऐसी योग्यता है जिससे वह राज्य की मान्यता और सहायता से अन्य व्यक्तियों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है'।

कानूनी और नैतिक अधिकारों में भेद यह है कि पहले को राज्य मान्यता देता है और उनका उल्लंघन किए जाने पर कानून के द्वारा अपराधियों को दंड दिया जाता है। इसके विपरीत, नैतिक अधिकारों को केवल समाज मानता है किंतु उनके उल्लंघन के लिए वह दण्ड नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति का आधार नहीं है। उसे केवल लोकमत पर भरोसा करना होता है। अतः नैतिक अधिकारों की उपेक्षा होने पर रोकथाम की कोई कारगर व्यवस्था नहीं होती। यह भेद होने पर भी दोनों में घनिष्ठ संबंध है, और लोकतंत्र के इस युग में अधिक समय तक लोकमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

2. अधिकार संबंधी सिद्धांत

अधिकारों के स्वरूप के संबंध में अनेक व्याख्याएं दी गई हैं जिनके परिणामस्वरूप अधिकार संबंधी कुछ सिद्धांत प्रचलित हो गए हैं। नीचे हम संक्षेप में इन पर विचार करेंगे।

प्राकृत अधिकारों का सिद्धांत

सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दियों में प्राकृत अधिकारों (Natural Rights) के सिद्धांत का बोलबाला रहा। सामाजिक सविदा में विश्वास करने वाले कुछ विचारकों ने इसका प्रतिपादन किया। इन चिंतकों के अनुसार, मनुष्य की प्राकृत अवस्था में भेद कानूनों तथा अधिकारों का अस्तित्व था। वे इनको प्राकृत अधिकार की संज्ञा देते हैं। इन लेखकों में लॉक का नाम प्रमुख है। उसके कथनानुसार, प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृत अधिकार होते हैं। प्राकृत अवस्था में व्यक्ति जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अधिकारों का उपभोग करते थे। वस्तुतः ये अधिकार तो मनुष्य के व्यक्तित्व में सनिहित हैं। इन्हें हम प्राकृत इसलिए कहते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं। साथ ही, इनको घटाया-बढ़ाया भी नहीं जा सकता। लॉक के अनुसार राज्य का जन्म प्राकृत अधिकारों की रक्षा के लिए होता है।

हॉग्स का मत एकदम मिला है। उसके दृष्टानुसार, प्राकृतिक व्यक्ति ने अपने समस्त अधिकार एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ता को सौंप दिए। स्वो के पदों में, एक नए समाज का निर्माण कर और 'सामान्य इच्छा' के अनुसार कार्य करने का बचन देकर व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर देता है और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है।

सामाजिक सविदा के प्रतिपादकों के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारकों ने भी प्राकृत अधिकारों की धारणा का समर्थन किया है। उनके अनुसार, ये अधिकार इसलिए प्राकृतिक बने जाते हैं कि वे सामाजिक मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं। इन विद्वानों के मतानुसार, अधिकारों की अनुशास्ति (Sanction) राज्य के कानूनों पर नहीं, अपितु जनसमुदाय की नैतिक भावना पर निर्भर है।

समाजशास्त्रीय विचारधारा ने प्राकृत अधिकारों की व्याख्या में सामाजिक तत्त्वों का समावेश करने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार, प्राकृत अधिकार मनुष्य की वे स्वतंत्रताएँ हैं जिनके बिना वह समाज में प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। गिडिंग के अनुसार, प्राकृत अधिकार सामाजिक रूप में आवश्यक हैं और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में प्राकृत चुनाव द्वारा लागू किए जाते हैं। अतः प्राकृत अधिकारों का आधार प्राप्त किए बिना न कानूनी अधिकार हो सकते हैं और न नैतिक'। प्राकृत अधिकारों के सिद्धांत न राजनीति-विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसका प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति और अमरीकी स्वातंत्र्य युद्ध पर भी पड़ा। अमरीकी स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र के अनुसार, प्राकृत अधिकारों की रक्षा करना शासन का एक बड़ा उत्तरदायित्व है और जहाँ वही शासन इन अधिकारों का अपहरण करता है, वहाँ जनता को यह अधिकार है कि वह उस बदल दे अथवा नष्ट करदे।

आलोचना—प्राकृत अधिकारों के सिद्धांत को बड़ी आलोचना की गई है। सर्वप्रथम, कठिनाई यह है कि इन अधिकारों की अनेक व्याख्याएँ हैं। अतः इनके कोई यथार्थ अर्थ नहीं निकल सके। इसके परिणामस्वरूप प्राकृत अधिकारों की कोई सर्वमान्य सूची नहीं बनाई जा सकती। उदाहरण के लिए जहाँ एक ओर कुछ विचारक दास प्रथा को स्वामित्व कहते थे, वहाँ दूसरे विद्वान उसका घोर विरोध करते थे। इसी प्रकार जहाँ कुछ लेखक व्यक्तिगत सम्पत्ति को एक प्राकृत अधिकार मानते हैं, वहाँ अन्य लेखक ऐसा नहीं मानते। जहाँ एक ओर, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर कहा जाता है, दूसरी ओर उन्हें असमान बतलाया जाता है। इसी अस्पष्टता का उत्तर देते हुए, रिचो ने कहा है, 'यदि धर्म प्रकृति का आश्रय लेने तो सम्भव है कि हम आपके न्यायालय में आपको मृतक प्रमाणित न कर सकें, किंतु आप भी अपने को सही सिद्ध नहीं कर सकते'। दूसरे,

समाज से बाहर अथवा उससे पूर्व अधिकारों की कल्पना तथ्यों के विरुद्ध है। हम देख चुके हैं कि अधिकार समाज में ही हो सकते हैं, समाज से बाहर व्यक्तियों की 'प्राकृतिक शक्ति' हो सकती है अधिकार नहीं। अधिकार समाज के पूर्ववर्ती नहीं हैं। अधिकारों की बात इसलिए उठती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बोसाके के शब्दों में, 'अधिकार ऐसा दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है'। तीसरे, ऐसे कोई प्राकृत अधिकार नहीं हो सकते जो अचल और स्थायी हो। जैसाकि वीको (Vico) ने बताया है प्राकृत अधिकारों की व्याख्या भी समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। अतः यह एक गतिशील धारणा है, और मनुष्यों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु इसकी विषय-वस्तु भी परिवर्तित होती रहती है।

उपर्युक्त आलोचना से हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि इस सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है अथवा इसमें सत्य के कोई तत्व नहीं हैं। यदि प्राकृत अधिकारों का अर्थ हम ऐसे अधिकारों से लें जिन्हें चाहे समाज माने या न माने, किंतु जिन्हें हम मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक समझते हैं, तो इस धारणा का विरोध महत्त्व हो जाता है। किंतु यदि इसका अर्थ हम यह लें कि समाज के पूर्व भी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे, तो यह धारणा निर्मूल ही नहीं अर्थहीन भी है। वस्तुतः इस रूप में प्राकृत अधिकारों की संकल्पना अतर्विरोधी है। मनुष्यों की प्राकृतिक अवस्था में 'शक्ति' (Power) हो सकती है, अधिकार नहीं। किंतु यदि हम प्राकृत अधिकारों की व्याख्या उन आदर्श अथवा नैतिक अधिकारों के रूप में करें जो उपयोगी होने के कारण हमें प्राप्त होने चाहिए, तो प्राकृत अधिकारों का सिद्धांत मूल्यवान् हो जाता है। ऐसी दशा में हम उन्हें आदर्श मानकर इनकी कसौटी पर वर्तमान शासनो के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। वस्तुतः बहुत दिनों से विचारक यह कहते आए हैं कि कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो व्यक्ति और उससे व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। हर्ष की बात है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब 'मानव-अधिकारों' की एक सर्वव्यापी घोषणा की स्वीकार कर इस सिद्धांत को एक साकार रूप दे दिया है।

अधिकारों का कानूनी सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। अतः नागरिकों के अधिकार वही हैं तो कानूनों द्वारा वजित न हों। हॉलैंड के अनुसार, कानूनी अधिकार से हमारा अभिप्राय 'व्यक्ति में निहित ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा, राज्य की स्वीकृति और सहायता से, वह दूसरों के कार्यों को नियंत्रित कर

सक्ता है। इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकारो के तीन प्रमुख पहलू हैं. (1) राज्य ही अधिकारो का स्रोत है; अतः राज्य के पूर्व या राज्य से बाहर अधिकार नहीं हो सकते, (2) राज्य अपने समस्त साधनो से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और (3) ये अधिकार गतिशील होने हैं। कानूनी में परिवर्तन के साथ अधिकारो के रूप में भी परिवर्तन होता रहता है।

आलोचना—इस सिद्धांत को अनेक विद्वानो ने, जिनमें बहुलवादी भी हैं, काफी आलोचना की है। सर्वप्रथम उनका कहना है कि केवल राज्य के आदेश से अधिकार नहीं बग सकते। होकिये पूछते हैं कि क्या कानून रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को अधिकार बना सकता है? इसी प्रकार स्पेंसर और लास्की भी कहते हैं कि राज्य अधिकारो को जन्म नहीं देता। वाइल्ड के अनुसार, कानून अधिकारो को जन्म नहीं देता, केवल उनको मान्यता और संरक्षण देता है। दूसरे, यह सिद्धांत राज्य की निरकुशता का समर्थन करता है, अतः यह त्याग्य है। तीसरे, यह अधिकारों के नैतिक आधार की ओर ध्यान नहीं देता। जैसा कि लार्ड ने कहा है, एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था अधिकारों की पूर्वधारणा के लिए आवश्यक है। उसके बिना शक्ति, प्रभाव, दावे और प्रयास हो सकते हैं, किंतु अधिकार नहीं। चौथे, राज्य के कार्यों से दुखी होकर कभी-कभी नागरिक सामूहिक रूप से राज्यसत्ता का विरोध करने लगते हैं। लास्की का दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध भी अधिकार होते हैं। उसके मतानुसार, हमारे कर्तव्य एक ऐसे आदर्श राज्य के प्रति हैं, जिसके अनुरूप बनने का वास्तविक राज्यों को प्रयत्न करना चाहिए। पांचवें, कुछ विद्वानो का कहना है कि यह सिद्धांत राज्य को कानूनी अधिकारों का निर्माता बनाकर इस प्रश्न पर विचार नहीं करता कि जिन अधिकारों को राज्य मान्यता देता है और लागू करता है, क्या वे मान्यता दिए जाने के योग्य हैं? उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि एक गूंगे-बहरे व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है, तो हमारा अभिप्राय केवल यह होता है कि कोई चर्च अथवा रजिस्ट्रार ऐसा विवाह कराने से इंकार नहीं कर सकता। किंतु इसका आशय यह नहीं कि ऐसे व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार होना ही चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक कानूनी सिद्धांत के पीछे कुछ परिवर्तनाएँ होती हैं जिनका ध्यानपूर्वक विवेचन किए बिना हम उन्हें बंध नहीं मान सकते।

किंतु इस सिद्धांत में भी सरप के कुछ तत्त्व हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि समकालीन युग में राज्य के बाहर अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता। जब व्यक्तियों के किसी दावे को राज्य मान्यता नहीं देता, किंतु समाज मान्यता दे देता है तब इस बात की सम्भावना ही जाती है कि समय पाकर वे कानूनी अधिकारो का रूप धारण कर लें। एक लोकतंत्रीय समाज में जहाँ लोकमत प्रभाव-

शाली हो, इस परिवर्तन में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तथापि यह कहना अनुचित होगा कि राज्य के मान्यता देने मात्र से ही कोई कानून स्वतः न्यायपूर्ण बन जाता है। यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि अनेक बार नागरिकों को अपने उचित अधिकारों की मान्यता और रक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने पड़ते हैं। बोसाके के कथनानुसार, वस्तुतः अधिकारों के कानूनी और नैतिक दो पक्ष होते हैं, और इनमें से किसी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत

इस मत के अनुसार अधिकार प्रथाओं पर आधारित हैं। रिचो के अनुसार, 'प्रायः यह देखने में आता है कि लोग जिन अधिकारों को आवश्यक मानते हैं, वे ऐसे अधिकार होते हैं जिनका लोग उपभोग करते रहे हैं अथवा जो परम्परागत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वस्तुतः प्राकृत अधिकार इसी प्रकार के हैं।

आलोचना—इस मत को भी कई विद्वानों ने आलोचना की है। उनके मतानुसार, यद्यपि अनेक अधिकार प्रथाओं पर आधारित होते हैं तथापि यह बात सभी अधिकारों पर लागू नहीं होती। होकिंग के अनुसार, क्या दास प्रथा जो कानून पर आधारित थी, न्यायपूर्ण कही जा सकती है अथवा सिद्दीहत्या कभी न्यायसंगत हो सकती है? इस प्रकार की प्रथाएँ परम्परागत हो सकती हैं तथापि वे अधिकार नहीं बन सकती। दूसरे, यदि अधिकार हमेशा प्रथाओं के अनुकूल हो तो समाज में कोई भी सुधार करना सम्भव न होगा। जैसा कि होकिंग ने कहा है, कि यह कहना उसी प्रकार भूलता होगी कि प्रथाएँ सदैव अधिकार का रूप ले लेती हैं, जिस प्रकार यह कहना असंगत है कि कानूनों द्वारा अधिकार बनते हैं। यह सत्य है कि हम इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकते, परन्तु इतिहास के ऊपर पूरा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अतएव, यह मत हमें सही रास्ता नहीं दिखाता।

अधिकारों की कालोचितता का सिद्धांत

इस मत के मानने वाले विद्वानों के अनुसार अधिकार सामाजिक कल्याण की आवश्यक दशा है और इस हेतु वे बनाए जाते हैं। इस मत के प्रतिपादकों में डॉन रास्को पाउड प्रमुख हैं। उपयोगितावादी भी इस मत का समर्थन करते हैं। लास्की ने भी अधिकारों की परस्पर में उपयोगिता को स्थान दिया है। उसके मतानुसार, जिन अधिकारों को राज्य की मान्यता अवश्य मिलनी चाहिए उनमें प्रायः ऐसे अधिकार होते हैं जिनको न मानने से घोर विपत्ति की आशंका होती है। उसका कथन है कि मैं समाज से जो माँग करता हूँ वे माँगें सार्वजनिक हित में हैं, और

इसी कारण उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए' ।

आलोचना—इस मत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण अथवा कालोचितता के सबंध में भिन्न मत होते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी मय है कि हम समाज के कल्याण के नाम पर वही व्यक्ति के हित पर समुचित ध्यान देना न छोड़ दें । एक उदाहरण देते हुए हॉकिंग (Hocking) पूछते हैं कि एक सैनिक अफसर द्वारा अनुशासन के नाम पर किसी निरापराध व्यक्ति का बलिदान किया जाना कहाँ तक न्यायसंगत है ? इसी प्रकार वाइल्ड (Wilde) कहते हैं कि यदि अधिकार समाज-प्रदत्त हैं तो क्या व्यक्ति को स्वेच्छाचारी आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अवसर रह सकेगा ?

अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत

इस मत के अनुसार, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक वास्तु दशाएँ हैं । साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का समुचित और पूर्ण विकास नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं । शेष सभी अधिकार व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बुनियादी अधिकार पर आधारित हैं । ग्रीन के मतानुसार, अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो एक नैतिक प्राणी के नाते मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक हैं । किंतु दूसरों के इसी प्रकार के बुनियादी अधिकार को भी समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए अर्थात् अधिकार और कर्तव्य का सह-अस्तित्व होना चाहिए । साथ ही, क्योंकि अधिकारों का व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ संबंध है, अतएव जिन व्यक्तियों में कोई नैतिक क्षमता नहीं है उन्हें अधिकार भी नहीं मिल सकते । तथापि, ग्रीन के मतानुसार, जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए ।

विद्वानों ने इस सिद्धांत की भी आलोचना की है । वे कहते हैं कि हमारे सामने ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे हम यह जाँच कर सकें कि कौन से अधिकार मनुष्य के आत्मविकास के लिए आवश्यक हैं और कौन नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यह मत इस समस्या का भी समाधान नहीं करता यदि कभी व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में अंतर्विरोध हो तो उस दशा में क्या किया जाए ?

लास्की का सृजनात्मक सिद्धांत

लास्की का मत है कि राज्य अधिकारों को बनाना नहीं है, केवल मान्यता देता है और राज्य के स्वरूप को (जिसका विकासशील अथवा पिछड़ा होना) उन अधिकारों से परखा जा सकता है जिनको वह किसी समय मान्यता देता है । लास्की यह नहीं मानता कि अधिकार किसी निश्चित समय पर दिए

गए और न वह इस बात को स्वीकार करता है कि अधिकार हमेशा एक ही बने रहते हैं। उसके मतानुसार, समय, स्थान और स्थिति के अनुसृत्य अधिकारों में भी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त उसका मत है कि अधिकार इच्छाओं को सतुष्ट करने के लिए नहीं होते बल्कि उनको नियंत्रित करने के लिए होते हैं। किंतु वह मानता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएँ हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी योग्यताओं का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। लास्की के अनुसार, अधिकार राज्य के पूर्ववर्ती होते हैं। वे इस अर्थ में ऐतिहासिक नहीं हैं कि उन्हें किसी काल-विशेष में मान्यता मिली हो। वे न तो स्थायी हैं और न ही अपरिवर्तनशील। किंतु वे इस अर्थ में ऐतिहासिक हैं कि उनका स्वरूप सम्यता के विकास पर निर्भर होता है, और वे इस अर्थ में प्राकृत हैं कि वास्तविकताएँ राज्य को उन्हें मान्यता देने के लिए बाध्य कर देती हैं।

वे अधिकार इसलिए हैं कि वे राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यह भी सम्भव है कि कहीं पर वे वर्तमान कानूनी अधिकारों के प्रतिकूल हो, क्योंकि प्रायः कुछ ऐसे विशेषाधिकार भी मान्य बने रहते हैं जो समयानुकूल नहीं होते। अधिकारों की उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि वे सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवित्तत्व की रक्षा करने का अधिकार है। किंतु हमारे अधिकार समाज के बाहर कोई अस्तित्व नहीं रखते। वे हमें इसलिए मिले हुए हैं कि हम राज्य के सदस्य हैं, और वे हमारी तथा राज्य — दोनों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार, अधिकारों का कार्यों से घनिष्ठ संबंध है और वे इसलिए दिए जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके। अतः किसी व्यक्ति को सार्वजनिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकता, यद्यपि राज्य के विरुद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के विरुद्ध राज्य के भी अधिकार होते हैं। राज्य व्यक्ति से यह माँग कर सकता है कि वह ऐसा आचरण करे जिससे दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों के उपयोग में बाधा न आए। अतः नागरिकों और राज्य — दोनों के अधिकार 'सामान्य हित' की भावना से प्रेरित होने चाहिए।

राज्य के प्रति व्यक्ति के वर्तव्य उन उद्देश्यों के प्रति हैं, जिनकी पूर्ति के लिए एक आदर्श राज्य प्रयत्नशील रहता है। अतएव, विशेष परिस्थितियों में, व्यक्ति का यह भी कर्तव्य हो सकता है कि वह राज्य का विरोध करे। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकार केवल व्यक्ति और राज्य के ही नहीं होते, समुदायों के भी होते हैं। समुदायों को राज्य ने अधिकार नहीं दिए; वे उन्हें सदस्यों से मिलते हैं। अतएव, अधिकारों की व्यवस्था में सामाजिक जीवन में इस पहलू पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे कहने का अभि-

प्रायः यह है कि अधिकारों की व्याख्या करते समय हमें व्यक्तियों, समुदायों और समाज के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन में से किसी को अपने अधिकारों की स्वयं व्याख्या करने की शक्ति नहीं दी जा सकती। इनकी व्याख्या 'सामान्य सामाजिक हित' की दृष्टि से होनी चाहिए¹।

3 अधिकारों का वर्गीकरण

ऊपर हम देल चुके हैं कि अधिकार नैतिक होते हैं और कानूनी भी। कानूनी अधिकारों को हम नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में विभाजित कर सकते हैं। इन के अतिरिक्त, मूलाधिकार अथवा बुनियादी अधिकारों की भी एक धारणा है जो कानूनी और नैतिक दोनों प्रकार के अधिकारों को समा-विष्ट कर लेती है।

मूलाधिकार—'मूलाधिकार' (Fundamental Rights) शब्द दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। दार्शनिक अर्थ में इनसे हमारा अभिप्राय उन आदर्श अधिकारों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस अर्थ में मूलाधिकार 'प्राकृत अधिकारों' का ही दूसरा नाम है। दूसरे अर्थ में, इसका तात्पर्य उन अधिकारों से है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता और विशेष संरक्षण दिए जाते हैं, अर्थात् संविधान में संशोधन किए बिना जिन्हें छीना नहीं जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत मानव-अधिकारों की घोषणा प्रथम श्रेणी में आती है जबकि भारतीय संविधान में बंशित मूलाधिकार द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

अधिकारों की घोषणा प्रकाशित करने की परम्परा अपेक्षाकृत नई है। लॉक और मोंटेस्क्यू के विचारों से प्रभावित होकर अमरीकी स्वातन्त्र्य युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति के समय इस प्रकार की घोषणाएँ की गईं, तत्पश्चात् कई देशों के संविधान में इन घोषणाओं को स्थान मिला। इन्हें अब इसलिए अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है कि संविधान में समावेश कर देने से इन्हें संविधानी संरक्षण प्राप्त हो जाते हैं और फिर सरलता से इन्हें छीना नहीं जा सकता। बीसवीं शताब्दी में जब अल्पसङ्ख्यकों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न सामने आया तो अधिकारों की घोषणा को और भी अधिक महत्त्व मिल गया। ऐसे अधिकारों के अपहरण किए जाने पर व्यक्ति अथवा समुदाय देश के सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।

नागरिक अधिकार—इन्हें सामाजिक अधिकार भी कहा जाता है। नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिन्हें राज्य में बसने

¹ उपरोक्त पृष्ठ, पृष्ठ 92-96

वाले सभी व्यक्ति समान रूप से उपभोग करते हैं। ऐसे अधिकारों में सर्वप्रथम जीवन रक्षा का अधिकार आता है। आत्मरक्षा के प्रयत्न में नागरिक यदि किसी आश्रमणकारी को जान से मार भी दे, तो यह एक अपराध न होगा। किंतु जीवन-रक्षा के अधिकार का दूसरा पहलू यह है कि व्यक्ति आत्म-हत्या, खून और भ्रूणहत्या करने का यत्न न करे, अन्यथा वह दंड का भागी होगा। दूसरा ऐसा अधिकार संयुक्त स्वतंत्रता का है जिससे हमारा अभिप्राय शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। इससे हमारा आशय यह है कि किसी व्यक्ति को न तो दास बनाया जा सकता है और न अपराध प्रमाणित किए बिना उसे दंड ही बनाया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी गैर-वानुनी ढंग से उसे बंद नहीं कर सकता। यह एक मूलाधिकार है जिसके अभाव में अन्य सभी अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। हमारे देश में इस अधिकार पर नजरबंदी कानून ने कुछ रोकें लगा रखी हैं। तीसरा सामाजिक अधिकार विचार और भाषण की स्वतंत्रता है। नागरिकों को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे समाजों में और प्रकाशनों के द्वारा अपने विचारों को दूसरे लोगों के सम्मुख रख सकें। भावों और बुद्धि के समुचित विकास के लिए इस मूलाधिकार का होना अति आवश्यक है। वैसे तो विचारों को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, फिर भी इस अधिकार के अभाव में विचार-स्वतंत्रता का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। लोकतंत्रीय शासन में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता होती है ताकि सरकारी कार्यों के दोषों को इंगित किया जा सके। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका जोरदार समर्थन किया है। उसका कहना है कि नए विचारों को दबा देने से सामाजिक प्रगति रुक जाएगी और सुधार असंभव हो जाएंगे। उसके अनुसार, लोगों को यह धारणा भ्रांतिपूर्ण है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि सत्य को एक लंबे समय तक दबाया जा सकता है। विचारों की स्वतंत्रता से तथ्यों को समझने में आसानी हो जाती है। इससे सब झूठ का निर्णय करना भी सरल हो जाता है, 'स्वतंत्र वाद-विवाद मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और व्यक्तिगत को ऊँचा उठाता है'। तथापि, राज्य घृणा और बदनामी फैलाने अथवा हिंसा के लिए व्यक्तियों को उत्तेजित करने की अनुमति नहीं दे सकता। अतएव, शांति और व्यवस्था की दृष्टि से इस अधिकार पर कुछ रोकें लगाई जाती हैं। चौथा सामाजिक अधिकार सम्पत्ति संबंधी है। यदि नागरिकों को यह आश्वासन प्राप्त न हो कि वे अपने परिश्रम से जो धन उपार्जित करेंगे वह बंदशासन और लुटेरे उनसे छीन नहीं लेंगे तो सारा सामाजिक जीवन ही गड़बड़ा जाएगा। अतएव, व्यक्तिगत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को निर्विघ्नता के साथ अपनी सम्पत्ति उपभोग करने का

अधिकार हो। पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस अधिकार पर राज्य कुछ नियंत्रण न लगाए। इस प्रकार के नियंत्रण सभी देशों और युगों में लगाए जाते रहे हैं। सम्पत्ति के उत्पादन और वितरण का सामाजिक कल्याण से इतना घनिष्ठ संबंध है कि राज्य इस विषय में उदासीन नहीं रह सकता और उसे सामाजिक हित की दृष्टि से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार पर नियंत्रण लगाने पड़ते हैं। सोवियत संघ जैसे राज्यों में उत्पादन के साधनों और उपकरणों के रूप में व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं है अर्थात् कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों के (आर्थिक) शोषण का साधन नहीं बना सकता। इसी प्रकार, कई पाश्चात्य देशों में उत्तराधिकार पर बड़े नियंत्रण लगाए गए हैं और सरकार ऐसी दशा में प्रायः भारी 'उत्तराधिकार कर' लगाती है। यह इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार जीविकोपार्जन के अवसर मिलने चाहिए। किंतु किसी व्यक्ति को केवल इसलिए ऐशो-आराम के अवसर नहीं मिलने चाहिए कि उसके पूर्वज उत्तराधिकार में उसने लिए बहुत सम्पत्ति छोड़ गए हैं। साथ ही, अनेक विद्वानों ने इस और हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि यदि समाज में आर्थिक विषमता होगी अर्थात् यदि कुछ लोग अत्यधिक अमीर और बहुत से लोग अत्यधिक निर्धन होंगे तो ऐसे समाज में सच्चा लोकतंत्र कभी नहीं चल सकता। अतएव, हमारी कर-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक और सभी नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अवसर मिलें और दूसरी ओर किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक सम्पत्ति न हो। इसी से संबंधित पाषाण सामाजिक अधिकार स्वतंत्र जीविकोपार्जन से संबंधित है। किसी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के कारण किसी व्यवसाय को करने की मनाही नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य सभी व्यवसायों को करने की खुली छूट दे दे। उदाहरण के लिए जुआ खेलने, दास व्यवसाय चलाने, बच्चों और युवतियों का अपहरण और उनके हृदय विषय आदि असामाजिक व्यवसायों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारा संविधान व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता देता है। इसी प्रकार का एक छठवाँ सामाजिक अधिकार न्यूनतम आय का अधिकार कहलाता है। इस अधिकार से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ऐसे नागरिक को, जो काम करने के लिए उद्यत हो, या तो समाज काम दे अन्यथा उसके लिये पर्याप्त भोजन, वस्त्र, और स्वास्थ्यप्रद भवान आदि की व्यवस्था करे। किसी नागरिक के बेकार या बीमार होने की अवस्था में एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक 'न्यूनतम आय' (भत्ते) की व्यवस्था होनी चाहिए। इसे आर्थिक सुरक्षा का अधिकार भी कहा गया है।

हमारा देश आर्थिक रूप से अभी इतना पिछड़ा हुआ है कि हम इस मुविधा को नहीं दे पाए। हमारे देश में आज भी दुर्भाग्यवश लाखों व्यक्तियों को बहुत निम्न जीवन-स्तर व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है।

इनके अतिरिक्त नागरिकों को समता का अधिकार भी मिलना चाहिए। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि कानून की दृष्टि से सामाजिक समता और अवसर की समता हो अर्थात् कानून-प्रदत्त मुविधाओं से कोई व्यक्ति वंचित न रहे। किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाए। हमारे संविधान के अतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब सत्तारूढ़ वर्गों ने अपने धार्मिक विचारों को अन्य लोगों पर लादने का प्रयत्न किया है। किंतु अब सभी आधुनिक देशों में धर्म-पालन की स्वतंत्रता दी जाती है। भारत इसी प्रकार का धर्मनिरपेक्ष (secular) राज्य है और राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है। इसी प्रकार का एक अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकार संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। हमारे संविधान में प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव करना गैर-कानूनी है। प्रत्येक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाएँ बनाने का भी अधिकार है और उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता पाने का भी समान अधिकार है। इनके अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण अधिकार घूमने-फिरने का भी है, जिसकी सब नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए अनावश्यक रोक-टोक अथवा प्रतिबंध नहीं होने चाहिए।

राजनीतिक अधिकार—वस्तुतः सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों ही प्रकार के अधिकार सामाजिक कल्याण और सुयोग की समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। डा० वेनीप्रसाद के मतानुसार वे एक दूसरे के सहायक हैं। राजनीतिक अधिकारों के बिना सामाजिक अधिकार अरक्षित रहते हैं, और सामाजिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकारों का महत्त्व नष्ट हो जाता है। कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, समूह अथवा समुदाय बनाने या अधिकार, सभा बनाने और भाषण देने का अधिकार आदि।

विचारों के प्रकाशन के लिए शांतिपूर्वक और निरालस होकर सभा और प्रदर्शन आदि का अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए जिससे स्वतंत्रतापूर्वक वे अपने विचारों को जनता और सरकार के सम्मुख रख सकें। इसी से संबंधित

स्वतंत्र प्रशासन का अधिकार भी है। यदि मुद्रण की स्वतंत्रता न होगी तो जनता के सम्मुख ठीक तथ्य और विचार प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। अतएव, भाषण व अधिकार के साथ ही साथ प्रकाशन की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नागरिकों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुदाय बनाने का अधिकार भी होना चाहिए जिससे वे मिलकर सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य कर सकें। किंतु इन सभी अधिकारों के उपयोग पर 'सामाजिक हित' की दृष्टि से प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे 'विकास' और 'व्यवस्था' की प्रवृत्तियों में सामंजस्य बना रहे।

विशुद्ध राजनीतिक अधिकारों में मताधिकार सर्वप्रथम है। एक लोकतंत्रीय शासन में सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए जिससे वे समान रूप से सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकें। मताधिकार एक उत्तरदायित्व भी है और इसके विवेकपूर्ण प्रयोग पर सामाजिक कल्याण निर्भर है। अतएव, विदेशियों, नारालियों, पागलों, दिवालियों, और गृह्यतम अपराधियों को प्रायः इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। इस अधिकार के साथ साथ नागरिकों को निर्वाचित होने का अधिकार भी होना चाहिए। यह अधिकार मताधिकार का पूरक है। साथ ही, यह काम मतदान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान के अंतर्गत निश्चिन्त आयु होने पर सभी मतदाताओं को पदों के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार है। इसके अनिश्चित पदाधिकार भी हैं जिससे हमारा अभिप्राय यह है कि आवश्यक योग्यता होने पर व्यक्ति को पदग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और इस अवधि में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त आवेदन का अधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नागरिकों को किसी सरकारी आदेश से घिनायत है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह आवेदन-पत्र भेजकर इस अवधि में जांच करने का निवेदन करे। यह एक साधन है जिसके द्वारा नागरिक सरकारी कर्मचारियों के कार्यों का कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। अतः, विदेश यात्रा के समय राजकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार आता है जिसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार का अधिकार माना जा सकता है। नागरिकता का यह प्रमुख लक्षण भी है।

यह बात सदा ध्यान में रखने योग्य है कि सामाजिक और राजनीतिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक कल्याण के साधन हैं, साध्य नहीं। इनसे वे नागरिक ही लगभग उठा सकते हैं जो विवेकपूर्ण ढंग से इनका उपयोग करते हैं। यह बात मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों पर लागू होती है। अनेक बुद्ध विद्वानों का मत है कि राजनीतिक रूप से अविश्वसित लोगों को

ये अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, अन्यथा लोकतंत्रीय व्यवस्था भी नीब हिल जाने का भय हो जायगा। किंतु इसके प्रत्युत्तर में यह पूछा जा सकता है कि यदि एक लोकतंत्रीय व्यवस्था भी अनेक अधिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित कर देती है तो उसे 'लोकतंत्र' की सजा कैसे दी जा सकती है और फिर उनका विकास कैसे होगा ?

4. आज्ञापालन की समस्या

अधिकारों का विवेचन करते समय हमने देखा कि उनके साथ कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकों को दूसरों के समान अधिकार का आदर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में कानूनों और राज्यादेशों का पालन होना चाहिए। यही नहीं, नागरिकों को देश के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। उन्हें राजकीय कार्यों को देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए और शासन के कार्यों में सहयोग देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अधिकार और कर्तव्यों के पविष्ठ संबंधों की व्याख्या करते हुए श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है कि 'कर्तव्यों में परिणत हुए बिना अधिकार अधिक काम के नहीं होते'। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। वे एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। निजी दृष्टि से देखने से वे अधिकार के रूप में होते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण से वही हमारे कर्तव्य बन जाते हैं।

आज्ञापालन क्यों ?

कानूनों का पालन संगठित समाज के लिए आवश्यक है। राज्यादेशों का पालन न करने से राज्य का स्थिर रहना कठिन हो जाएगा। किंतु प्रश्न यह उठता है कि कानूनों और राज्यादेशों का पालन नागरिक क्यों करें ? विद्वानों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। हॉब्स के मतानुसार, वे शक्ति के भय अथवा दबाव के कारण ऐसा करते हैं। लॉक के मतानुसार, इसका कारण व्यक्तिगत हित है। रूसो के अनुसार, राज्य का आधार 'सामान्य इच्छा' है और व्यक्ति इसलिए आज्ञापालन करते हैं कि सामान्य हित के लिए यह आवश्यक है। हेनरी मेन के अनुसार, लोगों को आज्ञापालन की आदत पड़ गई है।

लार्ड ब्राईस के मतानुसार, शक्ति का भय, उपयोगिता, सामान्य इच्छा, आदत के अतिरिक्त आज्ञापालन के और भी कई कारण हैं¹। इनमें वह सर्वप्रथम स्थान धारण करने वाला है। मनुष्य सरल मार्ग अपनाता पसंद करता है और इसलिए आज्ञापालन में उन्हें सुविधा दिखाई देती है। इसका दूसरा कारण

1 *Studies In History and Jurisprudence*, खंड 2, पृष्ठ 463.

कारण आदर-भाव है। ऐसा भाव प्रेम, श्रद्धा, यश आदि पर आधारित हो सकता है। तीसरा कारण सहानुभूति अथवा अनुकरण है। इनके अतिरिक्त विवेक के कारण भी मनुष्य राज्यादेशों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात् वह यह स्वीकार करता है कि आज्ञाओं का उल्लंघन करने से समाज में गड़बड़ फैल जायगी जो उसके और समाज दोनों के लिए हानिकारक होगी। अनुशासन भी आज्ञापालन का पाचवाँ कारण है। अनुशासन की भावना के कारण व्यक्ति यकायक राज्य का विरोध करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अतिरिक्त, लोकमत का भी नागरिकों के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सास्की का मत है कि स्वैच्छा से राज्य की आज्ञा का पालन हम उसी सीमा तक करते रहते हैं जहाँ तक हमें यह प्रतीत हो कि राज्य हमारे हित के कार्य कर रहा है। इसे परखन का अधिकार स्वयं नागरिक को स्वयं है। यदि नागरिक इस परिणाम पर पहुँचे कि राज्य उसके हित की उपेक्षा कर रहा है तो कोई कारण नहीं कि वह राज्य के विरोध में आवाज न उठाए।

भविष्य में आज्ञापालन का प्रश्न—आधुनिक युग में हमारा जीवन व्यवस्थित हो गया है जिससे शनैः शनैः हिंसा की भावना कम होती जा रही है। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से हममें सौजन्यता आ गई है। बयस्क मताधिकार के कारण नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में रचि लेने के अवसर मिल गए हैं। तथापि, सत्ता के प्रति लोगों का आदर-भाव कम नहीं हुआ है। इन बातों की ध्यान में रखते हुए ब्राइस इस परिणाम पर पहुँचे कि आज स्वतंत्रता का मूल्य इसलिए कम हो गया है कि स्वतंत्रता से जिन परिणामों की आशा की जाती थी वे फलीभूत नहीं हुए। प्रसार और प्रचार के साधनों की उन्नति के साथ लोकमत को प्रभावित करने के लिए सरकार तरह-तरह के उपाय बनाती है। अतएव, नागरिकों के राज्यादेशों का पालन करने से इकार करने का भय जाता रहा। वस्तुतः सास्की के मतानुसार, आज समस्या इससे उल्टी है। लोगों को चुपचाप अन्याय सहन करने की आदत सी पड़ गई है। उनकी सतर्कता में कमी आ गई है और उदासीनता की प्रवृत्ति बढ़ गई है। साथ ही यह डर भी बढ़ रहा है कि सतर्कता के अभाव में कहीं अनजानी नागरिक अपनी स्वतंत्रता से हाथ न धो बैठें। सास्की के कथनानुसार, स्वतंत्रता का रहस्य साहस में निहित है, और साहस के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक जागरूक बने रहें। किन्तु जब तक यह जागरूकता संगठित रूप धारण न करे वह निरर्थक है।

हमारा अभिप्राय यह है कि सामाजिक और राजकीय दुरादयों का विरोध होना चाहिए और जितनी बड़ी दुराद हो उतना उल्लेख ही होना चाहिए। सास्की के कथनानुसार, स्वयं देशभक्ति निष्क्रिय नहीं होती, अपितु सक्रिय और रचनात्मक होती है। लॉक पहला अंग्रेज चिंतक था जिसने सविधानी

सरकार के महत्व को समझा और सरकार को परिवर्तित करने के अधिकार पर बल दिया। उसके कथनानुसार, सरकार एक ट्रस्ट के रूप में है और सामान्य हित के लिए काम न करने पर उसे हटाया अथवा बदला जा सकता है। इसी ने भी कहा कि अनुत्तरदायी सरकार को बदल देना नागरिकों का एक बुनियादी अधिकार है। ग्रीन के कथनानुसार, जहाँ राजकीय कानून व्यक्ति की सामाजिक हित की भावना के विरोधी हो तो नागरिकों को राज्य के प्रति विद्रोह करने का अधिकार है। लेकिन यह कहता है कि यह एक बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है और सोच-समझकर किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें शांतिपूर्ण सविधानी उपाय अपनाने चाहिए। विद्रोह करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि क्या वर्तमान दशा इतनी बुरी है कि उसके बदले अराजकता की जोखिम उठाई जाए? यही नहीं, विद्रोह का झंडा उठाने से पहले हमें समाज में अपने विचारों का प्रचार करके मत-परिवर्तन का सतत प्रयत्न करना चाहिए। यदि उसमें सफलता मिल जाती है तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में हमारा मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है क्योंकि नए चुनाव होने पर हमारे विचारों के अनुकूल नई सरकार स्थापित हो जायगी और विद्रोह करने की कोई आवश्यकता न रहेगी। किंतु यदि शासन लोकतंत्रीय न हो अथवा सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाने पर भी राज्य आनाबानी करे, तो ग्रीन के मतानुसार, ऐसी अवस्था में विद्रोह करना नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है।

गांधीजी का अंतरात्मा में पूर्ण विश्वास था। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति का अंतःकरण उसे किसी बुराई के प्रति विद्रोह करने का आदेश देता है तो उसको अवश्य ऐसा करना चाहिए। किंतु उनका दृढ़ विचार था कि इसके लिए अहिंसात्मक मार्ग अपनाना चाहिए और अपने विपक्षियों के हृदय-परिवर्तन के लिए यत्न करना चाहिए।

लास्की गांधीजी के इस विचार से सहमत है कि पाद्रे व्यक्ति नितान्त अकेला हो, उस सामाजिक बुराईयों का विरोध करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन सबसे पहले उसे यह निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या राज्य जो कुछ कर सकता है उसे करने में वह बस्तुतः आनाबानी कर रहा है? और क्या जो कुछ वह करना चाहता है उससे स्थिति में सुधार होगा? जिन परिवर्तनों के लिए वह प्रयत्नशील है क्या उनसे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जायगी, जिनकी ओर उसका लक्ष्य है? यही नहीं, लास्की का कहना है कि विरोध बुराई के समानुपात में होना चाहिए। उसके मतानुसार, यदि ग्रीन द्वारा बताई हुई सभी शर्तें पूरी हो जाएँ तो विद्रोह का झंडा उठाना नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है। लेकिन सफलता की दृष्टि से ऐसा विद्रोह संगठित रूप में किया जाना चाहिए,

अन्यथा सफलता की आशा बहुत कम हो जाती है। इसके अर्थ यह हुए कि इस प्रकार का विद्रोह तभी करना उचित होगा जबकि किसी समाज का एक विरोध वर्ग या भाग यह समझे कि उसकी दृष्टि में राज्य के कार्य अथवा नीतियाँ उसके हितों अहित में हैं कि छुप रहने से अधिक हानि की सम्भावना है।



शासन व्यवस्था

सार बात यह है कि लोकतन्त्रीकरण उन दशाग्रो को उत्पन्न करने में सहायता देता है जिन पर विशुद्ध लोकतन्त्र निर्भर है और जिनके बिना विपरीत दशायें बनी रहती हैं। अन्य प्रकार की व्यवस्थाग्रो की अपेक्षा सीमित लोकतन्त्र में भी शांति, ज्ञान के प्रसार और आर्थिक कल्याण को दिशाग्रो में तेजी से उन्नति होती है।

—बेनीप्रसाद

संविधान का स्वरूप और वर्गीकरण

अरस्तू के अनुसार सर्वोपरि सत्ताधारी वर्ग का स्वरूप राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व है संक्षेप में हमारी राजनीति उससे कहीं अधिक प्रगतिशील और कम गतिहीन है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारे राजनीतिक रूपों तथा सन्धिधानों में परिवर्तन अधिकतर ऊपरी होते हैं।

—सो० एच० मॅन्डलवेन

1. संविधान का अर्थ और विषयवस्तु

आधुनिक राज्यों में प्रायः एक निश्चित राज्य व्यवस्था होती है। कुछ पिछड़े देशों को छोड़कर शेष सभी देशों में शासन का संचालन निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार होता है। व्यक्तिगत शासन का समय अब लड़ चुका है। यह युग लोकतन्त्रवाद का है। अतएव लोगों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि संविधान (Constitution) में उनके कर्तव्यों, अधिकारों, राज्य के संगठन तथा उसके कार्यों की स्पष्ट व्याख्या रहे। यही नहीं, राज्य का संगठन भी अब अपेक्षाकृत जटिल हो गया है। अतएव, उसके विभागों के निर्माण, कार्यों, और उनके पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक हो गया है जिससे भ्रम अथवा मतभेद उत्पन्न न हों। इसके अतिरिक्त, अब लिखित कानून और संविधानों को पसंद दिया जाता है। इन कारणों से अब प्रायः सभी आधुनिक देशों के निश्चित संविधान होते हैं। जंलनेव के कथनानुसार, इसके बिना किसी आधुनिक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जहाँ संविधान होगा वहाँ राज्य का होना भी अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, बहुत लंबे समय तक भारत का अपना संविधान था, किन्तु 15 अगस्त, 1947 ई० को स्वतंत्र हो जाने के बाद ही वह एक

‘राज्य’ बना। सविधान होने का अर्थ यह नहीं है कि उस देश का शासन लोकतंत्रीय है। उदाहरण के लिए, हिटलर और मुसोलिनी की सरकारें सविधानी होने पर भी लोकतंत्रीय न थीं। इसी प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करने के पूर्व, भारत की सरकार सविधानी होने पर भी न तो लोकतंत्रीय थी और न स्वतंत्र। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सविधानी सरकार के लिए किसी देश का स्वतंत्र होना अथवा उसका लोकतंत्रीय होना आवश्यक नहीं है।

परिभाषा—सविधान (Constitution) शब्द के भौतिक और कानूनी—दोनों अर्थ होते हैं। भौतिक रूप में इससे हमारा अभिप्राय यह है कि राज्य में निश्चित भूभाग, जनता, संगठन और प्रमुखता होने चाहिए। इसके कानूनी रूप में वे सभी घोषणाएँ, कानून और नियम आ जाते हैं, जो राज्य के गठन, उसके कार्यों, उद्देश्यों और नागरिकों तथा समूहों के साथ उसके संबंधों को निर्धारित करते हैं। अतएव, गिलन्नाइस्ट के शब्दों में सविधान उन लिखित अथवा अलिखित नियमों और कानूनों के समूह को कहते हैं जो सरकार के संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में उसके कार्यों के वितरण और उन व्यापक सिद्धांतों का निरूपण करते हैं जिनके अनुसार ये अधिकार प्रयुक्त किए जाते हैं। गिलन्नाइस्ट की इस परिभाषा में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा सरकार और नागरिकों के संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया। डा० स्ट्रोंग के अनुसार, सविधान ‘उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकार, नागरिकों के अधिकारों, और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है’। गार्नर ने सविधान की तीन प्रमुख बातें बताई हैं—स्वतंत्रता, सरकार और प्रमुखता का गठन। पहले भाग में नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन होता है। साथ ही, सरकारी सत्ता को इस प्रकार सीमित किया जाता है कि नागरिक अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपभोग कर सकें। दूसरे में सरकार के संगठन, उसके विभिन्न अंगों के अधिकार, शासन-संबंधी नियम और सिद्धांत, तथा मतदाताओं का उल्लेख होता है। तीसरे में यह बताया जाता है कि सविधान में किस प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं।

सविधान का प्रारम्भ—आधुनिक सविधानों का प्रारम्भ उन समझौतों से हुआ है जिन्हें व्यक्तियों ने नए उपनिवेश स्थापित करते समय किए थे। तत्पश्चात् वे चार्टर (Charters) आते हैं जिन्हें साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों अथवा अधिभूत देशों को दिया। किन्तु सर्वप्रथम लिखित राजकीय सविधान सन् 1776 ई० में अमेरिकन उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद बनाया। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा है, यहाँ तक कि ब्रिटेन को छोड़कर अब लगभग अग्य सभी राज्यों में लिखित सविधान हैं।

नए सविधान कई प्रकार से बने हुए हैं। कुछ को साम्राज्यवादी देशों ने स्वेच्छापूर्वक दिया। कुछ देशों में जनता के आंदोलन से विवश होकर शासकों ने सविधान बनाया। कुछ देशों में भ्रांति अथवा विद्रोह के बाद स्वतंत्र सविधान बनाए गए जिनका निर्माण सविधान परिषद् (Constituent Assembly) अथवा विधानाग (Legislature) द्वारा हुआ।

2. वर्गीकरण

सविधानों के वर्गीकरण का आधार एक न होकर कई हैं। इनमें से प्रमुख हैं प्रथम, विकसित और निर्मित सविधान, द्वितीय, लिखित और अलिखित सविधान, तृतीय, नम्य (लचीला) और कठोर सविधान, तथा, चौथे, एकात्मक और सघीय सविधान।

विकसित और निर्मित सविधान—विकसित (Evolved) सविधानों से हमारा अभिप्राय यह है कि इनका धीरे-धीरे विकास हुआ। ऐसे सविधान एक समय मलीमांति सोच विचार करके नहीं बनाए जाते। अतएव, अभिसमयों (Conventions) का इनमें विशेष स्थान और महत्त्व होता है। ब्रिटेन का सविधान इसी प्रकार का है। ऐसा सविधान अत्यधिक लचीला होता है और आवश्यकतानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्मित (Enacted) सविधान अच्छी तरह सोच समझ कर बनाए जाते हैं।

कोई सविधान पूर्णतः निर्मित अथवा विकसित नहीं होता। निर्मित सविधानों में भी शनैः शनैः विकास होता रहता है और विकसित सविधानों में भी कुछ न कुछ निर्मित अंश होने हैं। अतः यह वर्गीकरण सविधान के स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश नहीं डालता।

लिखित और अलिखित सविधान—लिखित सविधान प्रायः एक ही समय बनाया जाता है, किंतु ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। फ्रांस के तृतीय जनतंत्र का सविधान तीन पृथक् युनिमादी कानूनों के रूप में था। लिखित सविधानों का अब विशेष आदर किया जाता है और उसे 'सर्वोपरि कानून' की सजा प्राप्त है। उनमें परिवर्तन करने का ढंग भी भिन्न और विशिष्ट होता है। प्रायः इसके अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की घोषणा भी सम्मिलित कर दी जाती है जिससे इन अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त हो जाते हैं। लिखित होने के कारण यह निश्चित, स्पष्ट और स्थिर होते हैं। किंतु दूसरी ओर इनके समय के प्रतिकूल हो जाने की सम्भावना रहती है। यदि लिखित सविधान सायं में कठोर (rigid) भी हों, तो उनमें सुगमतापूर्वक परिवर्तन नहीं हो पाते; और जो सविधान समय की आवश्यकता के अनुसार मोड़े नहीं किए जा सकते प्रायः वे पलट

दिए जाते हैं। अतः अत्यधिक कठोरता भी संविधान का विशेष गुण नहीं माना सकता।

अलिखित संविधान से हनारा लाभ यह है कि उसका अधिकार मांग दिया हुआ नहीं होता। इस प्रकार का संविधान प्रायः विकसित होता है। इस प्रकार के विकसित और अलिखित संविधान का ब्रिटेन एक अनुपम उदाहरण है। यह बहुत लचीला भी होता है और साधारण कानूनों के अनुसार इसे मतचाहे ढंग से मोटा या सखता है। अतएव, महत्त्वान्वित स्थिति में सरलता से इसे परिवर्तित किया जा सकता है। किन्तु ऐसे संविधानों से जनता को यह डर भी रहता है कि कहीं कोई महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति इसकी लचकता (flexibility) का अनुचित प्रयोग न करने लगे। अतः केवल राजनीतिक रूप से प्रौढ़ जनता ही इसे सफलतापूर्वक चला सकती है।

गार्नर, स्ट्रॉन, लीकीज, गैटिल आदि विचारकों में इस वर्गीकरण को व्यवस्थानिक कहा है। उनके मतानुसार, न कोई संविधान पूर्णतः लिखित होता है और न अलिखित। अलिखित और विकसित संविधानों में भी समय पाकर अनेक लिखित बातों का समावेश हो जाता है। ब्रिटेन के संविधान में अब काफी लिखित अंश हो गए हैं; जो बातें अनिश्चयों पर आधारित थीं, धीरे-धीरे उन्हें लिखित रूप मिल गया है। तद्वति, अब भी उसमें अन्य संविधानों की अपेक्षा लिखित भाग कम है। दूसरी ओर, लिखित संविधानों में सभी बातें पूर्णतः दफिन नहीं होतीं। चाहे उन्हें कितना ही विरुद्ध बनाने का प्रयत्न किया जाए, समसामुसार नई आवश्यकताएँ उत्पन्न हो ही जाती हैं। इन्हें पूरा करने के लिए या तो कानूनी परिवर्तनों का आश्रय लिया जाता है अथवा कुछ नए अनिश्चय बना दिए जाते हैं अथवा संविधान की नई व्याख्याएँ दे दी जाती हैं। राष्ट्र के अनुसार, लिखित संविधान कुछ दशों में ही व्याख्याओं, अनिश्चयों, प्रथाओं, और निर्णयों से इतने लदे जाते हैं कि केवल प्रारम्भिक संविधान के पठन से प्रचलित संविधान की पूरी जानकारी नहीं हो पाती। अतएव, उक्त बात है कि लिखित और अलिखित संविधानों का यह भेद भी शुभानुभव नहीं है।

नम्य और कठोर संविधान—रुढ़ वर्गीकरण का आधार यह है कि संविधान में परिवर्तन और समोच्च साधारण कानूनों के समान हो सकते हैं अथवा नहीं? यदि ऐसा ही सकता है कि दो संविधान को इन नम्य कहें और यदि नहीं हो सकता तो कठोर कहें। परन्तु संविधान की कठोरता की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। कहीं-कहीं पर समोधन का ढंग इतना कठोर और पंजीय होता है कि परिवर्तन करना दुष्कर हो जाता है। किन्तु अधिकतर संविधानों में समोधन करने का ढंग साधारण कानून बनाने के ढंग से मिलने पर भी बहुत कठिन

नहीं होता। तथापि दोनों ही अवस्थाओं में सविधान कठोर कहे जायगा।

इस भेद से हमें इस परिणाम पर नहीं पहुँचना चाहिए कि कठोर सविधानों में कम संशोधन होते हैं और नम्य सविधानों में अधिक। वस्तुतः परिवर्तनों का कम अथवा अधिक होना जनता की राजनीतिक मनोकृति, सविधान की व्यापकता, और व्याख्या करने वाली सत्ता के हस्त पर निर्भर है। उदाहरण के लिए यद्यपि ब्रिटेन का सविधान अत्यंत लचीला है तथापि उसमें बहुत कम परिवर्तन होते हैं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य (अमेरिका) का सविधान अत्यंत कठोर होने पर भी उसकी व्यापकता और व्याख्याकारों के हस्त के वारण, बिना कानूनी संशोधन किए भी, उसकी ध्वनि और भावना में सुगमता से परिवर्तन हो जाते हैं।

नम्य सविधान के अनेक लाभ हैं। सर्वप्रथम, इसे सकटकाल में आवश्यकता-नुसार नया मोड़ दिया जा सकता है, और सकटकालीन अवस्था की समाप्ति पर वह फिर ज्यों का त्यों अपना पुराना रूप धारण कर लेता है। दूसरे, समयानुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसने विपरीत कठोर सविधानों में परिवर्तन की कठिनाई के कारण थोड़े समय के बाद वे अनुदार हो जाते हैं। तीसरे, बदलते रहने के कारण ये लोकमत और समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बने रहते हैं जबकि कठोर सविधानों के लिए यह कार्य दुष्कर होता है। चौथे, क्योंकि यह सुगमता से परिवर्तित हो जाते हैं अतः उनमें बराबर सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कठोर सविधानों को बिना ज्ञाति के बदलना कठिन हो जाता है। पाँचवे, इनकी व्याख्या करने के लिए समय, शक्ति और धन का दुरुपयोग नहीं करना पड़ता क्योंकि विधानाग का मत सर्वोपरि और मान्य होता है। इसके विपरीत, कठोर सविधानों की व्याख्या प्रायः देश के सर्वोच्च न्यायालय करते हैं जिसमें काफी समय, शक्ति और धन का व्यय होता है। इस प्रकार नम्य सविधानों के जो गुण हैं, एक अर्थ में कठोर सविधानों के वही दोष होते हैं।

कठोर सविधानों के गुण और नम्य सविधानों के दोष भी एक समान हैं। प्रथम, कठोर सविधानों को सुगमता से बदला नहीं जा सकता। अतः उनका आदर अधिक होता है और उनमें स्थायित्व भी। नम्य सविधानों के समान इनमें यह डर नहीं रहता कि कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति सविधान को उलट कर अपना निरंकुश शासन कायम कर लेगा। दूसरे, नम्य सविधानों के समान इनमें अनिश्चितता और अस्पष्टता भी नहीं होती। साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इन्हें समझ सकता है। तीसरे, नम्य सविधानों को केवल राजनीतिक रूप से प्रौढ़ व्यक्ति सफलतापूर्वक चला सकते हैं जबकि कठोर सविधानों को राजनीतिक रूप

से अविद्वसित नागरिक भी काम में ला सकते हैं। चौथे, इनमें नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की स्थान देकर उन्हें विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। दूसरी ओर, नम्य संविधानों में यदि ऐसी घोषणा हो तो उससे विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि सरकार जब चाहे उसे वापस ले सकती है। पाँचवे, इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के हितों को भी संरक्षण दिया जा सकता है। छठे, इस प्रकार के संविधान का सघीय (federal) शासन के लिए विशेष महत्त्व है क्योंकि इस प्रकार की सरकार में यह आवश्यक है कि सघीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों की शक्तियों का विभाजन सुस्पष्ट और स्थायी हो और साथ ही इस विभाजन को संविधानी संरक्षण प्राप्त हो। यदि संविधान नम्य हो तो इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।

एकात्मक और सघीय संविधान—यह भेद शासन के स्वरूप पर निर्भर है। यदि किसी राज्य में राजसत्ता एक ही स्थान पर केंद्रित है तो इस प्रकार का शासन एकात्मक (Unitary) कहलाता है और उसका संविधान भी एकात्मक कहलाएगा। इसके विपरीत, यदि किसी देश में दो प्रकार की सरकारें हों—केंद्रीय अथवा सघीय और प्रादेशिक, और इन सरकारों के कार्य निश्चित और स्पष्ट रूप से बंटे हुए हों और अपने अपने क्षेत्र में ये दोनों ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, तो ऐसी सरकार और उसके संविधान को सघीय कहते हैं। वस्तुतः यह भेद सरकारों का है और उसके अनुरूप संविधानों में भी यह भेद लक्षित होता है। अतः सरकारों का वर्गीकरण करते समय हम इस प्रभेद पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

3. संविधान का विकास और संशोधन

संविधान का विकास केवल औपचारिक ढंग से नहीं होता, वह अन्य रूपों में भी विकसित हो सकता है। अनौपचारिक ढंगों में सबसे पहले अभिसमयों (conventions) और प्रथाओं का स्थान है। विद्वान सेल्टो ने इन्हे राजनीतिक श्रौंख के लिए आवश्यक नैतिक नियमों की संज्ञा दी है। उनके कथनानुसार, इस प्रकार के अभिसमय और प्रथाएँ विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति से और सुविधा का ध्यान रखते हुए लोचहित में बनती हैं, और जब तक सभी दल इनके संवध में एकमत न हों, वे मान्य नहीं होतीं। इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनकी सहायता से, बिना औपचारिक संविधानी संशोधन किए, संविधान की नई व्याख्या की जा सकती है। संविधान के विकास का एक दूसरा ढंग व्याख्या है। संविधान की अधिवृत्त व्याख्या का अधिकार प्रायः न्यायालयों को दिया जाता है। किंतु जब तक कोई प्रश्न न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत

नहीं होता, कायांग अथवा शासन के अन्य अंगों द्वारा दी हुई व्याख्याएँ चालू रहती हैं। इन व्याख्याओं तथा न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा भी सविधान में काफी परिवर्तन होते रहते हैं।

इनके अतिरिक्त, प्रत्येक सविधान का अपना औपचारिक संशोधन का ढंग होता है। स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य (अमेरिका) और भारत के सविधान अपेक्षाकृत कठोर होने के कारण इनकी संशोधन की विशिष्ट विधियाँ हैं। भारतीय सविधान में संशोधन के लिए संसद के किसी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे दोनों सदनों की समस्त सदस्य सभ्या के बहुमत से और सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसे पारित होना चाहिए, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाएगा और ऐसी अनुमति मिल जाने पर सविधान में संशोधन हो जाएगा। यदि संशोधन का सबंध राष्ट्रपति, सभ तथा राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति, सभ तथा राज्यों के न्यायालयों, सभ तथा राज्यों के विधायी सबंधों, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व आदि से है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किए जाने के पूर्व उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में संशोधन करने के अपेक्षाकृत सरल ढंग रखे गए हैं। उदाहरण के लिए, राज्यों (प्रदेशों) की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, संबंधित राज्यों के विधान-मंडलों की सम्मति प्राप्त करने के पश्चात् संसद कानून द्वारा संशोधन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, अल्पवालीन और अस्थायी व्यवस्थाओं को भी संसद इच्छानुसार कानून बनाकर बदल सकती है। इस प्रकार भारतीय सविधान में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों को विविध रूप की कठोरता प्रदान की गई है।

उत्तम सविधान

साधारणतः सविधान वही उत्तम समझा जाना चाहिए जो अपने देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। तथापि उत्तम सविधान के कुछ लक्षण ये हैं उसका सन्निवृत्त होना, निश्चितता और स्पष्टता, व्यापकता, नम्यता, नागरिक अधिकारों का उचित संरक्षण, और समयानुकूलता। गैटिल के मतानुसार, 'सविधान को इतना नम्य होना चाहिए कि आवश्यकता पडने पर वह सुगमता से परिवर्तित हो सके, परन्तु उसका संशोधन इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि उसका स्थायित्व ही नष्ट हो जाए'।



सरकार का वर्गीकरण

अधिकतर आधुनिक लेखक राज्यों का वर्गीकरण करते समय सर्वोपनि-
कानूनी शक्ति की सामान्य स्थिति के अनिश्चित सरकारों के संगठन, और
व्यवस्था के विशिष्ट लक्षणों पर भी ध्यान रखते हैं।

—स्टीफन लीवीक

पुराने विचारक राज्य और सरकार के भेद पर ध्यान नहीं देते थे। अतएव
उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है। वस्तुतः राज्यों का वर्गीकरण जनसंख्या
क्षेत्रफल और प्रभुसत्ता के आधार पर नहीं किया जा सकता, केवल सरकार के
संगठन के आधार पर किया जाता है। अतः आधुनिक लेखक इसे शासन प्रणा-
नियों अथवा सरकारों का वर्गीकरण कहना अधिक संगत समझते हैं।

1. अरस्तू का वर्गीकरण

अरस्तू (384-322 ई० पू०) के नाम से जो वर्गीकरण प्रचलित है, वस्तुतः
वह उसके समय के पहले से ही प्रचलित था। अरस्तू ने केवल उसे थोड़ा सा हेर-
फेर कर नया रूप दे दिया और सभी से वह उसके नाम से चला आ रहा है।
सर्वप्रथम, वह राज्य के ध्येय पर विचार करता है। उसके मतानुसार यदि राज्य
या ध्येय सामान्य हित है, तो ऐसे राज्य 'सामान्य' (normal) कहलायेंगे और
जिनका ध्येय अर्गहित है वे विकृत (perverted) राज्य कहे जायेंगे। इसके अति-
रिक्त, अरस्तू ने वर्गीकरण का दूसरा आधार यह माना है कि 'राज्यसत्ता किस
शक्ति (authority) के हाथ है।' इन दोनों भेदों के आधार पर उन्होंने तीन सामान्य
राज्य और तीन विकृत राज्यों का वर्णन किया है। सामान्य राज्यों में उसने
एक योग्य व्यक्ति का शासन अथवा राजतंत्र (monarchy) कुछ व्यक्तियों का

सामन अथवा कुलीनतंत्र (Aristocracy) और अनेक व्यक्तियों का शासन अथवा लोकतंत्र का नाम लिया है। कुलीनतंत्र में सत्ता गुणी अथवा कुलीन व्यक्तियों के हाथों में होती है और लोकतंत्र सभी स्वतंत्र (free-born) नागरिकों के हाथों में जो प्रायः निर्धन होते हैं। विकृत राज्यों में इसी प्रकार एक व्यक्ति के शासन को तानाशाही (Tyranny), कुछ व्यक्तियों के शासन को अल्पतंत्र (Oligarchy) और बहुता के शासन को भीड-शासन का नाम दिया है (अरस्तू ने यह शब्द प्रयुक्त नहीं किया, किंतु उसके भावों का यही विशुद्ध रूपान्तर है)। उसके अनुसार अल्पतंत्र में सत्ता प्रायः धनिक वर्ग में निहित होती है जो अपने स्वार्थों में उसे प्रयुक्त करते हैं। सामान्य राज्यों में उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ और लोकतंत्र को निवृष्ट बताया है, किंतु विकृत राज्यों में वह भीड-शासन को प्रथम स्थान देता है और तानाशाही को निवृष्ट समझता है। कुलीनतंत्र और अल्पतंत्र दोनों ही दर्राज्यों में मध्यवर्ती होते हैं।

अरस्तू का विश्वास था कि अनेक कारणों से शासन प्रणालियों में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तनों का एक चक्र-सा चलता रहता है। इस चक्र में राजतंत्र को वह प्रथम स्थान देता है जिसके विकृत हो जाने पर तानाशाही स्थापित हो जाती है। उससे ऊब कर लोग विद्रोह कर देते हैं और कुलीनतंत्र कायम हो जाता है। यह भी समय पार अल्पशासन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पलट कर लोग लोकतंत्र स्थापित कर देते हैं। जब लोकतंत्र में अव्यवस्था फैल जाती है तो वह भीड-शासन में बदल जाती है। अतः, उससे भी तन आकर जनता फिर एक योग्य व्यक्ति को राजा मान लेती है, और यह चक्र फिर चालू हो जाता है¹।

यह वर्गीकरण हमारा ध्यान राज्य के ध्येय और सत्ताधारी वर्गों की सामाजिक स्थिति की ओर दिलाता है। तथापि परिस्थितियाँ अब इतनी बदल चुकी हैं कि यह वर्गीकरण हमारे विशेष काम का नहीं है। जमाना अब नगर-राज्य और प्रत्यक्ष शासन का न होकर देश-राज्य और प्रतिनिधित्व संस्थाओं का है। अतः अरस्तू के अर्थ में किसी विशुद्ध शासन-प्रणाली का मिलना असम्भव है। राजतंत्र भी अब सीमित हो गए हैं। कुलीनतंत्र और अल्पतंत्र का भेद अब समाप्त हो गया है। वस्तुतः इस प्रकार की सरकारें अब नहीं रही अथवा यों कहिए कि जिन्हें हम आज लोकतंत्रीय शासन कहते हैं, सम्भवतः वह अरस्तू की भाषा में कुलीनतंत्र अथवा अल्पतंत्र माने जाएँ। इस वर्गीकरण के अनुसार ब्रिटेन, अफगानिस्तान और नेपाल एक ही श्रेणी में आ जाते हैं और दूसरी ओर फ्रांस, भारत,

1 *Politics of Aristotle*, जर्नेट बार्कर द्वारा अंग्रेजी में अनूदित तथा सम्पादित, ऑक्सफोर्ड, 1946, भाग 3 अध्याय 6-7 तथा भाग 4 अध्याय 2-4.

और संयुक्त राज्य (अमेरिका) एक भिन्न श्रेणी में। स्पष्ट है कि इन विभाजन से राज्य के वास्तविक रूप अथवा गठन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। यही नहीं, इस वर्गीकरण में सघीय सरकार और मिश्रित सरकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जब कि अधिभूत आधुनिक सरकारों अस्तु की भाषा में मिश्रित कही जायेंगी। सच बात यह है कि आज की सरकारें इतनी जटिल हो गई हैं कि एक या दो आधारों पर किया हुआ वर्गीकरण विशेष अर्थ नहीं रखता। साथ ही, आधुनिक शासन प्रणालियों के वर्गीकरण में ऊपरी बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, राज्यसभा के ध्येय पर कम।

2. राजतंत्र

राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राजसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है और उसके पास जीवनपर्यन्त रहती है। यह सत्ता बशानुगत (hereditary) भी हो सकती है और निर्वाचित भी। साथ ही, राजतंत्र असीमित भी हो सकता है और सीमित भी। निरंकुश राजतंत्र (Absolute Monarchy) में राजा के पास पूर्ण राजनीतिक अधिकार होते हैं, किंतु सीमित राजतंत्र में वह केवल दिखावे का राज्यप्रमुख होता है। ब्रिटेन का शासन दूसरी प्रकार का है जबकि नेपाल का शासन पहली श्रेणी का है। वर्तमान-जगत् में शनैः शनैः राजतंत्र क्षुप्त होता जा रहा है और जहाँ वह प्रचलित है वहाँ भी प्रायः सीमित रूप में। केवल कुछ पिछड़े हुए देशों में निरंकुश राजसत्ता चालू है।

गुण—सीमित राजतंत्र वस्तुतः राजा का शासन नहीं होता। अतएव, यहाँ हम केवल निरंकुश राजतंत्र के गुण-दोषों की विवेचना करेंगे। इसका प्रथम गुण इसकी व्यवस्था का सरल होना है। इसमें राजा सर्वव्यक्तिमान होता है। अतएव, वह प्रजा को एक मूत्र में बांध सकता है। इसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं और यदि वह प्रजापालन पर टीका से ध्यान दे तो प्रजा उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखती है। दूसरे, राजा के प्रति श्रद्धा के कारण सक्क-नाल की अवस्था में एक सगठित मोर्चा बनाने में सुगमता होती है। तीसरे, ऐसा शासन हड़ और स्थिर होता है। इसमें आए दिन न तो सरकार बदलने का क्षण होता है और न नीति निर्धारित करने वाले विभिन्न वर्गों में मतभेद का। सभी राज्य कर्मचारी राजा के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे केवल परामर्श देते हैं, अंतिम निर्णय राजा का होता है। अतः निर्णय करने और उसे कार्यरूप देने में न कठिनाई होती है और न समय की बरबादी। चौथे, इस शासन का खर्च भी कम होता है क्योंकि राज्य कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित होती है। पाँचवे, इसमें राजा और प्रजा के हितों में कोई बुनियादी विरोध नहीं होता।

अन अच्छे राजा के शासन में प्रजा सुखी और धनधान्यपूर्ण बन जाती है।

राजतन्त्र के इन गुणों के होते हुए भी कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण इसका समर्थन करना अत्यंत कठिन है। पहले, एक अच्छा राजा का मिलना दुर्लभ है। प्रायः राजा दुष्ट प्रकृति वाले, अत्याचारी और इद्रियलोलुप होते हैं। दूसरे, यदि राजा योग्य और लोकप्रिय भी हो, तो उसके उत्तराधिकारी के संघर्ष में ऐसी क्या गारंटी दी जा सकती है? तीसरे, ऐसा शासन पिछड़े लोगों में ही चल सकता है, जहाँ प्रजा में राजनीतिक चेतना न हो। चौथे, राजा चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य (Self government) का स्थापना नहीं हो सकता। यही नहीं, राजा कदाचित ही एक उन्नत समाज की भावश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पाँचवें, इस शासन का सबसे बड़ा दोष राजिन के दुरुपयोग की सम्भावना है। इतिहास हमें बताता है कि एक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बना देने से निरकुशा का जन्म होता है। छठे, न तो ऐसे शासन में प्रजा में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है और न उनके पात्र-सम्मान की भावना ही जागृत हो पाती है।

3 कुलीनतन्त्र

इसमें राजसत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होती है जिनमें प्रतिभा होती है यथवा जो धनी या उच्च परिवार के होने के कारण आदरणीय हैं। विशुद्ध रूप में यह शासन प्रजाती अब नहीं मिलती, किन्तु इसके अवशेष नहीं नहीं दिखाई पड़ जाते हैं। ब्रिटन की लार्ड-सभा इसका एक अच्छा उदाहरण है।

इसके गुणों का वर्णन करते हुए गार्नर ने कहा है कि यह शासन योग्यता और चरित्र को महत्त्व देता है और अनुभव तथा ज्ञान का सम्मान करता है। अनुभवी व्यक्ति परम्परा को पसंद करने वाले होते हैं और व्यर्थ के परिवर्तन नहीं चाहते, अतः वे सोच समझ कर काम करते हैं। इसलिए इस प्रजाती के अतर्गत असंशुभित राजतन्त्र और उच्च लोकतन्त्र दोनों के ही दोषों से मुक्ति मिल जाती है।

किन्तु इसमें अनेक त्रुटियाँ भी हैं। सर्वप्रथम, इसकी समस्या यह है कि योग्यता का आधार क्या हो और उसकी परीक्षा कौन और कैसे करे? उच्च-कुलीन और धनिक होने से ही तो व्यक्तियों में योग्यता नहीं आ जाती, और अब इन बातों से लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है। दूसरे, यदि प्रारम्भ में इस प्रजाती का आधार योग्यता हो, तो भी कुछ समय परचाव कुलीनता का आधार बसगुठ बन जाना है जिसके कारण कुलीनों का एक वर्ग बन जाता है और अन्य व्यक्तियों का दूसरा वर्ग। तीसरे, इसमें राजसत्ता-वर्ग अपने वांछित

को प्रधानता देते हैं, लोकहित का ध्यान नहीं रखते। चौथे, इसके अंतर्गत नागरिकों में राजनीतिक चेतना और आत्म सम्मान की भावना का उदय नहीं होता। पाँचवे, इस प्रणाली में भी सत्ता के दुरुपयोग की सम्भावना बनी रहती है।

4 लोकतंत्र

इस शब्द की व्युत्पत्ति से पता चलता है कि यह 'जनता का शासन' है। लार्ड ग्राइस के अनुसार, यह ऐसी सरकार है जिसमें शासनाधिकार जनसमुदाय में निहित होता है। उसने इसे 'बहुमत का शासन' भी कहा है। एटली के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है 'बहुमत द्वारा शासन और अल्पमत के लिए संरक्षण'। अब्राहम लिंकन ने इसे 'जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार' बताया है। हंशों के अनुसार, यह ऐसा राज्य है जिसमें सरकार जनता द्वारा नियुक्त, नियंत्रित और पदच्युत की जाती है। इन परिभाषाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र किसी वर्ग-विशेष की सरकार न होकर एक लोक-सरकार होती है। यदि किसी लोकतंत्रीय राज्य का प्रधान निर्वाचित हो तो उसे 'गणतंत्र' (Republic) कहते हैं, किंतु लोकतंत्रीय राज्य का प्रधान वधानुगत भी हो सकता है और उसके अधिकार संविधान द्वारा सीमित हो सकते हैं।

इतिहास—यह शासन-प्रणाली सहस्रों वर्षों से चली आ रही है। यह विचार भी अतिप्राचीन है कि प्रत्येक राज्य को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के भरपूर प्रयत्न करने चाहिए। उसे जनता के आदेशों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और जनता द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार कार्य करना चाहिए। डॉ० बेनी-प्रसाद ने इस भावनाओं को 'अभाववात्मक लोकतंत्र' (Negative democracy) की संज्ञा देते हुए यह कहा है कि सभी अच्छी सरकारें इस धारणा के अनुसार काम करती रही हैं, किंतु यदि लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय यह है कि नागरिक शासन कार्य में सक्रिय भाग लें तो इस प्रकार की प्रणाली अब तक केवल स्थानीय और कार्यवाहक (functional) क्षेत्रों में ही प्रचलित रही हैं। इन सीमित क्षेत्रों के अतिरिक्त, व्यापक रूप में केवल आधुनिक युग में लोकतंत्र का प्रसार हो सका है। मानायाव और संदेस के समुचित साधनों के अभाव में, अशिक्षा, गरीबी और राजनीतिक चेतना की कमी तथा आपसी भेदभाव, अविश्वास और भगवों के कारण केंद्रीय शासन में सहस्रा वर्षों तक लोकतंत्र का प्रचलन नहीं हो सका। केवल पिछले दो-तीन सौ वर्षों से ही इस संघर्ष में आवश्यक बदल उठाए

गए हैं ।

लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए फाइनर कहता है कि इसका जन्म विरकुश शासन के विरोध में हुआ । उसके मतानुसार, अनेक व्यक्ति स्वतंत्रता की अपने निश्चित ध्येय को प्राप्त करने का एक साधन मात्र समझते हैं । अठारहवीं शताब्दी के अंत में यूरोप में लोकतंत्र की भावना नकारात्मक, विद्रोही और क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ से भरपूर थी, किंतु इसके समर्थकों में वर्तमान स्थिति के स्थान पर किसी नए समाज के निर्माण करने की चेतना नहीं थी । उसके कथनानुसार, इसके विध्वसात्मक कार्य के समाप्त होने के पश्चात् उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे भाग में लोकतंत्र की दिशा का प्रश्न महत्वपूर्ण बना, और अनेक विचारकों ने यह धारणा प्रस्तुत की कि लोकतंत्र की दिशा 'समाजवादी' होनी चाहिए¹ । लोकतंत्रवादियों में जो लोग स्वतंत्रता पर बल देने हैं वे विचार विमर्श द्वारा ज्ञानन करने, शासित वर्गों को शर्म-शर्म-रियायत देने, अल्पसंख्यकों के प्रति सहृदयता का भाव रखने, और धर्म, विश्वास तथा सम्पत्ति के प्रति कोमल भावनाओं को आवश्यक मानते हैं । किंतु जनसमुदाय इनकी यथेष्ट नहीं समझता और व्यापक सुधारों का पक्षपाती है । अतएव, आधुनिक राज्यों के सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किस प्रकार तीव्र गति से और बिना खूनखराबी और बलप्रयोग के सामाजिक और आर्थिक समता लाई जा सकती है² । फाइनर के मतानुसार यदि इन दोनों धारणाओं में समन्वय नहीं होता, तो इनके अनुयायियों में संघर्ष का होना अनिवार्य है । अब इन बातों की ओर भी अधिक आवश्यकता है कि हम ऐसी सस्थाएँ बनाएँ जो उग्र भावनाओं पर नियंत्रण लगा सकें ।

लोकतंत्रीय शासन के अनिर्धार्य तत्व—उन्नीसवीं शताब्दी में आकर लोकतंत्रीय राजनीतिक सस्थाओं का विकास हुआ³ । इन सस्थाओं में सर्वप्रथम स्थान लिखित सविधान का है । इससे सत्ता को सीमित करने में सुविधा हुई और नागरिक अधिकारों का संरक्षण हो सका । द्वितीय लोकतंत्रीय सस्था सविधानी सरकार है जो कानूनों पर आधारित होती है । इसमें 'विधि-शासन' (Rule of Law) होता है और कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को समान अधिकार और समता के सुखसंसार प्राप्त होते हैं । तीसरी लोकतंत्रीय सस्था नागरिकों के अधिकारों की घोषणा है । जिसे फाइनर बुनियादी रूप में आवश्यक मानते हैं । ये अधिकार क्या हों, इस संबंध में मतभेद हो सकते हैं ; लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लगभग सभी व्यक्ति यह स्वीकार करेंगे कि इन अधिकारों

1 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 124, 128, 139-140.

2 वही, पृष्ठ 128.

3 James Bryce, *Modern Democracies*, भाग 1, पृष्ठ 20.

की स्पष्ट और सविधानी व्याख्या होनी चाहिए। इस प्रकार की अंतिम सस्या लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी वयस्क नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में त्रिधात्मक रूप से भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें वयस्क मताधिकार, बहुमत निर्णय, प्रतिनिधि-सरकार आदि सम्मिलित हैं। यद्यपि इनमें से कई सस्याएँ लोकतंत्र के बिना भी पाई जाती हैं¹ तथापि सम्मिलित रूप में ये सस्याएँ लोकतन्त्रीय शासन के अंतर्गत ही हो सकती हैं।

लोकतंत्र का सामाजिक पक्ष—लोकतंत्र लोकमत पर आधारित शासन होता है। इसके प्रभावी होने की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि इसमें लोकमत को क्या मान्यता प्राप्त है और किस गति से लोकमत सरकारी कार्यों को प्रभावित कर पाता है²। तथापि आधुनिक लोकतंत्र में हम यह मानकर चलना पड़ेगा कि लोकमत में भी अतिविरोध हो सकते हैं³। विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं जो सामान्य हित के विरुद्ध हो। यदि राज्य किसी वर्ग विशेष के हितों का साधन नहीं करता तो उसे इन विभिन्न हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोकतंत्र के सामाजिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा प्रमुख है। पिछले दिनों इन विचारों की नई व्याख्याएँ हुईं जिसके अंतर्गत आर्थिक समता को विशेष महत्त्व दिया जाने लगा है। साथ ही यह माँग की गई है कि हमें केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही स्वशासन के अधिकार नहीं होने चाहिए अपितु औद्योगिक क्षेत्र में भी इनका समुचित प्रबंध होना चाहिए। पिछले दिनों, कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की भाषना बल पकड़ने लगी है और राजनीतिक लोकतंत्र का स्थान धीरे धीरे अब सामाजिक लोकतंत्र सेने लगा है⁴।

साम्यवादी दृष्टिकोण—सोवियत संघ के साम्यवादियों की यह धारणा है कि उन्होंने अपने दक्ष में सर्वोत्तम लोकतंत्र की स्थापना की है। इसके समर्पण में वे सामाजिक, आर्थिक और जातीय (ethnic) समता की ओर हमारा ध्यान दिखाते हैं। उनके कथनानुसार, पाश्चात्य देशों में प्रचलित राजनीतिक सस्याएँ एव प्रथाएँ अर्थहीन हैं, क्योंकि एक वर्ग समाज में जिस वर्ग के हार्थों में उत्पादन के साधन और उपकरण होते हैं, वस्तुतः वही शासक वर्ग होता है। अतएव, जब तक पूँजोवादी व्यवस्था रहती लोकतंत्र की सस्याएँ बेबल दिखावे भर की होती,

1 विरमन, उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 213

2 वही, पृष्ठ 216

3 वही, पृष्ठ 221, 223

4 वही, पृष्ठ 240

जीवन की यथार्थताओं पर उनका विशेष प्रभाव न होगा। उनके कथनानुसार सोवियत व्यवस्था में जनता को विभिन्न स्तरों पर त्रियात्मक और सृजनात्मक रूप से भाग लेने का पूरा सुयोग मिलता है और व्यक्तिगत पहलू की पूरी गुंजाइश होती है। तथापि पिछले 15 वर्षों में सोवियत संघ में जो नई धारा प्रवाहित हुई है उससे कुछ ऐसा लगता है कि सोवियत जनता भी अब 'विधि-शासन', स्वतंत्र विचार विमर्श और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्त्व समझने लगी है। यही नहीं, वह इस दिशा में प्रगति करने के लिए समुचित वातावरण बनाने के लिए सतत प्रयत्न कर रही है।

लोकतंत्र के तीन पहलू—लोकतंत्रीय व्यवस्था के तीन पहलू हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जिस समाज में ये तीनों रूप उपस्थित न होंगे, वहाँ पूर्ण लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं हो सकती। इसके सामाजिक पहलू से हमारा आशय यह है कि समाज में वर्ग, जाति, धर्म, वर्ण और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। नर और नारी, निधन और बमीर, सभी को समान माना जाए और उनके प्रति जीवन में समता का व्यवहार हो। इसके आर्थिक पहलू से हमारा आशय यह है कि समाज में धन के वितरण में विषमता न हो और धन पर आधारित लाइयो को भरसक पाट दिया जाए, अर्थात् लोगों में लगभग आर्थिक समानता हो। आर्थिक लोकतंत्र में सबको काम करने, अवकाश मिलने और उचित आय पाने और बिना रोक-टोक के जीवन का उपभोग करने का अधिकार सम्मिलित है। इसके राजनीतिक रूप में मताधिकार, चुनाव लड़ने और पदग्रहण करने के अधिकार सम्मिलित हैं। इन अधिकारों के समुचित उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को भाषण, प्रकाशन और संघ बनाने की स्वतंत्रता हो।

लोकतंत्र की अभिधारणायें—हर्नशां के अनुसार, लोकतंत्र की निम्न अभिधारणायें (Postulates) हैं प्रथम, साधारणतः व्यक्तियों में इतनी 'सामान्य बुद्धि' होती है कि वे विवेकशील नागरिकों के नाते कार्य कर सकें, दूसरे, बुनियादी रूप में वे ईमानदार होते हैं और अपने उत्तरदायित्व को भलीभाँति पूरा करते हैं; तीसरे, जनसमुदाय में एक अतर्निहित सामाजिक एकता की भावना होती है, और चौथे, प्रत्येक जासमुदाय में एक सामान्य इच्छा होती है। जहाँ तक अंतिम अभिधारणा का प्रश्न है, अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में विविध हित होते हैं जिनको हमें मान्यता देनी चाहिए और उनमें सामंजस्य स्थापित करने के प्रयत्न करने चाहिए। इस दृष्टि से लोकतंत्र सामाजिक सन्तुलन की एक समस्या है और लोकतंत्रीय समाज के उद्देश्य विविध हितों में सन्तुलन रखते हुए निश्चित किए जाने चाहिए।

प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिक लोकतन्त्र

ऐतिहासिक दृष्टि से लोकतन्त्र को प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिक प्रणालियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्राचीन युग में यूनान, रोम और भारत में प्रचलित था। ऐसा शासन छोटे जनसमुदायों में ही समभव है। अतः आधुनिक देश राज्यों में इस प्रकारका शासन नहीं चल सकता। जब इनमें प्रतिनिधिक समस्याएँ बन गईं तब परोक्ष अथवा प्रतिनिधिक लोकतन्त्रीय प्रणाली ने जन्म लिया। तथापि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से सरचित कुछ महत्वाएँ अब भी स्विटजरलैंड, संयुक्त राज्य (अमेरिका) आदि देशों में प्रचलित हैं। इनमें कुछ 'जनमत-संग्रह' (Plebiscite), 'जनमत-निर्णय' (Referendum), सार्वजनिक उपक्रम (Initiative) और 'वापसी की माँग' प्रमुख हैं। स्विटजरलैंड के कुछ कैंटनों में अब भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रीय शासन प्रचलित है। वहाँ प्रति वर्ष एक निश्चित दिन सभी वयस्क पुरुष नागरिक एकत्रित होकर कानून बनाते, बजट पास करते और पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। क्योंकि ये कैंटन पहाड़ी प्रदेशों में हैं और इनकी जनसंख्या सीमित है इसलिए वे इन समस्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि उनके लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने प्रतिनिधित्व कर उनके माध्यम से स्वशासन के अधिकारों का उपभोग करें। तो भी उनके लिए अग्रगण्य यह सरन होता है कि वे इन प्रतिनिधि अधिकारियों को लोकमत के नियंत्रण में रखें और अक्षुण्ण होने पर उन्हें पद से हटा दें।

लोकतन्त्र के गुण—यह लोकतन्त्र का गुण है और इसकी व्याख्या है कि राज्य का शासन लोकमत के अनुसार होना चाहिए। इस प्रणाली के अनेक गुण हैं। पहले, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रमुखता अतः जनता में निहित होती है, अतएव इसमें जनता के सामान्य हित का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी विशेष वर्ग के हित का नहीं। दूसरे, यह प्रणाली नागरिकों के महत्त्व को स्वीकार करती है और सब व्यक्तियों को समान मानती है। इसका विश्वास है कि नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार होना चाहिए। तीसरे, इसके अंतर्गत जनता की इच्छाओं, आवश्यकताओं, और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। अतएव अत्याचार अथवा निरक्षुण्णता से दूर रहित मिल जाती है। चौथे, इनमें नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों में दिनचरणी हाँती है और वे सीधेसिधे से काम लेते हैं जिससे राजनीतिक चतना उत्पन्न होती है और उनमें देश-प्रेम की भावना पुष्ट होती है। पाँचवे, क्योंकि यह शासन-प्रणाली नागरिकों के व्यक्तित्व का समुचित आदर करती है, अतएव उनको भी अपने उत्तरदायित्व का अनुभव होने लगता है और उनमें नाईबारे और समाज-सेवा की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। छठे, इस प्रकार की सरकार में पदाधिकारियों के चुनाव या नियुक्ति का क्षेत्र

सकुचित नहीं होता, अतः देश की प्रतिभा का समुचित उपयोग हो सकता है। सभ्यता, इसमें प्रतिनिधियों का जनता के साथ निकट सम्पर्क बना रहता है और उन्हें जनता की भावनाओं, कठिनाइयों तथा आशाओं की पूरी जानकारी होती है। अतः राज्य उनके अनुरूप कार्य करने का प्रयत्न करता है। आठवें, इसमें शांतिपूर्वक परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं और प्रगति सरलता से हो सकती है। 'विधि-शासन' और शासन की उत्तमता के कारण लोकतंत्रीय व्यवस्था में समाज ने काफी प्रगति की है। मर्से, सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होने और उसी के प्रति उत्तरदायी होने से इसके अंतर्गत विद्रोह और प्राप्ति की ज्वाला भटकने नहीं पाती। बसवें, जनता की सरकार होने के कारण इसमें जनता को यह विश्वास रहता है कि उनकी उन्नति और कल्याण के लिए राज्य कार्य करेगा। ग्यारहवें, जनता के साथ निकट सम्पर्क होने के कारण इस प्रकार की सरकार बहुत कुशल होती है। बारहवें, इसमें प्रतिवादों के मतानुसार, सभी नागरिकों को समानता के सुअवसर मिलते हैं और यथासम्भव सभी नागरिकों को 'शून्यतम आय' की सुरक्षा प्राप्त होती है। तेरहवें, इस सरकार में शांति व्यवस्था और प्रगति साथ साथ चल पाती है। अधिनायकत्व में शांति और व्यवस्था तो होती है किंतु प्रगति की ओर ध्यान कम रहता है। कुछ लेखकों के अनुसार, लोकतंत्रीय शासन में लोगों को सद्जीवन व्यतीत करने के अवसर मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह एक ऐसा शासन है जो विशेषज्ञों और जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से चलता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के कथनानुसार, किसी शासन प्रणाली का सबसे अच्छा गुण यह होता है कि वह विवेक और सदाचरण को प्रोत्साहन दे, क्योंकि इन्हीं बातों पर देश का भविष्य निर्भर होता है। लोकतंत्र में यह गुण पूर्णतः वर्तमान है।

लोकतंत्र के दोष—जहाँ इस शासन-प्रणाली में गुण हैं वहाँ उसके दोष भी हैं। पहले, आलोचकों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को शासन-कार्य चनाने के योग्य मान लेना ठीक नहीं है। बर्क ने इसे 'कोरी बकवास' और रस्किन ने इसे 'पागलपन से भरी हुई मूर्खता' कहा है। इनके कथनानुसार, शासन कार्य एक कला है और इसके लिए विशेष योग्यता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरे, अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि मतदाता हमेशा योग्य उम्मीदवारों को नहीं चुनते। अनेक नागरिक इतने उदासीन होते हैं कि वे मतदान भी नहीं करते। कुछ व्यक्ति बिना सोचे विचारे अपने मित्रों, पड़ोसियों अथवा पार्टी के आदेशानुसार मत दे देते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने मत का बाकायदा सौदा करते हैं। ऐसी दशा में जब योग्य प्रतिनिधि नहीं चुने जाते, फिर अच्छा शासन कैसे हो? तीसरे, लोकतंत्रीय शासन में कुछ लोग राजनीति को अपना पेशा

बना लेते हैं और जैसे भी सम्भव हो वे अपने पद से चिपके रहने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी भाषण-शक्ति से जनता को प्रभावित कर निर्वाचित हो जाते हैं; किन्तु उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे देश की उन्नति के लिए सृजनात्मक कार्य कर सकें। अतएव, उनसे लोकहित की व्यापार करना व्यर्थ है। सीधे, लोकतन्त्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है; पर यही दल कभी-कभी सार्वजनिक जीवन को गंदा कर देते हैं। बोट प्राप्त करने और सत्ता को हस्तगत करने के लिए वे विविध उचितानुचित उपायों को काम में लाते हैं और सामान्य हितों की उपेक्षा कर बर्ग अथवा व्यक्ति-समूह के हित-साधन में लगे रहते हैं। यही नहीं, दलबंदी के अन्य सभी दोष लोकतन्त्रीय शासन में भी उत्पन्न हो जाते हैं। पांडवे, द्रौपदी के कथनानुसार, लोकतन्त्र में धनिकों पर बहुत अत्याचार होता है और उन्हें निर्धनो के हिन में दुरी तरह घूमा जाता है। छोटे, समाजवादियों का कहना है लोकतन्त्र में धनिकों के पास बहुत शक्ति केंद्रित हो जाती है। वे धन की सहायता से सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट कर देते हैं और अपने हित के काम कराने का प्रयत्न करते हैं, जिसका जनसाधारण की आर्थिक अवस्था पर दुरा प्रभाव पड़ता है। सातवें लोकतन्त्रीय शासन में सगठन बहुत जटिल और क्षर्चीला हो जाता है। सरकारी विभागों और कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। व्यय राजकीय कोष से होने के कारण, राजनीतियों को मितन्ययी बनने का कोई उत्साह नहीं होता। आठवें, इस शासन-प्रणाली में कुशलता का सर्वथा अभाव होता है। आलोचकों के कथनानुसार, कार्याग, विधानाग और न्यायाग के सदस्य प्रायः अनाड़ी होते हैं और इन्हीं पर राजकीय नीति बनाने और उसे लागू करने का उत्तरदायित्व होता है। नवें, संकी के मतानुसार, इस प्रणाली में गुणों के स्थान पर संख्या पर बल दिया जाता है। बहुमत चाहे ठीक हो या न हो, उसे मानना ही पड़ेगा। अतएव, लोकतन्त्र को निर्धनो, मूर्खों और अयोग्य व्यक्तियों का शासन बताया है। उसके मतानुसार समाज में ऐसे ही व्यक्तियों का बहुमत होता है। दसवें, इसमें समय और शक्ति का भारी अपव्यय होता है। छोटी-छोटी बातें भी लंबे-चौड़े विचार-विमर्श के बाद तय हो पाती हैं। इस प्रकार, जो काम एक व्यक्ति थोड़े समय में सुगमतापूर्वक कर सकता है, उसे करने के लिए अनेक व्यक्ति लगे रहते हैं। ग्यारहवें, राष्ट्रकालीन स्थिति में लोकतन्त्रीय शासन बेकार सिद्ध होता है। न तो वह शीघ्र गति से निर्णय कर पाता है और न उसे शीघ्रता से कार्यरूप में परिणत करता है। बारहवें, इस प्रकार की सरकार अस्थिर और अल्पकालीन होती है। सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं और उन्हें अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए समय नहीं मिल पाता। नई सरकार आकर प्रायः एक नई नीति

का अनुसरण करने लगती हैं। इस प्रकार देश की नीति निरंतर बदलती रहती है।

इनके अतिरिक्त, अन्य विद्वानों ने लोकतंत्रीय प्रणाली के अन्य दोषों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सैरह्वे, समाजवादियों के अनुसार, लोकतंत्रीय प्रणाली में स्थापित राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी बकवास है। नागरिकों की सब से बड़ी आवश्यकता आर्थिक सुरक्षा और समता के सुअवसर प्राप्त करने की है, किंतु पूँजीवादी समाज में जनता का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन होने के कारण इतना समय भी नहीं निकाल पाता कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता से लाभ उठा सके। इसना सच्चा उपभोग तभी संभव है जब नागरिक अपनी भौतिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त हो। उनके मतानुसार, बिना आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित किए राजनीतिक स्वतंत्रता की बातें करना निरर्थक है। चौदहवें, लैवी के कथनानुसार, लोकतंत्र स्वतंत्रता का विरोधी है। इसमें बहुत अधिक कानून बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार सब बातों में हस्तक्षेप करना अपना अधिकार समझने लगती है। पंद्रहवें, हैनरी मेन ने लोकतंत्र को बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति का विरोधी बताया है। उसके अनुसार, लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की रुचि के अनुसार चलना पड़ता है जो परिष्कृत नहीं होती। इसका प्रभाव साहित्य, कला और विज्ञान पर भी पड़ता है। सोलहवें, मैकी और मेन के अनुसार, लोकतंत्र के दोनों बुनियादी सिद्धांत, स्वतंत्रता और समता, त्रुटिपूर्ण हैं। स्वतंत्रता योग्यता के अनुसार दी जानी चाहिए, किंतु साधारण नागरिकों में देश के बड़े-बड़े प्रदनों पर विचार करने की योग्यता का सर्वथा अभाव होता है। अतः उनके मतानुसार कार्य करने से देश अवनाति की ओर अग्रसर होता है। सत्रहवें, इसमें उत्तरदायित्व की भावना का सर्वथा अभाव होता है। वेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और चारों ओर निर्बलता के चिह्न दिखाई पड़ते हैं। अठारहवें, कुछ आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्रीय सरकार बहुमत के अनुसार नहीं चलती। प्रायः सत्ताहृदय दल को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त नहीं होता। भारत में भी चार-चार ऐसा हुआ है। अतः यह स्पष्ट है कि लोकतंत्रीय शासन वास्तव में बहुमत पर आधारित नहीं होता। कुछ आलोचक तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहते हैं कि लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता उन राजनीतिक नेताओं के हाथ में होती है जिन्होंने अपने दल के संगठन को अपने काबू में कर लिया है। उन्नीसवें, कोल आदि लेखक वर्तमान लोकतंत्रीय प्रणाली की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व असंगत है। वस्तुतः कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। सही अर्थ में एक व्यक्ति केवल विशेष

वातो में अनेक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इन आलोचकों का कहना है कि हमारा प्रतिनिधित्व प्रादेशिक न होकर कार्यात्मक होना चाहिए। बीसवें, आलोचकों के अनुसार, इस प्रणाली के अतर्गत सत्ता और पदों के लिए बहुत छीना-भपटी होती है जिसके कारण जनता के हितों की उपेक्षा कर दी जाती है। उत्तम दोषों के अतिरिक्त ब्राइस ने कुछ और दोषों की ओर हमारा ध्यान आक-पित किया है। इनमें प्रमुख धन की शक्ति है जो शासन और कानूनों को भ्रष्ट कर देती है¹।

इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि उपर्युक्त दोषों में अनेक ऐसे हैं जो प्रायः सभी शासन प्रणालियों में पाए जाते हैं। शिक्षा, अज्ञान, उदा-सीनता आदि ऐसे दोष हैं जिनको उत्तम नागरिकता की शिक्षा देने से दूर किया जा सकता है। कुछ दोष शक्ति के विकेंद्रीकरण से दूर हो सकते हैं। तथापि, हमारे अभी तक के लोकतंत्रीय शासन के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो यह एक आदर्श प्रणाली सिद्ध हुई है, और न यह हमारी समस्याओं का समाधान ही कर सकी है। यह लोगों में भाईचारे की भावना उत्पन्न नहीं कर सकी और न यह सम्पत्ति के विषम वितरण की समस्या को ही हल कर पाई है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमारे सम्मुख इससे उत्तम कोई शासन-व्यवस्था है। सत्ता में शासन के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए हैं, किंतु अभी तक कोई अन्य शासन-प्रणाली इससे अधिक सतोपजनक सिद्ध नहीं हुई।

लोकतंत्र को चुनौती—लोकतंत्र के विरोधियों की मोटे रूप में निम्न वर्गों में रखा जा सकता है—प्रथम, वे राजतंत्र और कुलीनतंत्रवादी जिन्हें लोकतंत्र के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, द्वितीय, वे उदारवादी जिन्हें डर है कि उपर लोकतंत्र वही असहिष्णु न हो जाए और समाज में समरूपता कायम करने का प्रयत्न न करने लगे, तृतीय, वे समाजवादी जिनके अनुसार, लोकतंत्रीय व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है; और चौथे, वे फासिस्ट और नाज़ी विचारक जिन्हें लोकतंत्र से घृणा है और जो लोकतंत्रीय व्यवस्था को अयोग्य, अस्थिर, दिशाभ्रान्त और निर्बल बताते हैं अनेक विद्वानों का मत है कि वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का लोकतंत्र से कोई विरोध नहीं है, और हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान तभी हो सकेगा जब इन दोनों के सत्त्वों का लोकतंत्र के साथ समन्वय स्थापित हो जाएगा।

5. लोकतंत्र की सफलता की दशाएँ

लोकतंत्र के इतिहास और विकास का विवेचन करने के उपरान्त डा० बेनी-

प्रसाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि गम्भीर अर्थ में कोई देश अभी ता लो-
कतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। प्राचीन और आधुनिक कालों में जब
भी लोकतन्त्रीय प्रयोग हुए हैं, वातावरण उसके प्रतिकूल रहा है। उनका सकेत
मूलतः सैनिकवाद, निर्धनता, अशिक्षा और सामाजिक कलह से है जिनके कारण
लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पाती¹। उनके मतानुसार, कुछ ऐसी दशाएँ
और आवश्यकताएँ हैं जिनके पूरा होने पर ही लोकतन्त्र का समुचित विकास
सम्भव है।

सैनिकवाद का अभाव—लोकतन्त्र उन्हीं देशों में पनप सकता है जो सैनिक-
वाद से मुक्त हो। सिद्धांत की दृष्टि से लोकतन्त्र बलप्रयोग का विरोधी है और
वह व्यक्ति के गौरव को स्वीकार करता है। इसके विपरीत सैनिकवाद, सत्ता
को केंद्रित करने और असीमित राजसत्ता के पक्ष में है। डा० वेनीप्रसाद के अनु-
सार, सैनिकवाद के कारण इतिहास में कभी पूर्ण लोकतन्त्रीय व्यवस्था का विकास
नहीं हो पाया और जब तक सैनिकवाद का बोलवाला रहेगा ऐसा कभी नहीं हो
सकेगा। सैनिकवाद सोचने की लोकतन्त्रीय पद्धति का विरोधी है। वह शिक्षा
के रूप को भ्रष्ट कर अनुशासन और सहकारिता के स्थान पर आदेश मानने और
आज्ञापालन की आवश्यकता पर जोर देता है²। लेकिन वह स्वीकार करते हैं कि
सैनिकवाद की आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता³।

सम्पत्ति के वितरण में विषमता का लोप—लोकतन्त्र तभी पनप सकता है जब
सैनिकवाद के अतिरिक्त आर्थिक विषमता का लोप हो। किसी ऐसे देश में जहाँ
अधिकतर लोग अत्यंत गरीबी का जीवन बिताते हों और कुछ लोग ऐश्वर्य से
रहते हों, लोकतन्त्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। जब तक नागरिक
बीदनीपोषण के लिए साधन जुटाने के दृष्टिकोण से मुक्त न होंगे। स्वतन्त्र लोकतन्त्रीय
संस्थाएँ दृढ़ नहीं हो सकतीं। विज्ञान और तकनीक में अब इतनी उन्नति हो चुकी है
कि यदि हम प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग करें तो कोई कारण नहीं है कि
प्रत्येक नागरिक को अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचुर
साधन प्राप्त न हों। ऐसा होने से सभी नागरिकों को पूर्ण आत्मविकास के अवसर
प्राप्त हो सकेंगे और लोकतन्त्र की स्थापना और दृढ़ हो सकेगी⁴।

समुचित शिक्षा—लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि

1 उपर्युक्त पंथ, पृष्ठ 245, 230.

2 वही, पृष्ठ 129-130.

3 वही, पृष्ठ 92.

4 वही, पृष्ठ 27.

नागरिक शिक्षित हो। अज्ञान और अशिक्षा के कारण नागरिकों का विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहीं बन पाता और सार्वजनिक मामलों को अच्छी तरह समझकर वे अपना मत प्रकाशित नहीं कर पाते। अज्ञान और भूल में रत नागरिकों के बीच लोकतंत्र का विश्वास असम्भव है; किंतु अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश किया जा सकता है। आवश्यकता केवल यह है कि वैज्ञानिक शिक्षा के द्वार सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले हुए हों और उनमें सुकरात के समान ज्ञान के लिए असीम जिज्ञासा हो। शिक्षा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है और नागरिकों में जागरूकता आती है जिससे वे सरकारी कार्यों की आलोचना करने में नहीं हिचकते और आवश्यकतानुसार उसे क्रियात्मक सहयोग देने के लिए भी तत्पर रहते हैं¹।

सतर्क नागरिकता—प्रबुद्ध होने के साथ ही नागरिकों को सतर्क भी होना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपने साथी-नागरिकों को उनके अधिकारों के उपभोग और कर्तव्यों के पालन में सहायता देनी चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वे निडर होकर सरकारी काम की आलोचना करें; किंतु जब सरकार अच्छे काम कर रही हो तो उसे पूर्ण सहयोग भी दें और उसकी सराहना करें। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा का मूल्य 'शाश्वत सतर्कता' है और केवल प्रबुद्ध नागरिक ही समुचित रूप से जागरूक हो सकते हैं। लास्की के मतानुसार, अज्ञानी लोकतंत्रवादी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें अपनी स्वतंत्रता को खो देने का आभास इतनी देर से मिलेगा कि सुधारात्मक कदम उठाने का समय ही शेष न रह जाएगा। उसने इस बात पर भी बल दिया है कि सतर्कता को प्रभावी बनाने के लिए उसे संगठित रूप देने की आवश्यकता है, जिससे उसका अभिप्राय यह है कि हम संगठन बना कर काम करें क्योंकि 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता'।

लोकतंत्र में विश्वास—लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्तियों को उन आस्थाओं और मूल्यों में विश्वास हो जिनका लोकतंत्र से घनिष्ठ संबंध है। उदाहरण के लिए, उन्हें मतभेदों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए और अच्छी तरह सोच-विचार कर निर्णय करने चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए। उनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए, समझौते करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और दूसरों की भावनाओं तथा मतों का आदर करना चाहिए। इन सबके बिना लोकतंत्रीय समाज न ठीक से चल सकता है और न सफल हो सकता है।

विवेकशील नेता—लोकतंत्र की सफलता बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर

¹ वही, पृष्ठ 62-64.

है कि उसे किस प्रकार के नेता मिले हुए हैं। एक लोकतंत्रीय शासन में देश के नेता समाज को बहुत लाभ और बहुत हानि दोनों ही पहुँचा सकते हैं। अतएव, यह आवश्यक है कि उनका चरित्र उच्च, सकल्य दृढ़, निर्णय विवेकपूर्ण हो और उनमें पहल करने की क्षमता हो। इस सबध में यह कहना अनुचित न होगा कि लोकतंत्रीय प्रक्रिया स्वतः ही अच्छे ढंग से नेता पैदा कर देती है। डा० बेनीप्रसाद के मतानुसार, 'यदि यह सत्य है कि सरकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो वर्तमान दशाओं में लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन-प्रणाली है जिसमें समुचित योग्यता और सेवा-भाव लिए हुए ऐसे व्यक्ति हमारे सम्मुख आते हैं जिनकी आदर्श राजनीतिक चिंतकों ने कल्पना की है'।

सामाजिक समता—सामाजिक समता लोकतंत्र की एक अन्य बुनियादी आवश्यकता है। जाति तथा वर्गभेद और ऊँच-नीच के भाव लोकतंत्र को तहस-नहस कर देते हैं। भाषागत और प्रादेशिक भेदभाव लोकतंत्र को ठेस पहुँचाते हैं। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वार सब के लिए खुले हुए हों और सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हों।

प्रेस की स्वतंत्रता—स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हो। सरकार को अपनी नीतियों और कार्यों की व्याख्या करते रहना चाहिए जिससे नागरिकों को उनके कारण और आवश्यकताओं का पता लगता रहे। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराती है और साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखने में भी सहायता देती है। इस प्रकार एक निष्पक्ष और साहसी प्रेस के माध्यम से जनता और शासन के बीच स्वस्थ सबध कायम किए जा सकते हैं।

स्थानीय स्वशासन—लोकतंत्र केवल केंद्र तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर पर भी लागू होना चाहिए जिससे नागरिक सक्रिय रूप से सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकें। स्थानीय सस्थाएँ एक प्रकार से छोटी विधान सभायें होती हैं। इनके माध्यम से स्थानीय नेताओं को आवश्यक प्रशिक्षण मिल जाता है। वस्तुतः स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ राजनीतिक चेतना के विकास में 'प्राथमिक विद्यालयों' का काम करती हैं और लोगों को उत्तरदायी नागरिक बनने में सहायता देती हैं। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न स्तरों पर जनता को सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के अवसर प्राप्त हों और सरकार तथा नागरिकों के मध्य लगातार विचारों का आदान प्रदान होता रहे।

शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल—संसदीय लोकतंत्र में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव

में सरकार लापरवाह हो जाती है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है। किंतु यदि एक सतक विरोधी दल उसके दोष ढूँढ़ने और अवसर मिलने पर उसकी आलोचना करने के लिए तैयार रहता है तो सरकार भी सावधानी से और सोच-विचार कर काम करती है।

सुख और समृद्धि के लिए राष्ट्रीय आयोजन—वर्तमान परिस्थितियों में अब यह आवश्यक हो गया है कि राज्य लोकतंत्रीय प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय योजनाएं बनाए, जिससे आर्थिक विकास शीघ्र गति से हो सके और नागरिकों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके। ऐसी योजना बनाने का लाभ यह होता है कि राष्ट्र के समस्त प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है और शीघ्रता से नागरिकों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जा सकता है।

उच्च चरित्र—लोकतंत्र की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि नागरिक उच्च-चरित्र वाले हों। वे ईमानदार हों, कर्तव्यपरायण हों, सेवाभाव से ओतप्रोत हों और आत्म-त्याग के लिए तत्पर हों। उच्च चरित्र वाले नागरिकों और ईमानदार नेताओं के अभाव में लोकतंत्रीय शासन विफल हो जाता है।

औद्योगिक लोकतंत्र की उपस्थिति—औद्योगीकरण के इस युग में, लोकतंत्रीय व्यवस्था उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक औद्योगिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र प्रचलित न हो। कोल, मैन्सी और लास्की इस संबंध में एकमत हैं। एक मजदूर को केवल अच्छा वेतन और कम काम के घंटे ही नहीं होने चाहिए बल्कि उसे अपने कारखाने अथवा कार्यालय के प्रबंध में भी भाग लेने के कुछ अधिकार मिलने चाहिए।

सैनिकों और वैज्ञानिकों पर नागरिक सत्ता का शासन—लोकतंत्रीय शासन में नाना प्रकार के विरोधियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सार्वजनिक धर्मचारी और सैनिक अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। किंतु लोकतंत्रीय शासन तभी सफल हो सकता है जब ये विरोधियों और सैनिक अधिकारी राजनीतिक सत्ता के प्रभुत्व को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करें और उनके आदेशों एवं निर्देशों का यथावत् पालन करें¹। बटने का आशय यह है कि सभी सरकारी अधिकारी पूर्णतः सरकार के अनुशासन में होने चाहिए। तभी उनसे लोकहित में काम लिया जा सकेगा।

बुनियादी बातों में मतभेद—लोकतंत्रीय शासन की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि बुनियादी बातों पर नागरिकों और राजनीतिक दलों में मतभेद

1 देखिए K. M. Panikkar, *The Afro-Asian States and their Problems*, लंदन, 1959, पृ. 29.

हो। हमारे कहने का आशय यह है कि उनकी विचार-विभिन्नता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विचार-विमर्श से शांतिपूर्ण ढंग द्वारा दूर न की जा सके। जब किसी समाज में एक ऐसा वर्ग अथवा व्यक्ति-समूह पैदा हो जाता है जिसके बहुमत से इतने गम्भीर बुनियादी मतभेद हो जाते हैं कि वे सविधानी उपायों से हल नहीं किए जा सकते, तो लोकतन्त्रीय प्रणाली के लिए एक गम्भीर खतरा पैदा हो जाता है।

उपयुक्त दशाओं के पूरा होने पर हम कह सकते हैं कि लोकतन्त्रीय समाज की नींव सुट्ट बग गई है। तथापि डा० वेनीप्रसाद, यह विश्वास प्रकट करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों का अपनी 'सामान्य बुद्धि' का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है¹। उसकी उपस्थिति में अन्य समस्याएँ सुलझाई जा सकती हैं। वैसे भी, विज्ञान की उन्नति के कारण अब हमारे लिए यह सम्भव हो गया है कि हम उन समस्याओं को पार कर सकें जो लोकतन्त्रीय व्यवस्था के सम्मुख उपस्थित हैं। अब हम एक बड़े पैमाने पर विशुद्ध लोकतन्त्र की स्थापना कर सकते हैं²।

भारतीय परिस्थिति—15 अगस्त, सन् 1947 ई० को जब भारत स्वाधीन हुआ, उसके सम्मुख अनेक समस्याएँ और कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं। अज 20 वर्ष बीत जाने पर हम देख सकते हैं कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर हमने किस सीमा तक सच्चे लोकतन्त्र की नींव डालने में सफलता प्राप्त की है।

हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे नागरिकों में अभी बहुत से लोग अशिक्षित, गरीब, रोगी और बेकार हैं। आर्थिक सुरक्षा का अभाव है। अन्न की कमी है। सविधान द्वारा छुआछूत को अवैध घोषित कर दिए जाने पर भी इस प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ। भावागत और प्रादेशिक विभिन्नताएँ अभी-कभी एक दूसरे के प्रति अविश्वास और कटुता पैदा कर देती हैं। विरोधी दल सशक्त नहीं हैं। वह अनेक टुकड़ों में बँटा हुआ है। जाति-पाँति की प्रथा ने देश की राजनीति को एक गलत दिशा दे दी है। स्वशासन की समस्याओं की नींवें अभी टूट नहीं हुई हैं। शासन के लोकतन्त्रीय होने पर भी अभी तक प्रशासन में हम आमूल परिवर्तन नहीं कर सके जिसके कारण आज भी नौकरशाही का योल-याला है। भ्रष्टाचार की घटनाएँ आए दिन सुनने को मिलती हैं। तथापि हमने काफी प्रगति की है। विस्थापितों की समस्या काफी सीमा तक हल हो चुकी है। राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगीकरण की हद नींव डाली जा चुकी

1 उपयुक्त संघ, पृष्ठ 244.

2 वही, पृष्ठ 225.

हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में उन्नति हुई है। अन्य दिशाओं में उन्नति के चिह्न विद्यमान हैं। नवविकसित राज्यों में भारत उन थोड़े से राज्यों में से है जिन्होंने अपने अवसरों से पूरा लाभ उठाकर ऐसा वातावरण बना लिया है कि उनकी प्रगति की दिशा निश्चित हो गई है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम परिस्थितियों से लाभ उठाकर कितनी तेजी के साथ उन आदर्शों को प्राप्त करने में सफल होते हैं जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं। यदि हमारा सक्त्प टूट है तो कोई कारण नहीं कि हम शीघ्र ही उन्नति की ओर अग्रसर न हों।

6 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रथाएँ

लोकतन्त्रीय शासन चलाने की योग्यता प्राप्त करने का एकमात्र ढंग उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। फाइनर के अनुसार, लोकतंत्र के दोषों को दूर करने का सबसे अधिक प्रभावी उपाय लोकतंत्र की बढोत्तरी है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर कुछ देशों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कुछ प्रथाओं को अपनाया है। इनमें से कुछ तो स्विट्जरलैंड में सम्बन्धित समय से चली आ रही हैं और कुछ नई हैं। नीचे हम संक्षेप में इन पर विचार करेंगे।

जनमत-निर्णय—जनमत निर्णय (Plebiscite) का शाब्दिक अर्थ है, जनता द्वारा निर्णय। स्टोग के अनुसार, इस प्रकार का सार्वजनिक मतदान केवल ऐसे राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण विषयों पर होता है जिनका कुछ स्थायी प्रभाव या परिणाम हो। उदाहरण के लिए भारत में पिछले दिनों गोदा में इस प्रश्न पर मतदान लिया गया कि गोदा निवासी अपनी पृथक् स्थिति बनाए रखना चाहेंगे अथवा महाराष्ट्र में अपना विलय। आधुनिक समय में सम्भवतः सन् 1804 में सर्वप्रथम नैपोलियन इसे काम में लाया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जनता की इच्छा जानने के लिए अथवा राष्ट्रों द्वारा स्वभाष्य निर्णय के अधिकार का प्रयोग करते हुए यूरोप में इसे कई बार काम में लाया गया। लीकीकवा मत है कि 'प्लेबीसाइट' जनता के मत का प्रदर्शन होता है। उसके कोई कानूनी प्रतिफल नहीं होता¹। किंतु इस विचार को मानना इसलिए असंगत प्रतीत होता है कि एक बार जनता से उसके मत सग्रह करने के पश्चात् उसके अनुसृत काम न करने में अनेक बर्तनाइयों उपस्थित हो सकती हैं। वस्तुतः 'प्लेबीसाइट' का प्रयोग तभी किया जाता है जब उसके द्वारा प्रदर्शित निर्णय को कानूनी रूप देने का इरादा होता है। अतएव, इसे 'जनमत निर्णय' की संज्ञा देना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

जनमत गणना—यह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मतदाताओं के मतों

¹ उपपृष्ठा पृथ, पृष्ठ 163.

का इच्छा की जानकारी प्राप्त की जाती है। स्विट्जरलैंड में इसका सोलदाताव्दी से प्रयोग होने लगा, लेकिन संविधानी मामलों में इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ और तत्पश्चात् स्विट्जरलैंड में। साधारण कानूनों के लिए इसका उपयोग अपेक्षाकृत नई बात है। जहाँ अनिवायं जनमत-गणना (Referendum) की प्रथा प्रचलित है वहाँ विधानाग द्वारा पारित कानूनों को उस समय तक लागू नहीं किया जाता जब तक जनता की उस पर राय नहीं ले ली जाती। यदि मतदाता अपना निर्णय उसके पक्ष में देते हैं तो वह कानून लागू हो जाता है, नहीं तो रद्द हो जाता है। इस प्रकार की मत-गणना कानूनी रूप से अनिवायं भी हो सकती है और वैकल्पिक भी। दूसरी दशा में उसे सरकार की इच्छा अथवा नागरिकों की मांग पर किया जाता है।

इस प्रथा के समर्थन में यह कहा जाता है कि जनता इसकी सहायता से अपने विधायकों के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। यदि विधायक भ्रष्ट हो जाए अथवा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगे तो इस प्रथा से अप्रिय कानूनों को लागू होने से रोके जाने की गारण्टी प्राप्त होती है। इसका दूसरा लाभ यह है कि यदि किसी कानून के संबंध में अधिक मतभेद हो तो उसे उस समय तक लागू होने से रोका जा सकता है जब तक नागरिक इस संबंध में एक सामान्य निर्णय न ले लें। साथ ही यह जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करता है और जनता की सर्वोपरिता का एक अच्छा प्रदर्शन है। किंतु इस प्रथा के दोष भी हैं। सबसे बड़ा दोष यह है कि आजकल जो कानून बनते हैं उनके विषय इतने जटिल होते हैं कि जनता उनके संबंध में कोई विवेकपूर्ण मत नहीं दे सकती। यही नहीं, स्विट्जरलैंड में उसके प्रयोग में यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता अपने विधायकों से कहीं अधिक अनुदार होती है और सरलता से नए परिवर्तनों का समर्थन नहीं करती। इसके कारण वहाँ अनेक आवश्यक और प्रगतिशील कानून वर्षों के लिए रुक गए। यही नहीं, इससे विधानाग में उत्तरदायित्व की भावना में कमी आ जाती है, क्योंकि जब जनता को ही अंतिम निर्णय करना है तो फिर उन्हें अधिक सोचविचार की आवश्यकता क्या है। हम कह सकते हैं कि अभी तक का अनुभव इसके पक्ष में नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रम—यह प्रथा जनमत-गणना की पूरक बनी गई है। यदि पहले उपाय द्वारा नागरिक विधानाग के बुरे कानूनों को रोक सकते हैं तो सार्वजनिक उपक्रम (Initiative) के द्वारा वे विधानाग की इच्छा के विरुद्ध भी नए कानून बना सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि जनता जिन कानूनों को चाहती है विधानाग उन्हें नहीं बनाता। किंतु यदि सार्वजनिक उपक्रम की प्रथा प्रचलित हो तो एक निदिष्ट सरलता में नागरिकों के आवेदन-पत्र भेजने पर विधा-

नाग को उनके सुभाव को या तो कानून में परिणत करना पड़ता है या उस जनमत के लिए प्रचारित करना होता है। इसके उपयोग में अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक प्रौढ़ता की आवश्यकता है।

इसके पक्ष में वे सभी युक्तिर्था दी जाती हैं जो जनमत-गणना के लिए दी गई हैं। साथ ही, यह भी कहा जाता है कि निष्क्रिय होने पर जनता इस उपाय से कानून बनवा सकती है। सार्वजनिक उपक्रम के रहने पर नेताओं के राजनीतिक दावपेच भी नहीं चल पाते। इसके दोष भी वही हैं जो जनमत-गणना के हैं। इनके अतिरिक्त, इसके विरोध में यह युक्ति दी जाती है कि यह प्रथा आदोतन-कारियों, जनमत-गणको और दल के नेताओं को विशेष रूप से प्रभावशाली बना देती है। प्रायः सार्वजनिक मत को जानने के लिए प्रचारित किए जाने वाले बिलों की रूपरेखा भी ठीक ढंग से तैयार नहीं की जाती। जहाँ पर इस उपाय की सविधानी सशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ यह खतरा भी बढ़ जाता है कि बिना भलीभाँति सोचविचार के महत्वपूर्ण सशोधन कर लिए जाएँ।

घापसी की माँग—इस प्रथा द्वारा एक निर्दिष्ट सख्या में नागरिक किसी निर्वाचित पदाधिकारी को पदरूपुत (Recall) करने की माँग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित समय पर मतदान लिया जाता है और यदि जनता का मत उसके विपक्ष में हो तो वह पद से हटा दिया जाता है। यह प्रथा संयुक्त राज्य (अमेरिका) और सोवियत संघ में प्रचलित है। इस संबंध में यह खतरा रहता है कि कहीं इसके प्रचलन से प्रतिनिधि स्वार्थी किंतु शक्तिशाली व्यक्तियों अथवा समूहों के हाथों के खिलौने न बन जाएँ और उनकी स्वतंत्रता नष्ट न हो जाए। इसका गुण यह है कि निर्वाचित व्यक्ति यदि सुस्त हो अथवा जनमत के प्रति लापरवाह हो तो उन्हें वापस बुलाया जा सकता है।

आज के गतिशील समाज में धीमी चाल से चलने वाली इन प्रथा प्रक्रियाओं का विशेष महत्व नहीं है। यही नहीं, अनुभव से हमें यह ज्ञात हुआ है कि जनता विधायकों की अपेक्षा कहीं अधिक अनुदार होती है और प्रगतिशील कानूनों का बहुत कम समर्थन करती है। फिर, मतदाताओं में इतनी योग्यता भी नहीं होती कि वे जटिल प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट कर सकें और उचित निर्णय कर सकें।

7. अधिनायकत्व

अधिनायकत्वप्रिय शासन-प्रणाली नहीं है। प्राचीन यूनान और रोम में भी इस प्रकार का शासन प्रचलित था। किन्तु यूनान में तानाशाही (Tyranny) ऐसी शासन-प्रणाली को कहा जाता था जो सविधानी नहीं होती थी और जो

कानूनो पर आधारित न होकर बलप्रयोग पर आधारित थी। रोम में भी तानाशाही के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वहाँ प्रायः तानाशाही एक निश्चित समय के लिए होती थी जब 'विधि-शासन' को मसूख कर दिया जाता था। इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन और फ्रांस में नैपोलियन का शासन भी इसी प्रकार का था। कोम्बन के अनुसार, नैपोलियन सर्वप्रथम आधुनिक डिक्टेटर था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अधिनायकतंत्र का बोलबाला हो गया। सोवियत संघ में 'सर्व-हराबग' का अधिनायकतंत्र सन् 1917 ई० में स्थापित हुआ। टर्की में कमालपाशा अतातुर्क एक लोकप्रिय डिक्टेटर बन गए। सन् 1922 ई० में मुसोलिनी ने इटली में अपनी तानाशाही कायम की और सन् 1933 ई० में हिटलर ने जर्मनी में। अन्य देशों में भी छोटे-बड़े तानाशाह बन बैठे। इस समय भी तीन प्रकार के अधिनायकतंत्र प्रचलित हैं राजनीतिक दलों की डिक्टेटरशिप जैसे कि सोवियत संघ, चीनी जनतंत्र, रूमानिया, बुल्गेरिया, पोलैंड आदि देशों में है, सैनिक अधिनायकतंत्र जैसा कि पाकिस्तान, बर्मा आदि देशों में चालू हैं, और फासिस्ट तानाशाही जैसी कि स्पेन और पुर्तगाल में कायम है।

अधिनायकतंत्र के मूल में असविधानी ढंग से सत्ता को हथियाना है। इस प्रकार की सत्ता 'विधि-शासन' पर आधारित नहीं होती, बल्कि प्रायः कानूनो की उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग पर चलती है। ऐसे देश में प्रायः एक व्यक्ति सर्वोपरि सत्ताधारी होता है जिसकी स्थिति एवं समष्टित राजनीतिक दल अथवा सैन्य-बल पर आधारित होती है¹। आधुनिक अधिनायकतंत्र निश्चित अवधि के लिए नहीं होता और न वह किसी प्रतिनिधिक संस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जो अधिनायकतंत्र स्थापित हुए उनका प्रमुख कारण अनेक देशों में फैली हुई निराशा और नाराजगी की भावनाएँ थीं। यही नहीं, युद्ध के पश्चात् बेकारी, आर्थिक संकट, और पुनर्निर्माण की समस्याओं का समाधान करने में लौकतशील व्यवस्थाएँ असफल सिद्ध हुईं; अतएव लोगों का लोकतंत्र से विश्वास हटने लगा। जब उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं के जोशीले भाषण सुने और उनके बताए हुए प्रोग्रामों और वचनों पर ध्यान दिया तो वे सोचने लगे कि संभवतः ऐसे नेताओं की सत्ता सौंप देने से देश की समस्याओं का समाधान हो जाए। इसी भ्रुलावे में आकर जनता ने इन तानाशाहों को सत्ता हस्तगत कर दी। अक्सर से लाभ उठाकर, इन्होंने समग्रवादी (totalitarian) शासन स्थापित किए।

अधिनायकतंत्र और लोकतंत्र के प्रमुख भेदों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

¹ Alfred Cobban, *Dictatorship*, पृष्ठ 26.

लोकतंत्र

1. यह व्यक्तित्व के महत्त्व को स्वीकार करता है और व्यक्ति को साध्य मानता है, साधन नहीं।
2. यह नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करता है।
3. यह स्वतंत्रता और सहमति पर आधारित है।
4. यह शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है।
5. इसमें विरोधी दल तो होते ही हैं, उनके कार्यों को भी रचनात्मक माना जाता है।
6. यह विचार-विमर्श और वाद-विवाद पर आधारित एक शासन-प्रणाली है।
7. इसमें प्रचार के साधनों का इस तरह उपयोग किया जाता है कि जनता को सार्वजनिक विषयों पर समाचार मिलते रहें जिससे नागरिक विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें।
8. लोकतंत्र सोचने और रहने की एक विधि है।
9. यह विवेक पर आधारित है और जनता की शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है। इसका विश्वास है कि

अधिनायकतंत्र

1. यह समष्टि पर बल देता है और उसके हित में व्यक्ति को अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा देता है।
2. यह उत्तरदायित्वों पर बल देता है। यह लोगों के विचारों को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है और विरोधी विचारों को पनपने नहीं देता।
3. यह अनुशासन, आज्ञापालन और दमन पर आधारित है।
4. यह जनता को भुलावे में डालने के लिए हमेशा बाह्य शत्रु और युद्ध की बातें करता है।
5. इसमें विरोध और विरोधी दलों का कोई स्थान नहीं है।
6. इसमें दल और नेता पर विश्वास करने और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया जाता है।
7. इसमें प्रचार के साधनों का उपयोग सत्तारूढ़ दल और उसके नेता के विचारों के प्रचार के लिए किया जाता है। स्वतंत्र प्रसन्नता इसमें कोई स्थान नहीं है।
8. इसमें तानाशाही का बोलबाला रहता है और जनता को आज्ञापालन के लिए बाध्य किया जाता है।
9. इसमें निष्ठा का उद्देश्य नेता और सत्तारूढ़ दल के विचारों का प्रचार है। यह बौद्धिक तत्त्वों

बौद्धिक प्रक्रिया से नागरिकों को सामाजिक हित की बातें समझाई जा सकती हैं।

10. यह व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है।

को प्रधानता नहीं देता बल्कि भावनाओं, विश्वास, और जोश को महत्त्वपूर्ण मानता है।

10 यह एकीकरण में विश्वास रखता है, और सत्तारूढ़ दल के विचारों को नागरिकों पर थोपने का प्रयत्न करता है।

डा० वेनीप्रसाद के मतानुसार, अधिनायकत्व के चार प्रमुख लक्षण हैं : प्रथम, यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सैनिकवाद को उपर है, दूसरे, इसमें नेता अपने को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं का प्रतीक मानता है और प्रायः इसकी एक विशिष्ट सामाजिक विचारधारा होती है, तीसरे, यह आंतरिक दशाओं को सुधारने के स्थान पर युद्ध की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करता है और केवल छोटे मोटे सुधार कर पाता है, तथा चौथे, आंतरिक विद्रोह को यह दृढ़ता के साथ दबा देता है।

तथाकथित गुण—जिस समय अधिनायकत्व का बोलबाला था, कई बुद्धि-जीवियों और विद्वानों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इनमें बर्नार्ड शॉ भी थे। इसमें निम्न प्रमुख गुण बताए जाते हैं प्रथम, कार्यक्षमता अर्थात् इसमें व्यर्थ बातों में समय नष्ट नहीं किया जाता। मुसोलिनी कहा करता था कि मेरा प्रोग्राम धातें बनाना नहीं, काम करना है। दूसरे, सड़ककालीन परिस्थितियों वा यह दृढ़तापूर्वक सामना करता है। इसमें सरलता से निर्णय किए जा सकते हैं और उन्हें दृढ़ता से लागू किया जा सकता है। तीसरे, यह देश और राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। चौथे, यह योग्य और कुछ व्यक्तियों को उचित पद देकर उनकी कुशलता से लाभ उठाता है। पांचवे, इसमें देश की कुछ न कुछ उन्नति होती है और फँसी हुई बेकारी और गरीबी में कुछ कमी आ जाती है।

बोप—यह व्यक्तित्व के विकास को रोकना है। नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा के भुलावे में डालकर उनकी वास्तविक स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। दूसरे, यह देश और राज्य को साध्य मानता है जिसके लिए व्यक्तियों से बलिदान की माँग करता है। तीसरे, यह शक्ति का उपासक है। इसके अनुसर, जिसके पास शक्ति होती है उसकी प्रतिष्ठा होता है। अतएव यह युद्ध की बातें करता है और उसके लिए तत्पर रहता है। अनेक बार यह जानरूढ़ कर युद्ध मोल लेता है जिसमें लोगों का ध्यान आंतरिक दुर्दशाओं में हटकर बाह्य समस्याओं में उलझ जाए और व सरकार को पूरा सहयोग दें। चौथे, इसमें नागरिक उदासोन् हो जाते हैं; सार्वजनिक विषयों में वे अधिनायकत्व के विचार नहीं करते और

सुपचार नेता की बातें मान लेते हैं। उनके इस अद्वैकपूर्ण व्यवहार के कारण अधिनायकत्व के दोषों का परिमार्जन और भी कठिन हो जाता है। पांचवे, अधिनायकत्व प्रायः उच्च राष्ट्रीयता का समर्थक और अंतर्राष्ट्रीयता का प्रबल विरोधी होता है। मुसोलिनी प्रायः कहा करता था कि शांति और अंतर्राष्ट्रीयता का ढोंग कायर लोग रचा करते हैं। उसका एक कथन और भी है, 'सब कुछ राज्य में है, सब कुछ राज्य के लिए है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है'। इन विचारों के कारण प्रायः विश्व-शांति सतरे में पड़ जाती है और मानवता को भावनाओं की गहरी क्षति पहुँचती है। छठे, तानाशाह अपने प्रतियोगियों को पसंद नहीं करते। अतएव, जो योग्य व्यक्ति उसके सम्बन्ध आने लगते हैं वे प्रायः उनका अन्त कर देते हैं। अतः यदि पहला तानाशाह कुशल और योग्य शासक भी हो, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका उत्तराधिकारी भी योग्य होगा। वैसे भी, उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर प्रायः झगड़े हो सकते हैं। सातवें, क्योंकि यह शासन-प्रणाली लोकमत पर आधारित नहीं होती और इसके अतर्गत यथार्थ लोकमत को जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, अतः अधिनायकत्व में विदोष स्थायित्व नहीं होता। कभी भी असंतुष्ट जनता ऐसी सरकार का सहना पसन्द कर नया शासन स्थापित कर सकती है। आठवें, इस शासन-प्रणाली के अतर्गत जनता में इतना मनीबल नहीं रहता कि वे किसी बड़ी विपत्ति अथवा पराजय का बोझ से सामना कर सकें। अतएव सच के उपस्थित होने ही प्रायः ऐसी सरकार का तन्ता पलट जाता है।

उपर्युक्त बातों पर विचार करने हुए हम यह सकते हैं कि यद्यपि इस प्रणाली में कुछ गुण हैं तथापि व्यक्ति और जनता के हित की दृष्टि से अधिनायकत्व बहुत अनिष्टकारी है और आज के युग में विवेकशील बुद्धिशील इसका समर्थन नहीं करते।



आधुनिक शासन प्रणालियाँ

यह कहने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि राज्यों के वर्गीकरण जैसी कोई बात नहीं होती। मूलतः सभी राज्य एक-से हैं और सभी में समान रूप से राज्य के सभी लक्षण पाए जाते हैं।

—बिलोडी

1. शासन-प्रणालियों का वर्गीकरण

अरस्तू के वर्गीकरण पर हम विचार कर चुके हैं। उसके विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचे कि पुराने वर्गीकरण हमारे लिए ध्येय हैं। आधुनिक प्रतिनिधि-प्रणाली ने सरकार के संगठन और प्रक्रियाओं में इतने परिवर्तन ला दिए हैं कि एक आधार पर सरकारों का वर्गीकरण अर्थहीन हो गया है। ब्लुस्ली बजिस और लीकौक ने नए वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें प्रथम दो विद्वानों के वर्गीकरणों में ऐसी कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती कि उन्हें स्वीकार किया जाए। जैसा कि गार्नर ने कहा है किसी एक सिद्धांत पर आधारित वर्गीकरण सतोपजनक नहीं हो सकता। आधुनिक वर्गीकरणों में केवल लीकौक का प्रस्ताव ही सतोपजनक लगता है। लीकौक ने अपने वर्गीकरण में ऐतिहासिक शासन-प्रणालियों को स्थान नहीं दिया। सर्वप्रथम वह सरकारों को दो वर्गों में विभाजित करता है—लोकतंत्रीय, और निरंकुश। निरंकुश सरकारों में वह उन समस्त शासनो को सम्मिलित कर लेता है जिनमें लोकमत को विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता और जहाँ नागरिकों को समुचित राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। लोकतंत्रीय सरकारों में वह उन समस्त शासनो की गणना करता है जहाँ अत्यंत प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्रीय प्रणालियों को वह सीमित राजतंत्र और गणतंत्र में विभाजित करता है। इन दोनों को वह फिर एकात्मक और सपीय सरकारों में विभाजित करता है। इस विभाजन का आधार यह है

कि राजसत्ता एन स्थान पर केंद्रित है अथवा वितरित हुई है। एवात्मक और सधीय सरकारों को वह फिर ससदीय और गैर ससदीय प्रणालियों में विभाजित करता है। इस विभाजन का आधार यह है कि कार्यांग विधानांग के प्रति उत्तरदायी है अथवा नहीं।

लोकतंत्र का वर्गीकरण युक्तिसंगत होते हुए भी मान्य नहीं है। वह इस बात की एकदम उपेक्षा कर देता है कि राज्य एकदलीय है अथवा बहुदलीय। इस बात पर भी वह कोई ध्यान नहीं देता कि राज्य के अनगन नागरिकों के बुनियादी अधिकार सुरक्षित हैं अथवा नहीं, और 'विधि शासन' है अथवा नहीं। उसका वर्गीकरण राज्य के लक्ष्यों की ओर भी ध्यान नहीं देता और इस बात पर भी विचार नहीं करता कि राज्य व्यक्तियों को माध्य मानता है या केवल साधन मान। फिर आज के इस युग में जब कि साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराएँ दुनियाँ के लगभग आलीस प्रतिशत व्यक्तियों में मान्य हो गई हैं, इस ओर ध्यान न देना उचित नहीं लगता। आज यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शासन-प्रणालियों के वर्गीकरण में केवल ऊपरी संगठन पर ही ध्यान न दिया जाए बल्कि अरस्तू का अनुकरण करते हुए यह भी देखा जाए कि राज्य का उद्देश्य और उसके कार्य सर्वसाधारण के हित में हैं अथवा नहीं। राजनीति विज्ञान के फलहीन बन जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक विचारक उन वास्तविकताओं के स्थान पर, जिनका व्यक्तियों के जीवन से घनिष्ठ संबंध है, बाह्य बातों पर अधिक ध्यान देते हैं। केवल कोल, सास्की जैसे कुछ विचारकों ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

उपरोक्त बातों पर विचार करते हुए शासन प्रणालियों के आधुनिक वर्गीकरण के लिए निम्न मूल विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है (१) धार्मिक और लौकिक सरकार—यह भेद इन बात पर निर्भर है कि देश के सभी कार्य धर्मनुसार होते हैं अथवा लौकिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर। प्रथम स्थिति में सरकार को हम धर्मनत (theocracy) कह सकते हैं। इस प्रकार की सरकार सम्भव अब समाप्त हो चुकी हैं। आधुनिक सरकारें धर्म की प्रधानता नहीं देनी और प्रमुख राजनीतिक विचारक इस संबंध में एकमत हैं कि एक अर्द्धा राज्य धर्मनिरपेक्ष (secular) होना चाहिए। (२) लोकतंत्रीय और निरंकुश सरकारें—यह भेद इन बात पर निर्भर है कि जनता को राजनीति में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता है अथवा नहीं। निरंकुश सरकार के अंतर्गत असीमित राजतंत्र और अधिनायकतंत्र दोनों ही आ जाते हैं। (३) सविधानी और असविधानी सरकारें—इस वर्गीकरण का आधार यह है कि शासन निश्चिन नियमों

और सिद्धांतों के अनुसार चलता है अथवा नहीं, और देश में 'विधि शासन' है अथवा नहीं। असविधानी सरकार में, कानूनों और नियमों का नहीं, व्यक्तिओं का शासन होता है। ऐसी सरकारों में सत्ताधारियों के आदेश ही कानून होते हैं और उनकी मनमानी चलती है। (४) वर्गीय शासन और लोक-कल्याणकारी शासन—यह भेद इस बात पर आधारित है कि वास्तविक राजसत्ता समाज के किस वर्ग में स्थित है। यदि वह धनिक वर्ग अथवा किसी अन्य वर्ग विशेष में सन्निहित है और सरकार इन वर्गों के हित की दृष्टि से कार्य करती है तो उसे हम वर्गीय सरकार कहेंगे। ऐसी सरकार सामंतवादी, पूँजीवादी अथवा सैनिकों द्वारा संचालित हो सकती है। इसके विपरीत, वे सरकारें हैं जो वर्ग-विशेष के हित पर ध्यान न देकर जनसाधारण के कल्याण के हेतु कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत साम्यवादी सरकारें, समाजवादी सरकारें और वे पूँजीवादी सरकारें भी आ जाती हैं जो लोक-कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त हैं। (५) एकात्मक और संघीय सरकारें तथा (६) ससंबंध और अघ्यक्षात्मक (राष्ट्रपति) सरकारें—आगे चल-पर हम अतिम चार प्रकार की सरकारों पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

2. एकात्मक और संघीय सरकारें

यह भेद इस बात पर निर्भर है कि राजसत्ता एक ही स्थान पर केंद्रित है और अन्य प्रादेशिक या स्थानीय सरकारें उस केंद्रीय सरकार के अधीन हैं अथवा नहीं। सभ सरकार में एक ओर तो एक केंद्रीय अथवा संघीय सरकार होती है और दूसरी ओर प्रादेशिक सरकारें। इन दोनों सरकारों में कोई भी किसी के अधीन नहीं होती। दोनों के क्षेत्र पृथक् और निश्चित होते हैं और अपनी-अपनी अधिकार सीमाओं में उन्हें पूर्णसत्ता प्राप्त होती है। दोनों की सत्ता का स्रोत एक ही होता है अर्थात् जनता के निश्चय पर आधारित अधिकारों का विभाजन जो संविधान में निहित है।

एकात्मक सरकार—एकात्मक सरकारी व्यवस्था में केवल एक सर्वोच्च सरकार होती है। अन्य स्थानीय और प्रादेशिक सरकारें या तो होती ही नहीं हैं, अथवा वे केंद्रीय सरकार के पूर्णतः अधीन होती हैं। इन अधीन सरकारों के अधिकारों को केंद्रीय सरकार जब चाहे घटा-बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि वह इन सरकारों का अंत भी कर सकती है। इस प्रकार की सरकार के प्रमुख गुण हैं पहला, यह एक कुशल और प्रभावी सरकार होती है। इसमें एक ही केंद्र से शीघ्रता से साध निर्णय हो जाते हैं और सरकार का सगठन भी सरल और एकरूप होता है। दूसरे, यह सरकार बहुत दृढ़ होती है। इसमें न तो अधिकारों के संघर्ष में कोई भगडा होना है और न कई स्तरों पर लंबे विचार-विमर्श करने

पड़ते हैं। तीसरे, उपर्युक्त कारणों से ऐसी सरकार निश्चित और दृढ़ धरेनु और पर-राष्ट्रनीति बनाकर उसे कार्यरूप में परिणत कर सकती है। चौथे, इसका संगठन सीधा साधा होता है, खर्च भी इसमें कम पड़ता है। कार्य करने की गति में भी तेजी होती है। पाँचवें, इस प्रणाली में इतना सचीलापन होता है कि समय और आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। छठे, इस प्रकार की सरकार छोटे राज्यों के लिए बहुत उपयुक्त है।

एकात्मक सरकार के अवगुण भी हैं। पहला, इसमें केंद्रीय सरकार के काम बहुत अधिक हो जाते हैं; इसलिए कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। एक तो काम धीरे धीरे होता है और वह भी ठीक से नहीं हो पाता। दूसरे, एक केंद्र से शासन होने के कारण इसमें स्थानीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता। यही नहीं, स्थानीय प्रतिभा का भी सदुपयोग नहीं हो पाता। अतएव, जनसाधारण में सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीनता आ जाती है। तीसरे, केंद्र के बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाने से उसके निरकुश हो जाने की आशंका रहती है। यही नहीं, शक्ति के केंद्रित हो जाने से सत्ताधारियों के भ्रष्ट हो जाने की सम्भावना भी बढ़ जाती है जिसका प्रभाव नागरिकों पर दुर्भाग्यपूर्ण होता है। चौथे केंद्र में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह स्थानीय और प्रादेशिक कार्यों को कुशलता के साथ कर सके। राजनीति का यह एक साधारण नियम है कि वही लोग समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिनका उनसे निकट संबंध होता है। दूरी पर बैठे हुए राजनीतिक पदाधिकारियों अथवा सरकारी कर्मचारियों को यह क्या पता हो सकता है कि किसी स्थान विशेष अथवा प्रदेश की क्या आवश्यकताएँ हैं और उनको किस प्रकार सुगमतापूर्वक और कम खर्च से पूरा किया जा सकता है; अतएव, इस प्रणाली के अतर्गत नीकरशाही के बढ़ जाने की सम्भावनाएँ रहती हैं जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर आंच आती है। इन दोषों का विवेचन करते हुए गार्नर का कहना है कि यह स्थानीय पहल (initiative) को प्रोत्साहन नहीं देता, सार्वजनिक मामलों में लोगों को उदासीन बनाता है, स्थानीय सरकारों को बलहीन कर देता है, और केंद्रीय नीकरशाही के विकास को बढ़ावा देना है।

संघीय सरकार

संघीय सरकार में दो स्तरों पर पृथक् सरकारें होती हैं। प्रथम, केंद्रीय अथवा संघीय सरकार, और दूसरी, प्रदेशों अथवा इकाइयों की सरकारें। इनमें से कोई भी सरकार दूसरे के अधीन नहीं होती। दोनों के पृथक् कार्य क्षेत्र होते हैं और अपने क्षेत्र में वे स्वायत्तशासी (autonomous) होती हैं। दोनों की सत्ता

का स्रोत एक ही होता है अर्थात् सविधान। सविधान से दोनों को सत्ता प्राप्त होती है और वही उनके अधिकार-क्षेत्रों की व्याख्या करता है। सघीय राज्य की परिभाषा देते हुए फाइनर ने कहा है कि यह एक ऐसा शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय सत्ता में। डाइसी के कथनानुसार, सघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। गार्नर के कथनानुसार, ऐसी शासन-प्रणालियों में केंद्रीय और स्थानीय सगठन एक प्रभुसत्ता के अंतर्गत स्थित होते हैं और ये दोनों प्रकार की सरकारें अपने निश्चित अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं में, जो सामान्य सविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं, सर्वोपरि होती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघीय शासन में प्रादेशिक सरकारों का होना आवश्यक है और उनकी पृथक् एव स्वतंत्र सत्ता होती है जिस पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होता।

एकात्मक और संघीय सरकारों के भेद

इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रकार की सरकारें एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। एकात्मक सरकार में राज्यसत्ता केंद्रित होती है जबकि सघीय सरकार में वह विभाजित होती है। दूसरे, एकात्मक सरकार में दोनों ही सरकारों की सत्ता का एक सामान्य स्रोत होता है जिसमें उनके अधिकारों की व्याख्या की जाती है। प्रायः यह एक लिखित सविधान के रूप में होता है। यहाँ यह बताना समत प्रतीत होना है कि स्थानीय अथवा प्रादेशिक सरकारों की उपस्थिति सघीय सरकार का विशिष्ट लक्षण नहीं है। कभी कभी एकात्मक शासन में भी स्थानीय और प्रादेशिक सरकारें नियुक्त कर दी जाती हैं, किंतु ये सरकारें केंद्र के अधीन होती हैं और उनकी सत्ता केंद्र की कृपा पर निर्भर होती है। तीसरे, एकात्मक सरकार में एक ही केंद्रीय सरकार में सारी शक्ति केंद्रित होती है जबकि अनेक प्रादेशिक सरकारों के सगठन से सघीय राज्य का आरम्भ होता है। चौथे, एकात्मक सरकार में केवल एक केंद्रीय नागरिकता होती है जबकि सघीय राज्य में कभी कभी सघीय नागरिकता और प्रादेशिक नागरिकताएँ पृथक् होती हैं। पाँचवे, एकात्मक सरकार में एक लिखित और बठोर सविधान का होना आवश्यक नहीं है किंतु एक सघीय शासन के लिए वह आवश्यक होती है क्योंकि सघीय शासन में सघीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच जो अधिकार-क्षेत्र का विभाजन होता है वह केवल गुस्तु ही नहीं होना चाहिए बल्कि इस विभाजन को सविधानी संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए अर्थात् इसमें भुगमना से संशोधन करना

सम्भव नहीं होना चाहिए। छोटे, सघीय राज्य में अधिकार-क्षेत्र के विभाजन के सरक्षण के लिए प्रायः कुछ विधि निश्चित की जाती है। अमेरिका और भारत में सर्वोच्च न्यायालयों को सत्रिधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। स्विट्जरलैंड में इनके अधिकार-क्षेत्रों की रक्षा का भार जनता पर है क्योंकि जनमत सभ्रह द्वारा जनता स्वतः यह निर्णय कर सकती है कि इनके आपसी झगड़े और मतभेदों का निपटारा किस प्रकार किया जाए। संवियत सभ में यह अधिकार सघीय सभ्रद को प्राप्त है। कहने का आशय यह है कि अधिकार-क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए और इससे संबंधित झगड़ों के निपटारे के लिए कोई न कोई ढंग निर्धारित होना चाहिए। एकारत्मक सरकार में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें शक्ति केंद्रित होती है।

सघीय शासन और परिसभ्र (Confederation) में भेद

कभी-कभी कुछ लोग सघीय शासन और परिसभ्र में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते जिसके कारण अनेक भूलें हो जाया करती हैं। वस्तुतः ये दोनों एक-दूसरे से विलक्षण भिन्न हैं। लीकौव के कथनानुसार, परिसभ्र एक राज्य न होकर स्वतंत्र और सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न ऐस राज्यों का समूह होता है जो किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हो गए हैं। कानूनी रूप से वे हर समय राज्यमंडल से पृथक् होने के लिए स्वतंत्र हैं। गानर के कथनानुसार, एक परिसभ्र में अनेक प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकारें होती हैं। साधारणतः परिसभ्र के प्रत्येक सदस्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वह अन्य राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यदि परिसभ्र के सदस्यों में युद्ध छिड़ जाए, तो वह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होगा। इसके विपरीत सघीय राज्या में यदि प्रदेशों के बीच आपस में बयबा प्रदेशों और केंद्र के बीच सभ्रपं छिड़ जाए तो वह एक गृह-युद्ध होगा¹। इस प्रकार, परिसभ्र अत्यंत ढीला-ढाला हावा है और वह स्थायी भी नहीं होता, जबकि सघीय शासन दृढ़ और स्थायी होता है। परिसभ्र न तो स्वतः ही एक राज्य होता है और न इसकी अपनी कोई ऐसी सरकार होती है जो सीधे राज्य के नागरिकों को आदेश दे सके। वस्तुतः परिसभ्र का नागरिकों के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता। उसके प्रस्ताव सदस्य राज्या पर सीधे लागू नहीं होत और न परिसभ्र नागरिकों पर बरही लगा सकता है। कुछ विद्वान् लेखक परिसभ्र को सभ्र शासन का प्रथम सोपान मानत हैं। अपन मत के समर्थन में वे कहते हैं कि संयुक्त राज्य (अमेरिका) और स्विट्जरलैंड में ऐसा ही हुआ था।

¹ वही, पृष्ठ 251-52.

सघीय राज्य की आवश्यक दशाएँ

सघीय राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक कुछ दशाएँ हैं जिनकी अनुपस्थिति में सघीय शासन कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए विद्वानों का यह मत है कि मघीय राज्य ऐसे प्रदेशों से मिलकर बनता है जो भौगोलिक रूप से आपस में सम्बद्ध हों। दूर-दूर बिलखे हुए भू-भागों में सघीय राज्य की स्थापना कठिन होती है, और यदि बीच में किसी अन्य राज्य अथवा राज्यों के प्रदेश हो तो कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है। दूसरे, जो लोग मिलकर एक सघीय राज्य बनाना चाहते हैं उनमें कुछ सामान्य विचार, भावनाएँ और आकाशाएँ होनी चाहिए। प्रायः उनमें भाषा, संस्कृति, धर्म आदि पर आधारित एकता के भाव होने हैं जिनके कारण सघीय राज्य की स्थापना सुगम हो जाती है। तीसरे, ऐसे लोगों और प्रदेशों में सघ बनाने की इच्छा होनी चाहिए, एकता और एकत्वता की नहीं। जहाँ एकता और एकत्वता की आवश्यकता का अनुभव हो वहाँ एकात्मक शासन-प्रणाली अधिक उपयुक्त होती है। तथापि यह आवश्यक है कि अनेकरूपता के रहते हुए भी सघीय राज्य के लिए उत्सुक लोगों में कुछ न कुछ एकता की भावना अवश्य हो जिसके बिना सघीय राज्य का निर्माण और उसका सुचारु रूप से चलना सम्भव नहीं होता। प्रायः लोग सघीय राज्य की स्थापना तभी करते हैं जब वे किसी कारणवश अपने प्रदेशों के अधिकारों और अपनी विविधता को बनाए रखना चाहते हैं। चौथे, सघ के बनाने में जो घटक हो उनमें जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से लगभग समानता होनी चाहिए। यदि सघीय राज्य में एक क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली और बड़ा हो कि दूसरे घटक उसके सामने पीके पडे जाएँ तो इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होगा कि वह दूसरों पर हावी हो जाएगा और सच्चे अर्थ में वह सघीय राज्य न रहेगा। पाँचवें, एक सघीय राज्य की स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि जो लोग मिलकर ऐसा राज्य संगठित करना चाहते हैं उनमें कुछ सामान्य सामाजिक और राजनीतिक समस्याएँ और विचार हो। इनके अभाव में यदि सघीय राज्य स्थापित हो भी जाए, तो उसका स्थायी रहना दुर्लभ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक ऐसे सघीय राज्य की स्थापना करना जिसका एक घटक लोकतन्त्रीय प्रणाली में विश्वास करता हो और दूसरा अधिनायकत्व में, असंगत प्रतीत होती है। छठे, क्योंकि सघीय शासन-प्रणाली अर्पशाहृत जटिल व सर्चीली होती है, अतएव, यह भी आवश्यक है कि सम्मिलित रूप से ऐसा राज्य बनाने वाले व्यक्तियों के पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन हो और उनमें इतनी राजनीतिक चेतना भी हो कि वे सफलपूर्वक ऐसा राज्य बना सकें। अंतिम रूप से यह बताना आवश्यक है कि एक स्थायी सघीय राज्य का निर्माण तब तक सम्भव नहीं है जब

तक कि उसकी जनता में सम्मिलित रूप से रहने की इच्छा न हो।

सघीय राज्य के अनिवार्य तत्त्व

इसके अनिवार्य तत्वों पर मैरियट, गिलक्राइस्ट, फाइनर आदि विद्वानों ने विचार किया है। उनके मतानुसार, संक्षेप में, सघीय राज्य के निम्न अनिवार्य तत्व हैं (1) केंद्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर पृथक् और स्वतंत्र सरकारों का होना, (2) इन सरकारों के बीच अधिकारों का स्पष्ट और निश्चित विभाजन, (3) विचार विमर्श के बाद निर्मित एक लिखित और प्रायः कठोर सविधान, (4) सविधान की सर्वोपरिता, (5) सीमित और सविधानी सरकार में विश्वास, (6) विभिन्न स्तरों की सरकारों में मतभेद अथवा भगड़े हो जाने पर निर्णय करने की कोई निश्चित विधि अथवा प्रक्रिया, (7) सघ के घटकों की सरकार के स्वरूप के संबंध में कुछ सामान्य विचार, (8) सघ के घटकों का सघीय ससद में विशेष प्रतिनिधित्व, जिससे प्रादेशिक सरकारों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, (9) घटकों द्वारा सघ से संबंध विच्छेद करने की संभावनाओं के संबंध में नियम, और (10) प्रादेशिक इकाइयों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कुछ विशिष्ट आयोजन। इनमें से कुछ तत्वों पर संक्षेप में विचार किया जाएगा।

सविधान—सविधान में उन सभी बातों का निर्देश होता है जिनके आधार पर सघीय राज्य की स्थापना की जाती है। डाइसी के मतानुसार, इन विचारों को अलिखित होने से बाद में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतएव, सघीय सरकारों में सोच समझ कर सविधान बनाए जाते हैं और वे लिखित ही नहीं होने बल्कि अपेक्षाकृत उनका संशोधन भी कठिन होता है। साथ ही यह सविधान राज्य के सर्वोच्च कानून घोषित कर दिए जाते हैं अर्थात् वे अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होते हैं। अतः सघीय और प्रादेशिक सरकारों को इसे सर्वाधिक मान्यता देनी होती है। इस व्यवस्था का एक परिणाम यह होता है कि सघीय और प्रादेशिक दोनों ही सरकारों के पास सीमित अधिकार होते हैं। अतएव, ये दोनों सरकारें सविधानी होती हैं। इन दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्रों का जो विभाजन होता है उसे विशेष संरक्षण दिया जाता है और उसमें संशोधन करना विशेष रूप से कठिन बना दिया जाता है।

अधिकार क्षेत्रों का विभाजन—सघ एक द्वैध शासन होता है। अतएव, केंद्र और घटकों के बीच उनके अधिकार-क्षेत्र का विभाजन अपरिहार्य है। इस विभाजन का सविधान में समावेश किया जाता है जिससे सुसमतापूर्वक उसमें संशोधन न किए जा सकें। प्रायः इस विभाजन की विस्तृत व्याख्या की जाती है जिससे बाद में कठिनाइयाँ उत्पन्न न हों। प्रायः सामान्य द्वैध की बाने केंद्रीय अथवा

सभ सरकार को सौंप दी जाती हैं। उदाहरण के लिए, देश की रक्षा, पर-राष्ट्र-नीति, यातायात और संचार के साधन, विदेशी व्यापार आदि अनेक ऐसे अधिकार हैं जो केंद्र को सौंप दिए जाते हैं। दूसरी ओर, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन आदि प्रायः प्रादेशिक सरकारों को प्राप्त होते हैं। इस विभाजन के सबंध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार हैं और व्यवहार रूप में भी विभिन्न सघीय राज्यों में तरह-तरह के प्रबंध किए गए हैं। सोवियत सभ में तो घटक राज्यों को विदेशी मामलों और सैन्य संगठन के भी समान अधिकार प्राप्त हैं। यही नहीं, सोवियत सभ के दो घटक-राज्यों को, जिनके नाम यूक्राइन और बाइलोरशा हैं, संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता मिली हुई है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सबंध में कुछ निश्चित धारणाएँ नहीं बनाई जा सकती।

सभ बनाने का ढंग—सघीय राज्य प्रायः दो प्रकार से स्थापित किए जाते हैं। कई बार कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर एक सघीय राज्य को जन्म देते हैं। इस विधि को एकीकरण (integration) कहते हैं। सघीय राज्य बनाने के दूसरे ढंग में एकात्मक राज्य का विकेंद्रीकरण करके पहले प्रदेशों को स्वायत्त बना दिया जाता है और फिर इन स्वायत्त प्रदेशों को मिलाकर एक सघीय राज्य का निर्माण होता है। सभ-निर्माण के इस ढंग को विघटन (disintegration) कहते हैं। भारत में सन् 1935 के संविधान के अंतर्गत इसी प्रकार सघीय शासन की योजना बनाई गई थी।

अधिकार-क्षेत्रों के विभाजन की विधि—अधिकारों के विभाजन में प्रायः दो ढंग अपनाए जाते हैं। कुछ सघीय राज्यों में केवल सघीय सरकार की शक्तियों को निर्धारित कर दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि शेष सभी शक्तियाँ घटक प्रदेशों की सरकारों में निहित हैं। सोवियत सभ, संयुक्त राज्य (अमेरिका), स्विट्जरलैंड, और आस्ट्रेलिया ने इसी प्रकार के राज्य स्थापित किए हैं। ऐसे सघीय राज्यों को 'इकाई-प्रमुख' (centrifugal) कहते हैं। दूसरी ओर, कनेडा जैसे देश के उदाहरण हैं जहाँ केवल प्रांतीय विषयों की सूची दी हुई है और शेष सभी अधिकार केंद्रीय अथवा सघीय सरकार में निहित हैं। इस प्रकार के सघीय राज्य को केंद्र-प्रमुख (centripetal) कहते हैं। ऐसी सघीय सरकारें अपेक्षाकृत अधिक सत्तावर होती हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल केंद्रीय और राज्यों के विषयों की सूची दी है बल्कि एक समवर्ती सूची भी है, जिसके अंतर्गत केंद्र और प्रदेश दोनों ही कानून बना सकते हैं। किंतु यदि इन दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध हो, तो केंद्रीय कानून माननीय होगा। यस्तुतः भारतीय सभ का एकात्मकता की ओर झुकाव है और यह सघीय राज्य के समस्त लक्षणों से पूर्ण नहीं है।¹

1 K. C. Wheate, *Federal Government*, पृष्ठ 28.

अवशिष्ट शक्तियाँ—अधिकार क्षेत्र की व्याख्या चाहे कितने ही ध्यानपूर्वक और विस्तार से की जाए, समय की गति के साथ ऐसे प्रश्न बराबर उठते रहेगे जिनके सबब से संविधान में कोई व्याख्या नहीं होती। उदाहरण के लिए, सन् 1945 ई० के पूर्व कोई देश यह कल्पना नहीं कर सकता था कि 'अणु शक्ति' इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी और अधिकार विभाजन में उसको सम्मिलित करना होगा। इस प्रकार के जो अधिकार घोषित रह जाते हैं उन्हें 'अवशिष्ट शक्तियों' (residuary powers) कहते हैं। कुछ संविधानों में ऐसी 'अवशिष्ट शक्तियों' के सबब से एक विधान होता है कि वे केंद्रीय शासन के पास होगी अथवा प्रादेशिक सरकारों के पास। ऐसी स्थिति में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। लेकिन ऐसे भी संविधान हैं, जिनमें ऐसे कोई नियम नहीं हैं। तथापि यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। अतएव, संविधानी व्याख्या द्वारा अथवा संविधान में संशोधन करके अथवा कुछ अभिसमयों को मानकर इस समस्या का समाधान कर दिया जाता है।

संघीय न्यायालय—हम देख आए हैं कि संघीय राज्य में अधिकारों का वितरण सुस्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए जिससे कोई मतभेद न हो और बाद में कठिनाइयाँ उत्पन्न न हों। किंतु इस सबब से संघीयता से काम लेने पर भी मतभेद और भगड़े उत्पन्न हो ही जाते हैं। अतएव, इनका निपटारा करने के लिए किसी एजेंसी की अत्यंत आवश्यकता है। भारत और संयुक्त राज्य (अमेरिका) में यह उत्तरदायित्व सर्वोच्च संघीय न्यायालयों को सौंपा गया है। लेकिन यह कहना कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संघीय न्यायालय का होना संघीय राज्य के लिए अपरिहार्य है, सगत प्रतीत नहीं होता। स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है, तथापि स्विट्जरलैंड निश्चित रूप से एक संघीय राज्य है। सोवियत संघ में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और व्याख्या करने तथा मतभेदों को दूर करने का कार्य संघीय संसद को दिया हुआ है। कुछ विचारकों का मत है कि सर्वोच्च न्यायालय के न होने से सोवियत संघ में प्रादेशिक सरकारों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संघीय न्यायालय का होना संघीय राज्य के लिए हम अपरिहार्य नहीं मान सकते, यद्यपि यह ठीक है कि आपसी मतभेदों और झगडों के निपटारे के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

संघीय राज्यों के गुण—संघीय शासन के अनेक गुण हैं और यही कारण है कि इस प्रकार का शासन लोकप्रिय बनता जा रहा है। पहले, यह राष्ट्रीय एकरता और प्रादेशिक स्वायत्तता में सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें अतर्गत विभिन्न प्रदेश अपनी विशेषताओं और विविधताओं की रक्षा करते हुए एक ही राज्य

के अतर्गत रह सकते हैं। एकात्मक सरकार में इसकी कोई सम्भावना नहीं होती। दूसरे, इसमें केंद्रीयकरण से उत्पन्न दोषों से छुटकारा मिल जाता है और नौकरशाही का अपेक्षाकृत उतना बोलबाला नहीं होता और कार्य भी सुगमतापूर्वक और कुशलता से होता है। तीसरे, इसमें उचित कार्य-विभाजन रहता है। राष्ट्रीय विषय केंद्रीय सरकार के हाथों में होते हैं और स्थानीय महत्त्व के विषय इकाइयों के पास। चौथे, इसमें स्थानीय प्रतिभा का सदुपयोग हो सक्ता है। अतएव, सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की रूचि बढ़ती है और उनमें राजनीतिक चेतना का भी समुचित विकास हो पाता है। पाँचवें, संघीय शासन ने एक बड़े पैमाने पर लोकतंत्रीय शासन को सम्भव बना दिया। एक बड़े देश में रहने वाले नागरिक भी इस प्रणाली के अतर्गत सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकते हैं और प्रादेशिक तथा स्थानीय मामलों में दिलचस्पी ले सकते हैं। छठे, यह प्रणाली उन बड़े-बड़े प्रदेशों के लिए, जिनकी स्थानीय दशाएँ एक-सी नहीं होती, बहुत अच्छी रहती है। इस प्रकार के देशों में एकात्मक सरकार ठीक-ठीक काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी प्रादेशिक आवश्यकताएँ एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। किंतु संघीय शासन में इकाइयाँ तरह-तरह के कानून बना सकती हैं और उपयोगी सिद्ध होने पर ऐसे कानूनों और प्रयोगों को स्थायी रूप से अपना सकती हैं। सातवें, इसमें इकाइयों की सरकारों को भी अपने अधिकार-क्षेत्र में पूर्णसत्ता प्राप्त होती है। अतएव, केंद्रीय निरकुशता से नागरिकों की रक्षा हो जाती है। आठवें, सामूहिक रक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की दृष्टि से संघीय शासन के बहुत लाभ हैं। यदि प्रदेश अपने छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य बनाकर बैठते तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि संघीय शासन ने मतभेदा को दूर किया है, पृथक्ता की भावना को धुंधले से रोजा है, सघर्षों और युद्धों की रोकथाम की है, और विभिन्न जातियों तथा समूहों को एक-एक शक्तिशाली राज्यों को जन्म दिया है। हेनरी सिजविक के अनुसार, संघवाद का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार, जहाँ भी स्थायी और सुचारु रूप से चलने वाले संघीय राज्यों के निर्माण की सम्भावना हो वहाँ उनकी स्थापना समार के हित में है।

संघीय राज्यों के दोष—संघीय राज्यों में कुछ दोष भी हैं। पहला, इसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में प्रायः मतभेद और झगड़े होने रहते हैं जिनके कारण बहून्-सा समय और शक्ति का अपव्यय होना है। दूसरे, यह आंतरिक और विदेशी मामलों में दृढ़ और सख्त नीति को नहीं अपना पाता, क्योंकि संघीय सरकार के अधिनार सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य (अमेरिका) में तत्काल संघीय कानूनों की भिन्नता के कारण कभी-कभी

एसा होता है कि नागरिक एन राज्य म कानूनी रूप से तलाक दे आते हैं पर दूसरे राज्य म आने पर उस तलाक को मान्यता नहीं मिलती । यदि इस बीच म पति और पत्नी ने नये विवाह कर लिए हा तो कठिनाई और भी अधिक बड जाती है । तीसरा, इसका संगठन बहुत जटिल होता है और इसकी वारीतियों को समझना टेढ़ी खोर है । चौथे, कठोर और लिखित सविधान होने के कारण इसमें सरलता से परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता । अतएव, समयानुसार आवश्यक मोड ढकर इससे काम नहीं निवाता जा सकता । इन प्रकार मह नटोर और अनुदार बन जाता है । पाँचवे, इसमें दोहरो शासन व्यवस्था होती है जिससे व्यय अधिक होता है । छठे, इसमें यदि एक इकाई बडी हो तो वह जय इकाइया पर हावी हो जाने का प्रयत्न करती है और इस प्रकार सच्ची सघीय भावना का तोष हो जाता है । सातवें, आपसी झगड अपवा आंतरिक विद्रोह के कारण इसके भंग हो जाने का भय रहता है । आठवें, सन सन सघीय शासन म कद्र की सत्ता मे वृद्धि हाती रहती है और अतत वह इतनी सक्तिशाली बन जाती है कि इकाइया का विघाप महत्व नहीं रह जाता । अतएव, कुछ विद्वान इसे एकात्मक राज्य की अतिरिक्त सीडी मानते हैं ।

इन तयाकथित दोषो के होने पर भी सघीय शासन मनुष्यो की आवश्यकताओ को पूरा करते हैं । ऐसे शासन के अतर्गत विविधता की रक्षा करते हुए एक सामान्य सरकार बनाई जा सकती है । सम्भवत यही कारण है कि इन दिनों नए-नए सघ बनाए जाने की चर्चा है । कुछ विद्वान तो एक विश्व सघ बनाने के स्वरूप देख रहे हैं । उनका विश्वास है कि बिना एक विश्व सघ बनाए मानव की शांति, सुख और समृद्धि सवधो समस्याओ का समाधान सम्भव नहीं है । अत यह स्पष्ट है कि सघो का युग अभी सद नहीं गया बल्कि आने वाला है । यह एक एसी व्यवस्था है जिसके अतर्गत राष्ट्रीय विधिघताओ को बनाए रखा कर एक बहुराष्ट्रीय राज्य स्थापित किया जा सकता है । आज बडे-बडे राज्यों के लाभ स्वीकार किए जाने जग है । सावियत सघ न राष्ट्रीयता के आधार पर एक गघीय राज्य बनाकर हमारे सम्मुख एक एसा उदाहरण दिया है जिसको थोड स हेरपर स साथ जय लोग भी अपन काम म ला सकते हैं ।

3 ससदीय और राष्ट्रपति शासन

मंडल के कथनानुसार, ससदीय शासन उस प्रणाली का नाम है जिसमें वास्तविक कायाग विधानाग की इच्छा पर निर्भर होता है । स्ट्रॉंग के अनुसार, जहाँ कायाग सीध ससद् के प्रति उत्तरदायी हाता है उस ससदीय (उत्तरदायी) शासन कहना चाहिए । इसके विपरीत यदि मह एक निश्चित तिथि के बाद

संसद से अधिक व्यापक किसी संस्था के (मतदाता आदि) प्रति अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो, किंतु उसे पदच्युत न किया जा सके, तो ऐसी व्यवस्था को हम अध्यक्षतात्मक अथवा राष्ट्रपति शासन कहेंगे ।

संसदीय शासन के लक्षण—संसदीय शासन के अंतर्गत दो कार्यकारी (executive) होते हैं जिनमें एक दिखावे भर का होता है और दूसरा वास्तविक । दिखावटी कार्यकारी राज्य का प्रमुख होता है । वह सविधानी राजा अथवा रानी भी हो सकता है । चाहे उसका नाम कुछ भी हो उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं होती । शासन की वास्तविक सत्ता एव मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है । मंत्रिमंडल तभी तक दश पर शासन करता है जब तक उसे संसद (अथवा राज्य के लोकप्रिय भवन) का विश्वास प्राप्त हो । दूसरे, संसद के लोकप्रिय भवन में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है वही मंत्रिमंडल बनाता है । इस पार्टी के संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है और वह अपने सहयोगी चुनता है । तीसरे, मंत्रिमंडल के सदस्यों का समान दृष्टिकोण होता है और वे अपने राजनीतिक दल के कार्यक्रम और नीतियों को कार्य रूप देने का यत्न करते हैं । चौथे, मंत्रिमंडल के सदस्य आपस में मिलकर काम करते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं । पांचवें, वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं । मंत्रिमंडल अपनी नीति के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किंतु कभी-कभी विभागीय मामलों में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता और संबंधित मंत्री को उत्तरदायी ठहराता है । सामान्यतः अपनी नीतियों और राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वह सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार करता है जिसके अर्थ यह होते हैं कि मंत्रिमंडल आलोचकों को उत्तर देने के लिए तत्पर रहता है और चाहे किसी मंत्री की आलोचना की जा रही हो उसके सहयोगी उसकी रक्षा के लिए उद्यत होने हैं । छठे, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य प्रायः संसद के सदस्य भी होते हैं । वही-कही यह विधान है कि यदि वे संसद के सदस्य न हों, तो उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए एक निश्चित अवधि में संसद का सदस्य बन जाना चाहिए ।

संसदीय प्रणाली के लाभ—इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें विधानांग और कार्यंग में निरन्तर सम्पर्क रहता है । मंत्रिमंडल पूरी तरह संसद पर निर्भर रहता है । अतः इन दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं हो सकता । प्रायः मंत्री संसद की कार्यवाही में स्वयं भाग लेते हैं और अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद की स्वीकृति लेते हैं । दूसरे, मंत्रिमंडल संसद के द्वारा लोकमत के प्रति उत्तरदायी होता है । लोकमत की अवहेलना करके वह अधिक दिनों

तक सत्तारूढ़ नहीं रह सकता। उपचुनाव अथवा आम चुनाव में यह प्रकट हो जाता है कि सरकार के प्रति जनता का क्या रज है और यदि लगातार कई बार सरकार उपचुनाव में हार जाए तो ऐसा माना जाता है कि मन्त्रिमण्डल ने जनता का विश्वास खो दिया है और इसकी परीक्षा करने के लिए उसे नए चुनाव कराने चाहिए। तीसरे, यह प्रणाली अपेक्षाकृत लचीली होती है। इसमें आवश्यकता-नुसार शीघ्र गति से काम लिया जा सकता है। चौथे, इसमें उत्तरदायित्व एक ही स्थान पर केंद्रित होना है, और भले और बुरे कामों का राजनीतिक उत्तर-दायित्व केवल मन्त्रिमण्डल पर होता है। पाँचवें, इसमें सरकार के गठन में एकता होती है। मन्त्रिमण्डल मजदू का नेतृत्व करता है और प्रधानमंत्री मन्त्रिमण्डल का। इस प्रकार कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है। छठे, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रायः एक विरोधी दल भी होता है जो अपनी आलोचनाओं और त्रिवारमक सुझावों से जनता की सेवा करता है। तास्की के कथनानुसार, विधानसभा में कार्याग के उपस्थित रहने का एक अच्छा परिणाम यह है कि मंत्रियों को अपनी नीति का स्पष्टीकरण करने का सुयोग मिल जाता है और आलोचकों को सगठित रूप से आलोचना करने का। इसमें उत्तरदायित्व की भावना दृढ़ होती है।

दोष—इस प्रणाली के भी कुछ दोष हैं। प्रथम, ताइस के अनुसार, यह प्रणाली दलबन्दी के आधार पर बनी होती है। यही नहीं, यह प्रणाली दलबन्दी की भावना को बरामर अनजित करती रहती है। दूसरे, आपत्ति-काल में इसके दोष और भी अक्षरते हैं। जब देश में जनता को एकता की अत्यंत आवश्यकता होती है तब भी इन दलों में भगडे चलते रहते हैं। तीसरे, इसकी इस दृष्टि से भी आलोचना की गई है कि यह शक्ति के विभाजन के सिद्धांत के प्रतिभूत है। चौथे, इस प्रणाली के अंतर्गत अनेक योग्य व्यक्तियों को राज्य में केवल इसलिए स्थान नहीं मिलता कि वे एक मिला विचारधारा अथवा दल के अनुयायी हैं। पाँचवें, इसमें सरकारें शीघ्रतापूर्वक बदलती रहती हैं। अतः कोई दीर्घकालीन योजना बनाना और उसके अनुसार कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है।

अध्यक्षारमक शासन—संघिन के कथनानुसार यह ऐंशा सामन है जिसमें कार्याग विधानाग से स्वतंत्र रहना है और जिसमें कार्याग की दतनी शक्ति प्राप्त होती है कि वह विधानाग के हस्तक्षेप का विरोध कर सके। इस शासन के प्रमुख लक्षणों में एक यह भी है कि यह सरकार मजदू के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। प्रायः इसका कार्यकाल निश्चिन होता है और मजदू द्वारा घटाया मा बढ़ाया नहीं जा सकता। कभी-कभी इस प्रणाली का अंतर्गत भी एक मन्त्रिमण्डल होता है जो सतदीम प्रणाली से बिल्कुल मिन होता है। अध्यक्ष प्रणाली का मन्त्रिमण्डल अध्यक्ष का प्रतिपूर्ण उत्तरदायी होता है। इसके सदस्य मजदू के सदस्य नहीं हो सकते।

यही नहीं इस प्रणाली के अतर्गत ससद् को भंग करके नए सिरे से चुनाव कराने की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। वस्तुतः इसके गुण और दोष ससदीय प्रणाली के गुण और दोषों से ठीक विपरीत होते हैं।

अध्यक्ष प्रणाली के गुण—इसमें राष्ट्रपति (अर्थात् प्रधानाध्यक्ष) को एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और अपने दिन प्रतिदिन के कामों के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता रहती है। दूसरे, अपना कायकाल और सत्ता निश्चित होने के कारण राष्ट्रपति को यह सुविधा रहती है कि वह अपनी नीति को दृढ़ता से कार्य रूप में परिणत कर सके। अतएव शासन में भी अपेक्षाकृत दृढ़ता और स्वतंत्रता आ जाती है। तीसरे, यह प्रणाली विशेषतः ऐसे राज्यों के लिए उपयुक्त है जहाँ भिन्न भिन्न जाति धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं।

दोष—इसमें सबसे बड़ा अवगुण यह है कि कार्यार्ग और विधानार्ग की पृथक्ता के कारण इनमें आपसी संघर्ष होने की सम्भावना रहती है जिसके कारण कभी-कभी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। दूसरे, इसमें शक्ति और उत्तरदायित्व का ऐसा विकेंद्रोकरण होता है कि राज्य की नीति और कानूनों के लिए किसी को पूरी तरह उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसमें नेतृत्व निश्चित रूप से किसी एक मस्ये अथवा अंग को नहीं होता है। तीसरे, इस प्रणाली के अतर्गत कार्यार्ग कभी-कभी निरकुश अनुत्तरदायी और खतरनाक बन जाता है। यदि राष्ट्रपति गडबड करने लगे तो उसे अपने पद से हटाने अथवा उसके कार्यों पर अकुश लगाने का कोई उपाय नहीं है। बुरे से बुरा अध्यक्ष भी अपने कार्यकाल में पदच्युत नहीं किया जा सकता। चौथे, इसमें अच्छे और बुरे कानूनों का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि इसमें कार्य का उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं होता। पाँचवें, इसमें चुनाव के समय बहुत उत्तेजना रहती है। सत्ता एक व्यक्ति पर निर्भर होने के कारण इसमें प्राति अथवा अशांति का अधिक भय रहता है। छठे इसमें जनता से सीधा लगाव न रहने के कारण अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय होता है जिसे एक दोष माना जा सकता है। सातवें, इसमें हम एक व्यक्ति से बहुत आशाएँ बना लेते हैं, जो प्रायः पूरी नहीं होती। आठवें, इसमें आम चुनाव के समय बहुत जोश रहता है और ऐसे समय गृह युद्ध की सम्भावना भी बनी रहती है।

4. नौकरशाही

नौकरशाही (Bureaucracy) से हमारा अभिप्राय एक ऐसी सरकार से है जिसमें राज्य के कार्य प्रायः दफ्तरों में, विशेष रूप से प्रशिक्षित अफसरों द्वारा, चलाए जाते हैं। नौकरशाही का नाम तभी उपयुक्त माना जाता है जब ऐसे सर-

के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 'अभावात्मक राज्य' के स्थान पर अब 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की भावना जोर पकड़ती जा रही है। तथापि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कल्पना के क्षेत्र में हम भले ही लोक-कल्याणकारी राज्य के स्वप्न देखने लगे, व्यावहारिक रूप में इस प्रकार के राज्य केवल उन्ही देशों में स्थापित हो सकते हैं जो समृद्धिवाली हैं। ऐसे किसी देश में जहाँ गरीबी, बीमारी, बेकारी आदि की समस्याएँ विकराल रूप धारण किए हुए हों, लोक-कल्याणकारी राज्य की बातें करना स्थानीय पुलाव पकाने के समान है। लोक-कल्याणकारी राज्य केवल ऐसे देशों में बन सकता है जहाँ जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान हो चुका है और जहाँ जनसाधारण को 'सामाजिक सुरक्षा' प्राप्त हो चुकी है। अतएव, नवविकसित देशों के संवर्धन में लोक-कल्याणकारी राज्य की बातें करना असंगत प्रतीत होता है। मूडाल के अनुसार, लोक-कल्याणकारी राज्य केवल उन देशों में स्थापित हो सकते हैं जहाँ लोगों का जीवन-स्तर काफी ऊँचा बन चुका है और जहाँ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफी सीमा तक समता आ गई है। अतएव, नवविकसित देशों के लिए लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना केवल एक चरम लक्ष्य हो सकता है। तथापि, इसके बनने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शासन वर्गों में न हो और जनसाधारण की भलाई के लिए सतत प्रयत्न किए जाएँ। ऐसा होने पर भी, लोक-कल्याणकारी राज्य केवल एक सम्भावना-मात्र रहेगा और उभे साकार रूप देने में हमें कई पीढ़ियों तक यत्न करने होंगे।



सरकार का संगठन

राजनीतिशास्त्रियों के लिए शक्ति पृथक्ता की जाँच की इससे अधिक कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इस परिणाम पर पहुँच जाएँ शक्ति पृथक्ता को मान्यता देना हमारी उन सामान्य राजनीतिक आवश्यकताओं पर निर्भर है जिनको हम तात्कालिक समझते हैं।

—हर्मेन फाइनर

1 सरकार के अंग और उनके सबध

सरकार वह एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य के सकल्प बनते हैं और उनकी अभिव्यक्ति तथा पूर्ति होती है, अर्थात् राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार एक साधन मात्र है। हम सरकार के संगठन के प्रश्न का प्रादेशिक अथवा उसके कार्यों की दृष्टि से विवेचन कर सकते हैं। प्रादेशिक रूप में, सरकार कई स्तरों पर होती है केंद्रीय, प्रादेशिक, और स्थानीय। कार्यों की दृष्टि से सरकार को प्रायः तीन विभागों अथवा अंगों में बाँटा गया है विधानांग, कार्यांग और न्यायांग। विधानांग राज्य के सकल्पों को व्यक्त करता है, कार्यांग इन्हें साकार रूप देता है और न्यायांग इनकी व्याख्या करता है और इनके अनुसार अपने निर्णय देता है।

सरकार के कार्यों का यह त्रिविध विभाजन सभी विचारकों को मान्य नहीं है। विलोवी के अनुसार, इस सूची में दो अन्य कार्यों की बढोत्तरी की जा सकती है प्रशासन और निर्वाचक मंडल। फाइनर के मतानुसार, सरकार के कार्यों में दो बातें प्रमुख होती हैं सकल्प बनना और उसे साकार रूप देना। सकल्प बनने में निर्वाचक मंडल, राजनीतिक दल, विधानांग, मंत्रिमंडल और राज्य का

प्रधान, सरकारी कर्मचारी, शीर न्यायाग भाग लेते हैं। उसके मतानुसार, राजनीतिक गतिविधि के सात प्रमुख केंद्र हैं जिनके परस्पर सहयोग से सरकार के कार्य चलते हैं¹। किंतु अन्य विचारकों ने फाइनर के इस मत का समर्थन नहीं किया। प्रशासनिक विभाग कार्याग का ही एक ऐसा पहलू है जिसमें विधानाग कार्याग, प्रशासन और न्यायाग भी आ जाते हैं²। प्रशासन के महत्त्व को अब स्वीकार किया जाने लगा है और कुछ विद्वानों ने इसे सरकार का चौथा विभाग बताया है। जहाँ तक निर्वाचक मंडल और राजनीतिक दलों का प्रश्न है, उसके महत्त्व को सभी स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक लेखक यह नहीं मानते कि ये दोनों सरकार के नियमित अंग हैं।

परस्पर सहयोग की आवश्यकता—सरकार के सुचारु रूप से चलने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके विभिन्न अंग मिलकर काम करें। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कंग्रेसी मंत्रिमंडलों ने मद्य-निषेध कानून लागू करने का निश्चय किया है। सर्वप्रथम, यह निर्णय अपने दल में किया गया और तत्पश्चात् मंत्रिमंडलों द्वारा। इसके बाद विधानागों में इस प्रकार के बिल प्रस्तुत किए गए। संभवतः कई स्थानों पर इनको कमेटियों के सुपुर्दे कर दिया गया, जहाँ इनको जाँच-पढ़नाप की गई। तत्पश्चात् वे फिर विधानाग के सम्मुख प्रस्तुत किए गए और विभिन्न सत्रागों (stages) को पार कर विधानागों द्वारा पारित हुए। इसके उपरांत, उन्हें राज्यपालों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और इनकी सहमति मिल जाने पर उन्हें गजट में प्रकाशित किया गया और उस तिथि की घोषणा की गई जबसे ये कानून लागू होंगे। सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए कि किस प्रकार इस कानून को लागू किया जाएगा। जो नागरिक इस कानून का उल्लंघन करते पाए गए, उनको पुलिस ने पकड़ा और उन्हें न्यायाधीशों के सम्मुख उपस्थित किया। सजा मिलने पर उन्हें जेल भेजा गया और अवधि पूरी होने पर वे छोड़ दिए गए। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक सहयोग पर उसका सुचारु रूप से चलना सम्भव है। यदि इन में से कोई भी अपने कर्तव्य का समुचित पालन न करे अथवा दूसरों को सहयोग देने से इनकार करे तो इसका परिणाम गम्भीर के रूप में प्रकट होगा। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, जिसमें विधानाग जो कानून बनाता है न्यायाग उनके अनुसार निर्णय करने से इनकार कर देता है अथवा कार्याग उन्हें लागू करने का कोई प्रयत्न नहीं करता अथवा जेल के अधिकारी उन ध्वजितया को जेल में भर्ती करने से इनकार कर देने हैं

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 171.

2 रोसो, उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 47.

जिन्ह न्यायाधीशों ने सजा दी है। यदि ऐसा हो, तो सरकारी कामों में गति-रोध पैदा हो जाएगा और सगठित जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि शासन की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके विभिन्न अंग एक साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे को पूर्ण सहयोग दें जिससे राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

2. शक्ति-पृथक्ता का सिद्धांत

कुछ विद्वानों ने यह विचार प्रकट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति का पृथक्करण अपरिहार्य है। गंटिल के कथनानुसार, इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार के तीनों प्रमुख कार्य भिन्न व्यक्तियों द्वारा सम्पादित होने चाहिए और इन तीनों विभागों के कार्यक्षेत्र इस प्रकार सीमित होने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहें।¹

इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्रायः अरस्तू का नाम लिया जाता है। अरस्तू ने सरकार के तीन प्रमुख कार्य बताए— विचार-विमर्श, (deliberation) प्रशासन कार्य और न्याय कार्य। विचार विमर्श के अंतर्गत वह युद्ध और शांति, विधि-निर्माण, मैत्री संधि, मृत्यु-दण्ड, देशनिकाला, सम्पत्ति की जब्ती और प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति को सम्मिलित करता है। इसी प्रकार प्रशासन कार्य में वह विशेष प्रकार के प्रशासन कार्यों की गणना के अधिकार को भी स्वीकार करता है²। यही नहीं, उस समय न्याय कार्य करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त न्यायाधीश नहीं होते थे बल्कि सार्वजनिक न्यायालय होते थे। अतः यह स्पष्ट है कि अरस्तू का शासन कार्यों का वर्गीकरण बाद में मॉटेस्कु द्वारा दिए जाने वाले वर्गीकरण से भिन्न है और आधुनिक प्रतियोगियों के अनुकूल भी नहीं है। इस सम्बन्ध में बोर्दा का उल्लेख भी किया जाता है। बोर्दा के अनुसार, शासक को न्याय रायें स्वयं न कर एक स्वतंत्र न्यायालय को सौंप देने चाहिए। उसके कथनानुसार, यदि इन कार्यों को पृथक् न किया गया तो उसका फल यह होगा कि न्याय और दया, नियमों का दृढ़ता से पालन और उनसे मनमानी छूट का एक अजीब मिश्रण बन जायगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में लॉक का नाम भी लिया जाता है। लॉक ने भी सरकार के तीन विभागों का उल्लेख किया है और उनके नाम विधानांग, कार्यंग और संधीय (federative) बताए हैं। उसके मतानुसार, सरकार के इन अंगों का निर्माण व्यक्तियों के 'प्राकृतिक अधिकारों' की रक्षा के लिए होता है। उसके मतानुसार एक सुव्यवस्थित राज्य में विधा-

1 उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 223

2 राजनीति, भाग 4 अध्याय 14.

नाग को वायांग से पृथक् रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कानून बनाते हैं यदि वे ही उन्हें लागू भी करेंगे तो सत्ता के दुरुपयोग करने की सम्भावना बढ जाएगी¹ । तथापि लॉक ने सरकार के विभिन्न अंगों के सहयोग और उनमें साम-जस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है ।

शक्ति-पृथक्ता के सिद्धांत का निरूपण करने वालों में मॉटेस्क्यु का नाम प्रमुख है । उसने अपनी पुस्तक स्प्रिट ऑफ द लॉज में जो सन् 1748 ई० में प्रकाशित हुई इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए परमावश्यक बताया है । उसने समय में शास में निरकुशता का बोलबाला था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नामोनिशान न था । जब वह घूमते फिरते इंग्लैंड पहुँचा तो वहाँ उसे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ । जब उसने विचार किया कि इसका आधार क्या है, तो वह इस परिणाम पर पहुँचा कि इसका वास्तविक आधार शक्ति-पृथक्ता है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उसके मतानुसार, शक्ति एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए । उसका विचार था कि स्वतंत्रता सरकारी व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि सरकारी कार्य किस भावना से प्रभावित होकर किए जाते हैं । उसके मतानुसार, केवल उदार शासन में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है, और उसमें भी स्वतंत्रता की रक्षा तभी सम्भव है जबकि शक्ति का दुरुपयोग न हो । इस दुरूपयोग को रोकने का केवल एक उपाय है कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे की रोकथाम करें । संविधान का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य न करने पड़े जिसके लिए वह कानूनन बाध्य नहीं है और किसी को ऐसे कार्य करने से न रोका जाए जिनकी कानून अनुमति देता है । अतः इस सिद्धांत का सार सरकारी कार्यों के त्रिविध विभाजन में निहित नहीं है, बल्कि सम्भाव्य प्रतिद्वन्दियों में शक्ति के वितरण में है । और शक्ति की पृथक्ता का चरम उद्देश्य उदार शासन को प्रोत्साहन देता है² । मॉटेस्क्यु के कथनानुसार, 'राजनीतिक स्वतंत्रता केवल उदारशासन में उपलब्ध होती है' और उनमें भी वह सदैव नहीं मिलती,

उनमें वह उसी दशा में वर्तमान होती है जब सत्ता का दुरुपयोग न हो । अनुभव हमें बताता है कि चाहे जिस व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाए, दुरुपयोग की सम्भावना रहेगी यह एक अटल सत्य है कि सद्गुणों के लिए भी सीमा की आवश्यकता होती है । इस दुरुपयोग की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि एक शक्ति अन्य शक्तियों की रोकथाम करे . जहाँ

1 उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 82 और 84

2 फरनर, उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 155-56

विधानो शक्ति और कार्यकारी शक्ति एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह में निहित होती है, वहाँ स्वतंत्रता का लोप हो जाता है, क्योंकि इस बात की आशंका रहती है कि वही राजा अथवा सीनेट निरकुश कानून बनाएगी और उसको निरकुशता के साथ लागू करेगी। इसी प्रकार, यदि न्यायिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति और विधान-शक्ति से पृथक् नहीं होती, तो भी स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। यदि उसे विधानांग के साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो प्रजा का जीवन और स्वतंत्रता निरकुश शासन के अधीन हो जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में निर्णायक ही विधायक भी होते हैं। यदि उसे कार्यंग के साथ संयुक्त कर दिया जाए तो न्यायाधीश हिंसा और दमन से काम ले सकते हैं। यदि इन तीनों शक्तियों का एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह को सौंप दिया जाए, फिर चाहे वे सम्भ्रात कुल के हो अथवा साधारण-वर्ग के। सभी बातों का अंत हो जाएगा।

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोटेस्वु सत्ता के केंद्रीकरण का एकदम विरोधी था। उसका सुझाव था कि शासन के तीनों कार्यों को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाए। फाइनेर के कथनानुसार, 'वह एक ऐसे उपाय की खोज में था जिससे शासक की सत्ता को सीमित किया जा सके, संविधान बनाया जा सके और ऐसी नहरो (=तरीको) का निर्माण किया जा सके जिनसे सहारे शक्ति का प्रयोग हो, अर्थात् वह कुछ ऐसी माध्यमिक सत्ताओं को स्थापित करना चाहता था जो सम्भावित निरकुशता की रोकथाम कर सकें। वह उग्र लोकतंत्र का पक्षपाती न था'। ध्यान देने की बात यह है कि मोटेस्वु ने कभी भी पूर्ण शक्ति-पृथक्ता की मांग नहीं की; वह केवल शक्ति का वि-केंद्रीकरण चाहता था और यद्यपि उसने ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जो अनियमित सत्ता की रोकथाम कर सके, तथापि उसका यह निश्चित मत था कि स्वतंत्रता के लिए स्वाधीन और उदार भावना की आवश्यकता कहीं अधिक होती है। यही नहीं, उसने यह भी स्वीकार किया कि शक्ति-पृथक्ता के सिद्धांत को साकार रूप देने में गत्यवरोध की भी आशंका रहती है। तथापि उसने यह कह-कर अपने मन को समझाया, कि 'क्योंकि वस्तुएं बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकती, अतः सरकार के विभिन्न अंगों की भी मजबूर होकर मिलजुल कर काम करना होगा'।

मोटेस्वु के इस सिद्धांत का अमरीकी संविधान-निर्माताओं पर और प्रातिवालीन प्राप्त पर विशेष प्रभाव पड़ा। मैनेपूरमेंट्स का संविधान (1780 ई०) स्पष्ट रूप से सरकार के भागों के संयोजन को मनाही करता है। मोटे-

स्वयु के इन विचारों का अमेरिका के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि यह सिद्धांत अमरीकी राजनीति में 'बैद-वाक्य' के समान माने जाने लगा। फाइनर के कथनानुसार, अमेरिका में सविधान निर्माताओं के सम्मुख व्यक्तिगत सम्पत्ति के संरक्षण का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण था¹। इसी प्रकार आतिकाल में फ्रांस में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी गई और जो सविधान बने वे इसी आधार पर। किंतु, फाइनर के कथनानुसार, यह सिद्धांत सुधारकों, निहित वर्गों, और समरक्षि समूहों का कार्य साधक बन गया²। उदाहरण के लिए फ्रांस में यह माँग की गई कि ससदीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध (ये प्रवृत्तियाँ समाजवादी थीं) रोकथाम की जाए। फाइनर का मत है कि आज भी जब हम 'रक्याबट और सतुलन' (Checks and balances) की माँग करते हैं तो हमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह माँग प्रायः उन आर्थिक रूप से समृद्ध वर्गों द्वारा की जाती है जो लोकतंत्र की समता और सामूहिकता की प्रवृत्तियों से घबराते हैं। दूसरी ओर जो लोग एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं, उनमें इस सिद्धांत के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता³।

शक्ति पृथक्ता के सिद्धांत के पक्ष में युक्तियाँ—शक्ति पृथक्ता के सिद्धांत के पक्ष में अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। पहले, यह सत्य है कि यदि शक्ति को नियंत्रित न किया गया तो आगे चल कर वह स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अतः आम तौर पर शक्ति का केंद्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ ऐसा करना आवश्यक हो, वहाँ दुरुपयोग के रोकने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे, यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि न्यायाग और कार्यग पृथक् हो। ऐसा न होने पर यह आशंका रहती है कि वहीं मनमाने कानून बनाकर उनको हदता से लागू न कर दिया जाए। कोई ऐसा भारतवासी, जिसको यह स्मरण है कि किस प्रकार जलियाँवाला काण्ड के पश्चात् निरंकुश कानूनों और आर्डिनैंसों की सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न किया गया, इस सत्य को उल्टा नहीं कर सकता। तीसरे, इस बात की भी अत्यन्त आवश्यकता है कि न्यायिक शक्ति को कार्यकारी शक्ति से पृथक् रखा जाए। अन्यथा वही व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अभियोग, न्यायाधीश, और जिलाधिकारी बन बैठेगा। इस प्रकार, शक्ति के केंद्रीकरण से दोपहलू हैं एक तो कार्यकारी अफसर स्वयं न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं और दूसरे न्यायाधीश की स्थिति में काम करने वाले व्यक्ति कार्यग के प्रशासनिक नियंत्रण

1 यही, पृष्ठ 162

2 यही, पृष्ठ 167.

3 यही, पृष्ठ 168-69.

में हो सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण करते समय सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि मयासम्भव वह शीघ्रता से कार्यांग और न्यायांग को पृथक् कर दे। चौथे, विधानांग और न्यायांग को भी पृथक् होना चाहिए। ऐयेंस की लोकतन्त्रवादी सभा में यह दोनों सत्ताएँ मिश्रित थी जिसका एक दुष्परिणाम सुकरात के मृत्युदंड के रूप में प्रकट हुआ। यदि विधायक स्वयं ही न्यायाधीश भी बन जाता है अथवा यदि न्यायाधीश विधायकों का भी काम करने लगते हैं तो शक्ति के निरकुश प्रयोग का खतरा बहुत बढ़ जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। पाँचवें, कार्यांग और न्यायांग के लिए भिन्न स्वभाव और गुण वाले पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश को शांत, निष्पक्ष, और जागरूक होना चाहिए। दूसरी ओर, कार्यकारी अधिकारियों को दृढ़ स्वरूप और तुरन्त-मति होना चाहिए। विधायकों में भी योग्यता होनी चाहिए कि वे अपने निर्वाचक-मंडल में व्याप्त लोकमत का अनुभव कर सकें और उनकी भावनाओं, आकांक्षाओं और शिकायतों को अधिकारियों तक पहुँचा दें। कहने का अभिप्राय यह है कि न्यायाधीश एक अच्छा पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता और न एक पुलिस अधिकारी अच्छा न्यायाधीश ही हो सकता है। अतः कार्यक्षमता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न कार्यों का सम्पादन करने के लिए विभिन्न योग्यतावाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए।

शक्ति-पृथक्ता के सिद्धांत की आलोचना—उपर्युक्त तर्कों की सत्यता को स्वीकार करने पर भी यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति पृथक्ता अपरिहार्य नहीं है। सच तो यह है कि इस सिद्धांत को मान्यता देना कई कारणों से न केवल अव्यावहारिक हो है बल्कि वांछित भी नहीं है। पहला, मोटस्वयु ने यह स्वयं स्वीकार किया कि इस सिद्धांत को साकार रूप देने का यह परिणाम हो सकता है कि सरकारी कामों में गत्यबरोध उत्पन्न हो जाए। उसने यह आशा प्रकट की कि नयीक वस्तुएँ बहुत समय तक स्थिर नहीं रहती अतः कुछ समय के उपरांत सरकार के विभिन्न अंग भी किसी न किसी प्रकार पुनः सहयोग से काम करने लगेंगे। किंतु उसने यह नहीं बताया कि सरकार के विभिन्न अंगों को किस तरह सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा। पादर के कथनानुसार, मोटस्वयु ने इस समस्या की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि इस सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करने से जो स्थिति उत्पन्न होगी वह मया समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी, अर्थात् मया तेजी के साथ

सरकारी काम किए जा सकेंगे¹। सम्भवतः मोटस्वु के समय में राज्य के कार्य इतने सीमित थे कि उसे इस प्रश्न पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। वित्तु अब राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और वह लोक-हित के अनेक कार्यों को अपने हाथों में लेने लगा है। ऐसी स्थिति में राज्य के कार्यों की गति का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी टालने से काम नहीं चल सकता। दूसरे, यदि अमरीकी संविधान का विवेचन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति-पृथक्ता के सिद्धांत को मान्यता देने के कारण इसमें नेतृत्व की कमी आ गई है जिसके कारण सरकार कभी-कभी भ्रष्ट अवस्था में रह जाती है और कभी उसमें ऐंठन आने लगती है²। क्योंकि अमरीकी संविधान में शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः जहाँ तक हो सका इस कार्य को राजनीतिक दलों के स्तरों पर किया गया जिसके कारण वहाँ सत्ता के वितरण में एक उल्लेखनीय अंतर आ गया है। यद्यपि अब भी अमरीकी कांग्रेस को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति के प्रोग्राम को रद्द कर सकती है अथवा उनमें आमूल परिवर्तन कर सकती है तथापि अब अनेक राजनीतिक समीक्षकों का यह निश्चित मत है कि अमरीकी संविधानी व्यवस्था में प्रमुख चालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और यदि उसकी इच्छा हो तो तेजी से काम करने की सम्भावना हो जाती है³। तीसरे, कुछ विद्वानों का मत है कि सरकारी कार्यों का विविध विभाजन अब अर्थहीन हो गया है। अब केवल विधानांग ही कानून नहीं बनाता, प्रायः वह नियम बनाने का अधिकार कार्यांग को सौंप देता है। आज के युग में सभी शासनों के अतर्गत कार्यांग ये नियम बनाता है जिन्हें मान्यता प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, ग्वायाचीस भी अपने सम्मुख मामलों का निर्णय करते समय, जाने अथवा अनजान में, नए कानून का निर्माण करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यदि कोई धर है तो सरकारी कर्मचारियों से। पिछले दिनों लार्ड हेवुवट (Hewett), ऐलन (Allen), और रैमजे म्योर (Ramsay Muir) ने नौकरशाही के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कहा है कि एक 'नई निरकुशता' (New Despotism) का जन्म हो रहा है। इन बातों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों का विविध विभाजन असंगत है⁴। गैटिल के

1 वही, पृष्ठ 161.

2 वही, पृष्ठ 165.

3 रॉड्स काउन उपयुक्त ग्रंथ, पृष्ठ 42.

4 फारनर, उपयुक्त ग्रंथ, पृष्ठ 170-71.

कथनानुसार, सरकार का प्रत्येक अंग अब अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करता है। अनेक बार सरकार का एक ही अंग, विभिन्न समयों पर, विधान-शक्ति, न्यायिक-शक्ति और कार्यकारी-शक्ति का प्रयोग करता है¹। अतः पूर्ण पृथक्ता असंभव ही नहीं, सैद्धांतिक रूप में अव्यावहारिक है। चौधे, फाइनर के कथनानुसार, राजनीतिक गतिविधियों के सात प्रमुख केंद्र हैं। यह स्वीकार करता है कि यद्यपि ये सातों ही एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तथापि इनमें आपस में ईर्ष्या और अविश्वास की भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनकी आपेक्षिक शक्ति राज्य के वातावरण, सरकार के उद्देश्यों और संविधानों ढाँचे पर निर्भर होती है। फाइनर के अनुसार, यह सोचना भ्रमपूर्ण होगा कि सरकार की शक्तियाँ एक विवेकपूर्ण व्यवस्था के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर सकी हैं। ऐसी व्यवस्था युद्ध और आकस्मिक घटनाओं पर निर्भर हो सकती है और विवेकपूर्ण दूरदृष्टि पर भी²। पाँचवें, जैसा कि लास्की ने कहा है, सरकार के तीनों अंगों के क्षेत्रों की इस प्रकार व्याख्या नहीं की जा सकती कि तीनों स्वाधीन भी बने रहें और अपने कार्यों को अपने क्षेत्रों तक ही सीमित करें। लोकौक के मतानुसार, शक्ति-पृथक्ता को पूरी तरह लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि हम पृथक् चुनाव कराएँ और तीनों विभागों का स्वतंत्र कार्यकाल निश्चित कर दें। तब भी पृथक्ता पूरी तरह लागू न होगी। सम्भवतः कार्याग द्वारा लागू किए जाने वाले कानून बहुत अधिक निरकुश और अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, फिर भी कार्यकारी अधिकारियों और न्यायाधीशों को उन्हें लागू करना होगा। अतः केवल शक्ति-पृथक्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न हो सकेगी। अतः यह कहना निर्मूल है कि शक्ति-पृथक्ता के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता असंभव है। छठे, फाइनर के मतानुसार शक्तियों का विभाजन और शक्ति-पृथक्ता दो भिन्न धारणाएँ हैं जिनका एक दूसरे से अभिन्न संबंध नहीं है। वस्तुतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण उतना आवश्यक नहीं है जितना कि स्वायत्ता और सरक्षणों का होना। अब विद्वानों का आम विचार यह है कि यदि किसी देश में गुनिपादी अधिकारों को संविधान में स्थान दिया गया है और उन्हें लागू करने की समुचित व्यवस्था है, तथा साथ ही देश में 'विधि-शासन' (Rule of Law) भी चलता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। इसके विपरीत संविधानी व्यवस्था में शक्ति पृथक्ता होने के कारण यदि भेदभाव, अविश्वास और गत्यवरोध उत्पन्न हो जाए, तो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति में अनेक बाधाएँ पड़ सकती हैं। सातवें,

1 उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 228.

2 उपर्युक्त प्रश्न, पृष्ठ 172.

लास्की के अनुसार, शक्ति-पृथक्ता से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी शक्तियाँ समरूप हैं। सामान्यतः न्यायाग और कार्याग की शक्तियों को विधानाग की इच्छाओं द्वारा सीमित कर दिया जाता है। मॉटिल के मतानुसार, लोक-तन्त्रीय प्रणाली में सत्ता नागरिकों के हाथ में केंद्रित होती है और रोकथाम एवं सन्तुलन के द्वारा काफी सीमा तक अल्पमह्यकों को भी कुछ संरक्षण मिल जाते हैं। बर्नार्ड ब्राउन के अनुसार, अब कार्याग की शक्ति और प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी राष्ट्रीय संकल्प और भावनाओं की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति करता है और विधानाग की अपेक्षा अधिक सुगमता से समयानुक्रमेण कार्य कर सकता है। आठवें, कुछ विद्वानों ने मॉटिलियु की आलोचना इस आधार पर की है कि उसकी राज्य की धारणा यत्रवद् है। उसका सिद्धांत और शब्दावली बलविज्ञान से लिए गए हैं। 'क्योंकि उसमें कोई अनुप्राणित करने वाला सिद्धांत नहीं होना अतः वह एक गतिहीन साम्यावस्था (equilibrium) के रूप में प्रकट होता है। शक्तियों का सन्तुलन इतना नया तुला है कि कोई भी अंग कार्य करने में असमर्थ रहेगा'। किंगस्ले मॉटिल के अनुसार, शक्ति-पृथक्ता के सिद्धांत से अधिक राज्य के कार्यों में शाब्दिक डालन वाली अन्य कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। एक ऐसा राज्य जिसमें किसी को हानि पहुँचाने के अवसर न हों, अधिक जीवट वाला नहीं हो सकता। ऐवस्टीन के अनुसार, इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे अमावात्मक राज्य के लिए ठीक हो सकती है जो केवल शांति व्यवस्था स्थापित करने और व्यक्तियों के अधिकारों तथा सम्पत्ति का संरक्षण करने के लिए बना हो, किन्तु इसके अंतर्गत एक आधुनिक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अतएव, यह सिद्धांत समय के प्रतिकूल हो गया है। नवें, मॉटिलियु ने अंग्रेजी संविधानी प्रणाली को गलत समझा। जिस समय वह इंग्लैंड में पहुँचा संसदीय प्रणाली का उदय हो चुका था। और शक्ति-पृथक्ता का लोप हो गया था। किन्तु मॉटिलियु इन नई प्रवृत्तियों को नहीं समझ पाया। डाइसी के कथनानुसार, इंग्लैंड में उस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित होना का कारण यह था कि इंग्लैंड विधि शासन में विश्वास करता था और वहाँ नागरिकों के अधिकार परम्परागत सामान्य कानून पर आधारित थे। दसवें, कुछ आलोचकों ने मॉटिलियु द्वारा दिए हुए इस सिद्धांत के नाम को भी आलोचना की। फाइनेर के अनुसार, शक्ति-पृथक्ता के स्थान पर यदि हम 'कार्यों के प्रभेद' की बात नहूँ तो अधिक सगत होगा। अन्य आलोचनाएँ न 'शक्ति' शब्द के प्रयोग का विरोध किया है। उनका कहना है कि आधुनिक लोकतन्त्रीय व्यवस्था में शक्ति शब्द का उपयोग उचित है। अतएव, हम शक्ति भी पृथक्ता न कहकर कार्यों की पृथक्ता की

बात कहना चाहिए ।

यद्यपि मोटेस्वु द्वारा प्रतिपादित शक्ति-पृथक्ता का सिद्धांत आज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, तथापि इसमें सत्य का कुछ अंश है जिसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । उसने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सरकार को शक्तियाँ यदि केंद्रित होंगी तो उसका भयकर दुष्परिणाम हो सकता है । यही नहीं, यद्यपि आज हम यह नहीं मानते कि शासन के सभी कार्य पृथक् हों, तथापि 'सुशासन' के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि न्यायाग पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष हो (इस प्रश्न पर आगे चलकर विस्तार से विवेचन किया जाएगा) ।



15

कार्यांग

प्रतिनिधि समानता द्वारा अनुत्तरदायी कार्यवाहकों की अनियमित शक्ति को सीमित करने के प्रयत्न में आधुनिक लोकतंत्र का जन्म हुआ .. किंतु समकालीन युग में, प्रवृत्ति निश्चिन्न रूप से बदल गई है—शक्ति अब ससदों से हट कर कार्यांगों को वापस मिल रही है ।

—बर्नार्ड वाउन

फाइनर ने राजनीतिक गतिविधि के जिन सात प्रमुख केंद्रों का उल्लेख किया है उनमें से तीन कार्यांग के अंतर्गत आ जाते हैं : राज्य का प्रधान, मंत्रिमंडल, और सरकारी कर्मचारी । गार्नर के कथनानुसार, 'एक व्यापक अर्थ में कार्यांग में वे सभी अधिकारी और एजेंसियाँ आ जाती हैं जिनका राज्य के सत्त्व को लागू करने से संबंध है' ।

1. कार्यांग और प्रशासन के भेद

अनेक लेखक कार्यांग और प्रशासन में स्पष्ट भेद करते हैं । इनमें से कुछ के मतानुसार, लोकप्रशासन राजनीति-विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है जिसका उद्देश्य उन जटिल समस्याओं का अध्ययन करना है जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों के संगठन और उनके निर्देशन से संबंधित हैं । विनोबी के अनुसार, कार्यकारी सत्ता से हमारा अभिप्राय उससे है जो सम्पूर्ण सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और इस बात का निरीक्षण करती है कि राज्य के सभी अंग कानूनों का समुचित रूप से पालन कर रहे हैं । लोकप्रशासन से हमारा अभिप्राय उन कानूनों को वास्तव में लागू करने वाले अंग से है जिन्हें विधानांग बनाता है और न्यायांग जिनकी व्याख्या करता है । इस

भेद को बताने के लिए यह कह दिया जाता है कि कार्याग सार रूप में राजनीतिक होता है अर्थात् उसके कार्यों में विवेक और निर्णय की आवश्यकता होती है जब कि प्रशासन में निर्णीत नीतियों और आदेशों का पालन करना होता है। तथापि, कार्याग को राजनीतिक कार्यवाहक और प्रशासन को स्थायी सरकारी कर्मचारी का पर्यायवाची समझ बैठना अनुचित और भ्रातिपूर्ण होगा। अब यह स्वीकार किया जाता है कि उच्च सरकारी कर्मचारी नीति-निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। दूसरी ओर, प्रशासन को निर्देश देने और उसका नियन्त्रण करने का उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यकारियों अथवा कार्यपालिका में निहित होता है।

2. कार्याग के भेद

राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी—आज के युग में कार्यकारी और प्रशासनिक कार्य बहुत जटिल हो गए हैं। उनके कुशलतापूर्वक सम्पादन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजनीतियों और विशेषज्ञों में पूर्ण सहयोग हो। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित प्रशासक मिलकर काम करें। इनमें से प्रथम को प्रायः राजनीतिक कार्यकारी कह देते हैं और दूसरे को स्थायी कार्यकारी। राजनीतिक कार्यकारी का कार्यकाल निर्वाचन पर निर्भर होता है अथवा एक सीमित समय के लिए होता है, जब कि सार्वजनिक कर्मचारी आजीवन सेवा करते हैं। इससे हमारा आशय यह है कि वे सरकार की सेवा में उस समय तक रहते हैं जब तक वे अवकाश ग्रहण की आयु तक न पहुँच जाए। अतः सरकारी अफसरों के कार्यकाल में अनेक राजनीतिक कार्यकारी आते और जाते रहते हैं। स्थायी कार्यकारियों से यह आशा की जाती है कि वे राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः निष्पक्ष रहेंगे और जो भी सरकार बनेगी उससे पूर्ण सहयोग करेंगे।

वास्तविक और दिशावही कार्यकारी—यह भेद केवल ससदीय शासन प्रणाली और सीमित राजतंत्र में होता है। इन दोनों प्रणालियों में अतर्गत एक सचिवाणी कार्यकारी होता है जिसको वास्तव में कोई अधिकार अथवा सत्ता प्राप्त नहीं होती, यद्यपि कभी कभी ससदीय शासन काय उसने नाम पर चलाया जाता है। वास्तविक सत्ता दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। ससदीय प्रणाली में सत्ता मंत्रिमंडल में हाथों में होती है। सीमित राजतंत्र में वास्तविक सत्ता का उपभोग करने वाला कोई न बोर्ड अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह होता है। इन प्रणालियों में अतर्गत जो दिशावही कार्यकारी होता है उसको प्रायः राज्य का प्रधान अथवा प्रमुख माना जाता है और प्रधानमंत्री को सरकार का प्रधान मन्त्री

हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में सारे शासन कार्य मंत्रिमंडल के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं यद्यपि प्रशासन रानी एलिजाबेथ के नाम से किया जाता है। इस प्रकार, ब्रिटेन की महारानी एक सविधानी प्रमुख है और वास्तविक सत्ता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित है। दिखावटी कार्य-कारियों में भारत का राष्ट्रपति और जापान का सम्राट भी हैं।

एकल और बहुल कार्यपालिका—एकल कार्यपालिका शासन वह होता है जिसमें वास्तविक सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है और कोई अन्य व्यक्ति उसका भागीदार नहीं होता। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य (अमेरिका) की संघीय सरकार में वहाँ का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका-शासन का प्रमुख उदाहरण है। इसके विपरीत ब्रिटेन और भारत में संसदीय शासन-प्रणालियाँ हैं जिसमें अनेक कार्यकारी होते हैं, यद्यपि समूचा मंत्रिमंडल एकमत होकर काम करता है। यह मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री का नेतृत्व स्वीकार करता है, जो मंत्रिमंडल की रचना और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण मंत्रिमंडल एक सुगठित समूह की तरह काम करता है। जहाँ कार्यकारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर एक व्यक्ति-समूह को दी हुई होती है उसे हम बहुल कार्यपालिका-शासन कहते हैं। स्पार्टा में दो राजा हुआ करते थे और एथेंस में कार्यकारी सत्ता अनेक अफसरों के हाथ में होती थी। स्विस फ़ेडरल कौंसिल बहुल कार्यपालिका-शासन का एक उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार सोवियत संघ का प्रेसीडियम भी अनेक कार्यकारी शासन का अनुपम उदाहरण है।

उत्तरदायी और अनुत्तरदायी कार्यकारी—जिन देशों में कार्यकारी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें उत्तरदायी अथवा संसदीय कार्यकारी कहते हैं और जहाँ वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, उन्हें अनुत्तरदायी अथवा असंसदीय कार्यकारी कहते हैं। संसदीय कार्यकारी को संसद का विश्वास न रहने की दशा में पद से हटाया जा सकता है जबकि असंसदीय कार्यकारी को निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं हटाया जा सकता।

वशानुगत और निर्वाचित कार्यकारी—वशानुगत कार्यकारी शासन में राज्य का प्रमुख वशानुगत से सत्ता प्राप्त करता है। वशानुगत कार्यकारी प्रायः राजतंत्र और कुलीनतंत्र में होता है, यद्यपि इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब राजा का नियमित रूप से निर्वाचन हुआ है। जन्म से नियुक्ति लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध है और सविधानी राजतंत्र को छोड़कर एसी व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाती। लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था में कार्यकारी का चुनाव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है और निर्वाचन का दण्ड राज्य की

शासन-प्रणाली पर निर्भर रहता है ।

3. कार्यकारी की नियुक्ति

कार्यकारी की नियुक्ति भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग ढंग से की जाती है । इसके पाँच प्रमुख ढंग हैं— वशानुगत, प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन, ससद द्वारा निर्वाचन और नामजदगी ।

वशानुगत कार्यकारी—इस प्रकार के कार्यकारी एक बार पदाब्धि होने पर जीवन-पर्यन्त शासन करते हैं । इस प्रकार की नियुक्ति का लाभ यह है कि इसमें बार-बार निर्वाचन नहीं करना पड़ता । इसके अतिरिक्त एक वशानुगत कार्यकारी को जो आदर और सम्मान प्राप्त हो सकता है, निर्वाचित कार्यकारी को वह नहीं मिलता । इस व्यवस्था में स्थायित्व होता है और सरकारी नीति आए दिन बदलती नहीं रहती । यही नहीं, इस प्रकार का कार्यकारी इतना अनुभवी हो जाता है कि यदि यह राष्ट्रीयता और समाज-कल्याण की भावना से प्रेरित हो तो अपने मनिमडल को अच्छे परामर्श दे सकता है । तथापि इस प्रकार की कार्यकारी का समय अब नहीं रहा । रूसों के कथनानुसार, सभी शासनों की गति पतनशील होती है, तथापि यह बात जितनी राजतंत्र पर लागू होती है उतनी किसी अन्य शासन पर नहीं । फिर, राजा यदि योग्य भी हो तो इस बात को क्या गारंटी दी जा सकती है कि उसका उत्तराधिकारी भी योग्य होगा । अयोग्य और निरकुशल शासक देश को जितनी हानि पहुँचाते हैं उसका वर्णन करना कठिन है । इस व्यवस्था में एक परेशानी यह भी है कि उत्तराधिकार के समय अनेक क्षमता खड़े हो उठते हैं । रीकीव के कथनानुसार, एक वशानुगत कार्यकारी की धारणा उतनी ही बेहदा है जितनी एक वशानुगत गणितज्ञ अथवा राष्ट्र-पति की ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन—आधुनिक युग में प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति शासन का एक लक्षण है । इस प्रकार का निर्वाचन कई लैटिन अमेरिकन देशों में होता है । वायरलैंड में भी यही प्रथा है । संयुक्त-राज्य (अमेरिका) में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इस निर्वाचन का ढंग ऐसा है कि वह लगभग प्रत्यक्ष निर्वाचन के समान ही होता है । इस प्रणाली के कुछ लाभ हैं । प्रथम, यह लोक-तन्त्रीय भावनाओं के अनुकूल है । दूसरे, इससे नागरिकों की सार्वजनिक विषयों में रूचि बनी रहती है । तीसरे, इससे राजनीति-शिक्षा का प्रसार होता है । चौथे, जनसाधारण का एक ऐसे कार्यकारी में अधिक विश्वास होता है जिसको उसने स्वयं चुना हो ।

इस प्रणाली के कई दोष भी बताए गए हैं । उदाहरण के लिए कहा जाता

है कि जनता में प्रायः इतनी योग्यता नहीं होती कि वह विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यताओं की परीक्षा कर उचित चुनाव कर सके। मेसन के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा करना उतना ही हास्यास्पद है जितना कि एक अंधे व्यक्ति द्वारा रंगों की पहचान कराना। फिर, ऐसे चुनाव में अनेक प्रकार के तनाव पैदा हो जाते हैं और महत्वाकांक्षी लोगों को ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिसमें वह षड्यंत्र रचकर शासन का तख्ता पलट सकते हैं। यही नहीं, इस प्रकार के चुनाव में दलीय भावना इतनी बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को गहरी क्षति पहुँचती है और यह दुष्परिणाम उस हालत में और भी अधिक दृष्टिगत होते हैं जब कार्यकारियों का कार्यकाल छोटा हो। कार्यकाल की अवधि छोटी होने पर पदाधिकारी को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना भी कठिन हो जाता है। पद के लोभ में आकर उन्हें दूसरे लोगों से तरह-तरह के समझौते करने पड़ते हैं और पदों का वितरण करना पड़ता है जो कुशलता की दृष्टि से और सार्वजनिक दृष्टि से भी अत्यंत हानिप्रद हैं। यदि निर्वाचित कार्यकारी लोकप्रिय हो तो इस बात का भय बना रहता है कि वह कहीं डिक्टेटर बन जाने का स्वप्न न देखने लगे। यहाँ नहीं, यह व्यवस्था खर्चीली भी है और इसमें सार्वजनिक धन का अपभ्यय होता है।

परोक्ष निर्वाचन—बुद्ध राज्यों में प्रमुख कार्यकारी का निर्वाचन एक विशिष्ट निर्वाचक-मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली को परोक्ष निर्वाचन कहते हैं। संयुक्त राज्य (अमेरिका) इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अर्जेंटीना और क्विबेक में भी इसी प्रकार के कार्यकारी हैं। इन व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन से उत्पन्न तनाव और गड़बड़ियाँ नहीं होती और इसमें चुनाव भी विवेकपूर्ण ढंग से हो जाता है।

इस प्रणाली में कुछ दोष भी हैं। संयुक्त राज्य (अमेरिका) में परोक्ष निर्वाचन की पद्धति ऐसी बन गई है कि उसमें और प्रत्यक्ष निर्वाचन में बहुत अंतर नहीं होता। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन ही क्यों न कराया जाय? इसमें एक अन्य दोष यह है कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचक मंडल में न होकर राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथों में आ जाती है और निर्वाचन मंडल के सदस्यों को उनके आदेशानुसार काम करना होता है। फिर, इस प्रणाली में प्रत्यक्ष निर्वाचन से क्या लाभ भी नहीं होता।

संसद द्वारा निर्वाचन—यह प्रणाली स्विट्जरलैंड, इटली, आस्ट्रिया आदि राज्यों में प्रचलित है। संसदीय शासन में संसद द्वारा निर्वाचन नहीं होता, किंतु प्रायः बहुसंख्यक दल का नेता प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसे भी निर्वाचन के समान ही समझना चाहिए। इस प्रणाली का सबसे

बड़ा काम यह है कि जिन लोगों को मतदान का अधिकार है वे अपेक्षाकृत बुद्धि और योग्य होने हैं। साथ ही, इस व्यवस्था के जतनत कार्याग और विधानाग में सामंजस्य स्थापित हो जाता है जिसके कारण सारे कार्य सरलतापूर्वक हो जाते हैं।

किंतु यह व्यवस्था शक्ति-पृथक्ता के सिद्धांत के विरुद्ध है और इसमें एक यह बड़ा डर बना रहता है कि कहीं कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति विधायकों को चुनावों में डालकर स्वयं डिप्टेटर न बन बैठे। इसका एक दोष यह भी है कि इस प्रकार निर्वाचित कार्यकारी एक विशिष्ट राजनीतिक दल से संबधित होता है। अतएव उसे जनता द्वारा वह आदर नहीं मिल पाता जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से प्राप्त हो सकता है। यद्यपि दोनों ही दशाओं में चुने हुए पदाधिकारी का संबध एक दल से हो सकता है तथापि प्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत मिल जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनता उसे चाहती है।

मनोनीत कार्यकारी—यह व्यवस्था प्रायः उपनिवेशों अथवा अन्य अधिकृत देशों में लागू होती है। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं था, हमारे यहाँ गवर्नरों और गवर्नर जनरल की नियुक्ति लंदन से होती थी। इस व्यवस्था का गुण यह है कि नियुक्ति समझ-सोचकर की जाती है। अतएव प्रायः योग्य व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति राजनीति के दलदल से दूर रहते हैं। इसका दोष यह है कि नियुक्ति पक्षपात पूर्ण हो सकती है और अयोग्य व्यक्तियों को भी उच्च पद दिए जा सकते हैं।

वैधानिक और निरकुश कार्यकारी—यह भेद इस बात पर निर्भर है कि कार्यकारी निर्दिष्ट नियमों और सविधान के अनुकूल आचरण करते हैं अथवा वे कानूनों और सविधान की उपेक्षा करते हैं। यह भेद शासन-व्यवस्था के वैधानिक होने अथवा सविधान के प्रतिकूल होने से संबधित है। अतएव, यहाँ इसका विवेचन करना आवश्यक नहीं है।

4. कार्याग का कार्यकाल

व्यस्युक्त कार्यकारी की नियुक्ति हो जाने पर वह जीवन-पर्यन्त सत्ता का उपभोग करता है, अथवा उस समय तक जब तक वह किसी दबाव के कारण या स्वैच्छता से पद न त्याग दे। किंतु निर्वाचित पदाधिकारियों को एक ही सीमित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति केवल एक वर्ष के लिए मनोनीत होता है जब कि सोवियत संघ का राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए। संयुक्त राज्य (अमेरिका) में राष्ट्रपति का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है और भारत में पाँच वर्ष के लिए, जब कि

अजेंनटीना में उसका कार्यकाल ६ वर्ष है। इस प्रकार विभिन्न देशों में राज्य के प्रमुख पदाधिकारी का कार्यकाल एक वर्ष से सात वर्ष तक पाया जाता है। कुछ देश छोटा कार्यकाल पसंद करते हैं जब कि अन्य देश अपेक्षावृत्त लम्बे समय के लिए निर्वाचन करते हैं।

अल्प कार्यकाल—राज्य के प्रधान पदाधिकारियों की अल्पकालीन अवधि रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें निरकुश प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसके विपरीत यदि यह एक लम्बी अवधि के लिए चुना जाए तो उसके मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि क्यों न अपनी सत्ता को स्थायी बना लिया जाए ? यही नहीं, थोड़े समय के लिए चुनाव करने का जनता के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वे यह समझ लेते हैं कि राज्य की वास्तविक प्रभुसत्ता उन्हीं में निहित है। अतएव, वे अधिक जागरूक हो जाते हैं और अपनी भूलों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। अल्प कार्यकाल का दोष यह है कि बार-बार चुनाव करने से मतदाताओं में उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उनमें उत्तरदायित्व हीनता बढ़ जाती है। यही नहीं, बार-बार चुनाव करने से जनता में हर समय खलबली-सी बनी रहती है जिससे लाभ उठाकर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति डियटेटर बनने का स्वप्न देख सकता है। इसका एक अन्य दोष यह भी है कि सरकार की नीति स्थिर नहीं रह पाती, प्रत्येक नए शासन के आने पर नई नीति निर्धारित होती है जिसका देश की उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव विचारकों का मत है कि राज्य के उच्चाधिकारियों की कार्य-अवधि बहुत अल्पकालीन नहीं होनी चाहिए।

लम्बा कार्यकाल—इसके अनेक लाभ हैं। इसमें पदाधिकारियों को जनता की सेवा करने का यथेष्ट अवसर मिलता है। वे यदि चाहे, तो नई नीति निर्धारित कर सकते हैं और शासन की दिशा को एक नया मोड़ दे सकते हैं। उसे यह आशंका नहीं रहती कि बहुत जल्दी दोबारा मतदाताओं का सामना करना पड़ेगा। तथापि लम्बे कार्यकाल के दोष भी हैं। इसमें यह भय बना रहता है कि पदाधिकारी निरकुश न बन जाएं। कभी कभी इसमें मतदाता उदासीन हो जाते हैं। इन गुण-दोषों पर विचार करते हुए राजनीतिशास्त्रियों की यह आम राय है कि राज्य के उच्च पदाधिकारियों का कार्यकाल न बहुत छोटा होना चाहिए और न बहुत लम्बा। उनके मतानुसार चार या पाँच वर्ष का कार्यकाल यत्पुत्रम रहेगा। इसमें स्थायित्व और प्रौढता दोनों का समावेश हो सकेगा।

पुनर्निर्वाचित की समस्या—कार्यकाल के प्रश्न के अतिरिक्त एक प्रश्न यह भी कि राज्य के उच्च पदाधिकारियों को अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पुनर्निर्वाचित का अधिकार हो या न हो। विचारकों की इस सम्बन्ध

में भिन्न भिन्न राय हैं। पुनर्नियुक्ति के समर्थक प्रौढ़ता की आवश्यकता और उसके महत्त्व पर जोर देते हैं। इसके विरोधी निरकुश बन जाने की सम्भावना पर। सामान्यतः विद्वानों का विचार है कि यदि कार्यकाल छोटा हो तो पुनर्नियुक्ति अवश्य सम्भव होनी चाहिए, किन्तु यदि कार्यकाल यथेष्ट रूप से लम्बा हो तो पुनर्नियुक्ति अनावश्यक है। व्यवहार रूप में, संयुक्त राज्य (अमेरिका) में जहाँ कि राष्ट्रपति का कार्यकाल चार वर्षों है, केवल एक पुनर्नियुक्ति हो सकती है अर्थात् अब कोई राष्ट्रपति आठ वर्षों से अधिक की अवधि तक पद पर नहीं रह सकता। भारत के राष्ट्रपति के पद पर इस प्रकार के कोई प्रतिबन्ध नहीं, तथापि यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति स्वयं तीसरे कार्यकाल के लिए अपने पद पर न रहना चाहेंगे। इस प्रकार इस सबध में विभिन्न देशों में भिन्न रीतियाँ प्रचलित हैं।

5. कार्याग के कार्य

गैटिल ने इन कार्यों को पाँच श्रेणियों में बाँटा है (1) कूटनीतिक कार्य, (2) प्रशासनिक कार्य, (3) सेना-संबंधी कार्य, (4) व्यवस्था-संबंधी कार्य, और (5) न्याय-संबंधी कार्य। हम इन कार्यों पर संक्षेप में विचार करेंगे।

कूटनीतिक कार्य—इसके अंतर्गत राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों से भेंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधियाँ, युद्ध, शांति, संधियाँ आदि आते हैं। ये कार्य इस प्रकार के हैं कि केवल कार्याग ही इन्हें समुचित रूप से कर सकता है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से यह कार्य विधानाग के हैं कि वह परराष्ट्र-नीति निर्धारित करे, तथापि व्यवहार में यह कार्य कार्याग को ही करना होता है और वह विधानाग से केवल सहमति प्राप्त कर लेता है।

प्रशासनिक कार्य—इसके अंतर्गत सरकारी विभागों की देखभाल, आन्तरिक शांति-व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्हें पदच्युत करना, कानूनों को लागू करना आदि सम्मिलित हैं। वैसे तो ये कार्य सरकारी कर्मचारी ही करते हैं जो वैतनिक और स्थायी रूप से नियुक्त होते हैं, तथापि यह उत्तरदायित्व राजनीतिक पदाधिकारियों का है कि वे उनकी देखभाल करें और इनके ऊपर समुचित नियंत्रण रखें। एक लोकतंत्रीय शासन में सरकारी कर्मचारियों के गलत कार्यों के लिए राजनीतिक पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाते हैं। अतएव, उन्हें यह कार्य बहुत सावधानी से करना पड़ता है।

सेना संबंधी कार्य—इसके अंतर्गत सैनिक अफसरों की नियुक्ति और उनका पदत्याग, सैनिक हलचलों के आदेश देना, मार्शल लॉ लागू करना, आदि सम्मिलित हैं। लोकतंत्रीय राज्यों में राज्य का प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी प्रायः

कानूनी दृष्टि से सेनापति होता है, तथापि वह स्वयं सेना का संचालन कभी नहीं करता। वह केवल आदेश देना है।

व्यवस्था-संबंधी कार्य—इसके अंतर्गत विधानाग के अधिवेशन बुलाना, उसे स्पष्टीकरण देना, भंग करना, गिलों के मसविदे पेश करना, कानूनों को जारी करना, अध्यादेशों और राजपत्रों को निकालना आदि आते हैं।

न्याय-संबंधी कार्य—इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति, बंदियों की आम रिहाई, और क्षमा-प्रदान आदि आते हैं। कुछ लेखकों का मत है कि इन कार्यों को हमें व्यवस्था-संबंधी कार्यों से पृथक् नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः ये कार्य उसी के अंग हैं।

इनके अतिरिक्त और भी कुछ कार्य हैं जिन्हें गैटिल ने नहीं गिनाया है। उदाहरण के लिए, राजस्व-सम्बन्धी कार्य। कार्याग को ही प्रायः आय-व्यय का लेखा और कर लगाने के प्रस्ताव विधानाग के सम्मुख प्रस्तुत करने पड़ते हैं और साथ ही यह भी देखना होता है कि सरकारी काम मितव्ययता के साथ हो। लोकतन्त्रीय शासन के कार्याग के इन कार्यों पर विधानाग विशेष रूप से नियंत्रण रखते हैं। अतएव, कार्याग को बहुत सावधानी से काम करना होता है।

इनके अतिरिक्त आधुनिक राज्यों में कार्याग के अधिकार आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बढ़ गए हैं। अनेक राज्यों में राष्ट्रीय आयोजन होने लगे हैं और कार्याग से यह आशा की जाती है कि वह देश की उत्पादक शक्तियों को इस प्रकार प्रयुक्त करें कि देश में अधिकतम उत्पादन हो और लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठे। बीसवीं शताब्दी में ऐसे कार्यों की सीमा दिन पर दिन विस्तृत होती जा रही है।

कार्याग की शक्तियों में वृद्धि—पिछले 30-40 सालों में कार्याग की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है और सभी लोकतन्त्रीय शासन-प्रणालियों में कार्याग प्रमुख स्थान पाते जा रहे हैं। वाटसन रोडी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा है कि एक ओर प्रतिनिधि सभाओं की प्रवृद्धि और कुशलता के ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है और दूसरी ओर विधानाग के प्रति विश्वास घटता जा रहा है। यही नहीं, लोकतन्त्रीय शासन में समस्याएँ इतनी जटिल और संख्या में इतनी अधिक होती जा रही हैं कि विधानाग के लिए उन पर अन्तरी तरहूँ सोच विचार करना और उनसे संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय दे सकना दुष्कर हो गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू और विदेश-नीति दोनों ही क्षेत्रों में तत्काल कार्य करने की आवश्यकता बढ़नी जा रही है¹। स्पष्टतः विधानागों से शीघ्र गति से काम करने की आशा नहीं की जा सकती। अतएव, नवविकसित देशों में औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता के कारण भी कार्यागों की शक्तियों में निरंतर

¹ उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 123.

वृद्धि हो रही है। बर्नाडिं ब्राउन के मतानुसार, वस्तुतः प्रधान कार्यकारी प्रतिनिधि-सभा की अपेक्षा राष्ट्रीय सकल्प का अधिक उत्तम प्रतीक होना है। निर्वाचन की प्रणाली में भी अब कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए हैं कि मतदाता वोट देते समय उम्मीदवारों की योग्यताओं पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना कि वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे किस राजनीतिक दल अथवा नेता को सत्ता की बागडोर सौंप रहे हैं¹। इसके साथ, लोग यह भी समझने लगे हैं कि लोकतंत्रीय शासन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि हमारे नेता गतिशील और दृढ-सकल्प हों। ब्राउन के मतानुसार, आज यदि लोकतंत्र का पतन हो तो उसका सभावित कारण कार्याग की निर्वलता और ढिलमिलपन होगा। वस्तुतः बिना अच्छे कार्यकारी नेताओं के कोई भी राजनीतिक व्यवस्था सम्मान और समर्थन नहीं प्राप्त कर सकती²।

विधानाग का कार्याग पर नियंत्रण—उपर्युक्त कामों को करते समय कार्याग पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता। लोकतंत्रीय प्रणाली में उस पर कुछ न कुछ प्रतिबंध और नियंत्रण लगे होते हैं। इसे अपना बजट और अपनी नीतियाँ विधानाग के सम्मुख पेश करनी पड़ती हैं और बिना विधानाग की अनुमति के वे लागू नहीं की जा सकतीं। कार्याग जिन सधियों पर हस्ताक्षर करता है अथवा जो व्यापारिक समझौते करता है, वे किसी न किसी रूप में विधानाग के सम्मुख उपस्थित होते हैं। कार्याग द्वारा प्रस्तावित बिल जब तक विधानाग द्वारा पारित न हो जाएँ, कानून नहीं बनते। इस प्रकार राष्ट्रपति-शासन में भी कार्याग को कुछ सीमा तक विधानाग का नियंत्रण स्वीकार करना पड़ता है। इसका कारण स्पष्ट है। विधानाग मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से चुना जाता है। उसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो उनकी भावनाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। लोकतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, प्रतिनिधि-सभाएँ कार्याग की अपेक्षा गोचरमत के अधिक समीप होती हैं। यही नहीं, लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है कि प्रभुसत्ता अतत, जनता में निहित है। अतएव यह कहा जाता है कि जनता की प्रतिनिधि-सभा अर्थात् विधानाग का कार्याग के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तथापि यह मानना पड़ेगा कि कानूनी दृष्टि से विधानाग भले ही सर्वोपरि हो, वस्तुतः उपश्रम (initiative) कार्याग के हाथों में ही रहता है। अतएव, विधानाग अधिक से अधिक कार्याग के द्वारा सुझाए हुए प्रस्तावों को ठुकरा सकता है अथवा उनमें मंगोपन कर सकता है। ऐसा बहुत कम होता है कि उनके स्थान पर वह अपने नए सुझाव दे। यही नहीं, अब यह सर्वविदित है कि आधुनिक

1 उपर्युक्त पंथ, पृष्ठ 44-45.

2 यही, पृष्ठ 51.

विधानांग केवल कानूनों की रूपरेखा पारित करते हैं, विस्तार से उनको व्याख्या नहीं करते। यही नहीं, प्रायः इन कानूनों के अंतर्गत कार्यों को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वे इन कानूनों की धाराओं के अनुकूल अधिनियम बनाएँ और आदेश जारी करें। यह सही है कि इस प्रकार के अधिनियमों और आदेशों को विधानांग के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है और इस प्रकार किसी न किसी रूप में विधानांग का उन पर नियंत्रण रहता है तथापि इस प्रकार के अधिनियमों और आदेशों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है और वे इतने जटिल प्रश्नों से लदे हुए होते हैं कि विधानांग के साधारण सदस्यों के लिए यह कठिन है कि वे इनका समुचित अध्ययन करें और इनके दोषों को विधानांग के सम्मुख रखें। अतः कहीं कहीं कार्यांग इस शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं। फिर भी, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कार्यांग को ऐसे शक्ति देने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि विधानांग में ऐसे कुशल और योग्य व्यक्ति हों जो कार्यांग की शक्तियों के प्रयोग के सबंध में सतर्क रहे और जहाँ भी यह देखें कि कार्यांग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तुरंत इन बातों की ओर विधानांग का ध्यान आकषिप्त करें जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा सके। क्योंकि कार्यांग की शक्ति की वृद्धि को रोक नहीं जा सकता, अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विधानांग आलोचना और नियंत्रण का कार्य समुचित रूप से करता रहे। यदि विधानांग इस कार्य को नहीं कर पाता तो राज्य में कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस उत्तरदायित्व का पालन करे¹। बर्नार्ड ब्राउन के अनुसार, लोकतंत्र का सार ही यह है कि सामाजिक समुदाय निरंतर सरकारी कामों की जांच-पड़ताल करते रहे और उनकी उत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना करते रहे²। इसके अभाव में लोकतंत्र की रक्षा करना दुष्कर हो जाएगा।

6 सरकारी कर्मचारी मंडल

आधुनिक सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकुशल विशेषज्ञों के सहयोग पर निर्भर हैं। निर्वाचित राजनेता लोकमत तथा जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अनुकूल सार्वजनिक नीतियाँ निर्धारित करते हैं। इन नीतियों को साकार रूप देने का कार्य सार्वजनिक कर्मचारियों का है। उसे कार्य रूप देने में कमी-नमी कुछ परिवर्तन अथवा मसौदा की आवश्यकता पड़ जाती है। इन परिवर्तनों को बहुत

¹ माउन, वही, पृष्ठ 52

² वही, पृष्ठ 85

सोच विचार के बाद किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी केवल राजनीतिक कार्यकारियों के आदेशों का ही पालन नहीं करते, वे स्वयं भी नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग देते हैं।

आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के समय योग्यता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अमेरिका में यह बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि नया राष्ट्रपति पुराने उच्च कर्मचारियों को निकाल कर नई भर्ती करने लगा जिसका प्रभाव शासन पर बहुत बुरा पड़ा। मैकोले ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता और सार्वजनिक परीक्षाओं के आधार पर होनी चाहिए। सर्वप्रथम, यह प्रथा भारत के लिए नियुक्त किए जाने वाले उच्च पदाधिकारियों के संबंध में अपनाई गई और वह इतनी सफल हुई कि धीरे-धीरे सारे सप्ताह में फैल गई। अब नियुक्तियाँ स्थायी कर दी गई हैं और कर्मचारियों की बराबर वेतन वृद्धि होती रहती है और उन्हें पेंशन आदि अनेक अधिकार प्राप्त हैं। यही नहीं, इनकी परीक्षा लेने और नियुक्ति के लिए एक अराजनीतिक सार्वजनिक सेवा-आयोग बना दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक कर्मचारी राजनीति के पचड़े से अलग रहे और जो भी राजनीतिक पदाधिकारी हो उन्हें बिना भेदभाव के पूर्ण सहयोग दे सकें और उनकी नीतियों पर अमल कर सकें। इसका फल यह हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है और राजनीतिक पदाधिकारी भी इनके परामर्श पर पूरा ध्यान देने लगे हैं। इस प्रकार, इन दक्ष प्रबंधकों के सहयोग से राजनीतिक कार्यकारी शासन-प्रबंध करते हैं।

आधुनिक सरकारी कर्मचारियों की विशेषताएँ—सरकारी कर्मचारी राजनीति में तटस्थ वृत्ति अपनाते हैं जिससे वे सत्ताशुद्ध राजनीतिक पदाधिकारियों को पूरा सहयोग दे सकें। जहाँ तक सम्भव हो वे अपने व्यक्तिगत विचारों से अपने कार्यों को प्रभावित नहीं होने देते। आधुनिक सरकारी कर्मचारियों की यह सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे, क्योंकि उनकी नियुक्ति स्थायी होती है, अतः वे शीघ्र ही अनुभवी और प्रशिक्षित हो जाते हैं। तीसरे, साधारणतः सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के लिए कोई मान-अपमान नहीं मिलता; वे घेनाम रहते हैं। केवल उच्चतर सरकारी कर्मचारियों के नामों का उल्लेख होता है। ये कर्मचारी उस वर्ग में आ जाते हैं जो नीति निर्धारण में सश्रिय सहयोग देने लगते हैं। अतः सोवतन्त्रीय दृष्टि से यह अच्छा ही है कि जन-समुदाय को यह ज्ञात रहे कि किनके परामर्श पर राजनीतिक नेता काम करते हैं। इस का एक परिणाम यह हुआ है कि किसी कर्मचारी-विशेष की विधानाग में आलो-

चना नहीं की जा सकती। लॉर्वेल के कथनानुसार, दगलैंड के राजा की तरह ये भी उत्तरदायित्वहीन हैं अर्थात् उनकी अच्छाई बुराई का श्रेय राजनीतिक पदाधिकारियों को मिलता है। चौथे, राजनीतिक कर्मचारियों की अपनी श्रेणियाँ हैं ऊचे-नीचे पद हैं जिनमें वे विभाजित रहते हैं, और आदेश देने तथा आज्ञा मानने के निश्चित नियम हैं जिनके अनुसार वे कार्य करते हैं। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित हैं। इस व्यवस्था के कारण कार्य-संचालन में सुगमता हो जाती है। पाँचवें, आधुनिक सरकारी कर्मचारी लोकमत का सहय अनुकरण करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि लोकतन्त्रीय व्यवस्था में जनता और लोकमत सर्वोपरि हैं और उसी के हित में समस्त सरकारी कार्य होने चाहिए। उनके मन में यह भावना भी रहती है कि वे जनता के सेवा कार्य में लगे हुए हैं और इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समाज-कल्याण में अपना योग दे रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के कार्य—राज्य के उद्देश्यों में लोकहित की भावना को प्रधानता मिल जान से इसका प्रभाव सरकार के कामों पर भी पड़ा है। अज आधुनिक राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के कार्य भी बदलते जा रहे हैं। उनके कार्य विविध प्रकार के होते हैं। उनमें आशा की जाती है कि वे राजनीतिक कार्यकारिणों द्वारा बनाई हुई नीति का पालन करें। कानूनी दृष्टि से नीतियों को गारंटी रूप देने का उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यकारिणों का है तथापि वास्तविक कार्य सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। प्रशासन के अतिरिक्त उनके निम्नलिखित अन्य कार्य हैं—पहला, उनका प्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यकारी को परामर्श देना है। जैसे जैसे सरकारी कर्मचारी उच्च पदों पर बढ़ते जाते हैं उनकी जानकारी और अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। उनकी तुलना में राजनीतिक कार्यकारी अपेशाकृत अनुभवहीन होते हैं। सरकारी कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण यह कार्य है कि वे राजनीतिक पदाधिकारियों के सम्मुख वे तथ्य, शीकटे, गूचाएँ आदि प्रस्तुत करें जिनके आधार पर राजनीतिक कार्यकारी अपनी नीति और रचनात्मक कार्यक्रम बना सकते हैं। लार्ड ह्यूअट, सी०के० एलन और रैमजे म्योर ने सरकारी कर्मचारियों के इस बढ़ते हुए प्रभाव के प्रति आशंका प्रकट की है। रैमजे म्योर के अनुसार, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि मंत्रियों को उन को मान माना के सिवाय और कोई चारा नहीं होता¹। विदु सास्कीने रैमजे म्योर के इस विचार की आलोचना की है। उसके अनुसार, मंत्री कर्मचारियों की बात सभी मानते हैं जब उनकी अपनी नीति और दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होते

¹ How Britain is Governed, लंदन 1930,

और वे यह नहीं जानते कि क्या करें। जहाँ राजनीतिक पदाधिकारी, दृढ़ सकल्प और अनुभवी हैं वहाँ कर्मचारियों की कुछ भी नहीं चल पाती। लास्की के अनुसार, आधुनिक राज्य में यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक पदाधिकारियों को यह बताएँ कि जिन नीतियों को वे कार्यरूप देना चाहते हैं उनके मार्ग में क्या कठिनाइयाँ हैं और उनका परिणाम क्या होगा? लेकिन इस बात का निर्णय करना कि क्या नीतियाँ अपनाई जाएँ, सदैव राजनीतिक पदाधिकारियों के हाथों में होता है। तीसरे, कानूनों के अतर्गत अधिनियम बनाने का कार्य भी दिनों-दिन महत्त्व का होता जा रहा है। साधारणतः अब कानूनों की रूपरेखा विधानाग बनाता है और वह कानूनों के अतर्गत नियम और उपनियम बनाने का कार्य कार्याग को सौंप देता है। वस्तुतः यह कार्य सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। राजनीति पदाधिकारी केवल थोड़ी बहुत देखभाल कर लेते हैं। चौथे, सरकारी कर्मचारियों का यही कर्तव्य माना जाता है कि वह अपना कार्य बुशलतापूर्वक करें और समय तथा धन का अपव्यय न होने दें। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि वह बराबर शोध-कार्य में लगे रहें और अपने संगठन तथा कार्य प्रणाली में ऐसे परिवर्तन करते रहें जिससे कार्य शीघ्रतापूर्वक और कम से कम खर्च में हो।

भारत जैसे एक विशाल किंतु अपेक्षाकृत निर्धन राज्य में, जो शीघ्र गति से चहुँमुखी विकास करना चाहता है, सरकारी कर्मचारियों का स्थान और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसा राज्य, जो लोकहित में सामाजिक, वार्षिक, और सांस्कृतिक मामलों में कार्य करने को उद्यत है, तभी सफल हो सकता है जब कर्मचारी लग्न और उत्साह के साथ सेवा करें। एक समाजवादी लोकतंत्रीय राज्य में सरकारी कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग से ही सुधार और प्रगति हो सकती है। भारत को, जो औद्योगीकरण और आधुनीकीकरण की ओर उन्मुख है, न केवल गतिशील नेताओं की आवश्यकता है, अपितु कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों की भी बहुत जरूरत है। ऐसा होने पर ही जनता का विश्वास और पूरा सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

नियुक्ति का ढंग—जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, आजकल लगभग सभी आधुनिक देशों में नियुक्तियाँ सार्वजनिक परीक्षा और भ्रुताकात के आधार पर होती हैं। भारत में एक मधीय सार्वजनिक सेवा-आयोग है जो भारत-सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उसमें अधिनारियों को आवश्यक सरक्षण प्राप्त है। इसने कार्य निम्नलिखित होते हैं—पहला, सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति-संबंधी कार्य; दूसरा, कर्मचारियों के ऊपर अनुशासन-संबंधी कार्य; तीसरा, कर्मचारियों को अपने विरुद्ध किए जाने

वाले मुकदमों में खर्च देने संबंधी कार्य, चौथे, सरकारी कर्मचारियों के कार्यों से हानि उठाने वाले नागरिकों के दावे संबंधी कार्य, पाँचवें, सरकारी कर्मचारियों की तस्करी और बदली संबंधी कार्य, और छठे, नौकरी के समय चोट लगने अथवा अपंग हो जाने से संबंधित कार्य। भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और राज्यपालों की यह अधिकार है कि सरकारी कर्मचारियों से संबंधित किन्हीं मामलों में वे सार्वजनिक सेवा-आयोग से परामर्श कर सकते हैं।

7 नई समस्याएँ और दिशाएँ

बर्नाड ब्राउन के अनुसार, जहाँ एक ओर सत्ता विधानाग से हट कर कार्यवाही को मिलती जा रही है, वहाँ दूसरी ओर कामागों के अतर्गत सत्ता राजनीतिक पदाधिकारियों से हट कर सरकारी कर्मचारियों को मिलती जा रही है। उसके अनुसार, जिस प्रकार विधायक कार्याग विभाग के सम्मुख अपने को प्रभावहीन पाते हैं, वहाँ हाल राजनीतिक पदाधिकारियों का सरकारी कर्मचारियों के सम्मुख होता है। आज सरकार को जिन समस्याओं को सुलझाना होता है वे इतनी पचीदा हैं कि अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए उनका समझना कठिन होता जा है। नीति-निर्धारण में शक्ति हमेशा उन लोगों के हाथों में चली जाती है जो यह जानते हैं कि कोई प्रणाली किस तरह चलती है। राज्य में यह ज्ञान सिवाय सरकारी कर्मचारियों के और लोगों को बहुत कम होता है। यही सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव और शक्ति के बढ़ने का रहस्य है¹। किंतु इस वृद्धि से आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों पर अनेक आंतरिक और बाह्य नियंत्रण हैं। बाह्य नियंत्रणों में हम राजनीतिक कार्यकारी, विधानाग और न्यायाग को सम्मिलित कर सकते हैं। आंतरिक नियंत्रणों में नियम आ जाते हैं जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कार्य करना होता है। तथापि नौकरशाही को रोकने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि मगठन के ऐसे उपाय खोज निकाले जाएँ जिससे वे जनता के सीधे सम्पर्क में आ जाएँ। इस संबंध में एक सुझाव यह दिया गया है कि हम परामर्शदात्री परिषदें और कमेटियाँ बनाएँ जिससे लोचनमत्त उन्हें प्रभावित कर सकें। बर्नाड ब्राउन के अनुसार, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि नौकरशाही का ही समाजीकरण कर दिया जाए। यह तभी सम्भव है जब हम अरनी भर्ती की नीति इस प्रकार की बना दें कि उच्च सरकारी कर्मचारियों में समाज के विभिन्न वर्गों से व्यक्ति भर्ती किए जा सकें²। इसका एक उपाय यह भी है कि मयासम्भव श्रमिक सघों, विद्वद्विद्यालयों और व्याव-

1 वही, पृष्ठ 49-50.

2 वही, पृष्ठ 53.

सांयिक क्षेत्रो से अल्पकालीन आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती की जाए जिससे सरकारी कर्मचारियों के बीच में 'जाति' की भावना सुदृढ न हो सके । ब्रिटेन की मजदूर-दली सरकार ने इनमें से प्रथम उपाय अपनाया है । सम्भवत हम भी इस दिशा में अग्रसर हो सकते हैं । इसके लिये शिक्षा के व्यापक प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता होगी । साथ ही उच्च नौकरियों में प्रत्यक्ष चयन से न भरकर अधिक से अधिक पदोन्नति (promotion) की नीति अपनानी होगी ।



किसी प्रतिनिधि-सभा का यह कर्तव्य नहीं है कि वह प्रशासन के संचय में बढ्ढमन से निर्णय करे, अपितु ऐसा प्रवच करना है कि निर्णय करने वाले व्यक्ति योग्य हों ।

—जॉन स्टुअर्ट मिल

एक लोकतंत्रीय राज्य में कानूनी दृष्टि से विधानांग सर्वोपरि होता है । यद्यपि अब व्यवहार रूप में कार्यांग और प्रशासन अधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होने जा रहे हैं, तथापि ससदीय सरकार के अतर्गत विधानांग अब भी यह निर्णय करता है कि कौन शासन करेगा, साथ ही, वहाँ सरकार की नीतियों और कार्यों पर विचार-विमर्श किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है और उनमें सशोधन अथवा परिवर्तन कराए जा सकते हैं । यस्तुत समस्त लोकतंत्रीय शासनों में ये कार्य विधानांग ही करता है, क्योंकि इन कार्यों को कोई दूसरा विभाग नहीं कर सकता ।

1. विधानांग के कार्य

विधानांग के कार्य विभिन्न देशों में विभिन्न होने हैं और वे शासन-प्रणाली एवं सविधान की धाराओं पर निर्भर हैं । जब भारत स्वतंत्र नहीं था, भारतीय विधान-सभाएँ केवल जनता के दुखों को बता सकती थीं और विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श कर सकती थीं । किन्तु स्वतंत्र भारत में अन्य ससदीय सरकारों की तरह विधानांग न केवल सर्वोपरि कानून बनाने वाली संस्था है, अपितु वह मंत्रिमंडल के ऊपर भी सीधा नियंत्रण करता है । दूसरी ओर, सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत संसद केवल वर्ष में एक या दो बार और वह भी बहुत छोटे समय के लिए बैठती है । उसका प्रमुख कार्य मंत्रियों और प्रेसिडियम

से रिपोर्ट सुनना और उनके कार्य का अनुमोदन करना है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय सस्थाओं के कारण विधानाग अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण है। है। अस्तु, विधानाग के कार्य सर्वत्र एक जैसे नहीं होते। तथापि कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें प्रत्येक लोकतंत्रीय राज्य में विधानाग को करना होता है।

विधानाग का प्रथम प्रमुख कार्य कानून बनाना है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में एक निश्चित विधान के अनुसार विधानाग को विल पारित करने पड़ते हैं। इस सबब में अब पहले राजनीतिक कार्यकारियों की ओर से होती है, तथापि विधानाग का योग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अभी भी विधानाग यह निर्णय करता है कि कानूनों की रूपरेखा क्या हो और किस दृष्टि से उन्हें बनाया जाए। दूसरे, विधानाग एक विचार-विमर्श करने वाली सस्था है जहाँ घरेलू, विदेशी, और राजस्व-संबंधी नीतियों और कार्यों पर विचार होता है। तीसरे, लोकतंत्रीय राज्य में बजट बनाने और पास करने, कर लगाने और खर्च की स्वीकृति देने का कार्य विधानाग के पास है। इसके अतिरिक्त, जिन देशों ने राष्ट्रीय योजनाएँ बनाने की नीति अपना ली है वहाँ विधानाग का ही यह कार्य होता है कि वह राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा की स्वीकृति दे। चौथे, लोकतंत्रीय राज्यों में विधानाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह कार्याग की देखभाल करे। एसी देख-रेख और नियंत्रण के अभाव में कार्याग के अनुत्तरदायी हो जाने की आशंका रहती है। पाँचवें, अनेक देशों में ससद् के उच्च भवन को कुछ न्यायिक अधिकार भी दे दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन की लॉर्ड-सभा देश का सर्वोच्च न्यायालय भी है। भारत और समुक्त राज्य (अमेरिका) में ससद् को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) लगाने के अधिकार मिले हुए हैं। सोवियत सभ में सर्वोच्च सोवियत को शपथ-प्रदान का अधिकार है। छठे, विधानाग को प्रायः सविधान के सशोधन-संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ साधारण कानून और सविधान में कोई भेद नहीं है, विधानाग जब चाहे सविधान में सशोधन कर सकता है। इसी प्रकार, अधिकतर सविधानों में विधानागों को सविधान के सशोधन के अधिकार हैं। सातवें, प्रायः विधानागों को एक निर्वाचक-मंडल का भी कार्य करना पड़ता है। किसी-किसी देश में इसका सम्बन्ध राजनीतिक पदाधिकारियों के चुनाव से होता है जब कि अन्य देशों में यह अधिकार सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति से सम्बंधित है। उदाहरण के लिए, समुक्त राज्य (अमेरिका) में सीनेट को यह अधिकार प्राप्त है कि यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत उच्च सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर अपनी सहमति प्रदान करे। इसका अभिप्राय यह है कि बिना उसकी अनुमति के कोई व्यक्ति विशिष्ट पदाधिकारी नहीं बन सकता।

भाड़वें, कुछ देशों में विधानाग को विधिष्ट दशाओं में प्रस्ताव पारित कर न्यायाधीशों को अपदस्थ करने का सुझाव देने का अधिकार है। ऐसा सुझाव विधानाग तभी दे सकता है जब न्यायाधीश विवेकहीन अथवा अधोग्य सिद्ध हो चुका हो, अथवा किसी शारीरिक कष्ट के कारण वह अपना कार्य करने में असमर्थ हो। नर्वे, बिलोत्री के अनुसार, विधानाग का एक महत्वपूर्ण कार्य 'डायरेक्टर्स के बोर्ड' की तरह काम करना है अर्थात् वह इस प्रश्न पर विचार कर सकता है कि सरकार का प्रशासनिक संगठन किस प्रकार हो और किसको क्या कार्य सौंपा जाए। इसमें, विधानाग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह लोकमत का प्रकाशन करे अर्थात् उसको प्रतिनिधियों एवं कार्याग के सामने जनता के कष्टों को रखना चाहिए। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विधानाग का कार्य केवल कानून बनाना नहीं है, उसे अन्य प्रकार से भी समाज-सेवा में योग देना है।

2. विधानाग की रचना

कानूनी दृष्टि से विधानाग सर्वोपरि है। विधानाग ही सरकार का एक ऐसा अंग है जिसमें सभी प्रदेशों और व्यक्ति समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सकता है। अतएव, जनता के प्रतिनिधियों को समाज के सभी वर्गों के हितों पर समुचित ध्यान देना चाहिए। यथासम्भव वयस्क मतधिकार के सिद्धांत पर नागरिकता के अधिकार दिए जाने चाहिए।

संसद : एक सदन अथवा द्वि-सदन—संसद् एक सदन वाली अथवा दो सदनों की हो सकती है। यूरोप में एक समय था जब कि संसद् के चार-पाँच सदन तक होते थे। किंतु क्रमशः इनकी संख्या कम होती गई और आज बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ दो से अधिक सदन हों। संयुक्त राज्य (अमरिका) में जब संविधान बना, तो यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि सीनेट की सदस्य-संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इसके सदस्य सुगमतापूर्वक विचारों का आदान-प्रदान न कर सकेंगे। वहाँ उच्च सदन को बनाने का एक कारण यह था कि संयुक्त राज्य (अमरिका) एक सघीय राज्य है और संविधान-निर्माता एक ऐसा सदन बनाना चाहते थे जिसमें सभ के सभी छोटे बड़े राज्यों को समता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले। आशा यह की जानी थी कि सीनेट सभ की इच्छाओं के अधिकारों की समुचित रक्षा कर सकेगी। लेकिन अब चाहे सघीय राज्य हो या न हो, संसार के अधिकांश देशों में द्विसदनी संसद् पाई जाती है। सर्वप्रथम, इस प्रकार की संसद् का उद्भव यूनाइटेड किंगडम में अवस्मात् हुआ। सेजिन बाद में इसके लाभ दृष्टिगत होने से अन्य देशों में भी इसका अनुकरण किया जाने लगा। सोवियत सभ ने भी द्विसदनी संसद् को अपनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि

इस प्रकार की संसद् अब व्यापक रूप से प्रचलित हो गई है ।

द्विसदनी संसद् की उपयोगिता—प्रायः प्रश्न उठाया जाता है कि उच्च सदन की क्या आवश्यकता है ? विद्वानों ने इसके कई लाभ बताए हैं । पहला, उच्च सदन निम्न सदन द्वारा बिना अच्छी तरह सोच विचार किए जल्दी में पारित बिलों पर अक्रुश लगाता है । उच्च सदन के होने से दोबारा बिल पर विचार करना होता है और इस कार्य में देर लग जाती है । इस बीच उग्र लोगों का जोश ठंडा हो जाता है और जनता में गम्भीरतापूर्वक कानून के प्रभाव पर विचार किया जा सकता है । इस प्रकार उच्च सदन के होने से इतना समय मिल जाता है कि लोग विचारों का आदान प्रदान कर सकें और एक विवेकपूर्ण लोकमत बन सकें । दूसरे, जहाँ दो सदन होते हैं वहाँ निचला सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का बन सकता है । प्रायः ये लोग गमं विचार वाले, अनुभवहीन और लापरवाह होते हैं । भावुकता और उत्तेजना में बह कर वे जनता के दीर्घकालीन हानि-लाभ को भूल जाते हैं । इससे बचने का सुगम उपाय उच्च सदन का निर्माण है । ऐसे सदन के सदस्य अपेक्षाकृत योग्य, अनुभवी और शांत विचार वाले होते हैं । यहाँ का वातावरण भी शांत होता है । इस प्रकार दो सदनों के होने से सोच-विचार का कार्य भलीभाँति हो जाता है । तीसरे, दो सदनों के होने से एक सदन की निरक्रुशता से बचाव हो जाता है । यदि सदन केवल एक हो, तो यह आशंका बनी रहती है कि कहीं वह अपने को सर्वोत्तम समझकर मनमानी न करने लगे । दो सदनों के होने से इस प्रकार का डर अपेक्षाकृत कम हो जाता है । चौथे, द्विसदनी संसद् में लोकमत को अच्छी तरह समझा जा सकता है । यदि एक सदन होगा तो उसके सदस्य लोकमत से दूर पड़ सकते हैं । ऐसा विशेषतः तब होता है जब सदन के समस्त सदस्य एक ही समय चुने गए हों, और उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा हो । द्विसदनी प्रणाली में यह आशंका कम हो जाती है । यही नहीं, गमं और नर्म विचार वालों के मेल से ठीक नीति अपनाई जा सकती है । पाँचवें, द्वितीय सदन में विशिष्ट हितों को मनोनीत किया जा सकता है । साथ ही, उसमें ऐसे व्यक्तियों को भी मनोनीत किया जा सकता है जो योग्य और अनुभवी हैं किन्तु जो चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते अथवा जिन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व मिलना कठिन है । छठे, द्वितीय सदन में निर्वाचकों की योग्यता को ऊँचा कर और उनकी न्यूनतम आयु की सीमा को निर्धारित करके उसमें अनुभवी व्यक्तियों को स्थान दिया जा सकता है । सातवें, सभ्य राज्यों में उच्च सदन अत्यंत आवश्यक है । इसमें सभ्य की इवाइर्यों को समान अथवा किसी अन्य आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और उनका अस्तित्व खतरे में न पड़े । आठवें, विधानाग का काम अब

इतना अधिक बढ़ गया है कि एक सदन समुचित रूप से उसे नहीं कर पाता। यदि उच्च सदन हो तो ऐसे कानूनों को जो विवादग्रस्त नहीं हैं, द्वितीय सदन में प्रथम विचार के लिए पेश किया जा सकता है। इससे निचले सदन का बहुमूल्य समय बच सकता है। नवें, कुछ विद्वानों के अनुसार, दो सदनों के रहने से अधिकारियों को भी थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है और सार्वजनिक दृष्टि से यह अच्छी बात है। यदि एक ही सदन हो तो इस बात की आशंका रहती है कि वह प्रशासन के कामों में हस्तक्षेप कर कहीं गड़बड़ी न पैदा कर दे। दूसरे, यदि दोनों सदन किसी विषय में एकमत हो तो इससे उनके निर्णय की अच्छाई पर विश्वास बढ़ता है, किन्तु यदि वे एकमत न हो तो उस विषय पर दोबारा विचार करने का समय मिल जाता है। डा० फाइनर के कथनानुसार, जहाँ दोनों सदन एकमत हैं, कानून की प्रवृद्धि और उसके न्याय पर हमारी आस्था बढ़ जाती है; यदि उनमें मतभेद हो तो इस बात की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है कि जनता अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करे। इस प्रकार उच्च सदन के रहने से जल्दबाजी, बिना सोचे विचारे काम करना, और विधेय हितों का संरक्षण आदि समस्याओं को हल किया जा सकता है। हैनरी मेन के अनुसार, उच्च सदन न बनाने से यह अच्छा होगा कि किसी न किसी प्रकार का उच्च सदन बना लिया जाए। एक मुगटिन उच्च सदन प्रतिस्पर्धी के रूप में नीति का अनुमोदन-मात्र नहीं करता, बल्कि उससे महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त हो जाता है।

द्वितीय सदन के दोष—द्वितीय सदन के लोकप्रिय होने पर भी कई विद्वानों ने इसकी तीव्र आलोचना की है। उनके कथनानुसार, एक सदन की ससद् के लाभ और द्वि सदन की ससद् के दोष अपेक्षाकृत कहीं अधिक हैं। द्विसदनी ससद् के दोषों को बताते हुए यह कहा गया है कि राज्य की इच्छा और स्वरूप एक हो सकते हैं एव से अधिक नहीं। अतएव, दो सदनों का होना, जिनमें मतभेद की सम्भावना हो, राज्य की एकता की दृष्टि से बुरा है। दूसरे, कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय सदन व्यर्थ है। यदि उसका प्रथम सदन से मतभेद है तो यह बहुत बुरी बात है और यदि उसका मत प्रथम सदन से मिलता है तो उसका होना व्यर्थ है। लास्की के मतानुसार, यदि ससद् के दोनों भवन एकमत हों तो फिर दूसरे सदन को बनाने का लाभ क्या है? दूसरी ओर यदि उच्च सदन का कानूनों के संशोधन में मतभेद होता है तो गरपबरोध हो सकता है जो अच्छी बात नहीं है। तीसरे, यह कहा गया है कि यदि दो सदन होंगे तो उनमें मतभेद और झगड़ों का होना स्वाभाविक है। शासन-प्रवृद्धि की दृष्टि से इसमें लाभ कम और हानि अधिक है। बहुत-सा समय आपत्तौ क्षणों में बित जाता है और आवश्यक कार्य रुके रह जाते हैं। चौथे, अनुभव यह बताता है कि उच्च सदन न तो कानूनों

को सुधारने में विशेष सहायता पहुँचाते हैं और न उनके कारण सभ की इवाइयो के अधिकार ही सुरक्षित रहे हैं। इसके विपरीत दो सदनों के रहने से दोनों में उत्तरदायित्व की भावना कम हो जाती है। पाँचवें, फाइनर के अनुसार, उच्च सदन प्रगति के मार्ग में बाधक होता है। उन्हे बनाया ही इसलिए जाता है कि उच्च सदन के माध्यम से संविधान-निर्माता किन्हीं प्रयाओ आदि की रक्षा करना चाहते हैं। वैसे भी प्रायः उच्च सदन अनुदार और सुधार-विरोधी होते हैं। छठे, दो सदनों के रहने से खर्च बहुत बढ़ जाता है और अपेक्षित लाभ नहीं होता। सातवें, उच्च सदन का निर्माण यदि पहले सदन के सहस्र किया जाए तो वह व्यर्थ है और यदि किसी दूसरे ढंग से किया जाए तो कुछ न कुछ अंश में यह बात लोकमत-विरोधी होगी। आठवें, लास्की के कथनानुसार, उच्च सदन के माध्यम से जल्दबाजी में किए हुए कार्यों पर रोक लगाने की यात व्यर्थ है। सच्ची स्याबट तो जनता की जागरूकता और सरकार की सतर्कता पर निर्भर है। यही नहीं, अब बिलों को पारित करके कानून बनाने की व्यवस्था इतनी जटिल बन गई है और उसमें इतना अधिक् समय लग जाता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि दूसरा सदन दोबारा उस पर विचार करे और तब वह पारित हो। नवें, उच्च सदन के कारण प्रायः गत्यवरोध हो जाते हैं और सुधार की दीर्घकालीन योजनाएँ यो ही धरी रह जाती हैं। दसवें, दो सदनों के कारण लोकमत को समझने में बहुत पठिआई हाँती है। यदि दो सदन हों, तो इसमें से किसका निर्णय लोकमत के अनुकूल माना जाए। जनता की सामान्य इच्छा एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। ऐसे सीजे के अनुसार, “कानून जनता की इच्छा के अनुकूल होता है; जनता की एक समय एक ही विषय पर दो भिन्न इच्छाएँ नहीं हो सकती। अतएव, जो विधानांग जनता या प्रतिनिधित्व करता है, वह भी अनिवार्य रूप से एक ही होना चाहिए। जहाँ दो सदन होंगे, थापस में मतभेद और विभाजन हो जाएँगे।” ग्यारहवें, यह कहना कि उच्च सदन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा अथवा विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा, अनुचित प्रतीत होता है। अब कानून बनाते समय सभी ऐसे वर्गों और हिस्सों की राय से ली जाती है जिनका उस कानून से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध है। यही नहीं, कोई भी उच्च सदन अगामा हिस्सों को संरक्षण नहीं दे सकता और न वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की उस समय तब रक्षा कर सकता है जब तक देश में विधि शासन न हो और जनता में सहिष्णुता तथा सद्भाव न हो। बारहवें, फाइनर के अनुसार, उच्च सदन इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि संविधान निर्माताओं की लोकमत से किन्ही

निहित स्वार्थों की रक्षा करनी होती है, अर्थात् वे लोकतन्त्र-विरोधी होते हैं¹। भारत में उच्च सदनों के अस्तित्व का बहुत दुष्प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए, एक बार बम्बई व्यवस्थापिका परिषद् में मोरारजी देसाई को सदस्य मनोनीत कर दिया गया जब कि आम चुनाव में उनकी हार हो गई थी और बाद में वे बम्बई के मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार मद्रास में राजगोपालाचारी को उच्च भवन में मनोनीत कर दिया गया और वे वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अंतिम, अनुभव यह बताता है कि उच्च सदन की विशेष उपयोगिता नहीं है। उच्च सदन कानूनों में बहुत कम ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तन करता है जो निचले सदन द्वारा स्वीकार किए जाते हो। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य (अमेरिका) में निचले भवन द्वारा पारित अधिक बिल सीनेट की अपेक्षा राष्ट्रपति द्वारा अमान्य कर दिए जाते हैं।

इन्हीं दोषों पर ध्यान देते हुए विद्वान लेखकों का कहना है कि उच्च सदन बनाने का कोई लाभ नहीं है। ली-स्मिथ के अनुसार, यदि उच्च सदन बनाना ही है, तो अच्छा होगा कि निचले सदन द्वारा उसे निर्वाचित किया जाए² और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हो। लास्की के मतानुसार, इस सुझाव का एक लाभ यह है कि सत्तारूढ़ दल की बात मानी जाएगी और साथ ही उच्च सदन और निचले सदन का कार्यकाल साथ ही साथ समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था में दोनों सदनों में पारस्परिक संघर्ष की कोई सम्भावना न होगी। उच्च भवन का कार्य केवल यह होगा कि वह निचले भवन द्वारा पारित बिलों में संशोधन करे। इस प्रकार यह जल्दबाजी रोक सकेगा और भूलों को सुधार सकेगा, किंतु बिलों को यह रद्द नहीं कर सकेगा³।

उपर्युक्त गुण-दोष पर विचार करने के पश्चात् हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि उच्च सदन का कुछ महत्त्व है, तथापि यह अपरिहार्य नहीं है। अमेरिका की सीनेट में बहुत अनुभवी और योग्य व्यक्ति पहुँच जाते हैं और वे कानून बनाने और नीति-निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भाग लेते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा में भी अनेक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। तथापि 1911 ई० के कानून के द्वारा और फिर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् उसके अधिकारों को सीमित करना पड़ा, और अब उसमें केवल कुछ देरी करने की सामर्थ्य ही

1 फाइनर, उपर्युक्त प्रश्न, भाग 1, पृष्ठ 739-40.

2 ली स्मिथ, *Second Chambers in Theory and Practice* लंदन, 1923, पृष्ठ 221.

3 वही, पृष्ठ 40 और 249.

रह गई है। इनके विपरीत कॅनेडा की सीनेट अपक्षाकृत शक्तिहीन है। भारत में राज्यसभा परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का सदन है जो विभिन्न सघीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सदन महत्त्वपूर्ण कार्य करता रहा है। किंतु स्विट्ज़रलैंड में उच्च सदन और निचला भवन दोनों ही प्रभावहीन हैं, क्योंकि वहाँ कार्यार्ग बहुत प्रभावशाली है और जनमत गणना तथा सार्वजनिक उपभ्रम के कारण विधि-निर्माण की शक्ति अतन्त जनता के हाथों में है। सोवियत सघ में सोवियत ऑफ नेशनेलिटीज के निम्न सदन के सदृश अधिकार हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर राज्यों में द्विसदनी ससदें हैं, यद्यपि इनमें से अनेक में उच्च सदन गौण हो गए हैं।

द्वितीय सदन की रचना और अधिकार—यदि राज्य में उच्च सदन का होना आवश्यक समझा जाए, तो प्रश्न यह उठता है कि उसकी रचना कैसे हो ? प्रथम, एकात्मक राज्यों में उसके अधिकार निचले सदन से कम होने चाहिए जिससे गतिरोध उत्पन्न न हो। दूसरे, उसकी सदस्य-संख्या निचले सदन से कम होनी चाहिए। तीसरे, ऊपरी सदन के सदस्यों की आयु भी कुछ अधिक रखी जा सकती है। चौथे, वशानुगत आधार पर सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह लोकतंत्रीय सिद्धांत के प्रतिकूल है। पांचवें, यदि उसकी रचना ली स्मिथ और लास्की के मतानुसार होती है तो दोनों सदनों का कार्यकाल एक ही रहना स्वाभाविक हो जाता है। किंतु यदि उसकी वनावट एक भिन्न आधार पर की जाती है तो ऊपरी सदन का कार्यकाल निचले सदन से कुछ अधिन रखा जा सकता है और उसके कुछ अंशों का चुनाव बीच-बीच में किया जा सकता है जिससे कि ऊपरी सदन लोकमत से सम्पर्क न खो बैठे।

यदि ली स्मिथ और लास्की का प्रस्ताव स्वीकार्य न हो तो हमारे सम्मुख नियुक्ति के केवल तीन ढंग द्येय रह जाते हैं (1) मनोनीत करना, (2) प्रत्यक्ष चुनाव, किंतु भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से, और (3) अप्रत्यक्ष चुनाव। सदस्यों को या तो जीवन भर के लिए मनोनीत किया जा सकता है अथवा एक विशेष अवधि के लिए। सघीय राज्यों में भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र की समस्या कुछ सीमा तक इसलिए हल हो जाती है कि सघ की इकाइयों को निर्वाचन-क्षेत्र माना जा सकता है, किंतु एकात्मक राज्यों में यह व्यवस्था करना कठिन है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष चुनावों का प्रश्न है, वे कई प्रकार के हो सकते हैं। नार्वे में ऊपरी सदन का चुनाव निचला भवन करता है। भारत में 1935 ई० के ऐक्ट के अनुसार बंगाल और बिहार के ऊपरी सदनों की एक बड़ी संख्या निचले भवन चुनते थे। राज्य सभा के चुनाव में विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं। सघीय प्रदेशों के सदस्य ससद द्वारा निर्धारित बानून के अनुसार चुने

जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डा० वेनीप्रसाद के अनुसार, यथासम्भव उच्च सदन में विशेष आर्थिक हितों और स्थानीय स्व-यत्त संस्थाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यदि हो सके तो विशेषज्ञों को भी मनोनीत किया जाना चाहिए।

3 कानून बनाने की प्रक्रिया

कानून बनाने की प्रक्रिया कुछ सीमा तक जटिल होती है। इसमें कुशल लेखकों और विधि विशारदों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है जिससे भाषा और कानून की दृष्टि से कोई कमी न रह जाए। भारत में विस्तीय विधेयकों के अतिरिक्त अन्य कोई बिल सदन के किसी सदन में आरम्भ हो सकता है। वह तब तक पारित नहीं माना जाता जब तक बिना सशोधन के या केवल ऐसे सशोधनों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने स्वीकार कर लिया है, वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत न हो जाए। अधिकतर बिल मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और इनको तीन सोपानों को पार करना होता है। प्रायः प्रथम सोपान में केवल बिल का नाम पढ़कर सुना दिया जाता है और कोई बहस नहीं होती। द्वितीय सोपान के समय केवल बिल के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर बहस होती है और बिल पर मत लिए जाते हैं। इसके बाद बिल को एक समिति (committee) के सुपुर्द कर दिया जाता है जहाँ उस पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है, यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द और अवसर चिह्नों पर भी विचार किया जाता है। उत्पश्चात् समिति सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फिर एक बार बिल पर भलीभांति विचार किया जाता है। लेकिन इस तृतीय सोपान में शाब्दिक सशोधनों के अतिरिक्त अन्य सशोधन स्वीकृत नहीं किए जाते। इसने बाद मत लिए जाते हैं और बिल दूसरे भवन को भेज दिया जाता है जहाँ फिर इसी प्रकार बिल पर विचार होता है। यदि दूसरा भवन बिल में सशोधन का सुझाव देता है तो वह फिर प्रथम भवन के सम्मुख प्रस्तुत होता है जहाँ इन सशोधनों को माना जा सकता है या उससे असहमति प्रकट की जा सकती है। यदि बिल को दूसरा सदन 6 मास के अंदर स्वीकार न करे या दोनों भवनों में कुछ मतभेद हो तो राष्ट्रपति उस पर पुनः विचार करने के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों पर दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जाता है और इस प्रकार पारित विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इस संयुक्त बैठक में केवल ऐसे ही सशोधन रखे जाते हैं जो पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गए हो अथवा जो एक सदन द्वारा प्रस्तावित होकर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत हुए हों।

वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात् वे राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए पहुँचाए जाते हैं। राज्यसभा उसे प्राप्त होने की तिथि से २४ दिन की अवधि में अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटाती है। यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने अथवा न माने। यदि इनमें से किसी सिफारिश को वह स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक ऐसे संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है और यदि इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती तो वित्तीय विधेयक उस रूप में पारित समझा जाता है जिसमें लोकसभा ने उसे पारित किया हो। यदि राज्यसभा 24 दिन के भीतर इस विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को नहीं लौटाती तो इस अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाएगा जिसमें उसे लोकसभा ने स्वीकार किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि वित्तीय मामलों में राज्यसभा न तो पहल कर सकती है और न उसकी आवाज निर्णायक होती है। कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित करते समय और राज्यसभा को भेजते समय लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक वित्तीय है।

पारित हो जाने पर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति दे सकता है अथवा उसे सदनों को अपने संदेश के साथ लौटा सकता है। इस संदेश में वह पुनर्विचार अथवा संशोधनों का सुझाव दे सकता है जिन पर सदनों को धीमे विचार करना होता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना पुनः पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को उन्हें स्वीकार करना होता है।

एक सशक्त राजनीतिक नेता, जो शासन-व्यवस्था को बदल सकता है, कभी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को न्यायांग द्वारा मग्न होते हुए सहन नहीं कर सकता ।

—एम० ए० केपलेन और एन० कर्वेन्वाल

1. न्यायांग का महत्त्व

न्यायांग से हमारा अभिप्राय उन सरकारी पदाधिकारियों से है जिनका कर्तव्य अपने समक्ष उपस्थित मामलों में कानून के अनुसार अपने निर्णय देना है । ऐसा करते समय वे प्रस्तुत मामलों का विवेचन करके कानूनों की व्याख्या करते हुए अपना निर्णय देते हैं । कभी कभी ऐसा होता है कि उस विषय पर सीधे लागू होने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं होता । ऐसी दशा में न्यायाधीश सामान्य बुद्धि, विवेक और न्याय के आधार पर अपने निर्णय देते हैं और आगे चल कर ये निर्णय अन्य न्यायाधीशों के लिए दृष्टांत बन जाते हैं । कुछ देशों में इस प्रकार के पूर्वनिर्णयों (precedents) का विशेष आदर होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ सीमा तक न्यायाधीश भी कानूनों के निर्माण में योग देते हैं । कुछ राज्यों में उन्हें संविधान का सर्वोच्च मान कर उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाता है । इसके कारण उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे समूह अथवा विधानांग द्वारा पारित कानूनों की वैधता की जाँच करें अर्थात् यह देखें कि ऐसे कानून संविधान के अनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल । प्रतिकूल होने की दशा में ऐसे कानून को अवैध घोषित कर दिया जाता है । न्यायाधीशों ने इस अधिकार को 'न्यायिक पुनर्विचार' (judicial review) कहते हैं ।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि देश की शासन व्यवस्था

मे न्यायाग का कितना अधिक महत्त्व है। ब्राइस के अनुसार, एक राज्य को शासन-व्यवस्था की कुशलता का परिचय इस बात से होता है कि वहाँ न्यायाग कितना दक्ष है और वह कितनी क्षीघ्रतापूर्वक अपने निर्णय देता है। जिस देश में न्यायाग सुचारु रूप से कार्य नहीं करता, यदि वह अधिकार के गर्त में समा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहने का आशय यह है कि न्यायाग नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक होता है और उस पर सविधान के संरक्षण का उत्तरदायित्व है। मैरिगट के अनुसार, यदि नागरिकों को न्याय पाने में देर लगती है अथवा न्याय की सतोपजनक व्यवस्था नहीं है, तो नागरिकों का जीवन दुस्तद बन जाता है।

2 न्यायाग के कार्य

साधारणतः न्यायाग का कार्य कानूनों की व्याख्या करना और उनके अनुसार अपने निर्णय देना है। उनका काम कानूनों की अच्छाई और बुराई पर विचार करना नहीं है, अपितु कानूनों को लागू करना है। हाँ, यदि राज्य में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत की मान्यता दी गई है, तो उसका उत्तरदायित्व ही जाता है कि वह कानूनों की वैधता की जाँच करे। संक्षेप में न्यायाधीशों के कार्य है प्रथम, कानूनों की व्याख्या करना और उनके सामने जो मामले आएँ कानूनों के अनुसार उनका निर्णय करना। दूसरे, जहाँ कानून स्पष्ट न हो अथवा कोई कानून प्रत्यक्ष रूप से लागू न होता हो तो ऐसी दशा में सामान्य-बुद्धि, विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय देना। इस प्रकार के निर्णय आगे चलकर अन्य न्यायाधीशों के लिए दृष्टांत बन जाते हैं। तीसरे, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। कई राज्यों में बुनियादी नागरिक अधिकारों का विवरण सविधान में दे दिया जाता है ताकि उसे सविधान और न्यायाग का संरक्षण प्राप्त हो सके। ऐसी अवस्था में न्यायाग का यह विशेष उत्तरदायित्व होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों पर कुठाराघात नहीं करता। चौथे, सविधान की अधिवृत्त व्याख्या करना और उसका संरक्षण करना। कुछ देशों में सविधान को 'सर्वोच्च विधि' घोषित कर दिया जाता है, जिसका अभिप्राय यह है कि देश के जो भी कानून उसके प्रतिबन्ध होंगे, वे अवैध माने जाएँगे। ऐसी अवस्था में न्यायाग का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि जब भी किसी कानून अथवा अध्यादेश की सविधान के साथ अनुकूलता का प्रश्न उठाया जाए, तो वह इस पर भलीभाँति विचार कर अपना निर्णय दे। संयुक्त राज्य (अमरिका) और भारतीय सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है। पाँचवें, निषेधात्मक आदेश देना। न्यायाधीशों का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य है कि यदि कोई

कानून-विरुद्ध कार्य किया जा रहा है और उसे तत्काल न रोकने से बहुत हानि होने का भय है तो वे ऐसे मामलों को रोकने का आदेश दें। इसके अतिरिक्त बंदी-गृह से मुक्त करने की आज्ञा भी आ जाती है। छठे, सघीय राज्यों में प्रायः न्यायाग को सघीय व्यवस्था की रक्षा का कार्य भी सौंप दिया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायाग का यह उत्तरदायित्व होता है कि सघ की इकाइयों के अधिकार सविधान की धाराओं के प्रतिकूल और उनकी इच्छा के विरुद्ध सीमित न किए जाएँ, अर्थात् सविधान द्वारा सघ और उसकी इकाइयों के अधिकारों के विभाजन की रक्षा करनी होती है। सातवें, कुछ राज्यों में न्यायाग को परामर्श देने का अधिकार भी दिया गया है। प्रायः ऐसे परामर्श कार्याग अथवा राज्य का प्रधान ऐसे पेशेवादी मामलों पर लेता है जिनका सविधान की व्याख्या से सम्बन्ध होता है। कभी-कभी ऐसा परामर्श उन सघों के सम्बन्ध में भी लिया जा सकता है जो महत्त्वपूर्ण हो किन्तु जिनके सम्बन्ध में भ्रष्टि उत्पन्न हो गई हो। सामान्यतः इस प्रकार के परामर्शों की कानूनी वैधता नहीं होती, क्योंकि ऐसे परामर्श विशेष मामलों में न होकर व्यापक प्रश्नों पर दिए जाते हैं। हमारे सविधान में भी न्यायाग को इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। आठवें, न्यायाग के उच्च विभागों के सम्मुख विभिन्न प्रकार के दीवानी, फौजदारी और वित्तीय मुकद्दमे अपील में प्रस्तुत होते हैं। उन्हें अपराधियों को दंड देने, हानि उठाने वाले पक्ष को हर्जाना दिलाने आदि की अपीलें सुनने का अधिकार होता है। यह कहा गया है कि इन मामलों का निपटारा करने में न्यायाधीशों को बहुत देरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देर लगाना लगभग न्याय न देने के बराबर है। इसका अभि-प्राय यह नहीं है कि निर्णय जल्दबाजी से किए जाएँ क्योंकि दूसरी लोकोक्तिों में भी है कि 'जल्दबाजी का काम शंभान का होता है' और 'जल्दबाजी में प्रायः न्याय का खून हो जाता है'। नवें, इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में न्यायाग को और भी कई प्रकार के काम सौंप दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य (अमेरिका) में जब सीनेट राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश सीनेट की बैठक का सभापतित्व करता है। इनके अतिरिक्त, अनेक देशों में न्यायाधीशों को सरह-सरह के लाइसेंस देने, नागरिकीकरण के अधिकार, कानूनी विवाह कराने का अधिकार, नाशानियों के सरक्षण और सम्पत्ति के प्रबंधन नियुक्त करने का अधिकार आदि भी होते हैं। कई देशों में उन्हें वसीयतों को मान्यता देने के भी अधिकार प्राप्त हैं। कुछ देशों में उच्च चुनाव के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार है। कई बार न्यायाधीशों को आपस में सम्मिलित कराने पड़ते हैं और घरेलू सम्पत्ति में बंटवारे करने में सहायता देनी होती है।

3. न्यायाधीशों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की समस्या

सिखविक के अनुसार, किसी देश के न्याय का मापदण्ड उसकी सम्मति की एक अच्छी कसौटी है। इससे पता चल जाता है कि अमुक समाज कितनी उन्नति कर चुका है। हम देख चुके हैं कि न्यायाधीश विविध कार्य करते हैं। वे अपने कार्यों का उचित ढंग से उस समय तक सम्पादन नहीं कर सकते जब तक इसके लिए उचित वातावरण न हो। इस प्रश्न का हम आगे चलकर 'विधि-शासन' के अंतर्गत विवेचन करेंगे। उचित वातावरण के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीश पूर्णतः निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। गान्तर के कथनानुसार, यदि न्यायाधीशों में प्रज्ञान, ईमानदारी और निर्भक्ता नहीं होगी तो वे अपने उन उच्च उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिनकी उनसे आशा की जाती है। और यह तभी हो सकता है जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। साथ ही, उन्हें कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनमें इतना मनोबल होना चाहिए कि प्रलोभन अथवा दबाव उन्हें अपने कर्तव्य से डिगा न सके। यही नहीं, उन्हें क्षान प्रवृत्ति का होना चाहिए; उन्हें धीरता और गभीरता से अपने निर्णय करने और सुनाने चाहिए। न्याय, नैतिकता और विवेक पर ध्यान देते हुए उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए। इन गुणों के बिना न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं कर सकते। यद्यपि कुछ विद्वानों का यह मत है कि न्यायाधीश पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, तथापि यह सभी विचारक स्वीकार करते हैं कि उनको निष्पक्ष और निर्भक् होना चाहिए। इसमें जो आवश्यक बातें सहायक होती हैं उनका हम अत्यन्त स्थान पर विवेचन करेंगे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति—इस सवष में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार हो ताकि वे स्वाभिमानी, निर्भक् और ईमानदार बने रह सकें। उनकी नियुक्ति की दो विधियाँ हैं—चुनाव, और सीधी नियुक्ति। चुनाव या तो विधानाग द्वारा किया जाता है अथवा जनता करती है। जनता द्वारा चुनाव सोवियत सघ में प्रचलित है। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में भी यह व्यवस्था लागू है। तथापि इसमें कुछ दोष हैं। प्रथम, यह कि मतदाताओं को इतना ज्ञान और क्षमता नहीं होती कि वे योग्य व्यक्तियों की पहचान कर सकें। अतः चतुर उम्मीदवार जनता को भ्रम में डालकर चुनाव जीत जाते जाते हैं। दूसरे, इससे न्यायाग में दलबन्दी वा प्रवेश हो जाता है और न्यायाधीशों को समयानुसूत कार्य करना होता है। यदि उनकी नियुक्ति अल्पकालीन हो तो ये सुराद्यों और भी बढ जाती हैं। निर्वाचित न्यायाधीशों को अपने दल के अधिकारियों को प्रसन्न रखना पडता है, ऐसा न होने पर उन्हें आशाका रहती है कि

सायद अगली बार उन्हें चुनाव के लिए खड़ा ही न किया जाए। तीसरे, निर्वाचित न्यायाधीशों को लोकमत का भी ध्यान रखना पड़ता है। अतः उसे कई बार कानूनों के अतिरिक्त लोकमत के अनुकूल अपने निर्णय देने पड़ते हैं। चौथे, इस प्रकार के व्यक्ति कभी कभी कानून और कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होते हैं जिसके कारण न्यायालयों में एक मलोल-सा बन जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लॉस्की ने कहा है कि जनता द्वारा निर्वाचित, न्यायाधीशों की नियुक्ति का सबसे बुरा ढंग है। इसी प्रकार के दोष अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भी पाए जाते हैं, फिर चाहे उन्हें विधानाग चुने या अन्य कोई निर्वाचन मंडल। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त, इस विधि में कुछ और दोष भी हैं। प्रथम, यह शक्ति पृथक्ता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसमें एक अर्थ में न्यायाधीश को विधानाग को प्रसन्न रखने के यत्न करने पड़ते हैं। दूसरे, मतदाताओं के समान विधायकों में भी इतनी क्षमता नहीं होती कि वे यह निर्णय कर सकें कि कौन-से उम्मीदवार न्यायाधीश के पद के योग्य है। अतः कई बार वे कुपात्रों को चुन लेते हैं। तीसरे, इस व्यवस्था के कारण न्यायाधीश 'राजनीति की दलदल' में आ फँसते हैं जिसके कारण उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निर्भीकता नष्ट हो जाती है।

सीधी नियुक्ति कायाग द्वारा हो की जा सकती है परन्तु यदि कार्याग मनमाने ढंग पर नियुक्ति करे तो यह भी एक अत्यंत दोषपूर्ण व्यवस्था होगी। अतः अब न्यायाधीशों की नियुक्ति सार्वजनिक प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की जाती है। इसमें वे ही अर्थार्थी भाग ले सकते हैं जिनमें न्यूनतम कानूनी योग्यताएँ हों। यही नहीं, प्रायः आधुनिक राज्यों में यह नियम बना दिया गया है कि राज्य का प्रमुख इनकी नियुक्तियाँ करते समय प्रधान न्यायाधीश से परामर्श करे। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ दो प्रकार से होती हैं नीचे से तरकी देकर और सीधी नियुक्ति। पहली विधि में न्यायाधीश अपनी योग्यता को प्रमाणित कर चुके होते हैं। दूसरी विधि के अंतर्गत, प्रायः उन लोगों को लिया जाता है जो एक वकील अथवा विधि शास्त्रों के रूप में स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार नियुक्त होने वाले न्यायाधीश स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निर्भीकता से काम ले सकते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि सीधी नियुक्ति में भी पक्षपात की सम्भावना रहती है। गानेर के अनुसार, संयुक्त राज्य (अमरिका) के राज्यों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यक्तिगत पक्षपात अथवा राजनीतिक दल के लिए काम करने के उपलक्ष्य में 'पारितोषिक' के रूप में की गई है, बिना अभी तक इससे श्रेष्ठ कोई व्यवस्था नहीं सुभाई गई। भारत में भी उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। हमारे न्यायाधीश अपनी निष्पक्षता एवं निर्भीकता के लिए विख्यात हैं।

कार्यकाल, वेतन आदि—पिछली शताब्दी तक अनेक राज्यों में न्यायाधीशों का कार्यकाल दो या चार वर्षों का होता था, किन्तु अब विचारकों का यह निश्चित मत है कि अल्प कार्यकाल न्यायाधीशों को निष्पक्ष और निर्भीक नहीं बनने देता। लगभग सभी आधुनिक राज्यों में अब न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी अथवा जीवन-पर्यन्त होता है। इसका आशय यह हुआ कि अवकाश-ग्रहण करने की आयु पर्यन्त वे अपने पद पर रह सकते हैं। केवल शारीरिक या मानसिक दुर्बलता अथवा कतिपय गम्भीर अपराधों के कारण ही उन्हें हटाया जा सकता है और वह भी उस दशा में जब अच्छी तरह सोच-विचार करने के बाद ससद् एवं विशेष बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे। सयुक्त राज्य के कुछ राज्यों में 'वापसी की सार्वजनिक मांग पर' न्यायाधीशों को पदच्युत कर दिया जाता है। किन्तु इस व्यवस्था को इसलिए श्रेयकर नहीं माना जा सकता कि इससे न्यायाधीशों की निष्पक्षता और निर्भीकता नष्ट हो जाती है।

पद के स्थायित्व के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों को समुचित वेतन-भत्ता मिले जिससे वे निश्चित होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यही नहीं, एक बार उनके वेतन-भत्ते के नियत हो जाने पर फिर किसी दशा में उसमें कमी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही, उन्हें प्राप्त अन्य सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वे निश्चित, निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकते हैं। साथ ही, यदि उनका वेतन-भत्ता और अन्य सुविधाएँ पर्याप्त एवं सम्मान यथेष्ट होंगी तो योग्य व्यक्ति इन पदों के लिए अर्कपित होंगे।

स्थायी कार्यकाल और पर्याप्त वेतन भत्ते के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पद के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित कर दी जाएँ जिससे अयोग्य, अनुभवहीन व्यक्ति न्यायाधीश न बन सकें। इनके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायाधीश कम से कम उन प्रदेशों में वकालत न करें जहाँ वे न्यायाधीश रह चुके हैं। जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रश्न है, उन्हें अवकाश ग्रहण करने के बाद अन्य कोई राजकीय पद अथवा वकालत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि (कम से कम) न्यायाग को वायांग की अधीनता अथवा दबाव से मुक्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए। सम्भवतः इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के निर्देशक-सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि शीघ्रातिशीघ्र न्यायाग को वायांग से पूर्णतः पृथक् कर दिया जाए। विलोमी के कथनानुसार, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्प-

कता के लिए यह आवश्यक है कि वे राजनीतिक गठबंधनों से मुक्त हों, नियुक्त हो जान के पश्चात् उनका कार्यकाल स्थायी हो, साधारणतः कार्याग द्वारा उन्हें पदच्युत न किया जा सके और उनका वेतन-भत्ता पर्याप्त हो जिसमें उनके कार्यकाल में कमी न की जा सके।

न्यायाधीश किस सीमा तक स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकते हैं ? — पिछले पालीस-पचास वर्षों में यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है कि क्या न्यायाधीश पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकते हैं ? सर्वप्रथम, यह प्रश्न समुक्त राज्य (अमरिका) में उठाया गया। इसका कारण यह था कि वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बहुमत द्वारा किए जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि निर्णय 5-4 के बहुमत से हुए। इसका आशय यह हुआ कि कानून की दृष्टि से न्यायाधीशों का एक बड़ा अल्पमत भी निर्णय के पक्ष में न था। तथापि बहुमत के कारण वही निर्णय अधिकृत घोषित हुआ। अतएव, अनेक विद्वानों ने यह दावा की कि जिस प्रश्न पर 5 न्यायाधीशों का एक मत है और 4 न्यायाधीशों का दूसरा, हम वहाँ तक निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि ऐसा निर्णय कानूनी दृष्टि से उचित ही है। इसी प्रकार का एक निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1967 ई० के प्रारम्भ में बुनियादी अधिकारों के सम्बन्ध में दिया है जिसमें हमारे सम्मुख भी यह प्रश्न उपस्थित हो गया है। इसके अतिरिक्त, कई बार ऐसा हुआ कि पहले अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया और कुछ वर्षों के बाद उसी प्रकार के दूसरे मामले में न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदल कर भिन्न निर्णय दे दिया। कई बार, ऐसा हुआ कि इस बीच में या तो किसी न्यायाधीश को मृत्यु हो गई अथवा किसी ने अवकाश-ग्रहण कर लिया। अर्थात् नया निर्णय इसलिए दिया गया कि नए नियुक्ति होने वाले न्यायाधीश ने अपना मत अभी तक अल्पमत में होने वाले न्यायाधीशों के अनुकूल दिया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय भी, जिसकी हमने चर्चा की है, पुराने संसम्मत से दिए हुए निर्णय से भिन्न है। अतः विचारकों के सामने यह प्रश्न एक नए रूप में उपस्थित हुआ क्या न्यायाधीशों के व्यक्तिगत विचार और दृष्टिकोण उनके निर्णयों का प्रभावित नहीं करते ? विवक्षित कारण पर यह पाया गया कि वस्तुतः न्यायाधीशों के दृष्टिकोण और विचारों की उनके निर्णयों पर गम्भीर छाप होती है। प्रश्न यह उठता है कि यदि न्यायाधीशों के दृष्टिकोण उनके मत को प्रभावित करते हैं, तो यह वहाँ तक उचित है कि विधानाग के मत के समान न्यायाधीशों के (व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित) बहुमत को मान्यता दी जाए। यह सम्भवतः इसलिए और भी उठ खड़ी हुई कि कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की कि विधानाग ने नागरिकों के व्यवसाय करने के अधिकार पर जो रोकें लगाई हैं, वे अनुचित हैं। अनेक विद्वानों से एकों का

कहना है कि ऐसे कानूनों के राजनीतिक औचित्य अथवा अनौचित्य पर विचार करना न्यायाधीशों का काम नहीं है ; यह उत्तरदायित्व तो विधानाग का है । ब्रोगन आदि कई विद्वानों ने घोषणा की कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय एक तीसरा सदन बन गया है और उसके निर्णय संसद के दो सदनों के निर्णय से अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक हैं । जब इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे थे और उन पर गर्मगर्म बहसों चल रही थी तो कुछ लोगों को आशंका हुई कि इससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को काफी ठेस पहुँचेगी । हर्ष वा विषय है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यावहारिक रूप में अब यह मान लिया है कि उन्हें कानूनों के राजनीतिक औचित्यो पर विचार नहीं करना चाहिए, केवल कानूनी दृष्टि से उनका विवेचन करना चाहिए । साथ ही उनके निर्णय समय की बदलती हुई मान्यताओं के अनुकूल होने चाहिए ।

4. न्यायाग की पृथक्ता का प्रश्न

ऊपर हम कह चुके हैं कि न्यायाग तभी स्वतंत्र, निर्भोक्त और निष्पक्ष हो सकता है जब उसे कार्याग की आधीनता और दबाव से मुक्त कर दिया जाए । ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि विधानाग और न्यायाग के कार्य पृथक् व्यक्तियों और पदाधिकारियों को सौंपे जाएं । इसे न्यायाग की स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं, और जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, भारतीय संविधान ने इसे राज्य के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है और सभी प्रदेशों में इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं । तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायाग और कार्याग को पूर्णतः पृथक् नहीं किया जा सकता । कई मामलों में इनके अधिकार एक-दूसरे के क्षेत्र से बहुत सम्बंधित होते हैं । उदाहरण के लिए, पिछले दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के न्याय-सम्बंधी अधिकार सौंपना एक आम रिवाज बन गया है । इसे प्रशासनिक न्याय कहते हैं । मोटे रूप में यह तीन प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है एक, प्रायः राजकीय कानूनों, नियमों, अधिनियमों और राजाज्ञाओं को लागू करने और मनवाने का भार प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जाता है । प्रायः इन बातों से संबंधित उनके अधिकार यदि न्यायिक नहीं तो अधिन्यायिक अवश्य बड़े जा सकते हैं । उदाहरण के लिए म्युनिस्पैलिटी इस बात का निर्णय करती है कि आपने अपनी इमारत का जो नक्शा उसे दिया है, उसे वह मंजूर करे अथवा नहीं । इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की छूट है कि जो लोग मोटर चलाने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं उनकी वे परीक्षा लें और इसके बाद इसका निर्णय करें कि उन्हें लाइसेंस दिया जाए अथवा नहीं । इस प्रकार के अन्य संबद्ध अधिकार प्रशासनिक

अफसरों को प्राप्त हैं। यही नहीं, कई देशों में यह नियम बनाया गया है कि इन अफसरों का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी। अतः यह स्पष्ट है धीरे धीरे न्याय के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों का प्रवेश होता जा रहा है। दूसरे, कुछ सीमा तक आज भी न्यायाधीश कार्यकारियों के अधीन होते हैं। प्रायः उनकी नियुक्ति कार्यकारियों द्वारा की जाती है और उनकी तरफ ही कार्यकारियों पर निर्भर रहती है। तीसरे, कार्यकारियों को निर्णय के पहले या बाद में सजा अथवा जुर्माने को कम करने, क्षातिक अथवा पूर्णतः क्षमा-प्रदान करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार, जिस समय सफ्टवालीन स्थिति की घोषणा कर दी जाती है और मासों तक लागू हो जाता है, उस समय असाधारण न्यायालय कार्य करने लगते हैं जिसमें प्रायः सैनिक अधिकारी होते हैं। दूसरी ओर, न्यायालय को भी अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कार्याग के सीमा-क्षेत्र का अतिप्रमाण करते हैं। उदाहरण के लिए, छोटी उम्र के बच्चों के लिए संरक्षक नियुक्त करना अथवा जायदाद के लिए प्रबंधकर्ता नियुक्त करना आदि।

अब यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय और कार्याग का एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है और इसलिए उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अधिक से अधिक हम यह कर सकते हैं कि जहाँ प्रशासनिक अफसरों को न्याय संबंधी अधिकार दिए जाएँ, उनके निर्णय अंतिम न हों, और विशेष परिस्थितियों में उनके निर्णयों के विरुद्ध साधारण न्यायालयों में अपील करने का अधिकार हो। वस्तुतः अनेक राज्यों में अब इस प्रकार की व्यवस्था या तो कर दी गई है या की जा रही है। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले न्याय संबंधी कार्य भी अब उच्च न्यायालयों के भातहत हो गए हैं।

इततत्र न्यायालय का महत्त्व—शक्ति-पृथक्त्वा के सिद्धान्त के संबंध में अनेक ही विद्वानों में मतभेद न हो, व इस बात को स्वीकार करते हैं कि न्यायाधिकारियों की रक्षा के लिए और अन्य कारणों से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की होना नितांत आवश्यक है। हम यथन से हमारा अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम, न्यायाधीश कार्यकारियों से पृथक् होने चाहिए और उनको प्रशासन के कार्य नहीं सौंपने चाहिए, नहीं तो प्रशासनिक अधिकारी स्वयं ही अभिप्रायता और न्यायाधीश बन बैठेंगे, और यह एक सर्वमान्य सत्य है कि कोई व्यक्ति अपने मामले में निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता। यही नहीं, जहाँ न्यायालय और कार्याग मिल-जुलते रहते हैं, यहाँ न्यायाधीशों को कार्यकारियों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। उनकी उन्नति आदि भी कार्यकारियों पर निर्भर रहती है। ऐसी दशा में वे कार्याग

के दबाव से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरे, प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएँ अपेक्षित हैं, वे केवल भिन्न ही नहीं, बल्कि परस्पर विरोधी हैं। प्रशासकों में घुस्ती, तुरंत-निर्णय करने की क्षमता और दृढ़ता होनी चाहिए। इसके विपरीत न्यायाधीश में शांत-स्वभाव, निष्पक्षता और वियेनशीलता होनी चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि अच्छे प्रशासनिक अच्छे न्यायाधीश नहीं हो सकते और अच्छे न्यायाधीश यदायदा ही अच्छे प्रशासनिक बन पाते हैं। तीसरे, ऐसे ही कारणों से न्यायाधीशों का विधानांगों से भी पृथक् करना चाहिए। यदि वे विधानांग के सदस्य होंगे तो उनका एक विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है जबकि न्यायाधीशों को निरपेक्ष भाव से सभी मतों पर विचार करना चाहिए। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से न्यायाधीश राजनीति के दलदल में फँस जायेंगे और अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता खो देंगे। चौथे, प्रायः न्यायाधीशों को राजनीतिक कार्यालयों और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की धालोचना करनी पड़ती है। आजका अनेक राज्यों में नागरिकों के युनिवर्सल रक्षा का भार भी न्यायाधीशों को सौंप दिया जाता है। यही नहीं, सघीय राज्यों में सघ और राज्यों के मध्य अधिकार-विभाजन के संरक्षण का भार भी प्रायः उच्च न्यायालयों को दे दिया जाता है। अतः यदि न्यायांग किसी भी अशुभ कार्यांग के अधीन अथवा दबाव में होगा तो वह अपनी स्वतंत्रता, निर्भयता और निष्पक्षता की रक्षा नहीं कर सकता। अतः हमें न्यायांग को शासन के अन्य विभागों से पृथक् करने का भरसा प्रयत्न करना चाहिए।

5. विधि-शासन

जैसा कि हम वह आये हैं 'विधि-शासन' का अभिप्राय होता है कि शासन कानून के अनुसार हो, व्यक्तियों की मनमानी न हो। 'विधि शासन' के सिद्धांत पर प्लेटो और अरस्तू ने बहुत कुछ कहा है। हमारे मतानुसार, वर्तमान राज्यों में 'विधि-शासन' अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति के मनमाने शासन से 'विधि-शासन' हमेशा उत्तम माना जाएगा। तब आधुनिक 'विधि-शासन' का रूप प्लेटो-अरस्तू की कल्पना के विधि शासन से कुछ भिन्न है। इस प्रकार की व्यवस्था का जन्म अंग्रेज़ संसद के द्वारा और अखी के अगले अंग्रेज़ संसद के द्वारा देसों में फैल गया। आइसी ने इसका विवेचन करते हुए इसके निम्न सिद्धांत स्थिर किए हैं। प्रथम, नागरिकों को केवल उन अपराधों के लिए दंड दिया जा सकता है जो किसी घोषित और सामूहिक रूप से किए गए कानूनों के विरुद्ध हैं। उन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, जिनका कानूनों ने विवेचन न किया हो। दूसरे, कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। इसका अर्थ यह है

कि कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है; और जो व्यक्ति भी अपराध करेगा वह कानून के सिक्के से नहीं बच सकता। अपराध करने वाला चाहे जो हो, उसे साधारण कानूनों के अनुसार साधारण न्यायालयों में पेश होकर जवाब देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में घनी और निर्धन, ऊँचे और नीचे आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि कानून तोड़ने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या अपसर है अथवा साधारण नागरिक।

समन्वयकारी विचारक डाइसी के इस मत को पूर्णतः मान्यता नहीं देते। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में भी अब 'प्रशासनिक विधि' का चलन हो गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अथवा अक्सर सरकारी कार्यों को करते हुए कोई ज्यादती कर बैठता है अथवा कानूनों को भंग करता है, जिससे नागरिकों को हानि होती है तो वे अब हजिने की माँग कर सकते हैं। यह मामले अब साधारण न्यायालयों में न जाकर प्रशासनिक न्यायालयों में जाते हैं और इन मामलों का फैसला साधारण कानूनों द्वारा न होकर विशिष्ट प्रशासनिक नियमों के अनुसार होता है। इस प्रकार इंग्लैंड में भी अब डाइसी के अर्थ में 'विधि-शासन' नहीं रहे गया। तथापि यह नई व्यवस्था भी 'विधि-शासन' के मूल तत्त्व (अर्थात् कानून के अनुकूल आचरण और मनमानी पर रोक) के अनुकूल है।

पिछले ५० वर्षों में राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और राज्य अब अनेक सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक कार्य करता है जो बहुत पेचीदा हैं। अतएव विधानांग इनके सम्बन्ध में जो कानून बनाता है वे बहुत विस्तृत नहीं होते। प्रायः विधानांग केवल कानून की रूपरेखा, उसके उद्देश्य और उसकी मुख्य धाराएँ पारित कर देता है और कार्यकारियों को इस बात की अनुमति दे देता है कि वे इन कानूनों के अतर्गत नियम, उपनियम, और अध्यादेश जारी कर दें। इस प्रकार के बनाए हुए नियमों को 'अधीनस्थ विधि-निर्माण' (Subordinate Legislation) कहते हैं। इस प्रकार के बनाए हुए नियम भी विधानांग द्वारा पारित कानूनों के समान ही लागू होते हैं, किन्तु न्यायालयों को इन अधिनियमों और राजाज्ञाओं की वैधता की जाँच करने का अधिकार होना है अर्थात् यह देखने का कि इनको बनाते समय कार्यरत कही अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर तो नहीं निकल गया। समन्वयकारी विद्वानों का मत है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 'अधीनस्थ विधि-निर्माण' अनिवार्य हो गया है। अतएव, प्रश्न यह नहीं है कि 'अधीनस्थ विधि निर्माण' हो या न हो, बल्कि यह है कि इसके सम्भावित दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। यदि उचित प्रबंध कर दिया जाए तो यह व्यवस्था 'विधि-शासन' के मूल तत्त्व की विरोधी नहीं है। सिकागो विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी के हावा-

वधान में होने वाली विधि शास्त्रियों की एक परिपद् ने गम्भीर विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि विधि शासन का लक्ष्य है 'मानव अधिकारों की संरक्षण' और इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इस परिपद् के अनुसार, विधि-शासन का सार सस्थाओं में निहित नहीं है बल्कि उन मूल्यों में निहित है जिनको हम स्थापित करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वैधता का वातावरण और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। बाड़े के कथनानुसार, पिछले दिनों विधि शासन में जो विलचस्पी बढ़ने लगी है उसका प्रमुख रूप मनमाने और तिरकुश शासन का विरोध करना है।

6 प्रशासनिक कानून

विधि-शासन का चलन मुख्यतः अंग्रेजी भाषा भाषी और ब्रिटेन से प्रभावित देशों में है। यूरोपीय महाद्वीप में और ऐसे अन्य देशों में, जो रोमन कानून से प्रभावित हुए हैं, एक भिन्न व्यवस्था है जिसको 'प्रशासनिक कानून की व्यवस्था' कह सकते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय, कानून और न्यायिक प्रक्रियाएँ होती हैं। एक तो वह जो नागरिकों के आपसी संबंधों और व्यवहार पर लागू होती है और दूसरी वह जो नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के मामलों में लागू होती है। यदि नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों से कोई शिकायत है अथवा सरकारी कर्मचारियों के कारण उन्हें हानि पहुँची है तो वे विशिष्ट न्यायालयों में, जहाँ विशिष्ट कानून और विशिष्ट न्यायिक प्रक्रियाएँ चलती हैं, अपना मामला से जा सकते हैं। इनके कानून सरल होते हैं और सीधे-सीधे से फैसले भी हो जाते हैं। जिन देशों में यह व्यवस्था लागू है वहाँ की जनता ने इसे बहुत पसंद किया है। इसका कारण यह है कि नागरिकों को सरलता से न्याय मिल जाता है और उन्हें कानूनी दाव-पेंच के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को स्वयं अपने पास से कोई दंड अथवा जुर्माना नहीं देना पड़ता, अतः उन्हें वस्तु-स्थिति को जो जो रवों बताने में कोई आपत्ति नहीं होती। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कानूनों का निर्माण हुआ, और विशेष प्रशासनिक न्यायालय बनाए गए, जो सुगम न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं। कहने को यह व्यवस्था विधि शासन की व्यवस्था के प्रतिबन्ध प्रतीत होती है, किन्तु यदि हम विधि-शासन के मूल तत्त्व को देखें तो हम यह पाएँगे कि इस व्यवस्था में भी कोई कानून विरोधी अथवा मनमाने ढंग पर काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। एक समय था जब अनेक विद्वान लेखक इन व्यवस्थाओं में से एक के प्रबल समर्थक थे और दूसरे के विरोधी थे। किन्तु अब धीरे-धीरे इस प्रकार की उग्र

घारणाएँ समाप्त हो रही हैं और विचारक यह मानने लगे हैं कि समकालीन युग में विधि-शासन और प्रशासनिक कानूनों की व्यवस्था दोनों में ही ट्रेन्डर हो रहे हैं जिनके कारण ये दोनों व्यवस्थाएँ एक-दूसरे के काफी समीप आ गई हैं ।



दे देती है। प्रारम्भ में ये सस्थाएँ सरकारी होती थीं, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन सस्थाओं में भी लोकतंत्रीय सिद्धांत लागू किया जाने लगा और इन्हें स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई मान लिया गया। स्थानीय स्वायत्त-शासन में हमारा अभिप्राय यह है कि स्थानीय मामलों का प्रबंध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा करें।

स्थानीय संस्थाओं और संघ की इकाइयों का भेद—इन दोनों के अंतर को समझ लेना आवश्यक है। प्रथम, स्थानीय सस्थाएँ पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होतीं; वे केंद्रीय अथवा प्रादेशिक शासन के अधीन होती हैं। दूसरी ओर संघ की इकाइयों किसी केंद्रीय शासन के अधीन नहीं होती, अपने कार्यक्षेत्र में वे पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोपरि होती हैं। दूसरे, स्थानीय सस्थाओं पर उच्चतर शासन का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य होता है जबकि संघ की इकाइयों पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तीसरे, स्थानीय सस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र को बिना उनकी सहमति के घटाया-बढ़ाया जा सकता है, किन्तु संघ की इकाइयों के अधिकारों में इस प्रकार की घटा-बढ़ी बिना सविधान में संशोधन किए नहीं की जा सकती। चौथे स्थानीय सस्थाओं के कार्य केवल स्थानीय महत्त्व के होते हैं जिनकी देखभाल वहीं के रहने वाले व्यक्ति अच्छी तरह और स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सफाई, बिजली, पानी का प्रबंध, नालिनी को बनवाना, स्थानीय सड़कों की बनवाना, बीमारी को रोकना, आग बुझाने का प्रबंध, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय उपवन आदि बनवाना। इसके विपरीत, संघ की इकाइयों के कार्य स्थानीय न होकर प्रादेशिक होते हैं।

उपादेयता—राज के विज्ञान राज्यों में केंद्रीय शासन स्थानीय मामलों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकता। साथ ही लोकतंत्र के सिद्धांतों के पालन के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि केंद्रीय स्तर के अतिरिक्त स्थानीय और प्रादेशिक स्तरों पर भी शासन-प्रबंध जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में हो। इसी प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होकर स्थानीय स्वायत्त-शासन की संस्थाओं का विकास हुआ। इनके अनेक लाभ हैं। प्रथम, इनके शासन में बहुत सुविधा हो जाती है। केंद्रीय शासन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह दूर-दूर फैले हुए समस्त नगरों और गाँवों का ठीक-ठीक प्रबंध करे। यह काम उनके लिए बहुत कठिनाई का होगा। केंद्रीय शासन के अगले ही कार्य इतने बढ़ गए हैं कि उन पर स्थानीय शासन का बोझ पड़ जाने से उसकी कार्य-क्षमता में कमी आ जायेगी। इसलिए अधिकारों का विभेदीकरण किया जाता है। यदि शासन का प्रबंध एक ही स्थान से किया जाए तो केंद्रीय शासन का कार्यक्षेत्र इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उसके लिए सभी कार्य सुचारु रूप से करता रहित

हो जाएगा। वस्तुतः एक दूर पर बैठी हुई केंद्रीय सरकार स्थानीय प्रबन्ध ठीक से नहीं कर सकती। न तो वह उनकी आवश्यकताओं को ही ठीक से समझ सकती है और न समय पर उनका काम ही कर सकती है। दूसरे, प्रायः स्थानीय मामले ऐसे होते हैं कि उनमें प्रतिदिन देखभाल की आवश्यकता होती है। अतः यह काम वे ही अच्छी तरह कर सकते हैं जो उन क्षेत्रों के रहने वाले हों और उन स्थानों की आवश्यकताओं को भलीभाँति समझते हों। तीसरे, यदि केंद्र इन कामों को करना भी चाहे तो उसका परिणाम यह होगा कि 'नौकरशाही' और उससे उत्पन्न दोष बहुत बढ़ जाएँगे। साथ ही अत्यधिक केंद्रीकरण के समस्त दोषों का भी समावेश हो जाएगा। काम में देरी, मनमानी करना, भ्रष्टाचार और दक्षता की कमी आदि दोष फैल जाएँगे। इस प्रकार, स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ अत्यधिक केंद्रीकरण के दोषों से देश की रक्षा करती हैं और नौकरशाही को भी नियंत्रण में रखती हैं। चौथे, केंद्रीय शासन यदि स्थानीय प्रबन्ध करे तो यह व्यवस्था बहुत महँगी पड़ेगी। वही काम यदि स्थानीय सस्थाएँ करें तो काम अच्छा और कम खर्च में हो सकता है। यही नहीं, स्वायत्तशासन अपने खर्च के लिए स्थानीय कर लगा सकती है जिससे उन्हें पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जब वे स्वयं कर लगाती हैं तो प्रायः कर-दाता यह जानना चाहते हैं कि उनके दिए हुए धन का सदुपयोग हो रहा है अथवा नहीं। पाँचवें, इनके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ कर काम करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार उन्हें राजनीतिक अनुभव प्राप्त होता है जो आगे चलकर प्रादेशिक अथवा केंद्रीय स्तर पर भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टि से ये सस्थाएँ लोकतंत्रीय प्रणाली की सरकार शिक्षण-सस्थाएँ हैं। इनके द्वारा ही नागरिकों में स्वशासन की रचनात्मक शिक्षा मिलती है। इन्हीं बातों को देखते हुए डि टोक्य-वेली ने कहा है कि 'नागरिकों की स्थानीय सस्थाएँ स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति होती हैं।... एक राष्ट्र भले ही अपनी स्वतंत्र सरकार बना ले, किंतु म्युनिस्पल सस्थाओं की प्रवृत्ति के बिना उनमें स्वतंत्रता की भावना नहीं पनप सकती।' विद्वान लेखक के ये विचार यथार्थ हैं। इन सस्थाओं के द्वारा नागरिकों को पता चलता है कि शासन-प्रबन्ध किस प्रकार होता है और उसमें क्या समस्याएँ और कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार का अभ्यास नागरिकों की उदासीनता और मुस्ती का अंत करता है और सार्वजनिक कार्यों के प्रति उनमें चाव पैदा करता है। इसमें उन्हें सेवा-भाव की क्रियात्मक रूप देने का अवसर भी मिलता है। स्थानीय स्वशासन नागरिकों को जागरूक बनाता है जिससे वे सजग हो जाते हैं और सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके हितों पर आँच न आए।

इससे उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है और स्वशासन का उन्हें अनुभव तथा अभ्यास होता है। यही नहीं, उनमें मितजुल बर काम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और उचित अनुचित की पहचान भी होती है। छोटे, स्थानीय स्वशासन की सस्याएँ जितना सेवाकार्य करती हैं उतना अन्य कोई सस्याएँ नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि स्थानीय मामलों का लोगों के जीवन से बहुत निकट का सम्बन्ध होता है। इसलिए उनके प्रति उनकी रुचि भी अधिक होती है। साथ ही वे जानते हैं कि यदि वे आगे बढ़कर इन कार्यों को समुचित रूप से नहीं करेंगे तो दूसरी कोई सत्ता इन कार्यों को नहीं करेगी। उनके मत में स्वतः ही यह भावना होती है कि उनका नगर साफ सुपरा, सुन्दर और स्वस्थ रहे। वे चाहते हैं कि पानी, बिजली, आदि का प्रवध उत्तम हो। उनकी इच्छा होती है कि उनके नगर में अच्छी सड़कें, अच्छे पार्क, अच्छे पुस्तकालय, आदि हों। दूर से बैठे हुए सरकारी कर्मचारियों का इन बातों से इतना लगाव नहीं हो सकता क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन से इन समस्याओं का कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसी कारण स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की शिक्षण-भूमि कहा गया है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से नागरिकों में अनुभव और अभ्यास तो होता ही है, साथ ही उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी आती है जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने के योग्य बनाती है। यही नहीं, यह उनके सेवाभाव को प्रोत्साहित करती है। वाइस के कथनानुसार, जो व्यक्ति स्थानीय स्तर पर निर्भीकतापूर्वक और सेवा-भाव से प्रेरित होकर काम करते हैं उन्हें उन गुणों का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो देश की नागरिकता के लिए नितांत आवश्यक हैं।

2 स्थानीय स्वायत्त-शासन के कार्य

स्थानीय स्वशासन की समस्याओं के कार्य सभी राज्यों में एक-समान नहीं होते। उनमें थोड़ा-बहुत अंतर रहता है तथापि इनके कार्यों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनका विवेचन किया जा सकता है। प्रायः राष्ट्रीय महत्त्व के सभी ऐसे कार्य जो सामान्य हित में होते हैं और जिनको राष्ट्रीय स्तर पर ही समुचित ढंग से पूरा किया जा सकता है, केंद्रीय शासन को सौंप दिए जाते हैं। दूसरी ओर वे सभी कार्य जो स्थानीय महत्त्व के हैं और जिनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी तरह सुगमतापूर्वक और कम खर्च में किया जा सकता है, स्थानीय सस्याओं को सौंप दिए जाते हैं। ये सर्वमान्य सिद्धांत हैं, तथापि इन को लागू करने में भिन्नता हो सकती है।

स्थानीय सस्याओं के कार्यों को प्रायः विचारकों ने दो वर्गों में विभाजित

किया है : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष सेवाओं में तीन प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं : शिक्षा सबंधी और सांस्कृतिक ; सामाजिक और अन्य सामान्य कार्य ; और सार्वजनिक कार्य निर्माण एवं सेवा । इनमें से प्रथम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, पुस्तकालय, सामाजिक शिक्षा, पार्क, बगीचे और क्रीडा-स्थल आदि आते हैं । दूसरे के अंतर्गत, स्वास्थ्य और सफाई, सड़को और नालियों का निर्माण, अस्पताल, जल-व्यवस्था, रोशनी का प्रबंध, भाग बुझाने की व्यवस्था, नगर-विकास योजना, इमारतों के निर्माण पर नियंत्रण, यातायात पर नियंत्रण, जन्म और मरण का लेखा, अपग और निर्धन व्यक्तियों की देखभाल आदि आते हैं । सार्वजनिक सेवा निर्माण एवं कार्यों के अंतर्गत पीने योग्य पानी की समुचित व्यवस्था, गैस और बिजली का प्रबंध, राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक यातायात का प्रबंध आदि आते हैं । कार्यों की इन सूचियों को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि कई ऐसे कार्य हैं जो दूसरी और तीसरी दोनों ही सूचियों में आ सकते हैं । उदाहरण के लिए रोशनी का प्रबंध एवं जल व्यवस्था । अप्रत्यक्ष सेवाओं में अनेक बातें आती हैं, जैसे स्थानीय चुनाव, स्थानीय नियुक्तियाँ, वित्त व्यवस्था, कर लगाना और इकट्ठा करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की देखभाल आदि । इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य (अमेरिका) जैसे देशों में स्थानीय संस्थाओं को ऐसे बहुत से कार्य दिए गए हैं जो उक्त सूची में सम्मिलित नहीं हैं । अब स्थानीय संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है, किंतु भारत में अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया ।

3. स्थानीय स्वशासन के गुण-दोष

स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की उपयोगिता पर हम विचार कर चुके हैं । ब्राइस ने इन्हे लोकतंत्र के फुवारे की छोटी-छोटी फुआरें बताया है । स्वायत्त-शासन की इन संस्थाओं के अनेक लाभ हैं । प्रथम, यह स्वशासन की शिक्षा देते हैं और इनके अंतर्गत प्राप्त अनुभव और अभ्यास आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम आता है । लास्की ने इनके दीक्षित महत्त्व पर बहुत बल दिया है । दूसरे, इनसे लोगो में सहकारिता से काम बनाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और वे उत्तरदायित्व बहन बनने योग्य हो जाते हैं । जीवन के साथ निकट सम्पर्क होने के कारण इनके कार्यों में नागरिकों की अधिक दिलचस्पी होती है और इसी कारण कार्य कुशलता भी अधिक होनी है । तीसरे, यह केंद्रीय शासन को ऐसे अनेक शकटों से मुक्त कर देता है जिनका समुचित हल करना उसकी दक्षिण से बाहर होता है । चौथे, यह व्यवस्था मित-व्ययी होती है । नागरिक यह जानते हैं कि जो भी वे तर्क करेंगे वरों के रूप में उन्हीं को उसका भुग-

तान करना होगा। अतः वे बहुत सोच विचार के साथ खर्च करते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि राष्ट्रीय कोष से इस मद में खर्च नहीं करना पड़ता और यह ठीक भी है कि स्थानीय कार्यों के लिए स्थानीय कर लगाकर धन एकत्रित किया जाए। साथ ही, यह प्रमाणित हो चुका है कि स्थानीय सरकार ही स्थानीय आवश्यकताओं को कम खर्च में और अधिक कुशलता के साथ पूरा कर सकती है। यहाँ इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक नगर और गाँव को अपनी विशेष समस्याएँ होती हैं और उनका हल इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यह कार्य स्थानीय व्यक्ति ही भलीभाँति कर सकते हैं। पाँचवें, ये समस्याएँ लोगों में अपने जन्म स्थान के लिए प्रेम और आस्था में एक सामान्य भावना को जन्म देती हैं। नागरिक अपने सीमित स्वार्थों से ऊँचे उठकर अपने स्थान के हितों की ओर ध्यान देना सीख जाते हैं और आगे चलकर वे पूरे देश और मानवता के हितों पर भी ध्यान देने लगते हैं। छठे इन समस्याओं ने सामाजिक सेवा और सार्वजनिक हितों के लिए बहुत कार्य किए हैं। सोवियत संघ में स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन गुणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्वशासन की संस्थाएँ उत्तम नागरिकता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके द्वारा लोकतन्त्र के बीज पनपते हैं और निरकुशलता पर रोक लगती है।

इन संस्थाओं के कुछ दोष भी हैं। प्रथम, कभी-कभी इनके कारण लोगों में एक संकुचित स्थानीय भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अपने नगर और जिले को देश की अपेक्षा अधिक महत्व देने लगते हैं। दूसरे, भारत में यह देखा गया है कि यदि इन स्थानीय संस्थाओं पर उचित नियंत्रण न हो तो इनमें अनेक गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, इनमें राजनीतिक दलबन्दी और पक्षपात बल पकड़ लेता है और सार्वजनिक हितों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरे कुछ आलोचकों का कहना है कि इन संस्थाओं में कार्य-कुशलता का अभाव होता है। स्थानीय व्यक्तियों के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं और बहुधा मनमानी करते हैं। स्थानीय कर्मचारी प्रायः अयोग्य होते हैं और कुशलतानुवंश अपना काम नहीं कर सकते। चौथे, कुछ आलोचकों का कहना है कि इन संस्थाओं के मितव्ययी होने की बात ठीक नहीं है। सार्वजनिक कोष और सम्पत्ति के प्रति बहुधा नागरिक लापरवाह होते हैं। यह भी देखा गया है कि अपने विधियों को नोकरी देन के लिए अनावश्यक नियुक्तियाँ कर दी जाती हैं। एका बातों का परिणाम यह होता है कि खर्च कम होने के स्थान पर बड़

स्थानीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार, दलबन्दी, जाति के प्रति पक्षपात

आदि अनेक दोष पाए जाते हैं। हमारा मत है कि भारत में इस प्रकार के दोष इसलिए पाए जाते हैं कि स्थानीय सस्थाओं के प्रथम में ऊपर के अपसर बहुत हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सस्थाओं का कार्य-क्षेत्र प्रायः इतना सीमित होता है कि योग्य व्यक्तियों को इनमें भाग लेने के लिए कोई उत्साह नहीं होता। साथ ही, हमारे देश में इन सस्थाओं की आय बहुत सीमित है और खर्च की मदें ऐसी हैं जिनके लिए जितना भी धन मिले उतना ही थोड़ा है। इसलिए हताश होकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ये सस्थाएँ अनावश्यक हैं और इनके स्थान पर सरकारी प्रबंधक नियुक्त कर दिए जाएँ। ये विचार लोकतंत्रीय भावना के प्रतिकूल हैं। इनके अनिश्चित, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 'लोकतंत्र के दोषों का उपचार अधिक लोकतंत्र है'। हम इन सस्थाओं को अधिक दायित्व सौंपने चाहिए और उनको यथेष्ट धन देना चाहिए जिससे वे अपने कार्यों को ठीक ढंग से कर सकें। आवश्यकतानुसार इन पर नियंत्रण हो, किन्तु दिन-प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप के रूप में नहीं।

4. स्थानीय स्वशासनिक सस्थाओं पर नियंत्रण

यद्यपि इन सस्थाओं को अपने काम करने की यथेष्ट स्वतंत्रता होती है, किन्तु वे पूर्णतः स्वाधीन नहीं हैं। इनके ऊपर केंद्रीय अथवा प्रादेशिक सरकार का नियंत्रण रहता है। किसी-किसी देश में नियंत्रण इतना अधिक होता है कि स्थानीय सस्थाओं के अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं। आज अनेक विद्वान् लेखक यह स्वीकार करते हैं कि बाह्य नियंत्रण राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आज की स्थानीय समस्याओं का एक राष्ट्रीय पहलू भी होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात को ही ले लीजिए। समकालीन युग में ये सभी बातें देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन मामलों में लापरवाही अथवा कुशलता की कमी को सहन नहीं किया जा सकता और न स्थानीय सस्थाओं को इन विषयों में मनमानी करने की अनुमति ही दी जा सकती है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय अथवा प्रादेशिक सरकार को कुछ आदर्शात्मक कानून (normative legislation) बनाने का अधिकार होना चाहिए और उन नियमों के अंतर्गत उपनियम और आदेश जारी करने का अधिकार इन सस्थाओं को दिया जाना चाहिए। ऐसा करना इसलिए और भी आवश्यक हो गया है कि उपर्युक्त विषयों की देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर शोध-कार्य नहीं किए जा सकते। अतएव, केंद्रीय आदर्शात्मक कानूनों के अभाव में स्थानीय सस्थाओं के पिछड़ जाते की संभावना है। दृग्म अतिरिक्त इन सस्थाओं का प्रायः केंद्रीय अथवा प्रादेशिक सरकारें समुचित आर्थिक सहायता देती हैं। इसलिए यह

आवश्यक हो जाता है कि वे इस बात की जाँच-पड़ताल भी करें कि इस सहायता का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। जहाँ, हम इस प्रकार के आदर्शात्मक नियंत्रण के समर्थक हैं, वहाँ नियंत्रण के नाम पर विस्तार की बातों में हस्तक्षेप करना भी हम अनुचित मानते हैं। इससे आत्म निर्भरता जाती रहती है और उत्साह नष्ट हो जाता है। अतः अच्छा यह है कि सरकार व्यापक नियम बना दे और उन नियमों के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं को काम करने की पूरी स्वतंत्रता दे दे। डा० वेनीप्रसाद के अनुसार, स्थानीय संस्थाओं को सरकार से परामर्श और आदेश मिलने चाहिए। ये आदेश यथासम्भव सरकारी नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि व्यापक ध्येय लेखों की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल के रूप में होना चाहिए। वस्तुतः इन संस्थाओं की प्रक्रियाओं में सच्चा सुधार बहुत कुछ जनता की राजनीतिक चेतना, सक्रिय सहयोग एवं जागरूकता पर निर्भर है।

सफलता के लिए आवश्यक दसाएँ

इन संस्थाओं के सतोपजनक ढंग से कार्य न करने पर हमें हताश नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम कह चुके हैं, लोकतंत्रीय संस्थाओं के दोषों का परिमार्जन करने का एकमात्र उपाय है, अधिक लोकतंत्र। इसलिए लास्की के मतानुसार, इन संस्थाओं का कार्य-क्षेत्र जितना अधिक बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही, प्रतिदिन के कार्यों में यथासम्भव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और इन्हें अर्थाभाव भी नहीं होना चाहिए। लास्की के कथनानुसार, स्थानीय संस्थाओं को भूल करने का अधिकार होना चाहिए। यदि उन्हें यथेष्ट अधिकार और पहल करने के अवसर नहीं दिए जाएँगे तो ये संस्थाएँ कभी अच्छी तरह नहीं पनप सकेंगी, और सुगठित और सफल स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के अभाव में लोकतंत्र का पौधा कभी सशक्त नहीं बन पाएगा।

मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पृथक् चुनाव-पद्धति राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक हुई है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति समझत यह उतनी अच्छी प्रकार नहीं समझता कि पृथक् चुनाव-पद्धति अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और भी अधिक बुरी है। वह बहुमत की अल्पमत से सर्वथा स्वतंत्र बना देती है और उसके मत प्रायः विरोधी होते हैं। पृथक् चुनाव-पद्धति में इसका फल यह होता है कि अल्पसंख्यकों को सदैव एक विरोधी बहुमत का सामना करना होता है जो अपनी सहायक बल पर उनकी इच्छाओं का हनन कर सकत हैं।

—नेहरू कमंडो रिपोर्ट

वर्तमान युग अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधिक लोकतंत्र का है जिसमें नागरिकों को सीधे शासन के कामों में भाग लेने के अवसर नहीं मिलते। राज्य के विस्तार, एक स्थान की दूसरे स्थान से दूरी, जनसंख्या की अधिकता आदि के कारण यह असंभव हो जाता है। इस स्थिति में लोगों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर उनके माध्यम से शासन-कार्य चलाना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार मत-अधिकार और प्रतिनिधित्व आज के लोकतंत्र के बुनियादी-आधार हैं।

1. मताधिकार

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए नाबालिग, भयकर अपराधी, पागल और विदेशिया को वही भी मताधिकार नहीं दिया जाता। इस प्रकार का अधिकार जिन व्यक्तियों को दिया जाता है उन्हें मतदाता कहते हैं और इस अधिकार को मताधिकार कहते हैं और मतदाताओं की सामूहिक रूप से निर्वाचक-सभ्यता कहा जाता है। जिस

क्षेत्र से मतदाता एक या एक से अधिक प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन-क्षेत्र कहते हैं। जिस कागज पर मतदान किया जाता है उसे मतपत्र कहते हैं। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने को निर्वाचन या चुनाव कहते हैं। यदि कोई प्रतिनिधि त्यागपत्र दे दे अथवा अन्य किसी कारण से उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व नए सिरे से चुनाव कराने पड़े तो उसे उपचुनाव कहते हैं। जिस स्थान पर वोट पड़ते हैं उसे चुनाव-स्थान कहते हैं।

मताधिकार के स्वरूप क संबंध में दो मत प्रचलित हैं। एक यह कि जनता ही समस्त शक्ति का स्रोत है। अतएव, प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए। दूसरा मत यह है कि मताधिकार 'सामाजिक हित' की दृष्टि से दिया जाता है। अतएव, यह नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही हैं, और 'लोकहित' में ही इसका उपयोग होना चाहिए। हमारे मतानुसार, मताधिकार केवल लोकहित के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि नागरिकों के व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तथापि यह कार्य इतना उत्तरदायित्वपूर्ण है कि बच्चों, मूर्खों, पागलों, दिवालियों, भयंकर अपराधियों आदि को यह अधिकार नहीं सौंपा जा सकता। इन अपवादों के अतिरिक्त सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार वयस्क अथवा सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है, किंतु यदि यह अधिकार केवल पुरुषों को ही प्राप्त हो तो इसे पुरुष-मताधिकार कहते हैं। इसी प्रकार, जहाँ स्त्रियों को मतदान के अधिकार दिलाने की बात की जाती है, इस प्रसंग को नारी-मताधिकार आन्दोलन कहते हैं। आज के युग में विद्वानों की आम राय यह है कि सभी वयस्क नर-नारियों को समान रूप से मताधिकार प्राप्त होना चाहिए।

वयस्क मताधिकार क्यों ?

वयस्क मताधिकार के पक्ष में अनेक युक्तियाँ दी जाती हैं। प्रथम, यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों और भावनाओं का अनुकूल है। प्रजातन्त्र इस भावना पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है और जनता ही शक्ति का मूल स्रोत है। यदि यह बात ठीक है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य बातें ठीक होने पर, सभी वयस्क नागरिकों का समान राजनीतिक अधिकार, जिसका मताधिकार एक महत्वपूर्ण भाग है, मिटन चाहिए। दूसरे, मताधिकार प्राप्त होने से व्यक्ति को आत्मसम्मान की भावना प्राप्त होती है और उस समाज में अपने महत्व का मान होने लगता है और यह वान उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। तीसरे, निम्न व्यक्तिता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होने उनके धर्म नागरिक अधिकार भी गुरभित नहीं रह पाते। नागरिक अधिकारों के गुरभित

होने की सबसे बड़ी गारंटी मताधिकार की उपलब्धि है। चौथे, राज्य की नीति उसके निर्णय और कानून नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अतएव, लोकतन्त्रीय शासन में यह आवश्यक है कि नागरिकों को भी इनके बनाने में भाग हो और यह तभी सम्भव हो सकता है जब राज्य की नीति निर्धारित करने वाले और कानून बनाने वाले अधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों। पाँचवें, यदि एक वयस्क नागरिक को मताधिकार नहीं दिया जाता तो उसमें और एक विदेशी में विशेष भेद नहीं रह जाता, क्योंकि आजकल के समय में नागरिक अधिकार तो सभी व्यक्तियों को, चाहे वे देशी हों या विदेशी, समान रूप से प्राप्त होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जहाँ नागरिक के राज्य के प्रति कर्तव्य विदेशियों से बहुत अधिक है, उसके अधिकार भी इन कर्तव्यों के अनुरूप हों। छठे, मताधिकार प्राप्त हो जाने से नागरिकों की सार्वजनिक कार्यों में रुचि बढ़ती है और उनमें राजनीतिक जागृति पैदा होती है। सातवें, मताधिकार मिलने से उनमें नागरिक चेतना आ जाती है और उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। नागरिक यह अनुभव करते हैं कि वे सब एक हैं और मिलजुल कर देश की नीति निर्धारित करते हैं। मताधिकार जनसाधारण के राजनीतिक शिक्षण का सबसे सफल ढंग है। जब नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो वे सभाओं, समाचार-पत्रों और आपसी विचार-विमर्श से राजनीतिक बातों को जानने का यत्न करते हैं और इस प्रकार उनमें यथेष्ट राजनीतिक चेतना आ जाती है। आठवें, क्योंकि राजकीय निर्णयों का लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः यह आवश्यक है कि जिन पर उनका प्रभाव पड़ता है उनके विचारों पर भी ध्यान दिया जाए। आजकल के युग में उनके प्रतिनिधियों की राय जान कर और लोकमत पर ध्यान देकर यह सम्भव हो सकता है। नवें, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का भी यह एक अच्छा उपाय है। मताधिकार मिलने से अल्पसंख्यकों को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिल जाता है, अथवा कम से कम उन्हें प्रतिनिधि के चुनाव को प्रभावित करने का अवसर मिल जाता है जिससे कारण कोई भी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

षष्ठे मताधिकार की आलोचना—लोकतन्त्र के विरोधी लेखकों ने वयस्क मताधिकार की बड़ी आलोचना की है। उदाहरण के लिए, लैंकी और मेन ने इसे नासमझी और गनर से भरा हुआ बताया है। उनके कथनानुसार, सामान्य मतदाता, अनपढ़ और नासमझ होता है। उनकी सार्वजनिक बातों में न रुचि होती है और न इतनी योग्यता कि वह उन पर अच्छी तरह विचार कर सके। अतः यह बहुधा जाति-पाति, धर्म, परिवार, स्थानिक बातों अथवा भावनाओं में

बढ़ जाता है और विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर पाता। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह विचार प्रकट किया था कि यदि हम सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देना चाहते हैं तो हमें इससे पहले उन्हें शिक्षित बनाना चाहिए। दूसरे, नासमझ और अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में राष्ट्र का भविष्य छोड़ देना बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं है। बलुइली के कथनानुसार, अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में शासन की बागडोर सौंप देना आत्महत्या के बराबर है। तीसरे, अधिकतर मतदाता निर्धन होते हैं। वे सदा धनाभाव में दुःखी रहते हैं और भोजन के साधन जुटाने में ही व्यस्त रहते हैं। उनके पास न इतना समय होता है और न इतनी योग्यता कि वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बातों पर सोच-विचार कर सकें। इसलिए बहुधा यह देखा गया है कि वे धोड़े से धन के लोभ में अपने बहुमूल्य अधिकार को बेच देते हैं। चौथे, आज शासन की समस्याएँ इतनी जटिल हो गई हैं कि जनसाधारण के लिए उनको समझना अत्यंत कठिन है। लावनेए के अनुसार, अनपढ़ लोगों को मताधिकार देना अराजकता को जन्म और निरकुशलता को प्रोत्साहन देता है। पाँचवें, मताधिकार एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। अतः इसे बहुत सावधानी से और सोच-विचार में उपयोग में लाना चाहिए। कुपात्रों को यह अधिकार देने के भयकर परिणाम हो सकते हैं। छठे, हेनरी मेन के अनुसार, जनसाधारण प्रायः अज्ञानी होते हैं। यदि उनके मतानुसार कार्य किया जाए तो सम्भवतः नई वैज्ञानिक खोजों का काम उठाना ही कठिन हो जाए। कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए वह बताता है कि किस प्रकार आम लोगों ने कपड़े के उद्योग में होने वाले आविष्कारों का विरोध किया। इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वयस्क मताधिकार के कारण वैज्ञानिक प्रगति के रुक जाने की आशंका है।

निष्कर्ष—वयस्क मताधिकार के आलोचकों की आशंकाएँ निराधार सिद्ध हुई हैं और मताधिकार के प्रसार से वे भयकर परिणाम नहीं निरखे जिनका उन्हें भय था। भारत इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, यह बहुत उत्तम होगा यदि नागरिक शिक्षित हों, लेकिन जिन देशों में तीन-चौथाई या उससे अधिक व्यक्ति अशिक्षित हैं उनमें क्या किया जाए? क्या वित्तान-मजदूरों को मताधिकार में इसलिए बहिष्कृत कर दिया जाए कि वे अशिक्षित हैं? इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। पहला, यह कि क्या पठे लिखे होना ही हम बातों की घाटी है कि नागरिक में राजनीतिक प्रीवना होगी? कम से कम भारत का अनुभव तो यह सिद्ध नहीं करता। हमारे यहाँ के अशिक्षित लोग अपने हितों की बातों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इससे विपरीत ऐसे धनेक उदाहरण मिल जायेंगे जबकि उच्चशिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी राजनीतिक मामलों का परिचय

देते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र का ही परित्याग कर दिया जाए? फिर यदि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज अशिक्षित है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है - समाज अथवा वे स्वयं? और यदि समाज इसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका दंड वे क्यों भुगतें? फिर, जब तक उन्हें मताधिकार नहीं मिलेगा कौन उनकी शिक्षा और हितों की रक्षा पर ध्यान देगा? उपर्युक्त युक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के आधार पर मताधिकार पर प्रतिबंध लगाना न्यायपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार, कुछ पुराने ढंग के लोग सम्पत्ति-संबंधी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि वोट देने का अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलना चाहिए जिनके पास कुछ व्यक्तिगत सम्पत्ति है, किन्तु यह युक्ति एकदम योपी लगती है। सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को निर्धनों की तुलना में वैसे ही बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं और अपने धन के कारण उन्हें अनेक सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं। इनके अतिरिक्त यदि सम्पत्ति की घोम्भता को मताधिकार के लिए आवश्यक बना दिया गया तो गरीबों के साथ यह दोहरा अन्याय होगा। एक तो वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और दूसरे अमीरों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा जिसके कारण गरीबों के हितों की उपेक्षा बढ़ जायगी। अतएव, किसी भी दृष्टि से वयस्क मताधिकार का विरोध उचित नहीं माना जा सकता।

नारी मताधिकार

बीसवीं शताब्दी के पहले बहुत कम देशों में नारियों को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। इंग्लैंड में भी उन्हें सन् 1929 ई० में जाकर समान अधिकार प्राप्त हुए। पिछले महायुद्ध के पश्चात् यूरोप के कई देशों में नारियों को सीमित मताधिकार दिए गए और अब द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् बहुत से राज्यों में उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। भारत में स्त्रियों को इनके लिए कोई आंदोलन अथवा संपर्क नहीं करना पड़ा। राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर उनके काम करने का फल यह हुआ कि स्वेच्छापूर्वक पुरुषों ने उन्हें समान रूप से राजनीतिक अधिकार दिए और इस सम्बन्ध में भारत कई यूरोपीय देशों से भी आगे हैं। स्विटजरलैंड में अभी भी कई बंटन हैं जहाँ नारियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। तथापि उनके पक्ष में अनेक विद्वान लेखकों ने अपनी सबल लेखनी उठाई है। इनमें जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख हैं। मिल और दूसरे विद्वानों ने नारी मताधिकार के विरोधियों को बरारा प्रत्युत्तर दिया है। नीचे हम संक्षेप में इस पर विचार करेंगे।

सर्वप्रथम, कहा जाता है कि स्त्रियाँ शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं और राज्य की रक्षा के लिए वे सस्त्र ग्रहण नहीं कर सकतीं। अतः उन्हें मताधिकार

क्यों दिया जाए ? यह मत असंगत है । माना कि वे रिबल हैं, किंतु इस कारण तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए और भी अधिक अधिकार मिलने चाहिए । फिर, द्वितीय महायुद्ध में अनेक देशों में मारियों ने पुरुषों के साथ समान रूप से युद्ध में भाग लिया । यदि वे युद्ध में भाग न भी लें, तो भी उनका अन्य क्षेत्रों में कार्य कम महत्वपूर्ण नहीं है । दूसरे, दुर्बल होने पर भी बुद्धि में वे पुरुषों से कम नहीं होती । जहाँ वहाँ उन्हें समान सुविधाएँ और अवसर मिलें हैं, वे पुरुषों से पीछे नहीं रहतीं । तीसरे, यदि लोकतंत्र व्यक्ति की समानता के सिद्धांत को मानता है तो फिर लिंग के आधार पर भेदभाव कैसे किया जा सकता है ? चौथे, अपने व्यक्तित्व के विकास, नागरिक चेतना और राजनीतिक जागृति की मारियों को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पुरुषों को । यही नहीं, अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए उन्हें राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व की पुरुषों से वही अधिक आवश्यकता है । पाँचवें, यह कथन भी कि राजनीतिक जीवन में भाग लेने से मारियों के स्त्रियोचित गुण नष्ट हो जाएँगे, ठीक नहीं है । इस के विपरीत उनके सार्वजनिक क्षेत्र में आने से उसकी अनेक बुराइयाँ व गद्गली दूर हो जाएँगी । छठे, यह कहना भी कि राजनीतिक अधिकार देने से स्त्रियाँ घरेलू कामों पर ध्यान देना बंद कर देंगी, ठीक नहीं है । इसके विपरीत स्त्रियों की सजुचित मनोवृत्ति के कारण जो आपसी झगड़े होते हैं, वे भी दूर हो जाएँगे । उनके दृष्टिकोण विकसित हो जाएँगे और छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने के स्थान पर, वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातों पर विचार-विमर्श करने लगेंगी । सातवें, यह कहना भी ठीक नहीं है कि स्त्रियों के राजनीति में प्रवेश से घरों में भी राजनीतिक मतभेद पैदा हो जाएँगे और गृह-क्लह फैल जाएगा । आज भी भाई भाइयों, भाई बहनो, बाप-बेटों में राजनीतिक मतभेद होते हैं, और यदि उनके कारण गृह-क्लह नहीं होने तो स्त्रियों के साथ राजनीतिक मतभेद होने से ऐसा क्यों होना चाहिए ? इस आधार पर गृह-क्लह तभी होगा जब पुरुष असहिष्णु हों । ऐसी दशा में दोष पुरुषों का होगा, मारियों का नहीं । इसके विपरीत स्त्रियों के राजनीति में प्रवेश से, पारिवारिक जीवन में एक नया सौंदर्य आ जाएगा और स्त्री-पुरुष सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातों पर विचार-विमर्श कर सकेंगे । आठवें, यह कहा जाता है कि स्त्रियाँ मताधिकार की वाढ नहीं करतीं और न उसकी उम्हें चिन्ता है । अतः उन्हें यह अधिकार क्यों दिया जाए ? यह बात ठीक नहीं है । सभी देशों में कुछ न कुछ स्त्रियाँ तो राजनीतिक अधिकार मांगती ही हैं । उन्हें इनसे वंचित करना एक अत्याय होगा । नवें, कहा जाता है कि स्त्रियाँ अपने राजनीतिक विचारों के लिए पुरुषों पर आश्रित होती हैं, फिर उन्हें राजनीतिक अधिकार देने का क्या लाभ ? मिला के मतानुसार, यदि ऐसा ही हो तो

हानि क्या है ? किंतु यदि ऐसा न हो और वे अपने अधिकारों का सदुपयोग करें, तो उससे बहुत अधिक लाभ होगा । वसंतों, कुछ लोगों की आशंका है कि स्त्रियों को मताधिकार देने से घर्माधिकारियों का राजनीति में प्रभाव बढ़ जायगा । यदि यह सच है तो इससे बचने का हमें शीघ्रातिशीघ्र उपाय करना चाहिए और इस बात का समुचित प्रबंध करना चाहिए कि घर्माधिकारी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करें । किंतु इस आधार पर नारियों को उनके अधिकार से वंचित करना अनुचित होगा । अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि जब नारियाँ कुशलतापूर्वक राज्य की बागडोर सम्भाल सकती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा भिँडकर जीवन क्षेत्र में काम कर सकती हैं, तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका प्रवेश क्यों न हो ? जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, हमारे संविधान में नारियों को समान राजनीतिक अधिकार दिए हैं ।

2 चुनाव पद्धति

प्राचीन यूनान और रोम में (एव भारत में भी) खुली सभा में हाथ उठा कर नागरिक मतदान दिया करते थे । बाद में रोम में गुप्त मतदान की प्रथा का आरम्भ हुआ । अब यह आवश्यक समझा जाता है कि व्यवस्था ऐसी हो कि मतदान गोपनीय रह सके । गुप्त मतदान इसलिए आवश्यक माना जाता है कि नागरिक निर्भय होकर अपने विचारों के अनुरूप मत दे सकें । भारत में गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है । किंतु इसके मार्ग में एक बड़ी बाधा यह है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अनपढ़ है । इसके लिए पहले विभिन्न रंग के अथवा विभिन्न चिन्हों से अंकित सीलबंद पेटियाँ काम में लाई जाती थी । किंतु अब मतपत्र में ही राजनीतिक दलों और व्यक्तियों के चुनाव-चिन्ह अंकित कर दिये जाते हैं जिससे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकें ।

अनिवार्य मतदान—कुछ राज्यों में जहाँ यह विश्वास किया जाता है कि मतदान नागरिक का अधिकार ही नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक कर्तव्य है, मतदान न देने पर जुर्माना देना पड़ता है । इस प्रणाली को अनिवार्य मतदान कहते हैं । किंतु जिन व्यक्तियों की सार्वजनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं है उन्हें मतदान के लिए बाध्य करने से क्या लाभ है ? अतः यह प्रथा अधिक प्रचलित नहीं है ।

अधिक मतदान—कुछ विद्वानों का विचार है कि शिक्षा अथवा सम्पत्ति के आधार पर नागरिकों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, कहीं कहीं एन से अधिक स्थानों पर निवास स्थान होने पर

ऐसे नागरिक उन सभी निर्वाचक क्षेत्रों में वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। जिन राज्यों में नागरिक को एक से अधिक मत देने का अधिकार मिला हुआ है वे भी प्रायः यह नियम बना देते हैं कि अधिकतम कितने मत दिए जा सकते हैं। किंतु अब एक से अधिक वोट देने की प्रणाली को अनुचित माना जाता है और आम धारणा यह है कि सामान्यतः किसी नागरिक को एक ही चुनाव के लिए एक से अधिक वोट देने का अवसर नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कोई विशिष्ट निर्वाचक-मंडल हो, तो उसमें दूसरा वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव—प्रत्यक्ष चुनाव में मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसका लाभ यह है कि प्रतिनिधि और उसके मतदाताओं का निवृत्त सम्पर्क बना रहता है। प्रतिनिधि कुछ सीमा तक अपने को मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। यही नहीं, वह उनकी भलाई के सतत प्रयत्न करता है। इसके अतिरिक्त दूसरा ढंग अप्रत्यक्ष चुनाव का है। इसके अंतर्गत मतदाता सीधे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते बल्कि एक निर्वाचक मंडल चुनते हैं और यह निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि चुनता है। इस प्रणाली के गुणों का वर्णन करते हुए कुछ लेखक कहते हैं कि इस रीति से जोश कम हो जाता है, देश का दातावरण शांत रहता है, राजनीतिक दलबन्दी कम हो जाती है और महत्वाकांक्षी लोगों को निरकुश बनने के कम अवसर मिलते हैं। उपर्युक्त कारणों से इसे अविद्वंसित देशों के लिए उपयुक्त बताया जाता है। किंतु यह ढंग जनता में अविद्वानता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि और मतदाताओं का सीधा और निवृत्त सम्पर्क नहीं होता, इसलिए गठबन्ध घुटाने के अवसर रहते हैं। सार्वजनिक हित की प्रायः उपेक्षा हो जाती है और राजनीतिक दल अपनी मनमानी करने लगते हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो जाता है। लोकतंत्र दिखावे भर का रह जाता है। अतएव, विधानांगों के चुनाव के लिए इस रीति को कहीं पसंद नहीं किया जाता। हाँ, पदाधिकारियों के चुनाव के लिए इस रीति को अपनाने में उतनी आपत्ति नहीं है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों और राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली का ही अवलम्बन किया गया है।

3 निर्वाचन-क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य वाले या अनेक सदस्य वाले हो सकते हैं। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में, राज्य की सदस्यों की संख्या के अनुसार निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन

लिया जाता है। इसके विपरीत बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों में एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यह भी सम्भव है कि पूरा राज्य ही एक निर्वाचन-क्षेत्र मान लिया जाए। इसको 'आम टिकट प्रणाली' कहते हैं। आस्ट्रेलिया में सधीय उच्च सदन के चुनाव में सध की इकाइयों का एक ही निर्वाचक-मंडल होता है।

एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र—इस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों में अनेक गुण हैं। पहला, इनमें चुनाव का ढंग सरल और सुविधाजनक होता है। जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत पाता है उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार मत-गणना में न कोई कठिनाई होती है और न कोई विलम्ब। दूसरे, इसमें मतदाताओं के अपने प्रतिनिधि से बहुत घनिष्ठ संबंध रहते हैं। अतः प्रतिनिधियों को भी अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भान रहता है। तीसरे, जिन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय केंद्रित हैं वहाँ से वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज सकते हैं। चौथे, इस प्रणाली में उत्तरदायित्व की भावना बनी रहती है।

इसके अनेक दोष भी हैं। पहले, इसमें निर्वाचन-क्षेत्र बहुत छोटा होता है। अतः एव, योग्य व्यक्ति सुगमता से नहीं मिलते जिसके कारण मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों को चुनने का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है। दूसरे, इसमें अल्पमत को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और पूरा प्रतिनिधित्व बहुसंख्यक दल को प्राप्त हो जाता है। तीसरे, इसमें स्थानीय बातों को अधिक महत्त्व दिया जाता है और राष्ट्रीय बातों पर कम, लोगों में यह भावना घर कर जाती है कि प्रतिनिधियों का प्रमुख कार्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र के हितों का संरक्षण है। चौथे, इसमें जनता वा उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि सफल होने वाले उम्मीदवार अथवा दल को मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। भारतीय चतुर्थ आम चुनावों में ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख आए हैं। निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि एक निर्वाचन-क्षेत्र में 10,000 व्यक्ति मतदान करते हैं और ४ उम्मीदवार हैं। मान लीजिए कि उनको क्रमशः 3500 ; 3400 ; 2500 ; और 600 मत मिलते हैं। इसमें पहला प्रत्याशी जिसे 10,000 मतों में से केवल 3500 मत प्राप्त हुए हैं विजयी घोषित कर दिया जाता है जबकि उसके विपक्ष में मत डालने वाले 6500 व्यक्तियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इस प्रकार इस पद्धति में राष्ट्र का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जहाँ एक ओर अल्पमत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है, वहाँ दूसरी ओर यह भी हुआ है कि जनता में कम समर्थन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल ने दूसरों की अपेक्षा अधिक सीटें हथिया ली हैं। निम्न उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि 5 निर्वाचन-क्षेत्र हैं जिनमें 2 दल ४ और 3 चुनाव लड़ते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में 10,000 मतदाता हैं ; किन्तु इनमें से बहुत से मत अर्ब

भोषित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कि अतत परिणाम इस प्रकार है :-

सीट	1	2	3	4	5
दल क	5000	5500	5500	1000	4100
दल ख	1500	4000	4500	5000	3150

उपर्युक्त चुनाव में दल क को 21,100 मत मिलते हैं जबकि दल ख को 18,150 मत प्राप्त हुए हैं। किंतु दल क को 4 सीटें मिल जाती हैं और दल ख को केवल 1 यद्यपि उसके समर्थन करने वालों में इतना अंतर नहीं है। इस उदाहरण में बहुमत को अनुपात से अधिक स्थान मिल गए हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल को यद्यपि 50 प्रतिशत से भी कम मत मिलते हैं फिर भी उसे बहुत से स्थान मिल जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जब छोटे राजनीतिक दलों को जनता का स्पष्ट समर्थन प्राप्त होने पर भी एक स्थान भी नहीं मिला। अतः यह सम्भव है कि एक ऐसे राजनीतिक दल के हाथों में सत्ता की बागडोर आ जाए जिसको मतदाताओं के अल्पसंख्यकों को उचित अनुपात से भी अधिक स्थान मिल जाए। ये दोनों ही बातें दोषपूर्ण हैं। पाँचवें, इस प्रणाली में 'गैरी-मंडरिंग' की दोषयुक्त प्रथा की प्रोत्साहन मिलता है। इसका अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार बाँटना है कि विरोधी पक्ष कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सीमित हो जाए और सत्तापक्ष दल का बहुमत अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में फैल जाए जिसमें उसे अधिकतम स्थान मिल जाए। छठे, इस पद्धति में मतदाताओं को अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधि चुनने के अवसर भी नहीं मिलते। निर्वाचन-क्षेत्रों के छोटे और सीमित होने के कारण यह सम्भव है कि सड़े होने वाले उम्मीदवारों में कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो मतदाताओं के विचारों के अनुरूप हो। ऐसी दशा में वोट देते समय वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन उनका उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है, बल्कि वे उनके विरुद्ध मतदान करते हैं जो उन्हें नापसंद है। इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र सही प्रतिनिधित्व करने में सहायक नहीं होते। अतएव अनेक विद्वानों ने बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया है। उनकी धारणा है कि इस प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों में वे सभी दोष दूर हो जाएंगे जो एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में होते हैं। संसद राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधित्व करेगी, राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान दिया जाएगा, और नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे।

इस पद्धति में भी अनेक दोष हैं। उदाहरण के लिए इसमें दलगत भावना

1 देखिए John R. Commons, *Proportional Representatives*, द्वितीय संस्करण 1907, पृष्ठ 83-84 और Hallett, *Proportional Representation*, पृष्ठ 27-28

और भी प्रबल हो उठती है और उम्मीदवारों की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। दल का अनुशासन पूरी तरह न मानने वाले सदस्यों का चुना जाना असम्भव हो जाता है। क्योंकि राजनीतिक दल इस प्रकार के उम्मीदवारों को खड़ा करना उचित नहीं समझते और बिना किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त हुए किसी का जीतना दुर्लभ है। यही नहीं, इस पद्धति के अंतर्गत अनेक छोटे-मोटे राजनीतिक दल उत्पन्न हो जाते हैं जो अपनी 'तीन चावल की खिचड़ी' अलग पकाते हैं। साथ ही, इस पद्धति के अंतर्गत उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन करना असम्भव हो जाता है। कई राज्यों में, जहाँ इस पद्धति को अपनाया गया, किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त करना लगभग असम्भव हो गया जिसके कारण शासन में स्थायित्व जाता रहा है। यही नहीं, कुछ विद्वान लेखकों का कहना है कि हम ससद में सभी दृष्टिकोणों के व्यक्तियों का समावेश नहीं चाहते। यदि हमारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर मूखों, पागलों, दिवालियों और अपराधियों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। स्पष्टतः यह विचार हास्यास्पद है। उनके मतानुसार, आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में प्रचलित मुख्य विचारों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व मिले जिससे वे ऐसी दृढ़ और स्थायी सरकार बना सकें जो अपनी घोषित नीति को कार्य रूप दे सके। अधिकतर देशों में अब एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र प्रचलित हैं।

4. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

अल्पसंख्यकों से हमारा अभिप्राय ऐसे जनसमुदाय से है जो संख्या में अपेक्षाकृत कम हैं किंतु जिनकी अपनी भाषागत, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक विशेषताएँ हैं जिनका वे संरक्षण चाहते हैं। समस्या यह है कि कौन-सी ऐसी पद्धति अपनाई जाए जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, दोनों को ही समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। वस्तुतः इस समस्या के दो रूप हैं : प्रथम, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और दूसरे, उनका उचित प्रतिनिधित्व। जैसाकि हम ऊपर कह चुके हैं अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उनके बुनियादी अधिकारों को संरक्षण दिया जाए और उनकी रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाए। प्रश्न यह उठता है कि उनके अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त क्या यह आवश्यक है कि उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व मिले ? सिडविक ने इस विचार का विरोध किया है। उसके कथनानुसार, ससद में विरोधी विचारों को प्रतिनिधित्व देने से उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, दलबन्दी बढ़ती है, सरकारें अल्पवालीन हो जाती हैं, सहिष्णुता के भाव उत्पन्न होने के स्थान पर घट्टरता को बल मिलता है और भेद-

भाव की भावना जोर पकड़ने लगती है। यद्यपि उपर्युक्त तर्कों को अमान्य नहीं किया जा सकता तथापि अब आम विचार यह है कि यदि किसी देश में विशिष्ट अल्पसंख्यक जनसमूह हैं तो उनकी सर्वथा उपेक्षा करना अनुचित होगा। अतएव, कोई न कोई ऐसे उपाय निकाले जाने चाहिए जिससे उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार, लोकतंत्र का यह सारभूत सिद्धांत है कि अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके अभाव में लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। यही नहीं, उनके मतानुसार, यदि बहुमत अल्पसंख्यकों के प्रति लापरवाह बन जाता है तो इसका फल निरंकुश शासन होता है जो लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। यदि यह सत्य है कि बहुमत को शासन करने का अधिकार होना चाहिए तो हमें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि वे स्वेच्छापूर्वक बहुमत के निर्णय का स्वागत करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के हितों और विचारों को ध्यान में रखा जाए और जहाँ तक सम्भव हो उनका आदर किया जाए। लंकी के कथनानुसार, अल्पसंख्यकों को अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लोकतंत्र में इसके प्रतिकूल आचरण नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर अनेक विद्वान् लेखकों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें कोई न कोई ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिनसे अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इनमें से कुछ उपायों पर हम नीचे विचार करेंगे।

द्वितीय मतपत्र की प्रणाली (Second Ballot System)—इसके अंतर्गत चुनाव में यदि तीन या अधिक उम्मीदवार हो और उनमें से किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो (अर्थात् 50 प्रतिशत मतों से कुछ अधिक) तो प्रथम दो उम्मीदवारों को छोड़कर शेष का नाम निकाल दिया जाता है और दूसरे मतदान में इनमें से एक को चुनना पड़ता है। इसका लाभ केवल यह है कि बिना स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता¹। लेकिन इस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

वैकल्पिक वोट की प्रणाली (Alternate Vote System)—इसमें निर्वाचनक्षेत्र एक सदस्य वाला होता है और चुनाव के लिए पूर्ण बहुमत आवश्यक है। प्रत्येक मतदाता केवल एक ही मतदान कर सकता है तथापि उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह यह सचेत कर दे कि यदि उसकी इच्छा का उम्मीदवार न चुना गया तो वह दूसरे और तीसरे नम्बर पर किसको चुनना चाहेगा। इस प्रणाली में पहली पसंद की वोट गिने जाने पर यदि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों का नाम हटा

लिया जाता है और उनके द्वारा प्राप्त वोट दूसरी पसद वाली में बाँट दी जाती हैं। इस प्रकार यह सिलसिला उस समय तक चलता रहता है जब तक किसी एक सदस्य को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो जाए। इस प्रणाली के गुण दोष लगभग वही हैं जो द्वितीय मतदान प्रणाली के हैं। केवल एक विशेष लाभ यह है कि उसमें द्वितीय मतदान की आवश्यकता नहीं होती।

सीमित वोट प्रणाली (Limited Vote System)—इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जिनमें प्रायः तीन या अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को एक से अधिक, किंतु नियत संख्या में, जो प्रतिनिधियों की संख्या से कम होती है, वोट देने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए यदि 5 प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो नागरिकों को 3 या 4 मत देने का अधिकार दिया जा सकता है, किंतु यह संख्या निश्चित कर दी जाती है। कोई भी नागरिक किसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दे सकता। इससे लाभ यह हो सकता है कि अल्पसंख्यकों को भी सम्भवतः कुछ स्थान प्राप्त हो जाएँ। पर ऐसा होना आवश्यक नहीं है। फिर, उनका प्रतिनिधित्व अनुपात के अनुसार हो, यह भी जरूरी नहीं है।

एकत्रित वोट प्रणाली (Cumulative Vote System)—इसमें निर्वाचन-क्षेत्र अनेक सदस्यों वाले होते हैं और प्रत्येक नागरिक को उतनी ही वोटें मिलती हैं जितने प्रतिनिधि चुनने हैं। किंतु उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे अपने वोट विभिन्न उम्मीदवारों को दें अथवा अपने सारे वोट एक या एक से अधिक उम्मीदवार को दे दें। इसमें भी इस बात की सम्भावना रहती है कि अल्पसंख्यकों को कुछ स्थान प्राप्त हो जाएँ, किंतु ऐसा होने पर भी उन्हें ठीक अनुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की गारंटी नहीं होती।

एक वोट की प्रणाली (Single Vote System)—इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं किंतु नागरिकों को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। इसमें भी अल्पसंख्यकों को कुछ स्थान मिल सकते हैं, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रतिनिधित्व ठीक अनुपात से होगा।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं। स्ट्रोग के मानुमार, इनके सामान्य लक्षण यह हैं प्रथम, इसमें बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। दूसरे, उम्मीदवार स्पष्ट या अपक्षित बहुमत द्वारा नहीं किंतु एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने पर चुन लिया जाता है। इस निश्चित संख्या को अंग्रेजी में 'कोटा' कहा है जिस प्राप्त करने के बाद तुरंत चुनाए गए हैं। तीसरे, इनके अंतर्गत अल्पसंख्यकों का ठीक अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं : (१) हस्तातरणीय एकल वोट प्रणाली (Single Transferable Vote System) और (२) सूची-प्रणाली (List System) । पहले हम सूची प्रणाली पर विचार करेंगे ।

सूची प्रणाली—इसमें बहुसंख्यक निर्वाचन-क्षेत्र होता है जिसमें चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए । कभी-कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है । इसमें विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर कमरा सदस्यों के नाम लिख देते हैं । इसी क्रम के अनुसार वे चुने जाते हैं । इस प्रणाली में मतदाता अपना वोट एक दल की पूरी सूची को देता है, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं । मत-गणना करके उसी के अनुपात से विभिन्न दलों की सदस्य संख्या स्थिर कर दी जाती है । जिस दल को जित अनुपात में जगता से समर्थन प्राप्त है उसी के अनुसार उसे अपने दल की सूची के सदस्यों को संसद में भेजने का अधिकार होता है । कभी-कभी समस्त सूची पर वोट देन के साथ-साथ नागरिकों को यह भी छूट दे दी जाती है कि वे उस क्रम को पलट दें जो राजनीतिक दल ने स्थिर किया है । सीटों के वितरण के लिए वेंच वोटों के योग को सदस्यों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रकार बेटा प्राप्त हो जाता है । इस बेटा के विभाजन से प्रत्येक राजनीतिक दल को प्राप्त होने वाले सदस्यों की संख्या का पता लग जाता है । यदि कुछ सीटें बची रह जाती हैं तो उससे सत्रथ में भी कुछ निश्चित व्यवस्था होती है । एक व्यवस्था यह हो सकती है कि जिस दल के मत 'बेटा' के आधे से अधिक' मत-गणना में योग रह गए हों, उस एक सीट और दे दी जाए । दूसरा उपाय यह अपनाया गया है कि बहुसंख्यक दल को एक अतिरिक्त सीट दे दी जाती है ।

हस्तातरणीय वोट प्रणाली

सर्वप्रथम, इन प्रणाली को कार्ल आंद्रे ने सन् 1793 ई० में प्रस्तुत किया था । किन्तु प्रारम्भ में इसका न अधिक प्रचार हुआ और न अधिक चलन । सन् 1851 ई० में यामस हवरन अपनी पुस्तक लिखकर इसका प्रचार किया । जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इसका समर्थन किया । इस प्रणाली के प्रमुख लक्षण हैं बहुसंख्यक निर्वाचन मंडल का होना, प्रत्येक मतदाता को एक वोट मिलना ; उसे अपनी संसद बताने की स्वतंत्रता का होना, और अतिरिक्त (अनावश्यक) मतों का हस्तांतरित किया जाना । इस प्रणाली में भी विजयी होने के लिए उम्मीदवार को बेटा के अनुपात में मत प्राप्त करना ही है । हवर और आंद्रे का गुणाव था कि 'बेटा' निकालने के लिए वेंच वोटों के योग को प्रतिनिधि संख्या से विभाजित कर दिया जाए । किन्तु इसके कारण कुछ अशुद्धियाँ रह जाती थीं । अतएव, डूप

ने सन् 1881 ई० में यह सुझाव दिया कि कोटा निकालने की विधि में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए। उसने जो ढग बताया उसको निम्न फार्मूले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

$$\text{कोटा} = \frac{\text{बंध वोटों का योग}}{\text{सीटों की संख्या और} + 1} + 1$$

उदाहरण के लिए यदि समस्त बंध मतों का योग एक लाख है और सीटें चार हैं तो कोटा 20 001 होगा। इस विधि में अशुद्धियाँ कम होती हैं और कम से कम वोटों से कोटा की उपसन्धि हो जाती है।

हम बता चुके हैं कि इसमें भी वैकल्पिक वोट प्रणाली के समान नागरिक अपनी पसंद दिखाने के लिए उम्मीदवारों के नामों के सम्मुख 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। सबसे पहले कोटा निकाल लिया जाता है। फिर गणना करके यह देखा जाता है कि कितने उम्मीदवारों ने कोटा के बराबर मत या उससे अधिक मत प्राप्त कर लिए हैं। जो ऐसा करने में सफल हुए हैं वे विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। यदि उनके वोट कोटा से अधिक है तो उनके ये 'अतिरिक्त मत' दूसरी पसंद वाले सदस्यों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। यदि इस प्रकार सब सीटें भर जाती हैं तो आगे गणना नहीं करनी पड़ती। नहीं तो, सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनके मतों को दूसरी पसंद वाले उम्मीदवारों में हस्तांतरित कर दिया जाता है और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति न हो जाए। नीचे एक उदाहरण दिया जा रहा है¹।

इस उदाहरण में आठ प्रत्याशी हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने उन्हें 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ', 'च', 'ट', 'ठ', 'ड' के नाम दिए हैं। केवल चार व्यक्तियों को चुना है। कुल मतों की संख्या 5000 है। उपर्युक्त ढग के प्रयोग से कोटा 1001 बनता है। प्रथम गणना में केवल एक प्रत्याशी कोटा से अधिक मत प्राप्त करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम न्यूनतम मत पाने वाले प्रत्याशियों के नाम हटाकर देखें कि उनके मतदाताओं ने अपनी 'दूसरी पसंद' किस के पक्ष में दी है। इस प्रकार मत हस्तांतरित करने में प्रायः यह देखा गया कि मतदाता कभी कभी चिह्न लगाया ही भूल जाते हैं। ऐसे मत बकार हो जाते हैं। अथवा मतदाता यदि त्रुटि संख्या लिखने में भूल कर दें, तो भी उनका मत व्यर्थ हो जाता है। हस्तांतरित कराने के पश्चात् फिर देखते हैं कि क्या आवश्यक संख्या में प्रत्याशियों को कोटा का अंक या उससे अधिक मत मिल गए हैं। ऐसा होने पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

1 उपर्युक्त गणितिका लखनऊ एन. सी. एम. की चन्द्रकान्त अग्रवाल द्वारा निरचित 'नागरिक शासन के मूल सिद्धांत' से उद्धरित की जा रही है।

उम्मीदवारों के नाम		कुल मतां की संख्या = 5000				स्थान 4				कोटा पर चुनाव अंक 1001		
		पहले गणना	दूसरी गणना	तीसरी गणना	चौथी गणना	पंचवीं गणना	अंतिम परिणाम	'क' के अतिरिक्त मतां की बाँट	'ख' के मतां की बाँट	'ग' के मतां की बाँट	'घ' के मतां की बाँट	परिणाम
क	1400	- 399	1001	1001	1001	1001		1001	1001		1001	निर्वाचित
ख	450	+ 99	549	549			+ 50	599			599	निर्वाचित
ग	250		250		- 250							निर्वाचित
घ	700	+ 200	900	900			+ 101	1001	1001		1001	निर्वाचित
ङ	300		300	300			- 300					निर्वाचित
च	750	+ 100	850	1001	+ 151	1001		350	1001		1001	निर्वाचित
छ	350		350	350					350	- 350		निर्वाचित
ज	800		800	881	+ 81	881	+ 100	981	981	+ 20	1001	निर्वाचित
नेकार या सराब वोट					+ 18	18	+ 49	67	67	+ 330	397	
योग	5000	...	5000	5000	...	5000	...	5000	5000	...	5000	

उपर्युक्त उदाहरणसे इस प्रणाली की गणना का ढग स्पष्ट हो गया होगा । नीचे हम इसके गुण-दोषों पर विचार करेंगे ।

तथाकथित गुण—इस प्रणाली के समर्थकों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उनके कथनानुसार इस प्रणाली में इतने गुण हैं कि इसको सुरत अपना लेना चाहिए । पहला, इस प्रणाली के प्रयोग से सभी राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति के अनुपात से स्थान मिल जाएँगे । अतएव, यह प्रणाली न्यायपूर्ण है और इसके अंतर्गत ससद् लोकमत की यथातथ प्रतिबिम्ब बन जाती है । दूसरा, इसमें मतदाताओं को अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल जाता है । उन्हें नकारात्मक ढग से मतदान नहीं करना पड़ता । तीसरे इसमें बहुसंख्यक दल को उसके अनुपात से स्थान मिल जाते हैं और अल्पसंख्यकों को भी उनके अनुपात से । इसके कारण बहुसंख्यक दल निरकुश नहीं हो पाता और अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं । चौथा, लार्ड ऐवटन के अनुसार, यह प्रणाली पूर्णतः लोकतंत्रीय है । इसमें मतदाताओं के मत व्यर्थ नहीं जाते और अधिकतर मतदाताओं को प्रतिनिधित्व मिल जाता है । पांचवें, इसके अनुसार, राजनीतिक दलों के सर्वोत्तम और विश्वस्त व्यक्ति चुने जाते हैं । छठे, कामन्स के मतानुसार, यह प्रणाली राजनीतिक दलों के अस्तित्व को केवल स्वीकार ही नहीं करती, अपितु उन्हें आवश्यक मानती है । इसमें दलों को भी सामाजिक और आर्थिक आधार पर सगठित होने में सुगमता हो जाती है । सातवें, इसके अंतर्गत छोटे दलों को शक्ति सन्तुलन के कारण अत्यधिक प्रभाव डालने के अवसर नहीं मिलते, क्योंकि चुनाव का परिणाम सामयिक भावनाओं की अपेक्षा स्थायी विचारों पर अधिक आधारित होता है । इसमें मतदाता केवल अपनी प्रथम रुचि बताकर नहीं रह जाते बल्कि अपनी अन्य पसंद भी देते हैं । आठवें, इसके अंतर्गत 'गैरीमंड-रिंग करना (अर्थात् ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाना कि अपनी पार्टी को लाभ हो और दूसरों को हानि) सम्भव नहीं है । नवें, इसमें मतदाताओं को अपेक्षाकृत यथेष्ट स्वतंत्रता का अनुभव होता है क्योंकि वे न केवल अपनी इच्छानुसार राजनीतिक दल को मत दे सकते हैं अपितु दल के नेताओं में से भी जिसको चाहें वोट दे सकते हैं । दसवें, कीप के अनुसार, इस प्रणाली के अपनाने से उन गैर-दलीय मतदाताओं का महत्त्व कम हो जाता है जो अन्यथा चुनाव के परिणामों पर बहुत प्रभाव डालते हैं । ग्यारहवें, इस अपनाने से मतदाताओं को विशेष राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है और सार्वजनिक नीतियों को समझने वृद्धने के अवसर मिल जाते हैं । बारहवें, हैनेट के अनुसार, हमारे अंतर्गत, वस्तुतः बहुसंख्यक शासन लागू होता है, अ यथा चुनाव की दूसरी प्रणालियों में इसका कोई आश्वासन नहीं होता कि जिस राजनीतिक दल को अधिक स्थान प्राप्त हो गए हैं उसे वास्तव

में जनता के बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त है। तेरहवें, हैलेट का कथन है कि इस प्रणाली से दलगत संगठन का प्रभाव कम हो जाता है और मतदाताओं को दल के संगठन पर प्रभाव डालने के अवसर मिल जाते हैं। चौदहवें, इस प्रणाली के अंतर्गत बारबार निर्वाचन-क्षेत्रों को नहीं बनाना पड़ता। मतदाताओं की संख्या के घटने बढ़ने पर प्रतिनिधियों की संख्या कम या अधिक कर दी जाती है। पंद्रहवें, इस प्रणाली को अपनाने से नेतृत्व और शासन में स्थायित्व आ जाता है जिसके कारण जिस नीति को अपनाया जाता है उससे परिणामों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है। सोलहवें, हैलेट के अनुसार, इस प्रणाली के अंतर्गत नेतृत्व के विश्वास में बहुत सहायता मिलती है। सत्रहवें, चुनाव की घोषणा नहीं चल पाती क्योंकि इस प्रकार के अवसर सीमित हो जाते हैं। अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली को अपनाने से चुनाव में सद्भाव और सहकारिता की भावनाएं पतपती हैं और वैरभाव पैदा नहीं होता।

तथाकथित कमियाँ और डोप—जिस प्रकार इस प्रणाली के प्रबल समर्थक हैं, ठीक उसी प्रकार उसके विरोधी भी हैं। इन विरोधियों का कहना है कि प्रथम, इस प्रणाली को अपनाने का एक दुष्परिणाम यह होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को सुगमता से बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा जिसके कारण शासन में अस्थिरता आ जाएगी। दूसरे, डाइसो और लास्की के मतानुसार, एक अच्छी शासन-प्रणाली के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें देश में प्रचलित सभी विचारों को प्रतिनिधित्व मिले। वस्तुतः ऐसा करने से शासन की नीति को निर्धारित करना तो कठिन हो ही जाएगा, शासन चलाना भी दूभर हो जाएगा। अतएव, इन विद्वानों का मत है कि देश में केवल प्रमुख विचारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तीसरे, चुनाव की यह पद्धति इतनी पेशीदा है कि सामान्य मतदाता इसे ठीक समझ भी न सकेगा और उसे राजनीतिक नेताओं के आदेश लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसके कारण राजनीतिक दला और नेताओं का प्रभाव अधिक होगा, कम नहीं। चौथे, विधानमंडल वादविवाद प्रतियोगिताएँ समाप्त नहीं होती अपितु नीति निर्धारित करने वाली उत्तरदायी सभाएँ होती हैं। अतएव, यह आवश्यक है कि चुनाव की प्रणाली ऐसी हो जिससे स्थिर सरकार बन सके और इस नीति अपनाई जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत ऐसा होना अत्यंत कठिन है। पाँचवें आदमी के कथनानुसार, इसमें अनेक छोटे छोटे दल बन जाएंगे जो एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे जिससे राष्ट्रीय हितों को हानि होगी। दसम दलगत गिरोहों को पृथक् होकर अलग अलग संगठन बनाने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। छठे, फाइनर का कथन है कि इस प्रणाली को अपनाने से मत-

दाताओं और प्रतिनिधि में जो निकट सम्पर्क और सद्भाव होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। सातवें, जिसके कारण अनेक छोटे-छोटे दल पैदा हो जाएंगे जिनसे राष्ट्र को कोई लाभ न होगा। निर्वाचन-क्षेत्र के बड़े होने से उम्मीदवारों के लिए बिना दल की पूरी सहायता के चुनाव लड़ना कठिन हो जाएगा। अतएव दल और उनके नेताओं का प्रभाव बढ़ जाएगा और सदस्यों के लिए स्वतंत्र मत बनाने रखना कठिन हो जाएगा। आठवें, फाइनर के अनुसार, इस प्रणाली के अंतर्गत शासन की प्रमुख नीतियों के बारे में चुनाव द्वारा कोई निश्चित निर्णय नहीं हो सकेगा और मतदाताओं तथा सरकार को स्पष्टतः यह पता नहीं लग सकेगा कि लोकमत किस पक्ष में है। इसका परिणाम यह होगा कि सुदृढ नीति बनाना और उस पर चलना दुष्कर हो जाएगा। नवें, एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव के अतिरिक्त उपचुनाव भी होते हैं जिनसे यह पता लग जाता है कि लोकमत सरकार के पक्ष में है या विरुद्ध है। लेकिन इस प्रणाली को अपनाने से उपचुनाव की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतएव, यह जानने का कोई सर्वमान्य ढंग न रहेगा कि लोकमत का रुख किधर है।

इस प्रथा के समर्थकों ने अपने आलोचकों को प्रयुक्त दिए हैं। उनका कहना है कि जहाँ भी इस प्रणाली को अपनाया गया है अम्यास में मतदाताओं को कोई कठिनाई नहीं हुई। जहाँ तक कि मतगणना का प्रश्न है उसके लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है। यह सत्य है कि इसमें चुनाव परिणाम घोषित करने में कुछ देरी हो जाती है किंतु इस न्यायपूर्ण प्रणाली को अपनाने से यदि एक दिन की देरी हो भी जाए तो इसे सहन कर लेना चाहिए। दूसरे, इनका कहना है कि यद्यपि यह ठीक है कि इतने बड़े निर्वाचन-क्षेत्रों में जनता से प्रतिनिधि बहुत निकट सम्पर्क नहीं रख सकते, तथापि निकट सम्पर्क से एक हानि भी है। अनेक बार प्रतिनिधि स्थानीय बातों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं और राष्ट्रीय मामलों पर कम। तीसरे, यदि इस प्रणाली को अपनाने में कुछ अधिक खर्च भी आ जाए तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चौथे, इस प्रणाली के पेशीदेपन की चर्चा करते हुए रैमज्जे ग्योर कहते हैं कि यदि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो अपने उम्मीदवारों के नामों को भी याद नहीं कर सकते तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि ऐसे नागरिक मतदान से वंचित रह जाएँ? पाँचवें, तीस के अनुसार, इस प्रणाली में अर्बंघ मतों की सरया अधिक नहीं होगी। छठे, उनके अनुसार शासन अक्षत नहीं होगा और नागरिकों का बहुमत भी निरकुशता से भी बचाव हो जाएगा। सातवें, हैटेट के अनुसार इस प्रणाली को अपनाने से शासन वही अस्थिर और अक्षत नहीं हुआ।

इन प्रणालियों को अपनाना या न अपनाना देश की राजनीतिक स्थिति,

जनता की राजनीतिक चेतना एवं प्रौढता और जनता के शिक्षित होने पर निर्भर है।

5. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत की अपनी विशेषता है। यहाँ अंग्रेजी शासन ने धार्मिक आधार पर प्रमुख घर्मावलिम्बियों को पृथक् प्रतिनिधित्व दिया। सर्वप्रथम सन् 1906 ई० में मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया, तत्पश्चात् अन्य घर्मावलिम्बियों को भी पृथक् प्रतिनिधित्व दे दिया गया, यहाँ तक कि सन् 1935 ई० के संविधान के अंतर्गत सिन्धियों, व्यापारियों, जमींदारों आदि को भी पृथक् स्थान दे दिए गए। यही नहीं, कुछ अल्पसंख्यकों को अनुपात से भी अधिक सीटें दे दी गईं। अंग्रेजी शासन में इस प्रकार के पृथक् प्रतिनिधित्व देने का मूल कारण साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करना था। अंग्रेजी राज्य 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति पर चलता था। इसके कारण साम्प्रदायिकता का त्रिप धीरे-धीरे इतना फंला कि सभी विधानागों में, यहाँ तक कि स्थानीय बोर्डों और सरकारों नौकरियों में भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग की जाने लगी। समाज में कटुता इतनी अधिक बढ़ गई कि आगे चलकर मुस्लिम लीग ने अपना दावा पेश किया कि भारतीय मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र हैं और यह माँग की कि उनका एक पृथक् राज्य होना चाहिए। और अंत में पाकिस्तान बन कर रहा।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विरोध में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। पहले, यह धार्मिक कटुता पैदा करता है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब प्रतिनिधि धार्मिक आधार पर चुने जाएँगे तो उसका परिणाम यही होगा कि जो जितनी कटुता और घर्मावलिम्बिता की दानें करेगा उसी को अधिक मत मिलेंगे। इससे धार्मिक विद्वेष का बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरे, इसके कारण सामान्य राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि साम्प्रदायिक प्रतिनिधि मनुष्यवृत्तियों की बात पहले सोचते हैं। तीसरे, इसके कारण सहिष्णुता और समझौता करने की भावना का लोप हो जाता है। साम्प्रदायिक उत्तेजना बढ़ती है और अल्पसंख्यकों की माँग बढ़ती जाती है। चौथे, यह प्रणाली अराष्ट्रीय और जलोक-तन्त्रीय है क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मान्यता देती है। पाँचवें, इससे अल्पसंख्यकों को विषय नाम नहीं होता। उन्हें भले ही अपनी सख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाए, किंतु वे कभी कटुता में नहीं आ सकते। ऐसी दशा में यदि मधुवन निर्वाचन प्रणाली ही तो वे बहुसंख्यक समुदाय से प्रतिनिधियों को चुनने में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। किंतु यदि उनको पृथक् प्रति-

निधित्व मिला हुआ है तो वे केवल कुछ सीटों के लिए अपने व्यक्ति चुन सकते हैं। यही नहीं, पृथक् प्रणाली में उन्हें बहुसंख्यकों से कोई सहानुभूति की आशा करने का अधिकार नहीं होता, यह वाग दूसरी है कि बहुसंख्यकों के प्रतिनिधि स्वेच्छा से उनके अधिकारों और हितों का ध्यान रखें। छठे इससे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन बहुत बदला हो जाता है और राजनीतिक दल भी धर्म के आधार पर बनने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि राजनीतिक दल सामाजिक और आर्थिक आधार पर बनें तो सम्भव है कि आज का अल्पमत आगे चलकर कल का बहुमत बन जाए। किंतु धर्म पर आधारित अल्पमत बहुमत नहीं बन सकता। सातवें, क्योंकि अल्पसंख्यक कभी पदारूढ नहीं हो सकते, अतएव उनके राजनीतिक कार्य ध्वसात्मक हो जाते हैं, जैसा कि हमारे देश में हुआ। जो होना था वह हो गया, किंतु यदि इस विषय-क्षेत्र को हम समूल नष्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें इसके भयंकर परिणामों को भुगतना पड़ेगा। हर्ष की बात है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर दिया गया है। केवल अनुसूचित जातियों के लिए अतिरिक्त काल में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। किंतु इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि यह पृथक् प्रतिनिधित्व भी आगे चल कर समाप्त हो जाए। यहीं नहीं, ससद् ने एक प्रस्ताव पारित कर अपना मत प्रकट किया है कि वह साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों के संगठन को आदर की दृष्टि से नहीं देखता। इस सवध में कुछ कानूनी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, किंतु इन कानूनों में कुछ कमियाँ हैं जिनके कारण इस रोक को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। आवश्यकता इस बात की है कि इस दोष को दूर कर दिया जाए जिससे साम्प्रदायिकता का वृक्ष फिर कभी नए सिरे से हमारे देश में न पनप सके।

6. वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व (Functional Representation)

अधिकतर देशों में प्रतिनिधित्व प्रादेशिक (territorial) आधार पर होता है अर्थात् एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले मतदाता कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं। इस पद्धति की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। इनमें से रूसो जैसे विद्वानों की आलोचना बुनियादी है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र असंगत है। हम यहाँ इन विचारों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि साधारणतः समकालीन विचारक यह स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र को लागू करने का प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरे विद्वान वे हैं जो कि प्रतिनिधित्व के प्रादेशिक आधार की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि

एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह आशा करना कि राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में एक व्यक्ति अपने निर्वाचकों का समुचित प्रतिनिधित्व कर सकेगा, निराधार है। अतएव, यह माँग की जाती है कि प्रतिनिधित्व वृत्ति के आधार पर होना चाहिए, अन्यथा प्रतिनिधि सभाएँ व्यर्थ हैं। अग्रेज विद्वान जी० डी० एच० कोल¹ तथा बेंब दम्पति ने वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। इस प्रणाली के अन्य समर्थकों में ग्रेहम वैंलास और विलियम मेकडोनेल्ड भी हैं। कोल के मतानुसार, सच्चा लोकतंत्र एक सर्वशक्तिशाली प्रतिनिधि सभा पर आधारित नहीं होना चाहिए, अपितु अनेक प्रतिनिधि सभ्याओं पर होना चाहिए जो विभिन्न पहलुओं पर विचार करें और जिनके विचारों का समन्वय करने का उचित प्रबंध हो। बेंब दम्पति ने अपनी एक पुस्तक में यह सुझाव दिया है कि इंग्लैंड में एक के स्थान पर दो ससद् होनी चाहिए, एक सामाजिक और आर्थिक मामलों के लिए और दूसरी राजनीतिक बातों से संबंधित। इसमें से दूसरी ससद् का आधार प्रादेशिक हो सकता है। इससे कुछ मिलता जुता डम इटली में फासिस्टों ने अपनाया। नाज़ी संविधान में भी इस प्रकार की कुछ व्यवस्था थी।

वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व के मार्ग में कुछ बाधाएँ हैं। पहले, इसमें आर्थिक पक्ष का प्रतिनिधित्व तो ठीक ठीक हो जाएगा किंतु अन्य क्षेत्रों में क्या होगा? दूसरे यदि विधानाग को इस आधार पर संगठित किया जाए तो कितने सदन बनाए जाएँ? इस सम्बन्ध में इस पद्धति के समर्थकों में भी अनेक मतभेद हैं। तीसरे, इनकी सभ्या के सम्बन्ध में मतभेद भी हो जाए, तो प्रश्न यह उठता है कि उनके अधिवार क्या हो और उनके विचारों को कैसे समन्वित किया जाए? फिर क्या इन सब सदनों की शक्ति एक समान होगी? यदि नहीं, तो किसकी शक्ति अधिक होगी? जिस सदन की शक्ति अधिक होगी, क्या वह सर्वोपरि नहीं हो जाएगा? उक्त प्रश्नों का कोई सतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं मिल सका। चौथे इस पद्धति की अपनान से लोग राष्ट्रीय हितों पर अधिग्रहण न देंगे बल्कि अपने सङ्कुचित हितों को प्रधानता देने लगेंगे। पाँचवें, अभी तक ऐसी कोई सर्वप्रथम योजना नहीं बनी जिसके अंतर्गत विभिन्न वृत्तियों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। मजदूरों और मिल मालिकों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए? अधिकतर स्थियाँ गृह-कार्य में लगी रहती हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए या नहीं? और यदि दिया जाए तो किस आधार पर? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें गुलभाना आमान नहीं है। छठे, बाथर्नमी के मतानुसार, यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही वृत्ति के लोगों के विचार एकसमान होंगे।

¹ देखिए *Guild Socialism Restated*, पृ 32-34.

यस्तुतः यह भी सम्भव हो सकता है कि एक ही व्यवसाय के व्यक्ति अपनी वृत्ति वाले व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनना पसन्द न करे। यदि ऐसा हो तो उन्हें इसके लिए बाध्य क्यों किया जाए ? सातवें, उन लोगों की व्यवस्था क्या होगी जो कभी एक काम करते हैं और कभी दूसरा। आठवें, इस प्रकार बने सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे निर्धारित होंगे और उन की नीतियों तथा विचारों में कैसे समन्वय किया जाएगा ? उपर्युक्त कठिनाइयों को देखते हुए वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया जा सकता, भले ही संज्ञात्मक दृष्टि से यह पद्धति आवश्यक हो।

7 मतदाताओं और प्रतिनिधियों के सम्बन्ध

एक प्रश्न यह उठता है कि प्रतिनिधि का अपने निर्वाचकों के साथ क्या सम्बन्ध होना चाहिए। इस सम्बन्ध में दो विचार हैं। एक तो यह कि एक बार चुन लिए जाने के बाद प्रतिनिधि को पूरी स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करे। यदि उसे लोकमत और अपने राजनीतिक भविष्य का ध्यान है तो वह स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो उसके निर्वाचकों की दृष्टि के विरुद्ध हो। प्रतिष्ठ राजनीतिक बर्तन इसी मत के समर्थक थे। इससे विपरीत दूसरा मत यह है कि प्रतिनिधि केवल अपने विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि एक पूरे निर्वाचन-क्षेत्र और साथ ही अपने राजनीतिक दल का भी प्रतिनिधित्व करता है। अतः वह इन दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकता और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव इस बात का ध्यान रखे कि उसके निर्वाचकों की क्या दृष्टि है और उससे दल के क्या विचार हैं और उनके अनुकूल कार्य करे, स्वतन्त्र रूप में नहीं। कुछ लोगों ने दूसरे विचार की आलोचना की है। उनका कहना है कि किसी राष्ट्रीय प्रश्न पर निर्वाचकों का मत जानना सरल नहीं है। दूसरे इस काम में देरी भी लगती है। तीसरे, यदि प्रतिनिधि की व्यक्तिगत राय अपने निर्वाचकों की राय से भिन्न है तो वह अपने विचारों के अनुकूल आचरण करे या निर्वाचकों की बात माने, मुख्यतः उस दशा में जब निर्वाचकों की निर्दिष्ट राय जानना कठिन हो ? चौथे, यदि यह कथन लगाया गया तो आत्मसम्मानप्रिय व्यक्ति चुने जाना पसन्द नहीं करेंगे। पाँचवें, यदि प्रतिनिधि को एक डेमीगैट का ही रूप देना है (अर्थात् प्रत्येक काम में उसे अपने निर्वाचकों का आदेश मानना है) तो फिर क्यों न जनमत-समूह की प्रणाली अपना ली जाए ? छठे, डेमीगैट होने की स्थिति में सदस्यों को स्थानीय बातों पर अधिष्ठान देना होगा जिससे राष्ट्र के हितों की शक्ति पहुँच सकती है।

बीसवीं शताब्दी में इस समस्या ने एक नया रूप ले लिया है। अब राजनीतिक दल इतने संगठित और सुदृढ़ हो गए हैं कि अधिकतर सदस्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं और चुने जाने के पश्चात् उन्हें अपने दलों के आदेशों को मानना होता है। अतएव, प्रश्न केवल यह ही नहीं रह गया कि सदस्य अपने निर्वाचकों की बात मानें, अपितु यह हो गया है कि किस सीमा तक वे अपने दल के आदेशानुसार काम करें। रैमजे ग्योर का विचार है कि सदस्यों को विशेष स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि भिन्न विचार होने पर वे स्वतंत्रतापूर्वक उसका प्रकाशन कर सकें। लास्की के मतानुसार, इस प्रकार की स्वच्छदता देने से राजनीतिक दलों का अनुशासन समाप्त हो जाएगा, सरकारें अस्थिर हो जाएंगी और राष्ट्रीय नीतियों को दृढ़तापूर्वक लागू नहीं किया जा सकेगा। अभी तक लोकतंत्र प्रणाली की यह एक कमी रही है कि उसमें सरकार स्थिर नहीं रहती और वे दृढ़ नीति नहीं अपना पाती। यदि उपर्युक्त बात मान ली जाए तो दशा और भी विगड़ जाएंगी। फिर लास्की कहते हैं कि सदस्य दल में इसलिए आते हैं कि अधिकतर बातों में वे दल से सहमत हैं। असहमति का प्रश्न केवल कुछ बातों में होता है। ऐसी दशा में राष्ट्रीय दृष्टि से यह अधिक अच्छा होगा कि ये अनुशासन को मानें और दल के आदेशानुसार कार्य करें। नहीं तो परिणाम यह हो सकता है कि सदन में सरकार की हार हो जाए और नए चुनाव कराने पड़ें। निश्चय है, अनेक दल से किसी सदस्य के कितने ही मतभेद हों, विपक्षियों से उसके मतभेद उससे भी अधिक होंगे और वह यह नहीं चाहेगा कि विरोधी दल सत्तास्थ हो जाए। अतएव, यह उचित प्रतीत होता है कि सामान्यतः सदस्य अपने दल के आदेशानुसार कार्य करें। किन्तु यदि उसका दल उस कार्य में त्रुटि के त्याग दे जिसके आधार पर चुनाव लड़े गए हैं तो उसे इस बात की छूट होनी चाहिए कि वह दल के आदेशों का पालन न करे।

राजनीतिक दल और हित-गुट

लोकतंत्र में राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विशेष समर्थन क्यों किया जाता है, इसे समझकर हम गुप्तद्वी और सामाजिक सदस्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे, विशेष समर्थन करने वाले व्यक्तियों को पहचान सकेंगे, उनकी तकनीक का विवेचन कर सकेंगे और उनके उद्देश्यों की जाँच कर सकेंगे, समकालीन समाज के उद्देश्यों और मूल्यों की दृष्टि से हम उनके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे और यह भी देख सकेंगे कि व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से ये कहीं तक मान्य हो सकते हैं।

—टॉटन जे० एन्डरसन

यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र का युग है। इसके मुद्दाएँ रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है कि समान विचार वाले नागरिक मिलजुल कर काम करें। यदि जनता के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों में संगठित नहीं होंगे तो विधानाग में विविध विचार वाले असंगठित व्यक्तियों के लिए, विचार विमर्श के उपरांत किसी निश्चय पर पहुँचना बहुत कठिन हो जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि बिना राजनीतिक दलों के अस्तित्व के प्रतिनिधिक सरकार मुद्दाएँ रूप से नहीं चल सकती। अमरीकी संविधान के निर्माताओं ने यह अभिमत प्रकट किया था कि यदि राजनीतिक दल न हों तो सम्भवतः शासन-कार्य लोकहित के अनुरूप हो सकेगा, किन्तु थोड़े ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि यह धारणा भातिपूर्ण है, और धीरे धीरे वहाँ भी राजनीतिक दलों की मायता प्राप्त हो गई है।

1. राजनीतिक दल की परिभाषा और स्वरूप

राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ

समस्याओं के रूप और उनके समाधान के सम्बन्ध में एकमत हैं और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिल कर बंध डग से काम करने का निश्चय कर लिया है। मैटिल के कथनानुसार, राजनीतिक दल ऐसा व्यक्ति समूह होता है जो किसी सीमा तक संगठित है और जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का उपयोग करते हुए सत्ताह्वद होने का प्रयत्न करता है जिससे वह अपनी नीतियों को कार्यरूप दे सके¹। मैकी-वर के कथनानुसार, यह एक ऐसा व्यक्ति समूह है जो किन्हीं सिद्धांतों अथवा नीतियों के समर्थन के लिए संगठित है और सविधानी साधनों द्वारा उन्हें शासन की नीति बनाने का यत्न करता है। सिजविक के अनुसार, राजनीतिक दल, क्षणिक अवसरों के लिए नहीं, लम्बी अवधि के लिए संगठित किए जाते हैं। बर्क के अनुसार, राजनीतिक दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के लिए काम करना है। उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से राजनीतिक दलों के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं (1) लम्बी अवधि के लिए संगठन, (2) कतिपय सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति, (3) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शानिपूर्ण और सविधानी उपाय अपनाने का विचार (कुछ राजनीतिक दल बलप्रयोग पर भी विश्वास करते हैं), और (4) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्यरूप देने की लालसा। अतः यह स्पष्ट है कि मोटे रूप में एक राजनीतिक दल के सदस्यों के समान विचार होने चाहिए। यदि बुनियादी बातों पर वे एकमत हों तो अन्य विस्तार की बातों में मतभेद हो सकते हैं। प्रत्येक बड़े राजनीतिक दल में प्रायः कई पक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक ओर वाम पक्ष (Leftists) है तो दूसरी ओर एक अनुदार पक्ष (Rightists) भी है और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे सदस्य और नेता हैं जो केंद्र की स्थिति में हैं अर्थात् वे इन दोनों पक्षों में से किसी के साथ नहीं हैं बल्कि मध्यम मार्ग अपनाते हैं। यही स्थिति अन्य राजनीतिक दलों में भी है।

राजनीतिक दल और गुटबंदी में एक बड़ा भेद है जिसकी ओर बर्क ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। राजनीतिक दल हमेशा राष्ट्रीय हित में काम करते हैं जबकि गुटों के सदस्य अपने व्यक्तिगत अथवा वर्ग-हित का साधन करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवहार रूप में अब इस भेद की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसका एक कारण यह है कि जो सङ्घुचित दृष्टिकोण से राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति समूह या गुट हैं, वे भी अब यह आभास देते हैं कि वे लोकहित की दृष्टि से काम कर रहे हैं।

राजनीतिक दलों का विकास—जेम्स मैटिल के कथनानुसार, राजनीतिक दल

लोकतन्त्रीय प्रणाली से भी अधिक प्राचीन हैं। प्राचीन यूनान और रोम में दलबन्दी थी और दलगत भावनाएँ थी, और इसी प्रकार मध्यकालीन यूरोप में भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलबन्दी चलती थी। तथापि यदि आधुनिक दृष्टि से इन ऐतिहासिक दलों को माँका जाए तो ये गुटों में गिने जाएँगे, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से वर्ग स्वार्थ के लिए कार्य करते थे। आधुनिक दल इन प्राचीन गिरोहों से भिन्न हैं और इनका प्रारम्भ इंग्लैंड में हुआ। यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दल अन्य देशों के दलों के पूर्वगामी हैं। इंग्लैंड में स्टुअर्ट युग में राजनीतिक दल संगठित हुए। इन्हीं क्रमशः 'राउड हैड्स' और 'कैवेलियर्स' कहते हैं। बाद में ये अपने नाम बदलकर व्हिग और टोरी बन गए। जार्ज तृतीय के शासन काल के अन्त तक जाते जाते अनुदार दल और उदार दलों की स्थापना हो गई जो अभी तक बने हुए हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक नए मजदूर दल का जन्म हुआ। आज इंग्लैंड में दो प्रमुख दल हैं— अनुदार दल (Conservative Party) और मजदूर दल (Labour Party) इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा छोटा सा दल है, उदार दल (Liberal Party)।

जैसा कि हम कह चुके हैं अमरीकी संविधान निर्माताओं की यह धारणा थी कि दलगत भावना राष्ट्र को हानि पहुँचाती है। अतः वे इनके संगठन के विरुद्ध थे। तथापि जैसे ही संविधान निमित्त हुआ उसके पक्ष और विरोध में दो पक्ष बन गए और आगे चलकर राजनीतिक दलों ने अनेक रूप बदले। सोवियत संघ में जब जार का शासन समाप्त हुआ तो बोल्शेविकों के नेता लेनिन का यह विचार था कि सभी कामपक्षी और राष्ट्रीय दलों के सहयोग से सरकार बनाई जाए। किंतु गृह युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के कारण लगभग अन्य सभी राजनीतिक दल विरोधियों से जा मिले जिसके कारण बोल्शेविकों को अपनी दलीय सरकार बनानी पड़ी और उसके बाद सोवियत संघ में अन्य दलों को स्वतंत्र रूप से संगठित होने का अधिकार नहीं मिला। भारत में अब छोटे-बड़े अनेक राजनीतिक दल बन गए हैं। जब तक हमारा स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' एक प्रमुख राजनीतिक संगठन थी। इसके अतिरिक्त, एक उदार दल था और तीन साम्प्रदायिक दल थे जिनके नाम थे, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अक्वली दल। प्रादेशिक स्तर पर और भी छोटे-छोटे दल थे। किंतु द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके बाद अनेक अन्य दल स्थापित हो गए। उदाहरण के लिए, माम्मदादी दल, समाजवादी दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी आदि। इनमें से कुछ दलों की नीति इतनी अस्पष्ट है कि यह कहना कठिन है कि इसमें से कौन दल किन सिद्धांतों और नीतियों का समर्थन करता है।

दलों का आधार—ब्राइस के मतानुसार, प्रत्येक जनसमुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विचार परस्पर-विरोधी होते हैं। इन विचारों के प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं और अन्य नागरिक इनका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर यही लोग संगठित राजनीतिक दल बना लेते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की चार प्रवृत्तियाँ हैं—सहानुभूति, अनुकरण, प्रतिरोध और स्पर्धा। इन्हीं के कारण व्यक्ति-समूह सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पृथक् संगठन बना लेते हैं।

राजनीतिक दल कभी कभी धार्मिक और नस्ली भेद के आधार पर संगठित किए जाते हैं। किंतु एक लोकतंत्रीय समाज में इस प्रकार के राजनीतिक दल श्रेयकर नहीं होते। वे विद्वेष के प्रचार में लगे रहते हैं और कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। अतएव यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल सामाजिक और आर्थिक नीतियों के आधार पर संगठित हों। अन्य समस्याएँ यदि देश के लिए महत्वपूर्ण हैं तो उनको भी लिया जा सकता है, किंतु वे गौण होनी चाहिए। एक पराधीन देश में राष्ट्रीयता का आधार लेकर और स्वाधीनता का लक्ष्य सम्मुख रहकर राजनीतिक संगठन किए जाते हैं। भारत में 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' ऐसा ही संगठन था। तथापि स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात् हमारे राष्ट्रनिर्माता, श्री मोहनदास करमचन्द गांधी ने अपने अंतिम लेख में यह मत प्रकट किया कि यद्यपि हम राजनीतिक रूप से स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं, तो भी अभी हमें सच्चे अर्थ में स्वराज्य पाने के लिए बहुत काम करना शेष है। उन्होंने आदेश दिया कि अब लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता के हेतु कार्य करना चाहिए¹। खेद की बात है कि कानून का निषेध होने पर भी हमारे देश में अभी भी साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दल बने हुए हैं। अच्छा हो यदि सभी राजनीतिक दलों का आधार सुनिश्चित आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम हो जिससे जनता यह समझ सके कि वे हमारे देश की किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारे देश में जाति-प्रथा का राजनीति पर बहुत प्रभाव है। जब तक इस भावना को हम समूल नष्ट नहीं कर देंगे, भारतीय लोकतंत्र कभी नहीं पनप सकता। स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयता पर भाषण देते हुए यह विचार प्रकट किया था कि राष्ट्रीयता के लिए वैयक्तिक समानता की भावना आवश्यक है। जाति-प्रथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक भारत में ऐसे सर्व-वर्त-

¹ देखिए लेखक की पुस्तिका, यादू का बलिदान हमारे लिए खुली चुनौती है, अगारा, 1948, पृ 1-3

मान है जो जाति के आधार पर एक दूसरे के साथ खान-पान, शादी-बिवाह आदि नहीं करते, यहाँ तक कि एक दूसरे के सम्पर्क से घृणा करते हैं, समानता, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की नीवें दृढ़ आधार पर स्थित नहीं हो सकती ।

2. राजनीतिक दलों के कार्य

हम देख चुके हैं कि आधुनिक लोकतन्त्रीय शासन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है । कुछ विद्वानों ने इसे लोकतन्त्र के लिए 'रीढ़ की हड्डी' के सदृश बताया है । राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । मेरियम ने इनके पाँच प्रमुख कार्य बताए हैं (1) पदाधिकारिया का चुनाव, (2) नीति निर्धारण, (3) शासन का संचालन अथवा उसकी सृजनात्मक आलोचना, (4) राजनीतिक प्रचार और शिक्षण, तथा (5) व्यक्ति और सरकार के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने में सहायता देना । मुनरो ने भी दलों के ऐसे ही कार्य बताए हैं । उसकी सूची में एक कार्य उल्लेखनीय है, सामूहिक और व्यक्तिगत राजनीतिक उत्तरदायित्व की स्थापना । नीचे हम इन कार्यों पर संक्षेप में विचार करेंगे ।

इनका प्रमुख कार्य अपने सिद्धांतों के अनुसार जनता के 'सम्मुख एक निश्चित दृष्टिकोण, नीति और कार्यक्रम उपस्थित करना है और साथ ही, हर सम्भव उपाय द्वारा जनता में अपने विचारों का प्रचार करना है । इसके लिए वे सभाएँ और प्रदर्शन करते हैं, लेख और पुस्तिकाएँ लिखते हैं, समाचार-पत्र निकालते हैं, तथा अन्य उपायों द्वारा प्रचार करते हैं । इन सबका उद्देश्य यह होता है कि जनता में अपने अनुयायियों और समर्थकों की संख्या को बढ़ाया जाए । दूसरे, इनके प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है । नीतियों की अच्छाईयाँ बुराईयाँ परखने का अवसर मिलता है और राजनीतिक चेतना फैलती है । तीसरे, प्रत्येक दल ऐसे कार्य करता है जिससे उसका प्रभाव बढ़े और वह सत्तास्थ होकर अपना कार्यक्रम को साकार रूप दे सके । इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार सँभेरते हैं, मतदाताओं की सूची बनवाने में सहायता देते हैं, प्रचार करते हैं और चुनाव में समर्थन की प्रार्थना करते हैं । यह सब इसलिए किया जाता है कि उनके उम्मीदवारों की चुनाव में विजय हो । चौथे, चुनाव में विजय प्राप्त होने पर दल शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेना है और अपना कार्यक्रम पूरा करने का प्रयत्न करता है । गुगठिन राजनीतिक दलों ने अपने दोष विभाज्य होते हैं जिनका काम यह रोज करते रहना होता है कि उनके दल द्वारा मान्य नीतियाँ और सिद्धांतों को कैसे साकार रूप दिया जा सकता है ।

इसका साम यह है कि जब दल सत्ताह्व होता है तो उसे पहले से यह ज्ञान होता है कि उस अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। पाँचवें, यदि चुनाव में दल को बहुमत प्राप्त न हो और उसे विरोध-पत्र ग्रहण करना पड़े तो भी उसके कार्य का महत्व कम नहीं हो जाता। विरोधी-पक्ष के रूप में उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह सरकार को सचेत रखे। उनका कार्य जनता के दुख दर्द को विधानाग में प्रस्तुत करना है और सरकारी नीतियों और बिलों में सुधार के प्रस्ताव रखना है। उसका प्रयत्न यह होता है कि वह पदाह्व दल की भूलों से पूरा लाभ उठाए। वह सरकारी बानूना और शासन प्रबंध की खरादियाँ बताता है और इस बात के लिए तत्पर रहता है कि यदि पदाह्व दल किसी कारणवश त्याग पत्र दे दे तो वह स्वयं शासन-प्रबंध सम्भाल ले। छठे, सत्ताह्व राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न विभागों और अंगों में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है। साथ ही, वह सरकार और जनता का निवृत्त सम्पर्क बनाए रखता है। उत्तरदायी शासन में यह कार्य अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि उसमें विधानाग और मंत्रिमंडल दोनों में सत्ताह्व दल का आधिपत्य होता है। किन्तु अनुत्तरदायी सरकारों में (विशेषतः यदि वे दक्षिण पृथक्ता के सिद्धांत पर संगठित हों) यह कार्य कुछ कठिन हो जाता है और सरकारी विभागों में गति-रोध होने का डर रहता है। सातवें, राजनीतिक दल अपने दृष्टिकोण से सरकारी कामों की व्याख्या करते हैं। वे नागरिकों को समझाते हैं कि उनका दल लोकहित में क्या कर रहा है और आगे क्या करना चाहता है। दूसरी ओर, वे जनता के विचारों, उनकी कठिनाइयों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को सरकार के कानों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आठवें, उनका कार्य अपने सदस्यों को संगठित और अनुशासित रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी राजनीतिक दल उन्नति नहीं कर सकता। नवें, वह अपने पदाधिकारियों का चुनाव करता है और विधानाग एवं कार्यार्ग के लिए दल के उम्मीदवारों को मनोनीत करता है। दसवें, उसका एक प्रमुख कार्य यह है कि सामान्य विचारों वाले नागरिकों को एक ही संगठन के अंतर्गत लाए। कोई भी राजनीतिक दल उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वह नए-नए सदस्यों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता। अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

3 राजनीतिक दलों के गुण-दोष

आधुनिक लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दलों की उपयोगिता स्पष्ट है। पहले, बिना राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सरकार नहीं चल सकती। यदि राजनीतिक दल न हों तो विधानाग में जितने भी सदस्य होंगे

उतने ही मत होंगे। अतः विचार-विमर्श में बहुत समय लगेगा और फिर भी विधानाग का किसी निश्चय पर पहुँचना दुष्कर होगा। दूसरे, सगठित दलों के अभाव में व्यक्तिगत और वर्गीय हितों को महत्त्व मिलेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपने स्वार्थ-साधन के लिए गुट बना लेंगे और जनहित की उपेक्षा करेंगे। इसके विपरीत, राजनीतिक दल सङ्कुचित हितों के स्थान पर लोकहित पर ध्यान देते हैं और व्यक्तिगत बातों के स्थान पर निश्चित नीति और कार्य क्रम के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरे, राजनीतिक दलों के अभाव में सरकारों की स्थिरता नष्ट हो जाएगी। रोज नए-नए गुट बनते-बिगड़ते रहेंगे और सरकारें भी बदलती रहेंगी। सगठित राजनीतिक दल इस प्रकार की अव्यवस्था और अस्थिरता का अंत कर देते हैं और चुनाव के परिणामों के आधार पर स्थिर सरकारें बन सकती हैं। चौथे, राजनीतिक दलों के कारण कानून बनने से पहले बिलों पर अच्छी तरह विचार हो जाता है। इससे समय की बचत भी हो जाती है। सगठित दलों के प्रतिनिधि अपनी बातों को विधानाग के सम्मुख रखते हैं और बोरे वाद-विवाद में समय नष्ट नहीं होता। पाँचवें, राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधानाग में एक सजग विरोधी दल भी रहता है जो सरकारी कामों पर आलोचनात्मक दृष्टि रखता है। अतः शासन को सावधानी रखनी होती है जिससे विरोधी पक्ष को आलोचना करने के कम-से-कम अवसर मिलें। वस्तुतः विरोधी पक्ष को आलोचना करने की स्वतंत्रता देना इस बात की गारंटी है कि शासन निरकुश नहीं होगा। छठे, राजनीतिक दलों के कारण नागरिकों में राजनीतिक चेतना फैलती है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिलती है। सातवें, नागरिकों को साम्प्रदायिक, धार्मिक, और नस्ली भेदभावों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्याओं को देखने-समझने में राजनीतिक दल सहायता देते हैं। अतः नागरिकों का दृष्टिकोण सीमित और उनकी मनोवृत्ति सङ्कुचित न रह कर व्यापक बन जाती है। आठवें, इन दलों ने यह सम्भव कर दिया है कि विभिन्न सरकारी विभाग और अंग सहकारिता और सामंजस्य के साथ काम करें। नवें, इन दलों ने मतदाताओं के काम को सरल बना कर लोकतंत्र को एक व्यवस्थित रूप दे दिया है और इस प्रकार उसे सफल होने में सहायता दी है। दसवें, अनेक राजनीतिक दल ऐसे परोपकारी और रचनात्मक कार्य भी करते हैं जिनका राजनीति से विशेष सम्बन्ध नहीं होता। ये कार्य बहुधा समाज-सेवा का होता है। राजनीतिक दलों के अभाव में यह कार्य भी अपूरा रह जाएगा। ग्यारहवें, राजनीतिक दलों के अपने शोध-विभाग होते हैं जिनमें महत्त्वपूर्ण अनुसंधान होते रहते हैं। इनका उद्देश्य तथ्य और विचार प्रस्तुत करना है जिनके आधार पर दल अपनी नीति निर्धारित कर सकें और अवसर आने पर उसे साकार रूप दे सकें।

जहाँ राजनीतिक दलों की उपघोषिता है, वहाँ उनके दोष भी हैं। पहले, वे समाज में गुटबंदी पैदा करते हैं और देश के वातावरण को कट्टी और विषाक्त बना देते हैं जिनका प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर बहुत बुरा होता है। दूसरे, इनके कारण शासन दलीय बन जाता है अर्थात् चुनाव जीतने के पश्चात् जब सत्ता बहुसंख्यक दल के हाथों में आ जाती है, तो वह केवल अपने दल के लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करता है। विरोधी पक्ष के व्यक्ति चाहे जितने योग्य हों, उनकी सेवा से लाभ उठाना दल की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है। प्रायः विरोधी-पक्ष भी सत्ताहट दल को सक्रिय सहयोग देने को उत्सुक नहीं होता क्योंकि वह आलोचना करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है। तीसरे, इसका परिणाम दलबंदी की संकुचित भावना के रूप में प्रकट होता है जिससे प्रभावित होकर लोग राष्ट्रीय हित को भुला देते हैं और संकुचित दलगत स्वार्थों और हितों का ध्यान रखते हैं। चौथे, दलबंदी की भावना का एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि विरोधी-पक्ष उचित-अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य का विरोध करता है। वह इसी धुन में रहता है कि जैसे भी हो सरकार को अपयज्ञ मिले जिससे उसे सत्ता हस्तगत करने का अवसर मिले। ब्राइस के शब्दों में, 'विधानाग एक असादा बन जाता है... जिसमें देश के हित भुला दिए जाते हैं'। वस्तुतः दलों का कार्य नासमझी से शासन का विरोध करना नहीं है बल्कि क्रियात्मक आलोचना करना है। अर्थात् यह दोष दलबंदी का नहीं अपितु राजनीतिक शिक्षा और चेतना की कमी का है। पाँचवें, दलबंदी के कारण केवल विधानाग ही नहीं अपितु सारा देश दलों में बँट जाता है और इनमें आपस में बहस-मुनी और भगड़े होते रहते हैं। देशभक्ति का विचार पीछे पड़ जाता है और दलबंदी की भावना उग्र हो उठती है। कभी-कभी गुण-दोषों पर विचार किए बिना अपने दल का समर्थन और विपक्षियों का विरोध किया जाता है। छठे, दल अपने स्वार्थ साधन के लिए झूठे और गंदे प्रचार का आश्रय लेते हैं, सनसनीदार समाचार देते हैं और बड़ैमानी तथा हिंसापूर्ण उपाय अपनाने में भी संकोच नहीं करते। सातवें, दल के बटोर अनुशासन के कारण स्वतंत्र विचार और कार्य की सम्भावना नहीं रहती, और अनुशासन के नाम पर व्यंगियों की स्वतंत्रता का अपहरण हो जाता है। आठवें, दलगत शासन में बहुत पक्षात् और गच्छदियाँ होती हैं। सरकारी पदों और नौकरियों पर अपने मित्रों, सम्बन्धियों और दल के साधियों को भर दिया जाता है। जिसका प्रभाव देश के शासन पर बहुत बुरा पड़ता है। कार्य-क्षमता में कमी आ जाती है और सिद्धांतों को छोड़ कर अतिगत सम्बन्धों के आधार पर शासन होने लगता है। नवें, कुछ महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता दल के संगठन पर अधिकार कर लेते हैं और

उसे अपने स्वार्थ-साधन का एक अस्त्र बना लेते हैं। ये लोग दल के नाम पर वैध और अवैध काम करते रहते हैं और साधारण सदस्यों की कोई सुनाई नहीं होती। दसबैं, कभी-कभी लोकमत को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे कानून पास कर दिए जाने हैं जो हानिकारक होते हैं, और आवश्यक बिलों को इसलिए रोक लिया जाता है कि दल के प्रमुख और प्रभावशाली समर्थक उनके अनुकूल नहीं हैं। इस प्रकार लोकमत को शिक्षित करने के स्थान पर दल अपने समर्थकों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं जिससे सार्वजनिक हित को हानि होती है। ग्यारहवें, दल के नेता जिन घनिक लोगों से आर्थिक सहायता लेते हैं, प्रायः गुप्त रूप से वे उनसे समझौते कर लेते हैं। इससे घनिक वर्ग को लाभ होता है और जनता अंधेरे में रहती है। फाइनेर ने राजनीति पर घन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में घन के प्रभाव को कम करना अत्यंत आवश्यक है। और इस समस्या का हल किए बिना लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता। बारहवें, स्थानीय समस्याएँ राजनीतिक शिक्षण का प्राणन बतार्ई गई हैं। तथापि, दलबंदी के प्रवेश से इनका जीवन भी अत्यंत कलुषित हो गया है और इनके सदस्य भी अब जनसेवा के आधार पर न चुने जाकर दलगत भावना के आधार पर चुने जाते हैं।

इन अवगुणों को देखने से प्रतीत होता है कि इनमें से अनेक दोषों को राजनीतिक शिक्षा और दलों के लोकतंत्रीय सगठन से दूर किया जा सकता है। लोकतंत्रीय सगठन से हमारा अभिप्राय यह है कि दल के साधारण सदस्यों को उसकी कार्यकारिणी समितियों को चुनने और उम्मीदवारों को मनोनीत करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही, दलों के कार्यक्रम को निर्धारित करने में उनकी सुनाई होनी चाहिए। दलों के सगठन को लोकतंत्रीय बनाने से नेतागिरी के कारण जो दोष आ जाते हैं, वे दूर हो सकेंगे और लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ेगी।

4 दलीय व्यवस्थाएँ

पादचार्य लोकतंत्रीय व्यवस्था में दो प्रकार की दलीय प्रणालियाँ प्रचलित हैं। द्विदलीय व्यवस्था, और बहुदलीय व्यवस्था। इनके अतिरिक्त अनेक समाजवादी और गैरसमाजवादी राज्यों में एकदलीय व्यवस्था भी चल रही है। नीचे हम सक्षेप में इन पर विवेचन करेंगे।

द्विदलीय व्यवस्था—संघ के कथनानुसार, द्विदलीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य में केवल दो ही राजनीतिक दल हों, प्रत्युत हमारा आशय यह है कि यदि अन्य दल हों तो इतने छोटे कि उनका राजनीति पर

पर विशेष प्रभाव न हो और विधानाग में बहुमत प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाने की आवश्यकता न पड़े। अतिरिक्त काल में एक तृतीय दल का उदय भी हो सकता है। प्रायः आगे चलकर यह हल पूर्वपामी दलों में से एक का स्थान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार कुछ वर्षों में पुनः द्विदलीय व्यवस्था कायम हो जाती है। ब्रिटेन और अमरीका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनके कारण वहाँ लोकतन्त्रीय शासन सुचारु रूप से चलता है। कुछ लेखक द्विदलीय व्यवस्था से इतने प्रभावित हुए हैं कि वे लोकतन्त्रीय शासन के सुचारु रूप से चलने के लिए देश में द्विदलीय व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते हैं।

बहुदलीय व्यवस्था—यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों में द्विदलीय व्यवस्था नहीं पनप पाई। दो प्रमुख राजनीतिक दलों के अभाव में वहाँ अनेक छोटे-बड़े दल होने हैं और उनके मेलजोल से संयुक्त सरकारें बनती हैं। इसमें कठिनाई यह होती है कि अनेक दलीय सम्मिश्रण सम्भव है और उनकी संयुक्त सरकारें बन सकती हैं। इसके कारण सरकार में अस्थिरता आती है। किसी दल को सरकार के टूट जाने से कोई हानि अथवा शोभ नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह फिर भी आशा बनो रहती कि नई सरकार में उन्हें पुनः स्थान मिल जाएगा। इसके अर्थ यह हुए कि संयुक्त सरकार बनाने वाले राजनीतिक दलों में मेल-जोल का ठोस आधार नहीं होता और इनके समझौते प्रायः अल्पकालीन होते हैं।

द्विदलीय व्यवस्था के गुण-दोष—द्विदलीय व्यवस्था के अनेक गुण और लाभ हैं। पहले, इसके अंतर्गत लोकतन्त्रीय शासन-प्रणाली अत्यंत सुचारु रूप से चल पाती है। शासन में स्थिरता आती है। उदाहरण के लिए, जबकि इंग्लैंड में मन्त्रिमंडल का औसत जीवनकाल लगभग साढ़े तीन वर्ष है, प्रायः में तृतीय और चतुर्थ जनतन्त्र के अंतर्गत मन्त्रिमंडल का औसत कार्यकाल केवल 9 मास होता था। दूसरे, स्थायित्व के कारण इस प्रकार की शासन-प्रणाली में कार्यकुशलता भी अधिक होती है। साथ ही, इसमें एक सम्बन्धित समय के लिए निश्चित और दृढ़-नीति अपनाई जा सकती है। तीसरे, कुछ विद्वानों के अनुसार, द्विदलीय लोकतन्त्रीय शासन में जनता को इस बात की वास्तविक छूट होती है कि वे दो प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों में से इच्छानुसार एक को चुन लें। इस प्रथा के अंतर्गत अपने विचार बनाना सरल होता है और सरकार के संगठन में कठिनाई नहीं होती। दोनों प्रमुख दलों में से एक शासन की वागडोर सम्हालता है और दूसरा विरोधी-पक्ष बन जाता है। एक अर्थ में विरोधी-पक्ष भी एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करता है। उसका समय-बहा काम यह है कि सरकार को निरनुशासन से रोकें, उसे सीमा से बाहर न जाने दे और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा

के प्रति जागरूक रहे। साथ ही, विरोधी-पक्ष को सर्वे इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो वह शासन की वागडोर सम्भाल ले। यही नहीं, इस व्यवस्था के अंतर्गत विरोधी-दल भी रचनात्मक कार्य में सक्रिय योग देता है। विरोधी दल का कर्तव्य यह नहीं है कि सत्तारूढ दल की वह बुराई करता फिरे, तथापि एक उत्तरदायी विरोधी दल के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ वह दोष देखे उनको निघडक होकर इंगित करे। चौधे, लास्की के मतानुसार, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक अर्थ में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। साथ ही इसमें अपनी नीतियों को साकार रूप देने के लिए सरकार को प्रचार करना पड़ता है। यदि सरकार जिन कार्यों को करना चाहती है उन्हें करने में अपने को असमर्थ पाती है तो जनता के समक्ष वह अपनी परिस्थितियों का उल्लेख कर सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन में विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष, दोनों का ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ तक कि वहाँ विरोधी पक्ष को 'सरकारी' घोषित कर दिया गया है और उसके नडा को राज्य की ओर से पारिश्रमिक मिलना है।

द्विदलीय व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं। पहले, इस व्यवस्था में विधानाग के अधिकार और उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। हम कह आए हैं कि वर्तमान युग में कार्याग की शक्ति दिन पर दिन प्रयत्न होती जा रही है। रैमजे म्योर ने बिना अचढ़ी तरह विश्लेषण किए दसे 'ब्रिटिश मंत्रिमंडल की डिक्टेटोर-शिप' की सजा दी है। इसका आधार वह दृढ़ अनुशासन है जो दल अपने सदस्यों पर लागू करता है। दूसरे, इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को केवल दो उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अवसर मिलना है। यह भी सम्भव है कि मतदाता इन दोनों में किसी को पसंद न करे। ऐसी दशा में वह उस व्यक्ति के विरुद्ध मतदान करता है जिसको किसी कारणवश वह नहीं चाहता। इस प्रकार इसमें मतदान नकारात्मक हो जाता है। तीसरे, जो लोग राज्य में केवल दो दल चाहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि दो राजनीतिक दल नागरिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित नहीं कर सकते। चौथे, इस व्यवस्था को अपनाते से निहित स्वार्थों और कई वर्गों को प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाना पड़ता है। पश्चिम, संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल अपने समर्थकों की उर्पदा नहीं कर सकता। दलबंदी की धुन में अनेक वार विवेकशील व्यक्ति भी मदाघ हो जाते हैं और बड़ी बड़ी भूलें कर घंडते हैं। छठे, दल का अनुशासन इतना बड़ा होता है कि यदि सदस्य दल के दृष्टिकोण में पूरी तरह सहमत न भी हों तो भी उन्हें दल के आदेशों का पालन करना होता है। दसवें कारण सदस्यों के व्यक्तित्व को पचना लगता है। सानधे, इस व्यवस्था के अंतर्गत सत्तारूढ दल से बाहर

चाहे कितने ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, शासन कार्य में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह व्यवस्था देश के योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का समुचित उपयोग नहीं कर पाती। आठवें, इस प्रणाली में कभी-कभी विरोधी-पक्ष वड़े उत्तरदायित्वहीन वारं करता है। उसकी आलोचना रचनात्मक न होकर केवल विनाशात्मक होती है जिसके कारण जनता का कोई हित नहीं होता।

बहुदलीय व्यवस्था के गुण दोष—बहुदलीय व्यवस्था के समर्थक प्रायः ऐसे राजनीतिज्ञ और विचारक हैं जो बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों के भी समर्थक हैं और प्रायः आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में भी हैं। अतः इसके गुणों पर विचार करते हुए वे उन्हीं युक्तियों को उपस्थित करते हैं जो बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में हैं। क्योंकि हम इन पर ऊपर विचार कर चुके हैं, अतः यहाँ पर उनकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में शासन निरकुश नहीं बन सकता, शासन-कार्य हमेशा आदान-प्रदान और समझौते के आधार पर चलता है और विधानाग अपेक्षाकृत लोकमत का प्रतिनिधित्व अधिक उत्तम रूप में करता है। किंतु इस व्यवस्था में वे सभी दोष हैं जो बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके कारण सरकार में स्थायित्व नहीं आ पाता, दृढ़ नीति नहीं अपनाई जा सकती और राजनीति के अखाड़े में हर समय दाब-पेच चलते रहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था एक ऐसे समय में चल सकती थी जब राज्य के उद्देश्य और कार्य सीमित थे। किंतु आज के युग में जब राज्य से यह आशा की जाती है कि वह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोक कल्याण के हेतु कार्य करे, हमें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो दृढ़-सकल्य और गतिशील हो। किंतु बहुदलीय व्यवस्था में इस प्रकार की सरकार का बनना दुर्लभ है। इस प्रणाली का अनुमोदन करने वाले विचारक राजनीति व्यवस्था में आमूल परिवर्तनों के विरोधी होते हैं और वे राज्य के कार्यों को सीमित रखना चाहते हैं।

एकदलीय व्यवस्था—वीसवीं शताब्दी में अनेक देशों में एकदलीय व्यवस्था स्थापित हुई है। इसके प्रमुख उदाहरण सावियत देश की बोल्शेविक सरकार और तुर्की की मुस्तफा क्माल पाशा की सरकार थी। तत्पश्चात् इटली में फासिस्ट सरकार और जर्मनी में नाज़ी सरकार बनी। अन्य यूरोपीय और सेंटिन अमेरिका के देशों में भी एकदलीय सरकारें कायम हुईं। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् इस प्रकार की सरकारों का प्रसार कम नहीं हुआ है। इस प्रकार की सरकारों के दल पूर्वी यूरोप, रूस, पुर्तगाल, सेंटिन अमेरिका तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु अनेक

नवविकसित एशियाई और अफ्रीकी राज्यों में भी इसी प्रकार की सरकारें स्थापित हुई हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एकदलीय सरकारें सब एक जैसी नहीं हैं। इनको हम कुछ प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, सोवियत संघ, पूर्व-यूरोपीय, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन गणतंत्र, क्यूबा आदि की समाजवादी सरकारें जिनका ध्येय अतत एक साम्यवादी समाज का निर्माण करना है। द्वितीय श्रेणी में स्पेन, फासिस्ट, पुतंगाल आदि की सरकारें आती हैं। तृतीय श्रेणी में हम बर्मा और मिस्र जैसी सरकारों को रख सकते हैं जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं से ओत-प्रोत हैं और जिनका सूत्रपात्र सैनिकों की ओर से हुआ। स्थापित होने के पश्चात् इन सरकारों को व्यापक राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। चौथी श्रेणी में हम कुछ लैटिन अमेरिकन देशों और पाकिस्तानी सरकार को रख सकते हैं जिनका मूल आधार सामंती शक्ति और नवविकसित पूंजीवाद है। ये सरकारें प्रायः किसी नेता को केंद्र बनाकर, सैनिक शक्ति के सहारे स्थापित की जाती हैं।

हम एकदलीय सरकारों को संवैधानिक रूप से हेय नहीं समझना चाहिए। यदि हम बीसवीं सदी के उदाहरण ही लें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनेक एकदलीय सरकारों को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और उन्होंने देश की भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उदाहरण के लिए, तुर्की की सरकार को ही लीजिए। यद्यपि तुर्की का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा निश्चित ही एक अधिनायकतंत्र का प्रतीक था, तथापि उसकी सरकार जनहितैषी थी और उसने राज्य को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया। सोवियत संघ में, अनेक दोषों और कमियों के रहते हुए भी जो महान् उन्नति हुई है उसे आज उसके प्रबल विरोधी भी स्वीकार करते हैं। एशिया और अफ्रीका की अनेक एकदलीय सरकारों को व्यापक समर्थन प्राप्त है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस प्रश्न पर भी विचार करें कि वे दशाएँ क्या हैं जिनमें इस प्रकार की सरकारों का जन्म होता है और उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त हो जाता है। व्यापक दृष्टि से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की भौद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की समस्याएँ एक जैसी हैं। इन देशों में अधिनायक, प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव, अल्पसंख्यक स्वतंत्रता सम्पत्ती सम्पत्तियों की कमी, सम्पत्ति और आय में महान् विषमताएँ आदि ने इतनी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी हैं कि बिना व्यापक सांघजनिक संगठन बनाए देश की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। इनमें यथासंभव प्रति आस्था है। वे एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आधुनिकीकरण हो सके। बर्नार्ड ब्राउन के अनुसार, आधुनिकीकरण और विकास के ये

कार्य परम्परागत लोकतंत्रीय आधार पर भी हो सकते हैं और एकदनीय व्यवस्था के अनुसार भी । यही नहीं, इन दोनों आदर्शों के बीच की दूझाएँ भी हैं¹ । महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किसी देश में जो व्यवस्था स्थापित की गई है उसमें विचार-विमर्श की स्वतन्त्रता है या नहीं, और वह अपने नागरिकों को विकास के समान अवसर प्रदान करती है अथवा नहीं । यदि उसमें नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में सहयोग देने के अवसर प्राप्त हैं, यदि नागरिकों की शिक्षा का उचित प्रबंध है यदि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है, और यदि नागरिकों में आत्मसम्मान और आत्मविकास की भावनाएँ जागृत हो रही हैं तो हम ऐसी व्यवस्था का आदर करना चाहिए और उसे लोकतंत्र के अनुरूप मानना चाहिए² । जो नेता विभिन्न मतों के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाते, आलोचनाओं को नहीं दबाते और व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सम्मान करते हैं, वे कम से कम लोकतंत्र के विकास के मार्ग तो अवरोध नहीं करते । अतएव, बिना सोचे समझे इनकी सैद्धांतिक आलोचना करके हमें इनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए ।

5 हित-गुट

रूसो और अन्य आदर्शवादी विचारकों ने यह मुझाव उपस्थित किया कि नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और थाकाशाओं को दबा कर सामान्य हित के कार्य करना चाहिए । किंतु अब यह स्वीकार किया जाता है कि 'सामान्य हित' की धारणा अस्पष्ट है । विद्वानों का यह भी मत है कि जनसमुदाय के हित में नागरिकों के व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना आवश्यक नहीं है । वस्तुतः राज्य का प्रमुख कार्य यह होना चाहिए कि वह समाज में विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के हित में सतुलन और सामंजस्य स्थापित करे । कुछ विद्वानों ने राजनीति की परिभाषा करते हुए उसे विविध हितों का सतुलन करने वाली एक कला बताया है जिसका उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सतोष देना है³ ।

राजनीतिक दलों के अतिरिक्त समाज में अनेक समूह और समुदाय होते हैं जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के हित में काम करना होता है । उदाहरण के लिए, श्रमिकों, मिल मालिकों, किसानों, शिक्षकों आदि ने अपने अपने समुदाय बना लिए हैं । समुक्त राज्य (अमेरिका) जैसे देशों में 'हित गुट' (Interest groups) बहुत गुणठिन है और वे शासन के अंग पर विविध प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं जिससे शासन उनके हितों के अनुरूप अपनी नीति निर्धारित करे

1 उपर्युक्त ग्रंथ, पृष्ठ 78

2 वही, पृष्ठ 85

और उसे लागू करे। अमेरिका में इन हित-गुटों (प्रभाव-गुटों) के ऊपर यथेष्ट शोध-कार्य हुआ है। पिछले दिनों इंग्लैंड में भी इस प्रकार की खोजें हुई हैं। पिछले दस वर्षों में भारत में भी कुछ कार्य हो रहा है। यद्यपि अभी तक कोई वैज्ञानिक शोध-प्रयत्न देखने में नहीं आया, तथापि जनता में यह आम धारणा है कि प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर धनिक वर्ग और निहित-स्वार्थ काफी प्रभाव और दबाव डाल पाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारे सार्वजनिक नेता और मंत्री भी इन प्रभावों से अछूते नहीं हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि भारत में समाजवाद की दिशा में अधिक उन्नति न होने का मुख्य कारण ही यह है कि हमारी सरकारें धनिक वर्गों के प्रभाव में हैं। इस प्रकार के विचार और धारणाएँ कहीं तक युक्तिसंगत हैं, यह कहना बहुत कठिन है। आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में जो शोध कार्य हो रहे हैं वे इस विषय पर प्रकाश डाल सकेंगे।



21

लोकमत

लोकमत के अन्तर्गत, लोकमत एक सत्रिय और आगे बढ़ाने वाला तत्त्व बन जाता है। जनता सरकार को दबल एक घेमी पनेमी मानती है निम शक्ति सँपि दी गई है निनु ठसे आदेश मानने के अस्वदायित्व से बरी नहीं किया गया।

— एडवर्ड एम० सेट

लोकमत का महत्त्व सभी विचारक स्वीकार करते हैं। जोस ओटेंगा के कथनानुसार, आज तक कोई भी व्यक्ति बिना अपने सामन की लोकमत पर आधारित किए राज्य नहीं कर पाया¹। तथापि लोकतंत्रीय शासन और गैर-लोकतंत्रीय शासन में इस सम्बन्ध में एक प्रमुख भेद है। गैरलोकतंत्रीय शासन में सरकार के लिए केवल यह आवश्यक है कि जनता उसका समर्थन करे, जब कि लोकतंत्रीय शासन लोकमत के अनुकूल कार्य करता है।

लोकमत क्या है ?

जनता में अनेक प्रकार के विचार और भावनाएँ होती हैं। ग्राहस के कथनानुसार इनमें से कुछ अधिक शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे दृढ़ विश्वास पर आधारित हैं और उन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। जब इस प्रकार की एक विचारधारा या मनोभाव स्पष्ट रूप से बहुत प्रबल बन जाता है तो उसी को हम लोकमत की उजा दे देते हैं²। सक्षेत्र में लोकमत एक ऐसा मत होता है जिसको व्यापक रूप में जनता मानती है।

ग्राहस का उपर्युक्त विचार लोकमत की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। एक

1 *The Revolt of Masses*, 1932, पृष्ठ 138

2 *The American Commonwealth*, खंड 2, पृष्ठ 259.

प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि जनता में किन्हे गिना जाए ? सेट के कथनानुसार, जनसमुदाय का प्रत्येक व्यक्ति मत के निर्माण में समान योग नहीं देता । उदाहरण के लिए आप नावालियों को इस प्रकार के व्यक्तियों की गणना से अलग कर सकते हैं । उसके मतानुसार, जनता के समस्त वयस्क लोगों को हमें इस श्रेणी में सम्मिलित कर लेना चाहिए¹ ।

कठिनाई यह है कि एक जनसमुदाय में पूर्ण मतैक्य नहीं होता । जार्ज कॉनवेल ल्युइस के कथनानुसार, हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता कि हम मतों की गणना करें और जो बहुमत हो उसी को लोकमत मानें । लॉवेल के अनुसार, इस यत्रवत् प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर है कि लोगों का मत समुचित विचारविमर्श के उपरांत निर्धारित हुआ है अथवा नहीं । यही नहीं, यदि जनता चुनाव के परिणामों को खुले दिल से स्वीकार नहीं करेगी तो लोकमत की एकता भी नष्ट हो जाएगी और लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी² ।

लोकमत का निर्माण—आम दिलचस्पी के प्रत्येक प्रश्न पर लोगों के विविध विचार होते हैं । इनमें कुछ स्पष्ट और तर्कसंगत होते हैं और कुछ अस्पष्ट । विचारों के आदान-प्रदान के पश्चात् कुछ सीमा तक यह अस्पष्टता और विविधता कम हो जाती है और मिलते जुलते विचार एकरूप होकर निश्चित दृष्टिबिंदुओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं । इस प्रकार के दृष्टिबिंदुओं और विचारों में जिसे लोग व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं उसे आगे चलकर 'लोकमत' का नाम दे दिया जाता है । लॉवेल के अनुसार, विभिन्न विचारों के मध्य किसी एक विचार को चुन कर मान्यता देने से लोकमत बनता है³ । उसका कहना है कि यह मत तर्कसंगत होना चाहिए । किन्तु किम्बल यंग के अनुसार हो सकता है यह मत तर्कसंगत हो अथवा केवल विश्वास पर आधारित हो और यह भी सम्भव है कि वह केवल भावनाओं पर आधारित हो⁴ ।

लोकमत के निर्माण में सहायता देने वाले साधनों में सर्वप्रथम हमें जनता को स्थान देना चाहिए । बिना जनता के कोई विचार, दृष्टिबिंदु, भावनाएँ अथवा मत नहीं हो सकती । किन्तु इसमें कुछ व्यक्तियों का योग दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है । ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करते हैं और उन्हें प्रकट करते रहते हैं, लोकमत के निर्माता कहे जा सकते हैं ।

1 उपपुस्तक पृष्ठ, पृष्ठ 502.

2 *Public Opinion and Popular Government*, अध्याय 1 और 3.

3 *Public Opinion in War and Peace*, 1923, पृष्ठ 12-13.

4 *Social Psychology*, 1930, पृष्ठ 575.

इस प्रकार के व्यक्तियों में विधायक, कार्यकारी, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदि होते हैं। इनमें हम उन अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों को भी सम्मिलित कर सकते हैं जो सार्वजनिक मामलों पर शोध कार्य करते हैं, जो वर्तमान की भाषना से प्रेरित होकर अथवा व्यक्तिगत रुचि के कारण सार्वजनिक नीतियों और घटनाओं पर ध्यान देते हैं। यद्यपि वे स्वयं नए विचारों का निर्माण नहीं करते, तथापि उनमें इतनी योग्यता होती है कि वे प्रस्तुत विचारों के गुण-दोषों का विवेचन कर सकें और अपना मत निर्धारित करें। इन लोगों को हम लोकमत के प्रसारक कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त, एक बहुत बड़ी संख्या में वे लोग होते हैं जिनको सार्वजनिक समस्याओं में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है कि वे उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकें। प्रायः अपने जीवकोपार्जन के कारण वे इतने व्यस्त रहते हैं कि उनमें न इसके लिए इच्छा होती है और न क्षमता ही। इस प्रकार के व्यक्ति प्रायः प्रचलित विचारों में से किसी एक को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा करते समय ही सकता है कि किसी सम्माननीय व्यक्ति का विचार होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से उन्होंने इस विचार को अपना लिया हो। यद्यपि यद्यपि विचारों को अंग नही देते और उनको बनाने बिगाड़ने में उनका कोई हाथ नहीं होता, तथापि वे उसे लोकमत का रूप देने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं¹। उनके द्वारा अपनाए जाने पर ही वह लोकमत बनता है। किसी विचार का प्रारम्भ गिने-चुने व्यक्तियों से होता है। आगे बढ़कर वही लोकमत का रूप धारण कर लेता है। सेट के कथनानुसार, जो मन प्रायः लोकमत के रूप में प्रकट होता है वह एक अत्यंत सीमित अर्थ में जनता का मत होता है। कहने का आशय यह है कि वह जनता का मत इसी अर्थ में होता है कि जनता ने उसे अपना लिया है²। प्रश्न यह है कि जनता ने उसे क्यों अपनाया, किसी दूसरे मत को क्यों नहीं अपनाया? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रचलित विचारों में अनेकरूपता होती है। सेट के कथनानुसार, व्यक्ति किसी विचार को इसलिए अपनाता है कि वह उसकी भावना और हित के अनुकूल होता है³।

प्रचार

प्रचलित विचार स्वयं नागरिकों के सम्मुख नहीं आते, वे उनके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें जनता तक पहुँचाने में प्रचार का बड़ा हाथ है। समाज में अनेक ऐसे समूह और समुदाय हैं जो किसी न किसी बात का प्रचार करते रहते हैं। कभी-कभी उनके द्वारा अपनाए गए ढंग सीधे सादे होते हैं और कभी टेढ़े-मेढ़े। वाल्टर निपमैन के अनुसार, आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण बातें

1 आरम, भाग 1, पृष्ठ 157.

2 उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 507.

3 वही, पृष्ठ 508

शासितों में सहमति उत्पन्न करने की कला में हुई है। लोगो का समर्थन प्राप्त करने की कला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन गई है और सभी लोकप्रिय सरकारें इसका उपयोग करती हैं¹। प्रकाशन इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण साधन है। आर्दे सीग-फ्राइड के अनुसार, प्रलोभन बहुत बढ़े हैं और साधन बहुत दक्ष। वस्तुतः लोकमत बहुत प्रभावशाली अस्त्र है। इसको सगठित करना, इसको एक विशेष दिशा देना और इसे इस सीमा तक उत्तेजित करना कि लोग बोखला उठें—अब एक तकनीक बन गया है जिसका अध्ययन और उपयोग किया जा सकता है²। तथापि हम सैट वे इम मत से सहमत हैं कि लोगो को प्रभावित करने की भी एक सीमा है, और इस सीमा को पार कर लोगो को प्रभावित कर सकना दुष्कर है। यदि कोई विचार एक ऐसी सामाजिक प्रवृत्ति का विरोधी है जो लोकप्रिय है अथवा किसी प्रचलित मनोदिशा का विरोधी है तो उसका सफल होना बहुत कठिन है³। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न यह भी है कि यदि मनुष्य, प्रचार द्वारा इतनी सरलता से बह जाता है, तो फिर क्या उसे कुछ सीमाओं के अदर किसी दशा में बहाया जा सकता है ?

प्रचार का महत्त्व क्षणिक हो सकता है। जैसा कि प्लेटो और अरस्तू ने कहा है 'अति' के विरुद्ध प्रायः प्रतिक्रिया होती है। लिंकन ने भी कहा है कि 'कुछ मनुष्यों को सदा के लिए और सब मनुष्यों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, किन्तु सभी लोगो को सदा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता'।

समाचार पत्र आदि प्रकाशन—लोकमत के निर्माण और प्रचार में समाचार-पत्र आदि प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इनके अतर्गत सामयिक पुस्तिकाएँ आदि आ जाती हैं। वास्टर लिपमैन के अनुसार, समाचार पत्र लोकतंत्र की बाइबिल के समान हैं। इन्हीं के द्वारा नागरिकों को समाचार और अन्य तथ्य प्राप्त होते हैं। इन समाचारों के प्रकाशन के ढंग और सामयिक घटनाओं और नीतियों पर सम्पादकीय टिप्पणियों का पाठकों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साधारण पाठकों को इतना ज्ञान नहीं होता और न इतना समय होता है कि वह प्रत्येक समस्या अथवा घटना पर अच्छी तरह सोच विचार कर सके। अतः वह अपने प्रिय समाचार पत्र के विचारों से प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार, लोकमत को बनाने और उसके प्रचार में समाचार-पत्र महत्त्वपूर्ण योग देते हैं।

यंत्र भी आधुनिक लोकतंत्र में समाचार-पत्रों का बहुत प्रभाव होता है।

1 *Public Opinion*, 1922, पृष्ठ 248

2 *America Comes of Age*, 1927, पृष्ठ 245.

3 उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 511.

उनके माध्यम से सरकार जनता से सम्पर्क कायम रखती है और उन्हें समझाने का प्रयत्न करती है कि वह नये प्रस्तुत नीतियों को अपना रही है। यही नहीं, समाचार-पत्रों में सासन की आलोचना भी होती है और कभी-कभी नए मुद्दाव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्र जनता की भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं और उनके कष्टों का प्रकाशन करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि समाचार-पत्र कुछ धनिक व्यक्तियों अथवा निहित स्वार्थों के हाथों में न पड़ जाएं। हमारे कहने का आशय यह है कि प्रेस को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है कि नागरिकों के सम्मुख समाचारों को ठीक से रखा जाए जिससे वे विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें। तथापि व्यवहार में प्रायः ऐसा पूरी तरह नहीं हो पाता। प्रायः विज्ञापन देने वाले व्यक्ति और व्यक्ति-समूह प्रेस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। साधारणतः समाचार पत्रों के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे इन लोगों को अप्रसन्न कर सकें। इसके अतिरिक्त, प्रेस का एक दोष यह भी है कि वह सरती लोकप्रियता के लोभ में समाचारों को बड़ा-चढ़ा कर और अतिरिक्त करके देते हैं जिससे उनकी ग्राहक संख्या बढ़े। किंतु सेट इस आलोचना को ठीक नहीं समझते। उनके मतानुसार, समाचार-पत्र का स्वामी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की तरह होता है। जनसमूह को आकर्षित करने के लिए कला-कौशल का उपयोग करना होता है। यस्तु पत्रकारिता और राजनीति, दोनों में जनता की शक्ति के अनुरूप काम करना होता है¹। प्रत्येक समाचार-पत्र अपने पाठकों को वही सामग्री देता है जो उनकी रचि कर होती है और जिसके वे योग्य हैं। किंतु बठिनाई यह है कि आज की समस्याएँ इतनी पेचीदा हो गई हैं कि एक सामान्य नागरिक को उन्हें भलीभाँति समझना कठिन है। अणुबम, लिपमैन और नारमैन ऐंजल ने मुद्दाव दिया है कि जनता को केवल परिणामों के आधार पर अपना निर्णय देना चाहिए, अर्थात् उन्हें यह तय करना चाहिए कि जिस प्रकार का शासन वे चाहते हैं वह उन्हें प्राप्त है अथवा नहीं, और यदि नहीं तो क्यों?

समाएँ—सावजनिक समाजों के माध्यम से नेताओं को जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर संदेश देने का अवसर मिल जाता है। सरल ढंग से कही हुई बात श्रोताओं के हृदय पर बहुत प्रभाव डालती है। भारत जैसे देश में, जहाँ लगभग 65 प्रतिशत व्यक्ति अनिश्चित हैं, इस माध्यम का और भी अधिक महत्त्व है। वस्तुतः हमारे देश में समाएँ उस काम को और भी अच्छी तरह करती हैं

¹ धर्मी, पृष्ठ 517

² Lippmann, *The Phantom Public*, -यूनाई, 1927, पृष्ठ 61, 199 और Norman Angell, *The Public Mind*, पृष्ठ 191-192

जो प्रेस करता है। ये इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हैं कि हमारे यहाँ शिक्षित लोगो को भी नियमित रूप से समाचार-पत्र पढ़ने की आदत नहीं है। सभाओं द्वारा जनता की राजनीतिक शिक्षा और जागृति में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन इसका पूरा उपयोग अभी सम्भव है जब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हो अर्थात् उन्हें भाषण, प्रकाशन और समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता हो।

राजनीतिक दल—राजनीतिक दल भी लोकमत के निर्माण और उसके प्रकाशन के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से विचार कर चुके हैं। दलों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कुछ सामान्य विचारों, नीतियों और कार्यक्रम के अनुसार कार्य करें। उनका एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वे सभी सम्भव उपायों से जनता के साथ सम्पर्क बनाए रखें और सामाजिक विषयों पर अपने विचारों से नागरिकों को परिचित कराते रहें। यही एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा वे अपने अनुयायियों और समर्थकों की मख्या बढ़ा सकते हैं। बिना ऐसा किए उनके सत्ताहृद होने की कोई आशा नहीं की जा सकती।

शिक्षण संस्थाएँ—नागरिकों के दृष्टिकोण और विचारधारा को ढालने में इनका भी एक महत्त्वपूर्ण भाग होता है। शिक्षण संस्थाएँ नागरिकों को केवल स्वतन्त्र रूप से सोचना ही नहीं सिखाती। वहाँ भी सामयिक बातों पर भाषण और विवाद होते रहते हैं जिनका प्रभाव लोकमत के बनने में पड़ता है।

धार्मिक संस्थाएँ—इस सम्बन्ध में धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक पदाधिकारियों के महत्त्व को भी नहीं भुलाया जा सकता। भारत जैसे धर्मप्रधान देश में धर्म का लोकमत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पर यूरोपीय देशों में भी नागरिकों की मताधिकार मिलने के बाद धर्म का प्रभाव बहुत बढ गया है। स्थिरता स्वभाव से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली होती हैं। पर दुर्भाग्यवश धर्म का लोकमत पर प्रभाव प्रायः प्रतिगामी रहा है। धर्माधिकारी प्रायः अपरिवर्तनवादी होने हैं और वे नई बातें समझने में असमर्थ होते हैं।

प्रतिनिधिक संस्थाएँ—प्रतिनिधिक संस्थाओं में जो सामाजिक विषयों पर विचार-विमर्श होते रहते हैं, उनका वर्णन नागरिक चाव से पढ़ते हैं और उमका भी लोकमत पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

सच्चे लोकमत के निर्माण में बाधाएँ

सच्चे लोकमत के निर्माण में यही बाधाएँ हैं जो लोकमत के रास्ते में हैं। तथापि इनमें से कुछ की चर्चा की जा सकती है। इसमें प्रथम सबसे बड़ी बाधा नागरिक अधिकारों का अभाव है बिना नागरिक अधिकारों को प्राप्त किए सच्चे लोकमत का नि-

माण असम्भव है क्योंकि नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता ही नहीं होगी कि वे शासन-कार्य का आलोचनात्मक अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार, दूसरी बाधा प्रकाशन पर लगे हुए प्रतिबंध हैं। यदि नागरिकों को अपने विचारों के प्रकाशन की सुविधा न होगी तो वे दोनों पक्षों की बातें नहीं जान सकेंगे, और न विवेकपूर्ण मत बना सकेंगे। इसके मार्ग में तीसरी बाधा अच्छे और यथातथ (exact) समाचारों और सूचनाओं का अभाव है। यदि नागरिकों को विभिन्न स्थानों पर विविध सूचनाएँ मिलती हैं तो उसकी समझ में नहीं आता कि इनमें से किस पर विश्वास करें। वस्तुतः विश्वस्त सूचनाओं के अभाव में सच्चे लोकमत का निर्माण दुष्कर है। इसके लिए हमें सच्ची और निष्पक्ष सूचनाएँ देने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। चौथी बाधा नागरिकों की सकुचित मनोवृत्ति है जिसके कारण वे ठंडे दिमाग से कोई बात सोच नहीं पाते। इसका एक रूप अधविश्वासी और धार्मिक कट्टरता के रूप में प्रकट होता है और दूसरा रूप जाति को महत्त्व देने और साम्प्रदायिकता का समर्थन करने में सामने आता है। लोकमत के समुचित विकास में पाँचवीं बाधा प्रकाशन और प्रसार के साधनों पर एकाधिकार का होना है। यदि प्रेस, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, आदि पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार बयबा प्रभाव हो, तो दूसरे पक्ष को अपने विचारों की जनता के समक्ष रहने का अवसर ही प्राप्त न होगा। अतएव, उनके निर्णय भी एकपक्षीय और दोषपूर्ण होंगे। आजकल धनिक व्यक्ति धीरे धीरे इन साधनों को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन पर रोक लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। छठी, शिक्षा की कमी भी लोकमत के निर्माण और प्रसार में बहुत बाधक होती है। शिक्षा का एक बड़ा लाभ यह होता है कि हमें तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की आदत पड़ जाती है। और हम विभिन्न मामलों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। शिक्षा के अभाव में हमें दूसरों की बहो हुई बातों पर निर्भर रहना पड़ता है। नागरिकों की उदासीनता और अकर्मण्यता भी लोकमत के मार्ग में बड़ा बाधक है। जब तक नागरिक स्वयं प्रत्येक समस्या और घटना पर सोच विचार करें और दूसरों के मत का अवलम्बन करते रहें, तो सच्चे लोकमत के निर्माण और विकास में बाधाएँ रहेंगी। साथ ही उन्हें अपने विचारों के अनुरूप कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

लोकमत का पता कैसे लगाया जाए ?

लोकमत का पता लगाने का उपाय प्रकाशनों का अध्ययन नहीं है, क्योंकि समाचार-पत्र और सामयिक साहित्य बहुधा एकपक्षीय होते हैं। बाह्य सहायता से भी ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता और न सार्वजनिक सभाएँ भी हम को किसी निर्णय पर पहुँचने में सहायता देती हैं। धनी वस्तियों में उत्साही कार्य-

वर्ता प्रत्येक सभा के लिए एक अच्छी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। ब्राइस के अनुसार, लोकमत को जानने का उपाय यह है कि निष्पक्ष और विवेकशील नागरिकों में धुलमिल कर उनके विचारों का पता लगाया जाए। तथापि बहु-संख्यक मत सर्वदा लोकमत नहीं होता। लोकमत ज्ञान और विवेक पर आधारित होता है और हमेशा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखता है। पिछले दिनों मत-गणना की जो पद्धति अपनाई गई है उसने लोकमत जानने के कार्य को अपेक्षा-कृत सुगम बना दिया है। अब हम लोकमत को जानने के लिए सर्वेक्षण कर सकते हैं और उसके आधार पर जनता के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। पर, इस प्रकार की मतगणना का महत्त्व इस बात पर निर्भर है कि जो नमूने लिए जाते हैं वे किसी वैज्ञानिक आधार पर चुने गए हैं अथवा नहीं। यही नहीं, प्रश्न बनाना भी एक तकनीक है। जिस तरह लोगों से साक्षात्कार किया जाता है उसे भी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में नहीं भुलाया जा सकता। यह सत्य है कि सर्वेक्षण करने वाली कई संस्थाओं के पूर्वकथन गलत प्रमाणित हो चुके हैं। साथ ही, अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि सभी सार्वजनिक प्रश्नों पर लोगों के विभिन्न विचार होते हैं। तथापि विचारों के आदान-प्रदान से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है और यह पता लग सकता है कि लोग किन बातों में सहमत हैं। किंतु कठिनाई यह है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जिससे हम लोगों के प्रभाव को माप सकें। सत्ता प्राप्त ऐजेंसियों को सर्वदा अनेक प्रभावों और लोभ का सामना करना पड़ता है। सुगठित समुदायों के विचारों का शासन-नीति और वार्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न हितों में सामंजस्य स्थापित करने सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है। प्रायः यह नीति विभिन्न व्यक्तियों और दलों के विचारों के सम्मिश्रण और समन्वय से बनती है¹।



¹ T. J. Anderson, in *Principles of Political Science*, पृष्ठ 391.

आधुनिक विचारधाराएँ

भारत में हम कल्याणकारी राज्य तथा समाजवाद की बातें करते हैं। एक अर्थ में, प्रत्येक देश, फिर चाहे वह पूंजीवादी हो, समाजवादी हो अथवा साम्यवादी, कल्याणकारी राज्य के आदर्श को मान्यता देता है ... अन्ततः समाजवाद केवल एक जीवन-मार्ग ही नहीं है, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को सुलभाने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है।

—जवाहरलाल नेहरू

राज्य के उदारवादी सिद्धांत

इतिहास की दृष्टि से, उदारवादी परम्परा एक ऐसी बौद्धिक शक्ति थी जो प्रधानतः औद्योगिक क्षेत्र में (और नई महत्ता-प्राप्त) धनिकों के हित में की गई थी।

—हैरोल्ड जे० सास्की

हम देख चुके हैं कि राज्य के स्वरूप, उद्देश्यों और कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न पारम्पराएँ प्रचलित हैं और उनके अनुरूप अनेक मत और सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। इन सिद्धांतों में कुछ ऐसे हैं जिनको हम व्यापक रूप में 'उदार सिद्धांत' कह सकते हैं। उदारवाद (Liberalism) की प्रमुख समस्या व्यक्ति और प्रभुत्वता के सतोपजनक सबंध निर्धारित करना है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है और वह उसे उन सामाजिक बंधनों से स्वतंत्र रखना चाहता है जो कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं हैं। उदारवाद की बुनियादी मान्यताएँ हैं : व्यक्ति का महत्त्व और अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी समानता। उदारवाद व्यक्ति की इच्छा और सकल्य पर उसके अंतःकरण के अतिरिक्त और किसी बंधन की नैतिकता को स्वीकार नहीं करता¹। उदारवाद के अंतर्गत हम तीन प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे—व्यक्तिवाद (Individualism), उपयोगितावाद (Utilitarianism) और आदर्शवाद (Idealism)।

1. व्यक्तिवाद (Individualism)

जैसाकि इससे नाम से स्पष्ट है यह व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार करता है और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। इस सिद्धांत को 'हस्तक्षेप

¹ John H. Hallowell, *Main Currents in Modern Political Thought*, न्यूयार्क, 1960, पृष्ठ 89-90.

न करने की नीति' (non-interference) भी कहा गया है। आधुनिक व्यक्तिवाद का उदय अठ्ठारहवीं शताब्दी के उत्तरकाल में हुआ। यह राज्य की उस व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी जिसमें उत्पादन और व्यापार पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण होता था। व्यक्तिवाद नए व्यापारी-वर्ग के विचारों और आकांक्षाओं का समर्थक था। इस रूप में इसके दो पहलू थे : एक सैद्धांतिक और दूसरा त्रियात्मक। त्रियात्मक रूप में यह उन नियंत्रणों और रोकथाम का विरोधी था जिन्हें राज्य ने लगा रखा था। ऐडम स्मिथ (1723-1790 ई०) इस सिद्धांत के सस्थापक माने जाते हैं और उनकी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' सन् 1776 ई० में प्रकाशित हुई। इस सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में जॉन स्टुअर्ट मिल (1806-1873 ई०) और हरबर्ट स्पेंसर (1820-1903 ई०) माने जाते हैं। मिल के कथनानुसार, मानव समाज व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से वैयक्तिक स्वतंत्रता में केवल आत्मरक्षा के हेतु हस्तक्षेप कर सकता है। व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध राज्य उसी दशा में हस्तक्षेप कर सकता है जब एक व्यक्ति के कार्यों से दूसरों को हानि पहुँचती हो। ऐसा न होने पर, व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार मिल व्यक्तिगत हित की प्रधानता देता है, किंतु स्पेंसर के विचार इससे भिन्न हैं। स्पेंसर ने अपने सिद्धांत में 'सामाजिक विकास' (Social evolution) की धारणा का भी समावेश किया। उसके कथनानुसार समाज के विकास में सशक्त व्यक्ति अधिक सफल और महत्वपूर्ण योग देते हैं। अतः व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता अपेक्षित है। उसे इच्छानुसार कार्य करने की वहाँ तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जहाँ तक वह अन्य व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक नहीं होता। उसके कथनानुसार, सरकार मूलतः अनेतिक है। वह एक आवश्यक बुराई है, और जब तक समाज में बुराईयाँ और अपराध समाप्त नहीं होंगे, तब तक राज्य की भी आवश्यकता बनी रहगी। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध है और नागरिकों की अधिकतम स्वतंत्रता का समर्थक है। उनके अनुसार, राज्य एक साधन माना है और उसे व्यक्ति का यथासम्भव स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। राज्य का काम बुराई को रोकथाम करना और स्वतंत्रता को संरक्षण देना है, व्यक्तियों का पालन करना नहीं। अतएव, व्यक्तियों की निजी बस्तों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद के समर्थकों में इसके समर्थन में अनेक नैतिक, राजनीतिक, भाषिक और वैज्ञानिक युक्तियाँ दी हैं जिन पर हम सक्षेप में विचार करेंगे।

नैतिक युक्तियाँ—व्यक्तिवादियों के अनुसार, व्यक्ति के पूर्ण नैतिक विकास उन्नी दशा में सम्भव है जब उसके कार्यों और इच्छाओं पर अनावश्यक बाह्य रोक न हो। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और क्षमता को बढ़ाने के उपयुक्त

अवसर मिलने चाहिए। यदि उसके कार्यों में हस्तक्षेप होगा तो उसकी पहल करने की क्षमता कुंठित हो जाएगी और उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। इससे स्पष्ट है कि बाधाओं के कारण वैयक्तिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की उत्तरदायित्व की भावना का ह्रास हो जाता है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। उसका कहना था कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य अथवा समाज की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन हस्तक्षेपों के कारण व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर पाता। वह इस बात का कट्टर विरोधी था कि राज्य अथवा समाज यह निर्णय करे कि व्यक्ति क्या कार्य करेगा। साथ ही, वह उन लोगों का भी विरोध करता था जो समाज में एकरूपता लाना चाहते हैं। उसका कहना था कि समाज में विभिन्नताएँ होनी चाहिए। वस्तुतः विविधताओं से जीवन में रस आता है। इसके विपरीत, एकरूपता लाने से जीवन नीरस हो जाएगा। अतः उनके मतानुसार, राज्य के कार्य न्यूनतम होने चाहिए और लोगों में राज्य पर आश्रित रहने की आदत नहीं पडनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के आश्रित रहते हैं वे अपनी योग्यताओं और गुणों का समुचित विकास नहीं कर पाते।

राजनैतिक व्यक्तिता—व्यक्तिवादी राजाओं की निरंकुश सत्ता का विरोध करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं लॉक ने सत्ता को सीमित करने का मुझाव दिया। वस्तुतः वह सीमित और सविधानी शासन का समर्थक था। अन्य लेखकों ने राज्य की आलोचना दो दृष्टियों से की है प्रथम, राज्य को यदि बहुत अधिक काम दे दिए जाएंगे तो वह उनके बोझ से दब जाएगा और सभी काम बेढगे होने लगेंगे। अतएव, यह अच्छा होगा कि राज्य के कामों को सीमित रखा जाए; नहीं तो नौकरशाही का योलबाला हो जाएगा और उससे सम्बन्धित सभी दोष राज्य में आ जाएंगे। अन्य आलोचक कहते हैं कि राज्य के द्वारा किए जाने वाले कामों में कुशलता की कमी होती है। साथ ही, ये कार्य खर्चों से भी बहुत होते हैं। और यह खर्च बढ़ता ही जाता है। लाईट ह्यूअर्ट और रैमजे म्योर ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि लोकतंत्र की आड़ में एक 'नवीन निरंकुशता' (New Despotism) का जन्म हो रहा है जिसके अतर्गत व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन और नौकरशाही के अधिकारों में बढोत्तरी हो रही है। उनके मतानुसार, यदि हम तुरंत इस निरंकुशता को रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो निकट भविष्य में हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। उनके अनुसार, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम राज्य के कार्य-क्षेत्र में कमी करना होगा। प्रायः सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप और कानूनों से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सामाजिक प्रगति में बाधा पडती है।

आर्थिक व्यक्तिता—इन व्यक्तियों को ऐडम स्मिथ आदि विद्वानों ने उपरिष्ठत

किया । उनसे मतानुसार, यदि आर्थिक क्षेत्र में राज्य अहस्तक्षेप की नीति अपनाए तो समाज और व्यक्तियों का बहुत भला होगा । उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को अच्छी प्रकार समझता है और यदि उसे पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह अपने अधिकतम हित की दृष्टि से कार्य करेगा । इन विद्वानों का कहना था कि खुले बाजार में बिना रोकटोक के आर्थिक स्पर्धा होने से सबको अपना न्यायोचित भाग प्राप्त हो जाएगा । इसके परिणामरूप कुशलता बढ़ेगी, वस्तुएँ अच्छी बनेंगी और वे सस्ती हागी । इससे सभी व्यक्तियों का लाभ होगा और वे सतुष्ट रहेंगे । साथ ही, अनुभव भी यही बताता है कि जहाँ सरकार आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करती है, वहाँ सारे काम बिगड़ जाते हैं । इन लोगों का मत था कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई विरोध नहीं है । अतएव, यदि व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो समाज को स्वतः ही इससे बहुत लाभ होगा । यही नहीं, इनका कहना था कि स्वभाव से ही आर्थिक कार्यों को चलायान की राज्य में क्षमता नहीं है । उसका प्रमुख उद्देश्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, न कि आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण करना ।

वैज्ञानिक तर्क—स्पर्धा आदि विद्वानों ने जीव-विज्ञान आदि विज्ञानों से नई युक्तियाँ लेकर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है । जैविक विकास के सिद्धांत की चर्चा करते हुए उसान कहा कि जीवन में निरंतर संघर्ष में जो व्यक्ति योग्य होते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और अयोग्य तथा निर्बल व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं । यह एक ऐसा नैसर्गिक नियम है जो सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होता है और समाज में भी लागू होना चाहिए । यह तभी सम्भव होगा जब हम व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दें । इस तर्क के आधार पर व्यक्तिवादियों का कहना है कि राज्यों को निर्बल, असमर्थ आदि व्यक्तियों की सहायता नहीं करनी चाहिए । इससे दोहरा नुकसान होता है एक तो निर्बल और अयोग्य लोगों को अधिक सुविधाएँ मिल जाती हैं और दूसरे इन अयोग्य व्यक्तियों को सहायता करने का भार योग्य व्यक्तियों को बहन करना पड़ता है । यही नहीं, समाज को ऐसे लोगों का बोझ सँभालना पड़ता है जो समाज को कोई लाभ नहीं पहुँचाते । व्यक्तिवादियों के अनुसार, ऐसे असहाय व्यक्ति समाज में जहाँ से रूप में बने रहते हैं । यदि इन लोगों को राज्य सहायता न दे तो वे स्वयं संघर्ष करेंगे जिससे या तो उनकी योग्यता का पूर्ण विकास होगा अथवा संघर्ष में हार कर वे नष्ट हो जाएंगे । दोनों ही दशाओं में समाज को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि समाज की उन्नति योग्य व्यक्तियों पर निर्भर है ।

व्यक्तिवाद पर अनास्था—अठारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में व्यक्तिवाद का बोलबाला रहा, किन्तु द्वितीय चरण में आकर विचारकों के मन में इस सिद्धांत के प्रति घना होने लगी । इसका कारण यह था कि औद्योगिकीकरण के

कारण जो नई स्थितियाँ उत्पन्न हुईं उसमें उन्होंने पाया कि श्रमिक वर्ग मिल-मालिक के सामने एकदम असहाय और निष्प्राय हैं। इसका आशय यह हुआ कि व्यक्तिवादियों की यह धारणा कि यदि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वे अपने हितों का यथोचित ध्यान रख सकेंगे, भ्रमपूर्ण प्रमाणित हुआ¹। जोड के कथनानुसार, 1880 ई० के आस पास लोगो की व्यक्तिवाद से आस्था हटने लगी और उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक उस पर विश्वास करने वाले केवल इन्ने गिने व्यक्ति रह गए। उसके कथनानुसार, व्यक्तिवाद की तीन प्रमुख भ्रांतियाँ थी (क) प्रत्येक व्यक्ति दूरदर्शी है और वह यह भलीभाँति समझता है कि उसका हित किस बात में है, (ख) प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने हित साधन की समान क्षमता है, और (ग) व्यक्ति के हित और समाज की मनाई में कोई विरोध नहीं है²। इनके अतिरिक्त लास्की ने व्यक्तिवाद की एक और कमी की ओर इशारा किया है। उसका कहना है कि खुले बाजार के मोल-भाव में धनवान हो जाना किसी व्यक्ति की योग्यता का पर्याय परिचायक नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उद्योगों में लगे हुए लगभग एक तिहाई लोग मुसमरी के शिकार हैं। सच तो यह है कि बाजार के मोलभाव के कारण असमानता फैली है। इससे मिल-मालिकों को लाभ हुआ है और मजदूरों को बहुत हानि हुई है, क्योंकि मजदूरों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे प्रतीक्षा करें कि ठीक भाव लगने पर ही वे अपनी श्रम शक्ति का विक्रय करेंगे। खुले बाजार में जो स्पर्धा होती है उसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय नहीं मिलता, क्योंकि व्यक्तिगत स्पर्धा शक्ति एकमान नहीं है। लास्की के कथनानुसार खुले बाजार के मोलभाव का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब सभी व्यक्तियों की स्पर्धा शक्ति समान हो³। वही का अभिप्राय यह है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के दोष और उसके भयंकर परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे जिनके कारण सामाजिक विचारकों की आस्था इस सिद्धांत से हट गई। इसके विपरीत वे इस बात का आग्रह करने लगे कि राज्य को औद्योगिक और अन्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर असहाय व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इसके फलस्वरूप 'नवीन व्यक्तिवाद' (New Individualism)⁴ का जन्म

1 *Introduction to Modern Political Theory*, पृ 29

2 वही, पृ 31.

3 *A Grammar of Politics*, पृ 131

4 इस शब्द का अधिक प्रचलन नहीं हुआ। दलित C M Joad, *An Introduction to Modern Political Theory*. रोडी ने इसे एक भिन्न अर्थ में प्रयुक्त किया है।

दृष्टा ।

नवीन व्यक्तिवाद—'नवीन व्यक्तिवाद' प्राचीन व्यक्तिवादियों के समान ही राज्य ही अहस्तक्षेप की नीति का कट्टर समर्थक नहीं है। इसके अनुयायी कभी कभी सरकार द्वारा अहस्तक्षेप का भी समर्थन करते हैं। सच तो यह है कि ऐडम स्मिथ और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का समर्थक शायद ही आज के जमाने में कोई मिले। अब लोग दूसरों की बात मानने को अधिक तत्पर रहने हैं और प्रत्येक बात में अपने मत मनवाने को हठ नहीं करते। ये बातें पुराने व्यक्तिवादियों की धारणाओं के प्रतिकूल हैं। सच तो यह है कि आज व्यक्तिवाद और अहस्तक्षेप नीति की लोग केवल चर्चा करते हैं। हरबट हूवर जैसे 'नए व्यक्तिवादों' सरकार द्वारा दी गई सहायता और उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं, ये केवल उद्योगों और व्यापार पर नए राजकीय नियंत्रण नहीं चाहते¹।

आलोचना—इस सिद्धांत की कट्टर आलोचना की जाती है। पहले, आज यह स्वीकार नहीं किया जाता कि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित भलीभाँति समझता है और उसे अपने हित-साधन की पूरी क्षमता है। अब यह माना जाता है कि समाज में कई ऐसे अंग होते हैं जो अपेक्षाकृत निर्बल और असहाय हैं और समाज को उनकी भलाई की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरे, अब यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित पर ध्यान दे तो इससे स्वतः ही समाज की उन्नति होगी। इसके विपरीत यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहेगा और समाज की चिंता नहीं करेगा तो इससे समाज में सघर्ष बढ़ेंगे और समाज की भलाई नहीं होगी। तीसरे, आज यह सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि राज्य का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना है जिससे समाज उन्नति को ओर अग्रसर हो सके। आज इस विचार को नहीं माना जाता कि राज्य स्वतंत्रता में बाधक है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि सच्ची स्वतंत्रता मनमाने ढंग से नाम करने में नहीं है, अतिसामाजिक नियमों के अनुसार काम करने और अनुशासन को मानने में है। चौथे, यद्यपि राज्य में अनेक दोष हैं और राज्य ने अनेक भूलों की हैं, तथापि इससे यह निष्कर्ष निकालना कि राज्य एक आवश्यक घुसाई है, उचित नहीं लगता। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य की मशीनरी में आवश्यक सुधार किए जाएं। पाँचवें, जहाँ तक बिना रोक-टोक की स्वर्घा का प्रश्न है, अमेरिका आदि पूँजीवादी देशों के उदाहरण यह स्पष्ट कर देते हैं कि इसका परिणाम एकाधिकार (monopoly) होता

1 रोरी, उपर्युक्त ग्रन्थ, पृष्ठ 349-51.

है जो खुले बाजार का विरोधी है। छठे, यह कहना कि आर्थिक क्षेत्र में हस्त-क्षेप की नीति से सबका समान हित होगा, एक बेधुनियाद बात है। अनुभव हमें बताता है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को यदि खुली छूट दे दी जाए तो निर्धन व्यक्तियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और प्रायः इसका परिणाम उनके लिए बेकारी और मुखमरी होता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात् कई देशों में जो स्थिति उत्पन्न हुई उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। सातवें, यह कि जीवन-संग्राम में अयोग्य व्यक्ति पिछड़ कर नष्ट हो जाते हैं, तथ्यों का उप-हास करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि गरीब किसानों और कारीगरों की अपेक्षा चोर और डाकू अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि वे लूट-खसोट करके अपना काम चला लेते हैं। सच तो यह है कि जीव-विज्ञान का यह सिद्धांत मनुष्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और उसे यथासम्भव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सुयोग मिलना चाहिए। हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनमें उसके विकास में कोई बाधाएँ न आएँ। आठवें, जैसा कि थ्रोपाटकिन ने कहा है, जीवन में केवल सघर्ष ही तो नहीं होता, सहयोग का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने पशु जीवन के अनेकानेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें वे सहयोगपूर्ण जीवन बिताते हैं। अपनी बात का समर्थन करते हुए वह कहता है कि युद्ध और सघर्ष के लिए भी आंतरिक सह-योग आवश्यक है। यदि किसी जनसमुदाय में अनुशासन और सहयोग नहीं होगा तो वह सघर्ष में कभी विजयी नहीं हो सकता। नवें, राज्य में जो बुराईयाँ आ गई हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सभी कार्य इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर करें कि उसे जन साधारण की उन्नति करना है। बसवें, हो सकता है कि निरवुश राज्यों के युग में व्यक्तिवाद जैसे सिद्धांत की आवश्यकता रही हो, किंतु सोवतश्रीय राज्यों पर इतना अविश्वास करना तर्कसंगत नहीं लगता। कोई भी राज्य सोवतश्रीय की सर्वथा अपेक्षा नहीं कर सकता। अतएव, यदि जनता जागरूक हो तो वह राज्य को लोकहित का साधन बना सकती है।

सत्य का अर्थ—व्यक्तिवाद की सचाई से इंकार नहीं किया जा सकता। निजी बातों में हमें व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। राज्य की ओर से अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ हस्तक्षेप करना 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की दृष्टि से आवश्यक हो, इसमें सकोच करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिवादियों की एक बात सभी धार्मिक विचारक स्वीकार करते हैं कि नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए जिनको संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त हो और जिनका सरकार भी

अतिश्रमण न कर सके ।

2. उपयोगितावाद (Utilitarianism)

उपयोगितावादियों ने वैज्ञानिक अनुभववाद (empiricism) के आधार पर नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत बनाने का प्रयास किया है। किंतु जेसाकि जॉस-मैन कहते हैं कि यह न तो एक मौलिक सिद्धांत है और न युक्तिसंगत ही। उनके अनुसार, इसमें मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति और समर्थन के लिए विभिन्न विचारों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया गया है¹। इस सिद्धांत ने जहाँ पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के खोखलेपन को स्पष्ट कर दिया, वहाँ यह एक नए समाज की रचना नहीं कर सका। इसके संस्थापक जैरमी बेंथम (1748-1832 ई०) ने किंतु उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें हेल्वीटियस (Helvetius) (1715-1771 ई०) से प्रेरणा मिली। इसका यह विचार था कि शासन का उद्देश्य 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित साधन' होना चाहिए और यह विचार भी उसी का था कि 'मनुष्यों तथा और राज्यों के बापों के स्रोत दुख और सुख हैं'।

उपयोगिता का सिद्धांत—बेंथम का प्रमुख ग्रन्थ² जिसमें उसके लगभग सभी सिद्धांत प्रतिपादित हैं, 1789 ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें वह कहता है कि 'प्रकृति ने मनुष्यों को दो सम्पूर्ण प्रसुत्व-सम्पन्न मालिकों के शासन में रख दिया है, दुःख और सुख। केवल वे ही यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और वे ही यह निर्धारित करते हैं कि हम क्या करेंगे। बेंथम के अनुसार, इस सिद्धांत को सिद्ध करने की न कोई आवश्यकता है और न ऐसा करना सम्भव है। तथापि यह एक सर्वमान्य सत्य है। उसका मत है कि हमको जीवन के चरम लक्ष्य के बारे में अधिक विचार-विनिमय करने की क्या आवश्यकता है, जब हम यह जानते और मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 'आनन्द' चाहता है। अतएव, वह अन्य प्रचलित सिद्धांतों जैसे प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकार, न्याय, अतःकरण, विवेक आदि को अस्पष्ट बताते हुए अमान्य ठहरा देता है और केवल 'उपयोगिता' के सिद्धांत को स्वीकार करता है। उपयोगिता की व्याख्या करते हुए वह कहता है कि यह एक वस्तु के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उससे हित, लाभ, सुख, भलाई अथवा आनन्द प्राप्त होता है या शरारत, दुःख, बुराई, क्लेश की रोकथाम हो जाती है।

बेंथम के अनुसार, शासन और कानून की उत्पत्ति और अस्तित्व उनकी

1 *Government and the Governed*, लन्दन, 1945, पृष्ठ 142.

2 *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*

सामान्य उपयोगिता पर निर्भर है और उनका पालन भी लोग इसलिए करते हैं कि वे उपयोगी हैं। अतः वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि विधि निर्माण भी उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। वह इस सिद्धांत को सविधानी विधि सम्बन्धी और दण्ड सम्बन्धी क्षेत्रों में समान रूप से लागू करता है। उसका उद्देश्य प्रस्तुत कानून में सुधार कर सहिता (code) बनाना था। संभवतः इसी कारण उसने उपयोगिता के सिद्धांत का वर्णन करते हुए 'अधिकतम व्यक्तिपक्ष की अधिकतम भलाई' के रूप में उसकी व्याख्या की।

सुख की गणना—यदि सुख और दुःख की अनुभूति सर्वोपरि है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनके स्रोतों का पता लगाएँ। बेंथम के अनुसार, ये चार प्रकार के होते हैं (1) भौतिक, जिनसे हमारे शरीर अथवा इंद्रियों का सम्बन्ध है, (2) राजनीतिक, जो राजनीतिक सत्ता के माध्यम से प्राप्त होते हैं, (3) नैतिक, जो अंतरात्मा अथवा लोकमत से प्रभावित होते हैं, और (4) धार्मिक, जिनका सम्बन्ध हमारे भगवान में विश्वास तथा वर्तमान और भविष्य जीवन सम्बन्धी हमारी मान्यताओं से है। बेंथम के अनुसार, सुखों के महत्त्व में कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी, सुखों का मूल्यांकन करना लगभग असम्भव है। इसलिए उसने कहा कि गुण की दृष्टि से सभी सुख एक-समान हैं। हाँ, मात्रा में वे कम या अधिक हो सकते हैं। जहाँ तक व्यक्ति का सम्बन्ध है, सुख की मात्रा चार बातों पर निर्भर है—उसकी तीव्रता, उसकी अवधि, उसकी निश्चयारमकता, और उसकी निकटता (अथवा दूरी)। किसी कार्य के महत्त्व को समझने के लिए दो अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा : अर्थात् उबरंता (उसी प्रकार के अन्य सम्बेदनो की सम्भावना) और उसकी विगुदता (उसके साथ प्रतिकूल सम्बेदन तो नहीं होंगे ?)। यदि व्यक्ति के स्थान पर किसी व्यक्ति समूह के सुख की गणना करनी हो तो हमें विस्तार क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा अर्थात् हमें यह भी देखना होगा कि किसी कार्य से कितने व्यक्तियों को कितने सुख की प्राप्ति होगी (ध्यान रहे कि बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 'एक' गिनना चाहिए)। बेंथम ने अपनी गणना में 14 प्रकार के साधारण सुख और 12 प्रकार के साधारण दुःखों की गिनती की। तथापि, उसने स्वीकार किया कि उसकी सूची सम्पूर्ण नहीं है। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त उसका कहना यह था कि गणना करते समय हमें परिस्थितियों पर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वार्थ, सामाजिक पद, शिक्षा, नीतिबोध आदि। उसने 30 परिस्थितियाँ गिनाई हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बेंथम का विश्वास था कि उपर्युक्त ज्ञान के आधार पर विधि-निर्माण वंजानिक हो जाएगा। आवश्यकता केवल इस बात की होगी कि कानून बनाते

समय हम सुख और दुःख का ऐसा मिश्रण तैयार करें जिसमें दुःखों की अपेक्षा सुख कुछ अधिक मात्रा में हो। इस प्रकार कार्यों का औचित्य गणित का एक सरल प्रश्न बन जाएगा। उसके मतानुसार कार्यों का औचित्य देखने अथवा विधि निर्माण में हमें सम्बन्धित व्यक्तियों की भावना (motive), कार्यों के परिणामों के बारे में आभास और उनके उद्देश्य (intention) पर भी ध्यान देना होगा। उद्देश्य मनुष्य को काम की प्रेरणा देता है और उसका दृढ़ विश्वास था कि जीवन में काम की प्रेरणा देने वाली केवल दुःख और सुख की अनुभूतियाँ हैं। उसके मतानुसार, किसी कार्य का उद्देश्य अच्छा माना जायगा यदि उसकी भावना भी अच्छी हो; वह बुरा है यदि उसकी भावना बुरी हो, और भावना का भला या बुरा होना इस बात पर निर्भर है कि उसके भौतिक परिणाम क्या होते हैं। अतएव, वह 'सदाशय' अथवा उदारता के भाव को 'उद्देश्यों में प्रमुख स्थान देता है। इसके बाद 'यश की इच्छा' आती है। बेंथम के अनुसार इन दोनों की प्रोत्साहन देना चाहिए। डेविडसन के अनुसार, उद्देश्यों वा यह मूल्यों-कन बेंथम की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि उपयोगितावाद स्वयं पर आधारित व्यवस्था नहीं है¹।

शासन-सम्बन्धी विचार—विलियम ऐवेग्सटीन के अनुसार, बेंथम की सबसे बड़ी देन यह विचार है कि गुशासन प्रारम्भिक अनुसंधान की दृढ़ नींव पर ही स्थापित हो सकता है। उसका मत था कि जब तक शासक और दासितो के हितों में समानता नहीं होगी तब तक गुशासन नहीं हो सकता²। उसका मत था कि लोकतंत्रीय प्रणाली में गुशासन की सम्भावना अधिक है। बेंथम के अनुसार, सरकार में तीन प्रमुख गुण होने चाहिए (1) प्रज्ञान, जिससे वह जनता के यथार्थ हित की बात समझ सके, (2) सद्बिचार, जिससे वह सदैव इन हितों के अनुकूल आचरण करे, और (3) यथेष्ट शक्ति का होना, जिससे वह अपने ज्ञान और उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर सके।

जो विधायक जनता को सुखी देखना चाहते हैं, उन्हें चार लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए : जीवन-निर्वाह, पूर्ण तुष्टि, सुरक्षा और समानता। यदि किसी समय सुरक्षा और समानता के तत्त्वों में विरोध हो, तो सुरक्षा की ही प्रधानता दी जानी चाहिए। सुरक्षा के अभाव में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा। अतएव, समानता को उनी सीमा तक लक्ष्य बनाना चाहिए जहाँ तक वह सुरक्षा के मार्ग में बाधक न बने। विधायकों की गणना में प्रत्येक नागरिक को बराबर मानना

1 *Political Thought in England The Utilitarians from Bentham to J. S. Mill*, सदन, 1935, पृष्ठ 60

2 *Great Political Thinkers*, न्यूयार्क, 1951, पृष्ठ 483.

चाहिए अर्थात् उसे एक गिनना चाहिए। कहने का आशय यह है कि बैयम सभी नागरिकों को समानता का सुयोग देने के पक्ष में था। आगे चलकर वह पूर्ण राजनीतिक समानता का प्रबल समर्थक हो गया।

आर्थिक क्षेत्र में बैयम व्यक्तिवादी था, तथापि उसमें कट्टरता नहीं थी। आवश्यकतानुसार, उपयोगिता के आधार पर आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्त-क्षेप का वह विरोधी न था। वह स्वीकार करता था कि राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा का उत्तरदायित्व सम्हालना चाहिए। साथ ही, उसे लोगों की जीविकोपार्जन और सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक अर्थ में वह अपने समय की विचारधारा से कुछ आगे बढ़ कर सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी कार्यों का समर्थक बन गया। उसके अनुसार, नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान काल और परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। बैयम के इस दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर उपयोगितावाद समाजवाद की धारा से जा मिला।

आलोचना

उपयोगितावादी सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। सर्वप्रथम, यह कहा गया है कि सुख-दुख का यह सिद्धांत गम्भीर नहीं है। देखने में यह सरल और स्पष्ट लगता है, किंतु वास्तव में यह विचारों की दृष्टि से उथला और सकीर्ण है। इसकी सरलता और सुस्पष्टता दार्शनिक गम्भीरता की परिचायक नहीं है। सच बात यह है कि मनुष्य में केवल सुख-दुख की भावना ही नहीं है, उसमें कुछ नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ और विवेक भी होता है जिन पर बैयम पूरा ध्यान नहीं देता। इसी का परिणाम है कि बैयम नैसर्गिक आचरण को नि स्वार्थ भाव से किया गया काम नहीं मानता। उदाहरण के लिए, एक माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाना अथवा महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का आमरण अनशन करना — ऐसी बातों की व्याख्या भी वह सुख-दुख के अनुष्ण करता है। उपयोगितावादी यह भूल जाते हैं कि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसके आचरण को प्रभावित करती हैं और सुख दुःख की अनुभूतियाँ इनमें से कुछ हैं। माटग्यु ने उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि बैयम के विचारों में सदगुणों और नैसर्गिक प्रवृत्तियों को कोई स्थान नहीं दिया गया¹। दूसरे, बैयम का यह विचार कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को समझता है, तथ्यों से प्रतिकूल है अस्तुत बड़ा कम व्यक्ति अपने दीर्घकालीन हित की बात सोचते

1 दमिए बैयम की *A Fragment of Government*, लंदन, 1921, में उनकी प्रशंसा।

हैं। तीसरे, वैयम 'अच्छाई', 'लाभ', 'सुख' और 'आनन्द' को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करता है। वह यह स्वीकार नहीं करता कि 'आनन्द' एक गम्भीर आत्मिक भावना है जबकि 'सुख' इन्द्रियजनित है। उदाहरण के लिए एक सत का जीवन अच्छा होता है, किंतु क्या वह सुखी होता है? यही नहीं आनन्द के अतिरेक से व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती, किंतु अत्यधिक सुख हानिकारक हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि सुख और आनन्द एक ही बात नहीं है। चौथे, विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद होते हैं जिन्हें उसके अनुयायी जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वीकार किया है। वैयम का यह विचार था कि यदि मनुष्य सुखी है और यदि व्यक्तिगत सुख उपयोगिता के सिद्धांत का विरोधी नहीं है, तो हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यह सुख किस प्रकार का है। इसके विपरीत मिल का आग्रह था कि सुकरात जैसे महान् व्यक्ति का असंतोष किसी निकम्मे व्यक्ति के संतोष से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे असंतोष के पीछे जीवन को उत्तम बनाने का आग्रह है¹। पाँचवें, सुख और दुख की अनुभूति का सम्बन्ध वस्तु-विशेष अथवा परिस्थिति से होता है और उसे पृथक् करके नहीं देखा जा सकता अतएव, उसकी गणना करना बहुत कठिन है। यही नहीं, सुख और दुख की भावनाएँ व्यक्तिगत होती हैं और उनकी सख्यात्मक गणना यदि असम्भव नहीं हो दुष्कर अवश्य होगी। छठे, वैयम का यह विचार कि सभी व्यक्तियों को समान मान कर गणना करनी चाहिए इस बात का स्रोतक है कि वह समाज को व्यक्तियों का समूह-मात्र मानता था। सम्भवतः इसी कारण वह 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित' की चर्चा करता था, सामान्य हित की नहीं। यही नहीं, राज्य में न केवल वर्तमान पीढ़ी की ओर ध्यान देना होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की मलाई को भी सोचना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्तमान सुखों का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ सुखी रहे। वैयम इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता अथवा इसे भी वह सुख दुःख की मापजोड़ में ले आता है। सातवें, वैयम की गणना-प्रणाली से ऐसा लगना है कि जैसे व्यक्ति एक अत्यन्त स्वार्थी प्राणी हो जो हर समय इसी बात की गणना किया करता हो कि उसे अधिकतम सुख किस प्रकार प्राप्त होगा। यद्यपि वैयम यह स्वीकार करता है कि किसी सगठित जनसमुदाय में प्रथाओं, कानूनों, नियमों और संस्थाओं से हमें निर्देश मिल जाते हैं जो उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुष्ण होने हैं, तथापि इस बात का निरचय कर्म हो कि वास्तव में वे उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल हैं। वैयम स्वयं यह स्वीकार करता है कि सभी प्रथाएँ और संस्थाएँ उपयोगी नहीं होतीं। आठवें, यदि

व्यक्ति केवल सुख-दुख की भावना से प्रेरित होकर काम करता है तो क्या यह मान लिया जाए कि गणना कार्य में भी उसे सुख मिलता है ? नहीं, व्यक्ति का कोई भी कार्य पूरी तरह से निजी नहीं होता ; प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ प्रभाव दूसरों पर भी होता है , लेकिन बंधम इन सामाजिक प्रभावों की ओर कोई ध्यान नहीं देता । दसवें, जैसाकि माटेग्यु ने कहा है, उपयोगिता का सिद्धांत आलोचनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तथापि वह सृजनात्मक नहीं है¹ । अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि बंधम का मनोविज्ञान यथेष्ट नहीं है । उसने मानव प्रवृत्तियों को समझने में भूल की है और इतिहास से कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं की । सुपरी हुई कानून-सहिता बनाने के जोश में वह यह भूल गया कि पूर्व धारणाओं पर आधारित कानून प्रायः अव्यावहारिक प्रमाणित होते हैं ।

3 आदर्शवाद

राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत बहुत पुराना है । प्राचीन यूनान के प्रमुख आदर्शवादी विचारक प्लेटो और अरस्तू के अनुसार, व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य अपरिहार्य है । राज्य के बिना व्यक्तियों को 'सद्जीवन' प्राप्त नहीं हो सकता । आधुनिक काल में रुसो, इमानुएल कान्ट (1724-1804 ई०), हेगल (1770-1831 ई०), ग्रीन (1836-1882 ई०), ब्रैंडले (1896-1924 ई०), और बर्नाडि बोसाचे (1848-1923 ई०) इस सिद्धांत के प्रतिपादक हुए । इनमें से पिछले तीन विद्वान अंग्रेज हैं । उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में आदर्शवाद का बहुत प्रचार हुआ । इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए वाकर ने कहा है कि इस समय तक व्यक्तिवाद की कमियाँ स्पष्ट हो गई थीं और राज्य के कार्यों में धीरे-धीरे वृद्धि होने लगी थी² । कुछ विद्वान यह मानने लगे थे कि व्यक्ति की भलाई समुदाय के माध्यम से हो सकती है । अतएव, एक ऐसे नए सिद्धांत के प्रतिपादन करने की आवश्यकता थी जो इंग्लैंड की समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल हो । आदर्शवादी सिद्धांत ने इस आवश्यकता को पूरा किया ।

आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को एक ऐसी नैतिक गतिमानता मानता है जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । यह केवल मनुष्यों के स्वभाव और उनकी परिस्थितियों के ही अनुभूत ही नहीं है, अपितु राज्य में रहकर ही मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास सम्भव है । राज्य के बाहर व्यक्तित्व का पूर्ण विकास

1 यही, पृष्ठ 43.

2 *Political Thought in England*, पृष्ठ 19-23

नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि राज्य ही ऐसी संस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी चतुर्मुखी उन्नति कर सकता है। कुछ आदर्शवादियों के अनुसार, राज्य और समाज में कोई भेद नहीं है। उनका मत है कि राज्य मनुष्यों की भावनाओं और आकांक्षाओं को समाहित करता है। अतएव, व्यक्ति को प्रशन्नतापूर्वक राजाज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में उसकी अर्थात् स्वतंत्रता निहित है। इस प्रकार आदर्शवादी राज्य को केवल स्वामाजिक ही नहीं बताने, बल्कि व उसे व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के लिए भी आवश्यक मानते हैं। हेगल का विचार है कि राज्य व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने वाली एक संस्था है और राज्य में रहकर ही मनुष्य को 'सच्ची स्वतंत्रता' प्राप्त हो सकती है। यद्यपि मनुष्य एक विवेकपूर्ण और नैतिक प्राणी है, तथापि उसके अंदर अनेक इच्छाएँ, कामनाएँ और आकांक्षाएँ होती हैं जिनके बर्धन होकर वह अपने स्वार्थ की बातें सोचने लगता है और सर्वोपमनोवृत्ति अपना लेता है। ऐसी दशा में उसका व्यक्तित्व भी पूरी तरह उमर नहीं पाता। व्यक्ति भले ही अपने का स्वतंत्र समझे, वस्तुतः वह अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं का दास होता है। इस दानता से मुक्त होना केवल एक ही उपाय है, अर्थात् राज्य के आदेशों का पालन करना। राज्य के कानून और आदेश व्यक्तियों के सामान्य हित में होते हैं और वे व्यक्तियों की सामान्य भलाई के अनुकूल होते हैं। अतः राज्य के कानून व आदेशों का पालन करने से नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता, अतः उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार, आदर्शवादी प्रायः राज्य को बहुत अधिक महत्त्व देते हैं और व्यक्ति को राज्य के अधीन करने में उन्हें कोई आपत्ति अथवा हिचक नहीं है।

आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक साधन नहीं बल्कि साध्य है। उसकी सत्ता और अधिकार सर्वोपरि हैं। राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। राज्य की इच्छा सामूहिक भलाई को ध्यान में रखती है। अतएव राज्य के आदेशानुसार काम करने में व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती, अतः उसका कल्याण ही होगा। हेगल जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य की आज्ञा के अनुसार काम करने में ही व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार के विचारों में राज्य की निरंकुशता की प्रशंसा मिलती है और व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा हो जाती है। राज्य व्यक्तियों के कल्याण का साधन न रह कर स्वयं साध्य बन जाता है। ऐसे विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोग नागरिकों में राज्य के लिए अपना सर्वस्व वनिदान करने की माँग करने लगे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उनके विचारों के अनुसार राज्य प्रमुख हो जाता है और व्यक्ति गौण। असाहचर्य के लिए, मर्यादा न कहा कि यदि व्यक्ति

स्वेच्छापूर्वक 'सामान्य इच्छा' का पालन नहीं करता तो राज्य को उसे बलपूर्वक स्वतंत्र करना चाहिए अर्थात् उस 'सामान्य इच्छा' मानने के लिए बाध्य करना चाहिए।

यह सच है कि आदर्शवादी जिस राज्य की चर्चा करते हैं वह काल्पनिक है। कई आदर्शवादी इसे स्वीकार करते हैं कि वस्तु-जगत् में इस प्रकार के आदर्श राज्य नहीं होते। तथापि यह देता गया है कि व्यावहारिक राजनीति में प्रायः काल्पनिक आदर्श राज्य और यथार्थ राज्यों के भेद को भुला दिया जाता है। इस प्रकार की गड़बड़ी करने में हेगल प्रमुख था। एक ओर वह राज्य को इस संसार में भगवान का रूप बताता है किंतु दूसरी ओर वह अपने समकालीन सामतवादी जर्मन राज्य के यश के गीत गाने लगता है। वह ऐसी बात बहता है जिससे इस धारणा की पुष्टि हो जाती है कि वह तत्कालीन जर्मन राज्य को ही आदर्श मानने लगा था। ग्रीन ने इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने का प्रयत्न किया। ग्रीन एक उदार और गम्भीर आदर्शवादी थे जिसने समाज और राज्य के भेद पर बल दिया है। उसके मतानुसार, यद्यपि राज्य एक सर्वोपरि और अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था है तथापि वह हमेशा जनसमुदाय की मान्यताओं के अनुकूल आचरण नहीं करता। वह स्वीकार करता है कि कभी-कभी समाज नई मान्यताओं को मान लेता है, किंतु राज्य द्वारा इनके माने जाने में समय का व्यवधान हो जाता है। यदि राज्य का संगठन लोकतंत्रीय हुआ और नागरिक राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हुए तो सरलता और शीघ्रता से राज्य प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को मान लेता है। किंतु यदि राज्य का स्वरूप अलोकतंत्रीय हो अथवा राज्य जनता की इच्छाओं और भावनाओं का आदर न करे तो सम्भव है कि राज्य ने आदेश और कानून लोकमत के अनुकूल न हो और वे लोकहित की अपेक्षा करें। इस प्रकार ग्रीन, हेगल के उग्र विचारों से सहमत नहीं है और वह इसके लिए उत्सुक है कि नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त हो। उसका दृढ़ विश्वास था कि 'राज्य का आधार क्षति नहीं, अपितु इच्छा है'। उसने अनुसार अलोकतंत्रीय राज्यों में भी सरकार को उसी सीमा तक संपत्ति प्राप्त होती है जहाँ तक उसके कार्य और आदेश जनता की सम्मति के अनुकूल और लोकहित से प्रेरित होते हैं। वस्तुतः, इस युग में सभी सरकारें इसका प्रचार करती हैं कि वे लोकहित में काम कर रही हैं और लोकमत के अनुसार ही अपनी नीति निर्धारित करती हैं। ग्रीन ने उदार विचारधारा का परिचय इसी में मिल जाता है कि जहाँ ऐंग्ल अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार नहीं करता और राज्य पर कोई बाह्य अनुशासन या नियंत्रण नहीं मानता, वहाँ वह इन कानूनों की सीमा को मान्यता देता है। काट की भाँति उसकी विद्वत् बभुत्व में

भी आस्था है। उसका दृढ़ विचार है कि राज्य को केवल ऐसे युद्धों में भाग लेना चाहिए जो रक्षात्मक हों; राज्य की नीति आक्रामक नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर वह व्यक्ति को ऐसे राज्य का समर्थन न करने की छूट देता है। स्पष्टतः ग्रीन युद्धविरोधी और विश्वव्युत्पन्नता का प्रबल समर्थक था।

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में आदर्शवादियों के विचार समरूप नहीं हैं। हेगल राज्य को नियंत्रण के लिए यथेष्ट शक्ति देने को उद्यत था। किंतु जहाँ तक ग्रीन का मत है, वह राज्य के कार्यों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। उसका विचार है कि राज्य प्रत्यक्ष रूप से सद्जीवन की प्राप्ति अथवा नैतिक उन्नति के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, परोक्ष रूप में वह व्यक्तियों की सहायता अवश्य कर सकता है। इस सहायता का रूप यह हो सकता है कि वह मनुष्यों के मार्ग से वे सभी बाधाएँ हटा दे जो उसके नैतिक विकास में रुकावट लाती हैं। उसका कहना है कि राज्य दबाव डालकर न तो व्यक्तियों को नैतिक बना सकता है और न उनसे नैतिक काम करा सकता है। किंतु अपने विचारों के अनुरूप वह इस बात का समर्थन करता है कि राज्य निरक्षरता, अज्ञान, नशाखोरी, दरिद्रता आदि पर विजय प्राप्त करने में नागरिकों को अप्रत्यक्ष सहायता दे। इस प्रकार, ग्रीन ने राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नए विचार प्रस्तुत किए और इस बात को सम्भव बना दिया कि राज्य 'सामूहिक कल्याण' के कार्य कर सके।

ग्रीन का मत था कि दंड का अभिप्राय व्यक्ति का नैतिक सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा सुधार मनुष्य की अंतरात्मा से होता है। अतः भारी से भारी दंड देने पर भी एक अपराधी को उसकी इच्छा के विरुद्ध सुधारा नहीं जा सकता। राज्य केवल अपराधी के मन में सुधार की इच्छा फिर से जागृत कर सकता है। उसके अनुसार दंड का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों की नैतिक इच्छा को स्वतंत्र बनाए रखना है। अतः अपराधी ने जिस अधिकार का उल्लंघन किया है उसके महत्त्व के अनुसार उस दंड मिलना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी को बतला पहुँचाना नहीं है और न उसे पुनः अपराध करने से रोकना है। उसका उद्देश्य अपराध के प्रति लोगों के मन में ऐसा भय उत्पन्न कर देना है जिससे अपराध में उनकी प्रवृत्ति न हो।

सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी ग्रीन का रुत उदारवादी है। व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक समझा कर वह उसका समर्थन करता है। सम्पत्ति स्वतंत्र जीवन सिद्धांत के अधिकार का सत्य परिणाम है। अतः ग्रीन कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति एकत्र करने की मुक्ति मिलनी चाहिए। किंतु व्यक्तियों की सम्पत्ति पैदा करने की क्षमता समान नहीं होनी, अतः व्यक्तिगत

सम्पत्ति भी असमान होगी और सामाजिक तथा व्यक्तिगत दृष्टि से इसमें कोई हानि भी नहीं है। तथापि राज्य को सचेत रहना चाहिए कि वही कुछ लोग सम्पत्ति का सग्रह इस प्रकार न करने लगें कि दूसरे नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति में गम्भीर बाधाएँ उपस्थित हो जाएँ। इन्हीं विचारों के अनुरूप, ग्रीन भू-सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को सीमित करने के पक्ष में था। यह उत्तराधिकार और व्यापारिक स्वाधीनता का समर्थन करता था।

हेगल के विपरीत, ग्रीन लोकतंत्रीय प्रतिनिधिय प्रणाली का प्रबल समर्थक था और साथ ही वह व्यापक मताधिकार के पक्ष में भी था। इसका अधिक प्रशंसनीय बात यह है कि उसने अपनी उदारवादी विचारधारा के अनुरूप व्यावहारिक राजनीति में काम करके दिखाया और ऑक्सफोर्ड में अपने राजनीतिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठा पाई।

मूल्यांकन

हम देना चुने हैं कि आदर्शवादी विचारधारा में कुछ विद्वान उग्र हैं। वे राज्य को अत्यधिक गौरव प्रदान करते हैं और उसकी निरंकुशता का खुला समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि वे व्यक्ति को साधन मात्र मानकर राज्य के लिए उसे जीवन उत्सर्ग करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे विद्वानों के अनुसार राज्य न केवल सर्वोपरि है, अपितु सच कुछ है और राज्य के बाहर अवकाश परे कुछ भी नहीं है। इसने विपरीत ग्रीन जैसे उदार दृष्टिकोण वाले आदर्शवादी हैं जिनकी व्यक्ति के अधिकारों के प्रति गहरी आस्था है और जो राज्य को एक उत्तम नैतिक सस्था मानत हुए भी यह नहीं भूलते कि यथायं राज्यों में अनेक दोष और कमियाँ हो सकती हैं। ग्रीन जैसे लेखकों के कारण ही समकालीन जगत् में आदर्शवाद को समर्थन मिला, क्योंकि उन्होंने इस पुरानी विचारधारा को लोकतंत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का सफल प्रयास किया।

आदर्शवादी विचारधारा की होम्हाउस, सास्वी, मैन्वीयर आदि विद्वानों ने कभी आलोचना की है। होम्हाउस के षष्पनानुसार, इससे अधिक उत्तरनाक अन्य कोई सिद्धांत नहीं बना जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की दृढ़ता उपेक्षा की हो और निरंकुशता का दाना सूना समर्थन दिया हो। स्पष्ट है कि होम्हाउस का यह विचार ग्रीन जैसे उदारवादियों पर लागू नहीं होता। इसकी आलोचना करते हुए विचारकों ने कहा है कि आदर्शवाद जीवन की यथार्थताओं से बहुत दूर है। विनियम जगत् इमें 'एक विगुद धौदिक सिद्धांत' बताते हैं। यस्तु आदर्शवाद मनुष्य को कथन एक विवेकशील प्राणी मानता है और उसके दृग्ग पशुआ पर कोई ध्यान नहीं देता। पिछले दिनों मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधान में यह स्पष्ट हो गया है कि 'चेतन मन' मनुष्य के जीवन पर बहुत कम प्रभाव

डालता है। रोहम वैलास के अनुसार, यह सत्य है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तथापि हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि वह प्रायः बिना विवेक का सहारा लिए आचरण करता है। इसके विपरीत, आदर्शवादी विचारों को बहुत महत्त्व देते हैं। उनकी धारणा है कि मनुष्य की भौतिक और लौकिक इच्छाएँ और आकांक्षाओं का इतना अधिक महत्त्व नहीं है जितना सद्विचारों का। उनके अनुसार, मनुष्यों को भावनाओं और आवेगों के अधीन नहीं होना चाहिए बल्कि विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। आदर्शवादियों का कहना है कि व्यक्ति को अपने सकुचित स्वार्थ अथवा हित की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु सामान्य हित के अनुकूल आचरण करने चाहिए। यही नहीं, उनका कहना है कि यदि व्यक्ति किसी सकुचित हित की दृष्टि से कार्य करता है तो वह कहने भर को स्वतंत्र होना है वास्तव में वह हम कह सकते हैं कि अपनी वासनाओं और इच्छाओं का दास है। सच्ची स्वतंत्रता उसे तभी प्राप्त होती है जब वह अपनी भौतिक इच्छाओं, और वासनाओं से ऊपर उठकर सामान्य हित की दृष्टि से विचार करे और उसी के अनुरूप आचरण करे। स्पष्ट है कि आदर्शवादी यह भूल जाते हैं कि मनुष्य के अंदर भली-बुरी सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित की बात भी सोचता है और सामाजिक हित के कार्य भी करता है। इन प्रवृत्तियों में से कुछ को 'उच्च' कहना और कुछ को 'निम्न' बताना एक ऐसा मूल्यांकन है जिससे सम्भवतः सभी विचारक सहमत न हों। यह कहना कि 'सच्ची स्वतंत्रता' केवल सामान्य हित के कार्य करने में है, स्वतंत्रता की एक ऐसी व्याख्या देना है जिसको आधार मानकर व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत अधिकारों पर कुठारापात किया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, अतः वह व्यक्तिगत भलाई का एक साधन मात्र है¹। अतः हमें व्यक्तिगत भलाई को ही प्रमुख स्थान देना होगा, राज्य को नहीं। फिर, आदर्शवादी कल्पनाजगत् में वह एक आदर्श-राज्य चित्रित करते हैं, और उसमें व्यक्ति का क्या स्थान हो, उसका राज्य के प्रति क्या हस्त हो, आदि का वर्णन करते हैं। यद्यपि कुछ आदर्शवादी यह स्वीकार करते हैं कि यथार्थ में आदर्श राज्य देखने को नहीं मिलते, फिर भी जहाँ व्यावहारिक राजनीति का प्रश्न आता है, प्रायः ये लोग राज्य और यथार्थ राज्यों के प्रभेद को भूल जाते हैं। फल यह होता है कि सैद्धांतिक रूप से हम नागरिकों को एक आदर्श राज्य के प्रति जैसा हस्त अपनाते की प्रेरणा देते हैं, व्यवहार में हम यह आशा करने लगते हैं कि वैसा ही हस्त वह प्रस्तुत राज्यों के सम्बन्ध में भी अपनाएँ। यह आदर्श और यथार्थ की गोलमाल नागरिकों को बहुत महेगी

¹ जेम्स का उपर्युक्त प्रत्यय, पृष्ठ 18.

पडती है ।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्बन्ध में आदर्शवादियों की धारणा तकसंगत नहीं लगती । उदाहरण के लिए रूसो का यह विचार है कि 'यदि व्यक्ति स्वेच्छा-पूर्वक सामान्य इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करता तो उसे बलपूर्वक स्वतंत्र बनाना चाहिए', व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपहास करता है । प्रसन्नता की बात है कि ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादियों ने यह स्वीकार किया है कि राज्य दंड की व्यवस्था द्वारा अथवा बाहरी दबाव डालकर किसी व्यक्ति को नैतिक नहीं बना सकता । साथ ही, आदर्शवादियों का ये विचार भी कि राज्य व्यक्तियों की 'यथार्थ इच्छा' की प्रतिमूर्ति होता है, अतः, राज्य के कानूनों और आदेशों के पालन करने में ही 'सच्ची स्वतंत्रता' निहित है, तकसंगत नहीं है । अनुभव से कौन व्यक्ति यह नहीं जानता कि अच्छे से अच्छे राज्य में अनेक दोष और कमियाँ हो सकती हैं । साथ ही, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि व्यावहारिक राजनीति में सरकार ही राज्य के नाम पर शासन चलाती है । कहने का अर्थ-प्रायः यह हुआ कि जब हम राज्य को अत्यधिक गौरव प्रदान करते हैं तो वास्तव में हम सरकार को अनियंत्रित सत्ता सौंप रहे हैं । आज के युग में ऐसे विचार मानने वाले बहुत कम मिलेंगे । लोगों का आम विश्वास है कि नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए जिन्हें यथासम्भव सविधानी सरक्षण प्राप्त हों । यही नहीं, देश में 'विधि शासन' होना चाहिए और सरकार को मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए । आज बहुत कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि सरकार को सत्ता असीमित अथवा अनियंत्रित हो । ऐसी दशा में राज्य के सम्बन्ध में ऐसी बातें कहना मानो 'वह भगवान की प्रतिमूर्ति हो' अनुचित प्रतीत होता है ।

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में आदर्शवादियों की व्याख्या भी अधिक सतोप-जनक नहीं है । यह ठीक है कि ग्रीन ने एक नई व्याख्या दे कर राज्य के कार्यों में बड़ोत्तरी की । तथापि यह कहना कि राज्य के कार्य नकारात्मक होने चाहिए, अब स्वीकार नहीं किया जाता । कम से कम सम्पन्न देशों में तो अब यह नई विचारधारा चल पडी है कि राज्य लोक-कल्याणकारी होने चाहिए और उसे एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, और ऐसी परिस्थितियाँ तथा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मुचास रूप से जीवन व्यतीत कर सकें और उनकी चहुमुखी उन्नति सम्भव हो ।

हम देश छुने हैं कि कुछ उग्र आदर्शवादी समाज और राज्य के भेद को ही पुना देते हैं । इसका फल यह होता है कि वे राज्य के कार्यक्षेत्र पर कोई बंधन अथवा अकुशल स्वीकार नहीं करते । इस सम्बन्ध में हमें ग्रीन के विचार अधिक

युक्तिसंगत प्रतीत होने हैं। वह न केवल इस प्रभेद को ही स्वीकार करता है, अपितु स्पष्ट रूप से यह मानता है कि राज्य दोषपूर्ण हो सकता है। यही नहीं, वह यह स्वीकार करता है कि एक लोकतंत्रीय शासन में भी व्यक्ति को राज्य के विरोध करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके मतानुसार, साधारणतः यह विरोध शांतिपूर्ण और सविधानी ढंग से होना चाहिए। किंतु जहाँ तक व्यक्ति की अंतरात्मा का प्रश्न है, अकेले होने पर भी धीरे-धीरे व्यक्ति को विरोध प्रकट करने का पूर्ण अधिकार देना है।

यही नहीं, उग्र आदर्शवादियों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों को अनियंत्रित और उत्तरदायित्वहीन बनने का भोत्साहन मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उग्र आदर्शवादी कोई नियंत्रण स्वीकार नहीं करते। इनमें से कुछ तो यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि वे युद्ध की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि शक्ति-दासी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आदर्शवादियों के मुख से शक्ति का यह समर्थन असंगत प्रतीत होता है। जोड (Joad) के मतानुसार, इस विचारधारा के कारण राज्यों को वैदेशिक मामलों में और अधिक अनैतिक और अविचारपूर्ण कार्य करने का अधिकार मिल जाएगा।

यदि यह मान भी लिया जाए कि राज्य से पृथक् रहकर व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, तो भी क्या यह आवश्यक है कि हम राज्य को अनियंत्रित और सर्वशक्तिमान मान लें? जोड के कथनानुसार, राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए है, व्यक्तियों का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं।

जोड और मैकीवर जैसे विद्वान यथार्थ और वास्तविक इच्छा के विभेद को सैद्धांतिक रूप से विवृत और व्यावहारिक रूप में अस्पष्टीकृत मानते हैं। होम्हाउस का विचार भी इसी प्रकार का है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि राज्य को एक व्यक्ति मानना अथवा यह कहना कि राज्य की अपनी इच्छा होती है, विचारों में उत्तमन पैदा कर देता है और इस आधार पर एक मान्य विचारधारा नहीं बनाई जा सकती।

सत्य का शत्रु—इन आलोचनाओं के होते हुए भी हमें यह मानना पड़ेगा कि आदर्शवाद हमारे सम्मुख कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए उसका यह कहना कि व्यक्तियों का दृष्टिकोण अपने व्यक्तिगत हित अथवा छोटे समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहिए और उन्हें पूरे समाज की मलाई की दृष्टि से मोचना चाहिए, एक ऐसा सत्य है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका यह विचार भी ठीक है कि मनुष्य न तो अकेला रह सकता है और न अकेला रहकर यह अपना पूर्ण विकास कर सकता है। उनके इस विचार में भी असहमति प्रकट नहीं की जा सकती कि हमारे जीवन

में विवेक को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए और हमें यथासम्भव विवेकानुसार आचरण करने चाहिए। उनका यह विचार कि व्यक्तियों की सच्ची स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने में है जो मनुष्योचित हैं और जो हमारे नैतिक विकास में सहायक होते हैं, उचित प्रतीत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदर्शवाद ने बैयम के उपयोगितावादी सिद्धांत की कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस दृष्टि से कुछ आलोचकों ने इसे उपयोगितावाद के विरुद्ध एक अभिनन्दनीय प्रतिक्रिया कहा है। तथापि बहुधा समकालीन राजनीति-शास्त्री आदर्शवाद का समर्थन नहीं करते।

4. नवीन व्यक्तिवाद

हम देख चुके हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक व्यक्तिवाद से लोगों की आस्था उठ गई। बहुत से विचारक यह स्वीकार करने लगे कि अहस्तक्षेप की नीति सामाजिक हित की दृष्टि से अनुचित है। अतः एक समष्टिवादी (Collectivist) विचारधारा का जन्म हुआ जो दूसरी 'अति' पर पहुँच गई, अर्थात् जिसने राज्य को एक आदर्श संस्था के रूप में मान्यता दी और यह मत प्रकट किया कि व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए और ऐसा करने में ही उसे 'सच्ची स्वतंत्रता' प्राप्त हो सकती है। आदर्शवाद, जिस पर हम विचार कर चुके हैं, इसी प्रकार की धारणाओं में आस्था रखता है। इस विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 'नवीन व्यक्तिवाद' का जन्म हुआ। नवीन व्यक्तिवाद राज्य की निरंकुशता का विरोधी है, तथापि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का उतना बड़ा समर्थक और पोषक नहीं है जितना कि समूह और समुदायों के अधिकारों का। अतः वाकरने ने इसे 'सामूहिक व्यक्तिवाद' का नाम दिया है। जोड के कथनानुसार, नए व्यक्तिवाद के जन्म में तीन प्रमुख बातों ने योग दिया : प्रथम, यह स्वीकार किया जाने लगा कि आधुनिक समाज की बनावट जटिल है और उसमें केवल व्यक्ति ही नहीं होते, बल्कि अनेक समुदाय और समूह भी होते हैं जिनके अपने अधिकार होते हैं, दूसरे, राज्य को निरंकुश बनाने की नई प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और राज्य को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा और तीसरे, धीरे धीरे विचारकों में इस भावना में जोड़ पकड़ा कि बहुमत का शासन सभी दशाओं में न्यायपूर्ण और उचित नहीं होता। इस प्रकार 'नवीन व्यक्तिवाद' के अनुयायियों में हम उन बहुलवादियों को भी सम्मिलित कर सकते हैं जो समुदायों के पक्ष का समर्थन करते हैं और यह माँग करते हैं कि राज्य को इनके अधिकारों और महत्त्व को सुले रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरे, इसने समर्थकों में उन लोगों की गिनती भी की जा सकती है

जो मानव मूलाधिकारों के समर्थक और पोषक हैं। इन लोगों की धारणा है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इन अधिकारों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। ये संरक्षण तभी मिल सकते हैं जब 'विधि शासन' को मान्यता प्राप्त हो। तीसरे, इसके अनुयायियों में उन विचारों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जिन्होंने प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रश्न उठाया और इस बात पर जोर दिया कि अन्य नागरिकों के समान उनके अधिकार भी उपलब्ध होने चाहिए। चौथे, इस सिद्धांत के समर्थकों में हम उन विचारकों को गिन सकते हैं जो राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए सघर्ष और प्रभाव को भय की दृष्टि से देखते हैं और जिनको यह आशंका है कि यदि दलों की संगठित शक्ति की यथोचित रोकथाम नहीं की गई तो व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। पाँचवें, इसमें हम उन विचारकों को भी ले सकते हैं जो प्रचलित लोकतंत्रीय प्रतिनिधि प्रणाली के विरुद्ध आपत्ति उठाते हैं और जिनका कहना है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नागरिकों के विचारों का यथार्थ प्रकाशन नहीं होता। छठे, इसके अंतर्गत वे अंतर्राष्ट्रीयवादी भी आ जाते हैं जिनका विश्वास है कि अब समय आ गया है कि हम संकुचित मनोवृत्ति छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार करें और विश्व शांति और व्यवस्था के प्रश्न को प्रथम स्थान दें। तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जोड़ द्वारा प्रचलित 'नवीन व्यक्तिवाद' अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि जोड़ ने इसके अंतर्गत जिन विचारकों और व्यक्तियों को सम्मिलित किया है उनके विरोध दृष्टिकोण और मान्यताएँ हैं। उदाहरण के लिए समुदायों के समर्थक बहुलवादियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इसी प्रकार, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के विरोधी विचारकों का अपना 'गिल्ड समाजवादी' सिद्धांत है और आधुनिक विचारधाराओं में उसे प्रमुख स्थान प्राप्त है। इन्हीं कारणों से 'नवीन व्यक्तिवाद' की सत्ता को अधिक मान्यता नहीं मिली।



राज्य के समाजवादी सिद्धांत

समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो इसने अनुयायियों के हाथों में पढ़ाए विभिन्न रूप धारण कर लेता है। इसने समर्थकों के अपने स्वभाव और जिन दोषों तथा विषमताओं के विरोधी है, उसके अनुरूप इस सिद्धांत का रूप भी बदल जाता है। संक्षेप में समाजवाद एक टोप के सदृश है जिसका रूप इसीरूप बिगड़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे धारण कर लेता है।

—सी० ई० एम० जोड

1. समाजवाद का अभ्युदय

समाजवाद व्यक्तिवाद का विरोधी है। उसका विश्वास है कि उत्पादन के साधन और उपकरणों पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामों को देखा कर विचारकों ने यह अनुभव किया कि आर्थिक क्षेत्र में अहस्ताक्षेप की नीति से निर्धन लोगों को बहुत बुरा और हानि उठानी पड़ती है। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र में खुले बाजार में स्पर्धा का परिणाम एकाधिकार के रूप में प्रकट होता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। जैसा कि हम देखा चुके हैं व्यक्तिवादी सिद्धांत के इन कमियों को देखाकर विचारक इस परिणाम पर पहुँचे कि समाज को निर्धन और निर्बल व्यक्तियों के हित में कुछ नियंत्रण लगाने पड़ेंगे। इसी भावना को लेकर समाजवाद का जन्म हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर भाग तक आते-आते इसका काफी प्रचार हो गया और उसमें कई मत मतान्तर बन गए जिनमें प्रमुख हैं मार्क्सवाद (अथवा साम्यवाद), सिडोरेलिस्म, गिहड समाजवाद और लोत्तरीय समाजवाद।

समाजवाद की परिभाषा—समाजवाद की कोई सवमान्य परिभाषा देना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि इसके अनुयायियों के विचार

एवसमान नहीं हैं। ला फिगारो ने, सन् 1892 ई० में प्रकाशित अपने ग्रन्थ में, समाजवाद की 600 परिभाषायें दीं। डॉन ग्रिफिथ्स ने भी सन् 1924 ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'समाजवाद क्या है' में इसकी 263 परिभाषायें दी हैं। वाइन्डहम अल्बरी के अनुसार, समाजवाद शब्द लैटिन के 'सोसस' (Socius) शब्द से निकला है जिसके अर्थ हैं साथी, सहायक अथवा भागीदार। अतएव, समाजवाद के अर्थ हुए भ्रातृभाव अथवा मित्रता। कहने का अभिप्राय यह है कि समाजवाद के अतर्गत प्रत्येक कार्य जनसाधारण की सेवा के लिए किया जाएगा¹। मैक्स बियर के अनुसार, यदि लोकतन्त्रवाद का आशय यह है कि जनता के राजनीतिक विषयों का शासन जनता द्वारा और जनता के हित में हो, तो समाजवाद का उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर जनता के हित में जनता का आधिपत्य स्थापित करना है। जी० डी० एच० काल के अनुसार समाजवाद में तिष्ठात की अपेक्षा विश्वास की भावना अधिक है। यह एक समाज को स्थापित करने की इच्छा और योजना है जिसका आधार सहयोग और भ्रातृभाव है। लास्की के अनुसार, समाजवाद का आशय उत्पादन और वितरण पर ऐसा आधिपत्य स्थापित करना है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की उन समस्त भौतिक और अर्थगत वस्तुओं तक पहुँच हो सके जिनके द्वारा वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। रैमजे मॅकडोनल्ड के अनुसार, समाजवाद का लक्ष्य समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों को संगठित करना और उन पर सामाजिक अधिकार स्थापित करना है। बरट्रेन्ड रतैल के अनुसार, समाजवाद का अर्थ भूमि तथा पूँजी पर सावजनिक अधिकार स्थापित करना है, साथ ही लोकतन्त्रीय शासन भी स्थापित करना है। इन परिभाषाओं को देखते हुए एहमन्ड कैली कहते हैं कि समाजवाद इतना विस्तृत विषय है कि उसे पूर्ण रूप से किसी एक परिभाषा के अतर्गत नहीं लाया जा सकता। रैमजे म्योर के अनुसार, समाजवाद गिरगिट के अनुसार रंग बदलने वाला विश्वास है। यह वातावरण के अनुसार रंग बदलता है। सड़क के कोने और क्लब के कमरे में यह वर्गयुद्ध का लाल बस्त्र पहन लेता है, बुद्धजीवियों के लिए इसका रूप भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, भावनात्मक पुद्गलों के लिए यह कोमल गुलाबी रंग धारण कर लेता है तथा बलकों के समाज में यह कुमारियों का श्वेत बस्त्र ग्रहण करता है जिनको महत्वाकांक्षा को मद मुस्कान का नया अनुभव हुआ हो²। डा० अमरनारायण अग्रवाल

1 देखिए डा० अमरनारायण अग्रवाल द्वारा लिखित समाजवाद की रूपरेखा, आगरा, 1947, पृष्ठ 19-21 और *Socialism Without Prejudice*, प्रकाश, 1947, पृष्ठ 9.

2 *The Socialist Case Examined*, पृष्ठ 3.

के अनुसार, 'समाजवाद वह आंदोलन है जो पूंजी और भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत कर और व्यक्तिगत जोखिम और स्पर्धा की इतिथी करके, उन्नति के, अवसरो में समानता स्थापित करना चाहता है जिससे शोषण बंद हो जाय और आर्थिक विषमता का लोप हो जाय'¹। जोड़ के अनुसार, समाजवाद की परिभाषा देने में कठिनाई इसलिए होती है कि समाजवाद एक सिद्धांत होने के साथ ही साथ एक आंदोलन भी है। दूसरे, समाजवाद के अंतर्गत केवल राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं आते, बल्कि आर्थिक सिद्धांत भी आते हैं। अन परिभाषा देने की अपेक्षा समाजवाद की प्रमुख धारणाओं की चर्चा करना अपेक्षाकृत सरल होगा। इसके प्रमुख मूल सिद्धांत हैं पहला, समाज को व्यक्ति के बराबर महत्व देना; दूसरा उन्नति के अवसरो में समानता देना, तीसरे, पूंजीवाद का उन्मूलन, चौथे, जमींदारों से भूमि ले लेना और उसे कृषकों को देना, पांचवें, व्यक्तिगत जोखिम का अंत कर देना, और छठे, हानिकारक स्पर्धा को जड़ से उखाड़ फेंकना²।

समाजवाद और पूंजीवाद

समाजवादियों में आपस में चाहे कितने ही मतभेद हों, किन्तु वे पूंजीवाद के कट्टर विरोधी हैं। समाजवाद का पूंजीवाद से चार प्रकार का नाता है : पहले, पूंजीवाद के विश्लेषण के रूप में, दूसरे, पूंजीवाद के आलोचक के रूप में; तीसरे, पूंजीवाद के स्थानापन्न के रूप में, और चौथे, पूंजीवाद के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में³।

पूंजीवाद का विश्लेषण एवं आलोचना—हम देख चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के विकास से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं उनसे व्यक्तिवाद का खोखलापन स्पष्ट हो गया। इस प्रकार समाजवाद का अभ्युदय पूंजीवाद के विरोध में हुआ और समाजवादी विचारक पूंजीवाद के कट्टर आलोचक हैं, भले ही उनके तर्क भिन्न हों। इसके प्रमुख दोष हैं, धर्मिको का शोषण, धन के वितरण की विषमता, स्पर्धा के कारण बरवादी और सामाजिक उद्देश्य का अभाव। पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए समाजवादी बताते हैं कि पूंजीवाद आर्थिक विषमता को जन्म देता है और उसको कायम रखता है। समाज के एक बड़े भाग की इतनी आय नहीं होता कि उन्हें सन्तुलित भोजन भी मिल सके। कठिन परिश्रम के बाद भी वह जीवन-निर्वाह के लायक धन नहीं कमा पाता। उनको न इस धन के लिए समय होता है और न इच्छा तथा योग्यता ही वि धे अपने

1 समाजवाद की रूपरेखा, पृष्ठ 18-19.

2 वही, पृष्ठ 20.

3 वही, पृष्ठ 28-29.

राजनीतिक अधिकारों का समुचित उपयोग करें। इन लोगों से यह आशा करना कि वे सार्वजनिक मामलों पर विवेकपूर्ण निर्णय कर सकें, अनुचित है। ये लोग केवल उन सार्वजनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं जिनका उनके जीवन से सीधा सम्बन्ध होता है। अन्यथा इन्हें राजनीतिक अधिकार मिलने या न मिलने से विशेष अंतर नहीं आता। यही नहीं, पूंजीवाद की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि यद्यपि उत्पादन की शक्ति अब इतनी अधिक बढ़ गई है कि दुनिया की समस्त जनसंख्या बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर सकती है, तथापि उनमें से अधिकतर लोग बड़े कष्ट से रहते हैं। अर्थात् इसमें सम्पन्नता के होते हुए भी व्यक्ति कगाल हैं। इसका कारण केवल यह है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिक हित की दृष्टि से उपयोग नहीं होता। अतः पूंजीवादी व्यवस्था का एक दुष्परिणाम जो हमारे सामने आता है वह यह है कि उत्पादन की शक्तियों के बढ़ जाने पर भी लोक भूखे, नगरे, अस्वस्थ तथा असिद्धित हैं। सभी वस्तुओं की नहीं है, बल्कि त्रय शक्ति की है। उनके पास यथेष्ट धन नहीं है कि वे जीवन की आवश्यक वस्तुओं तथा सुविधाओं को ले सकें। धन के वितरण में विषमता के कारण लोगों का जीवन कष्टमय हो गया है जिसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था उत्तरदायी है। एक समय था कि जब पूंजीवादी उत्पादन का ढंग अच्छा समझा जाता था, आज स्थिति बरके विपरीत हो गई है। पूंजीवाद बही-बही उत्पादन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे लाभ के कम हो जाने की आशंका है। एक समय पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य रूप यह माना जाता था कि इसमें खुले बाजार में सबको लेन-देन और मोलभाव की पूरी सूरत होती है जिससे सब लोग कम दाम पर अच्छी चीजें ले सकें। इस सम्बन्ध में भी अब स्थिति बदल गई है। खुले बाजार का स्थान अब एनाधिकारों ने ले लिया है और मूल्य का निर्धारण अब उत्पादन तथा मांग के आधार पर न होकर बड़े बड़े उत्पादकों की इच्छानुसार होता है। यही नहीं केवल वे ही चीजें उत्पन्न की जाती हैं जिनके उत्पादन से अधिकतम लाभ हो। चीजें चाहे जितनी आवश्यक हों किन्तु यदि उनके उत्पादन में अच्छा लाभ नहीं है तो पूंजीवादी व्यवस्था में किसी को इसके उत्पादन में दिलचस्पी नहीं होती। इसके अतिरिक्त, पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बेकार कामों में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में ऐसे अनेक लोग आते हैं, उत्पादन की दृष्टि से जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दलाल, एजेंट, थोक व्यापारी, परचून व्यापारी आदि। ये सभी लोग बीच में लाभ लेते हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को महँगी वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं। यही नहीं, साम्राजवादियों का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों और श्रमियों की दशा बहुत मोचनीय है। वे बुरा खाना खाते हैं, मस्ते बपड़े पहनते

हैं और गंदे घरों में रहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, बीमारी के इलाज, और मनोरंजन का कोई प्रबंध नहीं होता। कहने को तो वे स्वतंत्र हैं पर उनकी दशा गुलामी से बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि एक अर्थ में तो वे गुलामी से भी गए बीते हैं, क्योंकि गुलामी को उनका मालिक भरपेट भोजन तो देता था जबकि मजदूरों को भोजन आदि देने की जिम्मेदारी भी मिल-मालिक नहीं लेता। साथ ही, जो काम उसे करना पड़ता है वह बहुत ही अधिक होना है। उसे बार-बार करते रहने से उसके शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए समाजवादी कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय नहीं है और वह मानव सुख और आनन्द की कतई चिंता नहीं करता।

पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन—समाजवादियों ने पूंजीवाद का उन्मूलन करके, समाजवाद को स्थापित करने पर बहुत ध्यान दिया है। रैमजें मैकडोनल्ड के अनुसार, उन्नीसवीं सदी के मध्य से समाजवाद ने एक सत्रिय आंदोलन का रूप ले लिया और इसकी प्रगति इसी रूप के कारण हो सकी। मोटे रूप में इसकी दो विधियाँ हैं एक शांतिपूर्ण, सविधानी और विकासवादी विधि जो प्रचार द्वारा लोकमत को प्रभावित करने में विश्वास करती है, और दूसरी है शक्ति और श्रुति पर आश्रित जो पूंजीवादी व्यवस्था का समूल उन्मूलन करना चाहती है। आगे इस भाग में 'समाजवाद' का उपयोग हम विकासवादी समाजवाद के लिए करेंगे।

पूंजीवाद के स्थानापन्न—समाजवाद पूंजीवाद का उन्मूलन कर एक नए समाज का निर्माण करना चाहता है। अतएव, इसके अनुयायी अपने मतानुसार एक आदर्श समाज का चित्र उपस्थित करते हैं। इस समाजवादी व्यवस्था का मुख्य लक्षण है उत्पादन के महत्त्वपूर्ण साधनों और उपकरणों का समाजीकरण। उनके मतानुसार वितरण का आधार ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और प्रत्येक को अपने कार्य के अनुसार भाग मिले। इसमें सामाजिक हित में उत्पादन होगा और सभी लोग समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होंगे। समाजवाद श्रमिकों को उनके कार्यों की दशाओं पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है। यह व्यापक राष्ट्रीय योजनाएँ बना कर उत्पादन में बढोत्तरी करना चाहता है जिससे मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों के नियंत्रण से छुटकारा पा सके, अपितु स्वयं उन पर विजय प्राप्त करे। समाजवाद का उद्देश्य व्यक्ति को यथार्थ रूप में स्वतंत्र बनाना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना आत्मसम्मान खोकर दूसरों की चापनूतों में बर्बरता न करनी पड़े।

समाजवाद के आवश्यक तत्त्व—समाजवाद के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व

हैं। पहला, वह व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक पहलुओं पर बल देता है। उदाहरण के लिए समाजवादी व्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिनकी समाज की आवश्यकता है। उत्पादन का आधार सामाजिक हित होगा; किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का लाभ नहीं। जोड़ के शब्दों में, समाजवाद व्यक्तियों को भौतिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त कर देना चाहता है जिससे वे स्वतंत्रतापूर्वक रह सकें और अपने व्यक्तिगत वा पूर्ण विकास कर सकें¹। समाजवादियों का विश्वास है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग तभी हो सकती है, जब समाज का एक उच्चतम सामाजिक संगठन बन जाय। समाजवादी व्यवस्था में ही व्यक्ति आत्मविकास कर सकता है। पूंजीवाद की समाप्ति के पश्चात् व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि वह समाज के लिए कार्य कर रहा है। ऐसी दशा में वह प्रसन्नतापूर्वक और भी अधिक कुशलता से कार्य करेगा। दूसरे, समाजवाद पूंजीवाद को समूल नष्ट कर देना चाहता है, अर्थात् वह उत्पादन की उस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है जिसका मुख्य उद्देश्य शोषण करके व्यक्तिगत लाभ उठाना है। उसका कहना है कि उत्पादन का प्रस्तुत ढंग न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि उसमें बरबादी भी बहुत होती है। समाजवाद उत्पादन और वितरण को सामाजिक न्याय के आधार पर संगठित करना चाहता है। तीसरे, समाजवाद असामाजिक स्पर्धा का भी अंत कर देना चाहता है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में एक दूसरे की होड़ में प्रचार और विज्ञापन में धन का अपेक्ष्य होता है। इस धन से उत्पादन में कोई लाभ नहीं होता; केवल अधिक माल बेचने की होड़ में यह खर्च किया जाता है और इसका मुख्य ग्राहकों को चुकाना पड़ता है। समाजवादी यह स्वीकार नहीं करते कि घनिष्ठ व्यक्तियों और गरीबों के बीच बराबर की स्थिति है और उसमें समानता के आधार पर भोला-भाव हो सकता है। उनका विचार है कि व्यक्तिगत रूप में एक निर्धन व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने धर्म का भोलाभाव करने से इंकार कर दे। अतः समाजवादी इस बात पर बल देते हैं कि मजदूरों की संगठित करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही बन है। समाजवादियों के अनुसार अनावश्यक स्पर्धा को समाप्त कर हमें उत्पादन को सहयोग के आधार पर संगठित करना चाहिए। चौथे, समाजवाद सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक समता की मांग करता है। इसके अनुसार, पूंजीवाद का एक बड़ा दुर्गुण इनमें स्थित आर्थिक विषमता है। समाजवाद इस विषमता का अंत कर सभी व्यक्तियों की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। उसका विश्वास है कि जब तक सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, किसी को भी ऐसा आराम की वस्तुओं का उपभोग करने का अधिकार

नहीं होना चाहिए। पाँचवें, समाजवाद उत्पादन की व्यवस्था का समाजीकरण करना चाहता है, कम से कम उत्पादन के उन साधनों का जो शोषण को प्रश्रय देते हैं। इन्हें व्यक्तिगत अधिकार में रहने नहीं दिया जा सकता। अधिकतर उत्पादन के साधन सहकारी संस्थाओं के अधिकार में होने चाहिए। इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन के साधन और उपकरण राज्य की आधीनता में रखे जा सकते हैं। इसका आशय यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को स्वयं उत्पादन करने का अधिकार नहीं होगा। समाजवादी यह स्वीकार करते हैं कि यदि उत्पादन में किसी श्रमिक को नहीं लगाया जाता अथवा यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी में काम करते हैं तो समाजवाद को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात् चित्रकार, कलाकार, लेखक, गायक आदि व्यक्तियों को अपने ढंग से काम करने की स्वतंत्रता होगी। छठे, समाजवादियों का कहना है कि राज्य एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है जिसका प्रयोग बुराई और भलाई दोनों के लिए हो सकता है। उसकी अच्छाई और बुराई इस बात पर निर्भर है कि सत्ताधारी व्यक्तियों का दृष्टिकोण क्या है और वे किस उद्देश्य से शासन-कार्य कर रहे हैं। इसके अर्थ यह हुए कि यदि राजनीतिक सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो जो समाजवादी भावनाओं से प्रभावित हैं, तो राजनीतिक सत्ता का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए हो सकता है और उसके माध्यम से सामाजिक हित के काम किए जा सकते हैं। यही नहीं, समाजवादियों की यह धारणा है कि यदि राज्य समाजवादी भावनाओं से प्रभावित हो तो उसके कार्यों पर कोई अक्रुश लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनका विश्वास है कि समाजवादी राज्य की सत्ता का उपयोग कर सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। सातवें, हम कह चुके हैं कि समाजवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी नहीं हैं। हाँ, वे ऐसी स्वतंत्रता के अवश्य विरोधी हैं जिस का परिणाम असमानता और अन्याय होते हैं। समाजवादियों के अनुसार, सच्ची स्वतंत्रता तभी सम्भव है जब नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता प्राप्त हो। आठवें, समाजवादी केवल आर्थिक समानता की ही बात नहीं करते। उनका विश्वास है कि आर्थिक क्षेत्र में स्वशासन की सुविधाएँ भी होनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस मजदूर के जीवन का एक बड़ा भाग मिल अथवा कारखाने में बीतता है उसे यदि मिल अथवा कारखाने में प्रदत्त करने, गूचना प्राप्त करने, और प्रबंध में अपनी राय देने का यदि अधिकार न हो तो उसके अन्य अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। अतएव, वे मानते हैं कि स्वशासन केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए। नवें, समाजवादी यह अनुभव करते हैं कि

समाज का पुनर्गठन धीरे धीरे और शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। वे सविधानी उपायों के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते हैं, शक्ति से नहीं। इसके लिए हिंसा का मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रचार कार्य द्वारा जनसाधारण को समझा दें कि समाजवादी व्यवस्था क्यों श्रेष्ठ है। एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में यदि बहुमत समाजवाद के पक्ष में हो जाएगा तो पूँजीवादी व्यवस्था का अंत कर समाजवाद कायम करने में कठिनाई नहीं होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग, लोगों का हृदय-परिवर्तन करके तथा लोकमत को अपने अनुकूल बनाकर समाजवादी समाज की रचना करने के पक्ष में हैं।

समाजवाद के जिस रूप का हम अभी वर्णन कर रहे थे, उसे लोकतंत्रीय समाजवाद, विकासवादी समाजवाद अथवा फेबियनिज्म का नाम दिया जाता है। इसका विश्वास है कि प्रचार कार्य द्वारा लोकमत को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे वह दिन आ जाएगा जबकि जनसाधारण समाजवाद के पक्ष में हो जाएगा और सविधानी ढंग से समाजवाद स्थापित किया जा सकेगा। इस प्रकार के समाजवादी षण युद्ध में आस्था नहीं रखते। उनका विश्वास है कि भ्रूणपूरो और किसानों के अतिरिक्त बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त किए बिना समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अतः वे यह प्रयत्न करते हैं कि जैसे भी हो सके बुद्धिजीवियों और निम्न मध्य वर्ग को अपने पक्ष में कर लिया जाए।

मूल्यांकन—यद्यपि समाजवाद के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, तथापि कुछ विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि समाजवाद में तानाशाही कायम होने का भय रहता है। इसका अतिस उत्पादन की धीरे-धीरे सभी शक्तिशाली शक्तियों को दमित हो जाती है जिसके अर्थ यह होते हैं कि शोषणहीन व्यवस्था का अंत आ जाता है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। यह भी कहा गया है कि समाजवाद में उत्पादन में कुशलता जाती रहती है और व्यक्तिगत लाभ के अभाव में बहुत से अधिकारी सापरवाह हो जाते हैं। अक्षय्यपरायणता समाप्त हो जाती है जिसके कारण उत्पादन बढ़ने के बजाय घटने लगता है। इन आलोचनाओं से समाजवाद का महत्त्व कम नहीं होता। वस्तुतः सारे संसार में समाजवाद का जोर बढ़ता जा रहा है। इसमें कमीशियाँ हैं। शक्ति को दूर किया जा सकता है। य कमीशियाँ ऐसी नहीं जिनके कारण हम समाजवादी व्यवस्था का विरोध करें।

2 साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद

कार्ल मार्क्स (1848-1883) द्वारा प्रचारित विचारधारा को साम्यवाद

अथवा मार्क्सवाद के नाम से पुकारा जाता है। यह एक महत्त्वपूर्ण विचारधारा है जिसका प्रचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के एक बहुत बड़े भाग में साम्यवादी विचारों से प्रभावित लोगों के हाथ में सत्ता है और शेष दुनिया भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं है। अतएव यह आवश्यक है कि इस विचारधारा को समझने का प्रयत्न किया जाए।

एक अर्थ में वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का जन्म सन् 1848 ई० में हुआ जब मार्क्स और एंजिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया¹। उसके बाद इन दोनों ने और भी अनेक ग्रन्थ लिखे जिनमें 'कैपीटल' (पूँजी) सब से अधिक प्रसिद्ध हुआ। साम्यवादी अब उन समाजवादियों को कहा जाता है, जो साम्यवादी घोषणा पत्र और कैपीटल को प्रमुख ग्रन्थ के रूप में स्वीकार करते हैं, जो नातिवारी विचारधारा को अपनाते हैं और जो समाज में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। मार्क्स की मुख्य मान्यताएँ निम्नलिखित हैं

1. द्वैतात्मक भौतिकवाद ,
2. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ,
3. वर्ग संघर्ष ;
4. अर्थ सिद्धांत ;
5. अतिरिक्तार्थ ;
6. मार्क्स की भविष्यवाणी ;

इन सिद्धांतों का हम प्रथम नीचे वर्णन करेंगे।

द्वैतात्मक भौतिकवाद—मार्क्स को विचार-रीति को 'द्वैतात्मक भौतिकवाद' (Dialectical Materialism) के नाम से पुकारा जाता है। इसमें हेगल के तर्क की छाप स्पष्ट है। हेगल का मार्क्स पर बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन मार्क्स का विचार था कि हेगल ने अपने दर्शन के अर्थ का अन्वयण कर दिया है, और उसमें उसे ठीक कर दिया है। मार्क्स ने हेगल के द्वैतात्मक सिद्धांतों को अपनाया, किंतु भौतिकवादी रूप में। द्वैतात्मक शब्द का समानार्थी अंग्रेजी शब्द 'डाइलेक्टीकल' है। यह शब्द ग्रीक भाषा से निकला है जिसका अर्थ है 'घातकीय या वादविवाद'। यूनानी विचारकों का विश्वास था कि सत्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम ढंग विरोधी विचारों में संघर्ष है अर्थात् कि वादविवाद करने वाले सत्य की खोज से प्रेरित हों। करने का अर्थ यह है कि मार्क्स ने हेगल से यह विचार अपनाया कि संघर्ष व द्वारा ऐतिहासिक उन्नति हुई है। किंतु हेगल का विश्वास था कि यह सत्य विचार का प्रतिबिम्ब मात्र है, इसलिए विचारों का सत्ता ही सच्चा सत्ता है। इसके विपरीत मार्क्स का कहना है कि प्रति-

¹ *Manifesto of the Communist Party*, मास्को, 1948.

दिन के अनुभव का ससार वास्तविक है जो वस्तुएँ हम देखने हैं अर्थात् वस्तु-जगत् प्रमुख है मन अथवा विचार बाद में आता है। वस्तुतः विचार मस्तिष्क में उपजते हैं और मस्तिष्क स्वतः वस्तु की सर्वोत्कृष्ट दशा है। मानस के शब्दों में वस्तुएँ मन की उपज नहीं हैं, विचारों को उन वस्तुओं से पृथक् करके देखना जो विचारों को जन्म देता है असम्भव है। ससार में जो घटनाएँ अथवा गति-विधियाँ होती हैं वे वस्तुजगत् में होती हैं। वस्तुएँ गतिशील होती हैं। उनकी गति किसी बाह्य शक्ति पर आधारित नहीं है। इसके नियमों को जाना जा सकता है। मानस के अनुसार, यह गति द्वैतात्मक है। यह गति या विकास आवश्यक रूप से एक सीधी रेखा में (अर्थात् सीधा) नहीं होता, अपितु वातावरण में उपस्थित प्रभावा के अनुरूप होता है। वस्तुतः ससार में किसी वस्तु का अकेला करके अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ससार की सभी वस्तुएँ विरोध स्थिति में होती हैं और उस स्थिति में होने वाली अन्य वस्तुओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी वस्तु के अध्ययन के लिए हम उन सब परिस्थितियों के मध्य उसका अध्ययन करना चाहिए जिसमें वह स्थित है। साथ ही, क्योंकि वस्तुएँ गतिशील होती हैं अर्थात् उनका रूप बदलता रहता है, अतः किसी वस्तु के सांगीपाग अध्ययन के लिए हमको केवल परिस्थितियों का ही अध्ययन नहीं करना होगा अपितु उसके बदलते हुए रूपों को भी देखना होगा। यह गति या विकास कभी धीरे, कभी तीव्र गति, कभी केवल मात्रात्मक (quantitative) और कभी प्रकारात्मक (qualitative) होता है। यह विकास या परिवर्तन अकारण नहीं होते, ये उन वस्तुओं की क्रिया और प्रक्रियाओं के परिणाम हैं जिनके बीच वह स्थित है। मानस के अनुसार, हमें परिस्थितियों, वस्तुओं और उनकी क्रियाओं और प्रक्रियाओं का समुचित अध्ययन करना चाहिए। तभी हमें किसी वस्तु से सम्बन्धित गतिविधि अथवा विकास की जानकारी हो सकेगी।

मानस का विचार है कि वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में आंतरिक विरोध होते हैं जिनके कारण स्वामाविक रूप से गति होती रहती है। इसके अर्थ यह है कि किसी वस्तु के विकास की रूपरेखा सामंजस्यपूर्ण नहीं होती, अपितु आंतरिक विरोधों को पार करती हुई होती है। लेनिन की भाषा में 'परिवर्तन विरोधी वस्तुओं के साथ व कारण होते हैं। एक अर्थ स्थान पर लेनिन कहता है कि द्वैतात्मक भौतिकवाद का अर्थ ही यह है कि वस्तुओं के मूल में जो अंतर्विरोध हैं उनका अध्ययन किया जाए। ऐंगेल्स के अनुसार, द्वैतात्मक भौतिकवाद हमें यह शिक्षा देता है कि गणना में कोई वस्तु अंतिम, पूर्ण अथवा अपरिवर्तनीय नहीं है। उदाहरण के लिए जल को गमने करने से यह वाष्प की अवस्था धारण कर

लेता है, ठंडा करने से बर्फ बन जाता है और विशेष प्रक्रिया से अपने मूल तत्वों का बायोसोजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाता है। सभी वस्तुएँ सगण-भगुर होती हैं। प्रकृति बदलती है; समाज बदलता है; आदतें और प्रयाएँ बदलती हैं; विचार और भावनाएँ बदलते हैं, यहाँ तक कि सत्य की धारणाएँ भी बदलती रहती हैं। न बदलने वाली बात केवल एक है अर्थात् परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया। और प्रकृति का अध्ययन करने के बाद मार्क्स, एंगेल्स इस परिणाम पर पहुँचे कि गति अथवा विकास की यह प्रक्रिया द्विधात्मक है।

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या—अध्ययन की इस विधि को मानव समाज के इतिहास पर भी लागू किया जा सकता है। यदि ससार की सभी वस्तुएँ एक दूसरे से सम्बन्धित और एक दूसरे पर आश्रित हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी सामाजिक व्यवस्था अथवा आंदोलन को समझने के लिए हमें किसी पूर्व-धारणा को लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उन दशाओं के आधार पर अध्ययन करना चाहिए जिनके बीच उसका उद्भव हुआ है। उदाहरण के लिए, आज हमको दास प्रथा अन्यायपूर्ण लगती है। लेकिन मार्क्स के अनुसार, उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व काल में उत्तरी अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील थी। उसके मतानुसार यदि दास प्रथा लुप्त हो जाती तो अमेरिका का विकास भी रुक जाता, जिसका परिणाम आधुनिक उद्योगों के विकास पर भी पड़ता। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी प्रथा, दशा अथवा आंदोलन का मूल्यांकन करने के लिए हमें उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए जिनके मध्य उसका जन्म और विकास हुआ। इसी विचार को मार्क्सवादी 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' (Historical Materialism) कहते हैं।

यह दृष्टिकोण उस आदर्शवादी दृष्टिकोण का विरोधी है जिसका हेगल समर्थन करता था। मार्क्स के अनुसार किसी कार्यकलाप का अध्ययन करने के लिए हमें वस्तु-स्थिति का अध्ययन करना चाहिए, हेगल की तरह विचार-जगत् में उसकी व्याख्या ढूँढने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसका मत था कि कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है जिसके समझने के लिए प्रयत्न करने पर हमें यथेष्ट तथ्य न मिल जायें। इस प्रकार प्राप्त किया हुआ ज्ञान वस्तुनिष्ठ (objective) होता है। यह ज्ञान हमको भौतिक वस्तुजगत् के अध्ययन से मिलता है। इसका आशय यह नहीं है कि मार्क्सवाद विचारों का महत्त्व स्वीकार नहीं करता। वह यह मानता है कि विचार भी विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, और जब वे किसी जनसमूह को प्रभावित अथवा प्रेरित करते हैं तो वे स्वतः भौतिक शक्ति (material force) बन जाते हैं और उनका अध्ययन अन्य भौतिक तत्वों के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसी सभी होता है जबकि तात्कालिक परिस्थितियाँ उन विचारों के प्रसार के अनुकूल हों। प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर वही

विचार शक्तिहीन बनकर रह जाते हैं।

भौतिक तत्त्वों में वह भौगोलिक घनावरण, जनसंख्या, आर्थिक परिस्थितियाँ, उत्पादन व्यवस्था पर आधारित सामाजिक सम्बन्ध आदि को सम्मिलित करता है। मार्क्स का विचार था कि उत्पादन का ढंग पूरे समाज के रूप को प्रभावित करता है और जब उत्पादन का ढंग बदलने लगता है तो धीरे-धीरे सारे समाज की रूपरेखा ही बदल जाती है। परिवर्तन प्रायः उत्पादन के साधनों और उपकरणों से शुरू होते हैं जिसका परिणाम उत्पादन पर आधारित सम्बन्धों से होता है। इन सम्बन्धों से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि उत्पादन के साधनों और उपकरणों पर किसका स्वामित्व है, और जिस वर्ग का स्वामित्व होता है उसी का वस्तुतः समाज में आधिपत्य होता है। इस प्रकार मार्क्स ने भौतिकवादी तत्त्वों में आर्थिक तत्त्वों को प्राथमिकता दी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आर्थिक तत्त्वों के अतिरिक्त अन्य भौतिकवादी तत्त्वों को मुला देता है। जैसा कि हम कह आए हैं वह भी मानता है जब किसी जनसमुदाय को कोई सिद्धांत, मत या विचार प्रेरित करने लगता है तो इस प्रकार, की धारणा अथवा विचार को भी एक भौतिकवादी तत्त्व मानकर दूर-दूर अध्ययन करना चाहिए।

इस भौतिकवादी दृष्टिकोण से जब मार्क्स मानव इतिहास का अध्ययन करता है तो वह इस परिणाम पर पहुँचता है कि वस्तुतः मानव इतिहास ने विकास की कुछ अवस्थाएँ को पार किया है। सर्वप्रथम अवस्था को वह आदि-कालीन साम्यवाद (Primitive Communism) की संज्ञा देता है। मानव समाज की इस अवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अभाव था, लोग मिलकर काम करते थे और जो पैदा करते थे उसका मिलकर उपभोग कर लेते थे। उत्पादन के साधन और ढंग इतने पिछड़े हुए थे कि वे केवल अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरित कर पाते थे और बचन की कोई गुंजाइश न थी। स्पष्टतः ऐसे समाज में न वर्ग हो सकते हैं और न शोषण। मार्क्स के अनुसार आदिवालीन साम्यवाद के पश्चात् वह अवस्था आई जब व्यक्तिगत सम्पत्ति का उद्भव हो गया। यही नहीं, दास प्रथा भी प्रचलित हो गई और इस प्रकार समाज शोषक और शोषित वर्गों में बँट गया। विकास की अगली सीढ़ी सामन्तवादी अवस्था की थी जिसमें व्यक्ति गुलाम नहीं रहता, बल्कि वह अपने दास बन जाता है अर्थात्, अब उसका प्रथम विषय प्रायः भूमि के साथ होता है। इसमें कुछ भूस्वामी होते हैं और अधिकतर वे व्यक्ति जो अपने भूस्वामियों के लिए उत्पादन करते हैं और स्वयं केवल लाने भर के लिए बचा पाते हैं। सामन्तवादी समाज का अंत होने पर नया पूंजीवादी समाज जन्म लेता है जिसमें यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है किन्तु आर्थिक दृष्टि से उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो जाती है

यद्यपि उत्पादन के साधनों और उपकरणों से उसका अधिकार जाता रहता है और उससे पास अपनी श्रम शक्ति से अतिरिक्त और कुछ भी विक्रय करने के लिए नहीं रहता। इस समाज में पूंजीवाद वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि पूंजीवाद के दिन भी अब समाप्त होने जा गए हैं और शीघ्र ही एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिसमें वर्गभेद मिट जाएंगे, शोषण समाप्त हो जाएगा, उत्पादन के साधनों और उपकरणों का समाजीकरण हो जाएगा। इस अवस्था को उसने समाजवाद का नाम दिया। उनके अनुसार, मानव समाज ने आदिकालीन साम्यवाद से धुरुआत की ओर अंत में वह उन्नत साम्यवादी अवस्था में पहुँच जाएगा। मार्क्स के अनुसार, मानव इतिहास में केवल ये पाँच क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं या होंगे।

वर्ग संघर्ष—मार्क्स के अनुसार, आदिकालीन साम्यवादी अवस्था के बाद मानव समाज वर्गों में बँट गया। इससे उसका अभिप्राय यह है कि छोटे रूप में वह इसमें एक वह वर्ग है जिसके अधिकार में उत्पादन के साधन और उपकरण होते हैं और दूसरा वह वर्ग है जिसके पास इनका अभाव है और उन्हें दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। इसमें प्रथम वर्ग शोषक और दूसरा शोषितों का है। ये वर्ग किसी व्यक्ति के दोष से नहीं बने, अपितु सामाजिक व्यवस्था के स्वाभाविक प्रतिरूप हैं, और जब तक वर्ग व्यवस्था कायम रहेगी ये भी बने रहेंगे। किसी एक या अधिक व्यक्ति के त्याग से इस व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा। मार्क्स के अनुसार, इन वर्गों के हितों में ऐसा विरोध है जिसे न मिटाया जा सकता है और न दबाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि वर्ग समाज की नींव ही शोषण पर आधारित है। अतः जब तक वर्ग समाज रहेगा, शोषक भी रहेंगे और शोषित भी। अतएव इनके हितों में विरोध भी रहेगा। इस प्रकार, वर्ग संघर्ष वर्ग व्यवस्था में निहित है, अतः इतिहास के इन अध्यायों के ज्ञान के लिए हमें इन वर्गों के अंतर्विरोध और उससे उत्पन्न संघर्ष को समझना होगा। मार्क्स का कहने का आशय यह नहीं था कि यह संघर्ष व्यक्तिगत है। अस्तुतः इसका मूल कारण व्यवस्था में अंतर्निहित है। यही नहीं, इतिहास का हवाला देते हुए मार्क्स ने बताया कि बार-बार शोषित वर्ग शोषक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करता है, किंतु प्रायः उसे सफलता नहीं मिलती और थोड़ी-सी सुविधाएँ और रियायतें प्राप्त कर उसे फिर एक नए संघर्ष की तैयारी में जुट जाना पड़ता है। पूंजीवाद का उद्मूलन भी इसी प्रकार के संघर्ष के कारण होगा। इसमें मजदूर और उनका संगठन सक्रिय भाग लेंगे। मार्क्स ने स्वयं जीवन भर त्रियात्मक रूप में मजदूरों को संगठित करने में और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भाग लिया।

अर्थ सिद्धांत—मानव के अनुसार पण्यो (commodity) का अर्थ (Value) उनके उत्पन्न करने में खर्च हुए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। इस श्रम से उनका तात्पर्य किसी व्यक्ति-विशेष या व्यक्ति-समूह के श्रम से नहीं था, प्रत्युत सामाजिक श्रम से था। मार्क्स ने अनुभव किया कि आधुनिक युग में उत्पत्ति में व्यय हुए किसी व्यक्ति-विशेष के श्रम का अनुमान लगाना असम्भव है। किंतु इसका क्रम मूल्य सामान्य रूप से बाजार के भाव-ताव करने से निश्चित होता है। इसके विषय में जो बचन होती है वही पूंजीवादी उत्पादन-क्रिया का उद्देश्य है। उसके अनुसार श्रम शक्ति को पूंजीपति उसी प्रकार खरीदते हैं जिस प्रकार अन्य किसी वस्तु को। लेकिन श्रम-शक्ति में एक ऐसा विशिष्ट गुण है जो अन्य वस्तुओं में नहीं होता अर्थात् प्रयोग में लाए जाने पर यह एक नवीन अर्थ उत्पन्न करता है। श्रम-शक्ति बेचने वाले मजदूर को उसके दल में मजदूरी मिल जाती है। खरीदने के बाद श्रम-शक्ति पर खरीदने वाले पूंजीपति का अधिकार हो जाता है। अब वह इस श्रम-शक्ति को उत्पादन-क्रिया में लगाकर अपने अर्थ से अधिक अर्थ पैदा करता है। यही मानव के अतिरिक्तार्थ (surplus value) का सिद्धांत है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी : मान लीजिए कि एक पूंजीपति कुछ मजदूरों को श्रम-शक्ति 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से खरीदता है। वह बाजार की दर से उनको मजदूरी दे देता है और वह उन श्रम-शक्ति को उत्पादन-क्रिया में लगा देता है। जब वे पाँच घंटे काम कर चुकते हैं तब वे अपने वेतन के बराबर अर्थ उत्पन्न कर लेते हैं। यदि उस समय उन्हें छुट्टी दे दी जाए तो वे कच्चे माल का अर्थ अपने वेतन के बराबर बढ़ा देंगे। इससे पूंजीपति को कुछ भी लाभ-हानि नहीं होगी। किंतु मजदूर यहाँ पर रुक नहीं जाते, पाँच घंटे बाद वे तीन-चार घंटे और काम करते हैं और अधिक अर्थ उत्पन्न करते हैं। वेतन के बराबर अर्थ की उत्पत्ति के बाद जो अर्थ उत्पन्न किया जाता है उसे अतिरिक्तार्थ कहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि मूल्य की वृद्धि अपने आप नहीं हो जाती। इसके मूल में श्रम की जीवित शक्ति है।

मार्क्स के कहने का अभिप्राय यह नहीं था कि पूंजीपति कुछ अतिरिक्तार्थ को स्वयं हजम कर जाते हैं। अतिरिक्तार्थ वह भंडार है जिसमें से लगान, बिराया, ब्याज, लाभ आदि दिए जाते हैं। इसी भंडार में से पूंजीपती की जाती है और उसे बढ़ाया जाता है। इसी भंडार के विभाजन के लिए लोग लड़ते-भगड़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक हिस्सेदार बड़े से बड़े भाग स्वयं प्राप्त कर लेना चाहता है। पर मजदूरों को इस सड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं। उत्तरदाता हित इसमें है कि उसका कम से कम शोषण हो। इनके विरुद्ध अतिरिक्तार्थ के विभिन्न हिस्सेदार यह दावा करते हैं कि वे मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण करें। वर्ग-

सघर्ष का मूल यही है। कहने का अर्थ यह है कि वर्ग-सघर्ष का कारण अति-रिक्तार्थ है, विरोधियों के व्याख्यान, लेख अथवा आंदोलन नहीं। मजदूर सभाएँ और समाजवादी आंदोलन तो इसके परिणाम हैं, कारण नहीं।

मावस की भविष्यवाणी—मानव-इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बाद मावस यह अनुमान लगा सके कि भविष्य में समाज का विकास किस दिशा में होगा और पूंजीवाद का पतन और समाजवाद की स्थापना कैसे होगी। वह इस परिणाम पर पहुँचे कि पूंजीवाद का पतन अवश्यम्भावी है। पूंजीवाद के विकास को बताते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि (1) जैसे जैसे समय बीता जायगा, स्पर्धा की शक्ति कम होती जाएगी और एकाधिकार स्थापित होने लगेंगे। इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समाजीकरण बढ़ने लगेगा जिसके कारण पूंजी न्यूनतम पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी। (2) सम्पत्ति के केंद्रीकरण के कारण समाज घनिक और सर्वहारावर्ग में बँट जाएगा और उत्पादन की प्रक्रिया में मध्य-वर्ग महत्त्वहीन हो जाएगा। मावस के अनुसार, नीची श्रेणी के व्यक्ति, छोटे-मोटे दुकानदार, कारीगर, किसान आदि सब सर्वहारावर्ग में मिल जाएँगे। यह विनाश मध्यवर्ग की निम्न श्रेणी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊपरी श्रेणी में भी कमी हो जाएगी। पूंजीरति, पूंजीपतियों को हड़पने लगेंगे। इस प्रकार समाज में एक छोटा-सा पूंजीपति वर्ग और एक बड़ा सा सर्वहारावर्ग आमने-सामने देखने लगेंगे। सामाजिक क्रांति के द्वारा बड़ा वर्ग छोटे वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेगा और समाजवाद की स्थापना कर लेगा। (3) किंतु इसके पूर्व सर्वहारावर्ग की आर्थिक अवस्था गिरती जाएगी। वह निर्धनता और अवनति के गर्त में गिरता जाएगा। उत्पत्ति के तरीके मजदूरों को एक मशीन के रूप में बदल देंगे जिसके कार्य के प्रति उन की रुचि नष्ट हो जाएगी और वह उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे। जैसे-जैसे पूंजी का एकत्रीकरण होगा, मजदूरों की आपेक्षिक अवस्था गिरती जाएगी, चाहे उनका वेतन कम हो या अधिक। (4) आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के कारण तीव्र आर्थिक संकट होंगे जिनके कारण औद्योगिक और व्यापारिक संसार गहरी कठिनाई में फँस जाएगा। व्यापार बंद हो जाएँगे; सामान से बाजार भर जाएगा, नकद रपया गायब हो जाएगा; उधार बंद हो जाएगा; कारखाने भी बन्द हो जाएँगे, दिवाले पर दिवाले निबलेंगे और यह क्षियलता सालों तक जारी रहेगी। कुछ समय के बाद औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति होगी पर उसका परिणाम भी अतंत. आर्थिक संकट के रूप में प्रकट होगा। (5) एक ओर तो आर्थिक संकट पूंजीवाद की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर देगा और दूसरी ओर सर्वहारावर्ग की बढ़ती हुई निर्धनता उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करेगी।

(6) अन्ततः सामाजिक क्रांति के पूँजीवाद का विनाश हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही स्थापित हो जाएगी। इसका कार्य यह होगा कि पुरानी व्यवस्था को समूल नष्ट कर समाजवादी आधार पर यह एक नवसमाज का निर्माण करे। अधिनायकशाही से मार्क्स का अभिप्राय यह है कि पूँजीपतियों को कानून का आश्रय प्राप्त नहीं होगा और नवस्थापित सत्ता को यदि कोई चुनौती देगा तो उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। मार्क्स और एंगिल्स का विश्वास था कि सर्वहारावर्ग की यह अधिनायकशाही अल्पकालीन होगी। तथापि उत्पादन के साधनों का समाजीकरण का कार्य समय लेगा। मार्क्स ने इस सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कहा कि यह सब कैसे होगा और इसमें कितना समय लगेगा। हाँ, उसने यह अवश्य कहा कि नवस्थापित सत्ता को राज्य के पुराने उपकरणों को समूल नष्ट करके नए सिरे से निर्माण करना होगा। उसके अनुसार पुराने सरकारी दफ्तर, सेना और पुलिस बर्मेचारी श्रमियों के काम नहीं आ सकेंगे। अतः इस समूची व्यवस्था को नष्ट करना होगा। नए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलेगा और उससे यह आशा की जाएगी कि वह उत्पादन में अपना पूरा योगदान दे। (7) मार्क्स की भावी समाज की कल्पना ऐसी है जिसमें न विरोधी वर्ग होंगे और न राज्य। मार्क्स के मतानुसार, समाज से पृथक् राज्य का उदय उस समय होता है जब व्यक्तिगत सम्पत्ति आ जाती है और उसके कारण समाज में भेदभाव हो जाते हैं। वर्ग-समाज में शोषित वर्ग की रक्षा करने के लिए राज्य के उपकरण बनाने पड़ते हैं। अतः जब विरोधी वर्ग समाप्त हो जाएँगे, शोषण का अन्त हो जाएगा, उत्पादन के साधनों में व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहेगा, पूँजीपतियों तथा क्रांति विरोधी वर्गों की आशंका समाप्त हो जाएगी, तो फिर इस बात की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी कि राज्य बना रहे। एंगिल्स के शब्दों में वह धीरे धीरे मुरभा जाएगा। तथापि एंगिल्स यह स्पष्ट कर देता है कि राज्य की समाप्ति के साथ सत्ता का लोप नहीं होगा। लेकिन नई सत्ता सामाजिक होगी राष्ट्रीय नहीं।

राज्य के सम्बन्ध में विचार—मार्क्स, एंगिल्स और लेनिन के अनुसार, राज्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए स्थापित होता है। जब तक समाज में वर्ग नहीं होते, शोषण नहीं होता, व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होती, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव नहीं होने, राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी दशा में पूरा समाज ही सत्ता का उपभोग करता है। अतः स्वभाव और जन्म से ही राज्य शासक वर्ग के हितों का एक साधन है। राज्य के पूरे उपकरण उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हैं जो देश में प्रचलित है। इनके अनुसार, राज्य चाहे लोकतन्त्रीय है अथवा लोकतन्त्र विरोधी, मूल बात

मे कोई भतर नहीं पड़ता । इसका आशय यह नहीं है कि साम्यवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय व्यवस्था के लाभों को अमान्य करते हैं । उनका केवल यह कहना है कि साधारणतः कोई भी राजनीतिक शासन-व्यवस्था उत्पादन की व्यवस्था और उत्पादन के सम्बन्धों को बदल नहीं सकती । अधिक से अधिक यह शोषित वर्ग को कुछ रियायतें या सुविधाएँ दे सकती है । अतएव, शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय के लिए राज्यसत्ता को विरोध करना पड़ेगा । आवश्यकतानुसार शासक-वर्ग उन्हें कुचलने के लिए पूरी शक्ति के साथ राज्यसत्ता का प्रयोग करेगा । अतएव, साम्यवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि साधारणतः वर्ग-समाज में राज्य लोकहित का साधन कर सकता है । सामाजिक व्यवस्था में अतर्निहित जो वर्ग-विरोध और वर्ग संघर्ष है, राज्य उसे बदल नहीं सकता । हाँ, यह बात दूसरी है कि अगर किसी समय किसी कारणवश शोषित वर्गों के हाथ में राज्यसत्ता आ जाए तो वे उसका उपयोग सामाजिक न्याय के लिए करें । लेकिन इसकी सम्भावना बहुत कम है । साम्यवादियों का मत है कि राज्य शक्ति पर आधारित है, वह पूरे जनसमुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । उनके अनुसार राज्य एक स्थायी सामाजिक संगठन नहीं है । जिस प्रकार विशेष परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ, उसी प्रकार परिस्थितियों के बदलने पर राज्य का अंत हो जाएगा ।

साम्यवादियों का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है । वे चाहते हैं कि श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने । उनके मतानुसार दुनिया के मजदूरों के हित एक जैसे हैं और उनका मुकाबला उन पूँजीपतियों से है जो दुनिया पर छाए हुए हैं । अतएव उनका विश्वास है कि अपनी नीति निर्धारित करते समय साम्यवादियों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मजदूरों के हित में काम करना चाहिए । राष्ट्रीय भावना से उन्हें इतना अधिक प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी शक्तियों के हित को भुला दें¹ ।

मूल्यांकन—कुछ विचारकों ने साम्यवादी विचारधारा की कड़ी आलोचना की है । उनका यह आरोप है कि साम्यवादी वर्ग-विद्वेष को फैलाते हैं और इस प्रकार समाज में गड़बड़ी पैदा करते हैं । उनका यह भी आरोप है कि वे हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं और इनका शांतिपूर्ण तथा सविधायी तरीके से विश्वास नहीं है । साम्यवादियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे समाज में

1 देखिए लेखक का शोध-लेख, *Marx and Engels on the National Question in Indian Journal of Political Science*, खंड 16, सख्या 3, (जुलाई-सितम्बर, 1955), और *The Critique of Gotha Programme*, मारको, पृष्ठ 30, 51.

साम्यवाद को स्थापित करने के स्थान पर वैमनस्य फैलाते हैं। यह भी कहा गया है कि साम्यवादियों की राज्य-सम्बन्धी धारणा भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः राज्य 'शोषक वर्ग की कार्यकारिणी' नहीं है। आलोचकों ने यह भी कहा है कि मार्क्स के मूल सिद्धांत 'भ्रमोत्पादक' हैं। साम्यवादी इन सब आलोचनाओं का उत्तर यह देते हैं कि वर्ग विरोध वर्ग-सघर्ष और वर्ग-व्यवस्था में अतर्निहित हैं; उन्होंने उसका निर्माण नहीं किया। वह तथ्यों तथा अनुभव पर आधारित है, कल्पना पर नहीं। वह अपने पक्ष में इतिहास की दुहाई देते हैं। पिछले दिनों साम्यवादियों ने नागरिक स्वतंत्रता विधि शासन, और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के महत्त्व को स्वीकार किया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी माना है कि संसार की वर्तमान स्थिति में अब यह सम्भव हो गया है कि समाजवादी व्यवस्था शांतिपूर्ण और सविधानी उपायों से स्थापित की जा सकती है।

साम्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा और सुना गया है। लोग इसे या तो बहुत अधिक पसंद करते हैं या बहुत अधिक नापसंद, और बहुधा तर्कों से इस समस्या का हल नहीं हो पाता। हमारे विचार चाहें जो भी हों, आज संसार का एक बहुत बड़ा भाग साम्यवाद में आस्था रखता है और उससे भी अधिक लोगों की इसमें सहानुभूति है। ऐसी दशा में हम केवल यही सुझाव दे सकते हैं कि हमें चाहे यह विचारधारा पसंद हो या न हो, इसकी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है और यह जानकारों हमें प्रामाणिक ढंग से प्राप्त करनी चाहिए। बहुधा यह देखा गया है कि पहले विद्वान लेखक साम्यवाद की गलत व्याख्या करते हैं और फिर अपनी ही हर्ष गन्त व्याख्या की स्वयं आलोचना करते हैं।

3. लेनिनवाद

लेनिनवाद मार्क्सवादी परम्परा को लेकर आगे बढ़ता है। लेनिन (1870-1924 ई०) ने मार्क्स के श्रातिनारी सिद्धांतों को प्रधानता दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जो स्थिति थी उसके अनुरूप साम्यवाद की एक नई व्याख्या दी। स्तालिन के शब्दों में 'लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा श्राति के युग का मार्क्सवाद है'।

लेनिन के अनुसार, 1789-1870 ई० के काल में पूँजीवाद उदयान पर था। 1871 से 1914 ई० के काल में इसका आगे विकास नहीं हुआ; तथापि यह काल पूँजीवादी आधिपत्य का था¹। इस काल में मजदूरों का एक भाग जिस

¹ *Collected Works*, पृष्ठ 18, न्यूयार्क, 1930, पृष्ठ 367, पृष्ठ 19, न्यूयार्क, 1942, पृष्ठ 93-231.

को पूँजीवाद के विकास से लाभ होता है, अपने वर्ग को छोड़कर पूँजीपतियों से मिल जाता है और ये लोग इस प्रकार की एक भ्रांति उत्पन्न करने में सहायता देते हैं कि वर्ग संघर्ष की आवश्यकता समाप्त हो गई है और शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है। लेनिन के अनुसार, पूँजीवाद के विनाश का समय समीप आ गया है। पूँजीवाद के अंतर्विरोध बढ़ गए हैं और पूँजीवादी देश आपस में लड़ने पर उतारू हो गए हैं। इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होगा कि आर्थिक संकट बढ़ेंगे। साथ में श्रमिककारी आंदोलन भी बढ़ते जाएँगे¹। लेनिन ने भविष्यवाणी की कि एकाधिकार दिन पर-दिन बढ़ते जाएँगे, छोटे-छोटे राज्य या तो समाप्त हो जाएँगे अथवा आर्थिक दृष्टि से वे बड़े राज्यों के नियंत्रण में आ जाएँगे और वह दिन समीप आता जाएगा जबकि पूँजीवाद निर्वल होकर नष्ट हो जाएगा।

प्रथम महायुद्ध के सम्बन्ध में लेनिन का मत था कि मूल रूप में यह महायुद्ध जर्मन पूँजीवादियों और फ्रांसिसी तथा अंग्रेजी पूँजीवादियों का आपसी संघर्ष है जिसका प्रमुख उद्देश्य अफ्रीकी देशों के ऊपर आर्थिक आधिपत्य कायम करना है। इसके अतिरिक्त और भी सहायक तत्व हैं, जैसेकि रूसी पूँजीवादियों की कुस्तु-न्तुनियाँ प्राप्त करने की इच्छा, जापानी पूँजीवादियों की चीन को शोषण करने की इच्छा, विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन आदि। तथापि मूल रूप में इस महायुद्ध का कारण पूँजीपतियों का आंतरिक संघर्ष है जिसका उद्देश्य विश्व पर आर्थिक आधिपत्य कायम करना है।

सेबाइन के अनुसार, लेनिनवाद का मार्क्सवाद अत्यधिक रूढ़िवादी भी था और व्यावहारिक भी। जहाँ लेनिन एक ओर मार्क्स के सिद्धांतों पर दृढ़ है, वहाँ दूसरी ओर उसकी इतनी स्वतंत्र व्याख्या देता है कि हम कह सकते हैं कि उसने मार्क्सवादी विचारधारा में कई परिवर्तन कर दिए हैं। लेनिन के अनुसार, मार्क्सवाद एक ऐसी श्रमिककारी विचारधारा है जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार मजदूरों के हितों पर ध्यान रखते हुए उन्हें कार्य करने की प्रेरणा देती है। लेनिन ने जो नई बातें कही, उनमें प्रमुख थीं - (1) साम्यवादी दल के महत्त्व को स्वीकार करना, (2) दल में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के महत्त्व को मान्यता देना, (3) इस विचार को त्याग देना कि पूँजीवादी विनाश के लिए किन्हीं विशेष अवस्थाओं को पार करना आवश्यक है, (4) यह धारणा कि

1 शेरिफ़ लेनन का शोध लेख, *Lenin on National and Colonial Question*, *Indian Journal of Political Science*, सङ्क 17, संख्या 3, (जुलाई-सितम्बर, 1956)।

पूँजीवादी व्यवस्था के अंत की दृष्टिगत ऐसे देश से होगी जहाँ वह सबसे अधिक अशक्त होगा¹। नीचे हम संक्षेप में लेनिन की प्रमुख धारणाओं पर विचार करेंगे।

उसके अनुसार कोई श्रांति स्वतः नहीं होती। उसके लिए यथोचित आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसके अर्थ यह नहीं कि बिना पूँजीवादी श्रांति के पूरा हुए सर्वहारा श्रांति नहीं हो सकती। उसके कथनानुसार, रूस में ऐसी नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण वहाँ श्रांति की सम्भावना बढ़ गई है। सन् 1917 ई० के प्रारम्भ तक उसका मत था कि रूस की श्रांति एक विश्व समाजवादी श्रांति का सूत्रपात करेगी। लेकिन जब रूस में श्रांति का विकास हुआ और यूरोप के अन्दर समाजवादी श्रांति नहीं हुई तो उसने अपने विचार बदल दिए और कहा कि रूस के मजदूर इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि जब विश्व में समाजवादी श्रांति हो तभी वे समाजवादी विकास का प्रयत्न करें। साथ ही उसने यह भी घोषणा की कि पूँजीवादी श्रांति और सर्वहारा श्रांति के बीच कोई अन्तर्विरोध नहीं है, विशेष दशाओं में दोनों एक साथ हो सकती हैं। अतएव, जहाँ भी समाजवादी श्रांति की दशाएँ उपस्थित हो वहाँ इसके सूत्रपात में हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेनिन के आलोचक यह कहते हैं कि इस सम्बन्ध में उसने मार्क्स के विचारों का परित्याग कर दिया। वे मार्क्स के इस विचार को उद्धृत करते हैं कि कोई राष्ट्र विकास के नैसर्गिक सोपानों को छलांग नहीं सकता। वे एंगेल्स के इस विचार का भी हवाला देते हैं कि श्रांतिकारी परिस्थितियों को पैदा करने के मूल में आर्थिक दशाएँ होती हैं। बलप्रयोग द्वारा श्रांतिकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकतीं। लेकिन लेनिनवाद में विश्वास करने वाले विचारकों का मत है कि लेनिन की धारणाएँ उनके पूँजीवाद के साम्राज्यवादी रूप के सिद्धांत के अनुरूप हैं। क्योंकि अब पूँजीवादी व्यवस्था विश्वव्यापी हो गई है अतः लेनिन का कहना था कि पूँजीवादी बड़ी जहाँ भी सबसे अधिक निर्बल होगी वही वह टूट जाएगी, और क्योंकि यह निर्बलता रूस में थी, इस कारण श्रांति का सूत्रपात वही हुआ। लेनिन के अनुसार, श्रांति के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप और आंतरिक दशाओं पर निर्भर होते हैं और उसने मतानुसार रूस की आंतरिक दशाएँ श्रांति के सर्वथा अनुरूप थीं।

लेनिन का विश्वास था कि मजदूर स्वतः ही समाजवादी विचारों को जन्म नहीं देते, उनके विचार थम संधवाद (Trade Unionism) तक आकर रक जाते हैं। वास्तव में समाजवाद को मजदूरों तक ले जाना होगा और यह काम उन मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का है जो सर्वहारा वर्ग के हित की भावना से प्रेरित

¹ राजनीति का दर्शन, अनु० विश्वप्रकाश ग्रन्थ, पृष्ठ 2, दिल्ली, 1964, पृष्ठ 752

होकर काम कर रहे हैं। इस प्रकार, लेनिन ने बुद्धिजीवियों के महत्त्व को स्वीकार किया। तथापि वे मार्क्स के इस विचार से सहमत थे कि बुद्धिजीवियों के फिसलने की बहुत आशाका रहती है, अतएव इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के अनुरूप लेनिन का यह विचार था कि रूस की दशाओ म एक व्यापक साम्यवादी दल को संगठित करना न सम्भव है और न आवश्यक ही। रूसी परिस्थितियों में साम्यवादी दल एक गुप्त षडयंत्रकारी दल के समान ही संगठित हो सकता है। अतएव उसे छोटा होना चाहिए और उसमें केवल अनुभवी और विश्वस्त व्यक्ति होने चाहिए जो देश के विभिन्न भागों में कार्य करने का उत्तरदायित्व सम्भाल सकें और साथ ही जिसमें अपनी बातों को गोपनीय रखने की क्षमता हो। तथापि इस छोटे दल को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार लेनिन साम्यवादी दल को एक छोटा किंतु अत्यंत सुसंगठित दल बनाना चाहते थे जो साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप योजनाएँ बनाकर समय की आवश्यकताओं के अनुसार उस कार्यरूप दे सके। इसलिए वे अनुशासन के कट्टर समर्थक थे। उनका मत था कि साम्यवादी दल के अंदर जब तक किसी बात पर निर्णय न हो जाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए जिससे प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर भलीभाँति विचार हो सके। लेकिन एक दार नीति निर्धारित हो जाने और निर्णय करने के बाद दल के सभी सदस्यों को उस नीति के अनुसार काम करना चाहिए और उस निर्णय को मान्यता देनी चाहिए। जो सदस्य ऐसा अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनका दल में कोई स्थान नहीं हो सकता।

लेनिन को ससदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं था और न वह यह समझते थे कि लोकतंत्रीय प्रणाली वे द्वारा समाजवादी प्रतीति की जा सकती है। उनके मतानुसार बहुमत शासन एक सविधानी ढंग है और यह आशा करना कि पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, शांतिपूर्ण ढंग से, समाजवाद की स्थापना हो सकेगी, फोरी कल्पना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ससदीय प्रणाली को कोई महत्त्व नहीं देते थे। उसके अनुसार ससदीय प्रणाली का समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा महत्त्व यही है कि वह मजदूरों को सशक्त के बाहर अपना संगठन करना और संपर्क करने की सुविधा देता है। उसका कहना था कि पूँजीवादी व्यवस्था में श्रम आंदोलन की बुनियादी समस्याएँ केवल वन प्रयोग द्वारा हल की जा सकती हैं और इसके लिए सर्वहारा वर्ग को सीधा संपर्क करना होगा। इस प्रकार के संपर्क में वह आम हड़ताल, बग़ावत और प्रतीति को सम्मिलित करता है। लेनिन का विचार था कि मजदूरों को किसानों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। समाजवादी प्रतीति तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक उ ह किसानों का व्यापक

समर्थन प्राप्त न हो। कम से कम ऐसी दशा अवश्य बन जानी चाहिए कि किसान समाजवादी शक्ति का विरोध न करें। जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है उनमें एक बहुत बड़ी समस्या में जाग्रत वर्ग-चेतना होनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि मजदूर शक्ति के लिए तैयार होने चाहिए और उसके लिए उन्हें आत्म-बलिदान के लिए तत्पर होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी देश में शक्ति-कारी दशाएँ उसी समय उपस्थित होती हैं जब मजदूरों का बहुमत शक्ति के लिए तैयार होना है और उन्हें किसानों का समर्थन प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर ऐसी अवस्था आती है जब उच्च वर्ग पुराने ढंग से शासन नहीं कर पाता और निम्न वर्ग पुराने ढंग के शासन को पसन्द नहीं करता। यदि इस समय शासक वर्ग एक प्रशासनिक सफ्ट से गुजर रहा हो तो यह और भी अच्छी बात होगी। उसके मतानुसार, यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अनुकूल हो और आन्तरिक स्थिति शक्तिकारी बन चुकी हो तो मजदूरों को सत्ता हस्तगत करने में सकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वे यह सोचें कि सत्ता को वे तभी हस्तगत करेंगे जब उन्हें जनता का बहुमत प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ग-समाज में मूलतः शोषक वर्ग का आधिपत्य होता है, और शासक-वर्ग जब बहुमत को अपने विरुद्ध पाता है तब वह उसकी कमी परवाह नहीं करता।

लेनिन के मतानुसार, पूँजीवादी राज्य का विनाश शक्तिकारी ढंग से होना चाहिए। पुरानी व्यवस्था को चक्रनाचूर करना होगा, क्योंकि मजदूर वर्ग उस पुरानी व्यवस्था को अपने काम में नहीं ला सकता जो अब तक उनके विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती रही है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि निहित-स्वार्थ अपने हितों को आसानी से नहीं छोड़ते। शक्ति के बाद भी वे नई व्यवस्था को उलटने का प्रयत्न करते रहते हैं। अब पूँजीवादी व्यवस्था को बदलकर समाजवाद स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है। यह अन्तरिम काय बाड़ी सम्बा हो सकता है। जैसा कि मार्क्स ने कहा है, इस अन्तरिम काल में 'सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही' कायम रहेगी। इसके अर्थ यह हुए कि श्रमिक वर्ग इस प्राप्त सत्ता का उपयोग पूँजीवादी व्यवस्था की जड़ें खोदने में करेगा। अर्थात् राजसत्ता का उपयोग शोषक वर्ग की सम्पत्ति का अपहरण करने और उनका दमन करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। लेनिन के अनुसार जब मार्क्स और एंगेल्स यह कहते थे कि राज्य मुरभा जाएगा तो उनका अभिप्राय पूँजीवादी राज्य से नहीं था। पूँजीवादी राज्य को तो भस्मसात करना होगा और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग पूँजीवादी व्यवस्था के विनाश के लिए किया जाएगा। पूँजीवादी व्यवस्था के नष्ट हो जाने पर और समाजवादी व्यवस्था की

स्थापना हो जाने पर कुछ समय तक राज्यसत्ता उस वर्ग के हाथ में रहेगी जो अभी तक शोषित था। धीरे-धीरे इस प्रकार की सत्ता की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज स्थापित हो जाएगा। इस समाज में न वर्ग होंगे और न शोषण। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक काम करेगा; बलप्रयोग अथवा दबाव की कोई आवश्यकता न रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति से उस की योग्यता के अनुसार काम लिया जाएगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे सभी वस्तुएँ उपलब्ध होंगी।

लेनिन के अनुसार, अंतरिम व्यवस्था में राज्य कायम रहेगा। राज्य के मूल में शक्ति और बलप्रयोग है। अतएव किसी राज्य में व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तथापि इस अंतरिम राज्य में सत्ता का उपयोग शोषक वर्ग के विरुद्ध और आमजनता के हित में किया जाएगा। इसमें केवल उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होगा जो समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध हैं। जहाँ तक आम जनता का सम्बन्ध है, शोषण के समाप्त होने पर वस्तुतः उन्हे जीवन में पहली बार सच्ची स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। वे शोषण और शासन-वर्ग की अधीनता से मुक्त हो जाएँगे। लेनिन का विचार था कि इस अंतरिम काल में कठे अनुशासन की आवश्यकता हो सकती है।

स्तालिन के विचार—स्तालिन ने (1879-1953 ई०) जो लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत सभ में सत्तारूढ़ हुआ, साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाने में अधिक योगदान नहीं दिया। उसका महत्वपूर्ण कार्य रचनात्मक था अर्थात् विश्व-क्रांति के अभाव में एक देश में समाजवाद की स्थापना करने का कार्य। कुछ लोगों का यह मत है कि एक देश में समाजवाद की स्थापना मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिबन्ध है, लेनिन रूस के साम्यवादी दल ने अप्रैल 1923 ई० की कांग्रेस में इस विचार की पुष्टि की कि उन्हे सोवियत सभ में समाजवादी प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह काम स्तालिन को सौंपा गया। इस निर्णय का एक परिणाम यह हुआ कि सोवियत सभ को बाहरी हस्तक्षेप और आन्तरिक गडबडी का सामना करना पड़ा जिसके कारण वहाँ बंठोर अनुशासन में काम लिया गया। आज यह सब को ज्ञात है कि स्तालिन के जीवन काल में ऐसे अनेक निरापराध व्यक्तियों को बन्ट उठाने पड़े और उन्हे मौत के पाट उतार दिया गया जिन पर किसी कारणवश स्तालिन और अन्य सत्तारूढ़ साम्यवादी नेताओं की सदेह हो गया था। यही नहीं, स्तालिन के अन्तिम 15 वर्षों में उसने साम्यवादी दल के अंदर सोवियत प्रणाली की बिल्कुल उपेक्षा की और मनमान ढंग से काम किया। साम्यवादी दल के लोग और सोवियत सभ की जनता इन बातों को इसलिए सहन करती रही कि उन्हे विश्वास हो गया था कि उन-

का देश सक्कट की स्थिति से गुजर रहा है और पूँजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी लोग बराबर बाहर से हस्तक्षेप और अदर से गडबडी फैलाना चाहते हैं। स्तालिन के मृत्यु के बाद अब खुशखोब सर्वोच्च सोवियत नेता बने तो स्तालिनवाद की कड़ी आलोचना हुई और सोवियत दल ने यह दृढ़ निश्चय किया कि वे उन बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे जो स्तालिन के नेतृत्व में आ गई थी। इस नई उदार प्रवृत्ति से सोवियत सभ में जाति की एक नई सहर फैल गई है। साम्यवादी दल ने यह विचार भी प्रकट किया कि समाजवाद प्राप्त करने का केवल एक सोवियत ढंग नहीं है, अपितु अनेक सम्भव तरीके हैं। वर्तमान विश्व-परिस्थितियों में यह भी सम्भव है कि ससदीय प्रणाली द्वारा समाजवाद की स्थापना की जाए। अतएव, उन्होंने यह घोषणा की कि साम्यवादी दल अब यह विश्वास नहीं करता कि पूँजीवाद का उन्मूलन केवल हिंसा द्वारा हो सकता है। उन्होंने यह विचार भी त्याग दिया है कि पूँजीवादियों तथा समाजवादी तत्वों में युद्ध अनिवार्य है। उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व (Co existence) के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए जिसका आशय यह है कि पूँजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाएँ विभिन्न देशों में साथ-साथ चलती रहे और उनमें एक शांतिपूर्ण होड़ होनी रहे कि इनमें से बौन निरपेक्ष लोगो को अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकता है। उन्होंने यह मत भी प्रकट किया कि समाजवाद की स्थापना प्रत्येक देश का आंतरिक मामला है। अतएव एक सामान्य केंद्र से आदेश या परामर्श देना न सम्भव है और न आवश्यक। इन नव-घोषित सिद्धांतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव में बर्फी आ गई है और विश्व-शांति की स्थापना में बहुत सहायता मिली है।

4. अराजकतावाद

अराजकतावाद के पीछे एक लम्बा इतिहास है, तथापि हलोकैल के अनुसार उन्नीसवीं शताब्दी में यह एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में प्रकट हुआ¹। इस समकालीन रूप में अराजकतावादियों को मोटे रूप में समाजवादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अराजकतावाद प्रत्येक प्रकार के शासन और बल प्रयोग पर आधारित बाह्य सत्ता का विरोधी है। यह राज्य का विरोध इसलिए करता है कि यह शक्ति पर आधारित है। अराजकतावादी केवल स्वेच्छा पर आधारित शासन को स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा वे इसलिए नहीं करते कि इस प्रकार का शासन बहुमत पर आधारित है, अपितु इसलिए कि इसमें सभी की सहमति होनी है। अराजकतावादी पुलिस विभाग, फौजदारी कानून आदि उन समस्त

¹ उपर्युक्त पृष्ठ, पृष्ठ 476.

सत्पात्रों का विरोध करते हैं जिनकी सहायता से जनसमुदाय का एक भाग दूसरे पर हावी हो जाता है¹। पीटर क्रोपाटकिन (1842-1921 ई०) के अनुसार, अराजकतावाद जीवन और आचरण-सम्बन्धी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक राज्य-विहीन समाज की कल्पना की जाती है : ऐसे समाज में कानूनो अथवा किसी सत्ता के माध्यम से सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि स्वेच्छा पर आधारित समझौतों द्वारा किया जाता है जिन्हें विभिन्न व्यक्ति समूह स्वीकार करते हैं। ये सगठन प्रादेशिक अथवा व्यक्तिमूलक हो सकते हैं जिनका सगठन स्वेच्छापूर्वक उत्पादन और उपभोग के हेतु किया गया हो अथवा अन्य आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए।

अराजकतावादियों के सत्पात्रों में प्रमुख हैं : विलियम गुडविन (1756-1836 ई०), थॉमस हागस्विन (1787-1869 ई०), प्रूथो (1809-1865 ई०), बाकूनिन (1814-1876 ई०) और क्रोपाटकिन। टाल्सटाय भी शक्ति को अनावश्यक समझता था, यहाँ तक कि बगावत अथवा शक्ति के लिए भी वह उसे आवश्यक नहीं मानता था। उसके मतानुसार, प्रेमपूर्ण आचरण ही मनुष्यों का दूसरों के प्रति एकमात्र विवेकपूर्ण कार्य है। उसका विचार था कि राज्य और व्यक्तिगत सम्पत्ति सच्चे ईसाई धर्म के विपरीत है। गुडविन, हागस्विन और प्रूथो के अनुसार हमें शक्तिपूर्ण उपायों से क्रमशः राज्य के सगठन और प्रतियोगियों का अन्त कर देना चाहिए। अराजकतावादी राज्य की इसलिए आलोचना करते हैं कि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति का समर्थन करता है; तथापि किसी न किसी रूप में वे सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। बाकूनिन और क्रोपाटकिन की विचारधारा का साम्यवाद की ओर झुकाव है। वे भूमि और पूँजी के सामूहिक स्वामित्व का समर्थन करते हैं। ऐसे भी कुछ अराजकतावादी हैं जो किसी प्रकार के सगठित समाज को नहीं चाहते। उनको केवल इस बात में दिलचस्पी है कि हिंसा पर आधारित वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को धीरे-धीरे उखाड़ फेंका जाए। उनकी रचनात्मक तथा निर्माण कार्य में कोई रुचि नहीं है। वस्तुतः ऐसे लोगों को आतंकवादियों (terrorist) कहना अधिक उपयुक्त होगा।

अराजकतावादियों का विश्वास है कि केवल अराजकतावादी समाज में ही व्यक्तिगत या पूर्ण विकास सम्भव है, क्योंकि इसके लिए बाह्य बंधनों का न होना अति आवश्यक है। उनके अनुसार अराजकतावादी समाज में ही मनुष्य वस्तुतः पहली बार स्वतंत्र होगा। एक उत्पादक की हैसियत से वह पूँजीपतियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, एक नागरिक की हैसियत से वह राज्य के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और व्यक्तिगत रूप में वह घासिक क्षेत्र में स्वतंत्र

1 Bertrand Russell, *Roads to Freedom*, रत्नावाक्य, 1946, पृष्ठ 49.

हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में अराजकतावाद सामूहिक स्वामित्व में विश्वास करता है। त्रिपाटकिन के शब्दों में, समस्त वस्तुओं पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। जो स्त्री तथा पुरुष वस्तुओं के उत्पादन में उचित सहयोग देते हैं उनको उत्पन्न की हुई प्रत्येक वस्तु के उपयोग का अधिकार होना चाहिए प्रश्न यह है कि क्या व्यक्तियों के न्यायपूर्ण भाग को निरिक्त करने के लिए राज्य का होना आवश्यक नहीं है? अराजकतावादी इसका उत्तर 'नहीं' में देते हैं। उनके अनुसार वास्तव में राज्य अन्याय को प्रथम देता है। यह वस्तुओं का असमान विभाजन करके धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों को बड़ा भाग दे देता है। यह बात सभी राज्यों पर लागू होती है। अतः वे राज्य को अनावश्यक ही नहीं, अपितु नितांत हानिकारक मानते हैं। प्रथम, उनके मतानुसार, राज्य के माध्यम से कुछ व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। आधुनिक युग में राज्य पूँजीवाद और व्यक्तिगत सम्पत्ति का समर्थन करता है; और जब तक राज्य को नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जो समाजवादी यह समझते हैं कि वे राज्य-सत्ता को हस्तगत कर उसके प्रयोग से समाज में आमूल परिवर्तन कर सकते हैं, वे भूल करते हैं। इस कारण अराजकतावादी सरकार के कार्यों को बढ़ाने के विरोधी हैं, भले ही ये कार्य जनता के हित में हों। वे मजदूरों के राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने के पक्ष में भी नहीं हैं, क्योंकि इन बातों से लोगों के मन में यह भ्रांति फैलती है कि इन उपायों के द्वारा अपने ध्येय की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे, वे प्रतिनिधिक सरकार को भी दोषपूर्ण बताते हैं। उनके मतानुसार, एक व्यक्ति दूसरों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और न उसमें सब समस्याओं को सुलभाने की योग्यता होती है। वास्तव में, हमारे प्रतिनिधि प्रत्येक विषय में थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखते हैं जिसके कारण प्रत्येक कार्य चिगड़ जाता है। उन्हें किसी विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं होता जिससे वह उसे भलीभाँति कर सकें। अराजकतावादी अल्पज्ञों के शासन के स्थान पर विशेषज्ञों के परामर्श पर प्रवृत्त करना पसन्द करते हैं, किंतु यह सहमति और स्वेच्छा के आधार पर होना चाहिए। उनका विचार है कि सामान्य इच्छा का पता लगाने के लिए व्यक्तियों की सभा बुलानी चाहिए और विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक प्रश्न व सम्बन्ध में पृथक् प्रतिनिधि निर्वाचित करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि ये विचारक प्रतिनिधिक सरकार की कार्यक्षमता में विश्वास नहीं करते। तीसरे, इनका कहना है कि सत्ता और शक्ति ऐसी वस्तुएँ हैं जो गतुरंगों को भी भ्रष्ट कर देती हैं। अतः अधिकार पाने पर वे धर्मही, स्वार्थी और अत्याचारी हो जाते हैं। इसमें दोष व्यक्ति का नहीं है,

अपितु शक्ति का है। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने साधियों पर शक्ति के उपयोग करने का अवसर नहीं देना चाहिए। कहने का आशय यह है कि प्रकृति से ही शक्ति पर आधारित होने के कारण सरकार एक असामाजिक वातावरण उत्पन्न कर देती है। वह लोगों को वर्गों में विभक्त कर देती है और मित्रों में द्वेषभाव पैदा कर देती है। आंतरिक अशांति और बाहरी संघर्ष इसी के कारण होते हैं। संक्षेप में जनता के लिए सरकार के अर्थ हैं विवशता, परेशानी, और पृथक्ता की भावना, इसके विपरीत अराजकता के अर्थ हैं स्वतंत्रता, सहयोग और प्रेम। आज हमें सैनिक संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमने मानव समुदाय को अनेक राष्ट्रों में बाँट दिया है, हमको कानूनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से पृथक् हो गए। चौथे, इनके मतानुसार राज्य निरर्थक है। उदाहरण के लिए स्याथी सेनाओं ने शायद ही कभी आक्रमणकारियों को रोक पाया हो। इतिहास बताता है कि उनको बहुधा नवसंगठित राष्ट्रीय सेनाओं ने ही पराजित किया है। इसी प्रकार व्यक्तियों के जीवन, धन और सम्मान की रक्षा करने में भी राज्य समर्थ नहीं हुआ। वास्तव में अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का समर्थन कर राज्य ही दरिद्रता और विपत्ता फैलाता है जिनके कारण अन्याय, अत्याचार, अपराध आदि होते हैं। इसी प्रकार कला, विज्ञान, व्यापार, आदि के क्षेत्रों में भी राज्य के हस्तक्षेप से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। उपर्युक्त कारणों से अराजकतावादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य केवल निरर्थक ही नहीं, अपितु एक भयंकर बुराई है जिससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए, उतना ही मानवता के लिए अच्छा होगा।

स्वतंत्र समाज का संगठन—राज्य का अंत होने के पश्चात् समाज की रूप-रेखा क्या होगी और सार्वजनिक कार्य किस प्रकार होंगे? अराजकतावादियों के अनुसार, विरोधी कार्य स्वेच्छित सभों द्वारा किए जा सकेंगे। प्रत्येक व्यवसाय में लगे हुए लोग अपने सभ बनाएंगे, अपने पदाधिकारियों को स्वयं चुनेंगे, अपनी नीति स्वयं निर्धारित करेंगे और अन्य संस्थाओं के साथ स्वतंत्र रूप से सहयोग करेंगे। इस प्रकार के स्वेच्छित सभों के बन जाने से किन्हीं अल्पप्रयोग के शक्ति बनी रहेगी। वस्तुतः अराजकतावाद शक्ति की अनुपस्थिति नहीं, अपितु बल-प्रयोग की अनुपस्थिति है। इस समाज में विभिन्न आकार और प्रकार के समुदाय तथा सभ होंगी। स्वच्छिन्न सभ व्यापारिक और प्रादेशिक आधार पर स्थापित किए जाएंगे। ये सभ मिलकर उन सभी कार्यों को करेंगे जिन्हें आजकल राज्य करता है। इस प्रकार, अराजकतावाद प्रादेशिक स्वायत्तता का समर्थक है। यह समाज या बड़ा छोटी से छोटी इकाई पर आधारित करना चाहता

है। इसका कहना है कि रोप सामाजिक संगठन इसी इकाई के आधार पर स्वयं विकसित हो जाएगा। प्रश्न यह है कि यदि इन जनसमूहों और सघों के हितों में विरोध हो अथवा किसी कारणवश झगड़े हों, तो उनमें कौन सहयोग स्थापित करेगा? इस प्रश्न का उत्तर अराजकतावादी यह देते हैं कि जब व्यक्ति पर आधारित राजसत्ता, व्यक्तिगत पूंजी, और संगठित चर्चे नहीं होंगे, जन्मनुष्य सुशिक्षित हो जाएँगे, जब अमीरी और गरीबी के भेद नहीं रहेंगे, तब उनमें शायद ही कोई विरोधी हित हो। अतः सहयोग की भावना अपूर्व रूप में विकसित हो जाएगी, एवं वर्ग दूसरे वर्ग से प्रेमपूर्वक मिलेगा और पारस्परिक सहयोग द्वारा समाज की उन्नति होगी। इस प्रकार, अराजकतावादी समाज बहुत सामंजस्यपूर्ण और क्रियाशील होगा। इस धारणा के पक्ष में फोरियर महोदय कहते हैं कि यदि कुछ कंकड़ियों को लेकर एक डिब्बे में रखकर हिलाएँ, तो उनको स्वतः ही इतनी सामंजस्यपूर्ण स्थिति हो जाएँगी जितनी मत्त करने पर भी कोई नहीं कर सकता। संक्षेप में यही अराजकतावादी सिद्धांत है। अराजकतावादी समाज में लोगों के सम्बन्ध प्रेम, स्वेच्छा और सद्भाव पर आधारित होंगे। अतः उनमें स्वतः ही सामंजस्य स्थापित हो जाएगा।

आधुनिक अराजकतावादियों का आदर्श एक वर्गहीन और राज्यविहीन समाज स्थापित करना है। किंतु अराजकतावादी यह नहीं बताते कि इस प्रकार का समाज कैसे स्थापित किया जाएगा और किस प्रकार वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का अंत करेंगे।

मूल्यांकन—अराजकतावादियों के विचार सुंदर और बहुत आकर्षक लगते हैं, तथापि वे अव्यावहारिक हैं। वे बहुत आशावादी हैं और मनुष्यों के स्वभाव की अच्छाई पर उन्हें अत्यधिक भरोसा है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बुराई करने से नहीं चूकेंगे और उनके कारण समाज में गड़बड़ी तथा अव्यवस्था फैलने का डर रहेगा। यही नहीं, उनके आदर्श समाज में यदि ऐसे आलसी व्यक्ति हों जो काम करने से इकार कर दें तो क्या होगा? क्या वे समाज पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे? यस्तुतः अराजकतावादियों का यह विचार कि राज्य एक भयंकर बुराई है, युक्तिमत्त प्रतीत नहीं होता। आज का लोकतंत्रीय राज्य धीरे-धीरे पूंजीवाद की आर्थिक विपत्तियों की दूर करने का प्रयत्न कर रहा है और सामाजिक सुरक्षा पर भी बल दे रहा है। यही नहीं, राज्य के अनेक ऐसे कार्य और ऐसे रूप हैं जिनमें बलप्रयोग का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, अराजकतावादियों ने आदर्श समाज की जो कल्पना की है उसकी स्पष्टता बहुत धुंधली है। इसके अतिरिक्त अराजकतावादी हमें यह नहीं बताते कि वे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का कैसे

अतः करेंगे ।

अराजकतावादियों के विचार अव्यावहारिक भले ही हों, किंतु वे बड़े सुहावने लगते हैं । यही नहीं, वह हमारे सम्मुख समाज की एक ऐसी रूपरेखा रखते हैं जिसमें व्यक्ति स्वार्थ से प्रभावित न होकर प्रेम और सद्भाव से काम लेगा । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके आदर्श समाज की रूपरेखा अस्पष्ट होने पर भी बड़ी मनमोहक है । कम से कम वह हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि हमारे समाज में आमूल सुधार कर प्रेम, सद्भाव, शांति और समृद्धि के आधार पर एक नवीन समाज की रचना की जा सकती है ।

5. सिण्डीकैलिज्म

सिण्डीकैलिज्म का प्रारम्भ फ्रांस में एक मजदूर आंदोलन के रूप में हुआ । फ्रांसिसी उद्योगों के छोटे पैमाने पर होने के कारण मजदूर अच्छे ढंग से संगठित नहीं थे । यही नहीं, राजनीतिक भ्रष्टाचार के कई मामले जनता के सामने आए जिनमें से कुछ का सम्बन्ध मजदूर नेताओं से था । इन कारणों से फ्रांसिसी मजदूरों का राजनीति और प्रतिनिधि प्रणाली से विश्वास हट गया । इसका फल यह हुआ है वहाँ मजदूर जब संगठित हुए तो उनके मन में यह विचार जम चुका था कि 'सीधी कार्यवाही' से ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है ।

सिण्डीकैलिज्म मार्क्स, प्रूथो, बाकूनिन और त्रोपाटकिन के विचारों से प्रभावित हुआ । इसके सिद्धांत की आधार-शिला यह विचार है कि वर्ग-संघर्ष अवश्य-म्भावी है । अतः, सर्वहारा वर्ग को अपने सामूहिक संगठन को दृढ़ बनाना चाहिए । इस मत के अनुयायी मार्क्सवाद के आतिकारी पहलुओं पर बल देते हैं और राजनीतिक कार्यवाही के महत्त्व को स्वीकार नहीं करते । मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि, सिण्डीकैलिज्म के अनुसार, श्रमिकों को स्वयं ही यह निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनके काम करने और जीवन निर्वाह की दशाएँ क्या हों ? यही नहीं, उन्हें 'सीधी कार्यवाही' से सामाजिक शांति करनी चाहिए । संक्षेप में हम सिण्डीकैलिज्म को आतिवारी श्रम-संघवाद कह सकते हैं । कुछ विद्वानों ने उसे 'संगठित अराजकता' का नाम दिया है । सिण्डीकैलिज्म में समाजवाद के आर्थिक सिद्धांत और अराजकतावाद के राजनीतिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण है ।

सिण्डीकैलिज्म नाम फ्रांसिसी शब्द 'सिण्डीकेट' से लिया गया है जो मजदूर संघ शब्द का पर्यायवाची है । साधारणतः 'सिण्डीकेट' एक ही उद्योग का संगठन होता है । जब 1868 ई० में मजदूरों को संगठित होने का अधिकार मिला तो संघ तेजी से बनने लगे । सन् 1886 ई० तक आते-आते मजदूर संघों का

एक राष्ट्रीय सघ बन चुका था। दूसरी ओर, 'लेबर एक्सचेंज' के सगठन भी स्थापित हो रहे थे। इन्होंने शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक कार्य करना और हड़ताल के समय मजदूरों को सहायता देना भी प्रारम्भ कर दिया। सन् 1893 ई० तक इन एक्सचेंजों का भी एक सगठन बन गया और दो वर्ष पश्चात् 'जनरल फंडेशन आफ लेबर' (सी० जी० टी०) स्थापित हो गई। अतत. सन् 1902 ई० में ये दोनों सगठन मिलकर एक हो गए। इस नए सगठन में प्रत्येक सिन्डीकेट की दोहरी सदस्यता होती थी, एक स्थानीय व्यापक मजदूर सगठन में और दूसरी उद्योग के सघ में। ये दोनों विभाग एक दूसरे के दृष्टिकोणों की कमियों को दूर कर मजदूरों की एक व्यापक नीति निर्धारित करते थे। जी० डी० एच० कोल के अनुसार, ऐसे सगठन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मजदूर एक ओर अपने स्वयं के समस्त मजदूरों के साथ समन्वय (solidarity) प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरी ओर अपने विशिष्ट धंधे में लगे हुए समस्त मजदूरों के साथ भी एकता रख सकते हैं। इस प्रकार वे समस्त श्रमिकों के साथ अपना पूर्ण समन्वय दिखाना सीख लेते हैं।

सिन्डीकेलिज्म मजदूर सगठनों के आधार पर भावी समाज का निर्माण करना चाहता है। साथ ही, उसका विश्वास है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का अंत करने और नए समाज के निर्माण में मजदूर सगठनों का महत्वपूर्ण योग होगा। इस सिद्धांत के संस्थापकों में कुछ मजदूर नेता थे और कुछ बुद्धिजीवी। इनमें से कुछ के नाम फर्डिनेंड पैत्युटियर (1867-1901 ई०), यूगे, जॉर्ज सोरल (1847-1922 ई०) हैं। इन लोगों ने प्रभु से सत्ता का विरोध करना और स्थानीयता को महत्त्व देना सीखा। पैत्युटियर के अनुसार, मजदूरों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य वर्गों से पृथक् होकर कार्य करना चाहिए। सोरल का कहना था कि समाजवाद के भवितव्य के लिए यह आवश्यक है कि मजदूर सगठनों का स्वतंत्र विकास हो। इनके प्रभाव में आकर सिन्डीकेलिज्म ने साहित्यपूर्ण उपायों को छोड़कर 'सीधी कार्यवाही' का मार्ग अपनाया। इसमें आवश्यकतानुसार हिंसा का समावेश करने में भी उन्हें कोई आपत्ति न थी। उनका विश्वास था कि अतत मजदूरों को पूंजीपतियों को निबाल फेंकना होगा और उद्योगों तथा सामाजिक जीवन पर अपना नियंत्रण लागू करना होगा। उनके विचारानुसार, मजदूर ही 'अर्थ' की उत्पत्ति करते हैं। अतएव, केवल आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका नियंत्रण होना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का यह मत था कि वित्तमूलक उररादकों के सगठनों को राज्य के सारे कार्य हथिया लेने चाहिए। पैत्युटियर के अनुसार, नाति का कार्य मानव समाज को केवल सत्ता से

मुक्त करना ही नहीं है, अपितु ऐसी सस्याओं से भी छुटकारा दिलाना है जिनका ध्येय उत्पादन का विकास नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि उनके कल्पित समाज में वे समुदाय जिनका उत्पादन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, समाप्त हो जाएंगे।

राज्य के विरुद्ध आपत्ति—इस मत के अनुयायियों के अनुसार, राज्य एक मध्यवर्गीय सस्या है। यह शोषण का एक साधन है। राज्य की सेवा में लगे हुए व्यक्ति प्रायः मनुष्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन होते हैं। वस्तुतः मजदूर ही अपनी आवश्यकताओं को मलीभांति समझ सकते हैं। अतएव, उद्योगों के क्षेत्र में भी सत्ता उन्हीं के हाथों में होनी चाहिए। इन लोगों का विरोध केवल राज्य से नहीं अपितु मध्यवर्गीय समाजवाद से भी है। उनके मतानुसार, केवल सिण्टीकैलिज्म ही मजदूरों का एकमात्र सिद्धांत है। इसमें अत्यधिक संगठन और अनुशासन नहीं होता। यही नहीं, उनका विश्वास है कि वर्ग-संघर्ष की भावना बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को अपने आंदोलन से पृथक् रखा जाए। उनके सम्पर्क के कारण मजदूरों की शक्तिकारी भावनाएँ ठंडी पड़ जाती हैं। इनका विचार है कि यदि औद्योगिक व्यवस्था पर उत्पादकों का नियंत्रण होगा तो मजदूरों की स्वतंत्रता में कमी आने के स्थान पर वृद्धि होती जाएगी। साथ ही, कुशलता भी बढ़ेगी। उद्योग में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर उसके प्रवर्ध में भाग ले सकेगा, उसे अपने कार्यक्षेत्र में भी लोकतंत्र का सार प्राप्त हो जाएगा। उनके अनुसार, चौथे पाँचवें साल मतदान देने में मजदूरों को खोसली स्वतंत्रता के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता।

आदर्श-समाज—भावी समाज की रूपरेखा केवल दो भूतपूर्व अराजकतावादी लेखक पनुआद और पूरे ने अपनी पुस्तक 'हम प्राति कैसे करेंगे' में दी है। उनकी योजना अपनी सस्याओं (बोर्ज और सी० जी० टी०) पर आधारित है। बोर्ज स्थानीय सस्या थी और सी० जी० टी० राष्ट्रीय। इनके आदर्श समाज में 'बोर्ज' विभिन्न स्थानीय सस्याओं का समन्वय करेगा। वह सभी स्थानीय मामलों का गवर्नलन करेगा। सी० जी० टी० एक राष्ट्रीय सस्या होगी जो राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों को देखभाल करेगी। उत्पादन के साधन स्थानीय सस्या के हाथ में होंगे और उन्हें अपने कार्यों के लिए स्वायत्तता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय संगठन इन स्थानीय सस्याओं को आवश्यकतानुसार तकनीकी ज्ञान और विनियमों का परामर्श देना ही रहेगा। इनके अनिश्चित एक व्यापक राष्ट्रीय संगठन होगा जिसमें उन सब विषयों पर अधिकार होगा जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं और जिनके लिए कि व्यापक सर्वमाय नियम आवश्यक हैं।

उदाहरण के लिए, बच्चे, बूढ़ और बीमारों की देखभाल, काम करने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सामान्य काम के घंटे, आदि के सम्बन्ध में यह निर्णय करेगा ।

इनके आदर्श समाज में सत्ता और अनुशासन का लोप नहीं होगा, अनुशासन की फिर भी आवश्यकता रहेगी । उदाहरण के लिए, मुताकासोरों का बादकाट, आलसियों को देशनिकाना, भगडा फिसाद करने वालों का बहिष्कार फिर भी करना पड़ेगा । तथापि सब मिलकर अपराधों की संस्था बहुत कम हो जाएगी । फिर भी, शांति व्यवस्था बनाने के लिए रक्षात्मक सैन्य शक्ति की आवश्यकता होगी । लेकिन इसके लिए पृथक् सेना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी । स्थानीय सशस्त्र हथियारबंद समूहों का काम करेंगे और शांति विरोधी गटबन्धियों को रोकेंगे । बाहरी आक्रमण से रक्षा करने का काम भी इन्हीं का होगा । इस प्रकार न तो एक स्थायी सेना होगी और न आक्रामक अस्त्र शस्त्र । इनका हृदय विश्वास है कि जब मजदूर इस प्रकार संगठित हो जाएंगे तो इसका कोई अदेशा नहीं रहेगा कि वे एक दूसरे पर आक्रमण कर दें, वे शांतिपूर्ण ढंग से मिलकर रहेंगे ।

कार्य-पद्धति—वस्तुतः इस मत के अनुयायी भावी समाज की अपेक्षा कार्य-पद्धति पर अधिक बल देते हैं । क्योंकि राज्य पर इनका विश्वास नहीं है और वे पूंजीपति तथा श्रमिकों के हितों के सामंजस्य में विश्वास नहीं करते, अतः उनके विचार में राजनीतिक उपाय अपनाने के कोई लाभ नहीं है । अपने देश में समाजवादी मन्त्रियों से भी उन्त बहुत अनुभव हुए । साथ ही, उनका विश्वास है कि संसदीय मार्ग अपनाने से श्रान्तिकारी भावना बृद्धि हो जाती है और वर्ग चेतना में तीव्रता नहीं रहती । यदि कुछ समाजवादी प्रतिनिधि चुनाव में सफल हो भी जाएं तो हम यह नहीं भूलना चाहिए कि समूचे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल मजदूरों का नहीं । अतः इनका अधिक आशा रखना अनुचित होगा । यही नहीं, वे स्वीकार करते हैं कि यदि मजदूर अपने आधिकारिक अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं, तथापि मतदान देते समय उनमें एकता नहीं होती जिससे एक दूसरे के समीप आने के स्थान पर वे और अधिक दूर हो जाते हैं । इसलिए इनका सुमात्र है कि कार्य करने के सविधानी उपायों को तिलाजलि दे देनी चाहिए । वस्तुतः यह लोग 'सोषो कार्यवाही' में ही विश्वास रखते हैं । उनका विश्वास है कि केवल सोषो उपायों द्वारा मजदूरों की श्रान्तिक गण-सघर्ष के लिए तैयार किया जा सकता है । उनमें अनुसार, आर्थिक सत्ता ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति होती है और आर्थिक मामलों में उनमें सबसे अधिक महत्त्व होता है । शायद वे एक शाय मतदान न करें, किन्तु जब हड़ताल का प्रश्न आएगा तो

वे सब एक हो जाएंगे। अतएव, वे सीधे उपायो पर जोर देते हैं जिनमें चार मुख्य हैं - हडताल, बहिष्कार, लेबिल और तोड़फोड़। इनमें हडताल सबसे प्रमुख है और यथासम्भव वे उसे प्रोत्साहन देते हैं। वे हडताल को केवल साधन के रूप में ही नहीं बल्कि वैसे भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। यदि हडताल असफल भी हो जाए तो भी उनसे मजदूरों को संगठन, अनुशासन और आत्म निर्भरता के पाठ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वह मिलमालिकों और मजदूरों के अंतर और मनमुटाव को और भी बड़ा देती है। इस प्रकार सफलता का दिन और समय आ जाता है। इनके अनुसार, हडताल मजदूरों की सामाजिक शक्ति का एक अच्छा प्रदर्शन है। कुछ चुने हुए उद्योगों में एक साथ हडताल कर देने से सारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था ठप्प हो जाती है और मिलमालिकों को उनकी माँगें मानने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। उनके मतानुसार, हडतालें चाहे जितनी व्यापक क्यों न हों, उनको अंतिम 'आम हडताल' की तैयारी और शिक्षा का एक साधन मानना चाहिए जिसके द्वारा मजदूर एक साथ उठकर वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और नवीन समाज की रचना करेंगे।

आम हडताल के विचार को प्रस्तुत करने वाले समाजवादी लेखक ब्लाकी थे। इन लोगों की आम हडताल साधारण हडतालों से भिन्न हैं जो सहानुभूति में की जाती हैं। ये राजनीतिक हडतालों से भी भिन्न हैं। इनकी आम हडताल की भावना में सबसे बड़ा अंतर उस मनोवृत्ति का है जिसको लेकर यह हडताल की जाती है और उन प्रातिकारी उद्देश्यों का है जिनकी प्राप्ति के लिए हडताल एक साधन है। इनके अनुसार, प्रत्येक हडताल वर्ग-संगठन की भावना को दृढ़ करने का एक उपाय है। सम्भवतः आम हडताल में प्रत्येक मजदूर को भाग लेने की आवश्यकता न पड़े। इनका विश्वास है कि प्रमुख उद्योगों में यथेष्ट संख्या में वर्ग-चेतनायुक्त मजदूर हडताल करके सामाजिक और आर्थिक प्राप्ति ला सकते हैं। वस्तुतः अब सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि इस प्रकार की हडतालों अपेक्षाकृत सरल और प्रभावकारी हो गई हैं और मजदूर हडतालों द्वारा बहुत कम संख्या में सामाजिक व्यवस्था का संचालन रोक सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की हडतालों लोकतंत्रीय नहीं होगी। यह आरोप भी लगाया जा सकता है कि सम्भवतः मजदूरों का बहुमत इनके पक्ष में न हो। लेकिन सिन्डीकेलिज्म में विश्वास करने वाले लोग बातों से प्रभावित नहीं होते। उनके अनुसार, बहुमत शासन एक मध्यवर्गीय धारणा है। वास्तव में सशक्ति काल में कुछ चुने हुए मजदूरों को ही सभा को हस्तगत करना होगा और इस प्रकार समस्त मजदूरों को उनके ध्येय तक पहुँचाने में सहायता करनी होगी। स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में इनके विचार मार्क्स के विचारों से मेल नहीं खाते।

इनका कहना है कि मावसं बहुत आघावादी थे और सोचते थे कि पूंजीवाद का विनाश आवश्यकता है। मावसं का यह विचार भी ठीक नहीं था कि अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए पूंजीपति जम कर लड़ेंगे और इसलिए उनका नाश आवश्यक हो जाएगा। इनके मतानुसार, सम्भावना इस बात की है कि वे मोलभाव कर समझौते करने का प्रयत्न करेंगे जिससे मजदूरों की प्राणिकारी भावना कम हो जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि मजदूर स्थायी आक्रमण की नीति अपनाए।

सोरल ने आम हड़ताल की कल्पना (myth) के महत्त्व पर बहुत बल दिया है। उन्होंने बर्गसों (Bergson) के अतर्जान के सिद्धांत से यह विचार ग्रहण किया। बर्गसों का कहना था कि हमारे नायों के उद्देश्य विवेक से निर्धारित नहीं होते, बल्कि अतर्जान द्वारा निश्चित होते हैं। हमारा विवेक हमें बनाता है कि हम जो करना चाहते हैं वह कैसे करें, किंतु वह हमें यह बताने में कोई सहायता नहीं करता कि हम क्या करना चाहते हैं। इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर सोरल ने कहा कि मजदूरों को यह विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि आम हड़ताल किस प्रकार पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके नए समाज की रचना करेगी। इसकी भावना और उद्देश्य को उन्हें अतर्जान से समझना चाहिए। उनकी कल्पना को उत्तेजित करना चाहिए और समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आम हड़ताल की कल्पना और धारणा द्वारा उन्हें समाजवाद का वह अतर्जान प्राप्त हो जाता है जिसको अन्य माध्यम से देना बहुत कठिन है। सोरल के विचारों में सबसे महत्त्व की बात यह है कि आम हड़ताल के सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं सोचना है और न उनका प्रभाव उसके तात्कालिक परिणामों से जाचना चाहिए। उन्हें इन दृष्टि से देखना चाहिए कि वे मजदूरों में तीव्र वर्ग चेतना फैलाती हैं अथवा नहीं।

दूसरा सीधा उपाय लेविल है जो मजदूरों की उन्नति के प्रदर्शन में सहायक होना है। जिस वस्तु पर मजदूर सप का लेविल हो उसके अर्थ यह है कि वह वस्तु सप द्वारा निर्धारित दशाओं, वेतन और नियमों के अनुकूल बनाई गई है। इनके अनुसार, मजदूरों को सिर्फ ऐसी वस्तुएँ खरीदनी चाहिए जिन पर इस प्रकार का लेविल लगा हो। जहाँ ऐसा लेविल न हो उन वस्तुओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। इसका प्रभाव मिल-मालिकों के ऊपर तत्काल होगा। ये स्त्रोग तोडफोड की नीति पर भी बहुत जोर देते हैं। उत्पादन की नियमित प्रक्रियाओं से बाधा डालना जिससे पूंजी को हानि का भय हो, तोडफोड कहना है। शीजों को ठीक स्थान पर न से जाकर और कहीं से जाना, मशीन में जान-सूझकर खरानी कर देना, मशीन के चलते समय काम न करना, शीजें खराब कर देना, प्रादि वगैरे इनके उदाहरण हैं। इस प्रकार की तोडफोड हड़ताल के

समय बचवा इसके अतिरिक्त भी की जा सकती है। इसके अहितक रूप होंगे : धीरे-धीरे काम करना, घटिया काम करना, नियमों को इस प्रकार मानना जिससे चीजें महँगी पड़े, ग्राहकों को वस्तु के बारे में सच्ची-सच्ची बातें बताना जिसे चीजों की बित्री न हो आदि। इसके गभीर हिसक रूप हैं — सामान, मशीनों और औजारों को नष्ट कर देना। 'सीधी कार्यवाही' के इन उपायों का प्रयोग मजदूरों में वर्ग-चेतना फैलाने के लिए और उन्हें आम हड़ताल के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है।

वास्तव में सिण्डिकैलिज्म अराजकतावाद, समाजवाद और श्रमिक-सघवाद का सम्मिश्रण है। राज्य से घृणा करने में, उसकी सर्वोच्चता न मानने में, लोक-सत्तवादि को अस्वीकार करने में यह अराजकतावाद के समान है। सर्वहारावर्ग के आन्दोलन के रूप में वर्ग-सघर्ष और सामाजिक जाति की अनिवाद्यता को मानने में यह समाजवादी स्वरूप का है। मजदूर सभा को राष्ट्र की इकाई बनाने में, और उन्हें व्यवसायों का अधिकार और प्रबंध में यह मजदूर-संगठनवाद से समानता रखता है। इसका आम हड़ताल का हथियार उदार समाजवाद तथा अराजकतावाद का मध्यवर्ती मार्ग है। उदार समाजवादियों ने सिण्डिकैलिज्म के उपाय और आदर्श दोनों से असहमति प्रकट की है। उनका कहना है कि मजदूरों के सविधानी आन्दोलन में खतरे हो सकते हैं। पर 'सीधी कार्यवाही' भी खतरे से खाली नहीं है। यह ठीक है कि मजदूर पार्टी के नेता समझौता कर लेते हैं, तथापि मजदूर-सभा के नेताओं को भी अपना नेतृत्व रखने के लिए यही करना पड़ता है। हड़ताल के समय भूखे मरते हुए मजदूरों की हालत देखकर सभी-जगो समझौता करना ही उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, मजदूर पार्टी वे सत्त सदस्य कम से कम मजदूरों के अनुकूल कानून पास करा सकते हैं और मिग मालिकों और मजदूरों के झगड़े के समय मजदूरों का पक्ष ले सकते हैं। अतः उनका कहना है कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार के कार्यों को साथ-साथ करना चाहिए।

मूल्यांकन—सिण्डिकैलिज्म केवल उत्पादकों के हितों की ओर ध्यान देता है और उपभोक्ताओं के हितों की चिन्ता नहीं करता। यही नहीं, इसकी 'सीधी कार्यवाही' के ढंगों पर आपत्ति की जाती है। मालोचकों का कहना है कि इसके बताए हुए तरीकों से लोगों को बहुत नष्ट होगा। यह बहुत सदेहास्पद बात है कि उन उपायों से सामाजिक जाति हो सकेगी। उनका यह भी कहना है कि इनकी भावी समाज की रूपरेखा बहुत अस्पष्ट है। उनसे मतानुसार, सिण्डिकैलिज्म विचारधारा यथार्थवादी नहीं है। माना कि आधुनिक राज्य दोषपूर्ण है लेकिन उनमें सुधार हो सकते हैं, और अगर सत्ता उचित लोगों के हाथों में हो

तो उसका प्रयोग मजदूरों और अन्य लोगों को भलाई के लिए किया जा सकता है। किंतु सिन्डीकेलिज्म इस बात को स्वीकार नहीं करता। साथ ही, अविवेकी तत्त्वों पर इसकी आस्था भी खतरे से खाली नहीं है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार फासिस्टों और नाज़ियों ने इनका सहारा लेकर मानवता को एक खतरे में डाला। फिर भी, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह उत्पादकों के महत्त्व पर बल देता है और मजदूरों की सच्ची स्वतंत्रता की माँग करता है, मुख्यतः उद्योगों में श्रोकृतनीय व्यवस्था की। इसने सतदीय प्रणाली के दोषों की ओर हमारा ध्यान दिलाया और साथ ही यह भी बताया कि नौकरशाही के कारण सत्ता का कैसे दुरुपयोग होता है। राज्य की इन आलोचनाओं से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे गिल्ड-समाजवाद कहते हैं।

6 गिल्ड-समाजवाद

गिल्ड समाजवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ। यह विचारधारा उदारवादी समाजवाद और सिन्डीकेलिज्म से प्रभावित हुई। इसकी सर्वप्रथम पुस्तक ए० जे० पेंटी द्वारा 1906 ई० में लिखी गई जिसमें आधुनिक उद्योगों की आलोचना इस दृष्टि से की गई थी कि उनमें हस्तकला और सौंदर्य का अभाव होता है। उसने माँग की कि हमें उद्योगों में स्वशासन का सिद्धांत लागू करना चाहिए। प्रत्येक उद्योग अथवा दस्तकारी से सम्बंधित एक गिल्ड बननी चाहिए और प्रत्येक गिल्ड को स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। उत्पादन के उपकरणों पर गिल्ड का अधिकार होना चाहिए और गिल्ड को ही उत्पादन से सम्बंधित बातों का निर्णय करना चाहिए। जोड़ के कथनानुसार, पेंटी के विचार व्यावहारिक थे, तथापि उन्होंने आगे धाने वाले लेखकों को प्रभावित किया।

सन् 1909 ई० में इस सिद्धांत ने एक व्यावहारिक रूप लिया। वस्तुतः 1909-1912 ई० का समय इंग्लैंड में मजदूरों में बहुत अशांति का था। इस समय एस० बी० होम्सन (1864-1940 ई०), ए० आर० ओरेज (1873-1934 ई०), जी० डी० एच० कोल (1889-1959 ई०), बर्ट्रैंड रसल और आर० एच० टोनी आदि लेखकों ने अपने गिल्ड समाजवादी विचार प्रस्तुत किए। इनकी प्रमुख धारणा यह थी कि औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को स्वशासन के अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए उद्योगों को गिल्डों में संगठित करना चाहिए। मजदूर-सभाएँ इन गिल्डों की इकाई का काम दे सकती हैं। ये लक्षक समवालीन समाजवाद के केंद्रीयतु समष्टिवादी विचारों के विरोधी हैं। सन् 1912 ई० तक गिल्ड-समाजवादी विचारधारा काफी प्रभावशाली हो गई।

सन् 1915 ई० में एक राष्ट्रीय गिल्ड लीग कायम हुई तथापि यह अधिक लोक-प्रिय नहीं हुई और सन् 1925 ई० में इसे भंग कर दिया गया। कोल इन विचारकों में प्रमुख था और इसने फ्रांसीसी सिण्डिकैलिज्म और मेटल्लेड के नियमों की स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया था। टोनी और रसल ने सम्पत्ति के अधिकार की वृत्तिमूलक व्याख्या की। उनके कथनानुसार, सम्पत्ति के अधिकार को उसी सीमा तक नैतिक समर्थन मिल सकता है जिस सीमा तक वह सामाजिक सेवा के कार्य में लगी हुई हो। आगे चलकर कोल ने गिल्ड समाजवादी विचारों को छोड़ दिया। शेप विद्वान भी इस क्षेत्र सहृदय उदार-समाजवाद के समर्थक बन गए। तथापि इस विचारधारा का अपना महत्त्व है और इसका अध्ययन सैद्धांतिक दृष्टि से होना चाहिए।

वर्तमान व्यवस्था की आलोचना—गिल्ड समाजवादी वर्तमान आर्थिक ढाँचे और राजनीतिक लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। पूंजीवाद सम्बन्धी इनकी आलोचना लगभग वही है जो अन्य समाजवादी करते हैं। सम्पत्ति के सम्बन्ध में इनकी धारणा यह है कि उसका नैतिक औचित्य इसी बात पर निर्भर है कि उसका उपयोग सामाजिक उद्देश्य से हो। यदि सम्पत्ति का सामाजिक उपयोग नहीं होता तो समुदाय उसकी रक्षा करने का दायित्व नहीं ले सकता। किन्तु अभी समाज में सम्पत्ति को इसलिए मान्यता दी जाती है कि वह एक अधिकार है, इसलिए नहीं कि सामाजिक दृष्टि से वह उपादेय है। इसके अतिरिक्त उनकी आलोचना यह भी थी कि वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था में मजदूरों को अमानवीय बना दिया जाता है और उनकी सृजनात्मक हस्तकला नष्ट कर दी गई है। इन गिल्ड समाजवादियों को प्रचलित राजनीतिक लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है। वे कहते हैं कि इसमें नागरिकों को केवल यह अधिकार होता है कि वह चार-पाँच वर्ष बाद मतदान करके यह निर्णय करे कि अगली अवधि के लिए उमरे शासक कौन होंगे। साथ ही, प्रचलित लोकतंत्रीय व्यवस्था व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को मान्यता देती है और मजदूरों को यह तय करने का कोई अवसर नहीं मिलता कि उन्हें कितने दशाओं में काम करना है। उनका कहना है कि वस्तुतः हमारी सामाजिक व्यवस्था बुनियादी रूप में लोकतंत्र-विरोधी है।

सिद्धांत और उद्देश्य—गिल्ड समाजवादियों का ध्येय प्रचलित वैतन-व्यवस्था का अंत करना और उद्योगों में नागरिकों के लिए स्वशासन स्थापित करना है। इसके लिए एक लोकतंत्रीय आधार पर निर्वाचित राष्ट्रीय गिल्ड हो जो अन्य लोकतंत्रीय वृत्तिमूलक संगठनों के मिलकर काम करे। गिल्ड-समाजवाद वृत्तिमूलक लोकतंत्र का प्रबल समर्थक है। इसके अनुसार कोई एक व्यक्ति दूसरे व्य-

वित्तियों का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकना। हाँ, वह उनके समान उद्देश्यों के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व ही सच्चा है और वास्तविक लोकतन्त्रवादी समस्याएँ वे हैं जो व्यक्ति द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध हैं। इसके अर्थ यह हुए कि एक सच्चे लोकतन्त्रीय समाज में नई प्रतिनिधिक समस्याएँ होंगी जिनमें से प्रत्येक व्यक्तियों के विशेष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करेगी। अतः विभिन्न कार्यों के लिए पृथक् प्रतिनिधि समस्याएँ होंगी। गिल्डवादियों के अनुसार, इन सभाओं को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—वृत्तिमूलक और नागरिक समस्याएँ। कृषि गिल्डवादी इनमें वितरण सम्बन्धी समस्याएँ भी जोड़ देते हैं।

इस प्रतिनिधि सभा को गिल्ड कहते हैं। गिल्ड परस्पर एक दूसरे पर व्यवस्थित व्यक्तियों का स्वायत्त सङ्घ है जो समाज के किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। गिल्ड की तीन विशेषताएँ होती हैं। पहला तो यह है कि यह एक व्यवसाय के समस्त कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करता है। इससे मंजूर, तकनीकी विशेषज्ञ और शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर, सभी शामिल होते हैं। दूसरे, गिल्ड एक उत्तरदायी सङ्घ है जिसे इस वर्ग पर स्वायत्त शासन दे दिया जाना है कि यह अपना कार्य सन्तोषपूर्वक करेगी। अन्तर्गत काम के लिए यह आवश्यक है कि काम करने वालों को काम की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाय, और उनके काम में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाय। गिल्ड की तीसरी विशेषता उसके एकाधिकार का होना है, यद्यपि व्यवसाय का थोड़ा-सा भाग गिल्ड के अधिकार के बाहर रहता है।

सामान्य हितों की बातों के लिए एक राष्ट्रीय सभा होगी जो वर्तमान संसद में मिश्रित जुलती होगी। यह कानून, कर व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा आदि का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक और स्थानीय समस्याएँ होंगी जो लगभग वर्तमान स्वायत्त सभाओं के समान होंगी। इनका कार्य गैस, बिजली, पानी, पुलिस, सफाई आदि होगा। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है, काम को दयाएँ, वतन आदि शान्त सामान्य इच्छा के अनुसार वारसाने की निर्धारित कमेटियाँ करेगी। जहाँ तक कि इससे बंध प्रश्न है, जैसे उत्पादन विघ्नना हो, वस्तुओं का मूल्य बढ़ा रखा जाए आदि। इनका निर्णय करने के लिए ऐसी समस्याएँ होंगी जिनमें उत्पादक और उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व होगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि गिल्ड-समाजवाद शक्तियों और कार्यों के समन्वय का समर्थन करता है। वृत्तिमूलक लोकतन्त्र का समर्थन गिल्ड समाजवादी दो कारणों से करता है। प्रथम, वे मानते हैं कि जिसके हाथ में व्यापक सत्ता होती है वही वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का भी उपयोग करता है।

अतः गिल्ड-समाजवादी कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र उस समय तक चालू नहीं हो सकता जब तक कि आर्थिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र लागू न हो। कहने का अर्थ यह है कि जब उद्योगों को लोकतंत्रीय ढंग से संगठित कर दिया जाएगा तो समाज की लोकतंत्रीय व्यवस्था भी सरलता से बन जाएगी। दूसरे, उनका कहना है कि आधुनिक उद्योगों में ऐसी अव्यवस्था है कि उनको सुचारु रूप से संगठित किए बिना सामाजिक जीवन भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। पूंजीवादी तरीके और उद्देश्य अक्षर्य सिद्ध हो रहे हैं। अतः हमको शीघ्र ही पूंजीवाद के स्वान पर किसी अन्य व्यवस्था की खोज करनी पड़ेगी। उपर्युक्त बातों का अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि गिल्ड-समाजवादी सिद्धान्त सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लागू नहीं होते। वस्तुतः गिल्ड-समाजवादी स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि उनका सिद्धांत स्थानीय और राष्ट्रीय सरकार पर ही पूर्णतः लागू होता है।

उद्योग में स्वशासन— गिल्ड-समाजवादी यह मानते हैं कि प्रमुक्त उद्योग और सार्वजनिक सेवाएँ राज्य के हाथ में होनी चाहिए। किंतु उनका कहना है कि यद्यपि राष्ट्रीयकरण आवश्यक है तथापि उससे समस्या का पूरा हल नहीं होता। इसका कारण यह है कि राज्य में नौकरशाही का बोलबाला है जिसके कारण राष्ट्रीयकरण से मजदूरों को विशेष लाभ नहीं मिलता। अतएव, यदि हम राष्ट्रीयकरण का समुचित लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें उद्योगों में स्वशासन का सूत्रपात करना चाहिए। उद्योगों को लोकतंत्रीय बनाने के लिए हमें नीचे से संगठन करना होगा। मजदूरों के नेताओं और मैनेजर का मजदूरों द्वारा निर्वाचन होना चाहिए और उन्हीं के प्रति वे उत्तरदायी होने चाहिए। इस प्रकार मजदूर संगठित रूप से उद्योगों के प्रशासन पर अपना नियंत्रण रख सकेंगे। यह नियंत्रण गिल्ड को सौंप देना चाहिए। गिल्ड में शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का श्रम करने वाले व्यक्ति हों। इसका कार्य अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं अपितु उद्योगों को चलाना होगा। प्रचलित मजदूर-सभाओं और गिल्ड में सबसे बड़ा भेद यह होगा कि जहाँ मजदूर-सभाएँ वर्ग भेद पर आधारित समाज में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, वहाँ गिल्ड मंत्रीपूर्ण समाज में उद्योगों को चलाएंगे। इस अर्थ के समर्थकों का कहना है कि इस प्रकार गिल्ड न केवल उत्पादन बढ़ा सकेंगे, अपितु वह वस्तुओं को उत्तम भी बना सकेंगे। गिल्ड-पूँजीवादियों के लाभ के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि समाज सेवा में लगे होंगे। फिर भी भय रहेगा कि गिल्ड वही वस्तुओं के मूल्य को अधिक रखकर मुनाफागोरी न करने लगे। अतएव, ये लोग कहते हैं कि यद्यपि उद्योगों को मजदूर स्वयं तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से चलाएंगे तथापि जहाँ तक

वस्तुओं के मूल्य आदि के प्रश्न हैं, उनका निर्णय गिल्ड उपभोक्ताओं की कौंसिलों से मिलकर करेगे।

कोल के मतानुसार, गिल्ड तीन प्रकार के होंगे राष्ट्रीय गिल्ड, जो बड़े-बड़े उद्योगों और सेवाओं को हाथ में लेंगे जैसे रेलवे, खाने, कोयला, उद्याग आदि। इनका स्वामित्व राज्य के हाथ में होगा जो ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाएगा जिन में गिल्ड और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होगा। दूसरे, सार्वजनिक सेवा के लिए कुछ स्थानीय संस्थाएँ होंगी जो गैस, बिजली, पानी, स्थानीय परिवहन आदि की व्यवस्था करेंगी। तीसरी श्रेणी में वे संस्थाएँ होंगी जो लघु उद्योगों की देखभाल करेंगी। परभूत के व्यापार का काम भी एक लघु उद्योग मान लिया जाएगा। कोल का मत है कि इस श्रेणी के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा स्थानीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, इनको सहकारिता के आधार पर संगठित किया जा सकता है। मुनाफाखोरी को रोकने के लिए मुनाफे पर प्रभार बढ़ता हुआ कर लगाया जाएगा। इसका एक लाभ यह होगा कि यदि कुछ गिल्ड अधिक समृद्ध हैं तो बरा के रूप में उनकी आय का कुछ भाग सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो सकेगा।

राज्य की स्थिति और कार्य—हम यह कह चुके हैं कि रक्षा, शांति व्यवस्था, कर व्यवस्था आदि ऐसे कार्य होंगे जिनको एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था करेगी जिस में सब नागरिकों का प्रतिनिधित्व होगा। प्रश्न यह होगा कि इस संस्था का रूप क्या होगा? नेशनल गिल्ड लीग के अनुसार, इसके रूप की व्याख्या पहले से नहीं की जा सकती। उस परिस्थिति के अनुरूप बनाना होगा। लीग मार्क्स के इस मत से सहमत थी कि वर्तमान समाज में राज्य पूँजीपतियों के हित में प्रशासन करने वाली एक कार्यकारिणी समिति है। गिल्ड समाजवादियों की यह राज्य-विरोधी प्रवृत्ति एक आदर्श समाज बनने के बाद एकाएक समाप्त नहीं हो जाएगी। जोड़ के अनुसार, वे भावी समाज में राज्य को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देना चाहते। फिर भी, कुछ ऐसे गिल्ड-समाजवादी हुए जिनका कहना था कि कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य बच रहेंगे जिन्हें वर्तमान राज्य सरलता से कर सकता है।

कार्य प्रणाली—वर्तमान समाज के स्थान पर एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे किया जाएगा? गिल्ड समाजवादियों के अनुसार, सम्भवतः सभ्यता-काल में हिंसा की आवश्यकता पर तथ्यापि यह भी सम्भव है कि विगुड विकासवादी ढंग से परिवर्तन हो जाएँ। सम्भवतः इसीलिए गिल्ड समाजवादी मजदूर-समाजों का वर्तमान संगठन का उपयोग करते हैं और भावी समाज में इसे स्थान देते हैं। वस्तुतः मजदूर-समाजों के साधन होंगी जिनके माध्यम से यह परिवर्तन किया जा सकेगा। अतएव, गिल्ड समाजवादी कहते हैं कि मजदूर समाजों की

सह्या घटाकर इन्हे बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक उद्योग घड़े में सगे हुए शारीरिक और मानसिक कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को एक ही मजदूर-सभा का सदस्य बनाना चाहिए। यही नहीं, उनका कहना है कि धीरे-धीरे मजदूर सभाओं को अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पूंजीवादियों से कार्य और अधिकार लेकर मजदूरों को सौंप दिए जाएँ। उदाहरण के लिए मजदूरों के नेताओं को निर्वाचित करने का कदम उठाने चाहिए और जिनके मजदूर विरुद्ध हो उन्हें पदच्युत कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गिल्ड समाजवादी सामूहिक ठेके लेने के पक्ष में हैं। इसके अनुसार मजदूर सभा निश्चित मात्रा में मात उत्पादन करने की गारंटी देगी, मजदूरों की निरीक्षण का स्वयं प्रबंध करेगी, स्वयं ही मजदूरों के नेताओं की नियुक्ति और पदोन्नति करेगी और मिलमालिकों से मजदूरों का घन इकट्ठा करके मजदूरों में बाँटेगी। यह अनुभव आगे चलकर उनके बड़े काम आएगा और उन्हें इस योग्य बना देगा कि वे उद्योगों का प्रबंध अपने हाथों में ले सकें।

मूल्यांकन—गिल्ड-समाजवाद उदार समाजवादियों के समान कुछ सीमा तक राज्य को अपन भावी समाज में भी बनाए रखेगा किंतु उसके कार्य सीमित कर दिए जाएँगे। इस मत की प्रमुख बात उद्योगों में स्वशासन को लागू करना और मजदूरों के हाथ में प्रबंध के अधिकार देना है। साथ ही, यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का विरोध करते हुए वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व की मांग करता है। एक समय था जब गिल्ड-समाजवाद का बोलवाला था, आज उसके समर्थक नहीं रहे। इसका कारण सम्भवत यह है कि राजनीतिक सत्ता को हस्तगत करने का प्रश्न अब प्रमुख हो गया है और भावी समाज का प्रश्न गौण। सिद्धांत के रूप में गिल्ड-समाजवाद की इस बुनियादी धारणा की आलोचना की जाती है कि हम मध्यकालीन गिल्ड में पुन प्राण डालकर उसे उपयोगी बना सकते हैं। वास्तव में वर्तमान उद्योग भिन्न प्रकार के हैं। जबकि मध्यकालीन कारीगरी छोटे पैमाने पर, परम्परागत और स्थानीय थी, आधुनिक उद्योग बड़े पैमाने पर और अकुशल (किंतु सूक्ष्म रूप में विभक्त) मजदूरों का उपयोग करते हैं। अब वर्तमान स्थिति में पुराने गिल्डों से काम नहीं चलाया जा सकता। अन्य आलोचक कहते हैं कि गिल्ड समाजवादी उत्पादकों को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते हैं और उपभोक्ताओं की हितसिद्धि से मजदूर के व्यक्तित्व को इतना महत्त्व नहीं देते। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न यह भी है कि यदि हम अनेक स्तर की गिल्डें बनाएँ तो उनके आपसी सम्बन्धों में सामंजस्य रखने की समस्या भी बठिन रूप में ले सकती है। वृत्तिमूलक प्रतिनिधित्व की कठिनाइयों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। सम्भवत इन्हीं सब कारणों से व्यावहारिक रूप में गिल्ड-समाजवाद अब लगभग समाप्त हो चुका है।

अन्य अभिनव विचारधाराएँ

फासिज्म और राष्ट्रीय समाजवाद का दर्शन विभिन्न और दीर्घाज्ञ से परिचिन तत्त्वों का एक सरलोग्यात्मक परिणाम था ।

—जार्ज एच० सेबाइन

उदारवादी और समाजवादी विचारधाराओं के अतिरिक्त दो अन्य विचार-धाराओं की व्याख्या भी आवश्यक प्रतीत होती है । इनमें एक गांधीवाद है जिसका जन्म भारत-भूमि पर हुआ । दूसरी फासिज्म और नाजीवाद है जिसका उद्भव क्रमशः इटली और जर्मनी में हुआ । वस्तुतः ये दो विरोधी विचारधाराएँ हैं जो भिन्न समस्याओं को हल करने के लिए भिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न हुईं । नीचे हम इन पर संक्षेप में विचार करेंगे ।

1. फासिज्म

फासिज्म की एक ऐसी परिभाषा देना जो इसकी सभी बुनियादी बातों का समावेश कर ले, सरल काम नहीं है । तथापि एक विद्वान ने इसे एक ऐसा तरीका बताया है जिसे पूँजीपति उस समय प्रयोग करते हैं जबकि एवाधिकारी-पूँजीवाद (monopoly capitalism) के विरुद्ध मजदूरों का विरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है । अतः फासिज्म वह आंदोलन है जो एकाधिकारी पूँजीवाद की रक्षा के लिए उठाया जाता है । ये परिभाषाएँ फासिज्म के स्वरूप पर अतिप्रकाश नहीं डालती । अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसके सिद्धांत और विशिष्ट रूप का अध्ययन करें जिससे इसके यथार्थ रूप का स्पष्टीकरण हो जाय ।

फासिज्म वस्तुतः एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन और विचार है जो

पूँजीवादी व्यवस्था के अतर्गत शास आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में कहीं भी प्रकट हो सकता है। जब पूँजीवाद की दशा इतनी शोचनीय हो जाती है कि समस्याओं का हल करना कठिन हो जाता है और जब विरोधी शक्तियाँ उसको शक्तिहीन बना देती हैं तब फासिज्म का उदय होता है। जब लोकतंत्रीय प्रणाली पूँजीवाद की उसकी कठिनाइयों से मुक्त करने में असफल हो जाती है, जब मसदें केवल वाक्पटु और क्रियाहीन व्यक्तियों से भर जाती हैं और चारों ओर समय अनुशासन का अभाव दिखाई देने लगता है, उस समय कोई ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति सामने आता है जो यह सोचता है कि यदि मैं कुछ वर्षों तक निर्विरोध राज्य कर सकूँ तो देश को इन दोषों से मुक्त कर दूँगा। इसी विचार से प्रेरित होकर मुसोलनी और हिटलर जैसे व्यक्तियों ने अपना आंदोलन चलाया। पूँजीपति जिनकी अपनी स्थिति ढँवाडोल हो रही थी, ऐसे व्यक्तियों के मित्र बन गए और उन्होंने यह सोचा कि इनकी सहायता से वे अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे। इनकी आर्थिक और राजनीतिक सहायता से फासिस्ट नेता राज्य-सत्ता पर अधिकार करते हैं और पूँजीवाद की विरोधक शक्तियों को धोखे, असत्य और हिंसा के हथकण्डों द्वारा छिन्न भिन्न करके पूँजीवाद का पुनरुत्थान करते हैं। एक विचारधारा के रूप में फासिज्म का कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है। फासिस्ट विचारधारा को बनाने के लिए विभिन्न विचारों को काट-छांट कर एक स्थान पर एकत्रित कर दिया गया है। मुसोलनी गर्व के साथ कहता था कि वह सांस्कृतिकता और सम्बद्धता की चिंता नहीं करता। एक बार उसने घोषणा की कि हम कुलीन भी हैं और लोकतंत्रीय भी, अनुदार भी हैं और प्रगतिशील भी, प्रतिक्रियावादी भी हैं और त्रातिकारी भी, कानून के अनुसार आचरण करने वाले भी हैं और गैरवानूनी कार्य करने वाले भी, हम यह सब कुछ समय, स्थान, वातावरण और आवश्यकता के अनुसार करते हैं। इस कथन को देखते हुए अच्युत होगा कि हम यह समझने का प्रयत्न करें कि फासिज्म किन बातों के अनुकूल है।

फासिज्म लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समता, समाजवाद, शांतिवाद और अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी है। वह राष्ट्र (अथवा राज्य) को बहुत गौरव प्रदान करता है और यह मानता है कि राज्य अथवा राष्ट्र के लिए हमें सब कुछ उपाय अपनाने और प्रत्येक कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह विवेक पर नहीं, भावनाओं और अनुभूति पर विश्वास करता है। यह सीधी कार्यवाही पर जोर देता है। वह नीचे के इस विचार से सहमत है कि प्रत्येक समाज में कुछ स्वामाविक नेता होते हैं जिनके दृष्ट सफल से सम्पूर्ण देश और उसकी जनता प्रभावित हो जाती है। यहने का अभिप्राय यह है कि फासिज्म अपने को अनुभव-आधित,

व्यावहारिक, विभिन्न स्थानों से समूहित विचारधारा बताता है ।

राज्य (अथवा राष्ट्र) के प्रति दृष्टिकोण — परिस्थितियों के अनुसार यह राष्ट्र (अथवा राज्य) को अत्यधिक गौरव प्रदान करता है । यह समाज के जैविक सिद्धांत पर विश्वास करता है, अर्थात् इसकी धारणा है कि व्यक्ति अपने सद्जीवन के लिए पूर्णतः राज्य अथवा राष्ट्र पर निर्भर होता है । उसके बाहर अथवा उसके पृथक् होकर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता । इसका विश्वास है कि राज्य अथवा राष्ट्र का आना व्यक्तित्व है और अपनी इच्छा है । इसके सदस्यों को इसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने चाहिए । उसके अपने उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए सदस्यों की त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए । राज्य अथवा राष्ट्र अपने में पूर्ण हैं और उन्हें सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सत्ता प्राप्त है । साथ ही, वह सर्वव्यापक भी है । राज्य में जितने समुदाय हैं वे उसकी कृपा पर निर्भर हैं । मुसोलनी ने एक बार कहा था कि 'सब बुद्ध राज्य के लिए है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है, राज्य के बाहर भी कुछ नहीं है' । अतएव, यदि राज्य (अथवा राष्ट्र) के हितों और व्यक्तियों के हितों में कोई विरोध हो तो राज्य के हितों को प्रधानता मिलनी चाहिए । राज्य का परम ध्येय अपने को शक्तिशाली बनाना है और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए सदस्यों को आवश्यक नियंत्रण और अनुशासन स्वीकार करना चाहिए । वस्तुतः राज्य की सेवा में ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है । मुसोलनी के अनुसार, राज्य राष्ट्र को जन्म देता है । इसके विपरीत हिटलर का कहना था कि राज्य राष्ट्र का एक साधन-मात्र है । इसका कारण सम्भवतः यह है कि जब हिटलर ने अपना प्रथम लिखा उस समय वह राष्ट्र का एक नेता था, किंतु उसके हाथ में सत्ता नहीं आई थी । ऐसे भी हिटलर नस्ली पवित्रता पर बहुत बल देता है । अतएव, यह स्वाभाविक था कि वह राज्य की अपेक्षा राष्ट्र को गौरव प्रदान करे ।

फासिज्म का मुख्य सिद्धांत राष्ट्रीय नेता में विश्वास है जो फासिस्ट दल का प्रमुख होता है । इसका एक कारण यह है कि उसके अनुसार मनुष्य प्रवृत्तियों और अविवेक के अनुसार कार्य करता है । फासिज्म विवेक और ज्ञान पर विश्वास नहीं करता । अतएव, वह प्रचार माधनों द्वारा लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करता है और उन्हें नेता तथा राजनीतिक दल में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है । नेता की विशेषता यह नहीं होती कि वह विद्वान है, अपितु यह होती है कि वह प्रभावशाली रूप में भाषण देकर लोगों को सम्मोहित कर सकता है । यह एव अंधा सगठनकर्ता और मनोवैज्ञानिक होता है । वह यह दावा करता है कि वह जनता की नाडी को पहचानता है ।

फासिज्म लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता और न यह स्वतंत्रता अथवा

समानता के सिद्धांत को मानता है। उसका कहना है कि लोकमत केवल सगठित समूहों का मत होना है। मुसोलिनी के अनुसार, अल्पतत्र ही लोकतंत्र का सच्चा रूप है। फासिस्टो का विश्वास है कि शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो फासिस्ट दल के नेता हैं। वे लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करते।

यद्यपि फासिज्म अध्यात्मिक बातें करता है और धर्म के महत्त्व को स्वीकार करता है, तथापि सगठित चर्च के प्रति उसका दृष्टिकोण इस पर निर्भर होता है कि चर्चा उसका समर्थन करने के लिए तैयार है या नहीं। जब मुसोलिनी का कैथोलिक चर्च के साथ झगडा था तब उसने ऐसी बातें कही जिसके अर्थ यह होते थे कि फासिस्ट विचारधारा स्वतः धर्म का स्थान ले सकती है। बाद में चर्च के साथ सुलह हो जाने पर उसने चर्च और पोप को मान्यता दे दी। वैसे भी फासिज्म भौतिकवादी सिद्धांत के विरुद्ध है और उसका कहना है कि मनुष्यों को भौतिक सुखों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुसोलिनी के अनुसार, आनन्द को अपेक्षा कर्तव्य, स्वतंत्रता की अपेक्षा सत्ता और समानता की अपेक्षा गुणों पर ध्यान देना चाहिए। फासिज्म के अतर्गत शिक्षा और प्रसार के समस्त साधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और हर सम्भव उपायों से जनता को फासिज्म के अनुकूल बनाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

फासिज्म सीधे सादे जीवन का विरोधी है। उसके अनुसार जीवन एक सघर्ष है जिसमें मनुष्य को विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। निष्क्रियता मृत्यु के समान है। हमें जीवन के साथ मोह करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे जीवन से उसका अर्थ है कर्तव्यपालन, अनुशासन और साहसिक कार्य करना। मुसोलिनी के अनुसार, आज हम युद्धों, आर्थिक भगडों और विचारों के सघर्ष में लगे हुए हैं, किंतु यदि कभी ऐसा दिन आया जब सघर्ष न रहे तो यह बहुत दुःखदायी बात होगी, वह विनाश का दिन होगा। किंतु ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अतएव फासिज्म शांतिवाद का विरोधी है और इसको भीरुता का पर्यायवाची मानता है। उसके अनुसार, सघर्ष और युद्ध प्रगति के लिए आवश्यक हैं। युद्ध में व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों का विकास होता है। अतः युद्ध का हमें स्वागत करना चाहिए। हिटलर के अनुसार शाश्वत युद्ध के कारण मनुष्य की प्रगति हुई है, शाश्वत शांति में मनुष्य विनष्ट हो जाएगा। समीक्षकों का मत है कि फासिस्ट नेता युद्ध की चर्चा इसलिए बहुत अधिक करते हैं कि वे जनता का ध्यान आर्थिक कठिनाइयों से हटाकर बाहरी बातों पर केंद्रित करना चाहते हैं जिससे उन्हें अपनी नेतागिरी चलाने और सत्ता बनाए रखने में बाधा न हो। फासिज्म युद्ध का समर्थक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं

अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी है। उसके अनुसार, राष्ट्र और राष्ट्रीयता से बढ़कर सत्ता में कोई वस्तु नहीं है।

फासिज्म पूँजीवाद का समर्थन और साम्यवाद तथा समाजवाद का विरोध करता है। यही नहीं, वह स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र का भी दुश्मन है। वह उग्र राष्ट्रीयता का पोषक है और संनिकवाद तथा पुनरुत्थानवाद का समर्थक है। यह समग्रवाद (totalitarian) है। आर्थिक क्षेत्र में यह वृत्तिमूलक (functional) प्रतिनिधित्व का समर्थक है लेकिन इन सरथाओं में मिल-मालिकों और मजदूरों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि मिल-मालिक सत्त्वा में बहुत कम और मजदूर सत्त्वा में बहुत अधिक होते हैं। बहने का अभिप्राय यह है कि राज्य द्वारा स्थापित आर्थिक नियंत्रण करने वाली संस्थाओं में पूँजी-पतियों को विनोय प्रतिनिधित्व और सरक्षण प्राप्त होते हैं। यद्यपि फासिज्म का उद्देश्य पूँजीवाद की रक्षा करना होता है तथापि मजदूरों और निम्न मध्य-वर्ग को यह बात नहीं बताई जाती। उनसे कहा जाता है कि फासिज्म मजदूरों की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार फासिज्म असत्य का सहारा लेने में नहीं हिचकिचाता। वह पूँजीवाद के विरुद्ध भी नारे लगाता है; तथापि वास्तव में वह पूँजीवादी व्यवस्था का पोषक है। जर्मनी के नाजी दल ने तो अपना नाम भी 'जातीय समाजवादी दल' रख लिया था।

मूल्योचन—फासिज्म अत्याचार और शोषण का एक साधन है। थियोडोर हेस ने अपनी पुस्तक में प्रमाण द्वारा यह दिखाया है कि फासिज्म के अनुयायियों ने निरापराधियों के रक्त से यूरोप की भूमि रंग दी है। उनके अनुसार, फासिज्म तक के विरुद्ध एक आंदोलन है और हिंसा भावना और वासना के समर्थन में एक पुराण है। इसका परिणाम अनिवार्य रूप से निर्दयता और पागलपन है। जर्मनी और इटली से अनेक सम्माननीय विद्वान इमलिए विनाल दिए गए कि उन्होंने अपने ज्ञान को फासिज्म की वेदी पर चढ़ाने से इनकार कर दिया। इतिहास को तोड़-मरोड़ कर मिथ्या रूप दे दिया गया। फासिज्म ने स्त्रियों को मर्यादा के अंदर बंद कर दिया। गोबिन्स के अनुसार स्त्रियों को काम सुन्दर बनाना और बच्चे पैदा करना है। यहूदियों पर किए गए नाजी अत्याचारों को सभी लोग जानते हैं। फासिज्म ने किस प्रकार मानवता को अघवार में डुबोने का यत्न किया उससे सब मलीमाति परिचित हैं। यद्यपि हिटलर और मुसोलिनी नष्ट हो गए, तथापि फासिस्ट भावनाओं का अभी तक समूह उन्मूलन नहीं हुआ है और अभी भी वह विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस मध्यता-विरोधी विचारधारा को समूल नष्ट कर दें।

2. गांधीवाद

भारतीय राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द गांधी के विचारों को 'गांधीवाद' कहकर पुकारा जाता है। किंतु इस नाम से गांधी जी स्वयं बहुत धराराते थे। वे कहते थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। आप मेरे नाम से इस तरह बिपके रहेंगे तो दुनिया आप पर हँसेगी। लेकिन एक दूसरा खतरा भी है, वह बड़ा भयंकर है .. वह यह कि आपका सध वहीं सम्प्रदाय न बन जाए। मेरे जिन्दा रहते हुए भी जब ऐसा हो सकता है तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? जब कोई मुश्किलाहट सामने आएँगी, तो आप कहेंगे—देखो उसने 'यग इडिया' और 'हरिजन' में क्या-क्या कहा है। आप अपनी बहस में कसम खा-खाकर मेरे लेखों का प्रमाण देंगे। अच्छा तो यह हो कि मेरी हड्डियों के साथ ही मेरे सारे लेख जला दिए जाएँ¹। अपने एक अन्य लेख में उन्होंने कहा कि 'गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है। और न मैं अपने पीछे कोई सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ। मैं किसी नए सिद्धांत या वाद का जन्मदाता होने का दावा नहीं करना चाहता। मैंने तो केवल जो शास्वत सत्य हैं, उसको अपने नित्य के जीवन और प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से प्रयुक्त करने की कोशिश मात्र की है। जो राय मैंने कायम की है और जिन निर्णयों पर मैं पहुँचा हूँ वे भी अंतिम या अकाट्य नहीं हैं। मैं फल ही इन्हें बदल सकता हूँ। मुझे ससार की कोई नई चीज नहीं सिखानी। सत्य और अहिंसा उतने ही प्राचीन हैं जितने पुराने पर्वत'। फिर भी, 'गांधीवाद' अब एक स्थायी शब्द बन गया है जो गांधी जी की विचारधारा का प्रतीक है।

गांधी जी का उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति है। इसके लिए सत्य, अहिंसा, ईश्वर-विश्वास आदि साधन हैं। इन गुणों को मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह 'सादा जीवन, उच्च विचार' के सिद्धांत पर चले। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करे। कुछ विद्वानों के अनुसार, गांधी जी आधुनिक सभ्यता की घड़ों की मुई को शताब्दियों पीछे हटाना चाहते थे। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी और लघु उद्योगों से काम पूरे हो सकेंगे। गांधी जी अपना मार्ग अहिंसात्मक प्रयोगों द्वारा, सद्विचारों का प्रचार करके, मनुष्यों में शांति और मेल-जोल बढ़ाकर प्राप्त करना चाहते थे। गांधीवाद न इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में विश्वास करता है और न वर्ग संघर्ष में वह सर्वोदय में, विश्वास करता है। नीचे हम इस विचारधारा की संक्षेप में विवेचन करेंगे।

1 देखिए समाजवाद की रूपरेखा, पृष्ठ 280-490.

गांधीवाद की दार्शनिक नीति—गांधी जी का अंतिम उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना। उनका कहना था कि उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है। यही उन्हें राजनीति में घसीट लाया। उनके अनुसार सब जीवों का कल्याण करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सेवा और प्रेम ईश्वर प्राप्ति के अमोघ साधन हैं। उनके अनुसार सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी का कहना था कि जो भी है सब ईश्वरकृत है। 'अतः मैं किसी का नाश नहीं चाह सकता। किसी की बुराई नहीं चाह सकता'। श्री हरिभाऊ उपाध्याय के शब्दों में, 'सत्य और अहिंसा गांधीवाद के ध्रुव सत्य हैं'। अहिंसा से उनका आशय था कि मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा न चाहना। गांधी जी का कहना था कि मनुष्यों को सादगी से रहना चाहिए जिससे उनकी आवश्यकताएँ कम हो और उन्हें पूरा करने के बाद काफी अवकाश मिल सके। इस खाली समय को उन्हें अध्ययन मनन में लगाना चाहिए अथवा रचनात्मक कार्य में। उनके अनुसार, मोटर कार, सिनेमा, रेडियो आदि सभ्यता के उपकरण मनुष्य की आधुनिक उन्नति में बाधा डालते हैं। अतः उनका उपयोग बंद कर देना चाहिए।

गांधी जी के इस विचार की श्री एम० एन० राय ने आलोचना की। उनके अनुसार यदि यह मान लिया जाए कि सारा जीवन आदर्श जीवन है तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि घोंटी कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति पतलून पहनने वाले व्यक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि फिर तो लार्ड ही के पहनने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होगा और जंगल में नगा घूमने वाला जंगली सबसे अधिक उन्नत। यदि सादगी को ही उन्नति की कसौटी मान लिया जाए तो सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति के पूर्वज होंगे जो पेड़ों पर रहते थे। समाजवादियों के अनुसार, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में जोड़ी दामन का साथ है और दोनों को साथ-साथ उन्नति होनी चाहिए।

आदर्श समाज—गांधीवादी समाज में उत्पादन का केंद्रीयकरण नहीं होगा। समाज छोटे-छोटे गाँवों में विभक्त होगा। और प्रत्येक गाँव आत्म निर्भर होने की चेष्टा करेगा, अर्थात् वहाँ के निवासी जो पैदा करेंगे उसी का वे उपयोग करेंगे। गांधीवाद श्रम विभाजन के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, अथवा यह कहिए कि वह उसे जरूरी नहीं मानता। गांधीवाद आवश्यकताओं को न्यूनतम करने का पक्षपाती है। गांधीवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अथवा परिवार को अपनी जरूरत के सब साधन स्वयं उत्पन्न करने चाहिए। गांधीवाद मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के विरुद्ध है। उसका विचार है कि मशीनों के आगमन के साथ पूँजीवादी व विकृत रूप का जन्म हुआ और शोषण तथा वर्ग संघर्ष बढ़े। मशीनी

ने गाँवों को उजाड़ कर शहर बसाए हैं जो आध्यात्मिक और आर्थिक हीनता, दरिद्रता और बदचलनी के केंद्र हैं। समाजवाद के अनुयायी गांधी जी के इस विचारों की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि गांधी जी ने मशीनों के दोषों को देखा, उनके गुणों को नहीं। सम्भवतः यही कारण है कि स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में गांधीवादी विचारधारा को मान्यता नहीं दी गई और हमने औद्योगिक विकास का मार्ग अपनाया।

अहिंसा की नीति—गांधी जी का कहना था कि उन्हें अत्याचार का हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से सामना करना चाहिए। अहिंसा का आध्यात्मिक मूल्य तो है ही, उसका व्यावहारिक मूल्य भी कम नहीं है। यदि हमारा विपक्षी हम से अधिक बलवान है तो हिंसा द्वारा उससे बदला लेना या उसके अत्याचार को रोकना कठिन है। अहिंसा और प्रेम द्वारा, विपक्षी को दब देकर नहीं किंतु स्वयं बूट सहकर, उसे जीतने की रीति में जो शक्ति है उसका अभी सम्पूर्ण विकास नहीं हुआ। अहिंसा के तीन प्रमुख रूप हैं (१) निष्क्रिय प्रतिरोध (passive resistance) जो बूट सहन द्वारा अधिकारों को प्राप्त करने का मार्ग है। गांधी जी कहते थे कि जब मैं अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करना नामजूर करता हूँ तो मैं आत्मबल का प्रयोग करता हूँ। किंतु यदि मैं हिंसा के प्रयोग से उस मानून को रद्द करा दूँ तो मैं पशुबल का प्रयोग कर रहा हूँ। आत्मबल में बूट उठाना पड़ता है। यही निष्क्रिय प्रतिरोध है। (२) सविनय अविवेक (civil disobedience) जिसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई कानून सत्य के विरुद्ध है और अंतरात्मा उसे मानने की गवाही नहीं देती तब उसे सविनय, अहिंसात्मक रीति से भंग करना चाहिए। (३) असहयोग (non co-operation) जिस का अर्थ यह है कि सत्य के विरुद्ध और अंतरात्मा के प्रतिकूल कार्यों में सहयोग न देना। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने गांधीवाद का यह दृष्टिकोण बड़े सुन्दर रूप में रखा है। आप लिखते हैं कि 'सामाजिक समस्या का समाधान शांतिमय सम्भोते में है, सधर्म में नहीं, पारस्परिक मेल में है, विनाश में नहीं, परिवर्तन में है, शान्ति में नहीं, आत्म अभिव्यक्ति में है, इतर अभिव्यक्ति में नहीं। एव शब्द में, अहिंसा में है, हिंसा में नहीं।'

समाजवादी गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि आज तब जितनी शक्तियाँ हुई हैं, उनमें प्रायः ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण रक्तपात होकर रहता है। हिंसा से विचलित होकर लक्ष्य को नहीं छोड़ा जा सकता। समाजवाद हिंसा का स्वागत नहीं करता, किंतु वह उससे घबड़ाता भी नहीं है। इसके विपरीत गांधीवाद कहता है कि हम मानते हैं कि विना शान्ति के शांति नहीं होगी, पर दण्डों और विरोधियों की हिंसा-

रमक कार्यों का उत्तर हम अहिंसा से ही देंगे । प० जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, 'अहिंसा यदि सजीव और समर्थ हो तो वह हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है, तथापि वह शायद ही हमें अंतिम ध्येय तक पहुँचा सके । प्रायः किसी न किसी प्रकार का बल प्रयोग लाजमी हो जाता है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताकत और खास अधिकार होते हैं वे उन्हें उस समय तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर दिया जाता । अथवा जब तक ऐसी सुरत पैदा न हो जाए जिसमें उनके लिए खास अधिकारों का रखना छोड़ने से ज्यादा नुकसानदायक न हो जाए । समाज के भोजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय सघर्ष बगैर बल-प्रयोग के बनी नहीं मिट सकते' । अतः यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में गांधीवाद और समाजवाद में मौलिक अंतर है । कांग्रेस ने भी अहिंसा को एक नीति के रूप में ग्रहण किया, ध्येय के रूप में नहीं ।

सर्वोदय—गांधीवाद वर्ग सघर्ष में विश्वास नहीं करता । वह पूँजीपतियों और जमींदारों को अधिकार-च्युत करने के भी विरुद्ध है । उसके अनुसार एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ प्रेम और मैत्रीभाव से रहना चाहिए । गांधीवाद मानता है कि मजदूरों और किसानों का शोषण होता है और वह इस शोषण का अंत भी करना चाहता है, तथापि गांधीवाद का विश्वास है कि मनुष्य स्वभाविक रूप से भला होता है । अतः उसका हृदय-परिवर्तन किया जा सकता है, उसके मन में दया उत्पन्न की जा सकती है, उसके मन में शोषण के विरुद्ध भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं । लेकिन लड़ भिड़कर या बलप्रयोग के द्वारा यह नहीं किया जा सकता, प्रेम और सद्बिचार द्वारा किया जा सकता है । गांधी जी कहते थे कि जमींदारी और पूँजीपतियों को किसान और मजदूरों का दृष्टी होना चाहिए । उन्हें सम्पत्ति का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे किसानों और मजदूरों को लाभ हो । सम्पत्ति वस्तुतः व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं बल्कि समाज के उपयोग के लिए है और धनवान लोग उसके सरक्षक मात्र हैं । गांधी जी जिस राम राज्य का स्वप्न देखते थे उसमें राजाओं और रज दोनो के अधिकार सुरक्षित रहेंगे । सभी की उन्नति की चेष्टा की जाएगी और सभी को उद्वेग की समान सुविधाएँ दी जाएँगी ।

समाजवाद इन विचारों से सहमत नहीं है । वह व्यक्तिगत सम्पत्ति का अपहरण कर उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना चाहता है । सम्पूर्ण-मन्द के अनुसार, 'गांधी जी का राम-राज्य का स्वप्न दोषयुक्त है । यही नहीं, जबकि समाजवाद सबको त्याग और अपरिग्रह की शिक्षा देना चाहता है, गांधीवाद एक वर्ग को पूर्ण त्याग और अपरिग्रह की शिक्षा देना और दूसरे वर्ग को सतोंप का पाठ पढ़ाएगा । इसमें सघर्ष की जड़ बनी रहेगी' । जयप्रकाश नारा-

यण पूछते हैं कि 'वह' राम-राज्य कैसा होगा जिसमें भिखारी बने रहेंगे। वह गांधी जी के दर्शन को धोखेबाजी बताते थे। उसका कहना था कि गांधी जी केवल यह चाहते हैं कि ऊपर की सतह के लोग नीचे सतह के लोगों से तनिक दया का बर्ताव करें और गरीबों को सतोष का पाठ पढ़ाएँ। उन्होंने गांधी जी के ट्रस्ट सम्बन्धी विचारों की भी बड़ी आलोचना की। उनके अनुसार, ट्रस्टी शब्द अस्पष्ट है। मान लीजिए कि जमींदार ट्रस्टी है। 'अब सवाल यह उठता है कि धन के किस हिस्से को वह ट्रस्ट समझे—समूचे को या किसी हिस्से को। अगर किसी हिस्से को, तो हिस्सा क्या हो और उसे कौन निश्चय करेगा? अगर उस का किसान उसके धन का बराबर का हिस्सेदार है, तो इस बराबर के ठीक मानी क्या है? फिर कोई हिस्सेदार ट्रस्टी कैसे हो सकता है'। उनके मतानुसार ये सवाल ऐसे नहीं हैं जिनकी उपेक्षा की जा सके। एम० एन० राय के अनुसार, गांधी जी जिस विषमता को दूर करना चाहते हैं वे उसके मूल स्रोत को नहीं पहचानते। उनके उपायों से केवल शोषण की मात्रा कम होगी, शोषण का अंत नहीं होगा।

मूल्यांकन—इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीवाद ने देश में एक अपूर्व जागृति फैला दी जिससे जनसाधारण अपने अधिकारों को पहचानने लगे और अनेक भारतवासी निर्भयतापूर्वक स्वाधीनता संग्राम में जुट गए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी अहिंसा को साहसी व्यक्तिगतो का अस्त्र मानते थे, कायरों का नहीं। उनका कहना था कि यदि हमारे मन में हिंसा समाई हुई है तो हमें अहिंसा का स्वाग नहीं रचना चाहिए। तथापि उनका कहना था कि कायर होने से यह बड़ी अच्छा है कि व्यक्ति हिंसा का प्रयोग करे। अहिंसा में उन का पूर्ण विश्वास था और वह समझते थे कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अहिंसात्मक ढंग से समाधान न किया जा सके। गांधी जी की एक बड़ी देन यह है कि उन्होंने ध्येय और साधन—दोनों की पवित्रता पर बल दिया। उनके अनुसार, साधन एक बीज के समान है। जैसे साधन होंगे वैसे ही फल होगा। गांधी जी के इन विचारों की जान स्ट्रेची, हवसले आदि विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है। गांधी जी ने जिस प्रकार अहिंसात्मक सत्याग्रह के ढंग को अपनाया वह अभूतपूर्व है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही को मन, वचन और काम से सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। बहने का अभिप्राय यह है कि एक सत्याग्रही कभी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। यह स्वयं कष्ट सह सकता है और अपने आत्म त्याग द्वारा दूसरों के हृदय-परिचितन के यत्न कर सकता है, किंतु वह दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि असत्य और अन्याय को प्रथम दिया

जाए। गांधी जी के कथनानुसार, ऐसी बातों से पूर्ण असहयोग करना चाहिए।

गांधी जी न अपने आदर्श समाज की विस्तृत रूपरेखा नहीं दी; तथापि उन के विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह दार्शनिक अराजकतावादी विचारों से काफी प्रभावित हुए थे। वह राज्य के विरोधी थे क्योंकि राज्य का आधार शक्ति या हिंसा है। उनका विचार था कि अहिंसक समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। लोग स्वैच्छापूर्वक सहकारिता के आधार पर काम करेंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत ने जहाँ गांधी जी को समुचित आदर, सम्मान और श्रद्धा दी वहाँ उनके विचारों का नहीं अपनाया। दूसरी ओर, अमरीकी नीग्रो नेता मार्टिन लूथर किंग ने नीग्रो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अहिंसक मार्ग अपनाकर काफी सफलता प्राप्त की है।

यह कहना कठिन है कि गांधीवाद का भविष्य क्या होगा? अभी तो केवल यह कहा जा सकता है कि एक अर्थ में इतिहास की पुनरावृत्ति ही रही है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, किंतु कालांतर में उसका विस्तार भारत के बाहर हुआ; हो सकता है कि गांधीवाद के साथ ऐसा ही कुछ हो। हमारा विचार है कि गांधीवादी मार्ग उन व्यक्तियों के विरुद्ध सफल हो सकता है जो स्वतः अच्छे हों, जिनमें न्याय की भावना हो, और जिनका लोकतंत्र में विश्वास हो। यदि सालजार्, या आयन स्मिथ के साथ अहिंसावादी मार्ग अपनाया जाए तो सफलता मिलना दुष्कर है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी अपने निकटतम साधियों का भी पूरी तरह हृदय-परिवर्तन नहीं कर सके। उनके अधिकतर साधियों ने अहिंसा को एक नीति के रूप में अपनाया ध्येय के रूप में नहीं। उनका 'ट्रस्ट' का सिद्धांत भी अधिक प्रभावशाली प्रमाणित नहीं हुआ। और वे धनिक लोग, जिनके साथ उनका निकट का सम्बन्ध था, व्यावहारिक रूप में अन्य पूँजीवादियों से अच्छे प्रमाणित नहीं हुए। जिस काम में गांधी जी को स्वयं अधिक सफलता नहीं मिली, उसमें गांधी जी से कम मतों वाले वाले व्यक्तियों को सफलता मिल सकेगी, यह कोरी आशावादिता है¹।



अंतर्राष्ट्रीय संगठन

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को प्रभावशाली बनाने का मार्ग में जो मनो-वैज्ञानिक बाधाएँ हैं, उन सबका सम्बन्ध इस बात से है कि सरकारों, और उनके पीछे स्थित ससदों तथा अतः जनता में सामान्य आदर्शों के प्रति नैसर्गिक अनुरक्ति उत्पन्न की जाय जहाँ एक ओर इस प्रकार की अनुरक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख साधन सहकारिता का वास्तविक अनुभव है, वहीं दूसरी ओर सहकारिता का विकास इस अनुरक्ति पर निर्भर है। इस प्रकार यह मनुष्य और उसकी समस्याओं की एक शाश्वत समस्या है।

—गुनार मूडाल

1. अंतर्राष्ट्रीयता (Internationalism)

लोगों में देशप्रेम का होना स्वाभाविक है, किन्तु हम इसकी कमियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रायः राष्ट्रीयता हमारे दृष्टिकोण को संकुचित बना देती है और हमारे अंदर कभी-कभी वह दम्भ भर देती है। कभी-कभी वह लोगों में सर्वोपेक्षा और आक्रामकता की भावनाएँ ला देती है। इनके कारण, राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष शुरू हो जाते हैं जो मानवता के लिए हानिकारक है। *विश्व-प्रति, और मानवता, की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम ऐसी नीति अपनाएँ जिससे हमको अपनी इच्छानुसार जीवन यापन की सुविधा हो और दूसरों को उनकी इच्छानुसार। मानव जाति की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि हम संघर्ष के मार्ग को त्याग कर किसी सीमा तक सहकारिता के साधन कार्य करते हैं। युद्ध की विभीषिका हमारे सामने है और यदि हम मानव जाति का सहार नहीं चाहते तो हम युग के मार्ग को त्यागना होगा।*

अन्तर्राष्ट्रीयता राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। उक्त विचार है कि विभिन्न राष्ट्रों के आपसी हितों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमारा दृष्टिकोण सन्तुलित न हो और हम दूसरे लोगों के अधिकारों और हितों का समान रूप से आदर करें। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीयता विचार और कार्य की एक ऐसी पद्धति है जो छातिपूर्ण सहकारिता को प्रोत्साहन देती है।

अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व बहुत्व (cosmopolitanism) की भावना में भेद है : विश्व बहुत्व राज्य और राष्ट्र की दीवारों को स्वीकार नहीं करता। वह मनुष्य की एकता और समानता पर जोर देता है और यह मानता है कि सारा मानव समाज भाई-चारे की भावना से बँधा हुआ है। विश्व बहुत्व हमारा एक चरम लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आज के युग में वह अव्यावहारिक है, और इस प्रकार के विचारों को प्रोत्साहन देने से काफी गलत पहिमियों में बढ़ने की आशंका हो जाती है। हमारी परिस्थितियाँ अभी इस बात के अनुकूल नहीं हैं कि हम विश्व बहुत्व अथवा एक विश्व व्यापी राज्य की नगरिकता के स्वप्न को साकार होते देख सकें। अतएव हमें ऐसी बातों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारे आपसी सम्बन्धों को मंत्रीपूर्ण बनाने में सहायक हों। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाली प्रत्येक बात अन्तर्राष्ट्रीयता की पीपक है।

अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। इस शताब्दी में जो विनाशकारी युद्ध हुए हैं उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बहुत रोड़े अटकाए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना के लिए या तो हमें सामान्य सिद्धांतों और आदर्शों को आधार बनाना होगा अथवा हमें विभिन्न राष्ट्रीय हितों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना होगा। आज के युग में यह सम्भव नहीं है कि राष्ट्र, फिर चाहे वह कितना बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, दूसरे राष्ट्रों पर अपने विचार अथवा सस्यारों थोप सकें। इसमें सफलता तो मिलेगी नहीं, ऐसा करने से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा अवश्य आ जाएगी। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को सस्यात्मक रूप मिलना चाहिए। सस्या बनाकर उसके अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के जो अनुभव होंगे, उससे आपसी मतभेद और अविश्वास दूर हो सकेंगे और एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिसमें लोग एक दूसरे की बात समझने का यत्न करेंगे और ऐसा मार्ग अपनाएँगे जिसमें सभी राष्ट्रों के हितों की रक्षा हो सके। अनेक विद्वान अब यह कहते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों का जमाना अब लय चुका है और वस्तु स्थिति की माँग यह है कि प्रस्तुत राज्यों को मिलाकर बड़े-बड़े राज्यमंडल बाधम किए जाएँ। कुछ विद्वानों ने माँग की है कि हमें एक विश्व व्यापी राज्य की स्थापना पर ध्यान

देना चाहिए। तथापि यह मार्ग कटकाकीर्ण है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करें जिनके कारण राष्ट्रों में तनाव और मनमुटाव होते हैं। ऐसा करने पर ही वह वातावरण बना सकेंगे जिसमें बड़ी राजनीतिक इकाइयों की स्थापना हो सकती है। यह प्रसन्नता की बात है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को व्यापक रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। विचारकों ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि किस आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर सकते हैं। अब यह भी स्वीकार किया जाने लगा है कि बिना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व (co-existence) के सिद्धांत को स्वीकार किए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहकारिता के प्रश्नों को नहीं सुलझाया जा सकता।

2 संयुक्त राष्ट्र संघ

अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में हम पहले ही विचार कर चुके हैं। अब यह स्वीकार किया जाना लगा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून को पुष्टि करनी चाहिए और संबंधसम्पत्ति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रश्न है, एक विश्व व्यापी सगठन के रूप में राष्ट्र-संघ (लीग आफ नेशंस) का जन्म प्रथम महायुद्ध के पश्चात् हुआ। आशा की जाती थी कि राष्ट्र-संघ शांति और सुरक्षा कायम कर सकेगा। वस्तुतः जब परीक्षा का समय आया तो राष्ट्र-संघ असफल प्रमाणित हुआ। लीग की असफलता का प्रमुख कारण यह था कि वे शक्तिशाली राज्य, जो लीग के आदर्शों को लागू करने में सहायता दे सकते थे, स्वयं इनमें आस्था नहीं रखते थे। लीग को इस दुर्दशा से राजनीतिज्ञों ने यह पाठ सीखा कि भविष्य में हमें ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाना चाहिए जो व्यावहारिक हो। अतएव, द्वितीय महायुद्ध के समय बड़े-बड़े राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय सगठन की रूपरेखा बनाने में लग गए। फिर उन्होंने आपस में विचार-विमर्श किया और अंत में एक सर्वमान्य संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) के संविधान की रूपरेखा तैयार की। कुछ परिवर्तनों और संशोधनों के साथ 1950 ई० की सैनफ्रांसिस्को कांफ्रेंस में इस संविधान को स्वीकार कर लिया गया। विभिन्न देशों द्वारा इससे संविधान को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ और 24 अक्टूबर 1945 ई० को इसने नियमित रूप से काम करना प्रारम्भ कर दिया।

घोषणा-पत्र की प्रस्तावना—संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में राज्य यह स्वीकार करते हैं कि (1) वे आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाने का प्रयत्न करेंगे, (2) मानव अधिकारों की स्थापना करेंगे, (3) सभी राष्ट्रों के समान

अधिकार में आस्था रखेंगे, (4) वे ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्न करेंगे जिसमें न्याय के आधार पर उन दायित्वों का सम्मान बना रहे जो सधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हैं; और (5) व्यापक स्वतंत्रताएँ प्रदान करके जीवन स्तर को ऊँचा करेंगे तथा सामाजिक प्रगति में योग देंगे। संयुक्त राष्ट्रों के लोग यह विश्वास प्रकट करते हैं कि उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सहनशीलता से काम लेंगे और अच्छे पड़ोसियों की भाँति मिलकर शांति से रहेंगे। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वे मिल जुलकर काम करेंगे, सैन्य शक्ति का उपयोग विश्व-व्यापी हितों में करेंगे और मानव समाज के उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साधनों का प्रयोग करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सिद्धांत—ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घोषणा-पत्र में निम्न बुनियादी सिद्धांतों की चर्चा की गई है —

(1) सब सदस्य-राज्यों की प्रभुसत्ता समान है।

(2) प्रत्येक सदस्य घोषणा-पत्र के अंतर्गत अपने दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएगा।

(3) सदस्य राज्य आपसी झगड़ों का निर्णय शांतिपूर्ण साधनों से इस प्रकार करेंगे कि शांति, सुरक्षा और न्याय को किसी प्रकार का खतरा न हो।

(4) कोई सदस्य-राज्य अन्य किसी राज्य की स्वतंत्रता अथवा प्रदेश के विशुद्ध बल प्रयोग नहीं करेगा, अथवा इस प्रकार की धमकी नहीं देगा और न कोई ऐसा काम करेगा जो संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो।

(5) सभ राज्य घोषणा पत्र के अनुसार किए जाने वाले कार्यों में पूरा सहयोग और सहायता देंगे।

(6) संयुक्त राष्ट्र सभ को यह आशा और विश्वास है कि वे राज्य भी जो इसके सदस्य नहीं हैं, इन सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करेंगे।

(7) संयुक्त राष्ट्र सभ ऐसी बातों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो मूलतः किसी सदस्य राज्य के घरेलू मामलों हैं, और न वह किसी सदस्य को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वह ऐसे मामलों को संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्मुख पेश करे।

सदस्यता—संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता उन सब शांति प्रिय राज्यों को प्राप्त हो सकती है जो घोषणा-पत्र में वर्णित उद्देश्यों को मानते हैं और उसके दायित्वों को स्वीकार करते हैं। सुरक्षा परिषद् (Security Council) की सिफारिश पर आम सभा (General Assembly) दो तिहाई के बहुमत से नए-सदस्य-राज्यों को स्वीकार करता है। इसमें सुरक्षा-परिषद् के पाँचो बड़े सदस्य-राज्यों की सहमति आवश्यक है। इनमें से यदि एक भी विरोध में मत देगा तो सदस्यता की प्राप्ति असंभव हो जाएगी और फिर यह मामला आम सभा के सामने

उपस्थित नहीं होगा। सयुक्त राष्ट्र सभ के अब 122 सदस्य हैं।

यदि कोई सदस्य घोषणा पत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा-परिषद् को सिफारिश पर आम सभा उसे सदस्यता से हटा सकती है। यदि सयुक्त राष्ट्र सभ किसी सदस्य राज्य के विरुद्ध अवरोध अथवा बलप्रयोग की कार्यवाही कर रहा हो तो सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर आम सभा उसे अधिकारों और मुविधाओं से वंचित कर सकती है।

सयुक्त राष्ट्र सभ के प्रमुख अंग

सयुक्त राष्ट्र सभ के प्रमुख अंग हैं—आम सभा (General Assembly), सुरक्षा परिषद् (Security Council) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council) न्यासिता परिषद् (Trusteeship Council) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनको आवश्यकतानुसार अपने लिए सहायक अंग स्थापित करने का अधिकार है।

आम सभा—आम सभा इसकी सबसे बड़ी सत्ता है जो समानता के आधार पर सगठित की गई है। इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य को एक मत देने का अधिकार है, यद्यपि यह अपने पांच प्रतिनिधि भेज सकता है। इस सभा का साल में एक नियमित अधिवेशन होता है, किंतु यदि आधे से अधिक सदस्य भाग लें अथवा सुरक्षा परिषद् सिफारिश करे, तो विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आम सभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई के बहुमत से किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में शांति और सुरक्षा, सदस्यों का चुनाव, सदस्य राज्यों का प्रवेश, न्यासिक और वजेट सम्बन्धी प्रस्ताव आदि आते हैं। जो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं अथवा प्रकिया सम्बन्धी हैं उनका निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आम सभा एक वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है।

इसके विचार सम्बन्धी कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। आम सभा घोषणा पत्र के अंतर्गत किसी भी विषय पर विचार कर सकती है, किंतु जिस समय सुरक्षा-परिषद् किसी झगड़े अथवा झगड़े जैसी स्थिति पर विचार कर रही हो, उस समय आम सभा उस विषय पर तब तक कार्य सिफारिश नहीं कर सकती जब तक सुरक्षा परिषद् स्वतः उससे इसके लिए आग्रह न करे। किंतु आम सभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान किसी ऐसी स्थिति की ओर दिला सकती है जिससे शांति भंग होने का भय है। आम सभा में 3 नवम्बर, 1950 ई० को एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करने का अपने अधिकारों की घोषणा की। कुछ विद्वानों का मत है कि वस्तुतः यह प्रस्ताव घोषणा पत्र की धाराओं के प्रतिबन्ध है। जो भी हो शांति और सुरक्षा स्थापित करने का दायित्व

अभी भी सुरक्षा-परिपद् पर ही है। आम सभा अन्य विषयों पर अपनी सिफारिश या तो सीधे सदस्य राज्यों को करती है अथवा सुरक्षा-परिपद् और संयुक्त राष्ट्र सभ के अन्य अंगों को।

आम-सभा का एक यह भी उत्तरदायित्व है कि वह उन सधियों और प्रतिज्ञापत्रों को स्वीकृति दे जिसकी संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी अंग ने सिफारिश की है। निःशस्त्रीकरण के नियमों पर भी विचार करने का इसे अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाने और उसकी संहिता बनाने का काम भी इसे सौंपा गया है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाए। इसका एक काम यह है कि यह सब मनुष्यों को बिना जाति, भाषा, लिंग और धर्म पर ध्यान दिए मानव-अधिकार और धुनियादी स्वतंत्रता दिलाए। आम-सभा संयुक्त राष्ट्र सभ के दूसरे अंग के कार्यों और उनके विवरणों पर भी विचार कर सकती है।

आम-सभा के अन्य कार्यों में वित्त सम्बन्धी कार्य भी हैं। यह बजट पास करती है और यह तय करती है कि सदस्य राज्य व्यय का क्या भाग देंगे। यह विशिष्ट एजेंसियों के बजट की जांच कर उन्हें स्वीकृति देती है। यदि कोई सदस्य राज्य अपने भाग का भुगतान नहीं करता और उसके ऊपर बकाया रकम उसके पिछले दो वर्षों के भाग के बराबर अथवा उससे अधिक है तो आम-सभा यह निर्णय कर सकती है कि उसे आम सभा में मतदान का अधिकार नहीं रहेगा। किंतु यदि आम-सभा यह समझे कि सदस्य राज्य इस स्थिति में नहीं है कि वह राशि की भुगतान कर सके, तो ऐसे सदस्य को वह मत देने की स्वीकृति दे सकती है। आम सभा ने सविधानी कार्य भी हैं। घोषणा पत्र में संशोधन करने का अधिकार या तो आम सभा को है अथवा इस काम के लिए विशेष रूप से चुलाई जाने वाली कार्रोंस को। इस प्रकार के प्रस्ताव सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत से पारित और स्वीकृत होने चाहिए और इनमें पाँचों बड़े राज्यों की सहमति आवश्यक है। इन कार्यों के अतिरिक्त आम-सभा के कुछ चुनाव सम्बन्धी कार्य भी हैं। उदाहरण के लिए, आम-सभा सुरक्षा परिपद् के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक तथा सामाजिक परिपद् के सदस्यों को चुनती है। वह संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रधान सचिव की नियुक्ति भी करती है। मतदान (parallel voting) की प्रणाली से आम सभा और सुरक्षा-परिपद् स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को भी चुनती है। पिछले 20 वर्षों के समय में आम सभा का सम्मान और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है और अब यह एक प्रभावशाली संस्था बन गई है।

सुरक्षा-परिपद्—घोषणा-पत्र में सुरक्षा-परिपद् को शांति और सुरक्षा

बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम संयुक्तराज्य (अमेरिका), सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन हैं। प्रारम्भ में इसके 6 अस्थायी सदस्य थे जो दो वर्षों के लिए आम-सभा द्वारा चुने जाते थे। 17 दिसम्बर, 1963 ई० को इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या 31 अगस्त 1965 से 15 हो गई है। अस्थायी सदस्यों को चुनने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निर्वाचित सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में सहयोग दे सकें। साथ ही भौगोलिक वितरण का भी ध्यान रखा जाता है। यह प्रथा भी चल पड़ी है कि एक बार चुने जाने के तुरंत बाद किसी सदस्य-राज्य को अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता।

परिषद् का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा कराना है। इसे ऐसे प्रत्येक कार्य पर विचार करना होता है जिससे या तो शांति-भंग हो गई है या इसका खतरा है। इसे शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर यह बलप्रयोग भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह नए सदस्यों की भर्ती के लिए आम-सभा से अपनी सिफारिश करती है। साथ ही, यदि किसी सदस्य ने घोषणा पत्र का उल्लंघन किया है तो यह आम सभा को सिफारिश कर सकती है कि उसे राष्ट्र-संघ से निकाल दिया जाए अथवा उसे पुनः वे अधिकार दे दिए जाएँ जो उससे छीन लिए गए हैं। सुरक्षा-परिषद् का यह भी काम है कि वह निःशस्त्रीकरण की योजनाएँ बनाए। इसने अतिरिक्त, यह सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यायिक क्षेत्रों के शासन-प्रवचन के विवरणों पर विचार करती है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में यह आम सभा का साथ देती है। यदि कोई राज्य इस न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करता तो यह तय करती है कि उन निर्णय को मनवाने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएँ। मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए यह अपने सुझाव आम सभा को देती है और घोषणा-पत्र के सतोषन के लिए कार्रवाई बुलाने के बारे में भी यह सुझाव दे सकती है।

परिषद् का कोई भी सदस्य ऐसी किसी स्थिति पर इसका ध्यान आकर्षित कर सकता है जिससे विश्व शांति को खतरा हो। प्रधान सचिव भी ऐसा कर सकता है। यदि किसी झगड़े से शांति-भंग होने का डर है तो परिषद् राज्यों को इसे शांतिपूर्ण साधनों द्वारा निपटाने का सुझाव दे सकती है जिससे भगडा जोर न पकड़े। उदाहरण के लिए यह युद्धविराम अथवा सेना को वापस लौट जाने के सुझाव दे सकती है। यदि ये उपाय कारगर न हों तो वह सदस्यों के झगडामू राज्य से कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ने की सलाह दे सकती है। इसने अति-

रिक्त यह अपने सदस्यों से अपराधी राज्य अथवा राज्यों के साथ यातायात और संचरण के साधन तोड़ने को कह सकती है। यदि आवश्यकता हो तो यह आर्थिक सम्बन्धों को तोड़ लेने की सलाह भी दे सकती है। इतने से भी यदि काम न चले तो यह आवश्यकतानुसार सैनिक कार्यवाही कर सकती है। प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए आवश्यक होगा कि परिस्थितियों के अनुसार संयुक्तराष्ट्र सभ को वह अपनी सेना से सहायता दे। सैनिक विषयों पर सलाह करने के लिए एक सैनिक कार्यसमिति बनाने की योजना है जिनमें पाँचों बड़े राज्यों के सेना-अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य हों।

परिषद् एक स्थायी संस्था है। इसकी सभाएँ बराबर होती रहती हैं और इनमें छोट-बड़े का अंतर नहीं होता। इसमें विशेष मामलों को पारित करने के लिए पाँच स्थायी सदस्य और कम से कम चार अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है, लेकिन प्रनिया-सम्बन्धी मामलों को किन्हीं नौ सदस्यों की सहमति पर्याप्त मानी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में पाँच बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक को अपनी नकारात्मक वोट द्वारा किसी भी प्रस्ताव को रोक देने का अधिकार मिला हुआ है। इस निषेधाधिकार (Veto) कहते हैं। पिछले 20 वर्षों में सोवियत सभ ने इसका बार-बार उपयोग किया है। कई बार उसने इसका उपयोग वाशिंगटन के प्रश्न पर भारत का पक्ष समर्थन करते हुए किया। इस निषेधाधिकार का आधार यह है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए पाँचों बड़े राष्ट्रों की सहमति आवश्यक है अर्थात् उस किसी महत्वपूर्ण मामले में जिस पर इन पाँचों बड़े राज्यों में आपसी मतभेद है, सुरक्षा-परिषद् कोई प्रस्ताव पास नहीं करती। यद्यपि कुछ लोगों ने इस निषेधाधिकार की आलोचना की है तथापि एक दिलचस्प बात यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सभ के घोषणा-पत्र का मसौदा बन रहा था उस समय इसका समर्थन सभी बड़े राज्यों ने विशेषतः संयुक्त राज्य (अमेरिका) ने जोरा के साथ किया था। इनके अतिरिक्त हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सभ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको किसी बड़े राष्ट्र अथवा राष्ट्र समूह के विरुद्ध एक दस्य के रूप में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। अतः इस निषेधाधिकार से एक लाभ यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सभ ने एक कम निगम करने से प्रयत्न किए जिन्हें लागू करना बहुत कठिन होता। कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि यह निषेधाधिकार न होता तो संयुक्त राष्ट्र सभ कभी का नष्ट हो गया होता।

अर्थिक तथा सामाजिक परिषद्—घोषणा-पत्र में यह स्वीकार किया कि आपसी सवर्ण और युद्ध व भूत कारण प्रायः आर्थिक और सामाजिक होते हैं। अतः इनका महत्व स्वीकार करते हुए यह निश्चय किया गया कि आम सभा

के अतिरिक्त एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् भी स्थापित की जाए। अब इसके 27 सदस्य हैं जो आम-सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 3 वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य त्याग-पत्र दे देते हैं, किंतु वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। सभापति एक वर्ष के लिए चुना जाता है। परिषद् का अधिवेशन प्रायः वर्ष में तीन बार होता है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और परिषद् साधारण बहुमत द्वारा निर्णय करती है। जो विषय इसके सामने उपस्थित होते हैं उनमें से प्रमुख हैं (1) जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, बेकारी को दूर करना और आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना, (2) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का हल ढूँढना और सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, (3) मानव अधिकारों का पालन कराना और बिना भेदभाव के सब मनुष्यों को बुनियादी स्वतंत्रता दिलाना। परिषद् उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करती है और उनके विवरण तैयार करती है। यह प्रतिज्ञा-पत्रों का मसौदा बनाकर विचार के लिए आम सभा को भेजती है। उपर्युक्त विषयों पर यह अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ेम अथवा विचार-गोष्ठियाँ (seminars) आमंत्रित करती है। इनके अतिरिक्त यह आम सभा अथवा अन्य विशिष्ट संगठनों से सिफारिश कर सकती है। काम चलाने के लिए यह प्रादेशिक या अन्य आयोग स्थापित कर सकती है। इसकी कुछ सहायक समितियाँ भी हैं जो इसे कार्य करने में सहायता देती हैं।

न्यायिक परिषद्— यह परिषद् राष्ट्र सभ के मंडेट्स (mandates) समीक्षण की उत्तराधिकारी है। इसके अंतर्गत वे सब मंडेट्स रख दिए गए जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। इनके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध में पराजित राज्यों से छीने हुए औपनिवेशिक क्षेत्र भी इसके अधीन कर दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त, सदस्य-राज्य स्वेच्छापूर्वक अपने अधीन प्रदेशों को उसके अधिनार-क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं। न्यायिक पद्धति (trusteeship) के उद्देश्य हैं—

(1) जातीय ससृष्टि को रक्षा करते हुए देशवासियों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति करना;

(2) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहायता देना;

(3) इन प्रदेशों की स्वशासन अथवा स्वतंत्रता दिलाने में सहायता देना,

(4) मानव-अधिकार और बुनियादी स्वतंत्रताओं को मान्यता दिलाना;

(5) लोगों में यह भाव पैदा करना कि वे एक दूसरे पर आश्रित हैं;

(6) इन क्षेत्रों के निवासियों को समान अधिकार दिलाना।

जो क्षेत्र न्यायिक पद्धति के अंतर्गत होंगे उनके लिए प्रबंधक सदस्य-राज्य होंगे। इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो समझौते होंगे संपुक्त राष्ट्र सभ उन पर विचार

करके मान्यता देगा। ये प्रबंधक राज्य प्रति वर्ष न्यासिक परिषद् को प्रशासनिक व्योरे भेजेंगे जिसमें वे पूरे तथ्य और आंकड़े देंगे जिनसे यह पता लग सके कि इन प्रदेशों में क्या विकास हो रहा है। प्रबंधक राज्य इस बात के लिए प्रतिज्ञा-वद्ध रहेगा कि वे इन क्षेत्रों का शासन-प्रबंध देशवासियों की मलाई और उनके हितों की वृद्धि के लिए करेंगे। इस परिषद् के सदस्य वे सदस्य राज्य होंगे जो न्यासिक प्रदेशों का प्रबंध करते हैं। इनके अतिरिक्त, सुरक्षा परिषद् के वे स्थायी सदस्य भी, जो उक्त श्रेणी में नहीं आते, इसके सदस्य होंगे। प्रबंध करने वाले और प्रबंध न करने वाले सदस्यों में बराबरी बनाए रखने के लिए आम सभा आवश्यक संख्या में अन्य सदस्य-राज्य चुनेगी। इस परिषद् की बैठक साल में कम से कम दो बार होती है। इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि इसके सदस्य राज्य होते हैं, व्यक्ति नहीं (पिछले राष्ट्र-सभ में बात बिस्कुल विपरीत थी)। परिषद् न्यासिक क्षेत्रों से सीधी याचिकाएँ स्वीकार कर सकती है और अध्ययन के लिए घटना स्थल पर आयोग भी भेज सकती है। वह विवरणों पर विचार करके प्रबंधक-राज्यों की सुझाव भी दे सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय—यह न्यायालय समुक्त राष्ट्र सभ के 'स्थायी न्याया-लय' का उत्तराधिकारी है। इसकी स्थापना जिस कानून के आधार पर हुई है वह राष्ट्र सभ के घोषणा-पत्र का एक अभिन्न अंग है; तयारि समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य राज्य स्वतः इस न्यायालय के सदस्य नहीं हो जाते। इसके लिए उनकी स्वी-कृति आवश्यक है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं जो आम सभा और सुरक्षा-परिषद् द्वारा स्वतंत्र रूप में समानतर मतदान (parallel voting) की प्रणाली से चुने जाते हैं। एक राज्य से एक से अधिक न्यायाधीश नहीं चुना जाता। निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे उच्च नैतिक देश के चरित्र वाला होना चाहिए और उसमें वे योग्यताएँ होनी चाहिए जिनसे वह अपने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सके। न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, किंतु 3 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य पद से हट जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। किसी मामले की सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है; निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से होते हैं।

न्यायालय के सम्पुक्त राज्य अपने भगड़े पेश कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद् के सुझाव और आम-सभा द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऐसे राज्य भी, जो समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य नहीं हैं, न्यायालय को शरण ले सकते हैं। मामलों की सुन-वाई के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, अर्थात् स्वेच्छापूर्वक ही अत्र-

राष्ट्रीय झगड़े न्यायालय के सम्मुख पेश किए जा सकते हैं। सदस्य-राज्य यदि चाहें तो वे यह घोषणा कर सकते हैं कि कुछ बातों में वे न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र अनिवार्य रूप से मानने के लिए तैयार हैं। ये बातें निम्नलिखित हो सकती हैं— सधियों की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून से सम्बंधित कोई प्रश्न, किसी ऐसे तथ्य को स्थापित करना जिसके स्थापित हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भंग करने का अभियोग लग सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा दायित्व पूरा न करने की दशा में क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि को निर्धारित करना। सदस्य-राज्य न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को अपने ऊपर लागू करने की घोषणा, शर्तों-महित अथवा बिना शर्त के, कर सकते हैं। यद्यपि कई राज्यों ने कई ऐसी घोषणाएँ की हैं, तथापि ये घोषणाएँ बहुत सीमित हैं। अतः न्यायालय का अनिवार्य अधिकार-क्षेत्र बहुत कम है।

भगडों का फैसला करने में न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों, सम्यक् राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व-निर्णयों, और प्रख्यात न्याय विशेषज्ञों की सम्मतियों को मान्यता देता है। घोषणा-पत्र के अनुसार राज्य निर्णयों को मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, किंतु यदि एक पक्ष इसे मानने से इकार करदे तो दूसरा पक्ष इस मामले को सुरक्षा-परिपद तक ले जा सकता है और सुरक्षा-परिपद का यह वर्णन होगा कि निर्णय को लागू करने के लिए वह उचित कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सभ के विभिन्न अंगों अथवा उसकी विशिष्ट सहायकों की प्रार्थना पर उन्हें कानूनी प्रश्नों पर सलाह दे सकता है।

सचिवालय—सचिवालय संयुक्त राष्ट्र सभ की प्रशासनिक संस्था है। इसका प्रधान 'मुख्य सचिव' (Secretary General) है जो सुरक्षा परिपद की सिफारिश पर आम-सभा द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका पुनर्निर्वाचन सम्भव है। वह संयुक्त राष्ट्र सभ के सभी अंगों में सचिव के रूप में कार्य करता है और अन्य ऐसे कार्य भी करता है जो यह संस्था उसे सौंपती है। यह सभ के कार्यों का वार्षिक विवरण बनाकर आम-सभा को भेजता है। उसे इस बात का अधिकार है कि वह सुरक्षा-परिपद का ध्यान ऐसे भगडों की ओर दिलाए जिनसे विश्व शांति और सुरक्षा के भंग होने का डर है। वह आम-सभा का विशेष अधिवेशन बुलाता है। उसका नाम है कि सचिवालय के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करे। इन नियुक्तियों के समय वह भौगोलिक आधार का भी ध्यान रखता है। सचिवालय के कई विभाग हैं— सुरक्षा-परिपद विभाग; सार्वजनिक सूचना विभाग, आर्थिक विभाग; सामाजिक विभाग, न्यायिक विभाग, कानूनी विभाग, वार्फेस विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय विभाग, और

सामान्य सेवाओं-सम्बन्धी विभाग। प्रत्येक विभाग एक 'सहायक मुख्य सचिव' के अधीन है। इन विभागों का कार्य तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित करना, अन्तर्राष्ट्रीय बातों की छानबीन करना और प्रशासन है।

यूनेस्को (Unesco)

संयुक्त राष्ट्र सभ से सलग्न विशिष्ट सगठनों में यूनेस्को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह राष्ट्र-सभ के 'अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक-सहयोग सगठन' का उत्तराधिकारी है, किंतु इसका सगठन अधिक व्यापक उद्देश्यों से हुआ है। इस सगठन का उद्देश्य शिक्षा सम्बन्धी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। इसने मानव अधिकारों और बुनियादी स्वतन्त्रताओं के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त यह 'विधि शासन', और 'न्याय की स्थापना' के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके तत्वावधान में अनेक सम्मेलन और विचार गोष्ठियाँ बुलाई गईं हैं जिन्होंने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसका एक कार्यकारी बोर्ड है और स्वतंत्र सचिवालय भी। इसका सम्मेलन नीति निर्धारित करता है जो दो वर्षों में एक बार होता है। कार्यकारी बोर्ड के 22 सदस्य हैं जिनका काम सम्मेलन द्वारा स्वीकार किए हुए कार्यक्रमों को कार्य-रूप देना है।

मानव अधिकारों की घोषणा

आम-सभ ने 10 दिसम्बर, 1948 ई० को मानव अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया। इस घोषणा में 30 धाराएँ हैं। इसके प्रथम दो और अंतिम धाराओं में आम बातें हैं, 3 से लेकर 21 धाराओं में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की चर्चा है, और 22 से 27 धाराओं में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन है।

घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य-मात्र स्वतंत्र उत्पन्न होता है और उसको आत्म सम्मान और अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए। साथ ही उन्हें एक दूसरे के प्रति भ्रातृ-भाव रखना चाहिए। घोषणा के अनुसार ये अधिकार, बिना किसी भेदभाव के, सभी देशों में उपलब्ध होने चाहिए। इस घोषणा में जिन नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का वर्णन है, वे ऐसे हैं जिनको लोकतन्त्रीय सविधानों में बराबर मान्यता दी जाती रही है। इनमें प्रमुख हैं - जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार, अत्याचार और उत्पीड़न से रक्षा का अधिकार, मानून के आगे समता का अधिकार, मनमाने ढंग पर बंदी बनाए जाने और देश निकाले से रक्षा का अधिकार, सांख्यिक और न्यायपूर्ण मुकदमों

का अधिकार, अपराधी प्रमाणित न होने तक निरपराध माने जाने का अधिकार; राज्य के अंदर घूमने-फिरने का अधिकार, राज्य के बाहर जाने-जाने का अधिकार, दमन से बच कर विदेश में शरण लेने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, परिवार की सुरक्षा का अधिकार, पति पत्नी की समानता का अधिकार, सहमति के आधार पर विवाह करने का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, विचार, विश्वास और धर्म का अधिकार, विचारों के प्रकाशन का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से मिचने और सप बनाने का अधिकार, इच्छानुसार सरकार बनाने का अधिकार, मताधिकार, सार्वजनिक कार्य और राजनीति में भाग लेने का अधिकार, सरकारी नौकरी करने का अधिकार, आदि ।

इनके अतिरिक्त घोषणा में बुद्ध आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी हैं जिन्हें मनुष्य के आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कहा गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना गया है। इसके अतिरिक्त, कार्य करने का अधिकार, इच्छानुसार काम चुनने का अधिकार, सतोपजनक कार्य की दशाओं का अधिकार, समाज कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, न्यायपूर्ण वेतन का अधिकार, मजदूर सभाएँ बनाने का अधिकार, आराम करने और अवकाश का अधिकार, सार्वजनिक छुट्टी पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी, अपंगता तथा वृद्धावस्था में सामाजिक सहायता पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और जन-समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पाने का अधिकार है जिसमें विश्व-शांति और सुरक्षा हो और उसे अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के अवसर मिलें। साथ ही, यह घोषणा हमें इस बात का स्मरण भी कराती है कि जहाँ हमारे अधिकार हैं वहाँ हमारे कर्तव्य भी हैं जिनका पालन किए बिना हम अपने अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह ऐसे कार्य करे जिससे अन्य व्यक्तियों के उपर्युक्त अधिकारों के उपयोग में बाधा पड़े।

सन् 1956 ई० में आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने यह निर्णय लिया कि यह समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त करे कि इन मानव-अधिकारों का विभिन्न देशों में किस प्रकार पालन हो रहा है। प्रत्येक सदस्य-राज्य में कहा गया कि वह तीन मास बाद इस प्रकार की रिपोर्टें दे। सन् 1957-59 ई० में सम्बन्धित रिपोर्टें 67 सदस्य-राज्यों ने दी और उन पर विचार किया गया। यूनेस्को के व्यापक पर सारे संसार में 10 दिवसों की मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। माना की जाती है कि धीरे-धीरे दुनिया के समस्त देशों में ये अधिकार

सभी मनुष्यों को पूरी तरह प्राप्त हो जाएँगे।

मूल्यांकन

संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्बन्ध में लोगों की विविध धारणाएँ हैं। कुछ लोगों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र सभ शांति और सुरक्षा की स्थापना में असफल रहा है और निर्बल राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में भी उसे विरोध सफलता नहीं मिली। बालोचक कहते हैं कि जब कभी ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनका संयुक्त राज्य (अमेरिका) अथवा सोवियत सभ का पनिष्ठ सम्बन्ध होता है तो संयुक्त राष्ट्र सभ कोई कदम नहीं उठा पाता। यही नहीं सगरे समय पर अनेक विचारक संयुक्त राष्ट्र सभ के कार्यों का द्विद्वान्वेषण करने लगते हैं। यह सत्य है कि संयुक्त राष्ट्र सभ एक आदर्श संस्था नहीं है। अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि इसमें कई दोष हैं सगठन के भी और कार्य प्रणाली के भी। लेकिन इन दोषों के कारण इसके महत्त्व को स्वीकार न करना अनुचित होगा। वस्तुतः इसका महत्त्व हमारी समझ में अभी आया जब हम यह सोचें कि यदि संयुक्त राष्ट्र सभ न होता तो क्या विश्व शांति और सुरक्षा कायम रह सकती थी ?

हमारा विश्वास है कि अनेक दोषों के रहते हुए भी संयुक्त राष्ट्र सभ एक ऐसी संस्था है जिसने मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पिछले 20 सालों में इसने हमें युद्ध और विनाश से बचाया। इस बीच में अनेक बार बड़े बड़े राज्यों के आपसी सम्बन्ध बने और बिगड़े, राज्यों में मतभेदों का इतना बड़ा कि उसे 'शीत युद्ध' की सज़ा दी गई। यदि यह 'शीत युद्ध' यथार्थ युद्ध में परिणत नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा ख़तरा संयुक्त राष्ट्र सभ को भिन्नना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सभ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सगरे समय सभी राज्य (लगभग इसलिए कि चीनी जनतन्त्र इसमें नहीं है) इसमें सम्मिलित हैं, और उनके आपसी सम्बन्ध चाहे जितने घुरे हों, वे एक सामान्य स्थान पर मिन-बैठ कर अपनी बातें कह सकते हैं। इसका कम से कम यह लाभ तो होता ही है कि हम यह पता लग जाता है कि हमारी बातों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आज कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय जगत् में अकेला नहीं रहना चाहता। अतः अपनी नीति निर्धारित करते समय उह दूसरे राज्यों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है जिसका प्रभाव विश्व शांति की दृष्टि से अच्छा होता है। लेकिन इस से भी बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सभ ने अनेक सफलताएँ भी प्राप्त कीं। उदाहरण के लिए फ्रांस, इंग्लैंड और ब्रिटेन का रबेच पर आक्रमण ही ल सीजिए। इसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र सभ को जो अभूतपूर्व सफलता मिली वह किसी भी संस्था के लिए एक गौरव की बात ही सही है। एक दूसरा उदाहरण है पराधीन देशों और उपनिवेशों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिलाने में इसका

योग । इस सम्बन्ध में इसने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया उसका परिणाम यह है कि आज 50 से भी अधिक ऐसे नव-स्वतंत्रता प्राप्त राज्य हैं जो सयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य बन चुके हैं । यही नहीं मानव अधिकारों की घोषणा बना कर इसने जो सफलता पाई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी । इसके अतिरिक्त, आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है । कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम आवेगों में न बहकर इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि सयुक्त राष्ट्र सभ ने मानवता को विनाश के मुख से बचाया है । इसका आशय यह नहीं है कि आगे हम इस संगठन की उन्नति नहीं कर सकते । किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारे आपसी मतभेद दूर हो और हमारे अदर मिल जुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति बढे । इस सम्बन्ध में शास्त्रीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा है, उसे हमें दूर करना होगा, अर्थात् निःशास्त्रीकरण के काम को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा । जब तक हम हिंसा और युद्ध से अपनी आस्था नहीं हटाते और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, स्थायी आपार पर विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती । हमें विश्वास है कि विश्व की जनता शांति चाहती है और यदि हम शांत चित्त से इस प्रश्न पर विचार करें तो कोई कारण नहीं कि हम ऐसे सामान्य विचारों पर नहीं पहुँच सकें जो हमें विश्व शांति की स्थापना में सहायक हों । विश्व शांति और जनसाधारण की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हम समस्त बाधाओं को पार कर सक्रिय पदम उठाएँ । हम इस प्रश्न पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि वर्तमान परिस्थितियों में किन सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर एक विश्वव्यापी संगठन बनाया जा सकता है जो मानव समाज को शांति, सुख और समृद्धि दे सके ।

BIBLIOGRAPHY

- Acton, J. E. E. D., *The History of Freedom and Other Essays*, Edited by Figgis and Lawrence, 1909.
- Agarwala, A. N., *Socialism Without Prejudice*, Allahabad, 1947.
- , समाजवाद की रूपरेखा, आगरा, 1947
- Agarwal, N. N., *Nationalities Problem in the USSR*, 1960.
- , चापू का बलिदान हमारे लिए सुली बुनीती है, आगरा, 1948
- & C. K., नागरिक-शास्त्र के मूल निदान, देहली 1967.
- Ahmad, Ilyas, *The First Principles of Politics*, Allahabad, 1937.
- Alexandrowicz, C. H., *Constitutional Developments in India*, Bombay, 1957.
- Allen, C. K., *Law in the Making*, 2nd Edition, 1930
- Allen, J. W., *A History of Political Thought in the Sixteenth Century*, London, 1961.
- Altekar, A. S., प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, प्रयाग, 1959.
- American College Dictionary*, New York, 1947.
- Amos, Sheldon, *The Science of Politics*, 1883.
- Angell, Norman, *The Public Mind*.
- Appadorai, *The Substance of Politics*, 1957.
- Bagehot, Walter, *Physics and Politics*, New York, 1883.
- Barker, Ernest, *The Study of Political Science and its Relation to Cognate Studies*, Cambridge, 1928.
- , *Political Thought in England, 1848-1914*, London, 1942.
- , *Reflections on Government*, O. U. P., London, 1942.

- _____, *Politics of Aristotle*, Oxford, 1946
- _____, *Social Contract*, O U P, 1946
- _____, *Principles of Social and Political Theory*, O U P, 1952
- Parner E, *Sociology and Political Theory*, 1924
- Beard Charles, *The Economic Basis of Politics*, 1922.
- _____, *Economic Origins of Jeffersonian Democracy*, 1915
- _____, *Research in Social Sciences*, 1929
- Beni Prasad, *The Democratic Process*, O U P 1935
- _____, सामंति-शास्त्र, प्रयाग 1937
- Bentham, Jeremy, *A Fragment of Government*, London, 1921.
- _____, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*
- Bluntschli, J K, *The Theory of the State*, 3rd Eng. Edition, Oxford, 1895
- Brogan, D W, *American Political System* 1944.
- Brown, Bernard E *New Direction in Comparative Politics*, New Delhi, 1962
- Brown, Ivor, *English Political Theory*, London, 1929.
- Brown, Jethro, *The Austinian Theory of Law*, 1906
- Bryce, James, *The American Commonwealth*, London, 1926.
- _____, *Studies in History and Jurisprudence*, Oxford, 1901
- _____, *Modern Democracies*, London, 1921.
- Buckle, *History of Civilization in England*, London, 1936.
- Burgess, J W., *Political Science and Constitutional Law*, Boston, 1898
- Cathin, G F G, *The Science and Methods of Politics*, New York, 1924
- _____, *A Study of the Principles of Politics*, London, 1930
- _____, *Systematic Politics*, Toronto, 1962
- Cobban, Alfred, *Dictatorship*

- Coker, Francis C., *Recent Political Thought*, New York, 1934.
- Cole, G. D. H., *Self-Government in Industry, Revised Ed*, London, 1919
- , *Social Theory, 3rd Edition*, London, 1923.
- , *Guild Socialism Restated*
- , *Evolution of Socialism.*
- , *Essays in Social Theory*, London, 1962.
- Cooley, *Use and Abuse of Political Terms,*
- Commons, J. R., *Proportional Representation, 2nd Edition,* 1907.
- Contemporary Political Science*, Unesco, Paris, 1950.
- Croce, Bernard, *My Philosophy*, 1949.
- Crossman, Richard, *Government and Governed*, London, 1945.
- Davidson, *Utilitarianism from Bentham to J. S. Mill,* London, 1935
- Dicey, A. V., *The Law of the Constitution*, London, 10th Edition, London, 1959.
- Dobb, Maurice, *Studies in the Development of Capitalism,* New York, 1947
- Dunning, W. A., *A History of Political Theories*, New York, 1950
- Ebenstein, W. *Great Political Thinkers*, New York, 1951.
- Esslinger, William, *Politics and Science*, New York, 1955.
- Field, G. C., *Political Theory*, London 1956.
- Finer, H., *The Theory and Practice of Modern Governments*, London, 1932.
- , *Governments of Greater European Powers*
- Friedrich, Karl, *Authority*, Cambridge, Massachusetts, 1958.
- Fundamentals of Marxism-Leninism*, Moscow, 1961.
- Garner, J. W., *Introduction to Political Science*, New York, 1910.
- , *Political Science and Government*, Calcutta, 1961.

- Gassett, Josh Ortegay, *The Revolt of the Masses*, 1932.
- Getch, R. G., *Introduction to Political Science*, Boston, 1923.
- , *History of Political Thought*, New York, 1924.
- , *Political Science*, Calcutta, 1961.
- Giddings, F. H., *Principles of Sociology*, New York, 1920
- Gilchrist, R. N., *Principles of Political Science*, Madras, 1940
- Ginsberg, Morris, *The Psychology of Society*, 8th Edition, London, 1951.
- Ghoshal, *History of Hindu Political Theories*
- Gladden, E. N., *The Civil Service*, London, 1956.
- Goodnow, Frank, *Politics and Administration*
- Hallett, *Proportional Representation*
- Hallowell, *Main Currents in Modern Political Thought*, New York, 1960.
- Hayes, C. J. H., *Essays on Nationalism*, New York, 1928.
- Peckinshaw, *The Social and Political Theories of Some Great Medieval Thinkers*, London, 1929.
- Hertz, Fredrick, *Nationality in History and Politics*, London, 1944
- Hobhouse, L. T., *The Metaphysical Theory of the State*,
- Hocking, W. E., *Law and Rights*.
- , *Man and Society*.
- Holland, T. H., *Elements of Jurisprudence*, 13th Edition, Oxford, 1924.
- Humphreys, *Proportional Representation*, 1911.
- Jenks, E., *A Short History of Politics*, London, n. d
- , *The State and the Nation*, London, 1928.
- Jenks, J. W., *Principles of Politics*, New York, 1916.
- Joad, C. E. M., *Introduction to Modern Political Theory*, Oxford, 1927.

- , *Guide to the Philosophy of Morals and Politics*
- Jouvenal, B. de, *Sovereignty*, Cambridge Massachusetts, 1957
- , *The Pure Theory of Politics*, London, 1963
- Kohn, Hans, *The Idea of Nationalism*, New York, 1946
- Korovin, Y A, *International Law*, Moscow, n d
- Laski, Harold J, *A Grammar of Politics*, London, 1948
- , *The State in Theory and Practice*, London, 1951.
- , *American Presidency* London, 1940
- , *Parliamentary Government in England*, London, 1938
- , *Dangers of Obedience and other Essays*,
Philosophy, Politics and Society, Oxford, 1956
- Laslett, Peter, *John Locke Two Treatises of Government*, Cambridge, 1960
- Laswell, H J & Kaplan, Abraham, *Power and Society*, 1950.
- Laswell, H. J., *The Political Writings of Lasswell*, Illinois, 1951
- Leacock, Stephen, *The Elements of Political Science*, London, 1929
- Lee-Smith, H B, *Second Chambers in Theory and Practice*
- Lenin, V. I., *Development of Capitalism in Russia*, Moscow, 1956.
- , *Selected Works in Two Volumes*, Moscow, 1946.
- , *Collected Works*, Vol. XVIII, New York, 1930
- , *Collected Works*, Vol. XIX, New York, 1942.

- Lewis, G Cornewall *Methods of Observation and Reasoning in Politics*, London 1852
- , *Influence of Authority on Matters of Opinion*, London, 1875.
- Lippmann, Walter, *Public Opinion*, 1922.
- , *The Phantom Public*, New York, 1927.
- Locke, John, *The Second Treatise of Government*, Ed , P Peardon, New York, 1952
- Lord, A R , *Principles of Politics*, London, 1931
- Loria, Achille, *The Economic Foundations of Society*, 1907
- Lowell, *Public Opinion and Popular Government*
- , *Public Opinion in War and Peace*, 1923
- Macdonald, Ramsay, *The Socialist Movement*, London, 1931
- Machiavelli, Niccolo, *The Prince*, Ed by Vincent, London, 1952
- MacIver, R M , *The Modern State*, New York 1932
- & Page C H , *Society An Introductory Analysis*, London, 1957
- Maitland, *Collected Papers*, Vol I.
- Marrriott, *The Mechanism of the Modern State*,
- Martin, Kingsley, *French Liberal Thought in the Eighteenth Century*, London, 1929
- Marx, Karl, *Selected Works in Two Volumes*, Moscow, 1951-52
- , *Poverty of Philosophy*, Moscow, n d
- , *The Critique of the Gotha Programme*, Moscow, 1952
- , *Capital*, Vol I London, 1949.
- , *German Ideology*, Calcutta, n d
- & Engels, Fredrick, *Historical Materialism*, Bombay, 1946.
- , *Correspondence*, Calcutta, 1945
- , *Manifesto of the Communist Party*, Mos-
cow, 1948.

- Maxey, C. C. *Political Philosophies*
- McIlwain, *The Growth of Political Thought in the West*, London, 1932.
- Mc Intosh, James, *Law of Nature and Nations*, 1950
- Mendlovitz, S H , *Legal and Political Problems of World Order*, New York, 1962.
- Merriam, C E , *History of Theory of Sovereignty since Rousseau*, 1900.
- , *New Aspects of Politics*, New York, 1925
- & Barnes, *A History of Political Theories, Recent Times*, New York, 1932
- Mill, J S., *System of Logic*, 8th Edition, 1900
- , *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*, Ed , Dr Lindsay, London, 1931.
- Munro, W B , *The Governments of Europe*, New York.
- , *The Government of the United States*, 1946,
- Muir, Ramsay, *How Britain is Governed ?*, London, 1933
- , *The Socialist Case Examined*, London,
- Myrdal, Gunnar, *Beyond the Welfare State*, London, 1960.
- Oakeshott, *Hobbes's Leviathan*, Editor, Oxford,
- Panikkar, K. M , *The Afro-Asian States and their Problems*, London, 1959.
- Parsons, Talcott,
Shils, E A , and
Tolman, Edward C , *Towards a General Theory of Action*, 1951.
- Penneck J R , & *Political Science . An Introduction*, New
Smith D G York, 1961.
- Pfiffner, J M , & *Public Administration*, New York, 1953
Prethus, R Y ,
- Phillimore, Robert, *International Law*, 2nd Edition, London, 1871.

- Pollock, Frederick, *An Introduction to the History of the Science of Politics*, London, 1918.
- , *First Book on Jurisprudence*, 2nd Edition,
- Popper, Karl, *The Open Society and Its Enemies*, New York, 1950
- Ritche, G D, *Natural Rights*, 2nd Edition, New York, 1903
- Rivers, *Psychology and Politics*, London, 1923
- Robson, W. A., Editor, *The University Teaching of Social Sciences Political Science*, Unesco, 1954
- , *Justice and Administrative Law*
- Rodee, C C, *Introduction to Political Science*, New York, 1957.
- & Christol,
- Roucek J S, Ed, *Twentieth Century Political Thought*, 1948
- Rousseau, J J, *Social Contract*, Ed. by G D H. Cole, London, 1935.
- Russell, Bertrand, *Roads to Freedom*, Allahabad, 1946
- Sant, E M, *Political Institutions A Preface*, New York 1838.
- Salmond, John, *Jurisprudence*, 8th Edition, Ed. by C A V. Manning, London, 1930
- Sabine G. H., *A History of Political Theory*, New York, 1957.
- , राजनीति का दर्शन, Trans by Vishwa Prakash Gupta, Delhi, 1964
- Samuel, Herbert, *Practical Ethics*, London, 1935.
- Schuman, F L, *International Politics*, New York, 1933.
- , *International Politics*, New York, 1948
- Seeley, John S, *Introduction to Political Science*, London, 1923
- Sidgwick, Henry, *The Elements of Politics*, London, 1908.
- , *The Development of European Polity*, London, 1920

- Sinclair, T A., *A History of Greek Political Thought*, London, 1959
- Siegfried, Andre, *America Comes of Age*, 1927.
- Soltau, Riger H , *An Introduction to Politics*, London, 1952
- Stace, *Philosophy of Hegel*,
- Stalin, Joseph, *National Question and Leninism*, Moscow, 1950.
- , *Concerning Marxism in Linguistics* New Delhi, 1953
- Strong, C F , *Modern Political Constitutions*, London, 1937
- Tara Chand, Ed., *History of Freedom in India*, Vol I, New Delhi, 1961
- Tawbery, R. H , *Equality*,
- Tocqueville, de, *Democracy In Action* Trans , by Reeves,
- Vyshinsky, Andrei Y , *The Law of the Soviet State*, New York, 1954
- Wallas Graham, *Human Nature in Politics*, 3rd Edition, London, 1924
- Wayper, *Political Thought*
- Webb, Beatrice, *My Apprenticeship*, London 1926.
- Weldon, T D *The Vocabulary of Politics*, Penguin, 1955.
- Wheat, K C *Federal Government*,
- Wilde, E N , *The Ethical Basis of the State*.
- Willoughby, W W., *An Examination of the Nature of Politics*, New York 1919
- Willoughby, W, F , *Principles of Public Administration*, Allahabad, 1952
- Willoughby, *The Government of Modern State*,
- Wilson, F G , *The Elements of Modern State*, New York, 1936
- Wilson, Woodrow, *The State*,
- Young, Kimble, *Social Psychology*, 1930

Young, Ronald, Ed , *Approaches to the Study of Politics*, London,
1957.

Zimmero, Alfred E , *Nationality and Government*, London,
1919.

—————, Ed , *Modern Political Doctrines*, London, 1939.



भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की मानव प्रथ योजना के अन्तर्गत हिन्दी माध्यम मण्डल, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित व निकट भविष्य में प्रकाशित होने वाली कुछ अन्य पुस्तकें .—

प्राचीन भारत का इतिहास—

लेखक—डा० ओम् प्रकाश,
प्राध्यापक, इतिहास विभाग,
किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

आधुनिक शासन् प्रणालियाँ—

लेखक—श्री कृष्ण कान्त मिश्र,
प्राध्यापक, राजनीति विभाग,
हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

यूरोप का इतिहास—

लेखक—डा० किशोरी सरन लाल,
रीडर, इतिहास विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

हिन्दी माध्यम मण्डल, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ।